गांधी-साहित्य—२

प्रार्थना-प्रवचन

दूसरा खंड

•

दिल्लीकी प्रार्थना-सभाओंमें दिये गए
२७ अक्तूबर १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके
महात्मा गांधीके प्रवचन

•

१९४९
सस्ता साहित्य मंडल • नई दिल्ली

प्रकाशककी ओरसे

पूज्य गांधीजी आगा खां-महलके कारावाससे मुक्त होनेके बादसे संध्याकी प्रार्थना-सभामें नियमित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह परंपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहले यानी २९ जनवरी १९४८ तक बराबर चलती रही।

दिल्लीकी सभाओंमें दिये गये १ अप्रैल १९४७ से २६ अक्तूबर १९४७ तकके प्रवचन पहले खडमे प्रकाशित हो चुके है। २७ अक्तूबर १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तकके प्रवचन इस संग्रहमे दिये जा रहे है।

ये गांधीजीके अतिम उद्गार है और जिन समस्याओंपर व्यक्त किये गये हैं, उनमेसे बहुत-सी आज भी मौजूद है। इन प्रवचनोंमे गांधीजीने सक्षेपमें सर्वसाधारणके समझने-योग्य भाषामे बहुत कामकी बाते कही है और बहुत जगह तो अपनी हार्दिक वेदना जनताके सामने रखी है। गाधीजीके अन्य लेखों और भाषणोंसे इनका एक अलग और महत्त्वका स्थान है।

अधिकाश प्रवचन गाधीजीकी भाषामें ही हैं। 'हिंदुस्तान'के उप-सपादकोंने समय-समयपर 'हिंदुस्तान'के लिए उनकी रिपोर्ट ली थी। बादके प्रवचनोंके रेकार्ड 'आल इडिया रेडियो'ने लिये थे। उनमेंसे कुछ प्रवचन 'भाइयो और बहनो'के नामसे चार छोटी-छोटी पुस्तिकाओंमें सरकारकी ओरसे छपे है। इस सग्रहमें इन तथा जिन अन्य आधारोंकी सहायता ली गई है, उनके हम विशेष कृतज्ञ है।

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहली बार : जनवरी १९४०

मूल्य
अजिल्द २) : सजिल्द २।।)

मुद्रक
जे० के० शर्मा
इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस
इलाहाबाद

(बापूके प्रार्थना-प्रवचनकी आवृत्ति, जो आपने प्रकाशित की है, देखी । अल्प मोली और बहुगुणी है । बापूके विचार लोगोमें फैलानेका उत्तम उपाय उनके साहित्यको, उन्हींकी भाषामे और बिना किसी भाष्यके प्रगट करना है । और वही आपने किया है । यह आपने एक भगवद् उपासना की है ।)

प्रार्थना-प्रवचन

दूसरा खंड

: १३० :

मौनवार, २७ अक्तूबर १९४७

(लिखित संदेश)

मेरे पास बराबर इस बातकी शिकायतें आ रही है कि यूनियनके मुसलमानोको अपने बाप-दादाओंके घरोंको छोड़नेपर और पाकिस्तान जानेके लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि उनको तरह-तरहकी तरकीबोंसे अपने घरोंको छुड़वाकर कैंपोंमें रहनेपर मजबूर किया जा रहा है, जहासे उन्हे रेलद्वारा अथवा पैदल भेज दिया जाय। मुझे विश्वास है कि मंत्रिमडलकी यह नीति नहीं है। जब मैं शिकायत करनेवालोंको यह बात सुनाता हू तो वह हँसते हैं और जवाबमें कहते हैं कि या तो मेरी जानकारी गलत है या कर्मचारी उस नीतिके अनुसार चलते नही है। मै जानता हूं कि मेरी जानकारी बिलकुल सही है। तब क्या कर्मचारी बेवफा है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नही है। फिर भी यह शिकायत आम है। कही जानेवाली बेवफाईके मुख्तलिफ कारण दिये जाते है। जो कारण सबसे संभव हो सकता है वह यह है कि फौज और पुलिसका अधिकाश रूपमे फिर्केवाराना बटवारा किया गया है और वह मौजूदा द्वेषभावमे बह जाते है। मैंने अपनी राय दे दी है कि अगर ये कर्मचारी जिनपर शांति और कानूनको कायम रखनेका भार निर्भर है, फिर्केवाराना प्रभावमे पड़ जायं तो सुसगठित हकूमतकी जगह बदअमनी आ जाना लाजमी है

और यदि यह चलती रहे तो समाज नष्टप्राय हो जायगा। यह उच्च कर्मचारियोंका कर्तव्य है कि वह फिर्केवाराना जहनियतसे ऊपर उठे और फिर अपनेसे नीचे तबकेके कर्मचारियोको भी उसी सद्भावनासे प्रभावित करे।

यह जोरके साथ कहा जाता है कि देशमे जनताद्वारा सरकार कायम की गई है उनको वह वकार[१] हासिल नही हुआ है जो विदेशी हकूमतको अपनी तलवारके जरिये हिंदुस्तानी कर्मचारियोंको डराकर अपने काबूमे रखनेके लिए हासिल था। यह कुछ हदतक ही ठीक है। क्योकि अवाम[२]की हकूमतके हाथमे एक नैतिक शक्ति है जो विदेशी हकूमतके शक्ति-बलसे, जिसे वह अपनी मददके लिए बरत सकती थी, निस्संदेह ऊचे दर्जेकी है। इस नैतिक शक्तिके लिए यह पहलेसे माना जाता है कि अवामकी राय हकूमतके साथ है।

आज इसकी कमी हो सकती है। हमारे पास इसकी परीक्षाका और कोई साधन नही है सिवा इसके कि केंद्रीय सरकार इस्तीफा दे दे। इस जगह हम खास तौरपर यह जाच रहे है कि केंद्रीय शासनकी क्या हालत है। इसे किसी हालतमे भी कमजोर न बनना चाहिए और न कभी कमजोर लगना चाहिए। उसे तो अपनी शक्तिका अहसास[३] होना चाहिए। इसलिए यदि इसमे कुछ भी सचाई है कि कर्मचारी पूरी तरह आज्ञाका पालन नही करते है तो ऐसे नाफरमाबरदारोको[४] तुरत निकल जाना चाहिए या मिनिस्ट्री अथवा सबधित मत्रीको त्यागपत्र देकर ऐसी शक्तिको स्थान देना चाहिए जो सफलताके साथ कर्मचारियोकी नाफरमाबरदारीको दूर कर सके। जब कि मै उन शिकायतोको, जो मेरे पास आती रहती है, सकोचके साथ आपको सुनाता हू, मुझे यह आशा रखनी चाहिए कि इसकी तहमे कुछ नही है और यदि कुछ है भी तो उच्च अधिकारी यथाशक्ति कामयाबीके साथ उनको ठीक कर लेगे।

यूनियनके उन नागरिकोंका, जो इसके प्रभावमे आते है, क्या फर्ज है? यह साफ बात है कि ऐसा कोई कानून नही है जो किसी नागरिकको अपना मकान छोडनेपर मजबूर करे।

---

[१] प्रभाव [२] जनता [३] अनुभव [४] आज्ञा न पालनेवाले।

अधिकारीवर्गको खास अधिकार अपने हाथमें लेने पड़ेंगे ताकि वह ऐसे हुक्म निकाल सके, जैसा कि कहा जाता है, वे निकालते हैं। जहा-तक मुझे पता है, किसीको कोई लिखित हुक्म नही दिया गया है। कहा जाता है कि मौजूदा मामलेमे हजारोंको जबानी हुक्म दिया गया है। ऐसे लोगोकी मदद करनेका कोई साधन नही है जो डरके मारे किसी भी बावरदी[1] व्यक्तिके हुक्मके सामने अपना सर झुका दे। ऐसे सब लोगोको मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वह लिखित हुक्म मागे और यदि सबसे उच्च अमलदार भी उसको सतोष न दे सके तो सबकी हालतमे वह अदालतसे उस हुक्मकी सचाई मालूम करे। आम जनताको, जो इस मामलेमे बहुसख्यावाली है, अपनेको सख्तीके साथ कानूनको हाथमे लेनेसे रोकना चाहिए। अगर वह ऐसा नही करेगे तो वह अपने पैरोमे खुद कुल्हाडी मारेगे। यह ऐसी गिरावट होगी जिसमे उठना कठिन हो जायगा। ईश्वर करे जल्द-से-जल्द उनको समझ आ जाय। उनको बुरी घटनाओंकी खबरसे, चाहे वह सच ही हों, प्रभावित न होना चाहिए। उनको अपने चुने हुए मत्रियोपर भरोसा रखना चाहिए कि वह इन्साफके लिए, जो जरूरी होगा वह सब करेगे।

: १३१ :

२८ अक्तूबर १९४७

भाइयो और बहनो,

दिल्लीके एक भाई खतमे लिखते[2] है, "मैने शरणार्थियोके लिए थोडे खेमे और कनात वगैरा एक मुसलमान भाईसे लिये थे। वह तो यहासे चले गए। अब उनको कहा रखना चाहिए?" ये कोई शरीफ आदमी है, इसीलिए पूछते है कि उनका क्या करना है। और बात भी ठीक है कि वह अगर यहासे चले गए, तो क्या हम इनको हज्म

---

[1] वरदी वाले।

करके बैठ जाए? लेकिन मेरे पास तो कोई इतजाम है नही कि जो मै रख सकू। यह तो होम डिपार्टमेंट[1] की बात है। सरदारजीसे पूछ लेना चाहिए या और कोई जो इस कामको करता है, उससे या नियोगी साहब जो नियुक्त हो गये है, उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर उनको उस मुसलमान भाईका पता लग जायगा तो यह या इसकी कीमत उसको पहुचा देनी होगी।

अलीगढमे जो यूनिवर्सिटी है उसका एक लडका मेरे पास आया था। वहा पश्चिमी पजाब और सरहदी सूबेके भी कुछ विद्यार्थी पढते है। वे वहासे वापस नही पहुच पाए और जो यहा है वे जा नही सकते। वे क्यो न वहा जाए और आए? आखिर जो पाकिस्तान होना था वह तो हो गया। फिर आपस-आपसमे झगडा कैसा? क्यो यहाके इतने मुसलमान पाकिस्तानमे जाय और वहाके हिंदू और सिख यहा आए? लेकिन उनका यह इरादा है कि हम मुसलमानोके पाससे कबल वगैरा लेकर उन हिंदू और सिख शरणार्थियोको दे जो परेशान होकर कैंपोमे रह रहे है। अच्छा है, उनको इसकी दरकार भी है और अगर उनको मिल जाय तो इसमे उनकी मोहब्बत तो प्रकट होगी। लेकिन सच्चा काम तो यह है कि वे पाकिस्तानमे मुसलमानोसे जाकर कहे कि हिंदू और सिखोको वहांसे आना ही क्यो पडना है? मेरे पास तो ढेर पडा है कागजोंका, जिनमे शिकायते ही भरी है। वे झूठी तो है नही। हा, उनमे कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन अतिशयोक्ति होने पर भी, उसमे जो मूल है, वह तो ठीक है। वे क्यो वहांसे भागे, उनको वापस बुलाओ, वे क्यों न अपने घरोमे आकर रहे? ऐसा अगर वे कर सके तो हम सारी दुनियाको यह बता सकेंगे कि हम आपस-आपसमे कभी लडे ही नही। पीछे जो आज हमारी नाक कट गई है, वह कल फिर साबुत हो जायगी। ऐसा मैने उन लडकोको कहा है। उन्होंने इसको मान भी लिया और पीछे कैसा वे करते है, यह तो ईश्वर ही जानता है।

लेकिन आज जो बात मै कहना चाहता हू, वह तो एक बडी बात है। मेरा खयाल है कि मै जब बिहारमे बैठा था तब वहा ऐसा

[1] गृह-विभाग।

चलता था कि लोगोंने यह सोच लिया कि चलो, स्वराज्य तो अब मिल ही गया, तो फिर रेलमे बैठकर जानेमें टिकटकी क्या दरकार है ? यही नही, वे कभी-कभी तो बडी ज्यादती और जबर्दस्ती भी करते हैं। उस जमानेमे हम आपस-आपसमे तो नही लडते थे, लेकिन ऐसा मान लिया कि जब स्वराज्य मिल गया तो पीछे और क्या चाहिए ? उसपर मैंने काफी लिखा, उसका असर हुआ और बादमे वहा वह बद भी हो गया। लेकिन अभी कुछ दिनोमे तो ऐसा हो गया है कि सारे हिंदुस्तानमे या कहो कि सारी यूनियनमे काफी लोग रेलोमे बगैर टिकट चलते है। बडे-बडे लोग भी यह सोचते हैं कि चलो, अब तो रेले हमारी हो गई हैं। रेले तो हमारी हो गई है, इसमे तो कोई शक नही, लेकिन इस तरहसे करनेका नतीजा यह हुआ है कि हमारा ८ करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है। ८ करोड रुपया किसको कहते है ? एक करोड भी किसको कहते हैं ? जब कांग्रेसमें हमे एक करोड रुपया इकट्ठा करना था तो कितनी परेशानी हम लोगोंको हुई थी और कितने लोगोंको निकलना पड़ा था। मैं भी घर-घर घूमकर इकट्ठा करता था, और लोगोंको भी अपने साथ ले जाता था। तब जाकर बडी मुश्किलसे वह हुआ था। ऐसे हम गरीब लोग इस देशमे है। आज तो हम एक करोड रुपया खर्च कर लेते हैं और मिल गया है तो कुछ पता भी नही चलता। किस तरहसे हम उसको खर्च करे यह तो हम अभी जानते ही नही। लेकिन चूकि काम ऊपर आ पडा है इसलिए कर रहे हैं। लोग अगर यह सोच ले कि चलो, रेलोमे मुफ्त सैर करे या कही कामसे भी जाय तो उसमे किराया क्या देना, तो यह बडी ज्यादती है। मेरे हिसाबसे तो यह बिलकुल लूट है। इस तरहसे तो हिदुस्तान कगाल हो जायगा और न हमारे पास रेलगाडिया रहेगी और न कुछ और होगा। पीछे हम लोग रोएगे कि अब कैसे कही जाय। आठ करोड़ रुपया कोई कम थोडे ही होता है। पहले जो हमे रेलोंसे मिलता था उससे तो रेलवे कपनीको अपने रुपयेका ब्याज भी मिल जाता था। करोडों लोग रेलोंमे सफर करते है। अगर सब पैसा दे तो खासी कमाई हो सकती है। बिना टिकट तो लोग उस जमानेमे भी जाते थे, लेकिन आजकी तरह कोई हजारोंकी तादादमे

नही जाते थे। गाड़ियोमे इस्पेक्टर रहते थे और बाकायदा सारा हिसाब चलता था। आज तो ऐसा हो गया है कि गार्ड है तो उसको मारो और ड्राइवर आता है तो उसको मारो। रोज बरोज पैसेका खर्च बढता ही जाता है। कोई रेलगाडिया तो मुफ्त चल नही सकती। उनमे जो नौकर लोग काम करते है वे ऐसा थोडे ही मान लेगे कि मुसाफिर बिना पैसा दिये सफर करते है तो वे भी अपने वेतन न ले, अगर वे ऐसा सोचे तो खाएगे क्या? इसलिए रेलोमे करोडो रुपएका खर्च है और करोडोकी कमाई है। पहले तो इसमे नुक्सान होता नही था। तीसरे दर्जे-के मुसाफिरोसे काफी पैसे मिल जाते थे, क्योकि उनपर खर्च तो कम होता था और आमदनी अधिक थी। इसलिए कुछ पैसे नफेमे बच जाते थे। लेकिन कल जो मैने ८ करोड रुपएका घाटा सुना तो मुझको बडा दर्द हुआ। इस तरहसे अगर हर तरफसे लूट-ही-लूट रही तो हमारा भला नही हो सकता। इसपर भी हम आपस-आपसमे लडे, एक-दूसरेको कत्ल करे और लूटे, क्योकि इसमे भी तो हमे कोई फायदा तो होता नही, करोडोका खर्च ही होता है। जब लोगोको उनके घर छुडवाकर पाकिस्तान भेजनेके लिए कहा जाता है तो वे कोई मुफ्त थोडे ही चले जाते है। उनको खाना खिलाना और पहननेके लिए कपडा देना पडता है। यह सब खर्च मुफ्तमे हमे करना पडता है। हिंदुस्तान कोई धनिकोंका मुल्क तो है नही कि जो यह सब करता ही चला जाय। वह तो हो नही सकता। इसलिए अगर एक भी आदमी रेलमे मुसाफिरी करता है तो बिना पैसा दिये न करे। उसको पैसे देने ही चाहिए। जब अग्रेजी हुकूमत चलती थी तब पुलिसके सिपाही या दूसरे अमलदार भी काफी पैसे खा जाते थे। मै चूकि तीसरे दर्जेमे मुसाफिरी करता हू इसलिए मुझको इसका पता तो चल जाता था। हरिद्वारमे कुभ-मेलेके समय जब मै गया था तो उस जमानेमे वहाके स्टेशनमास्टरको, पीछे तो बदलते रहते है, ऊपरके पैसे दिये बिना कोई जा नही सकता था। इस तरहसे हजारो रुपए रिश्वतमे उठ जाते थे। अब तो मेरे दिलमे ऐसा है कि हम सब शरीफ बन गए है। जो स्टेशनमास्टर, सिगनलर, इस्पेक्टर या गार्ड लोग है, उन सबको अपने हक और सचाईसे जो

पैसा मिलता है, वही खाकर अपना जीवन बसर करना चाहिए। उन्हे लोगोंके पाससे पैसे नही छीनने चाहिए। जो मुसाफिर है, उन्हे रेलोंको अपनी चीज समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। वे रेलोंको साफ-सुथरी रखे, उनमे थूके नही, बीडी न फूके, बिना जरूरत जजीर न खीचे और पैसे दिये बिना एक भी मुसाफिर न चले। तब तो मै कह सकता हू कि हमे सच्ची आजादी मिली है। मेरी बातको सुननेवाले कोई हजारो लोग तो यहा है नही और फिर रेलोमे तो लाखो लोग सफर करते है, तो उनको कौन सुनाएगा? अगर मै रेलवे मैनेजर या रेलवे मिनिस्टर होता तो मेरे मातहत जितने लोग काम करते, उनको यह हुक्म देता कि जितने लोग रेलोमे तुम्हारे सामने चलते है उनको यह कह दो कि हम मारपीट तो करेगे नही, रेल आपकी है, हम आपके नौकर है, लेकिन बिना पैसा दिये हम आपको ले जा नही सकते। अगर रेल जगलमे भी जा रही है तो उसे रोककर वही खडी कर दे। अगर फिर भी वे न माने तो एजिन ड्राइवरको यह हुक्म देना चाहिए कि वह एजिनको गाडीसे अलग करके ले जाय। तब न किसीको गाली देना है और न किसीको मजबूर करना है, सिर्फ गाडीको वही खडी रहने दे। जब-तक लोग मुफ्तमे सफर करे तबतक यही करना चाहिए। आखिर यह कोई शरा-फत नही है कि आप मुफ्त गाडीमे बैठ जाए, मारपीट करे और जहां चाहा वही उसको रोक ले। यह तो मैने आपको यहाकी बात सुनाई। लेकिन मैने सुना है कि पाकिस्तानमे भी लोग ऐसे ही मुफ्त रेलोमे घूमते है। वहा भी क्यो न लोग मुफ्त चले? आखिर हम एक ही हवामे पैदा हुए है, एक ही-जैसा नमक खाते है, तो पीछे वहां भी क्यो न वही हो जो यहा होता है। अगर यही हाल जारी रहा तो दोनो दिवालिया हो जायगे। इस तरहसे किराया न देकर रेलोंमे सफर करे, जहा रिश्वत खाना है वहा रिश्वत खाए और जिसको मारना है उसको मारे, तो पीछे हम बिल्कुल लुटेरे लोग बन जायंगे। आजादीके आनेसे हमारी जो कीमत बढ़ गई थी, वह कीमत बिलकुल चली जायगी। इसलिए जितने लोग सुन सकते है, वे सुने और मिनिस्टर भी सुन ले, क्योंकि एक जानकार आदमीकी हैसियतसे मै कह रहा हू कि अगर यह सिलसिला न रुका तो आपको गाड़िया बद करनी होंगी। गाडिया चलेगी नही और जो चलेगी उसमें कोई आदमी मुफ्त जा नही सकता।

: १३२ :

२९ अक्तूबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आपने आजका बहुत मीठा भजन तो सुना। जिन्होंने हमको यह मीठा भजन सुनाया उन्हे आप लोग सब जानते तो होगे नही। उनका नाम दिलीपकुमार राय है। उन्होने हर जगहका भ्रमण किया है। उनके कठका माधुर्य जैसा है वैसा हिदुस्तानमे तो कम लोगोके पास है। मै तो कहता हू कि शायद सारी दुनियामें भी बहुत कम लोगोके पास है। मेरे पास ये दोपहरको आ गए थे। तब कोई अधिक समय तो मेरे पास था नही, सिर्फ १० मिनट थे। उस वक्त उन्होंने 'वन्देमातरम्' सुनाया, जिसको उन्होने अपने मधुर स्वरमे बिठाया। क्योकि वे बगाली है इसलिए तो उन्हे जानना ही चाहिए। चूकि वे मुझको सुनाना चाहते थे, इसलिए सुन लिया। लेकिन मै कोई सगीत-शास्त्री तो हू नही। उनको मुझसे मुहब्बत है, जो एक दूसरेके साथ बन जाती है। पीछे उन्होने इकबालका 'सारे जहामे अच्छा' भजन सुनाया। उसको भी उन्होने एक नए स्वरमे बिठाया है। मुझको यह बडा अच्छा लगा। वे ऋषि अरविंदके आश्रममे, जो पाण्डूचेरीमे है, कई वर्षोसे रहते है। वहा कोई तालीम तो उन्होने ली नही। जब वहा गए तब भी वे सगीत-शास्त्री थे। पीछेसे अपनी कलाको बढ़ाते रहते है।

इस भजनका रहस्य तो यही है न, कि कबीर कहते है कि तुम्हारे पास तो यह हाथी, घोडे तथा करोडोंकी दौलत पड़ी है, लेकिन मेरे पास तो केवल मुरारीका ही नाम है। मै तो उसीसे धनपति हूं और तुम्हारे पास जो इतना धन पड़ा है वह निकम्मा है। वह आज है कल चला जायगा, लेकिन मेरे पास जो धन है, वह कभी जा नही सकता। रामनामकी महिमा कितनी बडी है, यही इसमे बताया गया है। और जो चीजें भजनमे है वे तो आपने सुन ही लीं। लेकिन अरविंदका आश्रम क्या चीज़ है यह भी तो आपको जानना चाहिए। यों तो वहा लोगोंकी एक धारा चल रही है। वहा हमेशा काफी लोग जाते है।

उनके काफी भक्त है, हिंदू क्या, मुसलमान क्या किसीके लिए वहा घृणा तो है ही नही। सर अकबर हैदरी, अब तो वह मर गए, प्रतिवर्ष वहा जाते थ, उसका तो मै गवाह हू। श्रीअरविंद तो दीनभक्त है, किसीसे मिलते नही है। ऊपरसे उनका दर्शन हुआ तो हुआ, नही हुआ तो नही, लेकिन लोग जाते थे। उनके पास यह रहते है। इनके दिलमे भी ऐसी कोई घृणा नही है। तो इतना तो हम सीख ले कि हमारे दिलमे क्यो घृणा होनी चाहिए।

लेकिन मै तो आज काश्मीरमे जो हो रहा है उसके बारेमे कहना चाहता हू। और कहना भी चाहिए। अखबारोमे तो आप देख ही रहे है। वह तो एक अजीब बात है। तीन दिनकी बात है। किसीको पता नही था। मुझको भी पता नही था कि क्या होने वाला था। लेकिन वह एक युगकी बात हो गई ऐसा हम कह सकते है। अभी कहते तो ऐसा है कि वहा अफ्रीदी और दूसरे लोग बदूकोके साथ घुस गए है और कोई तो यह भी कहते है कि यह तो पाकिस्तानकी कारस्तानी है। वह हो, उससे तो मुझे कोई वास्ता नही है। मै तो जो वहा हो रहा है उसको देख रहा हू। एक तरफ तो वे पुछ तक चले गए और वहामे भी आगे, श्रीनगरसे २२ मीलतक के फासलेतक पहुच गए। वहासे तो सीधी सडक पडी है। कोई रुकावट हो नही सकती है।

जब काश्मीरके महाराजाने यह देखा तो उन्होंने कहा कि मै भारतीय सघमे आ जाता हू। महाराजाने लार्ड माउटबैटनको खत लिखा, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि आप आ सकते है। पीछे जब आ गए तो शरणागत बने और उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन रक्षा करें कहांसे? रास्तेसे तो जा नही सकते, हवाई जहाजसे ही जा सकते है। लेकिन हवाई जहाजसे कितना लश्कर जा सकता है, चद आदमी आ-जा सकते हैं। उनको अपने हथियार ले जाने है, खुराक ले जानी है, कपड़े भी ले जाने है और मोटे कपड़े भी होने चाहिए। एक रतल वजन हो गया तो वजन बढ गया। ऊपर पक्षीके माफिक चलना है तो कितने लोग जा सकते है। शायद आज भी कुछ गये है। कुल १००० गये होगे, ज्यादा-

से-ज्यादा १५०० गये होंगे। एक ओर तो ये १५०० आदमी और दूसरी तरफ कबाइली इलाकेसे बहुतसे लोग आ गये हैं। वे भी तो लडनेवाले है, वे लडते है। उसमे आप क्या सोचें और मैं क्या सोचू। आखिर मेरा जीवन तो ऐसे ही काममें चला गया है। मैं तो शस्त्र-युद्धको माननेवाला नही हू, लेकिन मुझको समझना तो चाहिए कि वह क्या बात है। एक ओर तो वे १५०० आदमी और दूसरी तरफ इतने अफ्रीदी और दूसरे लोग। फिर वहा शेख अब्दुल्ला साहब है। शेरे काश्मीर उसको कहते है। याने बाघ है, सिह है। वह बडा तगडा है। आपने उसका चित्र तो देखा ही होगा। मै तो उसको पहचानता भी हू। उसकी बेगमको भी पहचानता हू। बेगम तो आज यहा पड़ी है। तो एक आदमीसे जितना हो सकता है वह वे कर रहे हैं। वे कोई लडनेवाले तो है नही। यो तो काश्मीरमे तगडे मुसलमान पडे है, तगडे हिंदू भी पडे है, राजपूत और सिख भी पडे है। तो उसने तय कर लिया है कि जितना हो सकता है वह करूगा। वह तो मुसलमान है। काश्मीरमे मुसलमानोकी बडी आबादी है। यहासे तो ये लोग बदूक लेकर जाते है, लेकिन वहाके मुसलमान क्या करे और क्या न करे। माना कि हम तो यहा जाहिल बन गए है, यहा कहो या पाकिस्तानमे कहो, कोई पागलपन बाकी नही रखा है। क्या वहा के लोग भी जाहिल बन जाय और जिनको काटना है उनको काटे, औरतोको काटे, बच्चोको काटे, इस बुरे हालमें मरे यह हाल काश्मीरका हो। तो प० जवाहरलाल नेहरू और मत्रिमडलके सभी सदस्योने सोचा कि कुछ-न-कुछ तो किया जाय, तो इतने आदमी भेज दिये। वे क्या करें? इतना ही करें कि आखिरी दमतक लडते रहे और लडते-लडते मर जाय। जो लडनेवाले या शस्त्रधारी होते है उनका यही काम होता है कि वे आगे बढते है और हमला करने-वालोको रोक लेते है। वे मर जाते है, लेकिन पीछे तो कभी हटते नही है। इसका क्या परिणाम होगा, वह तो ईश्वर ही जानता है। जैसा भजनमे बताया गया है। हमारा धन तो मुरारी ही है। करोडोकी दौलत हमारा धन नही है। शस्त्र है, वह भी हमारी दौलत नही है। जो कुछ करना है वह मुरारी ही करता है, लेकिन पुरुषार्थ करना तो

हमारा काम है। वह हम करे। तो इन १५०० आदमियोंने पुरुषार्थ किया। लेकिन कब, जब वे श्रीनगरके बचानेमें सारे-के-सारे कट जाते हैं। पीछे श्रीनगरके साथ काश्मीर भी बच जायगा। इसके बाद क्या होगा?

यही होगा न, कि काश्मीर काश्मीरियोंका होगा। शेख अब्दुल्ला जो कहते है वह तो मै सपूर्णतया मानता हू कि काश्मीर काश्मीरियोंका है, महाराजाका नहीं। लेकिन महाराजाने इतना तो कर लिया है कि उन्होंने शेख अब्दुल्लाको सब कुछ दे दिया और कह दिया है कि तुमको जो कुछ करना है सो करो। काश्मीरको बचाना है तो बचाओ। आखिर महाराजा तो काश्मीरको बचा नही सकते। अगर काश्मीरको कोई बचा सकता है, तो वहा जो मुसलमान है, काश्मीरी पडित है, राजपूत है और सिख है, वे ही बचा सकते है। उन सबके साथ शेख अब्दुल्लाकी मोहब्बत है, दोस्ती है। हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला काश्मीरका बचाव करते-करते मर जाते हैं, उनकी जो बेगम है वह मर जाती है, उनकी लडकी भी मर जाती है और आखिरमे काश्मीरमे जितनी औरते पडी है वे सब मर जाती हैं, तो एक भी बूद पानी मेरी आखोमेसे आनेवाला नही है। अगर लडाई होना ही हमारे नसीबमे है तो लडाई होगी। दोनोको ही लडना है या किस-किसके बीच होगी, यह तो भगवान ही जानता है, हमलावरोकी पीठपर अगर पाकिस्तानका बल नही है या पाकिस्तानका उसमे कोई उत्तेजन नही है, तो वे वहा कैसे टिक सकते है, यह मै नही जानता। लेकिन माना कि पाकिस्तानकी उत्तेजना नही है, तो नही होगी। जब काश्मीरके लोग लडते-लडते सब मर जायगे तो काश्मीरमे कौन रह जायगा? शेख अब्दुल्ला भी चले गए, क्योंकि उनका सिहपन, बाघपन तो इसीमें है कि वे लडते-लडते मर जाते है और मरते दमतक उन्होंने काश्मीरको बचाया वहाके मुसलमानोंको तो बचाया ही, उसके साथ वहाके सिख और हिंदुओंको भी। वे ठेठ मुसलमान हैं। उनकी बीबी भी नमाज पढती है। उन्होंने मधुर कठसे मुझे 'ओज अबिल्ला' सुनाया था। मै तो उनके घरपर भी गया हू। वे मानते है कि जो हिंदू और सिख यहा है वे पहले मरे और मुसलमान पीछे, यह हो नही सकता। वहा हिंदू और सिखकी तादाद कम है,

तो भी क्या हुआ। अगर शेख अब्दुल्ला ऐसे है और उनका असर मुसलमानोंपर है तो हमारा सबका क्षेम है। आज जो जहर हममें फैल गया है वह होना नही चाहिए और काश्मीरके मारफत हमारा यह जहर भी चला जायगा। अगर उस जहरको मिटानेके खातिर काश्मीरमें इतनी कुरबानी हो जाती है तो उससे पीछे उनकी आंखें भी खुल जायगी। जो कबाइली लोग है, उनका काम तो मारना ही है। वे चले तो गए, वहां अपनी शक्ति भी बता दी। वहां उनके साथ कौन-कौन है, उसका तो मुझे पता है, लेकिन उसका नतीजा तो यह आता है कि काश्मीरमें जितने हिंदू-मुसलमान पडे है अगर वे सब-के-सब शहीद हो जाते है तो हमारी भी आंखें खुल जाती है। हम समझेंगे कि सब मुसलमान पाखडी और पाजी नही हैं, उनमे भले भी रहते है। इसी प्रकार हिंदू और सिखों में भी सब अच्छे या फरिश्ते हैं, यह भी झूठ है, या सब निकम्मे है या काफिर है, वह भी गलत बात है। इसीपर मेरा तो खयाल है कि जो लोग भले है वे हिंदू-मुसलमान-सिख सभीमे है और इन्हीं भले आदमियोंपर दुनिया चलती है, न कि हथियार रखनेवालों पर।

यह जो मधुर कठमें हमने भजन सुना है उसका भी निचोड़ यही है। काश्मीरमें अगर सारे लोग भी रक्षा करते-करते मर जायं तो मै नाचनेवाला हूं। मेरे दिलमें तो कोई रज नही होनेवाला है। दुनियाका काम चलता ही रहता है। यह तो सब ईश्वरका खेल है। लेकिन पुरुषार्थ तो है और वह यही कि हम सच्चा काम करते हुए मर जायं।

: १३३ :

३० अक्तूबर १९४७

(आज सायकाल प्रार्थना-सभाके समय कुरान-शरीफकी आयत पढे जानेपर एक व्यक्तिद्वारा आपत्ति की गई जिसके कारण प्रार्थना न हो सकी। लोगोंने आपत्ति करनेवालेको अपना विरोध वापस ले लेनेको समझाया, लेकिन बाहर जाकर वह फिर भीतर आ जाया करता

था। इसलिए गांधीजीको प्रार्थना-सभाके लिए आते समय तीन बार लौटना पड़ा। अंतमें जब वह आदमी चला गया तब लोगोंके अनुरोध करनेपर गांधीजीने थोड़े समयके लिए भाषण करते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

यहा क्या हो रहा था यह मुझे पता चलता रहता था। इससे मुझे दु.ख हुआ। मै आज तो यह बता देना चाहता हूं कि यह एक निजी आदमीका घर[1] है। यहा गोलमाल नही होना चाहिए। जो लोग बाहरसे यहां आ जाते हैं वे आएं; लेकिन आनेके बाद शिकायत करना यह सभ्यता नही है। आज एक भाई कहते हैं कि आज प्रार्थना नहीं होने दूगा। तब मुझे विचार करना पड़ा कि इस हालतमें मुझे प्रार्थना करनी चाहिए या नही। शिकायत करनेवालेको आपने कहा तो वे चले गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए। यह मेरे लिए अच्छा नही है। इसका मतलब यह है कि उसका दिल दु:खित होता है। यों तो मै समझता हू कि आप लोगोंमेंसे काफी लोग दु.खित होंगे कि प्रार्थनामे कुरान-का एक टुकडा होता है। लेकिन मै लाचार हू, क्योकि वह मेरी प्रार्थना-का एक अविभाज्य अग है। यहा प्रार्थना नही होगी, तो क्या मै प्रार्थना नही करूंगा? एक तरफ धर्म बताता है कि मै प्रार्थना करूं। मै यहा प्रार्थना नही करूगा, इसलिए घरमे प्रार्थना न करू ऐसी बात नही है। दुनियामे मेरे साथ कोई भी न रहे तो भी प्रार्थना करूगा। दिलमें ही प्रार्थना हो सकती है। मुझको यहा अहिंसाकी दृष्टिसे सोचना पड़ता है। उसी निगाहसे देखना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है? यदि वह भाई चला जाता है तो मै प्रार्थना करूं, यह मुझे अच्छा नही लगता। मै आज प्रार्थना तो करना नही चाहता हू, बहस भी नही करना चाहता हू, तो भी करूंगा, क्योंकि समय भी नाजुक पडा है। इसलिए लोग सुनना चाहते हैं कि गांधी क्या कहता है। मै भी कहना चाहता हू कि लोग मुझे समझ तो लें कि मै क्या कहना चाहता हूं। लेकिन मै लाचार बन गया. इसलिए बहस नही करूंगा।

---

[1] बिड़ला-भवन।

मुझे सोचना है कि मै जो प्रार्थना करता हू उसे बंद कर दूं और क्या बहसमें ही रहूं ? यह बडा प्रश्न है। इस प्रश्नपर मुझे सोचना पड़ेगा। आज मै कहना नही चाहता और बहस भी नहीं करना चाहता। बहस ही करूं तो प्रार्थना छोड दू। मै इसके बारेमे एक प्रेस-वक्तव्य निकाल दूगा।

जब देखा कि आप लोग है तो मै आ गया। मेरी सभ्यता और अहिसा बताती है कि मै अपना दिल खोलकर आपके सामने रख दू और बता दू कि मै कौन हू। मेरे पास इस जगतमे सत्य और अहिसाके सिवा कोई दूसरी चीज नही है। आप सत्य और अहिसाको पहचान ले तो दुनियामे बड़े-बड़े काम हो सकते है। मै कोई लबी-चौडी बात नही करना चाहता। दुनियामे बडी-बडी बाते होती है, लेकिन ईश्वरका जो नियम है उसे कौन फेर सकता है और दुनियामे जो बडे-बडे नियम है उन्हे ईश्वर फेर नही सकता। मै समझता हू कि हम अभिमानमे पडे है, अज्ञानमे पडे है, इसलिए यह मान लेते है कि सत्य तो इतनी बडी चीज है कि वह व्यापारमे कैसे चल सकती है ? व्यवहारमे कैसे चल सकती है ? अहिसा चलेगी कैसे ? मुझे लोग गाली देते है तो लोग कहते है कि जब कोई मुझे दो गाली देता है तो मै एक गाली तो दू। गालीके सामने थप्पड क्यो न लगा दू। इसके पीछे क्या होता है कि हम आगे नही बढते है। लेकिन हमको तो आगे बढना ही है, यही मै समझता हू कि जन्म लेनेके मानी है। मै स्थिर रह नही सकता हू। स्थिर तो एक ईश्वर है; लेकिन स्थिर होते हुए उपनिषदमे बताया गया है कि वह स्थिर भी है और गतिमान भी है। हमेशा गति करता है—ऐसा जो गति करता है वह स्थिर है, ऐसा लगता है। हम कहां जानते थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है; लेकिन अब हम सीख गए कि गति-सी जो लगती है वह स्थिर है। ईश्वरकी ऐसी माया बन गई है। जो स्थिर और अस्थिर है, वह ईश्वर ही है। हममें स्थिरता-जैसी कोई चीज नही है; गति है, गति है तो हमको बढ़ना है। हम मांके पेटसे निकले और बढ़े। आगे जाते-जाते वृद्ध होते है। ऐसा काम दुनियामे चलता है। जो जन्मता है उसको आगे बढ़ना है, वह बढ़ता ही है। कुछ

लोग वृद्धावस्थाको गिरना मानते है। लेकिन मै वैसा नहीं मानता। वृद्धावस्था पका हुआ फल है। तो शरीर छूटता है, आत्मा थोड़े छूटता है। वह न मरता है और न गिरता है। आत्माकी गति बढ़ती ही रहती है लेकिन दुनियामे सत्य और अहिंसाके बिना काम नहीं चलता। मैं अब भी दावेके साथ कहता हू कि सत्य और अहिंसा ऐसी चीज है जिसे बच्चेको भी सीखना चाहिए। इसे अगर माता सीख लेती है तो अपने बच्चेको सिखा सकती है। माता आज-के-आज तो सीख नहीं सकती है, लेकिन कहते है कि हम तो आदिकालसे, करोडों सालसे है तो उस विकासको देखना है। इसके लिए हममे धैर्य तो होना ही चाहिए। मै इसके बारेमें अधिक तो कहना नही चाहता, लेकिन सिवा सत्य और अहिसाके कुछ नही हो सकता। हम विकास नही कर सकते।

मै आज बहस तो करना नही चाहता। आप कल भी आएंगे। यदि कल भी किसीको कुरानकी आयत पढे जानेपर आपत्ति होगी तो उसपर मै सोचूगा कि मुझको बहस करना है या नही। यदि किसीको शिकायत होगी तो बोलेगा कि शिकायत है, नही तो बोलेगे कि हम प्रार्थना सुनना चाहते हैं और बहस भी। लोगोंको समझ लेना चाहिए कि हम गुस्सेमें नहीं आयगे। हां, पीछे कोई ठान लें कि हम किसीको सुनने न देंगे और चीखे तो मै कहूंगा कि आपकी हिंसाकी कसौटी हो जायगी और मेरी अहिंसाकी परीक्षा हो जायगी? यह भी मालूम हो जायगा कि आप कहातक जाते है? यदि आप मेरे साथ रहेगे और अहिंसाका साथ देगे तो अहिसाके सामने हिंसा रह नही सकती, ऐसा मै दावेके साथ कह सकता हूं। लेकिन शर्त यह है कि मै जैसा कहूं वैसा आप करें। आप कहे कि हम अकूशमें रहनेवाले है, निग्रहमें रहेगे और दिलमे गुस्सा न करेंगे। वह भाई अज्ञानी है जो कुरानकी आयतपर आपत्ति करता है। कुरानशरीफने क्या गुनाह किया है? यहाके मुसलमान बिगड़े, इसलिए कुरान बिगडे यह बात नही है। वह तो बुलंद है, सनातन है, अरबीमें है। जो उससे घृणा करता है उससे अधिक अज्ञानी मै और किसीको नही समझता। इसी तरहसे शिकायत करनेवालेको आप समझा दें। हां, अगर कोई कहे कि वह प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहता तो मैं प्रार्थना

करूंगा और बहस भी। लेकिन मैं प्रार्थना बंद करता हू, इसके लिए किसीको आप मारें यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि मैं अकेला रहूं और पांच आदमी आवें और कहे कि हम आपको मार डालेंगे तो मैं कहूंगा कि मेरा सिर आपके सामने है। मै कहूंगा कि पांच क्यों मारें, एकही आदमी गला काट सकता है। लेकिन तो भी मै प्रार्थना करूंगा। जब आपका दिल ऐसा हो जायगा तब आप न किसीको मारेंगे और न किसीपर गुस्सा करेंगे। शिकायत करनेवाला, जिसे हम असम्य कह सकते है, अगर चीख-चीखकर भी शिकायत करेगा तो भी हम प्रार्थना करेंगे। कल प्रार्थना होगी और बहस भी। यदि कल कोई शिकायत करे तो वह शिकायत करके चला जाय। उसके पीछे में रूवार नही होना चाहता। मै गुस्सेको काबूमें रखूं, धीरज रखू तब मेरी गाड़ी आगे चल सकती है। मै आज इतना ही सुनाना चाहता हूं। अब आप शांतिसे घर जाइए और बहस न करे। घर जाकर इसपर विचार कीजिए।

: १३४ :

३१ अक्तूबर १९४७

(आज सायकाल भी गाधीजीकी प्रार्थना-सभामे कुरानकी आयत पढ़ी जानेपर दो आदमियोंने आपत्ति की। फलस्वरूप प्रार्थना आरंभ करनेसे पहल गांधीजीने इस बारेमे कहा--)

भाइयो और बहनो,

मेरे विचारसे दो या तीन आदमियोंकी खातिर बाकी करीब ३०० आदमियोंको निराश करना भी एक तरहकी हिंसा है। इन आदमियोंको विरोध करनेका तो हक है, लेकिन सभ्यता और शिष्टाचार कहता है कि उन्हें अपने इस हकको इस जगहपर, जो कि बिड़लाजीकी निजी मिल्कियत है, इस्तेमाल नही करना चाहिए। लेकिन अगर वे करते हैं तो कौन रोक सकता है? तो फिर सभाके शेष लोगोंको चाहिए कि वे बर्दाश्त करें, अपने दिलोंमें गुस्सा न करें और जो लोग विरोध करते

हैं, उनको यहां और बाहर भी कुछ न कहें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं अपनी प्रार्थना करूंगा और उसमें कुरानशरीफकी आयत भी रहेगी। आप लोग, जो बहुमतमें हैं, ऐसा न सोचें कि चूंकि हम इतनी बड़ी तादादमें हैं, इसलिए विरोध करनेवालोंकी दरकार ही नही है। यदि आप ऐसा सोचें तो वह हिंसा हो जाती है। जो अल्पमतमें हैं उनकी हमें ज्यादा दरकार होनी चाहिए, यही तालीम मैं अबतक देता आया हू। आगे भी मै ज्यादा-से-ज्यादा यही तालीम दूगा कि अहिंसा किस तरहसे काम करती है।

सत्य और हिंसाके जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमे कोई खास गुत्थी नहीं रहती। उनको सीखनेके लिए कोई खास डिग्री लेनेकी जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी तो क्या उसके लिए मादरी जबान[१] भी सीखनेकी जरूरत नही होगी। उनको जानने लायक चीज तो हम बचपनमें अपने मां-बापसे सीख लेते है। उसपर अमल करना तो इससे भी आसान है। इसलिए अगर आप लोगोंमे उनका विरोध बर्दाश्त करनेकी शक्ति है तो मै उनका विरोध होते हुए भी प्रार्थना करूंगा। सभ्यताका नियम तो यह है कि जिन लोगोंको कुरानशरीफकी आयतपर आपत्ति है वे अपना विरोध प्रकट करके चले जाएं और बादमें मुझको समझाएं कि मैं इससे किस प्रकारसे हिंदू-धर्मको नुकसान पहुंचाता हूं। मैं समझदार आदमी हूं। इसलिए अगर वे मुझे समझा सकेंगे तो मै उनकी बात मान लूगा। मै तो समझता हू कि मैने इससे हिंदू-धर्मको फायदा ही पहुंचाया है। यह मैं आजसे थोड़े ही करता हूं—एक अर्सेसे मैं ऐसा कर रहा हूं और मै समझता हू कि उससे हिंदू-धर्मको कोई धब्बा नही लगा। उसके द्वारा जो मुसलमान मेरे दोस्त हैं उनको मैं और अधिक अपना सका हू। यह तो मैंने कोई बुरा नही किया। इसी तरहसे मै अगर सारी दुनियाको अपना सकू और कोई मेरा दुश्मन या विरोधी न हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऐसा तो कहांसे मैं परिपूर्ण आदमी हूं कि जिससे मेरा कोई विरोध न कर सके; लेकिन जो विरोध करते हैं उनको

[१] मातृभाषा।

में बर्दाश्त करना तो सीख लूं। अगर आप लोग भी उनका विरोध बर्दाश्त कर लें तो वे लोग भी सोचेंगे कि ये तो सब शरीफ आदमी हैं—हमको कोई कुछ कहता ही नही, सब सद्भावनासे हमको अपनाते हैं। अगर हम सब ऐसा कर सकें तो हिंदुस्तानकी शक्ल बदलनेवाली है, इसमें कुछ शक नही है। इसलिए मैं आपको पूछता हूं कि क्या आप इसे बर्दाश्त कर लेंगे? पुलिस भी उनको कुछ न कहे।

(गांधीजीके यह पूछनेपर सब लोगोंने रजामंदी प्रकट की। तब प्रार्थना हुई। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण करते हुए सबसे पहले शांति रखनेके लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और उन्होंने सभाके बाकी लोगोंको भी उन दो व्यक्तियोंके विरोधको बर्दाश्त करनेपर बधाई दी।)

अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिणाम हमको अच्छा ही मिलनेवाला है। 'मन-मंदिरमें प्रीति बसा ले'—श्रीदिलीपकुमार रायक, जिन्होंने इस भजनको आजकी प्रार्थना-सभामें गाया है, कंठमें जो माधुर्य है और उनके गानेमें जो कला है, वह मुझको मीठे लगे। वैसे तो यह मामूली चीज है, लेकिन उसे जिस ढंगसे सुंदर बनाया गया, उसीका नाम कला है। इस भजनमें यह चीज है कि अपने मनको मंदिर बनाओ और उस मंदिरमें प्रीति बसाओ। तो इसमें भी अहिंसाका शिक्षण है। इस भजनका कवि आदमीको कहता है कि तू मूर्ख और भोलाभाला क्यों बनता है! अगर तू केवल अपने मन-मंदिरमें ज्योति जगा लेगा तो तेरा सारा काम बन जायगा। उसके बाद तो सारी दुनियामें ज्योति या प्रकाश ही दीखेगा। अंधेरा कहीं रहेगा ही नहीं। इसी तरहका चमत्कार सत्य और अहिंसामें भरा है। यह बड़ी सीधी-सादी चीज है; लेकिन अगर हम इतनी चीज भी सीख लें तो दुनियामें हमारा सारा व्यवहार सरल हो जाता है।

नवाखालीमें मैंने देखा कि वहांके अमीर लोग गरीबोंको वहीं छोडकर भाग गए। वहांके देहातोंमें वे लोग, जिनको कि हम मूर्खता-वश अछूत कहते हैं, भरे पड़े हैं। क्योंकि मैं उधर घूमा हूं, इसलिए मैंने देखा कि वे लोग बड़े परेशान थे। वहांकी स्त्रियां चूड़ियां पहनना तथा माथेपर सिंदूर लगानातक भूल गई थीं। पंजाब या दूसरे स्थानोंसे जो लोग

यहां आ रहे हैं उनमें भी मैं देखता हूं कि धनी लोग तो कुछ-न-कुछ अपना धंधा कर ही लेते हैं। उनके पास पैसे होते हैं और दोस्त भी मिल जाते हैं। लेकिन गरीब क्या करें? वे कहां जायं? नवाखालीमें तो हिंदू ही थे, लेकिन बिहारमें मैंने देखा कि मुसलमान परेशान पड़े थे। मैंने उनको कहा कि आपमेंसे जो मर गए, वे मर गए और बाकी जो धनी हैं और वे जो बाहर जाना चाहते हैं वे चले जायं; लेकिन गरीबोंका बेली[1] परमेश्वर ही है। परंतु ईश्वरको अपने हाथ या मुहसे तो काम करना नहीं है, वह तो दूसरोंको प्रेरणा देता है और उनकी मारफत अपना काम करा लेता है। लेकिन क्या धनिक लोग इतने कठोर और नास्तिक बन जायं कि ईश्वरको भी भूल जायं और अपने धनको ही परमेश्वर मानकर बैठ जायं? लेकिन धनिक लोग तो वहांसे भाग गए और वहां जो गरीब लोग रह गए वे मुझको लिखते हैं कि हमारा कुछ तो करो। चूंकि मैं कई वर्षोंसे गरीबोंका काम करता आया हूं, इसलिए वे मेरी ओर देखते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न तो कोई ताकत है और न सत्ता है। चूंकि वे मुझे लिखते हैं; इसलिए मुझे उनका ज्ञान तो हो जाता है।

अभी हमारे यहा दिल्लीमे जो शिविर चलते हे उनमें भी काफी गरीब लोग पड़े हैं। धनी भी हे और उन धनी व्यक्तियोंमे कुछ अच्छे भी हैं जो गरीबोंको खाना खिलाकर खाना खाते है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग यहां आ गए हे वे अपने अंदर धनी और गरीबका भेद नहीं करें। अगर अमीर गरीबोंको घृणासे देखेंगे तो वह धर्म नहीं अधर्म हो जायगा। इसलिए मैं साफ कहूंगा कि जो धनी लोग हैं वे गरीबोंको अपने साथ लेकर चलें। तभी हम सगठित रूपमें रह सकते हैं।

अभी हालमें दो यूरोपियनोंने, जो पति-पत्नी थे, हमारे कुछ शिविरों-को देखा। वे उनको देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीरके विभाग तो है, लेकिन फिर भी सब लोग अच्छी

---

[1] सहायक।

तरहसे रहते है। वे यहां सेवा करनेके ही उद्देश्यसे आये है। अगर हम सब लोग ईश्वरका नाम लेकर काम करे तो जैसे दूधमें शक्कर मिल जाती है वैसे ही पंजाबके शरणार्थी भी दिल्लीके लोगोंमें मिल जायंगे।

दिल्लीमे अभी काफी मुसलमान पडे है। मैने आज एक फेहरिस्त देखी है, जिसमे अगर अतिशयोक्ति नही है तो मालूम होता है कि यहा सैकडों मुसलमानोंको जबरन हिंदू या सिख बनाया गया है। जिन लोगोंका इस तरहसे धर्म-परिवर्तन किया गया है, उनको मै कहना चाहता हू कि अगरचे आपकी मुसलमानी शक्ल बदल दी है, लेकिन अगर खुदा सचमुच आपके दिलमे बैठा है तो आपको न तो दाढी मुडानेकी जरूरत है न चोटी रखनेकी। जो लोग स्वेच्छासे गीताजीको पढना चाहे खुशीसे पढ सकते है, जैसे मै कुरानशरीफ को पढता हू और मेरी आत्मा खुश होती है। लेकिन अगर कोई मुझको हुक्म करे कि तुम्हे कुरानशरीफ पढनी ही होगी, नही तो हम मार डालेगे तो मैं कहूगा कि मुझे आपकी कुरानशरीफ नही चाहिए, भले ही उसमे रत्न भरे हो। इसलिए जो मुसलमान हिंदू या सिख बन गए है उनसे कहूगा कि उन्हे अपने धर्मपर कायम रहना है। अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करते है तो हम हिंदू-धर्मका नाश करते है। हिंदुस्तानमें ऐसा हमेशा हो नहीं सकता है और अगर होता है तो हम गिर जाएगे और जो आजादी हमने ली है उसको हम खो देगे। वह स्वप्नकी तरह हो जायगी, इसमे मुझे कोई शक नही है। इसलिए जितने मुसलमान यहां हैं उनको निडर होकर रहना चाहिए। जिन्होंने धर्म-परिवर्तन कर लिया है वे कहें कि तब तो हम डर गये थे, लेकिन अब हम समझ गये है कि जो खुदापरस्त या ईश्वर-भक्त होते हैं वे किसीसे नहीं डरते, अगर किसीसे डरते है तो केवल ईश्वरसे। ईश्वरसे डरना तो अच्छी बात है, क्योंकि वह प्रेमका धाम है, दयाका सागर है। उससे डरनेसे तो हम कृतार्थ हो जाते है। लेकिन इन्सानसे कभी नही डरना है। इसलिए वे कह देंगे कि हम धर्म-परिवर्तन करनेसे तो मरना अच्छा समझेगे। चाहे तो आप हमे पाकिस्तान भेज दे,

लेकिन पाकिस्तानके जानेके लिए भी कोई मजबूर नही कर सकता।

लियाकतअली साहब और हमारे प्रधान मंत्रीमें भी यही समझौता हुआ है न, कि जो पाकिस्तान जाना चाहे वे पाकिस्तान चले जाय; लेकिन लियाकतअली साहब, सरदार और जवाहरलाल भी किसीको मजबूर नही कर सकते। कोई कानून नही है। इसलिए जो मुसलमान यहा रहते है उनको हमे प्रेमसे रखना चाहिए। अगर मैं जिंदा रहूं तो इसके सिवा कोई दूसरा दृश्य देखना नही चाहता। पहले मैं १२५ वर्ष जिंदा रहनेकी बात सोचता था, लेकिन अब वह भूल गया हूं। अगर हिंदुस्तानके नसीब खराब है तो मुझको तो ईश्वर उठा ले। और अगर उसका नसीब बुलंद है और पल्टा होनेवाला है और होना तो चाहिए तो तू मुसलमानके दिलको बदल दे और उनका दिल तेरेसे ही भर दे। खुदाका नाम तो वे लेते है, लेकिन खुदाका काम नही करते। इसी तरहसे हिंदू भी अगर कृष्ण या रामका नाम तो ले, लेकिन पीछे कत्ल करें और एक दूसरेको काटे तो वह रामका काम नही कहा जा सकता।

कुछ लोग कहते है कि लड़ाई तो छिड़ गई है, काश्मीरमे क्या होगा? मैं कहता हू कि कुछ नही होगा। काश्मीरमे जो लोग हैं वे बहादुर है। वहा हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक-सा रहते है। जो हमला करने गये है उनको वे कह दे कि अपने घर वापस जाओ, अगर हमला करोगे तो हमारी लाशपर खड़ा होना है, श्रीनगर आपको वैसे नहीं मिल सकता। पीछे हमारा जो लश्कर वहां गया है उसको कोई छूएगा नहीं। अगर वे मर जाते है तो वे अमर हो जायंगे तब हम नाचकर गा सकते हैं और अगर किसी वक्त यहां भी ऐसा, मौका आ गया तो श्रीदिलीपकुमार रायसे कहूंगा कि ऐसा भजन सुनाओ कि जिससे लोग नाचने लगें; क्योंकि जो लोग मर गये वे तो अमर हो गये और जो बचे हैं वे तो मृतप्राय हैं। मुझको तो इसका कोई दर्द नहीं होगा। हा, दर्द तब होगा जब लोग पागल बनें और पाकिस्तान भी पागल बने। जो अफ्रीदी लोग हैं वे भी तो हमारे भाई हैं और जो कबायली इलाका है वह भी हमारा ही है, तो वे

क्यों ऐसा काम करें ? उनको इमदाद[1] कौन देता है यह समझनेकी बात है। मैं तो कहूंगा कि उन सबमे ईश्वरका वास हो और मन-मंदिरमे प्रीतिकी ज्योति हो। तो हमारा अंधेरा मिट जाता है और सब जगह प्रकाश-ही-प्रकाश दिखता है। यही मेरी प्रार्थना है और आप लोग भी मेरी इस प्रार्थनामें शामिल हो कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमे ऐसा प्रकाश पैदा हो जाय जिससे आपस-आपसमे मोहब्बतसे रहें। पीछे हम खुराक और कपडा पैदा करनेमें लग जायं, जिसकी आज देशमे कमी है। और हम भूल जायं कि हममें दुश्मनी थी, और दोस्त बन जायं। बस यही मै चाहता हू कि हम सब इस काममे लग जाय।

: १३५ :

१ नवंबर १९४७

(आज भी गांधीजीकी प्रार्थना-सभामे उसी व्यक्तिने कुरानशरीफकी आयत पढनेपर आपत्ति की जिसने कल और परसो की थी। इसलिए प्रार्थना आरंभ करनेसे पहले गांधीजीने कहा--)

भाइयो और बहनो,

मुझको ब्रजकिशनजी कहते है कि जिस भाईने कल विरोध किया था उसीका आज भी विरोध है। उनका विरोध तो मुझे अच्छा लगता है और बुरा भी। अच्छा तो इसलिए कि कल जिस शांति और सभ्यतासे उन्होंने विरोध किया वैसा विरोध तो बराबर रह सकता है। जब उनके दिलमे विरोध है तब उसे बाहर क्यों न प्रकट कर दें। आप लोग भी यहां और बाहर, दोनों जगह शांत रहे और उनको कुछ नही कहा। इस लिहाजमे तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन दुःख इसलिए होता है कि जिस विनय और दृढ़तासे मैने कल समझाया था उसको उन्होंने नहीं समझा। वह कोई गंभीर बात तो थी नही,

---

[1] मदद।

एक साधारण बुद्धि भी उसे ग्रहण कर सकती थी। मगर जब आदमीके दिलमें रोष हो जाता है तो मुझे प्रिय लगता है कि वे उस रोषको शांतिसे जाहिर करते हैं। इसलिए मुझे दुःख होता है और सुख भी। मै समझ लेता हूं कि जैसे आप लोगोंने कल उत्साह बताया था और दिलमें उनके प्रति कोई रोष न रखते हुए मोहब्बत ही बताई, वैसे ही मुझको उम्मीद है कि आज भी आप वही करेंगे। तब तो में अपनी प्रार्थना शुरू करूंगा। अगर इस सभ्यतासे विरोध करें तब तो उसमें मैं कोई हानि नहीं समझता हूं। उससे तो हमें शांतिका ही पाठ मिलेगा और बुलद अहिंसा कैसे काम करती है उसे हम सीख लेंगे। अगर ऐसा ही करते रहें तो हम समझ जायंगे कि इसमें कितना चमत्कार भरा है।

(इसके बाद प्रार्थना शांतिपूर्वक हुई और श्रीदिलीपकुमार रायने यह भजन गाया—'हम ऐसे देशके वासी हैं जहां शोक नही और आह नहीं।' बादमें गांधीजीने कहा—)

आज भी आपने उसी मधुर कंठसे मधुर भजन सुना। उसमें तो यही कहा गया है न कि 'हम ऐसे देशके वासी हैं, जहां शोक नही और आह नही।' पीछे उसमें और भी कहा है कि 'वहां मोह नही, लोभ नही' और भी हमारे जो इस प्रकारके रिपु हैं वे वहां नहीं हैं। लेकिन वैसा देश कहां हो सकता है? पहले जब सुचेतादेवीने यह भजन सुनाया था तब मैंने उस प्रार्थना-सभामें उसके दो अर्थ समझाए थे। एक तो मैंने यह बताया कि वह देश कविने हिंदुस्तानको कहा। उसकी एक इच्छा थी, स्वप्न था कि हमारा देश ऐसा हो, लेकिन आज तो वैसा है नही। वह भजन तो १५ अगस्तके पहलेका लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त भी देश तो ऐसा नही था। वहां शोक, लोभ, राग, मद, मोह, मत्सर, ये जो ६ हमारे दुश्मन माने गये हैं, सब वहां थे। इन छहोंमें और भी सब दुश्मन आ जाते हैं। तब तो उसमें भूख भी थी, भीख भी थी, कपड़े भी नही थे—ये सब विपत्तियां उस समय भरी हुई थी, लेकिन कविको तो ऐसी आशा थी न, कि हमारा देश ऐसा बने। कैसे बने, इसमें दूसरा अर्थ आ जाता है। यह भी तो देश है न, कि भगवद्गीतामें जिसको कुरुक्षेत्र

भी कहा गया है और धर्मक्षेत्र भी। अगर मनमें भगवानका मंदिर है तब तो वह धर्मक्षेत्र हुआ और अगर मन स्वेच्छाचारी हो जाता है तब वह कुरुका धाम बन जाता है। कौरवरूपी दुश्मन तो कितने ही हैं, जिनके पिता अंधे हैं, लेकिन धर्मक्षेत्र तो युधिष्ठिरके रूपमे ही है न, इसलिए युधिष्ठिरका नाम धर्मराज हुआ। ऐसा जो हमारा देश है उसमे न ग्राह हे, न शोक है। वैसे हम सब हो सकते हैं, लेकिन शर्त भी बताई है न! तब हमारा देश कौन-सा है, जिसमें भगवान भरा है। कविने उसे पीछे स्वदेश भी कहा और स्वराज भी कहा। ठीक कहा उसने। जब हम स्वराज पा लेते हैं तब पीछे हिंदुस्तान ऐसा बन जायगा जिसमे न ग्राह होगी, न शोक होगा। लेकिन देश आज जितना कगाल है उतना तो मैने कभी नही पाया। मैंने जो बचपनसे कुछ इतिहास पढ़ा है उसमें भी उसको ऐसा नही बताया गया है जैसा आज है। उस चीजको मिटानेके लिए ही यह भजन है। उसमे बताया गया है कि अगर हम अपने मनको मंदिर बना लें और उसमें भगवानकी प्रतिष्ठा कर लें तो सब खैर हो जाती है।

आज एक तरफ तो लोग भूखों मर रहे हे और नंगे हैं। यहां तो हम सब कपडे पहने हुए बैठे है। ठंड न लगे इसलिए मैंने भी चादर ओढ़ लिया। आज मेरे पास बेचारी एक डाक्टरनी आ गई। वह आज कुरुक्षेत्रसे आई थी। वह पजाबमें बड़ा काम कर रही थी। वहा वह हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी शुश्रूषा करती थी। वहांसे उसको भागना पडा। वहासे निराश्रित होकर आ गई थी। सुशीलाजीने उनको कहा कि जब और कोई काम नही तब कुरुक्षेत्रमे काम करो तो वह उनको वहां अपने साथ ले गई। आज थोड़ा वहांका हाल सुनानेके लिए यहां आ गई थी। आज हमारे मुंशीजी यहा है। उनकी लड़की भी डाक्टर बन गई है। वह कहती है कि में कुछ तो करूं, खामखा वहां खाली बैठे क्या करूंगी। वह भी वहां चली गई। उस डाक्टरनीने आज मुझे यह भी सुनाया कि वहां लोगोंकी शुश्रूषा तो होती है, लेकिन डाक्टर काफी नहीं हैं। वहां इतने लोग भरे हैं, इतनी आपत्ति और व्याधि भरी है की जो दो-तीन महिला डाक्टर है वे काफी नही है। वहां

काफी डाक्टरोंकी जरूरत है। अगर डाक्टर जाते है तो वे सेवा कर सकते है—कोई मेरे-जैसे नीम-हकीम तो है नही, उनके पास तो विलायती दवा होनी चाहिए, क्योंकि वे विलायती डाक्टर होते हैं। उनके पास पूरी दवा नही है, लेकिन वह उन्हें मिल जानी चाहिए। औरतें पड़ी हैं, बच्चे पड़े है। वे हमेशा भिखारिन तो थी नही। ऐसी भी औरतें हैं कि उनका एक बच्चा भीतर है और एक गोदमें। ऐसे हमारे हाल हैं।

इसमें हम किसको क्या दोष दे ? कोई ऐसा कहे कि हकूमत नालायक है, लेकिन हकूमत क्या जानती थी कि इतनी परेशानी होगी। हमने तो कभी हकूमत चलाई नही थी। अभी तो हकूमतको चलाते दो ही महीने हुए। जब ऐसी आपत्ति आ पड़ती है तो हम कैसे उसको पहुंच सकते थे। इसको तो हमे बर्दाश्त करना ही है, लेकिन इसे बर्दाश्त करते हुए हम पागल बन जायं, रोषको कम न करे और कहे कि वहा उन्होंने एक मुक्का मारा तो हम दो मारेगे, दो मारे तो हम चार लगायंगे, चार मारे तो आठ मारेगे। तब तो यह सिलसिला कही मिटना ही नही है। पीछे हमको यह भजन गानेका अधिकार नही रहता है। अगर गायं तो सच्चे दिलसे गाना चाहिए। अगर हमारा मधुर कठ है तो वह केवल मधुर गानेके लिए नही होना चाहिए। उसको भगवानकी भक्तिके लिए इस्तेमाल किया जाय। अगर उस माधुर्यसे किसीके दिलमे भगवान बैठ जाय और वहां उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो ठीक है।

एक तरफ तो हमारा यह हाल है और दूसरी तरफ काश्मीरका मामला है। यहांसे जितने हवाई जहाज जा रहे है, उनमें मुझको ऐसा लगता है कि फौजके आदमी ले जा रहे हैं। वहांसे कुछ लोग जो डरपोक हैं, भाग-कर आ रहे हैं। उनको भागना क्या था ! और भाग कर जायगे कहां ? वे क्यों न वही बहादुरीसे मर जायं ? इस तरहसे सारा काश्मीर भी जमीदोज [1] हो जाय तो मुझपर कुछ असर होनेवाला नही है। मैं तो हँसते-हँसते आपको यही समझानेवाला हूं कि जिसपर आप

[1] धराशायी।

सब नाचें। लेकिन शर्त यह है कि वहां सब लोग बहादुरीसे मर जाते हैं—बूढे और बच्चे भी। अगर कोई कहे कि बच्चे क्यों, तो मैं कहूंगा कि वे बच्चे कहां जाएंगे? आखिर वे अपने मां-बापके साथ रहते हैं। तो वे सब वहा पड़े हैं, लेकिन उन सबको हथियार कहासे दें? मेरे-जैसेको तो हथियारकी दरकार नहीं रहती। आखिर जान है तो सब चीजपर फिदा करना है। तब तो हम कह सकते है कि हमारी जो आत्मा है वह अमर है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसका मतलब यह है कि हम शरीरको ही आत्मा मान लेते हैं। और उसकी पूजा करते है; लेकिन शरीरको भी एक दिन तो मरना है ही। चूंकि बच्चा मांकी गोदमें रहता है, इसलिए अगर मां मर जाती है, तो बच्चेको भी मर जाना है। मरना ही है तब खुशीसे मरना चाहिए। वे कहे कि अगर अफरीदी लोग तबाह करने आए है तो हम खुद अपने-आप तबाह हो जाते हैं। जितने लश्करके लोग वहां गए है वे भी नाचते-नाचते मरेंगे। मरनेके लिए तो वे वहां गये ही हैं। जिंदा कब रहेंगे? तब जब कि यह मालूम हो जाय कि अब यहा खैर है, काश्मीरपर कोई चढ़ाई नहीं करता है, पूर्ण शांति हो गई है। अब तो काश्मीर शेख अब्दुल्लाके हाथमे पडा है। वह हिंदू, मुसलमान, सिख, सबको भाई-जैसा समझता है। बाहरसे भी जो लोग काश्मीरमे आकर रहते हैं, और अंग्रेज भी जो वहा जाते है, उन सबका वह दोस्त है। वह तो सबको बुलाता है कि आओ, और यहांकी खूबियां देखो, यहांके फल खाओ। वहांकी कारीगरी तो बहुत ही सुदर है। लोग हाथसे बहुत खूबसूरत कपड़ा बुनते है और पेट भरके उसका दाम लेते है। लें क्यों नही, क्योंकि काश्मीर तो आखिर इसीपर जिंदा है। तो अब शेख अब्दुल्ला काश्मीरका मालिक बन गया है। महाराजा तो है, लेकिन उनके नामपर ही वह मालिक बना है। महाराजाने ही उनको कहा है कि कुछ करना है तो करो, अगर काश्मीरको रहना है तो रहेगा, और जाता है तो जायगा।

एक तरफ तो कुरुक्षेत्रमें, दूसरी तरफ काश्मीरमें क्या हो रहा है और तीसरी तरफ देखो तो हमको यहां इन चीजोंको भी बर्दाश्त करना

पड़ रहा है। पाकिस्तानमें इतने मुसलमान भाग गए हैं; जो बिना सबब भागते हैं वे जायं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन कुछ हमारे डरसे भी जाते है। कुछ मुसलमान भाई मेरे पास आते है तो मुझे शर्म आती है। वे कहते हैं कि हम अब खड़े नही रह सकते, पता नहीं कब मार दिये जायगे। डरने उनके हृदयमे इस तरहसे प्रवेश कर लिया है। मुझको यह बुरा लगता है। इसी तरहसे एक औरत आती है और कहती है कि मुझे डर लगता है, वहां पठान मेरे पीछे पड़ा है। यह सुन कर मेरा हृदय रोता है। मै कहता हूं कि जिसके पीछे भगवान है तो पठान या कोई भी हो, उसकी उसको परवाह क्या? लेकिन यह तभी हो सकता है जब उसको यह पता हो कि मेरे पास भगवान है। अगर कोई बदमाश आता है, चाहे वह पठान हो, हिंदू हो या सिख हो, क्योंकि बदमाशी पठानका ही क्षेत्र हो ऐसा थोड़ा ही है, बदमाश तो सब जगह पड़े है, वे भी ऐसे बदमाश और व्यभिचारी हो सकते हैं तो पतिव्रता स्त्री उसे देखकर कांप उठेगी। लेकिन वह क्यों कांप उठे? आप तो यह मानते ही है कि सीताजी कभी नही डरीं। रावणके कंधेपर रहते हुए भी वह नही डरी। तब भी उसको सुनाती थी कि राम मेरा पति है, वह मेरे पास पड़ा है। तो राम तो भगवान ही था न, इसलिए वह सुनाती थी कि खबरदार, यदि तूने मुझे छुआ तो भस्म हो जायगा। वह छोटी-सी लड़की थी, लेकिन उसमें पवित्रता थी, जिसकी वजहसे वह डरी नही। पवित्रता सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर हम इस बलासे मुक्ति पाना चाहते है तो जैसा कि अभी भजनमें कहा है वैसा हम सब बन जायं। हर एक स्त्री और पुरुष जो प्रार्थनामें आते हैं वे अगर सब ऐसे बन जायं तो वह गुलाबकी खुशबू-की मानिंद सारे हिंदुस्तानमें फैल जायगा। तो आज जो हम पागल-से बन गये हैं और जो विपत्ति आ गई है, वह पवित्रताके आनेसे कचरेकी तरहसे साफ हो जायगी। मै तो ईश्वरसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम अच्छे बनें, काश्मीरमें जो हो रहा है उस भयसे मुक्त हो जायं और लोग जो निराधार होकर आ गये हैं, उनका भी भला हो।

कुरुक्षेत्रमें तो, जैसे डाक्टरनी मुझे बताती हैं, कुछ बदमाश आदि

भी आ गये हैं। जब एक दफा एक आदमीको कम्बल मिल गया तो वही आदमी दूसरी तरहसे कंम्बल लेने आता है। वे इतना नही जानते कि सब लोगोंको ओढ़ने और पहननेको तो मिला ही नही। बहुत-सी औरतें ऐसी हे जो वहांसे जो कपड़े पहनकर आई है वही उनके शरीरपर अबतक हैं। मुझको तो सुनकर भी यह बर्दाश्त नहीं होता—देखनेके पीछे न जाने क्या होगा? तो वे डाक्टरनी कहती हैं, अतिशयोक्ति तो वे कर नही सकतीं, कि मैंने अपनी आंखोंसे देखा है] कि वह सब इसी तरहसे चलता है। इतनी बातें उसने मुझको सुनाईं।

मैं तो इतना ही कहता हूं कि हम समझ जायं कि हमारा अधर्म हमें कहां ले जा रहा है? हम कहीपर स्थिर होते हैं या नही और तब हम पीछे सोचें कि हम ऐसे देशके वासी हैं या नही कि जहा न आह है, न शोक है।

: १३६ :

२ नवबर १९४७

(प्रार्थना-सभामें आज कई लोगोंने कुरानशरीफकी आयत पढ़े जानेपर आपत्ति की। फलस्वरूप गाधीजीने प्रार्थना आरंभ करनेसे पहले कहा—)

भाइयो और बहनो,

कुरानशरीफके कुछ टीकाकारोंने जो अर्थ लगाए है वे सही नही हैं। मैं तो उसे पढ़कर हिंदू-धर्मसे नीचे नही गिरता हू; ऊंचा ही जाता हूं। मै दावा करता हूं कि हिदुस्तानमें या उससे बाहर भी सबसे आला दर्जेका जो हिंदू है उससे मै कम नहीं हू; क्योंकि मैं वेदको माननेवाला हू, गीताको पढ़ता हूं और उसमें जो लिखा है उसपर अमल करता हूं। मुझको तो बचपनसे ही यह सिखाया गया है कि दुनियामें कोई ऐसी जगह नही है जहा ईश्वर न हो।

ब्रजकिशनजी सुनाते हैं कि विरोध करनेवालोंका सघ आज कुछ

बड़ा है। वे कहते हैं कि हमको विरोध तो है, किंतु चूंकि मुझको सुनना चाहते हैं, इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि इसको बर्दाश्त क्या करना था। इससे न तो आपको फायदा होगा, न मुझको। अगर आपको मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करना है तब तो उस विरोधको बर्दाश्त करना ठीक है। आप इसलिए बर्दाश्त न करें कि मै महात्मा हू या मैंने हिदुस्तानकी सेवा की है। आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए मैं पूछता हू कि क्या आप दिलसे प्रार्थना करना चाहते हैं।

(सब लोगोंद्वारा रजामंदी प्रकट करनेपर प्रार्थना आरंभ हुई और प्रार्थना शांतिसे हुई। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण करते हुए कहा—)

आप लोगोंने तो अखबारोंमे देखा ही होगा, लेकिन मुझको भी कुछ पता चल जाता है कि काश्मीरमें क्या हो रहा है। अब तो वहां खैर है, यही कहना चाहिए। खैरके माने यह कि काश्मीरमे श्रीनगर अबतक साबित पड़ा है। लुटेरे लोग अबतक उसपर कब्जा नहीं ले पाए और पीछे तो दिन-प्रतिदिन कब्जा करना उनके लिए मुश्किल ही होना चाहिए। लुटेरे जो होते हैं वे लड़ाकू तो होते नही। क्योंकि वे कोई हकसे तो वहां गये नहीं। इसलिए जगतमे उनकी निंदा ही होनेवाली है। ज्यों-ज्यों दिन जाते है त्यों-त्यों उनका दबदबा क्षीण होता जाता है। जो लश्कर जाता है उसको सुभीता रहता है, वक्त मिल जाता है। और वह वक्त मिल रहा है। हवाई जहाजसे अधिक लश्कर तो जा नही सकता, बहुत मुसीबत होती है, लेकिन हकूमतकी सब मदद कर रहे है ऐसा मैं सुनता हूं। वे सब शौकसे मदद करते हैं, इसलिए आरामसे सब हवाई जहाज जाते हैं। हवाई जहाज हकूमतके तो हैं नही, वे सब अपनी-अपनी निजी कंपनियोंके हैं और अच्छा काम समझकर अपने हवाई जहाज हकूमतको दे देते हैं।

एक बात और है—वह यह है कि जो आजाद हिंद फौज सुभाष बाबूने बनाई थी और उसके लिए हम सब सुभाष बाबूकी होशियारी, बहादुरीकी तारीफ करते हैं और तारीफ करनेकी बात है; क्योंकि जब वह हिंदुस्तानसे बाहर था तब उसने सोचा कि चलो,

थोड़ा फौजी काम भी कर लूं। वह कोई लड़वैया तो था नहीं। एक मामूली हिंदुस्तानी था। जैसे दूसरे वकील, बैरिस्टर रहते है वैसे सुभाष बाबू भी थे। फौजकी कोई तालीम तो पाई नहीं थी, हां, सिविल सर्विसमे जैसा ग्रामतौरपर होता है, थोड़ी घुड़सवारी सीख ली होगी। लेकिन पीछे उन्होंने फौजी-शास्त्र थोड़ा पढ़ लिया होगा। इस प्रकार उनके मातहत जो सेना बनी थी, मैं सुनता हूं कि उसके दो बड़े अफसर, जिनसे मैं जेलमें तथा उसके बाहर भी मिला था, काश्मीरपर हमला करनेवालोंसे मिले हुए है, यह मुझको बहुत चुभता है। ये सुभाष बाबूके मातहत खास काम करनेवाले थे और हमेशा उनके साथ रहा करते थे। सुभाष बाबू लश्करसे कोई बात छिपाकर रख तो सकते नही थे क्योंकि उन्हे उनके मारफत काम लेना पड़ता था। वे आज लुटेरोंके सरदार होकर जाते हैं तो मुझको चुभता है। अगर उनको अखबार मिलते है या जो मैं कहता हूं उसको वे सुन लें तो मै अपनी यह नाकिस[1] आवाज उनको पहुचाता हूं कि आप इसमे क्यों पडते है और सुभाष बाबूके नामको क्यों डुबाते है ? आप ऐसा क्यों करते है कि हिंदूका पक्ष लें या मुसलमानका पक्ष लें, आपको तो जातिभेद करना नही चाहिए। सुभाष बाबू तो ऐसे थे नही; उनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, हरिजन आदि सब रहते थे। वहां न हरिजनका भेद था न इतर जनका। वहा तो हिंदुस्तानियोंमें जातपांतका कोई भेदभाव था ही नहीं। यों तो सब अपने धर्मपर कायम थे, कोई धर्म तो छोड़ बैठे थे नही। लेकिन सुभाष बाबूने कब्जा कर लिया था, उनके चित्तका हरण कर लिया था, शरीरका हरण नही किया था। ऐसा तो चलता नही था कि अगर आजाद हिंद फौजमें शामिल नही होता है तो काटो। लोगोको इस तरह काटकर वे हिदुस्तानको रिहाई दिलानेवाले नही थे। इस तरहसे बड़े हुए और बड़प्पन पाया। तब आप इतने छोटे क्यों बनते है, और इस छोटे काममें क्यों पड़ते है। अगर कुछ करना ही है तो सारे हिंदुस्तानके लिए करो। वहां जो मुसलमान है, अफरीदी है उनको

[1] अकिंचन।

कहें कि यह जाहिलपन क्यों करना ? लोगोंको लूटना और देहातोंको जलाना क्या ? चलो महाराजासे मिलें, शेख अब्दुल्लासे मिलें, उनको चिट्ठी लिखें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहां कोई लूट करने तो आए नहीं है। आप इस्लामको दबाते हैं, इसलिए आपको बताने आए हैं, यह तो में समझ सकता हूं। तब तो आप सुभाष बाबूका नाम उज्ज्वल करेंगे और उन अफरीदी लोगोंके सच्चे शिक्षक बनेंगे। अफरीदी लोग कैसे रहते हैं, उनमें भी लुटेरे है या नही हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरी निगाहमें वे भी इन्सान हैं। उनके दिलमें भी वही ईश्वर या खुदा है, इसलिए वे सब मेरे भाई है। अगर मै उनमे रहूं तो उनसे कहूंगा कि लूट क्या करना, एक दूसरेपर गुस्सा क्या करना। मैं यह तो कहता नही कि तुम्हारे पास जो बंदूकें या तलवारें है, उन्हें छोड़ दो। उनको रखो; लेकिन जो दूसरे लोग डरे हुए हैं, मुफलिस हैं, औरते हैं, बच्चे हैं उनको बचानेके लिए। उसमें क्या है, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। तो मै कहूगा कि ये जो दो अफसर हैं, जिनका नाम मैंने सुन लिया है, वे सुभाष बाबूका नाम याद करें। वे तो मर गए, लेकिन उनका नाम नही मरा, काम तो नही मरा।

अब मेरा दिल आगे बढ़ता है कायदे आजम जिन्नाकी तरफ। उनको मै पहचानता हू। मैं तो उनके घर जाता था और एक दफा तो १८ बार गया था। मै उसको तपश्चर्या मानता हूं। बादमें भी उन्होंने और मैंने एक चीजमें दस्तखत किये थे और उसमें भी हम दोनों हिस्सेदार बन गये थे। तब भी उनके साथ मीठी बातें होती थी। इसलिए मै तो उनसे, लियाकतअली साहबसे और उनके मंत्रिमडलसे कहूंगा कि 'यह क्या बात है कि आप जवाहरलाल-जैसे आदमीको कहते हैं कि आप धोखेबाजी करते है। जवाहरलाल और उनकी सरकारको इसमें धोखेबाजी क्या करनी थी ! मैं कहूगा कि जवाहर तो किसीसे भी धोखा करनेवाला नहीं है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका गुण है। उनकी सरकारमें सरदार या जो दूसरे आदमी हैं उनको भी मैं पहचानता हू। वे भी कोई धोखेबाज नही हैं। अगर वे काश्मीरसे मशविरा करना चाहते हैं तो उसका यह मतलब नही है कि वे फुसला रहे हैं। जवाहरलाल

तो पहले भी उनसे बात करता था और अकेला शेख अब्दुल्लाके लिए उनसे लड़ता था। तो उसको इसमें धोखा क्या करना था? धोखेबाजी करनेसे हिंदुस्तान या कोई और मुल्क बच थोड़े सकता है। तब वे ऐसा क्यों कहते है ? तो काश्मीरमें जो अफरीदी लोग चले गये है, उनको कुछ-न-कुछ उत्तेजना तो पाकिस्तानसे मिलती ही होगी तभी तो वे कोई काम कर सकते है, नहीं तो वे कैसे कर सकते थे? अगर मै पाकिस्तानमे होता तो मै उनको ऐसा काम करनेसे रोक देता। पाकिस्तानके उदासीन रहनेपर तो वे ऐसा काम कर नही सकते थे, लेकिन यहा तो उदासीन ही नही उससे ज्यादा हैं।

मेरे पास दो हिंदू—एक कराचीसे और दूसरे लाहौरसे, आये हैं। मुझको सुनाते है कि कराचीमे बुरा तो हुआ, लेकिन अब दिन-प्रति-दिन अच्छा होता जाता है। तब क्या तुम वहाके लोगोंसे कुछ कहोगे कि वे क्यों घबराते हैं? वहा जो सिंधी मुसलमान है, वे हिंदुओंके साथ मिल-जुलकर रहे हैं, बाज दफा झगडा तो हुआ हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोस्त बन गये है, उसका तो मै गवाह हूं। वहा सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसी बात नही हैं। लेकिन मंत्रिगण ऐसा चाहते है। दूसरे सज्जन बताते है कि लाहौरमे जितनी बड़ी-बडी हवेलिया थी वे सब बेकार हो गई है। वहा हिंदू तो कोई ज्यादा है नहीं—केवल मुट्ठीभर रहे है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है, वह चाहता है कि हिंदू-सिख सब रहें। हां, सिखोंके रहनेपर तो कुछ एतराज है; लेकिन तो भी वे काफी वहा है। मैने वहा खूबीकी बात यह सुनी कि लाहौरमें एक मुसलमान, जो शरीफ आदमी हैं, किसी सिखको अपने यहां रखा हुआ है। तो उन्होंने जो आंखो देखा है वह सुनाया कि उसी मुसलमानके घरमे एक कमरा है, जहा उन्होंने गुरुग्रंथ साहब खोलकर रखा है और बडी अदबसे उसको रखता है। चूकि वह मुसलमान उस सिखका दोस्त है, इसलिए उसको बचा लिया। यह मुझको अच्छा लगता है। पीछे एक सिख ही मुझको सुना गये हैं कि ऐसा बहुत जगह हुआ है, जहा मुसलमान दोस्तोंने हमे अपने घरोंमें रखा। दोनों ही जगहोसे मुझे ऐसी ही खबरे मिली हैं। तो पीछे क्या वजह है कि यहांसे इतनी बडी

संख्यामें मुसलमानोंको पाकिस्तान भगाया जाय? क्या वजह है कि हिंदू और सिख वहांसे भागकर यहां आते हैं? इसका क्या नतीजा आना है? यही न कि हम सब बरबाद होते हैं। जब लोग अपना घर-बार छोड़कर जायं तब ऐश-आरामसे तो वे रह नहीं सकते। ऐश-आराम तो अपने घरमें ही रहकर मिल सकता है। घर छोड़नेके बाद न तो अच्छा खाना मिलता है और न पहननेको मिलता है। अभी शिविरोंमें ठंडमें पड़े रहकर लोग थरथर कांपते हैं। तो वे कहते हैं कि हमारे साथ यह क्या हुआ? हमारी हकूमतने यह क्या किया? हमने क्या गुनाह किया कि जिस कारणसे हमें इस परेशानीमें पड़ना पड़ा है। उनको तो ऐसा लगता है कि वहां तो इर्दगिर्दमें मुसलमान पड़े हैं और यहां इर्दगिर्दमें हिंदू पड़े हैं। तब यह बर्बादी कहांतक चले और कबतक चले। इसका क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा तो भगवान ही निकाल सकता है, लेकिन मुझको तो यह बुरा ही लगता है।

पाकिस्तानके कायदे आजम ऐसा क्यों कहते हैं कि हिंदू और सिख तो हमारे दुश्मन हैं। मैले आदमी तो हिंदू, सिख, मुसलमान सबमें ही पड़े हैं, लेकिन सारी जातिको दुश्मन कहना बहुत बुरी बात है। मैं तो बड़े अदबसे सारे मन्त्रिमंडल और लोगोंको कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद न हो और वह दूसरोंके हाथोंमें न चला जाय तो पीछे आपको शरीफ बनना है।

जिन आदमियोंने आज कुरानशरीफकी आयत पढ़नेपर जिस शराफतसे विरोध किया उसके लिए मैं उनको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। इससे वे भी अहिंसासे काम लेना सीख लेंगे। उन्होंने ठीक ही कहा कि हमको कुरानशरीफकी आयत तो पसंद नहीं है, लेकिन प्रार्थना निर्विरोध चलने दी, यह मुझे अच्छा लगा। इस तरहसे हम हिंदुस्तानके वास्ते दैवी शक्ति पैदा कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है, छूमंतर करनेसे तो पैदा हो नहीं जाती, लेकिन आखिरमें यह शक्ति पैदा हो जायगी। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि आजाद हिंद फौजके उन दो बड़े अफसरोंको सद्बुद्धि दे। और हिंदुस्तानका जहाज, जो आज डावांडोल हो रहा है, वह सीधे-सादे शांत पानीमें चले।

: १३७ :

३ नवंबर १९४७

(लिखित सदेश)

यदि एक जहर दूसरे जहरसे मिल जाय तो इस बातका निश्चय कौन करेगा कि उनमे पहले कौन-सा डाला गया था। और यदि इस बातका निश्चय हो भी जाय तो इससे फायदा क्या होगा? लेकिन हम यह जानते है कि यह जहर तमाम पश्चिमी पाकिस्तानमे फैल गया है, लेकिन वहांकी हकूमतने शायद इसमे जहर नही माना है। ईश्वर करे कि यह जहर महदूद[1] रहे और काबूमें रहे। तब हम इस बातकी आशा कर सकेंगे कि समय आनेपर यह जल्दी ही दोनों हिस्सोसे निकाल दिया जायगा।

डा० राजेंद्रप्रसादजीने प्रांतीय प्रधानों या उनके प्रतिनिधियों तथा और लोगोंकी जो मीटिंग उनको खुराक-कंट्रोलके मसलेपर मशवरा देने के लिए बुलाई है, मैं समझता हूं कि आज मुझे उसी बहुत जरूरी मामलेपर कुछ कहना चाहिए।

अबतक जो कुछ मैने इन दिनोंमे सुना है उससे मै तिलभर भी अपनी इस रायसे नही हटा हूं कि कंट्रोल जल्द बिल्कुल हट जाने चाहिए और यदि वह रहें भी तो छः माहसे अधिक तो हरगिज न रहे। एक दिन भी नहीं गुजरता जो मेरे पास तार या पत्र न आते हो और उनमें बाज-बाजमें तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके होते है, जो यह बड़े जोरके साथ कहते हैं कि दोनों कंट्रोल हटा देने चाहिए। मैं फिलहाल दूसरे कंट्रोल अर्थात् कपड़ेके कंट्रोलको छोड़ देना चाहता हूं। कंट्रोलसे धोखा बढ़ता है, सत्यका दमन होता है, काला बाजार बढ़ता रहता है और बनावटी कमी बनी रहती है। सबसे ज्यादा तो यह लोगोंको कमजोर बना देता है, वह निरुत्साही हो जाते हैं, और उनमे अपने पैरोंपर खड़े रहनेकी शिक्षा जिसे एक पीढ़ीसे वह सीखते आये हैं,

---

[1] सीमित।

भुला बैठते हैं। वह सदा दूसरोंके मुंहकी ओर ताकते रहते हैं। इस दुर्घटनासे बढ़कर, यदि कोई दूसरी हो सकती है तो वह है, मौजूदा भाई-भाईका कत्ल, जो एक बड़े पैमानेपर चल रहा है, और पागलपनसे तबादला[1]-आबादी, जिसके कारण बिला जरूरत मौतें, भूखों मरना, रिहायश[2] और कपड़ेका न मिलना—खासकर इस आनेवाले जाड़ेके मौसममें—हो रहा है, शायद कंट्रोलकी दुर्घटना इसके बराबर हो।

दूसरी दुर्घटना देखनेमें बढ़ी-चढ़ी मालूम होती है, लेकिन हमें पहलीको भी भूलना नही चाहिए, जो इतनी दिखाई नही देती।

यह खुराकका कट्रोल हमें पिछली बड़ी लड़ाईकी खतरनाक विरासतमें मिला है। उस वक्त कंट्रोल शायद जरूरी था, क्योंकि अनाज और दूसरी खुराक बहुत बड़ी मिकदारमे बाहर देशोंमे भेजी जाती थी। इस गैर-कुदरती निर्यातका परिणाम यह आना जरूरी था कि अनाजकी कमी हो जाय, और बहुत-सी बुराइयोंके होनेपर भी राशनिंग जारी करना पड़ा। अब अगर हम चाहें तो निर्यातको बंद कर सकते हैं। दुनियाके उन भूखे प्रदेशोंकी हम मदद कर सकते है, यदि हम बाहरसे हिंदुस्तानके लिए अनाज आनेकी उम्मीद छोड़ दें; क्योंकि इतना अनाज उनके लिए बच जाता है। मैंने अपने जीवनमें, जिसकी दो पीढ़ी गुजर गईं, कई कुदरती दुष्काल देखे है; लेकिन मुझे याद नही आता कि कभी राशनिंगका खयाल भी आया हो।

ईश्वरकी कृपा है कि इस वक्त बरसात ठीक-ठीक हुई है। इसलिए खुराककी सच्ची कमी नहीं है। हिंदुस्तानके देहातोंमे काफी अनाज, दालें और तेलके बीज मौजूद है। कीमतोंपर जो बनावटी कंट्रोल होता है अनाज पैदा करनेवाले उसे समझ ही नही सकते, इसलिए वह खुशीसे अपना अनाज जिसकी कीमत खुले बाजारमें उनको अधिक मिल सकती है, देना पसंद नहीं करते। इस हकीकतको सब लोग जानते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई ऐदाद-ओ-शुमार[3] जमा किये

---

[1] परिवर्तन; [2] स्थान; [3] संख्या और अंक।

जाएं या इसको साबित करनेके लिए कि अनाजकी कमी है, लंबे-लंबे लेख और मजमून लिखे जाएं। इतनी उम्मीद रहती है कि हमें कोई आबादी बढ़ जानेका भूत दिखाकर नही डरायगा।

हमारे मत्री जनताके हैं और जनतामेंसे है। उनको इस बातका अभिमान नहीं करना चाहिए कि उनका ज्ञान उन अनुभवी लोगोंसे अधिक है जो हकूमतकी गद्दियोपर नही बैठे है, लेकिन जिनका दृढ़ विश्वास है कि कंट्रोल जितनी जल्दी हटे उतना अच्छा होगा। एक वैद्यका कहना है कि खूराकके कट्रोलके कारण, वे लोग जो राशनपर रहते है उनके लिए यह नामुमकिन कर दिया है कि खाने लायक अनाज उनको मिल सके, और इसलिए ये लोग गैर-जरूरी तौरपर ऐसी बीमारियोंके शिकार हो रहे है, जो सड़े अनाजके खानेसे पैदा होती हैं। बजाय कट्रोलवाली खूराकके सरकार बड़ी आसानीसे उन्ही गोदामोंको अच्छा अनाज बेचनेके काममे ला सकती है जिसे वह खुले बाजारमें खरीद सकेगी। ऐसा करनेसे कीमतें अपने-आप ठीक हो जाएगी और जो अनाज, दालें तथा तेलके बीज छुपे पड़े हैं सब बाहर निकल आएंगे। क्या सरकार अनाज बेचने और पैदा करनेवालोंका विश्वास नही करेगी?

जमहूरियतमे[1] अगर लोगोंको मध्य हकूमतकी रस्सीमें बांधा जाय तो टूट पड़ेगे। वे एतबार करनेसे ही बढ़ सकते है।

अगर लोग इस कारणसे मरने लगेंगे कि वे मेहनत नहीं करना चाहते और एक दूसरेको धोखा देते है तो ऐसे लोगोंके मरनेका स्वागत किया जाय। फिर लोग काहिल[2] और खुद-गर्ज रहनेके पापको नही दोहराएगे।

---

[1] जनतंत्र; [2] आलसी।

: १३८ :

४ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज तो सिर्फ हमारे पुराने सभ्य मित्रने ही कुरानकी आयत पढनेपर एतराज उठाया है। इसलिए मैं एक पंजाबी हिंदू निराश्रितके दर्दभरे खतकी चर्चा करूंगा। उन्होंने पजाबमें बहुत कुछ सहा है। कुरानकी आयत पढ़नेका उन्होंने विरोध किया है। मै नहीं जानता कि वे भाई यहां मौजूद है या नही। वे यहां हों या न हों, लेकिन मैं उस खतकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह गहरे दर्दसे लिखा गया है। उसमें काफी अच्छी दलीलें दी गई हैं। लेकिन वह अज्ञानसे भरा हुआ है, जो गुस्सेकी उपज है। उसकी हर लाइनमे गुस्सा भरा हुआ है। आजकल करीब-करीब मेरा सारा समय हिंदू या सिख निराश्रितों या दिल्लीके दुखी मुसलमानोंकी दर्दभरी कहानियां सुननेमें ही जाता है। मेरी आत्माको भी उतना ही दुख और उतनी ही चोट पहुचती है। लेकिन अगर मै रोने लगूं और उदास बन जाऊं, तो वह अहिंसाका सच्चा रूप नही होगा। अगर मै अहिंसासे इतना कोमल बन जाऊ, तो दिन-रात रोता ही रहूं और मुझे ईश्वरकी उपासना करने, खाने-पीने या सोनेका भी समय न मिले। लेकिन मैंने तो बचपनसे ही अहिंसक होनेके नाते दुखोंको देख-सुनकर, रोनेकी नही, बल्कि दिलको कठोर बना लेनेकी आदत डाल ली है, ताकि मै दुःखोका मुकाबला कर सकू। क्या पुराने ऋषि-मुनियोंने हमें यह नही बताया है कि जो आदमी अहिंसाका पुजारी है, उसका दिल फूलसे भी कोमल और पत्थरसे भी कठोर होना चाहिए? मैने इस उपदेशके मुताबिक जीनेकी कोशिश की है। इसलिए जब इस खतकी शिकायतों-जैसी शिकायतें मेरे पास आती है, या जब मै अपने मुलाकातियोंके मुंहसे गुस्से और रंजभरी कहानिया सुनता हूं, तो मै अपने दिलको कड़ा बना लेता हू। सिर्फ इसी तरह मैं मौजूदा सवालोंका सामना कर सकता हू। वह खत उर्दू लिपिमें लिखा है। इसलिए मैंने श्रीब्रजकिशनजीसे कहा कि उस खतकी खासखास बातें मुझे लिख दें।

खतमें पहला इलजाम मुझपर अपना वचन तोड़नेका लगाया गया है। उन्होंने लिखा है, 'क्या आपने यह नही कहा है कि आपकी प्रार्थना-सभामें अगर एक भी आदमी कुरानकी आयत पढ़नेपर एतराज उठाएगा, तो आप उसका मान रखेंगे और उस शामको प्रार्थना नही करेंगे?' यह आधा सच है, और पूरे झूठसे ज्यादा खतरनाक है। जब मैंने पहले-पहल एतराज उठानेपर अपनी प्रार्थना बंद की थी, तब मैंने यह जाहिर किया था कि मैं प्रार्थना इस डरसे बद करता हूं कि सभाके इतनी बड़ी तादादवाले लोग विरोध करनेवालेपर गुस्सा होकर उसके साथ मारपीटतक कर सकते हैं। यह कई महीने पहलेकी बात है। तबसे लोगोंने अपनेपर काबू रखनेकी कला सीख ली है। और, जब लोगोंने मुझे इस बातका वचन दिया कि विरोध करनेवालेके खिलाफ न तो वे अपने मनमें गुस्सा रखेंगे और न किसी तरहका वैर, तो मैंने फिर आम प्रार्थना करनेकी बात मान ली। और जैसा कि मै जानता हूं, इसका नतीजा अच्छा ही हुआ है। विरोध करनेवालोंका बर-ताव बिलकुल सभ्यताका होता है और अपना विरोध दर्ज करानेके सिवा वे प्रार्थनामे किसी तरहकी रुकावट नही डालते। इसलिए मै आशा करता हू कि खत लिखनेवाले भाई यह देखेंगे कि मैने अपना वचन भग नही किया है, और विरोध करनेपर भी प्रार्थना चालू रखनेका नतीजा अभीतक बिलकुल अच्छा ही रहा है। मै आप लोगोको यकीन दिलाता हू कि जहातक मै अपने बारेमें जानता हू, मैने जन-सेवकके नाते अपनी इतनी लबी जिंदगीमें दिया हुआ वचन तोडनेका कभी अप-राध नही किया है।

खत लिखनेवाले भाईने मुझपर दूसरा यह इलजाम लगाया है कि 'जब आप कुरानकी आयतें पढ़ते है और यह भी कहते हैं कि सब धर्म समान है, तब आप जपजी और बाइबिलमेंसे क्यो नही पढ़ते?' इस बातसे भी लिखनेवाले भाईका अज्ञान जाहिर होता है। वे मेरे उस बयानको नही जानते, जिसमें मैंने बताया था कि पूरी भजनावली किस तरह तैयार हुई। आश्रम-भजनावलीमें बाइबिल और ग्रथसाहिब-मेंसे भी काफ़ी भजन लिये गए हैं।

उन भाईकी तीसरी शिकायत यह है कि 'आपके बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता पश्चिमी पंजाब या पश्चिमी पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको छोड़कर यहां आए हैं। लेकिन यूनियनमें के निराश्रितोंकी तरह रहकर दूसरे निराश्रितोंकी कठिनाइयों और मुसीबतोंमें साथ नहीं देते। पाकिस्तानमे उनके पास जैसी हवेलियां थी, उनसे ज्यादा अच्छी हवेलियां उन्होंने यहा ले ली हैं और उनमें मौजसे रहते हैं। ये कांग्रेसी नेता उन निराश्रितोंसे बिलकुल अलग रहते हैं, जिनके पास न तो रहने के मकान है न सर्दीसे बचनेके लिए गरम कपड़े। गरम कपड़ोंकी बात तो दूर रही, बहुतसोंके पास बदलनेके दूसरे कपड़े ही नही हैं; न उन्हे अच्छा खाना मयस्सर[1] होता है।' अगर यह शिकायत सच है, तो यह हालत शर्मनाक है। मैंने तो अपनी प्रार्थना-सभाओंमे साफ शब्दोमें उन धनी निराश्रितोंकी निंदा की है, जो गरीब निराश्रितोंके साथ मुसीबते उठानेके बजाय उनका साथ छोड़कर मौज मारते है। यह धर्म नही, अधर्म है। धनियोंको अपने गरीब भाइयोंके सुख-दुःखमे साथ देना चाहिए।

इसके बाद उन भाईने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकिस्तान जानेका इरादा रखते थे, लेकिन अभीतक गए नहीं। यहां दिल्लीमें आपका क्या काम है? आप दुःखी हिदुओ और सिखोंकी मदद करनेके लिए पाकिस्तान जानेके बजाय अपने मुसलमान दोस्तोंकी मदद करना क्यों ज्यादा पसंद करते है? लेकिन शिकायत करनेवाले भाई यह नही जानते कि दिल्लीके अपने फर्ज़को भुलाकर मै पाकिस्तानके हिंदुओं और सिखोके दुःखोको कम करनेकी आशासे पाकिस्तान नहीं जा सकता। मै कबूल करता हू कि मै मुसलमानों और दूसरोंका दोस्त हू, क्योंकि मै हिंदुओं और सिखोंका भी वैसा ही दोस्त हूं। अगर मै किसी आदमीकी सेवा करता हूं, तो इसी भावनासे प्रेरित होकर करता हूं कि वह सिर्फ हिंदुस्तानका या किसी एक धर्मका ही नही, बल्कि सारी मनुष्य-जातिका अंग है। दिल्लीके हिंदू और सिख

---

[1] प्राप्त।

निराश्रितों और दूसरोंको यहांके मुसलमानोंके दोस्त बनकर यह साबित कर दिखाना है कि दिल्लीमें मेरे रहनेकी कोई जरूरत नहीं है। तब मैं इस पूरे विश्वासके साथ पाकिस्तानकी तरफ दौड़ जाऊंगा कि मेरा वहांका दौरा बेकार नही जायगा।

शिकायत करनेवाले भाईने कस्तूरबा-फंडको भी नही छोड़ा। उन्होंने पूछा है कि कस्तूरबा-फडका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे निराश्रितोंको राहत पहुचानेके काममे क्यों नही खर्च किया जा सकता? पहली बात तो यह है कि वह फड एक खास मकसदसे[1], तब इकट्ठा किया गया था जब मैं जेलमे था। यानी वह हिंदुस्तानके गांवोंकी औरतों और बच्चोंकी सेवाके लिए जमा किया गया था। उसका एक ट्रस्टी-मडल है। हमेशा सावधान रहनेवाले ठक्कर बापा उसके सेक्रेटरी है। और उसका पाई-पाईका हिसाब रखा जाता है, जिसे जनता देख सकती है। इसलिए लिखनेवाले भाईके सुझावके मुताबिक वह फंड निराश्रितोंकी सेवामे नही खर्च किया जा सकता। और ऐसा करनेकी जरूरत भी नही है। निराश्रितोंकी राहतके लिए उदारतासे पैसा दिया जा रहा है और सब जानते है कि मेरी कंबलोंकी अपीलका जनताने कितनी उदारतासे स्वागत किया है। सरदार पटेलने इस बारेमें एक खास अपील निकाली है। लोगोंने उदारतासे उसका स्वागत किया और आज भी किया जा रहा है।

खत लिखनेवाले भाईकी आखिरी शिकायत है 'जब पाकिस्तानमे सूअरोंके कतलपर रोक लगा दी गई है, तब यूनियनमे गो-हत्या क्यो नही बद की जा सकती?' मुझे इसकी जानकारी नही है कि पाकिस्तानमे सूअरके कतलपर कानूनी रोक लगाई गई है। अगर शिकायत करनेवाले भाईकी सूचना सच है, तो मुझे दुःख है। मै जानता हू कि इस्लाममें सूअरका गोश्त खानेकी मनाही है। लेकिन ऐसा होनेपर भी मै इसे ठीक नही मानता कि गैर-मुस्लिमोंको भी सूअरका गोश्त खानेसे रोका जाय।

क्या कायदे आज़मने यह नहीं कहा है कि पाकिस्तान ईश्वरशाही

---

[1] उद्देश्य।

राज नहीं है और उसमें धर्मको कानूनका रूप नहीं दिया जायगा? लेकिन बदकिस्मतीसे यह बिलकुल सच है कि इस दावेको हमेशा अमलमें सच साबित नही किया जाता। क्या हिंदुस्तानी संघ ईश्वरशाही राज बनेगा और क्या हिंदू-धर्मके उसूल गैर-हिंदुओंपर लादे जायंगे? मुझे यह आशा नही हैं। ऐसा हुआ तो हिंदुस्तानी संघ आशा और उजले भविष्यका देश नही रह जायगा। तब वह ऐसा देश नहीं रह जायगा जिसकी तरफ सारी एशियाई और अफ्रीकी जातियां ही नहीं, वल्कि सारी दुनिया आशाभरी नजरसे देखती है। दुनिया यूनियन या पाकिस्तानके रूपमें हिंदुस्तानसे ओछेपन और धार्मिक पागलपनकी उम्मीद नही करती। वह हिंदुस्तानसे बड़प्पन, भलाई और उदारताकी आशा करती है, जिससे सारी दुनिया सबक ले सके और आजके फैले हुए अंधेरेमे प्रकाश पा सके।

मै गायकी भक्ति और पूजामें किसीसे पीछे नही हूं, लेकिन वह भक्ति और श्रद्धा कानूनके जरिये किसीपर लादी नही जा सकती। वह मुसलमानों और दूसरे सारे गैर-हिंदुओंके साथ दोस्ती बढ़ाने और सही बरताव करनेसे पैदा हो सकती है। गुजराती और मारवाड़ी लोग गायकी रक्षा करनेमें सबसे आगे माने जाते है। लेकिन वे हिंदू-धर्मके उसूलोको इतने भूल गए हैं कि दूसरों पर तो वे खुशीसे पाबंदियां लगाएगे और खुद गाय और उसकी सतानके साथ बहुत बुरा बरताव करेंगे। आज दुनियामें हिंदुस्तानके मवेशी ही सबसे ज्यादा उपेक्षित क्यों हैं? जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामे सबसे कम दूध देनेके कारण देशपर बोझ क्यों बन गए है? बोझ ढोनेवाले जानवरोंके नाते बैलोके साथ इतना बुरा बरताव क्यों किया जाता है?

हिंदुस्तानके पिंजरापोल ऐसे नहीं हैं जिनपर गर्व किया जाय। उनमें बहुत पैसा लगाया जाता है, लेकिन वहां पशुओंका साइंसी और बुद्धिमानी-भरा पालन-पोषण शायद ही किया जाता हो। ये पिंजरापोल हिंदुस्तानके जानवरोंको नया जन्म कभी नही दे सकते। वे मवेशियों-के साथ हमदर्दी और दयाका बरताव करके ही ऐसा कर सकते

है। मेरा यह दावा है कि मुसलमानोंके साथ दोस्ती बढ़ा सकनेके कारण मैंने, कानूनकी मदद लिये बिना, दूसरे किसी हिंदूके बनिस्बत ज्यादा गायोंको कसाईके छुरेसे बचाया है।

: १३६ :

५ नवबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज तो मुझे आप लोगोंसे कुरानशरीफकी आयतके विरोधके बारेमें कुछ कहना नही है। यह मै हमारी धन्य घड़ी मानता हूं। एक भाईको आपत्ति है ही, लेकिन वे तो हमारे मित्र बन गए है। वे विरोध तो करते हैं, लेकिन सभ्यतासे। उसके बाद वे बिलकुल खामोश रहते हैं, इसको मै विरोध मानता ही नही। ऐसा सब लोग भी विरोध करें तो हम कुछ खोते नही है। विरोध रहते हुए भी वे पीछे प्रार्थनामें मग्न रहते है ऐसा मैने उनकी जबानसे सुना है। तो यह अच्छा ही है।

आज आपने जो भजन सुना है वह एक हरिजन बालकका है। उसका कठ मधुर है यह तो आपने सुन ही लिया। रामधुन भी उसने अच्छी तरह चलाई। यह मेरा एक ही अनुभव नही है। मै तो हरिजनोंके बीचमे रहता हू और सारे हिंदुस्तानमें तो मैने बहुत दफा यात्रा की है और सारे देशके हरिजनों के सपर्कमें आया हू। अगर हम खुद नही जानते हों और हमको कोई परिचय न दे तब तो हम हरिजनको किसी तरह पहचान नही सकते। जो गुण दूसरे इन्सानमे है वे सब उनमें भी हैं। कुछ दुर्गुण भी है, लेकिन वे उन्हींमे हों ऐसा थोड़ा ही है। और लोगोंमें भी हैं। सद्गुण और दुर्गुण आखिर सबमें भरे है। लेकिन हरिजनोमें मुझको एक विशेषता तो लगती है, और वह यह है कि अगर किसी हरिजन बालकको थोड़ा संगीत-शिक्षण देते है तो वह आगे बढ़ जाता है। चूंकि हमने उनको अबतक गिराकर रखा है, इसलिए अब अगर उनसे कोई मोहब्बतसे बात करता है और

मोहब्बतसे काम सिखाता है तो पीछे वे ध्यान रखकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। धनी लड़के तो गुमानमें पड़े रहते हैं और यह सोचकर कि हमारे मा-बापके पास काफी पैसा है, अपने काममें ध्यान नहीं देते। लेकिन चूंकि हरिजन लोग आमतौरपर गरीब हैं और उनको अछूत मानते हैं, कोई उनको अपने नजदीक नहीं बैठने देता तब अगर कोई उनको अपने पास बिठाते है, साथ ही खाते-पीते है और सब कुछ करते है तब उनका हृदय भर जाता है। सब तो ऐसे नही है—मैंने ऐसे लापरवाह हरिजनोंको भी पाया है कि उनके लिए चाहे जितना करो, उसकी कोई कीमत ही नही करते। ऐसे दूसरे भी पडे है—सब कोई ऐसे हरिजन थोडे है। उनको हिंदू-धर्मने सैकड़ों वर्षोसे गिरानेकी कोशिश की है, लेकिन तो भी वे अपने धर्मपर कायम रहते है और दूसरोकी निस्बत[1] उनमें अधिक गुण पाये जाते है।

पंढरपुरका नाम तो आपने नही सुना होगा। महाराष्ट्रमें वह यात्राका एक स्थान है। वहां जो मूर्तियां है उनके लिए इतनी दंत-कथा भरी है कि मै उन सबको सुनाना नही चाहता हू। तो वहाका मंदिर हरिजनोंके लिए खुलता नही था। इसपर साने गुरुजी वहा जाकर बैठ गए और मंदिरके ट्रस्टियोसे कहा कि जब सब जगहके मदिर खुल गए है तो यह क्यों न खुले ? जब नही खुला तब उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। साने गुरुजी तो भक्त पुरुष था, नो वे उसको कैसे मरने देते ? उनके दिलमें ज्ञान आया, रहम आया; लेकिन कहा कि हम क्या करें, कैसे खोले, उसमें काफी टेकनिकल रुकावटें हैं, जिन्हें दूर करना होगा। पीछे मावलकरजी वहा पहुंचे और उनके कहने-सुनने-पर उन्होने उपवास छोड़ दिया, लेकिन इस शर्तपर कि अगर वह नही खुला तो उनका फाका फिर चलेगा। अब मेरे पास तार आया कि जो बिल बननेवाला था वह बना लिया और वह मंदिर हरि-जनोंके लिए खुल गया। सबने राजी होकर खोला और हजारोंकी

[1] अपेक्षा।

तादादमें लोग वहां गए—कोई विरोध नहीं हुआ—एक-दोका रहा होगा शायद हजारोंमें। तो पढरपुरका इतना भारी मदिर इतनी मेहनतके बाद आखिर खुलकर रहा। जितनी ज्यादतियां हमने हरिजनोंपर की हैं अगर वे हट जायं तो सारा हिंदुस्तान बहुत ऊंचे चला जाता है। लेकिन आज तो हम गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हममें वैमनस्य भर गया है। हिंदुस्तान कोई हमेशाके लिए तो दीवाना बना नही रहेगा, ऐसी उम्मीद करके मैं बैठा हूं—आगे भगवान जाने।

मेरे पास दो-चार प्रश्न आ गए हैं—वैसे तो वे अलग-अलग खतोंमें हैं, लेकिन उनको इकट्ठा कर लिया गया है। पहले प्रश्नमें तो एक मुसलमान भाई पूछते हैं। जैसा कि कल बताया था कि हम गोमांस छुडवानेके वास्ते किसीको मजबूर नही कर सकते, उनसे विनय कर सकते हैं और समझा सकते हैं। अगर उनकी समझमें आ जाय और उसको छोड़ दें, फिर चाहे वे हमारे प्रति मोहब्बत दिखानेके लिए करते हों तो वह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी हिंदू बहुतसे हैं जो मास खाते हैं चाहे वह मछली हो या और कोई दूसरा मास हो। ऐसे तो बहुत थोडे हिंदू हैं जो धर्म समझकर मास नही खाते। तो क्या आप उनको मजबूर करेंगे और कहेंगे कि अगर मांस खाना नही छोडते तो हिंदुस्तानको छोड़ो नही तो मार डाले जाओगे? अगर ऐसा नही हो सकता तो मुसलमानोंने क्या गुनाह किया? उनको क्यों मजबूर किया जाय? मैं जानता हू कि ऐसे पागल हिंदू भी पड़े हैं जो मुसलमानोंको मजबूर करते हैं। मै तो कहूंगा कि यह अत्याचार है जिससे हमें बचना चाहिए।

दूसरा प्रश्न एक और है जिसमें एक हिंदू लिखते हैं कि यह तो ठीक है कि सब हिंदू तो वैमनस्यसे नही भरे हैं लेकिन तुम बात तो करते हो कि मुसलमानोंको अपने घर नही छोडने चाहिए, अगर मरना है तो मर जायं। ऐसी ज्ञान-वार्ता तो तुम सुनाते हो, लेकिन इससे सबको ज्ञान तो नही मिल जाता है। एक तरफ तो यह ज्ञान-वार्ता चलती रहे और दूसरी तरफ मुसलमानोंको यहांतक परेशान किया जाय कि वे अपने घरोंसे बाहर कहीं जा नही सकते—उनको ये धमकियां

दी जायं कि यहांसे भागते हो या नहीं, नहीं तो मार डाले जाओगे। मुसलमान जिस मुहल्लेमें रहते हैं वहांसे अगर बाहर जाय तो कट जायं, लेकिन अगर मुहल्लेमें ही रहें तो खायं कहांसे? उनमें कारीगर या मजदूर लोग होते हैं। मान लीजिए कि एक जुलाहा है और वह कपड़ा बुनता है तो पीछे हिंदू कहे कि हम तो उसका कपड़ा नहीं लेंगे और अगर कोई लेनेकी जुर्रत[1] करे तो उसको भी काट डालेंगे तो फिर आपने अगर उसे वहां रहने भी दिया तो उसका कोई अर्थ नही रह जाता। मजदूरी करनेवाला अपने मुहल्लेके अंदर ही कैसे सीमित रह सकता है? वह तो गुलामसे भी बदतर हो जाता है। छोटा-सा तो मुहल्ला है और उसमेंसे बाहर नही जा सकता तो गुजारा कैसे करे? कोई धनी मुसलमान तो ऐसे छोटे मुहल्लेमें रहता नही है और गरीब लोग अगर बाहर न जायं तो गुजारा कैसे करें। एक ओर तो उनपर ऐसी ज्यादतियां करे और दूसरी ओर मेरे-जैसे आदमी कहे कि मर जाओ तो वह निकम्मी बात हो जाती है।

हम लोग गुमानसे ऐसा कहते है कि दिल्लीमे तो सब कुछ ठीक हो गया, कोई बड़ी घटनाए तो होतीं नहीं; लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर थोड़ा-सा भी है तो वह हमें चुभना चाहिए। मुझे तो बार-बार यह कहना और सुनाना होगा कि जब हिंदुस्तानमें ऐसी बातें हो रही हैं तो हम किस मुहसे मुसलमानोंको हिंदुस्तानमें रहनेको कहें। जितने मुसलमान हैं वे पाकिस्तान चले जाय और वहां जितने हिंदू और सिख है वे यहां आ जायं, तब तो हम हमेशाके लिए एक दूसरेके दुश्मन बन गए। और पीछे पेट भरकर हमको लड़ना है। ऐसी वाहियात चीजसे तो हम बच जायं।

एक तीसरा प्रश्न है—वह थोड़ा पेचीदा है। है भी और नही भी है। मुझको एक मुसलमान भाई लिखते है कि बता दो तो मुझको और सब मुसलमानोंको अच्छा लगेगा। इसी बीचमें ब्रजकिशनजीने कहा कि यह तो हिंदूका प्रश्न है। किंतु किसीने भी किया हो, प्रश्न

[1] हिम्मत।

तो वह है न। पूछने लायक है और नही भी। "तुमने तो अपनी यह अहिंसा अंग्रेजोंको भी बताई थी जब वे हार रहे थे और उनको हथियारोंसे लड़ाई न लड़कर अहिंसक होनेकी सलाह दी थी। वहां तो तुमने इतनी जुर्रत की, लेकिन यहांकी हकूमतको अहिंसाकी लड़ाई लड़नेको क्यों नहीं कहते !" मैंने तो बता दिया कि मैं हूं कहां, और कौन मेरी मानता है। कहते तो हैं कि सरदारजी तो तुम्हारे हैं, पंडितजी तुम्हारे नही हैं तो कौन हैं, मौलाना भी तुम्हारे हैं। मेरे हैं भी और नही भी हैं। मैंने तो अपनी अहिंसा छोड़ी नही है। मैं तो उसको सीखता ही आया हूं और वह तबतक चली जबतक आजादी नहीं मिली थी। अब वे कहते हैं कि अहिंसासे कारोबार कैसे चला सकते है, तो पीछे लश्कर तो है ही, और उस लश्करको लेकर बैठ गए हैं। अब मेरी कीमत नही रही है। जब मेरी कीमत ही नही है तब मैं लोगोंमे क्यों पड़ा हूं। लेकिन इसी आशासे कि शायद लोग मेरी सुन लें। आखिर आप-जैसे थोड़ेसे लोग तो आते ही है और सभ्यतासे बैठकर मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। जैसे आप हैं ऐसे शायद दूसरे भी हो जायं और पीछे सबमे ज्ञान हो जाय। मेरी बातका कुछ असर हो जाय। इसी लालचके वशमे पड़ा हूं और इतना कर रहा हूं। मै नहीं जानता कि कहांतक ईश्वर मुझसे काम कराना चाहता है। वह चाहे तो आज भी मुझको बद कर सकता है। अब अगर यहां बैठे-बैठे सांस उडा दे तो मै खत्म हो जाता हूं। इसलिए जो चीज मैंने हिटलर-मुसोलिनी, चर्चिल तथा जापानको कही थी उसी चीज़पर मै आज भी कायम हू और अपनी हकूमतको भी वही कहता हूं। लेकिन काश्मीरमें तो शेख अब्दुल्ला है जो बड़ी बहादुरीसे लड़ रहे है—बहादुरीकी मैंने हमेशा तरीफ की है। यह ठीक है कि वे हिंसा करते हैं, लेकिन उसमे बहादुरी तो है, उसकी तारीफ तो मैं करूंगा। मै तो सुभाष बाबूकी भी तारीफ करता हूं, कोई इसलिए थोड़े करता हूं कि मुझे उनकी हिंसा पसंद थी। जो आजाद हिंद फौज बनाई वह मेरेसे थोड़े बन सकती थी। जब मै अच्छी चीज देखता हू और अच्छीको अच्छी न बताऊं तो मै अहिंसक नहीं हो सकता। अगर शेख अब्दुल्ला वहां आखिर-

तक लड़ता रहे और हिंदुओं और सिखोंको साथ रखे तो वह बुलंद काम हो जायगा। जो लोग यहां पड़े हैं उनपर भी इसका बड़ा असर होनेवाला है इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। लेकिन अगर मेरी अहिंसा चले और सब मेरी बात मानें तो जो लश्कर हम भेजते हैं वे भी न भेजें। अगर भेजें तो वे भी अहिंसक लश्कर भेजें। वे वहां जाते है, अगर अफरीदी लोग मार डालते है और वे खुशीसे मर जाय तो वह अहिंसक युद्ध हो जायगा; क्योंकि वे अहिंसक होकर मरते हैं। शेख अब्दुल्ला भी उन अफरीदियोंसे कहेगा कि आप श्रीनगर ले सकते है, लेकिन तब, जब हम सब मर जायं। किंतु वे तो हथियारोंसे लड़नेवाले है और बहादुरीसे लड़ते है। तब वे भी अहिंसक बन सकते है, हालां कि वह अहिंसाका रूप नही होता। मान लीजिए कि एक लाख अफरीदियोंका दल यहां आ जाता है और उन सबके पास हथियार हैं और मुट्ठीभर लोग मासूम बच्चों और स्त्रियोंकी रक्षाके लिए हथियार लेकर उनसे लड़ते हैं और लड़ते-लड़ते मर जाते हैं तब हथियारबंद होते हुए भी अहिंसक-जैसे बन जाते है। लेकिन मैं किसको बताऊ? आज तो आपस-आपसमें जहर फैल गया है और एक-दूसरेको बुरी तरहसे वहशियाना तौरसे काटते हैं। उसमें भी मैं यह अहिंसाका सरल पाठ नही बता सकता हूं। उस वक्त चर्चिल साहब तो नही कह सकते थे लेकिन आज शेख अब्दुल्ला तो कह सकते है और जो लश्कर गया है वह भी कह सकता है कि अगर तुम्हारी अहिंसा दिल्लीमें काम नही कर सकती, वहां तो वहशियाना काम हो रहा है; लेकिन हम जो करते हैं वह वहशियाना भी नहीं है तब उनको यह कहनेका हक मिल जाता है और मैं उसको कबूल करता हूं। अगर मैं यहांके सब हिंदू, मुसलमान, सिखोंको अपनी अहिंसा समझा दूं तो पीछे वे मुझको कुछ कह नहीं सकते। तब तो मैं खुद एक अहिंसक सेना लेकर काश्मीरमें या कहो पाकिस्तानमें या हर जगह जा सकता हूं और मेरा काम बहुत सरल हो जाता है और उस अहिंसाका प्रभाव इतना पड़े कि वह देखने लायक हो। लेकिन ऐसा अवसर कहांसे आए? मेरी अगर आप लोग सुनें और

जो कहता हू उसपर ग्रमल करें, मेरे शब्दोंमें ज्यादा शक्ति, हृदयमें ज्यादा बल हो, मेरी तपश्चर्या चाहे वह कितनी भी है और उससे भी ग्रागे बढ़ जाय, ग्रौर मेरे एक-एक शब्दोंमे इतनी शक्ति हो कि वह सारे हिंदुस्तानको पकड़ ले तो मेरा काम बन जाय। लेकिन ग्राज तो मैं लाचार-सा हू। ग्रगर ग्राप लोग भी ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वे मेरे शब्दोंमें प्रभाव डालें ग्रौर जहातक मुझे लाया है उससे भी ग्रागे ले जाय ग्रौर इस शरीरसे ग्रौर भी ज्यादा काम करा ले तो हिंदुस्तानका प्रभाव सारे जगतपर पड़ सकता है।

इन दिनों जो एशियाई प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन हो रहा है उसमें इंग्लैंड, चीन, ग्रमरीका तथा पाकिस्तानके प्रतिनिधि ग्राए थे ग्रौर कहते थे कि तुमने तो बड़ा काम किया है। उनकी यह तारीफ मुझे चुभती थी। ग्राज तो मै दिवालिया बन गया हूं—ग्राज तो मै कुछ सुना नहीं सकता ग्रौर कल सुनाया था उसकी ग्रब कोई कीमत नही। ग्राज तो मैं तारीफके लायक तभी बन सकता हू जब लोगोंपर मेरा प्रभाव पड़े, लेकिन वह दिन तो ग्राज है ही नही, मै तो ग्राज लाचारीका प्रदर्शन ग्रापके सामने कर रहा हू।

: १४० :

६ नवंबर १९४७

(प्रार्थनाके बाद गांधीजीने एक दोस्तद्वारा भेजी हुई ग्रखबारोंकी दो कतरनोंका जिक्र करते हुए कहा—)

भाइयो ग्रौर बहनो,

मै लेखकका नाम जानता हूं। लेकिन मैं न तो उनका नाम बताना चाहता ग्रौर न उन लेखोंका ब्योरा ही देना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे लेख हिंदू-धर्मकी सेवा करनेके ख्यालसे लिखे गए हैं। लेकिन उनमें जान-बूझकर झूठी बातें कही गई हैं। जब नई बातें नहीं कही जातीं, तो हकीकतोंको तोड़-मरोड़-

कर पेश किया जाता है। लेकिन मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि ऐसा करनेसे कोई मकसद पूरा नहीं होता—धर्मका तो बिलकुल नही। जब इलजामोंकी बुनियाद सचाईपर नहीं बल्कि झूठपर होती है, तब जिनपर इलजाम लगाया जाता है उन्हे कोई चोट नहीं पहुंचती। इसलिए मैं जनताको चेतावनी देता हूं कि वह ऐसे अखबारोंका समर्थन न करे, भले उसके लेखक कितने ही मशहूर क्यों न हों।

खुराक-मंत्रीने ग़ैर-सरकारी लोगोंकी जो कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट उनके सामने पेश कर दी है। उस कमेटीकी सिफारिशोंपर कोई फैसला करनेमें डा० राजेंद्रप्रसादको मदद देनेके लिए सूबोंके जो मत्री या उनके प्रतिनिधि दिल्ली आए थे, उनसे मैं मिला था। जब मैंने इस मीटिंगके बारेमें सुना, तो मैंने डा० राजेंद्रप्रसादसे कहा कि वे मुझे उन लोगोंके सामने अपनी बात रखनेका मौका दें, ताकि मैं उनके शकोंको दूर कर सकूं। क्योंकि मुझे इसका पूरा यकीन है कि अनाजका कंट्रोल हटानेकी मेरी राय बिलकुल ठीक है। डा० राजेंद्रप्रसादने तुरत मेरा प्रस्ताव मान लिया और मुझे मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियोंके सामने अपने विचार रखनेका मौका मिला। मुझे अपने पुराने दोस्तोंसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मै यह कहता रहा हूं कि जहां-तक सांप्रदायिक झगड़ोंके बारेमें मेरी रायका संबंध है, आज उसे कोई नहीं मानता। लेकिन यह कह सकनेमें मुझे खुशी होती है कि खुराकके सवालपर मेरी रायके बारेमें ऐसी बात नहीं है। जब बंगालके गवर्नर मि० कैसीसे मेरी कई मुलाकाते हुई थी, तभीसे मेरी यह राय रही है कि हिंदुस्तानमें अनाज या कपड़ेपर कंट्रोल रखनेकी बिलकुल जरूरत नही है। उस समय यह मालूम नहीं था कि मुझे लोगोंका समर्थन प्राप्त है या नहीं। लेकिन हालकी चर्चाओंमें यह जानकर अचरज हुआ कि मुझे जनताके जाने और अनजाने मेंबरोंका बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। अनाजकी समस्याके बारेमें मेरे पास जो बेशुमार खत आते हैं, उनमें मुझे एक भी खत ऐसा याद नहीं आता जिसके लेखकने मेरी रायसे अलग राय जाहिर की हो। मैं श्री घनश्यामदास बिड़ला और लाला श्रीराम-जैसे बड़े-बड़े लोगोंकी राय नहीं जानता, न मैं यही

जानता हूं कि इस बारेमें मुझे समाजवादी पार्टीका समर्थन मिलेगा या नहीं। हां, जब डा० राममनोहर लोहिया मुझसे मिले, तो उन्होंने अनाजका कट्रोल हटा देनेकी मेरी रायका पूरा-पूरा समर्थन किया। मुझे यह कहनेमे कोई हिचकिचाहट नही होती कि आज देशको अनाजकी जिस तंगीका सामना करना पड रहा है, उसमे डा० राजेंद्रप्रसादकी रहनुमाई[1] उनकी कमेटीके एक या ज्यादा मेंबर करें न कि उनका पूरा स्टाफ।

अब मैं कपडेके कंट्रोलकी चर्चा करूंगा। हाला कि अनाजके कंट्रोलको हटानेके बनिस्बत कपडेके कट्रोलको हटानेके बारेमे मेरा ज्यादा पक्का विश्वास है, फिर भी मुझे डर है कि कपडेके कट्रोलके बारेमे मुझे उतना समर्थन प्राप्त नही है जितना कि अनाजके कट्रोलके बारेमें है। काग्रेसने मेरी इस रायका खुशीसे समर्थन किया था कि खादी देशी या विदेशी मिलके कपडेकी पूरी जगह ले सकती है। उसने स्व० जमनालालजीके मातहत एक खादी-बोर्ड कायम किया था, जिसे मेरे यरवदा जेलसे रिहा होनेके बाद अखिल भारत-चरखा-सघका विशाल रूप दे दिया गया था। हिदुस्तानमे ४० करोड़ लोग रहते हैं। अगर पाकिस्तानका हिस्सा उससे अलग कर दिया जाय, तो भी उसमे ३० करोड़से ऊपर लोग बचेंगे। उनकी ज़रूरतकी सारी कपास देशमें पैदा होती है। उनकी कपासको बुनने लायक सूतमें बदलनेके लिए देशमें काफी कातनेवाले मौजूद हैं। और उनके हाथकते सूतको बुननेके लिए हिंदुस्तानमें जरूरतसे ज्यादा जुलाहे भी है। बहुत बड़ी पूजी लगाए बिना भी हम देशमे अपनी ज़रूरतके चरखे, करघे और दूसरा ज़रूरी सामान आसानीसे बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरत सिर्फ इस बातकी है कि हम अपने-आपमें पक्का विश्वास रखें और खादीके सिवा दूसरा कोई कपड़ा न इस्तेमाल करनेका इरादा कर ले। आप जानते हैं कि देशमे महीन-से-महीन खादी तैयार की जा सकती है और मिलोंसे भी ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। अब चूंकि

[1] पथ-प्रदर्शन।

हिंदुस्तान विदेशी जुएसे आज़ाद हो गया है, इसलिए खादीका ऐसा विरोध नही हो सकता, जैसा कि विदेशी शासकोंके नुमाइंदे किया करते थे। इसलिए मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि जब हम अपनी मरजीका काम करनेके लिए पूरी तरह आज़ाद है, तब न तो कोई खादीके बारेमे चर्चा करते है, न खादीकी संभावनाओंमे श्रद्धा रखते हैं। और, हम हिंदुस्तानको कपड़ा पुरानेके लिए मिलके कपड़ेके सिवा दूसरी बात ही नही सोच सकते। इसलिए मुझे रत्तीभर शक नही कि खादीका अर्थ-शास्त्र ही हिंदुस्तानका सच्चा और फायदेमंद अर्थशास्त्र हो सकता है।

: १४१ :

७ नवबर १९४७

(गांधीजी दिल्लीके पास तिहाड़ नामक गांवके मुसलमानोसे मिलने गए थे। वहां उन्हे उम्मीदसे ज्यादा समयतक रुकना पड़ा। इसलिए वे लौटनेपर सीधे प्रार्थना-सभामे चले गए। प्रार्थनाके बाद गाधीजीने अपने दौरेका जिक्र करते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

मुझे दुःख होता है कि तिहाड और उसके आसपासके मुसलमानोंको बिला जरूरत मुसीबतें झेलनी पडती है। उनमेसे बहुतसे जमीनोंके मालिक हैं, लेकिन सताए जानेके डरसे वे अपनी जमीने जोत नही पाते। उन्होंने अपने मवेशी, हल और दूसरा सामान बेच डाला है। फौज उनकी रक्षा कर रही है। दो हजारसे ऊपरकी तादादमें जो दुःखी लोग मेरे आसपास इकट्ठे हुए थे, उन्होने अपने अगुआकी मारफत मुझसे कहा कि 'हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, क्योकि यहा जीना असंभव हो गया है। हमारे बहुतसे दोस्त और रिश्तेदार पाकिस्तान जा भी चुके हैं। इसलिए, अगर सरकार हमे जल्दी-से-जल्दी लाहौर भेज दे, तो बड़ी दया होगी। हमें फौजके लोगोंके खिलाफ कोई शिकायत नही है।'

लेकिन आजका समय में तिहाड़की सभाका पूरा बयान करनेमें नहीं दूंगा। मैंने उन लोगोंसे कहा कि मेरे हाथमें कोई सत्ता नहीं है, लेकिन मैं आपका संदेशा खुशीसे प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री तक, जो गृहमंत्री भी हैं, पहुंचा दूंगा।

मुझसे कहा गया है कि निराश्रित लोग दिल्लीमें एक समस्या बन गए हैं। मुझे बताया गया है कि चूंकि पाकिस्तानमें निराश्रितोंके साथ जुल्म किये गए हैं इसलिए वे यह मानते हैं कि उन्हें कुछ खास हक हासिल हैं। जब वे दुकानपर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो यह आशा करते हैं कि दुकानदार कभी उन्हें जरूरतकी चीजें मुफ्त दे दिया करें और कभी काफी कम दामोंमें बेचा करे। कभी-कभी तो एक-एक आदमी सैकड़ों रुपएका सौदा खरीद लेता है। कुछ निराश्रित तांगेवालोंसे यह उम्मीद करते हैं कि वे उनसे बिलकुल भाड़ा न लें या मामूलीसे कम भाड़ा ले। अगर यह रिपोर्ट सच है, तो यह कहना मेरा फर्ज है कि निराश्रित लोग वह सबक नहीं सीख रहे हैं, जो मुसीबतें दुखियोंको आम तौरपर सिखाती हैं। ऐसा करके वे अपने-आपको और देशको नुकसान पहुंचाते हैं और काफी पेचीदा बने हुए सवालको और भी पेचीदा बना रहे हैं। अगर उनका ऐसा बरताव जारी रहा, तो वे दिल्लीके दुकानदारोंकी हमदर्दी जरूर खो देंगे।

साथ ही, मैं यह नहीं समझ पाता कि निराश्रित लोग, जिनके बारेमें यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तानमें अपना सब कुछ खोकर यहां आए हैं, सैकडों रुपयोंका सामान कैसे खरीद सकते हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि कोई निराश्रित बिरले और जरूरी मौकोंको छोड़कर घूमनेके लिए भगवानके दिये हुए पांवोंके सिवा दूसरी किसी चीजका-उपयोग न करें। इसके अलावा मुझे यह बताया गया है कि दिल्लीमें जबसे लाखों निराश्रित आए हैं, तबसे तेज शराबोंसे होनेवाली आमदनी बहुत ज्यादा बढ गई है। दरअसल उन्हें यह समझना चाहिए कि जब केंद्र और सूबोंकी सरकारें कांग्रेसकी मांगोंको पूरा करेंगी, तो हिंदुस्तानी संघमें न तो तेज शराबें मिलेंगी और न अफीम-गांजे-जैसी दूसरी नशीली चीजें देखनेको मिलेंगी। यही हाल पाकिस्तानका भी हो सकता

है। क्योंकि हमारे मुसलमान दोस्तोंको पूरी शराब-बंदीका ऐलान करनेके लिए कांग्रेसके ठहरावकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या निराश्रित लोग, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें सही हैं, शराब और दूसरी नशीली चीजोंके इस्तेमालमें या ऐश-आराममें डूबनेसे अपने-आपको रोक नहीं सकते? मुझे आशा है कि निराश्रित भाई और बहन मेरी उस सलाहको मानेंगे, जो मैंने अपने पिछले भाषणोंमें उन्हें दी है। वह सलाह यह है कि निराश्रित जहां कहीं जायं, वहांके लोगोंमें दूधमें शक्करकी तरह घुल-मिल जायं और उनपर बोझ न बननेका पक्का निश्चय कर लें। धनी और गरीब निराश्रित एक ही अहाते या कैंपमें साथ-साथ रहें और पूरे सहयोगसे काम करें, ताकि वे आदर्श और स्वावलबी नागरिक बन सकें।

: १४२ :

८ नवंबर १९४७

(आज हमेशाके विरोध करनेवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीन भाइयोंने कुरानकी आयत पढ़नेका विरोध किया। इसलिए प्रार्थना शुरू करनेसे पहले गांधीजीने सभाके लोगोंसे पूछा—)

भाइयो और बहनो,

क्या आप लोग इस पहली शर्तको पूरा करेंगे कि आप अपने मनमें विरोध करनेवालोंके खिलाफ कोई गुस्सा या वैर नहीं रखेंगे और प्रार्थना खत्म होनेतक शांति और खामोशीके साथ एकाग्र मनसे बैठेंगे?

(लोगोंने तुरत एक आवाजसे कहा कि हम उस शर्तको पूरा करेंगे। विरोध करनेवाले पूरी प्रार्थनामें चुप रहे। प्रार्थना बिना किसी रुकावटके हुई। इसपर गांधीजीने अंतमें सबको बधाई दी। गांधीजीने बादमें कहा—)

मुझे एक सिख दोस्तका खत मिला है। उन्होंने लिखा है कि वे हमेशा प्रार्थना-सभामें आते हैं और उसे पसंद करते

हैं। वे प्रार्थनाके पीछे रही रवादारीकी[१] भावनाकी तारीफ़ करते हैं। खास तौरपर उन्होंने मेरी ग्रंथ साहब, सुखमणि, जपजी वगैराके बारेमें कही गई बातोंकी तारीफ की है। उन्होने लिखा है कि 'अगर आप भजनावलीमें इकट्ठे किये गये सिख-धर्मग्रथके हिस्सोंमेंसे कुछ चुन ले और अपनी प्रार्थना-सभामे रोज पढे, तो इसका सिखोंपर बडा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि मै यह बात सारी सिख-जातिकी तरफ़से कह सकता हूं। वे चुने हुए हिस्सें मै आपके सामने पढकर सुना सकता हूं।' मुझे खत लिखनेवाले भाईकी वह बात मजूर है। लेकिन इस बात पर मै कोई फैसला तभी करूंगा, जब मै खुद उन भाईके मुहसे कुछ भजन सुन लू। इसके लिए उन्हे श्री ब्रजकिशनजीसे समय ले लेना चाहिए।

मैने एक बार यह बात कही थी कि निराश्रितोको रूई, केलिको (छपा हुआ कपड़ा) और सुइया मिलनी चाहिए, ताकि वे खुद अपने इस्तेमालके लिए रजाइया बना सके। इससे लाखो रुपए बच सकते है और निराश्रितोंको आसानीसे ओढनेके कपडे मिल सकते है। मेरी इस अपीलके जवाबमे बबईके रूईके व्यापारियोने लिखा है कि वे ये चीज़े देनेके लिए तैयार है। इस तरीकेसे निराश्रित खुद अपनी नजरमे ऊचे उठेगे और वे सुदर सहकारका पहला सबक सीखेगे। लेकिन दिल्ली-मे ही कपडेकी मिलोंकी कमी नही है। शहरमे कई मिलें चलती है, फिर भी मै बंबईकी भेटका स्वागत करता हू, क्योंकि मै मरजीसे दान देनेवालोंपर गैर-ज़रूरी बोझ नही डालना चाहता। दान देनेवाले जितने ज्यादा होगे, उतना ही निराश्रितों और देशको फायदा होगा। इसलिए मुझे आशा है कि बबई के रूईके व्यापारी जितनी भी गांठे भेज सकेंगे जल्दी-से-जल्दी भेजेगे। धनी लोगोंका ऐसा सहयोग सरकारके बोझको कम करेगा। जब हम आज़ाद हो गए है तब तो हर शख्स अपनी इच्छासे देशकी सरकारके काममे भागीदार बन सकता है, बशर्ते वह आजाद देशके नागरिककी पूरी-पूरी जिम्मेदारियोंको समझकर अपना फ़र्ज अदा करे।

---

[१] शुभचिंतना।

मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब रूईकी गांठें आ जायंगी, तो मै मिल-मालिकोंको रजाइयोंके लिए काफी छीट देनेके लिए राजी कर सकूंगा। रूईकी गांठोंकी बातपरसे कपड़ेका कंट्रोल याद आ गया। मेरी रायमें हिंदुस्तानके सारे लोगोंके लिए हाथसे काफ़ी खादी तैयार करना सभव है और आसान भी है। इसकी एक शर्त यही है कि देशमें काफी रूई मिल जाय। मैं नही जानता कि हिंदुस्तानमें कभी रूईका अकाल पडा हो। हमारे यहां रूईकी तंगी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम देशकी जरूरत से हमेशा ज्यादा रूई पैदा करते है। देशके बाहर हजारों-लाखों गांठें भेजी जाती हैं, फिर भी हिंदुस्तानकी मिलोंके लिए कभी रूईकी कमी नही होती। मैं पहले ही इस सचाईकी तरफ आप लोगोंका ध्यान खींच चुका हूं कि हिंदुस्तानमे हाथसे धुनने, कातने और बुननेके सारे जरूरी औजार मिल सकते है। साथ ही, काम करनेवाले भी बड़ी भारी तादादमें मौजूद है। इसलिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि लोगोके आलसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नही है जो उन्हें यह सोचनेपर मजबूर करती हो कि देशमें कपड़ेकी तगी है। आज देशमें कोई भी कपड़ेका कट्रोल नही चाहता। न मिलें, न मिल-मजदूर और न खरीदार जनता। कट्रोल आलसी लोगोंकी फौजको बढाकर देशको बरबाद कर रहे है। ऐसे लोग कोई काम न होनेसे हमेशा दगे-फसादकी जड़ बने रहते है।

अगर निराश्रितोंने अपने-आपको फायदेमद कामोंमे लगानेका इरादा कर लिया है, तो पहले वे अपने लिए रजाइयां तैयार करेंगे, और बादमें सब औरत और मर्द अपना एक-एक पल कपाससे बिनौले निकालने, रूई धुनने, कातने-बुनने वगैरामें खर्च करेंगे। लाखों निराश्रितों-द्वारा इस सहकारी काममे लगाई गई ताकत सारे देशमें बिजली-सी पैदा कर देगी। वे लोगोंको अपने पीछे चलनेकी और हर फालतू वक्तको ज़्यादा अनाज पैदा करने और अपने ही घरोंमें खादी बनानेमें खर्च करनेकी प्रेरणा देगे। यह याद रहे कि अगर गांठें बनानेके बजाय कपास सीधे खेतोंसे ही पड़ोसके कातनेवालोंके घर पहुंचे, तो एक काम कम हो जायगा, रूई बिगड़ेगी नहीं, धुननेका काम आसान होगा

ग्रौर गांवोंमें बिनौले भी बच रहेंगे।

लेडी माउंटबैटेन मुझसे मिलने आई थी। वह दयाकी देवी बन गई हैं। वह हमेशा दोनों उपनिवेशोंका दौरा किया करती हैं, अलग-अलग छावनियोंमें निराश्रितोंसे मिलती हैं, बीमारों और दुःखियोंको देखती हैं और इस तरह जितना भी ढाढ़स उन्हे बंधा सकती हैं बधानेकी कोशिश करती हैं। जब वह कुरुक्षेत्र-छावनी देखने गईं, तो उनसे लोगोंने पूछा कि गांधीजी कब आएगे। लेडी माउंटबैटेनके सामने इतने लोगोने मुझे देखनेकी इच्छा जाहिर की कि उन्हे पूरी उम्मीद हो गई कि मै कुरुक्षेत्र-छावनीका मुआइना करने जरूर जाऊंगा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपका ऐसी उम्मीद रखना बिलकुल ठीक है। सच पूछा जाय तो मैंने पानीपत जानेका बंदोबस्त कर लिया है, जहाके हिंदू और मुसलमान दोनों मुझसे मिलनेके लिए बड़े उत्सुक है। उसी दौरेमे मैंने कुरुक्षेत्रके दौरेको भी शामिल करनेकी बात सोची थी। लेकिन मुझे पता चला है कि पानीपतके दौरेमें कुरुक्षेत्र-छावनीको शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए ए० आई० सी० सी० (अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी) की अगली मीटिंगके खत्म होनेतक कुरुक्षेत्रका दौरा मुलतबी रखना जरूरी हो गया है। फिर भी मुझे यह सुझाया गया है कि कुरुक्षेत्र-जैसे बड़े भारी कैंपमे लाउड स्पीकरका बंदोबस्त करना कठिन काम है, लेकिन कैंपके लोगोंसे रेडियोपर बोलनेमें कोई कठिनाई नही होगी, बशर्ते जरूरी संबध जोड़नेवाली मशीन कैंपमे लगा दी जाय। ऐसा बदोबस्त हो जानेपर मैं मगल या बुधको कुरुक्षेत्र-छावनीके लोगोंको अपनी बात सुना सकूंगा और बादमें उनसे मिलने भी जा सकूंगा। इसी बीच उम्मीद है कि मै अपना पानीपतका दौरा खत्म कर लूंगा।

: १४३ :

मौनवार, ६ नवंबर १६४७

(लिखित संदेश)

"मुझे खेद है कि चूंकि मुझे कल पानीपत जाना है, इसलिए मुझे आज मौन जल्दी लेना पड़ा, ताकि मैं वहां पहुंचकर हिंदू और मुसलमानोंसे बात कर सकूं। मेरी आशा है कि मै कल शामकी प्रार्थनाके समयतक वापस लौट आऊंगा और आकर बोल सकूंगा। अखबारोंमें यह समाचार गलत छपा है कि मै कल कुरुक्षेत्र जा रहा हूं। मैंने यह साफ-साफ बताया था कि मेरा इरादा कुरुक्षेत्र जानेका है लेकिन ए० आई० सी० सी० की मीटिंगके समाप्त होनेसे पहले नहीं। मेरी उम्मीद है कि मैं वहांके शरणार्थियोंसे बुधके दिन रेडियोपर बोलूंगा। समयकी सूचना दे दी जायगी।

कुछ दिनों पीछे दीवाली आ रही है। एक बहन, जो स्वयं शरणार्थिन हैं, लिखती है —

"सविनय निवेदन है कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाय या नहीं? मैं इस विषयमें आपके समुख टूटे-फूटे शब्दोंमें अपना विचार प्रकट करना चाहती हूं। मैं भी पाकिस्तान[१]से आई हुई हूं। और हमारा भी सब कुछ वहांपर नष्ट हो चुका है, परंतु फिर भी हमारे हृदयोंमें इस बातका महान् हर्ष है कि हम स्वतंत्र हैं और यह दीपावली स्वतंत्र हिंदुस्तानकी पहली दीपावली है। अतः इस वर्ष हमें सब कष्टोंको भूलकर उत्साह और समारोहके साथ अपनी स्वाधीन मातृभूमिको दीपमालासे अवश्य ही अलंकृत करना चाहिए। आपके हम शरणार्थियोंके प्रति जो उदार भाव हैं कि हम दुःखित हैं, इसलिए स्वतंत्र भारतकी सब खुशियां हमारे लिए पीछे रख दी जाएं इसके लिए हम हृदयसे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब आप भी सब शरणार्थियोंको और यहांके निवासियोंको आज्ञा दें कि समस्त इंडियामें

---

[१] गुजरांवाला।

दीपमाला अवश्य मनाई जाय और जो लोग समर्थ हैं, वे शरणार्थियोंकी सहायता करें। ईश्वर हमें शक्ति दे कि स्वाधीनताका प्रत्येक त्यौहार हम उत्साहके साथ मनाकर अपनी स्वतंत्र माताकी शोभा बढ़ाएं।"

यद्यपि मै इस बहन और उन-जैसे दूसरोंकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं यह कहे बिना नही रह सकता कि वह बहन और दूसरे जो उनके-जैसा विचार रखते है, गलतीपर है। इस बातको हर एक जानता है कि जब किसी घरमे मातम[1] हो जाता है तो जहांतक होता है वे लोग किसी मेले-तमाशेमें शरीक नहीं होते। यह इस बातका एक छोटा-सा नमूना है कि हम सब एक हैं। कूप-मडूक बनना छोड़ो तो हिंदुस्तान एक कुटुब बन जाता है; अगर सब बधन गायब हो जाते हैं तो सारा ससार एक कुटुब बन जाता है, जो वास्तवमे है। इन बधनोंको पार न करनेका मतलब यह है कि हम उन सद्भावनाओंकी ओरसे, जो मनुष्यको मनुष्य बनाती है, कठोर बन जाते है। हमे अपना ही विचार नही करते रहना चाहिए, नहीं हमें भावुक बनकर असलियतको भुलाना चाहिए। मै जो खुशी न मनानेकी राय देता हू, उसका मूल कई पक्के विचारोपर निर्भर है। यहां शरणार्थियोंकी समस्या हमारे सामने है जिसका प्रभाव लाखों हिंदू, मुसलमान और सिखोपर पड रहा है। इसके अलावा खुराक और कपड़ेकी कमी, अगरचे यह मनुष्यकी बनाई हुई है, मूल कारण है। उन लोगोंकी बेईमानी जो जनताकी रायको निर्माण कर सकते है, पीड़ितोंकी जिद कि अपने कष्टोंसे पाठ नही सीखते और इन्सानकी इन्सानके साथ बेरहमी—मैं इस मुसीबतमें खुशी मनानेका कोई कारण नही देखता। यदि हम दृढता और अक्लमदीके साथ इस बातका निश्चय कर लें कि हम खुशी नही मनाएगे तो इससे हमे प्रेरणा मिलेगी कि हम अतर्मुख और पवित्र बने। हमे कोई ऐसा काम नही करना चाहिए जिससे हम उस आशीर्वादको फेक दें, जिसे

---

[1] शोक।

हमने इतनी मेहनत और मुसीबतके बाद प्राप्त किया है।

अब मैं अपने उन चंद मित्रोंका जिक्र करना चाहता हूं जो फ्रेंच भारतसे इस सप्ताह मुझसे मिलने आए थे। उनकी यह शिकायत थी कि मैंने चंद्रनगरके सत्याग्रहके संबधमें जो कुछ कहा था उसका फ्रेंच भारतकी इन भावनाओंको कि वह हिंद यूनियनके नीचे रहते हुए और फ्रेंच संस्कृतिका प्रभाव रखते हुए अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, दबानेके लिए गलत इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने मुझे यह भी बताया कि अंग्रेजी राज्यकी तरह फ्रेंच भारतमें भी पंचम स्तभवाले मौजूद हैं, जो अपने स्वार्थ-साधनके लिए फ्रेंच हकूमतका साथ दे रहे हैं और वहाकी हकूमत लोगोंकी कुदरती भावनाओंको दबानेका प्रयत्न कर रही है। यदि फ्रेंच भारतसे आए हुए मित्रोंका कहना सही है तो मुझे बडा दुःख है। ताहम,[1] मेरी राय साफ है। छोटे-छोटे विदेशी उपनिवेशोंके रहनेवालोंके लिए यह नामुमकिन है कि उनके करोड़ों देशवासी ब्रिटिश हकूमतसे आजाद हो जाए और वह गुलाम बने रहें। मुझे आश्चर्य है कि चंद्रनगरकी ओर मेरा जो मित्र-भाव है उसका यह गलत अर्थ किया जाय कि मैं यह कभी बरदाश्त कर सकता हू कि भारतके इन छोटेसे विदेशी उपनिवेशोंका नीचा दर्जा रहे। इसलिए मेरी यह उम्मीद है कि जो खबर मुझे दी गई है उसकी वास्तवमे कोई बुनियाद नही है। और महान् फ्रांसीसी जाति इस बातकी कभी हिमायत न करेगी कि लोगोंको चाहे वह काले हों या भूरे, हिंदमे हों या और कही, दबाकर रखा जाय।

---

[1] तथापि।

: १४४ :

१० नवंबर १९४७

(आज शामकी प्रार्थनामें गाये गए भजन का जिक्र करते हुए गांधीजीने कहा—)

भाइयो और बहनो,

अगर मीराबाईकी तरह हम सिर्फ भगवानके ही सेवक बन जाय, तो हमारी सारी तकलीफोंका खात्मा हो जाय। इसके बाद जो कुछ मै कहनेवाला हूं उसे सुननेपर आप इस संकेतको समझेंगे। आपने अखबारोंमें जूनागढके बारेमें सारी बातें पढ़ी होगी। राजकोटसे मेरे पास आए हुए दो तारोंसे मुझे संतोष हो गया कि अखबारोंमें छपी हुई खबर बिलकुल ठीक है। जूनागढ़के प्रधान मंत्री भूटो साहब और वहांके नवाब साहब कराचीमें है। उप-प्रधान मंत्री मेजर हारवे जोन्स जूनागढ़में है। जूनागढके हिंदुस्तानी संघमें शामिल होनेके काममें इन सबका हाथ है। इसपरसे आप लोगोंको यह नतीजा निकालनेका अधिकार है कि इस काममें कायदे आजम जिनाकी भी सम्मति है। अगर यह ठीक है तो आप इस नतीजेपर पहुच सकते है कि काश्मीर और हैदराबादकी मुश्किलें भी खत्म हो जायगी। और अगर मैं आगे बढ़ू, तो कहूगा कि अब सारी बाते शांतिकी तरफ झुकेंगी; दोनों उपनिवेश दोस्त बन जायगे और सारे काम मिल-जुलकर करेंगे। मैं क़ायदे आज़मके बारेमें गवर्नर जनरलकी हैसियतसे नही सोच रहा हू। गवर्नर जनरलके नाते कायदे आजमको पाकिस्तानके कामोंमें दखल देनेका कोई क़ानूनी हक़ नही है। इस नाते उनकी वही स्थिति है, जो लॉर्ड माउंटबेटनकी है, जो सिर्फ एक वैधानिक गवर्नर जनरल है। लॉर्ड माउंटबेटन उस व्यक्तिकी शादीमें शामिल होनेके लिए गए हैं, जो उनके लिए अपने लड़केसे बढकर है और जिसकी इंग्लैंडकी भावी महारानीसे शादी हो रही है। वे अपनी कैबिनेटकी इजाज़त लेकर ही वहां जा सके है, और २४ नवबर १९४७ तक यहां वापस आ जाएंगे। इसलिए जिना साहबके बारेमें मेरा खयाल है कि वे

मौजूदा मुस्लिम लीगके बनानेवाले हैं और उनकी जानकारी और इजाजतके बगैर पाकिस्तानके बारेमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर जूनागढ़के हिंदुस्तानी संघमें शामिल होनेके पीछे जिना साहबका हाथ है, तो यह एक अच्छा शकुन है।

आप लोगोंको मैं पानीपतके अपने मुआइनेके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। इस मुआइनेमें मौलाना अबुल कलाम आजाद मेरे साथ थे। राजकुमारी भी मेरे साथ जानेवाली थी, मगर वह गवर्नमेंट हाउसमें थीं और मैं अपनी घड़ीके मुताबिक साढ़े दस बजेके बाद नहीं ठहर सकता था। मुझे खुशी है कि मैं पानीपत गया था। वहां मैंने अस्पतालमें मुसलमान मरीजोंको देखा। उनमेंसे कुछको बहुत गहरे घाव लगे हैं, मगर उनपर जहांतक मुमकिन है, पूरा ध्यान दिया जाता है; क्योंकि राजकुमारीने चार डॉक्टर, नर्सें और तबीबी[1] सहायक वहां भेजे हैं। इसके बाद हम मुसलमानों, मुकामी हिंदुओं और निराश्रितोंके नुमाइंदोंसे मिले। वहां निराश्रितोंकी तादाद २० हजारसे ऊपर बताई जाती है। हमसे कहा गया कि वे रोजाना ज्यादा-ज्यादा तादादमें आते जा रहे हैं, जिससे वहांके डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिंटेंडेंटको भय मालूम होता है। मुझे यह बतलानेमें खुशी होती है कि इन अफसरोंकी हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत तारीफ करते हैं, और निराश्रितोंका तो कुछ कहना ही नहीं। वे तो उनसे संतुष्ट हैं ही।

म्युनिसिपल भवनके पास जमा हुए निराश्रितोंसे भी हम लोग मिल सके। पाकिस्तानमें और पानीपतके अव्यवस्थित जीवनमें निराश्रितोंको भयानक मुसीबतें उठानी पड़ीं और उठानी पड़ रही हैं—उनमेंसे कुछको रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्मपर रहना पड़ता है और बहुतोंको आसमानके नीचे बिलकुल खुलेमें रहना पड़ रहा है,—फिर भी उनके मनमें और चेहरोंपर जरा भी गुस्सा न देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे वहां जानेसे वे लोग बड़े प्रसन्न हुए। पानीपतके डिप्टी कमिश्नर या दूसरे लोगोंको पहलेसे सूचना किये बिना इतने

[1] चिकित्सक।

निराश्रितोंको पानीपतमें इकट्ठे कर देना मुझे अधिकारियोंकी बेरहमी मालूम हुई। पानीपतके अफसरोंको निराश्रितोंकी सच्ची तादाद तब मालूम हुई जब ट्रेनें स्टेशनके प्लेटफार्मपर आकर रुकीं। यह सबसे बड़ी बदकिस्मतीकी बात है। पानीपतके निराश्रितोंमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी हैं। मुझे यह बताया गया कि निराश्रितोमें ऐसी औरतें भी हैं, जिन्हें स्टेशनके प्लेटफार्मोंपर बच्चे पैदा हुए हैं।

यह सब पूरबी पंजाबमें हो रहा है, जिसके प्रधान मन्त्री डॉ० गोपीचंद हैं। डॉ० गोपीचंद मेरे साथी कार्यकर्ता हैं। मैं उन्हें बहुत मानता हूं। मैं बरसोंसे उन्हें एक योग्य संयोजकके नाते जानता हू, जिनका पंजाबियोंपर बडा प्रभाव है। उन्होंने हरिजन-सेवक-संघ, अखिल भारत-चरखा-संघ और अखिल भारत-ग्रामोद्योग-संघके लिए काफी काम किया है। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरबी पंजाबका काम उनकी ताकतके बाहर है। लेकिन अगर पानीपत उनकी कार्य-कुशलताका नमूना हो, तो यह उनकी सरकारके लिए बड़ी बदनामीकी बात है। पहलेसे बिना सूचना दिये इतने निराश्रित पानीपतमें क्यों उतारे गए? उन्हें ठहरानेके लिए वहा नाकाफी बंदोबस्त क्यों है? अफसरोंको पहलेसे ही यह सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिए कि कौन और कितने निराश्रित पानीपत भेजे जा रहे हैं? उसके साथ ही कल मुझे यह भी सूचना मिली है कि गुडगाव जिलेमें तीन लाख ऐसे मुसलमान हैं, जिन्होंने डरकर अपना घर-बार छोड दिया है। ग्राम सड़कके दोनों तरफ खुलेमें इस आशासे पड़े हैं कि उन्हें अपने औरत-बच्चों और मवेशियोंके साथ पंजाबकी कड़ी सर्दीमें ३०० मीलका रास्ता तय करना है। मैं इस बातमें विश्वास नहीं करता। मेरा खयाल है कि मुझे दोस्तोंने जो बात सुनाई है उसमें कुछ गलती है। अभी भी मैं आशा करता हूं कि यह बात गलत है या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है। लेकिन पानीपतमें मैंने जो कुछ देखा, उससे मेरा यह अविश्वास डिग गया है। फिर भी मुझे आशा है कि डॉ० गोपीचंद और उनकी कैबिनेट समय रहते चेत जायगे और तबतक चैन नहीं लेंगे, जबतक सारे निराश्रितोंकी अच्छी देखभालका पूरा इंतजाम

नहीं हो जाता। यह बंदोबस्त दूरदेशी[1] और हद दरजेकी सावधानीसे ही किया जा सकता है।

: १४५ :

११ नवबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल मैंने आपको यह खबर सुनाई थी कि जूनागढ़के प्रधान मत्री और उप-प्रधान मत्रीकी विनतीपर वहांकी आरज़ी सरकारने जूनागढ़ रियासतमें प्रवेश किया है। यह खबर सुनाते हुए मुझे अचंरज भी हुआ और खुशी भी हुई, क्योकि जूनागढ़के लोगोकी और उनके तरफ़से लड़ी जानेवाली लड़ाईके इतने सुख दिखाई देनेवाले अंतकी मैंने आशा नही की थी। मैंने यह डर भी जाहिर किया था कि अगर जूनागढके अधिकारियोंकी विनतीके पीछे क़ायदे आज़म जिनाकी मंज़ूरी न हुई, तो अभीसे खुशी मनाना ठीक न होगा। इसलिए आपको यह जानकर दुःख और अचरज हुए बिना न रहेगा कि पाकिस्तानके अधिकारियोने जूनागढकी जनताकी तरफसे आरज़ी सरकारके जूनागढपर अधिकार करनेका विरोध किया है और यह मांग की है कि "हिंदुस्तानी फौजे रियासतकी सीमासे हटा ली जायं, जूनागढ़का राजकाज वहांकी अधिकारी सरकारको सौंप दिया जाय और हिंदुस्तानी संघकी जनताद्वारा रियासतपर किये गए हमले और हिंसाको रोका जाय।" उनका यह भी कहना है कि जूनागढ़के नवाब या वहांके दीवानको हिंदुस्तानी संघके साथ किसी तरहका अस्थायी या स्थायी समझौता करनेका कानूनी हक़ नही है। पाकिस्तानकी नजरमें हिंद-सरकारने यह कार्रवाई करके "पाकिस्तानकी सीमाको साफ-साफ लांघा है और इस तरह अंतरराष्ट्रीय कानून का भंग किया है।"

---

[1] दूरदर्शिता।

कल अखबारोंमें जो बयान निकले है, उनको देखते हुए इस मामलेमें न तो मुझे अंतरराष्ट्रीय कानूनका भंग मालूम होता और न यूनियन सरकारकी रियासतपर कब्जा करनेकी कारंवाई दिखाई देती है। जहातक मै समझ सकता हूं, जूनागढ़की जनताकी तरफसे वहांकी आरजी हकूमतने जो आदोलन किया, उसमें मुझे कोई ग़ैर-कानूनी चीज नही दिखाई देती। यह जरूर है कि काठियावाड़के राजाओंकी विनतीपर सारे काठियावाड़की सलामतीके लिए यूनियन सरकारने अपनी फौजकी मदद भेजी। इसलिए मुझे इस सारी कारंवाईमें कोई ग़ैर-कानूनीपन नहीं दिखाई देता। इसके खिलाफ जूनागढ़के दीवानने जाहिरा तौरपर अपनी राय बदलकर जो कुछ किया वह ग़ैर-कानूनी था। इस सारे मामलेको में इस नजरसे देखता हूं—जूनागढ़के नवाब साहबको अपनी प्रजाकी मंजूरीके बिना, जिसमे मुझे बताया गया है कि ८५ फ़ीसदी हिंदू हैं, पाकिस्तानमें शामिल होनेका कोई हक नहीं था। गिरनारका पवित्र पहाड और उसके सारे मंदिर जूनागढका एक हिस्सा हैं। उसपर हिंदुओंने बहुत पैसा खर्च किया है और सारे हिंदुस्तानसे हजारों यात्री गिरनारकी यात्राके लिए वहां जाते हैं। आज़ाद हिंदुस्तानमें सारे देशपर जनताका अधिकार है। उसका जरा-सा भी हिस्सा खानगी तौरपर राजाओंका नही है। जनताके ट्रस्टी बनकर ही वे अपना दावा कायम रख सकते है, और इसलिए उन्हें अपने हर एक कामके लिए जनताके समर्थनका सबूत पेश करना होगा। यह सच है कि अभी राजा-नवाबोंने यह महसूस नहीं किया है कि वे प्रजाके ट्रस्टी और प्रतिनिधि हैं और यह भी सच है कि कुछ रियासतोंकी जाग्रत प्रजाको छोड़कर बाकी रियासती प्रजाने, कुल मिलाकर, अभीतक यह महसूस नही किया है कि अपने राजकी सच्ची मालिक वही है। लेकिन इससे मेरेद्वारा बताए गए उसूलकी[१] कीमत कम नहीं होती।

इसलिए अगर दो उपनिवेशोंमेंसे किसी एकमें शामिल होनेका

[१] सिद्धान्त।

किसीको कानूनी हक़ है, तो वह किसी खास रियासतकी प्रजाको ही है और अगर आरज़ी[1] सरकार किसी भी स्टेजपर जूनागढ़की रैयतकी नुमाइंदगी[2] नहीं करती, तो वह अन्यायसे रियासतपर कब्जा करनेवालों-की टोलीमात्र है और उसे दोनों उपनिवेशोंद्वारा निकाल दिया जाना चाहिए। अगर कोई राजा अपनी ज़ाती[3] हैसियतसे किसी उप-निवेशमें शामिल होता है, तो वह उपनिवेश दुनियाके सामने इस चीज़को न्यायोचित साबित करनेके लिए खड़ा नहीं हो सकता। इस अर्थमें मेरा मत है कि जबतक यह साबित न हो जाय कि जूनागढकी प्रजाने नवाबके संघमें शामिल होनेके फ़ैसलेपर अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी है, तबतक नवाब साहबका संघमें शामिल होना शुरूसे ही बेबुनियाद है। जूनागढ़ आखिर किस उपनिवेशमें शामिल हो, इस मामलेमें झगड़ा खड़ा होनेपर उसे सिर्फ सारी प्रजाकी रायसे यानी रेफरेंडमके जरिए ही सुलझाया जा सकता है। यह काम ठीक तरहसे किया जाय और उसमें कहीं भी हिंसाका या हिंसाके दिखावेका उपयोग न किया जाय। पाकिस्तानकी सरकारने और अब जूनागढ़के प्रधान मंत्रीने भी जो रुख अख्तियार किया है, उससे एक अजीब हालत पैदा हो गई है। पाकिस्तान और संघ-सरकारमें से कौन सही और कौन गलत रास्तेपर है इसका फ़ैसला कौन करेगा ? तलवारके जोरसे कोई फ़ैसला करनेकी बात सोची भी नहीं जा सकती। एकमात्र सम्मानपूर्ण तरीका तो पंचोंके जरिए फ़ैसला करनेका है। देशमें बहुतसे ग़ैर-तरफ़दार व्यक्ति मिल सकते हैं, और अगर संबंधित पार्टियां हिंदुस्ता-नियोंको पंच मुकर्रर करनेकी बातपर राजी न हो सकें, तो कम-से-कम मुझे तो दुनियाके किसी भी हिस्सेके किसी ग़ैर-तरफ़दार आदमीके चुनावपर कोई एतराज़ नहीं होगा।

जो कुछ मैंने जूनागढ़के बारेमें कहा है, वह काश्मीर और हैदरा-बादपर भी उसी रूपमें लागू होता है। न तो काश्मीरके महाराजा साहब और न हैदराबादके निजामको अपनी प्रजाकी सम्मतिके

---

[1] तात्कालिक; [2] प्रतिनिधित्व; [3] निजी।

बग़ैर किसी भी उपनिवेशमें शामिल होनेका अधिकार है। जहांतक मैं जानता हूं, यह बात काश्मीरके मामलेमें साफ़ कर दी गई थी। अगर अकेले महाराजा संघमें शामिल होना चाहते, तो मैं उनके ऐसे कामकी कभी ताईद नही कर सकता था। संघ-सरकार काश्मीरको थोड़े समयके लिए संघमें शामिल करनेपर सिर्फ़ इस वजहसे राजी हुई कि महाराजा, और काश्मीर व जम्मूकी जनताकी नुमाइंदगी करनेवाले शेख अब्दुल्ला—दोनों यह बात चाहते थे। शेख अब्दुल्ला इसलिए सामने आये कि वे काश्मीर और जम्मूके सिर्फ़ मुसलमानोंके ही नही बल्कि सारी जनताके नुमाइंदे होनेका दावा करते हैं।

मैंने लोगोंको यह कानाफूसी करते सुना है कि काश्मीरको दो हिस्सोंमें बांटा जा सकता है। इनमेंसे जम्मू हिंदुओंके हिस्से आएगा और काश्मीर मुसलमानोंके हिस्से। मैं ऐसी बटी हुई वफादारी और हिंदुस्तानी रियासतोंके कई हिस्सोंमें बंटनेकी कल्पना नही कर सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सारा हिंदुस्तान समझदारीसे काम लेगा और कम-से-कम उन लाखों हिंदुस्तानियोंके लिए, जो लाचार निराश्रित बननेके लिए बाध्य हुए हैं, तुरंत ही इस गदी हालतको टाला जायगा।

: १४६ :

१२ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज दीवालीका दिन है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हमारे हिंदू सालका यह बहुत बड़ा दिन है। विक्रम-संवत्के मुताबिक नया साल कल गुरुवारसे शुरू होगा। आपको यह समझना चाहिए कि दीवालीका दिन हमेशा रोशनी करके क्यों मनाया जाता है। राम और रावणके बीचकी भारी लड़ाईमें राम भलाईकी ताकतोंके प्रतीक

थे और रावण बुराईकी ताकतोंका। रामने रावणपर विजय पाई, और इस विजयसे हिंदुस्तानमें रामराज्य कायम हुआ।

लेकिन अफसोस है कि आज हिंदुस्तानमें रामराज्य नहीं है। इसलिए हम दीवाली कैसे मना सकते हैं? वही आदमी इस विजयकी खुशी मना सकता है, जिसके दिलमें राम है। क्योंकि भगवान ही हमारी आत्मा को रोशनी दे सकता है, और ऐसी ही रोशनी सच्ची रोशनी है। आज जो भजन गाया गया, उसमें कविकी भगवान-को देखनेकी इच्छापर जोर दिया गया है। लोगोंकी भीड़ दिखावटी रोशनी देखने जाती है, लेकिन आज हमें जिस रोशनीकी जरूरत है वह तो प्रेमकी रोशनी है। हमारे दिलोंमें प्रेमकी रोशनी पैदा होनी चाहिए। तभी सब लोग बधाइयां पाने लायक बन सकते हैं। आज हजारों-लाखों लोग भयानक दुःख भोग रहे हैं। क्या आप लोगोंमेंसे हर एक अपने दिलपर हाथ रखकर यह कह सकता है कि हर दुःखी आदमी या औरत —फिर वह हिंदू, सिख या मुसलमान कोई भी हो— मेरा सगा भाई या बहन है? यही आपकी कसौटी है। राम और रावण भलाई और बुराईकी ताकतोंके बीच हमेशा चलनेवाली लड़ाईके प्रतीक हैं। सच्ची रोशनी भीतरसे पैदा होती है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू जख्मी काश्मीरको देखकर कैसे दुःखी मनसे अभी-अभी लौटे हैं। वे कल और आज तीसरे पहरकी वर्किंग कमेटीकी बैठकोंमें शामिल नहीं हो सके। वे मेरे लिए बारामूलासे कुछ फूल लाये हैं। कुदरतकी यह भेंट मुझे हमेशा सुंदर मालूम होती है। लेकिन आज लूट-पाट और खूंरेजीने[1] उस सुहावनी धरतीकी सारी सुंदरता बिगाड़ दी है। जवाहरलालजी जम्मू भी गए थे। वहांकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है।

सरदार पटेलको श्री शामलदास गांधी और ढेबरभाईकी विनती-पर जूनागढ़ जाना पड़ा, जो उनकी रहनुमाई चाहते थे। जिना साहब और भूटो साहब दोनों नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि

---

[1] रक्तपात।

हिंद-सरकारने उन्हें धोखा दिया है और वह जूनागढ़को यूनियनमें शामिल होनेके लिए दबा रही है।

सारे देशमें शांति और सद्भावना कायम करनेके लिए हर एकका यह फ़र्ज़ है कि वह अपने दिलसे नफरत और शकको निकाल दे। अगर आप अपनेमें भगवानकी हस्ती[1] महसूस नहीं करेंगे और अपने सारे छोटे-छोटे आपसी झगडोको नही भूलेंगे, तो काश्मीर या जूनागढ़की विजय बेकार साबित होगी। जबतक आप डरके मारे यहासे भागे हुए सारे मुसलमानोंको वापस हिंदुस्तान नही लाते, तबतक सच्ची दिवाली नही मनाई जा सकती। अगर पाकिस्तानने वहासे भागे हुए हिंदुओं और सिखोंके साथ ऐसा ही नही किया, तो वह भी जिंदा नहीं रह सकेगा।

(इसके बाद गांधीजीने अपने ब्राडकास्ट-भवन जानेका जिक्र किया, जहांसे उन्होने रेडियोपर कुरुक्षेत्रके निराश्रितोंको सदेश दिया था। कांग्रेस वकिंग कमेटीकी बैठकोंके बारेमे गांधीजीने कहा—)

कल मै इनके बारेमे जो मुमकिन होगा, कहूगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल, जो गुरुवारसे शुरू होनेवाला है, आप और हिंदुस्तान, सुखी रहेंगे और भगवान आपके दिलोको प्रकाशित करेगा; ताकि आप आपसमें एक दूसरेकी और हिंदुस्तानकी ही नही, बल्कि उसके जरिए सारी दुनियाकी सेवा कर सकें।

: १४७ :

१३ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल दिवाली थी और आज नए वर्षका पहला दिन है। मैने सुना है और कल रातको तो और भी ज्यादा सुना कि दिल्लीमें

[1] अस्तित्व।

दिवालीके रोज बहुत रोशनी होती है, जैसी बंबईमें होती है और शायद उससे भी ज्यादा होती है। बंबईमें तो बहुत बड़ी रोशनी होती है। लेकिन कल मैं यह सुनकर खुश हुआ कि लोग समझ गए हैं कि आज दिवालीका उत्सव मनानेका दिन है ही नहीं। मगर तो भी एक भ्रमणा[1] पैदा हो गई है कि दिवालीपर कुछ-न-कुछ बत्तियां तो जलानी ही चाहिए, इसलिए किसी-किसी जगहपर थोड़े तेलके दीपक जल रहे थे और बिजलीकी बत्तियां भी थीं; लेकिन बहुत कम। मैं घरसे बाहर तो कहीं जाता नहीं, मगर पता तो चल ही जाता है।

आजसे नया वर्ष आरंभ होता है। मैंने कल इशारा तो किया था, लेकिन अच्छा है कि मैं आज फिर दुहरा दूं। नए वर्षके दिनमें कोई शुभ-चिंतन या कोई शुभ इरादा कर लेते हैं और पीछे ईश्वरकी कृपा बनी रहे तो सारे वर्षभर उसपर चलनेकी कोशिश करते हैं। ऐसा अगर हम करें और आज जो फिजा[2] है, वह बदल जाय और हिंदू-मुसलमान सब भाई-भाई बनकर रहते हैं, तब दूसरी जो दिवाली हमारे सामने आती है, उस वक्त हमें दिये-बत्तियां जलानेका अधिकार हो जाता है। अगर हम एक-दूसरेको दुश्मन मानकर बैठ जाते हैं तो पीछे कोई काम बनता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज तो बाहरकी दिवाली मनानेका अवसर है ही नहीं। लेकिन दिलमें जो ज्योति होनी चाहिए उसको प्रकट करनेकी कोशिश हमें करनी है। हमारे दिलमें राम विराजमान हैं और वहां भी युद्ध चलता है राम और रावणके बीचमें। अगर हृदयमें, उसके बाहर नहीं, रामपर रावणकी जीत होती है तो उसका मतलब है कि हृदयमें ज्योति नहीं है, अंधेरा है। अगर रामकी रावणपर जय होती है और रावण बेकार हो जाता है या परास्त हो जाता है, तब हमारे भीतर तो ज्योति है ही, बाहर भी दिये-बत्ती जलानेका हमको हक हो जाता है। इसलिए अगर बाहरकी रोशनी भीतरकी ज्योतिका ही नमूना

---

[1] भ्रमधारण; [2] हालत।

है तब तो खैर है और अगर भीतर अंधेरा है और बाहर हम दिये-बत्ती जलाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि यह तो सब चलता है, तब हम पाखंडी और भूठे बनते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम भूठे तो कभी न बनें।

मैंने कल आपसे कहा था कि कांग्रेस-कार्य-समितिकी जो बैठके हो रही हैं, उस बारेमें कुछ तो मै आपसे कह सकूगा। कल तो समय नहीं रहा था, क्योकि १५ मिनटसे ज्यादा तो मै लेना नही चाहता। आज कार्यसमितिकी बैठकका तीसरा दिन है और अभी भी वह बैठी हुई है। एक बात तो जो बहुत बड़ी मुझको आपसे कहनेका अधिकार है, वह यह कि आज तीन दिनसे कांग्रेसके ये लोग, जो कि कार्य-समितिमे है और दूसरे भी जिनको कि आचार्य कृपलानीने विशेष रूपसे बुलाया है, सब बैठे है। यह अच्छी बात है कि सब ऐसा मानते हैं कि कांग्रेसकी, जबसे वह बनी है तबसे, अर्थात् ६० वर्षसे, यही एक नीति रही है कि काग्रेस कोई धर्मका प्रचार करनेवाली सस्था नही है। काग्रेसमे सब धर्मोंके माननेवाले हैं या ऐसा कहो कि सब धर्मियोंकी है, इसलिए किसी एक धर्मकी नहीं है। वह आम लोगोंकी सस्था है और जो राज्य-प्रकरण है उसको मद्दे-नजर रखकर ही काग्रेसको चलना है। ऐसे अगर वह चलती है नो पीछे वह धार्मिक संस्था नहीं रहती। मान लीजिए, राज्य-प्रकरणमें एक चीज यह है कि हमे सबको खाना देना है; तब अगर काग्रेस सच्ची है तो उसे जितने इन्सान यहां रहते है उन सबको खाना देना चाहिए। अगर काग्रेस ऐसा करे कि जो लोग उसके साथ हैं या ऐसा कहो कि हिदुओं और सिखोको ही खाना दे, क्योंकि वे उसमें बड़ी तादादमें है और बाकी लोग भूखों मरें और ऐसा कहे कि हमको उनकी क्या पर्वाह पड़ी है, तब वह कहनेमे तो धार्मिक संस्था होगी, लेकिन असलमे अधर्मकी संस्था बन जायगी। अगर वह यह कहे कि जो लोग इसके पीछे है उनकी सेवा करो और दूसरोंको काटो, तो वह कोई धर्म नही, बल्कि धर्मके नामपर अधर्म करना हुआ।

लेकिन अगर में रामका नाम लेता हूं, और कोई दूसरा नाम नही

लेता, तो मुझे कोई कानून उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है कि मैं खुद अपनेको मजबूर करूं या अपनेको ऐसा बुज-दिल मानूं कि अरे, फलां आदमी है, उसके हाथमें तलवार है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरा गला काट देगा। अगर मैं बुजदिल नहीं हूं, तो जो यह कहता है कि खबरदार, तू रामका नाम इस जगहपर लेता है, तुझे अल्लाका ही नाम लेना होगा, तब मुझको यह हक होना चाहिए और हक है कि उसको यह कह दूं कि मैं अल्लाका नहीं, रामका ही नाम लूंगा। तब वह इतना ही कर सकता है न, कि मेरा गला काटे, तो काट डाले। वह धर्मकी बात हो गई, जिसे हम निजी धर्म या व्यक्तिगत धर्म कहते हैं। इस धर्मको मिटानेवाली कोई ताकत दुनियामें है ही नहीं। हां, आदमी अपने आप मिटाना चाहे तो मिट सकता है या तब मिटता है जब दिलमें ज्योति न होकर अंधेरा-ही-अंधेरा होता है। उस हालतमें उसे अपने दिलसे तो कुछ सूझता नहीं, किसी दूसरेका सहारा ले लेता है, या कोई दूसरा उसको कहता है कि ऐसे चल, इस वक्त चल, तो वैसे ही वह चलता है, क्योंकि वह अंधेरेमे पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो आदमी धर्मको पकड़कर बैठा है, वह तो ईश्वरका ही आदेश मानेगा, किसी दूसरेका नही। ऐसे ही जब कोई संस्था चलती है और लोगोंकी भलाईके लिए चलती है तो वह चीज सबके लिए लागू हो सकती है जो धर्म-संगत होती है, कोई दूसरी चीज नहीं। इस तरहसे वह एक अधर्मकी संस्था नहीं, धर्मकी संस्था बन जाती है। यही राज्य-प्रकरणका मेरी निगाहमें सच्चा अर्थ है और जबसे कांग्रेसका जन्म हुआ है तबसे ही वह ऐसे चली है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए, चाहे आप कांग्रेस-में हैं या नहीं। मैं भी तो कांग्रेसमें नहीं हूं, उससे क्या हुआ? आखिर मैं कांग्रेसका खिदमतगार रहा हूं, उसकी सेवा की है। तब चवन्नी नहीं देता हूं तो क्या? मुझको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो चवन्नी देनी चाहिए, लेकिन वह भी नहीं। ऐसे अगर आप सब मेरी तरहसे हैं तो बड़ी भारी बात है। अगर आपने कांग्रेसके दफ्तरमें रजिस्टर करा लिया है तो भी ठीक है, अगर बाहर हैं, और फिर भी कांग्रेसके भक्त हैं

और उसकी सेवा करते हैं तो भी ठीक है। तीन दिनसे मैं कांग्रेस-कार्य-समितिमें बैठा हूं। उसमें इख्तलाफ[१] राय है और काफी है। आखिर वे इन्सान हैं, कोई पत्थर तो हैं नहीं; एक एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी। विचारका विरोध तो हो सकता है, लेकिन आचारमें विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विचार-विरोधमें ही उन्होंने तीन दिन काटे। लेकिन इतना तो सब चाहते हैं कि कांग्रेस जैसी आजतक रही है, ऐसी ही रहनी चाहिए। ऐसा करनेमें अगर वह मिट भी जाती है, तो मिट जाय। मिट तो नही सकती, हां, अल्पमतमें हो सकती है, और आज वह बहुमतमें है, इसमें मुझको तो शक है। क्योंकि अगर वह बहुमतमे होती तो हिंदुस्तानमें जो पाकिस्तान-जैसी चीज बनी, बननी नही चाहिए थी। यहा हिंदुस्तानमे मुसलमानोंपर कितनी ज्यादतियां हुई है, उनके मैं तो आपको बहुतसे उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं ? मुझसे ज्यादा आप खुद जानते हैं। पाकिस्तानमे हिंदू और सिखोंपर क्या कम ज्यादतियां हुई हैं, इस बातको छोड़ दो। यह देखना हमारा काम नही है। दुनियाके दूसरे लोग धर्मका पालन नही करते, इसलिए क्या मैं भी अपने धर्मका पालन न करूं? इसलिए कांग्रेसको जो उसका मौलिक धर्म है, उसपर कायम रहना है, चाहे वह बहुमतमें रहे या अल्पमतमें। उसी निगाहसे वह अपना प्रस्ताव बना रही है। वह सीधी और सच्ची तरहसे बात करना चाहती है। तब सच्ची बात और क्या हो सकती है सिवा इसके, कि हम एक भी मुसलमानको मजबूर करके यहांसे बाहर नही भेजना चाहते। मुसलमान भले हैं या बुरे है, यह बात इसमें नही आती। क्या हम ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तानमें सब फरिश्ते[२] ही रह सकते है, या फरिश्ते भी न सही, तो क्या जो अच्छे और भले लोग है, केवल वही रह सकते हैं, तब क्या हिंदुओं और सिखोंमें कोई बुरे या बदमाश आदमी हैं ही नही और अगर है तो उनको आप क्या कहेंगे ? क्या यह कहोगे कि यहांसे चले जाओ,

---

[१] भिन्नता; [२] देवदूत।

नहीं तो तलवारसे गला कट जायगा। किसी आदमीको बदमाश मानने या उसका गला काटनेका आपको कोई हक नही है। हमने मुसलमानों-पर ज्यादतियां कीं। रोज-ब-रोज मेरे पास ऐसी चीजें आती रहती हैं, उनमे अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन आखिर निचोड मैं यही पाता हूं कि वे सब सच्ची बातें हैं। कांग्रेसकी तरफसे जब कोई चीज की जाती है तो फिर कांग्रेस महासमितिको बुलाना पड़ता है। कांग्रेसका आम अधिवेशन तो वर्षमें एक बार हुआ करता है। वह तो एक तमाशा-सा होता है, क्योंकि वह इतना हजूम[1] होता है कि कोई आदमी ठीक तरहसे सोच भी नही सकता। लेकिन वे लोग जानते है कि कांग्रेसकी जो महासमिति बनी है, वह सब सोच-विचारकर ठीक काम ही करती है, इसलिए वे सब उसपर दस्तखत दे देते हैं। सो कांग्रेस महासमिति हमेशा तैयार रहती है और वह परसों यहां मिलनेवाली है। उसके सामने जो कुछ सामान रखना है वह आपकी इस कार्यसमितिको ही रखना है। वह कांग्रेस महासमितिकी नौकर है। अगर वह कोई चीज बनाकर उनके सामने नहीं रखती है तो पीछे वे कह सकते है कि तुमने अच्छा काम नही किया है और तब उसको इस्तीफा देना पडता है। कांग्रेस महासमिति कार्य-समितिको बना सकती है और मिटा भी सकती है। अगर वह कार्य-समितिकी चीजको बहाल न करे या उसमे कोई बडी तब्दीली[2] कर दे तब भी उसको इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए कार्य-समिति कहती है कि हम जो कुछ करना चाहते है वह आपके नामसे ही करना है। अगर अपने नामसे ही वह कुछ कहती है तो उसका उतना असर नही होता। क्योंकि १५ आदमी जमा होकर यह कहते है कि किसी मुसलमानको कत्ल नही करना है तो १५ आद-मियोंके माननेसे क्या हुआ? अगर महासमितिके नामसे कहते हैं तो उसका असर बहुत बढ़ता है। इसलिए तीन दिनसे मैं तो कांग्रेस-कार्यसमिति-को यही सलाह दे रहा हू कि वह बिलकुल साफ-साफ कह दे कि हमको यही करना है। लोग इसमें राजी रहते है या नाराज, इसकी हम

[1] भीड़; [2] परिवर्तन।

कोई फिक्र न करें। अगर हम कांग्रेसके सच्चे सेवक हैं तो हमको यही करना चाहिए। अगर कांग्रेस महासमिति उसको फेंकना चाहे तो फेंक दे। आखिर हमको जगतके सामने खड़ा होना है और पाकिस्तानको भी। हम बहुत-सी बातें इसलिए करते हैं कि हमको जगत क्या कहेगा। मैं तो कहता हूं कि जिस बातको आप सच मानते हैं वही करें और पीछे जगत भी उसको सच ही कहेगा। जो पंच कहता है वह परमेश्वरकी आवाज होती है, ऐसा कहते हैं। जो जगत है, वह पंचके समान है। इसलिए जो जगत कहता है, वही सही तरीकेसे ईश्वर-का न्याय है।

आज कार्यसमिति बैठी हुई है और कल भी बैठनेवाली है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि वह कांग्रेस महासमितिके सामने ऐसा प्रस्ताव रखे जिससे हिंदुस्तानकी जय हो और सब लोग यहां आरामसे रह सकें। इसके यह मानी नहीं है कि जो देशद्रोही हों उनको भी हम कुछ न कहें। लेकिन हम किसीको देशद्रोही मानकर ही न बैठ जायं। अगर कोई वास्तवमें देशद्रोही सिद्ध होता है तो उसको चाहे कत्ल कर दो, फांसीपर चढ़ा दो, गोली मार दो। पर मुसलमान वफादार हो नहीं सकता और केवल हिंदू व सिखोंने ही वफादारीका इजारा ले लिया है, तो मैं कहता हूं कि यह बड़ी गुनाहकी बात होगी। कांग्रेस तो ऐसा काम नहीं करेगी, मुझको ऐसा पूरा विश्वास है। आप भी यही प्रार्थना करें कि कांग्रेस जो हिदायत करे उससे हम भी ऊंचे जायं, सारा हिंदुस्तान ऊंचा जाय और उसके साथ दूसरे हिस्सों-को भी ऊंचा जाना है। कांग्रेस हिंदुस्तानको ऊंचा उठानेके लिए ही बनी है; लेकिन कांग्रेस किसीसे कुछ छीनकर या किसीका धन लूटकर ऊंचे नहीं जाना चाहती। सारे जगतके लिए कांग्रेस मरेगी, मगर वह किसीको मारेगी नहीं। मैं कांग्रेसमें आया तबसे ही नहीं, कई वर्षोंसे कांग्रेसका यह उद्देश्य रहा है। कांग्रेसने हमेशा इस बातकी कोशिश की है कि यूरोपसे जो लोग धन लूटनेके लिए इधर आते हैं, वह लूट बंद हो, ताकि एशिया और अफ्रीकाके लोग चैनसे रह सकें। यह काम करनेके लिए ही हिंदुस्तानको जिंदा रहना है और

इसी कामके लिए हिंदुस्तानकी आजादी है, किसी दूसरे कामके लिए नहीं है।

: १४८ :

१४ नवंबर १९४७

(आज शामके भजनको ही गांधीजीने अपनी चर्चाका विषय बनाते हुए कहा—)

भाइयो और बहनो,

जब मैं आगाखान महलमें, जिसे मुझे, देवी सरोजिनी नायडू, मीराबेन और महादेवभाईको बंद रखनेके लिए कैदखानेका रूप दे दिया गया था, उपवास कर रहा था, तब इस भजनने मुझपर अपना अधिकार कर लिया था। यहां मैं उपवासके कारणोंमें नही जाना चाहता।

उसके बारेमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि उन २१ दिनोंतक मै जो टिका रहा, उसकी वजह वह पानी नही था, जो मैं पीता था, न वह संतरेका रस ही था जो कुछ दिनोंतक मैंने लिया था, जो मेरी गैरमामूली डाक्टरी देखरेख हो रही थी, वह भी उसका कारण नहीं थी, मगर मैंने अपने भगवानको, जिसे मैं राम कहता हूं, अपने दिलमें बसा रखा था, उसी वजहसे मैं टिका रहा। मै इस भजनकी लकीरोंपर इतना मोहित था कि मैंने संबंधित लोगोंसे कहा कि वे तारके जरिए इसके ठीक-ठीक शब्द भेजें, जिन्हें मैं उस वक्त भूल गया था। मुझे जवाबी तारसे जब वह पूरा भजन मिला तो बड़ी खुशी हुई। भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब कुछ है और उसके सामने दूसरे देवताओंका कोई महत्त्व नही है। अपने जीवनकी यह उपदेश भरी कहानी मैं आप लोगोंको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि अगले दिन यानी शनिवारको नई दिल्लीमें ए० आई० सी० सी० का जो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन होनेवाला है, उसमें उसके मेंबर अपने दिलोंमें

भगवानको रखकर सारे विचार और सारी चर्चाएं करें। यह उन्हें करना ही होगा, क्योंकि वे काग्रेसियोके नुमाइंदे है। और इसलिए अगर उनके मुखिया कांग्रेसी अपने दिलोंमें भगवानके बजाय शैतानको रखते है, तो वे अपने नमकके प्रति इन्साफ नही करते।

ए० आई० सी० सी० के सामने रखे जानेवाले प्रस्तावोंपर वर्किंग कमेटीने पूरे तीन घटोंतक चर्चा की। चर्चामें यह सवाल उठा कि किस तरह ऐसा वातावरण तैयार किया जाय जिससे सारे हिंदू और सिख निराश्रित इज्जत और हिफाजतके साथ पश्चिमी पजाबमें अपने-अपने घरोंको लौटाये जा सकें। वे इस नतीजेपर पहुचे कि बुराई पाकिस्तानसे ही शुरू हुई, मगर उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब बड़े पैमानेपर उस बुराईकी नकल की गई और हिदुओं और सिखोंने पूरबी पजाब और उसके नजदीकके यूनियनके हिस्सोंमें भयकर बदले लिये, तो बुराईकी शुरूआत करनेका वह सवाल फीका पड गया। अगर ए० आई० सी० सी० विश्वासके साथ यह कह सकती कि जहांतक यूनियनका ताल्लुक है, पागलपनके दिन बीत गए और यूनियनके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक सब लोग समझदार बन गए है, तो कमेटी पूरे विश्वास-के साथ यह भी कह सकती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिंदू और सिख निराश्रितोंको इज्जत और पूरी हिफाजतके साथ अपने यहां वापस बुलानेके लिए लाचार होना पड़ेगा। यह हालत सिर्फ तभी पैदा की जा सकती है जब आप लोग और दूसरे हिंदू और सिख रावण या शैतानके बदले राम यानी भगवानको अपने दिलोंमें स्थापित करें। क्योंकि जब आप शैतानको अपने दिलोंसे हटा देगे और मौजूदा पागलपनको छोड़ देंगे, तब हर एक मुसलमान बच्चा भी यहा उतनी ही आजादीसे घूम-फिर सकेगा, जितनी आजादीसे एक हिंदू या सिखका बच्चा घूमता है। इसमें मुझे कोई शक नही है कि तब जो मुसलमान निराश्रित लाचार होकर अपने घर छोड़ गए हैं, वे खुशीसे लौटेंगे और तब हर एक हिंदू और सिख निराश्रितके हिफाजत और इज्जतके साथ पाकिस्तानमे अपने घर लौटनेका रास्ता साफ हो जायगा।

क्या मेरे शब्द आप लोगोंके दिलोंमें गूंज सकेंगे और ए० आई० सी० सी० समझदारी और इन्साफभरा फैसला कर सकेगी ?

: १४६ :

१५ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मैं महसूस करता हूं कि आप लोग स्वभावतः यह उम्मीद करेंगे कि दोपहरको ए० आई० सी० सी० की बैठकमें मैंने जो कुछ कहा है वह आप लोगोंको बतलाऊं। मगर मेरी उसे दोहरानेकी इच्छा नहीं होती। दर असल मैंने वहांपर वही बात कही थी, जो मैं आप लोगोंको इतने दिनोंसे कहता रहा हूं। अगर मुझे पूरी ईमानदारीसे राष्ट्रका पिता कहा जाता है, तो सिर्फ इसी अर्थमें सच है कि सन् १९१५ में मेरे दक्खिन अफ्रीकासे लौटनेके बाद कांग्रेसका जो स्वरूप बना, उसके बनानेमें मेरा बड़ा हाथ था। इसका मतलब यह है कि देशपर मेरा बड़ा असर था। मगर आज मैं ऐसे असरका दावा नहीं कर सकता। इससे मुझे चिंता नहीं है, कम-से-कम वह होनी नहीं चाहिए। सबको सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहिए और नतीजेको भगवानके हाथोंमें छोड़ देना चाहिए। भगवानकी मर्जीके बगैर कुछ भी नहीं होता। हमारा फर्ज सिर्फ कोशिश करना है। इसलिए मैं तो ए० आई० सी० सी०की बैठकोंमें इस फर्जको ध्यानमें रखकर गया था कि अगर बैठककी कार्रवाई शुरू होनेसे पहले मेम्बरोंसे कुछ कहनेकी मुझे इजाजत मिल गई, तो मैं उनके सामने वह बात रख दूं जिसे मैं सच मानता हूं।

आप लोगोंसे मैं कंट्रोलके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं। ए० आई० सी० सी०की बैठकमें चूंकि मैं मौजूदा अहमियत[1] रखनेवाले दूसरे

---

[1] महत्त्व।

मामलोंपर ज्यादा देरतक बोला, इसलिए कंट्रोलके विषयका सिर्फ इशाराभर कर सका।

मैं महसूस करता हूं कि कंट्रोल रखना गुनाह है। कंट्रोलका तरीका लड़ाईके दिनोंमें अच्छा रहा होगा। एक फौजी देशके लिए वह आज भी अच्छा हो सकता है। मगर हिंदुस्तानके लिए वह नुकसानदेह है। मुझे विश्वास है कि देशमें अनाज या कपड़ेकी कोई कमी नहीं है। इस साल बरसातने हमें धोखा नहीं दिया है। हमारे देशमें काफी कपास है और चरखे और करघेपर काम करनेवाले काफी लोग हैं। इसके अलावा, देशमें मिलें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों कंट्रोल बुरे हैं। हमारे यहां दूसरे कंट्रोल भी हैं, जैसे पेट्रोल, शक्कर वगैराका कंट्रोल। इन चीजोंपर कंट्रोल रखनेमें मैं कोई मौजूं[1] कारण नहीं देखता। इससे लोग आलसी और पराधीन बनते हैं। आलस और पराधीनता देशके लिए किसी भी दिन बुरी चीजें हैं। इन कंट्रोलोंके बारेमें मेरे पास रोजाना शिकायतें आती हैं। मुझे उम्मीद है कि देशके नुमाइदे समझदारी-भरा फैसला करेंगे और सरकारको इन घूसखोरी, पाखंड और काले बाजारको बढ़ावा देनेवाले कंट्रोलोंको हटानेकी सलाह देंगे।

: १५० :

१६ नवंबर १६४७

भाइयो और बहनो,

आज शामको गाये गए भजनमें कहा गया है कि इन्सानका बड़े-से-बड़ा उद्योग भगवानको पानेकी कोशिश करनेमें है। वह मंदिरों, मूर्तियों या इन्सानके हाथों बनाई हुई पूजाकी जगहोंमें नहीं मिल सकता और न उसे व्रतों और उपवासोंके जरिए ही पाया जा सकता है। ईश्वर सिर्फ प्यारके जरिए मिल सकता है, और वह प्यार लौकिक नहीं अलौकिक

---

[1] उचित।

होना चाहिए। मीराबाई, जो हर चीजमें भगवानको देखती थीं, ऐसे प्यारकी जिंदगी बिताती थी। उनके लिए भगवान ही सब कुछ था।

रामपुर स्टेटके शासक मुसलमान हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वह एक मुस्लिम स्टेट है। कई साल पहले मरहूम[1] अलीभाई मुझे वहां ले गए थे और मैं वहा उनके घरमे ठहरा था। मुझे उस वक्तके नवाब साहबसे भी मिलनेका मौका मिला था। क्योंकि वे उस जमानेके मशहूर राष्ट्रीय मुसलमान मरहूम हकीम साहब अजमलखान और मरहूम डॉक्टर असारीके दोस्त थे। तब वहां हिंदू और मुसलमान आजके बनिस्बत ज्यादा शाति और मेल-जोलसे रहते थे। मगर पिछले इतवारको जो हिंदू दोस्त वहांसे मुझे मिलनेके लिए आए थे, उन्होंने दूसरी ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगरचे वह स्टेट हिंदुस्तानी संघमें शामिल हो गई है, फिर भी मुस्लिम लीगका छल-कपटभरा असर वहां है। अगर वही एक रुकावट होती, तो उसपर आसानीसे काबू पाया जा सकता था। मगर वहां हिंदू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघके आदमियोंसे मदद मिलती है, जिनकी इच्छा यह है कि सारे मुसलमानोंको हिंदुस्तानी संघसे निकाल दिया जाय।

सवाल यह है कि जो कांग्रेस-जन अपने कांग्रेसके मकसदके प्रति वफादार हैं, वे अपनी हालत कैसे अच्छी बनावें? क्या वे कामयाबीकी आशासे सत्याग्रह कर सकते हैं? यह जानकर उन लोगोंको खुशी हुई कि कांग्रेस महासमिति कांग्रेसके मकसदपर मजबूतीसे जमी हुई है और ऐसे हिंदुस्तानके बननेसे इन्कार करती है, जिसमें सिर्फ हिंदू ही मालिकों-जैसे रह सकें। कांग्रेसके उसूल और मकसद इतने उदार हैं कि उसमें देशकी सारी जातियां शामिल हो जाती हैं। उसमें ओछी सांप्रदायिकताके लिए कोई जगह नही है। वह सियासी संस्थाओंमें सबसे पुरानी है। लोगोंकी सेवा ही उसका एकमात्र आदर्श है। ए० आई० सी० सी० में जो कुछ हो रहा है, उससे उन्हे अपनी लड़ाईके लिए बल

[1] स्वर्गीय।

मिला है। फिर भी, इसके बारेमें वे मेरी राय चाहते थे। मैंने कहा कि मैं आपके वहांकी हालत नही जानता, इसलिए कोई नियम तो नहीं बना सकता। न मुझे उन सब बातोंका अध्ययन करनेका समय है। लेकिन इतना तो मै विश्वासके साथ कह सकता हूं कि सत्याग्रह दुनियामे सबसे बडी ताकत है, जिसके सामने आपका बताया हुआ विरोधी संगठन लबे समयतक टिक नही सकता।

आजकल हथियारबद या दूसरी तरहके किसी भी विरोधको सत्याग्रहका नाम देना एक फैशन-सा हो गया है। इससे समाजको नुकसान होता है। इसलिए अगर आप लोग सत्याग्रहके पूरे अर्थको समझ ले और यह जान ले कि सत्य और प्रेमके रूपमे जीता-जागता भगवान सत्याग्रहीके साथ रहता है, तो आपको यह माननेमें कोई हिचकिचाहट नही होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय नही पा सकता। हिंदू-महासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक-संघके बारेमें मुझे जो कहना पड़ा है उसका मुझे दुःख है। मुझे अपनी गलती जानकर खुशी होगी। मै राष्ट्रीय स्वयसेवक-सघके मुखियासे मिला हू। मै इस सघकी एक बैठकमें भी शामिल हुआ था। तबसे मुझे उसकी बैठकमे जानेके लिए डांटा जाता रहा है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयसेवक-सघके बारेमे शिकायतोंके कई खत आए है।

हालांकि हम सब अपने देशमे सांप्रदायिक झगड़ेकी आगको बुझानेमें लगे हैं, तो भी हमें हिंदुस्तानके बाहर रहनेवाले अपने भाइयोंको नहीं भूलना चाहिए। आप जानते है कि सयुक्त-राष्ट्र-संघके सामने हमारा हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मडल दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंके अधिकारोंके लिए कितनी बहादुरी और एकतासे लड़ रहा है। आप सब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडितको जानते है। वह हिंदुस्तानी नुमाइंदा-मंडलकी मुखिया इसलिए नही हैं कि पडित जवाहरलालकी बहन हैं, बल्कि इसलिए है कि वह इसके लायक हैं और अपना काम होशियारीसे करती है। उनके साथ बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं और वे सब एक रायसे वहां बोलते है। मुझे सबसे बड़ी खुशी जफरुल्ला साहब और इस्पहानी साहबके भाषणोंसे हुई, जो आजके अखबारोंमें छपे

हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-संघके लोगोंके सामने साफ-साफ शब्दोंमें यह कह दिया कि दक्षिण अफ्रीकामें हिंदुस्तानियोंके साथ वही बरताव नहीं किया जाता जो गोरोंके साथ किया जाता है। वहां उनकी बेइज्जती की जाती है और उनके साथ अछूतोंकी तरह बरताव करके उनका बहिष्कार किया जाता है। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानी कंगाल और भूखे नहीं हैं। लेकिन आदमी सिर्फ रोटीसे ही नहीं जी सकता। मानव-अधिकारोंके सामने पैसा कोई चीज नहीं है। और ये हक दक्षिण अफ्रीकाकी सरकार हिंदुस्तानियोंको नहीं देती। हिंदुस्तानके हिंदू और मुसलमान विदेशोंमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोंके सवालोंपर दो-राय नहीं हैं, जो यह साबित करता है कि दो राष्ट्रोंका उसूल गलत है। इससे मैंने जो सबक सीखा है, और आप लोगोंको मेरे कहनेसे जो सबक सीखना चाहिए, वह यह है कि दुनियामें प्रेम सबसे ऊंची चीज है। अगर हिंदुस्तानके बाहर हिंदू और मुसलमान एक आवाजसे बोल सकते हैं, तो यहां भी वे जरूर ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते उनके दिलोंमें प्रेम हो। गलती इन्सानसे होती ही है। लेकिन वह चाहे तो अपनी गलतियोंको सुधार भी सकता है। यह भी इन्सानके स्वभावमें है। माफ करना और भूल जाना हमेशा संभव है। अगर आज हम ऐसा कर सके और बाहरकी तरह हिंदुस्तानमें भी एक आवाजसे बोल सके, तो हम आजकी मुसीबतोंसे पार हो जायंगे। जहां-तक दक्षिण अफ्रीकाका संबंध है, मुझे आशा है कि वहांकी सरकार और वहाके गोरे उस बातसे फायदा उठाएंगे जो इस मामलेमें मशहूर हिंदू और मुसलमान एक रायसे साफ-साफ कह रहे हैं।

: १५१ :

मौनवार, १७ नवंबर १९४७

(लिखित संदेश)

कल मैं रामपुर और अपने उन भाइयोंके बारेमें बोला था जो

दक्षिणी अफ्रीकामें है। मुझे लगता है कि आज मुझे इस विषयपर ज्यादा खुलकर कहना चाहिए। मैं १८९३ से १९१३ तक, २० साल दक्षिण अफ्रीकामें रहा हूं। उस लंबे अर्सेमें, जब कि मेरा जीवन घुल रहा था, शायद एक ही साल छूटा होगा, मैं हिंदुस्तानियोंके साथ ही गहरे संबंधमें नहीं आया, बल्कि उन सफेद लोगोंके साथ भी, जो कि इस बडे देशमें आकर बस गए हैं। तबसे अबतक अगर दक्षिण अफ्रीका आगे बढ़ा है तो हिंदुस्तानने दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की की है। जो कल नामुमकिन मालूम होता था वह आज हो गया है। इसके कारणोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान बर्तानवी[1] कामनवेल्थ (राष्ट्रसमूह) में आ गया है, याने इसका दर्जा वही है जो दक्षिणी अफ्रीकाका। क्या एक उपनिवेशके लोगोंको दूसरे उपनिवेशमें गुलाम माना जाना चाहिए? एक एशियाई कौम बर्तानवी राष्ट्रसमूहके इतिहासमें पहली दफा सब सदस्योंकी मर्जीसे शामिल होती है। अब देखिए कि आरेंजियाकी हकूमत या वहांके डाक्टर एस० पी० बर्नार्डने हिंदुस्तानके बर्तानवी राष्ट्रसमूहमें दाखलेके पांच दिन बाद डरबनकी नेटाल इडियन कांग्रेसको क्या सदेश भेजा। उन्होंने लिखा—"क्योंकि आप नए उपनिवेशकी नई आजादी मना रहे हैं जो आपके नजदीक हिंदुस्तानके इतिहासमें एक बड़ा दिन है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि दक्षिणी अफ्रीकाके सब हिंदुस्तानी अपने आप नए उपनिवेशमें चले जायंगे और वहां जाकर उस संदेश का प्रचार करेंगे जो उन्हें दक्षिणी अफ्रीकामें दिया गया है, याने शांति और अनुशासनसे रहना और उन मजहबी झगड़ोंसे बचना जिनकी वजहसे आज हिंदुस्तानमें हजारों मारे जा रहे हैं।" यह बात खास देखनेकी है। साफ जाहिर है कि डाक्टर बर्नार्डको इसमें शक है कि यह दाखिला एक बड़ा दिन था और फिर वह नेटाल कांग्रेसको बिन-मांगी सलाह देते हैं कि दक्षिणी अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंको हिंदुस्तान चला जाना

[1] ब्रिटिश।

चाहिए और उस संदेशका प्रचार करना चाहिए जो उन्होंने दक्षिणी अफ्रीकामें सीखा है, याने शांति और जब्तसे रहना और मजहबी दंगोंमें न पड़ना। मुझे बहुत डर है कि दक्षिणी अफ्रीकाका आम सफेद आदमी इसी तरह सोचता है, इसलिए हमारे देशवालोंके रास्तेमें तरह-तरहके अड़ंगे लगाए जाते हैं। उनका दोष यही है कि वे एशियाके हैं और उनका रंग काला है।

दक्षिणी अफ्रीकाके सबसे आला पश्चिमी लोगोंसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने इस तास्सुबपर[1] फिरसे सोचें जो उन्हें एशिया और काले रंगके बरखिलाफ बनाता है। उनके बीचमें हब्शियोंकी बहुत बड़ी आबादी पड़ी है। कुछ लिहाजसे उनके साथ बर्ताव एशियावालोंके साथके बर्तावसे भी बदतर है। मैं उन यूरोपियनोंसे, जो वहां जाकर बस गए हैं, जोरसे कहूंगा कि वे जमानेको पहचानें। या तो यह तास्सुब हर लिहाजसे गलत है या अंग्रेजोंने और बर्तानियाके बड़े राष्ट्रसमूहके दूसरे सदस्योंने एशियाई कौमोंको सदस्य बनाकर ऐसी गलती की है, जो माफ नहीं की जा सकती। बर्मा आजाद होनेको है और लंका भी राष्ट्रसमूहका जल्द सदस्य बन जायगा। इसका मतलब क्या है?

मुझे सिखाया जाता है कि राष्ट्रसमूहका सदस्य होना अगर आजादीसे ज्यादा अच्छा नहीं तो कम-से-कम उसके बराबर है। इन आजाद हकूमतोंके जिम्मेदार मर्द और औरतोंको इस बातपर खूब सोचना होगा कि आजादी लेनेके बाद वे क्या करेंगे। आज बहुत-सी आजाद हकूमतें बनानेका आंदोलन चल रहा है। यह ठीक और अच्छी चीज है, लेकिन क्या इसका अंत यह होगा कि एक और लड़ाई होगी जो पिछली दो लड़ाइयोंसे, अगर मुमकिन हुआ तो, ज्यादा खतरनाक होगी, या इसका नतीजा यह होगा, जैसा कि होना चाहिए, कि मनुष्य-जातिका भाई-चारा बढ़ेगा? एक उपनिषदका श्लोक है—"मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।" सियाने

---

[1] पक्षपात पर।

आदमियोंका तजर्बा इसकी सचाईकी गवाही देता है। इस तरह दुनिया वैसी ही बनेगी जैसी कि उसके सयाने आदमी सोचते हैं। एक फालतू विचार कोई विचार नही होता। अगर हम ऐसा कहें कि दुनिया मूढ़ जनताकी चाहके मुताबिक बनेगी तो बड़ी भूल होगी। वह कभी सोच नहीं सकती—वह तो भीड़की तरह पीछे ही चलती है। आजादीका मतलब होना चाहिए लोक-राज। लोक-राजका अर्थ है कि हर शख्सको बुद्धि पानेका मौका मिले। बुद्धिका अर्थ केवल जानकारीसे अलग है। दक्षिण अफ्रीकामें जैसे योग्य सिपाही हैं वैसे ही अच्छे किसान भी हैं। उसी तरह वहां बहुतसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष भी हैं। अगर वे लोग अपने खा जानेवाले वातावरणसे ऊचे न उठें और अगर उन्होंने इस समस्यापर कि सफेद लोग सबसे ऊचे हैं अपने देशको ठीक रास्ता नही दिखाया तो दुनियाके लिए बड़े दुःखकी बात होगी। क्या यह खेल खेलते-खेलते लोग थक नहीं गए ?

मैं आपको थोड़ी देर और रोकूगा, ताकि कंट्रोलके बारेमें आपसे कहूं जिसपर आज खूब बहस हो रही है। क्या उन पंडितोंके शोरमे, जो दावा करते है कि कंट्रोलके फायदोंके बारेमें वे सब कुछ जानते है, जनताकी आवाजकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए ? कितना अच्छा हो कि हमारे मत्री जो कि जनतामेसे चुने गए हैं और जनताके हैं, जनताकी आवाज सुनें, बजाय उन दफ्तरी घिस-घिसके माहिरोंकी[1] जिनके बारेमें वे खूब जानते है कि उन्होंने सिविल नाफरमानीके वक्त उन्हे खूब नुकसान पहुचाया था। तब इन पंडितोने पूरी कड़ाईसे हकूमत की। क्या आज भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए ? क्या लोगोंको कोई मौका नहीं दिया जायगा कि वे अपनी गलतियोंसे सीखें ? क्या मंत्री यह नहीं जानते कि उन नमूनोंमेंसे जो मै नीचे दे रहा हू (इतना ध्यान रहे कि उनमें सब कंट्रोलमें आ जाते हैं) अगर किसी एक उदाहरणमें कंट्रोल हटानेसे जनताको नुकसान पहुंचे तो वे इतनी ताक़त रखते हैं कि उसपर फिरसे कंट्रोल लगा दें ?

---

[1] तज्ञ।

कंट्रोलोंकी जो फेहरिस्त मेरे सामने है उससे मेरे-जैसा सादा आदमी तो हैरान हो जाता है। में तो केवल इतना ही कहता हूं कि अगर कट्रोलोंके साइन्स नामकी कोई चीज है तो उसको ठंढे दिलसे जांचना होगा। इसके बाद लोगोंको इस बातकी तालीम देनी होगी कि सब चीजोंपर कंट्रोलका क्या मतलब है और खास-खास चीजों-पर कंट्रोलका क्या अर्थ है। जो फेहरिस्त मुझे मिली है उसमेंसे ऐसे ही कुछ नमूने निकालकर नीचे देता हूं—एक्सचेजपर, रुपया लगानेपर, केपिटल, इंश्योरेंस, बैंकोंकी शाखाएं खोलनेपर, इंश्योरेंसमें पैसा लगानेपर, मुल्कसे बाहर जाने और अंदर आनेवाली हर किस्मकी चीजोंपर, अनाजपर, चीनीपर, गुड़, गन्ने और शर्बतपर, वनस्पतिपर, पेट्रोल और मिट्टीके तेलपर, सीमेंटपर, फौलादपर, अभ्रकपर, कोयले-पर, चीजोंके इधर-उधर ढोनेपर, मशीनरी लगाने और फैक्टरी खोलनेपर, कुछ सूबोंमे मोटरें बेचनेपर, चायकी खेतीपर, कपड़ेपर, जिनमें गरम कपड़े भी शामिल हैं, पावरपर, अल्कोहलपर, कागजपर।

: १५२ :

१८ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आप लोगोने तो वे सब प्रस्ताव पढ़े ही होंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीमें पास हो गए हैं। उनमें काफी प्रस्ताव तो ऐसे है जो हमारे जीवनमें—और जीवनके बड़े हिस्सेमें, ऐसा कहो—हर एक आदमीके कामके है। वे ऐसे नही हैं जिनपर सिर्फ हकूमतको अमल करना है। उनपर जवाहरलाल, राजेंद्रप्रसाद—अब तो राजेंद्रबाबू निकल गए—और दूसरोंको भी अमल करना है; जैसे कि कंट्रोल। खानेपर, पहननेपर, हर चीजपर जिनपर कंट्रोल है उन्हें अमल करना है। ऐसे ही हमको भी करना है। अगर हम दगाबाजी करें और कानूनकी पाबंदी न करें तो इसका नतीजा खतरनाक होगा। जब हम एक

गज कपड़ेसे काम चला सकते हैं तो क्यों दस गज जमा कर रखें और सोचें कि ले तो लें, घरमें पड़ा ही रहेगा? जब हम ऐसे बन जायंगे कि हम अपना ही देखें और हिंदुस्तानके न हों तो हम बद-माश हो जायंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीके अभीके प्रस्ताव ऐसे हैं कि मैं चाहता था कि एक-एक प्रस्ताव सबको समझाऊ। अभी तो यहीं हू, मौका मिल गया तो सुना दूंगा। लेकिन उनका क्या मतलब है यह तो आज कह दू। जो लोग डरके मारे घर छोडकर दूसरी जगह चले गए है उनको फिर उनके घरोमें बसानेका जो प्रस्ताव है वह हर एक आदमीपर लागू होता है। हम कन्याकुमारीसे लेकर काश्मीरतक जितने रहनेवाले हैं वे सब हिंदुस्तानके हैं। हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो गए तो क्या, हम सब भाई-भाई हैं, इसलिए हम सबपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर एक ही आदमी अपना पेट भरता जाता है और गरीबीकी परवाह नही करता है, चाहे वह स्वादके लिए ही खाता हो, तो वह चोरी करता है और हिंदुस्तानका गुनहगार बन जाता है। हिंदुस्तानको जितना अनाज चाहिए उतना उसके पास नही है तो क्या हुआ? ग़रीबोंको भी तो अनाज मिलना ही चाहिए। धनी लोगोंको अगर एक, दो, चार व छः छटांक मिले और तो भी वे उसीसे ही गुजर करें तब तो मै समझूगा कि धनी और गरीब सब एक हो गए। दूसरोको छोड़कर मै जिस धनीके घर पड़ा हू उसकी बात तो कहूं। आप मुझसे पूछें कि घनश्यामदासको उनका जितना हिस्सा मिलता है, क्या उतनेसे ही उनका गुजर हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि नही होता। आखिर मुझे सच्ची बात तो कहना ही है। वह धनवान है तो उन्हें हर तरहसे सब मिल जाता है। मुझको पता नही चलता कि जितने लोग यहां आते हैं उन्हें दूध मिलता है या नहीं। मुझको दूध मिल जाता है, वह कहांसे आता है, कैसे आता है यह मै थोड़े देखता हूं। एक बकरी रखो, दो बकरी रखो; वह महात्मा है न, तो उसे दूध दो, जितना गेहूं चाहिए उतना अच्छा-से-अच्छा गेहू दो; क्योंकि वह महात्मा है न! मैं यह थोड़े पूछता हूं कि यह

कहांसे आता है—महात्माको भाजी चाहिए तो भाजी दो, फल चाहिए तो फल दो। कार्य-समितिके जितने सदस्य आते हैं उनको कुछ तो देना ही है तो फलका रस दो। करोड़ोंकी जायदाद लेकर बैठे हैं। ये तो धनी लोगोंके हाल है। यह सब करोड़पतियोंको मिल सकता है। लेकिन तब भी वे भूखे रहें तभी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो गरीब कहांसे लाए? धनी लोग तथा जो तिजारत करते हैं वे अनुचित मुनाफा न लें और सच्चे व्यापारी बनें। वे मुनाफा लें; लेकिन कितना? जितना पेट भरनेको चाहिए उतना ही ले। अगर सब एक ही तरह मुनाफा लें तो फिर क्या! अनाजपर कंट्रोल क्या? कोई कंट्रोल नहीं चाहिए। इसी तरहसे सब हो जाय तो अच्छा है।

आला दर्जेकी चीज यह है कि हम तबतक शांतिसे नहीं बैठ सकते जबतक सब शरणार्थी अपने-अपने घर नहीं लौट जाते। मुसलमान आया तो उसको काट डाले; वह पाकिस्तानसे डरके मारे जायदाद छोड़कर भागकर आया है, इसलिए यहांसे उसे हटा दें, ऐसा करना पागलपन है। अब तो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीने हुक्म दिया है कि जो भाई जहां पड़े हैं उनको वहीं रखना है और आरामसे रखना है और जो लोग खुशीसे घर लौटना चाहते है उन्हें लौटाना है। लोग खूबसूरत घर छोड़कर आ गए, लखपति, करोड़पति सैंकड़ों और हजारों थे वे घरबार छोडकर आ गए, लेकिन जो बेचारे गरीब थे वे तो अब भी पड़े हुए है। मैं आज तो सब सुनाना नहीं चाहता; लेकिन हमारा फर्ज क्या है, वह हमारा प्रस्ताव बताता है। वही आला दर्जेकी चीज है। वे जो मुसलमान रहते है वे निकम्मे है, ऐसा मानकर बैठे तो वह बडा गुनाह हो जाता है। यह सबका परमधर्म हो जाता है कि हम किसीको न निकालें। तीन-चार दिन पहले कार्य-समितिका प्रस्ताव भी लोगोंने देखा और अखबारोंमें जो इशारा आया था उसे भी देखा। तो भी मुसलमान जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि तुमने जोर दिया तो कांग्रेस महासमितिने उसे मान लिया। उन्हें—मुसलमानोंको —तो यहांसे चला ही जाना चाहिए, नहीं तो वे मारे जाएंगे। लोग पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें मरने दोगे? मैं क्या करूंगा, यह

तो मैंने बता दिया है; मैं करूंगा या मरूंगा। जब मैं मरनेको तैयार हूं तो अगर मुसलमानोंको मरना पड़े तो वे भी मरें। वे जाड़ेके दिनोंमें ३०० मील चलकर जाएं, हम ऐसे निष्ठुर बन गए हैं! लोग कहते हैं कि कैंपोंमें ज्यादा आदमी नही मरते है—रोज दस-बीस मरते हैं। अब अगर मानो कि पांच हजार, दस हजार, पचास हजारमें इतने मरें तो इस हिसाबसे हिंदुस्तानमें कितने मरते हैं, क्या इसकी परवाह नही कि वे कैसे मरते है? किसीको खाना नहीं मिलता, किसीको हैजा हो जाता है, किसीको पेचिश हो जाती है, किसीको कुछ हो जाता है, इस तरहसे वे मरते हैं। लेकिन क्यों मरते हैं, क्या इसकी किसीको परवाह है? हम परवाह करते है कि हमारे लिए खाना है कि नही और सब कुछ है कि नहीं। हम देखते रहते हैं कि जहांसे मुसलमान भाग गया वहां हिंदू और सिखको बसाना है। हां, हर जगह तो ऐसा हुआ नही, तो भी हुआ तो है। इससे मुझको बहुत दुःख पहुचा और मैंने कई बार आप लोगोंको बताया भी है। अब तो कांग्रेस महासमितिने भी कह दिया कि ऐसा जो हुआ है वह बहुत बुरा हुआ। यह बात करोड़ोंतक पहुंचाना है तो यह एक दिनमें तो हो नही सकता। हकूमतमें बड़े-बड़े पड़े हैं—जवाहर, सरदार, राजेंद्रबाबू, लेकिन अब तो राजेंद्रबाबू नही रहे—उनको क्या नाखुश करना! इसलिए कह दिया कि हां, करेंगे। मैंने सुना है कि अब तो कांग्रेसमैन भी ऐसे ही बन गए हैं कि वे समझते है कि यहां अब मुसलमानोंको रहना ही नहीं चाहिए। वे समझते हैं कि तभी हिंदू-धर्मका भला हो सकता है, हिंदू-धर्म ऊंचा जा सकता है। लेकिन वे जानते नहीं है कि दिन-ब-दिन हिंदू-धर्म नीचे जा रहा है। अगर वे दिलको नही बदलते है तो यह बहुत खतरनाक बात है। कांग्रेस-कमेटीमें जितने प्रतिनिधि आए हैं वे सारे हिंदुस्तानके प्रतिनिधि हैं। वे अगर सब एक ही दिलके हैं, और होना चाहिए, तो हिंदुस्तानकी शक्ल बदल जायगी। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे दूसरा होने ही नहीं देंगे। हिंदुस्तानसे जितने चले गए हैं, उनको किस तरह लायं यही उनका बड़ा काम है। हम तबतक परेशान रहेंगे जबतक हिंदुस्तानसे जितने मुसलमान

गए हैं उन्हें यहां ले न आएं। ऐसा वातावरण पैदा करना है और यह मुश्किल काम नहीं है। यह तो खूबीकी बात है कि यहां अभी ३॥ करोड़ मुसलमान हैं—कोई जानता नहीं है कि कितने गए और कितने आनेवाले हैं। मान लो कि जितने गए हैं वे सब आ गए तो वे अपने घरमें रहें, उनका घर पड़ा है, उसमें हमको कोई खर्च तो करना नही पड़ेगा। उनका जो घर है वह हम दे दें, इतना ही हमारा काम है। लेकिन सब घर खाली कहां हैं? उनमें तो शरणार्थी घुस गए हैं। तो भी उनको बसाना तो होगा ही। अगर हम ऊटपटांग बातें कर लेते हैं, लेकिन दिल साफ नहीं रखते तो बाहरवाले कहेंगे कि जो हिंदुस्तानके नुमाइंदे आये थे वे क्या ऐसे खोटे थे? मैं समझता हूं कि वे ऐसे नही है। वे दिन चले गए जब हम गुस्सा रखते थे कि वे चले जाएं। आज हम सबको भाई-भाई समझते हैं।

मैं समझ लू कि दिल्लीके लोग अच्छे हो गए हैं, गुड़गांवके लोग अच्छे हो गए है। मैं हालहीमें जब पानीपत गया था तब वहां सब ठीक रहते थे, लेकिन अब सुनता हूं कि वहां जो शरणार्थी आए हैं वे मुसलमानोंके घरमें चले गए हैं और अब मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वे कह सकते हैं कि हम खुशीसे पाकिस्तान तो जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां खीर या पकवान तो पड़ा नही है, पहननेको अच्छा कपड़ा भी नहीं है और यह हो भी कैसे सकता है, जैसे हम यहां हैं वैसे वे वहां हैं। और आखिर वहां बहुत इंतजाम है और यहां नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। वहां जो गए हैं वे लिखते हैं कि अगर हम हिंदुस्तानमें रहते तो अच्छा था। अब घरबार छोड़ दिया—कैंपोंमें पड़े हैं, बड़े परेशान हैं। ऐसा तो होगा ही। तो फिर क्या वजह है कि पानीपतके मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो पानीपत मेरे लिए कसौटी बन जाती है और मुझे भी शायद वहां जाना पड़ जाय। वह यहांसे ५० मील दूर-पर तो है। वह दूर नहीं कहा जा सकता, वह दिल्ली ही-जैसा है। अब अगर वहांके एक भी मुसलमानको पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो मुझे चुभेगा और आपको भी चुभेगा। हां, जब वे रहते हैं तो उन्हें

जो पैसा मिलता है उसका खाना भी मिलना चाहिए। वे मेहनती हैं—कमाते है और खाते है। अगर पैसे दे दे और खाना न मिले तब फिर कैसे रहेंगे ? अगर ऐसे कारीगरको जो भाई-भाई बनकर रहते हैं, जाना पड़े, क्योंकि वहां पजाबसे दूसरे भाई आ गए है, तो इससे और खराब चीज कोई हो ही नही सकती। पानीपतमें जितने शरणार्थी पडे हैं उनसे मै कहूगा कि वे मुसलमानोका घर छोड़ दे और मुसलमान भी कहें कि हम रहेंगे—हिफाजतके लिए हमे पुलिसकी जरूरत नही है, हम आपसमें रहेंगे। पुलिसका यही काम रहे कि जितना अनाज आए उसे सबको दे, कपड़ा सबको दे, इससे ज्यादा काम करनेकी जरूरत नही। तब मै कहूगा कि काग्रेस महासमितिने जो किया है वह अच्छा किया है और हम भी उसके साथ हैं। हम सब चाहे चार आनेके सदस्य हों या नही, कांग्रेसका अदब करते है। इतने दिनोंतक जिस संस्थाने देशकी सेवा की है तो आज भी, जब कि खिलाफ वातावरणमे जान-बूझकर जो चीज वह कह रही है उसकी ताईद करें और अमलमे लाएं ? बस, आज मै इतना ही कहूगा।

: १५३ :

१६ नवंबर १६४७

भाइयो और बहनो,

कल शामको मैंने हिंदू-मुस्लिम-संबंधोंके बारेमें पास किये गए ए० आई० सी० सी०के खास ठहरावका जिक्र किया था। लेकिन आज ही मुझे मिसाल देकर आपसे यह कहना पडता है कि दिल्लीमे उस ठहरावको कैसे बेकार बनाया जा रहा है। मुझे इस बातकी कल्पना भी नही थी कि जिस शामको मै जनताके बरतावके बारेमें अपना शक जाहिर कर रहा हू, उसी शामको पुरानी दिल्लीके केंद्रमें उसे सच साबित करके दिखाया जायगा। कल रात मुझसे कहा गया कि चांदनी चौककी एक मुसलमानकी दुकानके सामने हिंदुओं

और सिखोंकी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वह दुकान थी तो मुसलमानकी लेकिन उसका मालिक उसे छोड़कर चला गया था। वह इस शर्तपर एक निराश्रितको दी गई थी कि मालिकके लौट आनेपर उसे दुकान छोड़ देनी होगी। खुशीकी बात है कि दुकानका मालिक लौट आया। वह हमेशाके लिए अपना व्यापार नही छोड़ना चाहता था। जिस अफसरके हाथमें यह काम था, वह दुकानमें रहनेवाले निराश्रितके पास गया और उसे असल मालिकके लिए दुकान खाली कर देनेको कहा। पहले तो वह निराश्रित कुछ हिचकिचाया, लेकिन बादमें उसने कहा कि आप जब शामको दुकानका कब्जा लेनेके लिए आएगे, तो मै जरूर खाली कर दूगा। अफसर जब शामको दुकान-पर लौटा, तो उसे पता चला कि वहां रहनेवाले निराश्रितने दुकानका कब्जा उसके मालिकको सौंपनेके बजाय अपने साथियों और दोस्तोंको इस बातकी सूचना कर दी, जो, कहा जाता है कि वहां धमकी दिखाने-के लिए इकट्ठे हो गए थे। चांदनी चौकके थोड़ेसे पुलिसवाले उस भीड़को काबूमें न रख सके। इसलिए उन्होंने ज्यादा मदद बुलाई। पुलिस या फौजके सिपाही आए और उन्होने हवामें गोली चलाई। डरी हुई भीड़ बिखर तो गई, लेकिन साथ ही एक राहगीरको छुरेसे घायल भी करती गई। तकदीरसे वह घाव जानलेवा साबित न हुआ। लेकिन फिसादी लोगोंके प्रदर्शनका अजीब नतीजा हुआ! वह दुकान खाली नही की गई। मैं नहीं जानता कि आखिरमें उस अफ-सरके आदेशको ठुकरा दिया गया या इस वक्ततक वह दुकान खाली कर दी गई है। फिर भी, मुझे आशा है कि हिंदुस्तानको जो बहुमूल्य आजादी मिली है, उसमें अगर सरकारी सत्ताको सच्ची सत्ता बने रहना है, तो वह अपराधीको अपराधकी सजा दिये बिना न रहेगी। वर्ना सरकारकी सत्ता सत्ता ही न रह जायगी। मुझसे कहा गया है कि हिंदुओं और सिखोंकी वह भीड़ दो हजारसे कम न रही होगी।

यह खबर जिस तरह मुझे मिली, उसे कुछ कम करके ही मैंने सुनाया है। अगर फिर भी उसमें सुधारकी कोई गुंजाइश हुई और वह मेरे ध्यानमें लाई गई, तो मै खुशीसे आपको बता दूंगा।

यही सब कुछ नहीं है। दिल्लीके दूसरे हिस्सेमें मुसलमानोंको अपने घरोंसे जबरन निकालनेकी कोशिश की जा रही है, ताकि वहां हिंदू और सिख निराश्रितोंको जगह दी जा सके। इसका तरीका यह है कि सिख लोग अपनी तलवारे म्यानसे निकालकर घुमाते हैं और मुसलमानोंको अपने घर न छोडनेपर भयानक बदला लेनेकी धमकी देकर डराते है। मुझसे यह भी कहा गया है कि सिख शराब पीते हैं, जिसके नतीजोंका आसानीसे अंदाजा लगाया जा सकता है। वे नंगी तलवारे लेकर नाचते हैं, जिससे रास्ता चलनेवाले लोग डर जाते है। मुझसे यह भी कहा गया है कि चांदनी चौकमें और उसके आसपास यह रिवाज है कि मुसलमान कबाब या गोश्तकी बनी दूसरी खानेकी चीजे नही बेचते, लेकिन सिख और शायद दूसरे निराश्रित भी बद की हुई ये चीजें वहां आजादीसे बेचते है। इससे उस मोहल्लेके हिंदुओंको बडा दुःख होता है। यह बुराई यहातक बढ़ गई है कि लोगोको चांदनी चौकमें खड़ी भीड़मेंसे निकलना मुश्किल मालूम होता है। उन्हे डर लगता है कि कही उनके साथ बुरा या असभ्य बरताव न किया जाय। मै अपने निराश्रित दोस्तोंसे अपील करता हू कि वे अपने खातिर और अपने देशके खातिर इस तरहकी बाते न करें।

कृपाणोंके बारेमें थोड़े समयके लिए यह कानून बना दिया गया है कि सिख एक खास नापसे बड़ी कृपाण नही रख सकते। इस पाबंदीके दरमियान बहुतसे सिख दोस्त मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अपना असर डालकर एक खास नापसे बड़ी कृपाण रखनेपर लगाई पाबंदीको हटानेकी कोशिश करूं। उन्होंने कुछ साल पहले दिया हुआ, प्रिवी कौंसिलका वह फैसला मुझे कह सुनाया जिसमें कहा गया है कि कोई सिख किसी भी नापकी कृपाण अपने साथ रख सकता है। मैंने वह फैसला नही पढ़ा है। मैं समझता हूं कि जजोंने कृपाणका अर्थ किसी भी नापकी 'तलवार' लगाया है। उस समयकी पंजाब-सरकारने प्रिवी कौंसिलके फैसलेपर अमल करनेके लिए यह ऐलान किया कि हर आदमी तलवार रख सकता है। इसलिए पंजाबमें कोई भी आदमी किसी भी नापकी तलवार रख सकता है।

मुझे पंजाब-सरकार या सिखोंकी इस बातसे कोई हमदर्दी नहीं है। कुछ सिख दोस्तोंने मेरे सामने ग्रंथ साहबके ऐसे हिस्से पेश किये हैं, जो मेरी इस रायका समर्थन करते हैं कि कृपाण बेगुनाहों-पर हमला करने या किसी भी तरह इस्तेमाल करनेका हथियार नहीं है। सिर्फ ग्रंथ साहबके आदेशोंको माननेवाला सिख ही बिरले मौकोंपर बेगुनाह औरतों, मासूम बच्चों, बूढे और दूसरे असहाय लोगोंकी रक्षाके लिए कृपाणका उपयोग कर सकता है। इसी कारणसे एक सिख सवा लाख विरोधियोंके बराबर माना जाता है। इसलिए जो सिख नशा करता है, जुआ खेलता है और दूसरी बुराइयोंका शिकार है, उसे पवित्रता और संयमके धार्मिक प्रतीक कृपाणको रखनेका कोई हक नही है, जो सिर्फ बताए हुए ढंग और मौकोंपर ही काममें लाई जा सकती है।

मेरी रायमें कृपाणके मनमाने उपयोगको सही साबित करनेके लिए प्रिवी कौंसिलके गए-गुजरे फैसलोंकी मदद चाहना बेकार और नुकसानदेह भी है। हम हालमे ही गुलामीके बंधनसे छूटे हैं। आजादीकी हालतमें सारी अच्छी पाबदियोंको तोड़ना बिलकुल गैर मुनासिब है। क्योंकि उनके बिना समाज आगे नही बढ़ सकता। इसलिए मैं अपने सिख दोस्तोंसे कहूंगा कि वे किसी भी ऐसे काममे, जिसके सही और मुनासिब होनेमें शक हो, कृपाणका उपयोग करके महान् सिख-पंथके नामपर धब्बा न लगावें। जिस पंथको ऐसे कई शहीदोंने, जिनकी बहादुरीपर सारी दुनियाको गर्व है, बनाया उसे वे मिटा न दें।

मैं एक दूसरी बातकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मुझे एक छावनीकी कहानी सुनाई गई, जिसमें फौजपर असभ्य बरतावका इलजाम लगाया गया है। छावनीका सारा जीवन भीतरी और बाहरी शुद्धता और सफाईका नमूना होना चाहिए। इसकी रक्षाके लिए दोनोंको एक-दूसरेसे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे आशा है कि जो सूचना मुझे दी गई है, वह कानून और व्यवस्था-के इन रक्षकोंपर आम तौरपर लागू नहीं की जा सकती—वह एक अपवाद ही है। फौज और पुलिसको सचमुच सबसे पहले आजादीकी

चमक और उत्साह महसूस करना चाहिए। 'उनके बारेमें लोगोंको यह कहनेका मौका न मिले कि ऊपरसे लादे हुए भयानक संयम और पाबंदियोंमें ही उनसे अच्छा बरताव कराया जा सकता है। उन्हें अपने सही बरतावसे यह साबित कर देना है कि वे भी दूसरोंकी तरह हिंदुस्तानके योग्य और आदर्श नागरिक हो सकते हैं। अगर ये कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुकराएंगे, तब तो राज चलाना भी नामुमकिन हो सकता है। और अखिल भारत-कांग्रेस कमेटीके ठहरावोंको ठीक तरहसे अमलमें लाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जायगा।

तस्वीरका धुंधला पहलू बतानेके बाद अब में आप लोगोंको उसका चमकीला पहलू भी खुशीसे बताऊंगा। मुझे आदर्श बहादुरीकी एक आंखोंदेखी कहानीका जो वर्णन मिला है, वह मैं आपको सुनाता हूं।

"मीर मक़बूल शेरवानी बारामूलामें नेशनल कान्फरेंसका एक नौजवान बहादुर नेता था। उसने अभी तीसवें बरसमें प्रवेश ही किया था।

"यह जानकर कि वह नेशनल कान्फरेंसका बड़ा नेता है, हमलावरोंने उसे निशात टॉकीजके पास दो खंभोंसे बाध दिया। पहले उन्होंने उसे पीटा और बादमें कहा कि वह नेशनल कान्फरेंस और उसके नेता शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्लाको छोड़ दे। उन्होंने शेरवानीसे कहा कि वह आजाद काश्मीरकी आरज़ी हकूमतकी, जिसका हेडक्वार्टर पालन्द्रीमें है, वफादारीकी सौगंध ले।

"शेरवानीने मजबूतीसे नेशनल कान्फरेंसको छोड़नेसे इन्कार कर दिया। हमलावरोंसे साफ कह दिया कि शेरे काश्मीर अब राजके प्रधान मंत्री हैं। हिंदुस्तानी संघकी फौज काश्मीरमें आ पहुंची है और वह थोड़े ही दिनोंमें हमलावरोंको काश्मीरसे निकाल बाहर करेगी।"

"यह सुनकर हमलावर गुस्सा हुए और डर गए। और उन्होंने १४ गोलियोंसे उसका शरीर छलनी बना डाला। उन्होंने उसकी नाक काट ली, उसके चेहरेको बिगाड़ दिया, और उसके शरीरपर एक इश्तहार लगा दिया, जिसपर लिखा था—'यह गद्दार है। इसका नाम शेरवानी है। सारे गद्दारोंका यही हाल किया जायगा।'

"मगर इस बेरहमीभरे खून और आतंकके बाद ४८ घंटोंके भीतर ही शेरवानीकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। हमलावर घबड़ाकर बारामूलासे भागे और हिंदुस्तानी फ़ौजने जोरोंसे उनका पीछा किया।"

यह ऐसी शहादत है जिसपर कोई भी अभिमान कर सकता है, फिर वह हिंदू, सिख, मुसलमान या दूसरा कोई भी क्यों न हो।

एक दोस्तने मुझे फ़ख्रकी एक ऐसी मिसाल सुनाई है, जिसका तेज दुःखदायी परिस्थितियोंमें भी कम नही होता, और दोस्तीका ऐसा उदाहरण बताया है, जो कड़े-से-कड़े वक्तमें भी खरी उतरती है। यह नारायणसिंह नामके एक पुराने अफसरकी कहानी है। उन्होंने पच्छिमी पंजाबमें अपनी बहुत बड़ी मिल्कियत खो दी है। अब वह दिल्लीमें हैं। उनके पास कुछ भी नही बचा है। इसलिए या तो उन्हें अब भीख मांगनेपर लाचार होना पडे या मौतका शिकार होना पड़े। वह अपने एक पुराने दोस्तसे मिले, जिसे वह अपने साथ दुःखी नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि अपनेपर आए हुए दुर्भाग्यकी उन्हें बिलकुल परवाह नही थी। वह सिख अफसर अपने दोस्त और साथी अफसर अलीशाहसे मिलकर बेहद खुश हुए। अलीशाह भी अपना सब कुछ खो बैठे हैं। वे फ़िरकेवाराना पागलपनकी वजहसे नही, बल्कि किसी और कारणसे बदकिस्मतीके शिकार हुए हैं। वह भी नारायणसिंहकी तरह ही बहादुर हैं, और दोनोंको एक-दूसरेकी दोस्तीका अभिमान है। वे दोनों अपनी पच्चीस सालकी जुदाईके बाद जब मिले, तो इतने खुश हुए कि अपने दुर्भाग्यको भूल गए।

: १५४ :

२० नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझे एक ही शख्सकी तरफसे दो चिटें मिली हैं, जिनमेंसे एकमें लिखनेवाले भाईने कहा है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और

वे मेरे मातहत काम करना चाहते हैं। दूसरी चिटमें उन्होंने प्रार्थनामें एक भजन गानेकी अपनी इच्छा जाहिर की है। उनकी पहली इच्छाके बारेमें मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर ग़लती की है। यह सच है कि अंग्रेजी हकूमतके दिनोंमें मैंने लोगोंको सरकार-से असहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर अब ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आदमी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिए कहीपर नौकरी करते हुए भी अपने देशकी सेवा कर सकता है। हर रोजी कमानेवाले शख्स, अगर वह ईमानदारीसे और किसी भी क़िस्मकी हिंसा किये बग़ैर ऐसा करता है, देशसेवा ही करता है। लेखकको यह भी महसूस करना चाहिए कि मेरे पास उनके लिए कुछ काम नहीं है। अगर वे कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हे उस गोशालामें अपनी सेवाएं देनी चाहिए जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा।

प्रार्थनामें भजन गानेके बारेमें तो यह है कि हर किसीको उसमें गाने नही दिया जा सकता। सिर्फ़ वे ही लोग पहलेसे इजाजत लेंकर गा सकते है, जो भगवानके सेवक कहे जाते हैं।

(इसके बाद गांधीजीने सुचेतादेवी और उनके साथी कार्यकर्ताओंके साथ किये गए ओखला छावनीके अपने मुआइनेका जिक्र किया। उन्होंने कहा—)

उस छावनीकी तारीफके लायक़ सफ़ाईको देखकर मुझे खुशी हुई। वहांपर जगह-जगह यात्रियोंके लिए धर्मशालाएं बनी हैं, जो मेलोंके वक्त वहां आते है। ये मेले एक निश्चित समयके बाद वहां भरते रहते है। ये धर्मशालाए अब निराश्रितोंके काममें लाई जाती हैं। वहां पानीकी कुछ दिक्कत है, जिसे अधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि आज वहा जितने निराश्रित हैं उनसे कहीं ज्यादा निराश्रितोंको, अगर पानी पुरानेकी गारंटी दी जा सके, उस जगहमें आसरा दिया जा सकता है।

जब मैं निराश्रितोंके बारेमें बोल रहा हूं, तब कुछ ऐसे दोषोंके बारेमें उनका ध्यान खींचना चाहूंगा जो मुझे बताए गए हैं। मुझसे यह कहा गया है कि निराश्रितोंमें आपसमें ही काला बाजार चल रहा है। जिन अफ़सरोंके जिम्मे निराश्रितोंकी देखभालका काम है, वे भी

दोषी बताए जाते हैं। मुझसे कहा गया है कि जिन अफ़सरोंके हाथमें छावनियोंका इंतजाम है, उन्हें घूस दिये बिना वहां जगह पाना मुमकिन नही है। दूसरी तरहसे भी उनका बरताव दोषसे परे नहीं माना जाता। यह ठीक है कि सभी अफ़सर दोषी नहीं हो सकते, लेकिन एक पापी सारी नावको डुबो देता है।

इसके बाद मुझसे कहा गया है कि निराश्रित लोग छोटी-मोटी चोरियां भी करते हैं। मैं उनसे पूरी ईमानदारी और खरे बरतावकी आशा रखता हूं। मुझे यह रिपोर्ट दी गई है कि निराश्रितोंको जाड़ेसे बचनेके लिए जो रजाइयां दी जाती हैं, उनमेंसे कुछ चीर दी जाती हैं, उनकी रूई फेंक दी जाती है और छीटके कमीज वगैरा बना लिये जाते हैं। मुझे इसी तरहकी दूसरी बहुत-सी बातें बताई गई हैं, लेकिन में निराश्रितोंके सारे बुरे कामोंका वर्णन करके आपका वक्त नहीं बरबाद करना चाहता। मै आज शामके विषयपर जल्दी ही आना चाहता हूं।

दिल्लीकी किशनगंज नामकी बस्तीमे एक गोशालाका सालाना जलसा हो रहा है। कल आचार्य कृपलानी उस जलसेके सभापति बननेवाले हैं और मुझपर यह जोर डाला गया कि मै कम-से-कम १० मिनटके लिए तो भी जलसेमें जाऊं। मुझे लगा कि मुझे किसी जलसे या उत्सवमें सिर्फ शोभाके लिए नही जाना चाहिए। १० मिनटमें न तो वहां मैं कुछ कर सकता हूं और न देख सकता हूँ। और, मैं सांप्रदायिक सवालोंमें ही इतना उलझा रहता हूं कि मुझे दूसरी बातोंकी तरफ ध्यान देनेका समय नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपनी मजबूरी जाहिर की। जलसेका इंतजाम करनेवाले लोगोंने मेरी लाचारीको महसूस करके मुझे माफ कर दिया और कहा कि अगर आप गोसेवाके बारेमें—खास कर गोशालाओंके बारेमें—अपनी बात प्रार्थना-सभामें कह देंगे, तो हमें संतोष हो जायगा। मैंने उनकी यह बात खुशीसे मान ली। मै साफ शब्दोंमें यह कह चुका हूं कि हिंदुस्तानके पशु-धनको संभालने व बढ़ानेका काम और गाय और उसकी संतानके साथ उचित बरताव करनेका काम सियासी[1]

[1] राजनीतिक।

आज़ादी लेनेके कामसे कही ज़्यादा कठिन है। मैं इस मामलेमें श्रद्धा और लगनसे काम करनेका दावा करता हूं। मेरा यह भी दावा है कि मुझे इस बातका सच्चा ज्ञान है कि गाय कैसे बचाई जा सकती है। लेकिन मैं यह कबूल करता हू कि अभीतक मै आम लोगोंपर किसी तरह ऐसा असर नही डाल सका जिससे वे इस सवालपर उचित ध्यान दे सकें। जो लोग गोशालाओंका इंतजाम करते है वे उनके लिए पैसा लगाना या फंड जमा करना तो जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तानके पशु-धनका वैज्ञानिक ढगसे पालन-पोषण करनेका उन्हें बिलकुल ज्ञान नही होता। वे यह नही जानते कि गायको कैसे पाला जाय कि वह ज़्यादा दूध दे। उन्हें यह भी नही मालूम कि गायके दिये हुए बैलोंका कैसे विकास किया जाय, या उनकी नसल कैसे सुधारी जाय।

इसलिए हिंदुस्तानभरमे गोशालाएं ऐसी संस्थाएं होनेके बजाय—जहां कोई शख्स हिंदुस्तानके ढोरोंको ठीक तरहसे पालनेकी कला सीख सके, जो आदर्श डेरियां हों, और जहासे लोग अच्छा दूध, अच्छी गायें, अच्छी नसलके सांड और मज़बूत बैल खरीद सकें—सिर्फ़ ऐसी जगहे हैं, जहां ढोरोंको बुरी तरह रखा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिंदुस्तान दुनियामें ऐसा खास देश होनेके बजाय, जहां बड़े अच्छे ढोर हों, और जहां सस्ते-से-सस्ते दामोंपर जितना चाहो उतना शुद्ध दूध मिल सके, आज इस मामलेमें शायद दुनियाके सारे देशोसे नीचे है। गोशालावाले इतना भी नहीं जानते कि गोबर और गोमूत्रका अच्छे-से-अच्छा क्या उपयोग किया जाय; न वे यही जानते है कि मरे हुए जानवरका कैसे उपयोग किया जाय। नतीजा यह हुआ है कि अपने अज्ञानकी वजहसे उन्होंने करोड़ों रुपए गँवा दिये है। किसी माहिरने कहा है कि हमारा पशुधन देशके लिए बोझ है और वह सिर्फ़ नष्ट कर देनेके ही काबिल है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मगर यदि आम अज्ञान इसी तरह कुछ दिनोंतक और बना रहा, तो मुझे यह जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि पशु देशके लिए बोझ बन गए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस गोशालाके प्रबंध करनेवाले इसे हर दृष्टिकोणसे एक आदर्श संस्था बनानेकी पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

: १५५ :

२१ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

जब मैं आप लोगोंके सामने अपना भाषण दे रहा हूं, तब शायद जिस गोशालाके बारेमें मैंने कल शामको आपसे कुछ कहा था, उसका सालाना जलसा अभी हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। कल शामके अपने भाषणोंमें मैंने फौजियोंके लिए हिंदुस्तानमें चलाई जानेवाली विभिन्न डेरियोंका जिक्र नहीं किया था। डॉ० राजेंद्रप्रसादने मुझे बतलाया है कि वे डेरियां अभी भी चल रही हैं। बरसों पहले मैं बगलोरकी सेंट्रल डेरी देखने गया था। तब कर्नल स्मिथकी देख-रेखमें वह चल रही थी। मैंने वहां कुछ सुंदर ढोर देखे थे। उनमें एक इनाम पाई हुई गाय थी। वे लोग मानते थे कि एशियाभरमें वह सबमें अच्छी गाय है। वह हर रोज ७५ पौंड दूध देती थी या एक ही बारमें इतना दूध देती थी, यह मुझे बराबर याद नहीं है। वह गाय बिना किसी रोक-टोकके चाहे जहां घूम-फिर सकती थी। उसके लिए जहां-तहां चारा रखा रहता था, जिसे वह चाहे तब खा सकती थी। यह इस तसवीरका अच्छा पहलू है।

दूसरा पहलू मैंने नहीं देखा, मगर मुझे प्रामाणिक तौरपर कहा गया है कि बहुतसे नर बछड़ोंको मार डाला जाता है, क्योंकि उन सबको बोझ ढोने लायक बैल नहीं बनाया जा सकता। ये डेरियां, बहुत ज्यादा नहीं, तो सैकडों एकड़ जमीन घेरे हुए हैं। ये सब खास तौरपर यूरोपियन सिपाहियोंके लिए हैं। इनमें कई करोड़ रुपया लगा है। अब चूंकि ब्रिटिश सिपाही हिंदुस्तानमें नहीं हैं, इसलिए मैं इनकी और ज्यादा जरूरत नहीं समझता। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हिंदुस्तानी सिपाहीको यह मालूम हो कि ये खर्चीली डेरियां उसके लिए चलाई जा रही हैं, तो उसे शर्म मालूम होगी। मुझे यह भी विश्वास है कि हिंदुस्तानी सिपाही ऐसे किसी खास बरताव का दावा नहीं करेगा जिसका मामूली नागरिक भी उतना ही हक़दार न हो।

गाय और भैंसके बारेमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक और शायद पूर्ण साहित्य, खादी-प्रतिष्ठानके श्री सतीशचंद्रदास गुप्तद्वारा लिखे हुए एक बड़े भारी ग्रंथमें पाया जा सकता है। जहां-तहांके साहित्यके अवतरणोंसे इस ग्रंथको नही भरा गया है, बल्कि उसे निजी अनुभवके आधारपर, जब वे एक बार जेलमें थे, तब लिखा गया है। बंगाली और हिंदुस्तानीमें उसका अनुवाद हो चुका है। पुस्तकको ध्यानसे पढने-वाले लोग इसे हिंदुस्तानके पशुधनको अच्छा बनाने और दूधकी पैदावारको बढ़ानेके काममें बहुत उपयोगी पाएगे। इस किताबमें गाय और भैंसकी तुलना भी की गई है।

(इसके बाद गांधीजीने एक सवालका ज़िक्र किया, जो उनके पास श्रोताओंमेंसे किसीने भेजा था। सवाल यह था—हिंदू क्या है ? इस शब्दकी उत्पत्ति कैसे हुई ? क्या हिंदुत्व नामकी कोई चीज है ? इसका जवाब देते हुए गांधीजीने कहा—) ये सब इस वक्तके लिए योग्य सवाल है। मै इतिहासका कोई बडा जानकार नही हूं। मै विद्वान होनेका दावा भी नही करता। मगर हिंदुत्वपर लिखी हुई किसी प्रामाणिक किताबमें मैने पढ़ा है कि हिंदू शब्द वेदोमे नही है। जब सिकंदर महान्‌ने हिंदुस्तानपर चढाई की, तब सिंधु नदीके पूरबके देशमे रहनेवाले लोग, जिसे अंग्रेजीदा हिंदुस्तानी 'इंडस' कहते है, हिंदूके नामसे पुकारे गए। सिंधुका 'स' ग्रीक भाषामे 'ह' हो गया। इस देशके रहनेवालोंका धर्म हिंदू-धर्म कहलाया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह सबसे ज्यादा सहिष्णु (रवादार) धर्म है। इसने उन ईसाइयोंको आसरा दिया जो विधर्मियोंसे सताए जाकर भागे थे। इसके सिवा इसने उन यहूदियोंको, जो बेनिइज़राइल कहे जाते हैं, और पारसियोंको भी आसरा दिया। मै इस हिंदू-धर्मका सदस्य होनेमे अभिमान महसूस करता हूं, जिसमे सभी धर्म शामिल है और जो बडा सहनशील है। आर्य विद्वान वैदिक धर्मको मानते थे और हिंदुस्तान पहले आर्यावर्त कहा जाता था। वह फिरसे आर्यावर्त कहलाए ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कल्पनाका हिंदू-धर्म मेरे लिए अपने आपमे पूर्ण है। बेशक, उसमें वेद शामिल है, मगर उसमें

और भी बहुत कुछ शामिल है। यह कहनेमें मुझे कोई नामुनासिब बात नहीं मालूम होती कि हिंदू-धर्मकी महत्ताको किसी भी तरह कम किये बगैर मैं मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी-धर्ममें जो महत्ता है उसके प्रति हिंदू-धर्मके बराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हूं। ऐसा हिंदू-धर्म तबतक जिंदा रहेगा, जबतक आकाशमें सूरज चमकता है। इस बातको तुलसीदासने एक दोहेमें रख दिया है—

दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िए, जब लगि घटमें प्रान ।।

मेरे ओखला छावनीके मुआइनेके वक्त जो बहन मेरे साथ थीं, वे इस खयालसे घबडा गईं कि निराश्रितोंकी कुछ छावनियोंमें बुरा आचरण होनेकी मैंने जो बात कही थी, उसका संबंध कही ओखला छावनीसे तो नही है। ओखला छावनीको मैंने बहुत जल्दीमें देखा है, इसलिए उसके बारेमे ऐसी कोई बात कहना मेरे लिए नामुमकिन है। अपने भाषणमें मैंने आम छावनियोंमें होनेवाले बुरे आचरणका ही जिक्र किया है।

मै इस बातका जिक्र किये बिना नही रह सकता कि मुझे जो सूचना मिली है उसके मुताबिक दिल्लीकी करीब १३७ मसजिदें हालके दंगोंमें बरबाद-सी कर दी गई हैं। उनमेसे कुछको मदिरोंमे बदल डाला गया है। ऐसी एक मसजिद कनॉट प्लेसके पास है, जिसकी तरफ किसीका भी ध्यान गए बिना नहीं रह सकता। आज उसपर तिरंगा झडा फहरा रहा है। उसे मंदिरका रूप देकर उसमें एक मूर्ति रख दी गई है। मसजिदोंको इस तरह बिगाडना हिंदू और सिख-धर्मपर कालिख पोतना है। मेरी रायमें यह बिलकुल अधर्म है। जिस कलंकका मैंने जिक्र किया है, उसे यह कहकर कम नही किया जा सकता कि पाकिस्तानमें मुसलमानोंने भी हिंदू-मंदिरोंको बिगाडा या उन्हें मस-जिदोंका रूप दे दिया है। मेरी रायमें ऐसा कोई भी काम हिंदू-धर्म, सिख-धर्म या इस्लामको बरबाद करनेवाला काम है।

(गांधीजीने इस बारेमें अखिल भारत-कांग्रेस-कमेटीका हालका ठहराव लोगोंको सुनाया।)

आज हमेशासे ज्यादा समयके लिए प्रार्थना-सभामें ठहरनेका खतरा उठाकर भी में अंतमें एक बात कह देना अपना फर्ज समझता हूं। मुझसे यह कहा गया है कि गुड़गावके पास रोमन कैथोलिकोंको सताया जाता है। जिस गांवमें यह हुआ है, उसका नाम कन्हाई है। वह दिल्लीसे करीब २५ मीलपर है। एक हिंदुस्तानी रोमन कैथोलिक पादरी और एक गांवके ईसाईप्रचारक मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे वह खत दिखाया जिसमें कन्हाई गांवके रोमन कैथोलिकोंने हिंदुओंद्वारा अपने सताए जानेकी कहानी बयान की थी। ताज्जुब यह है कि वह खत उर्दूमे लिखा था। मैं समझता हूं कि उस हिस्सेके रहनेवाले हिंदू, सिख या दूसरे लोग केवल हिंदुस्तानी ही बोल सकते और उर्दू-लिपिमें ही लिख सकते हैं। सूचना देनेवाले लोगोंने मुझे बताया कि वहाके रोमन कैथोलिकोंको यह धमकी दी गई है कि अगर वे गाव छोड़कर चले नही जायंगे, तो उन्हे नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि यह धमकी झूठी है और वहांके ईसाई भाई-बहनोंको बिना किसी रुकावटके अपना धर्म पालने और काम करने दिया जायगा। अब हमे सियासी गुलामीसे आजादी मिल गई है। इसलिए आज भी उन्हें धर्म और कामकी वही आजादी भोगनेका हक है, जो वे ब्रिटिश हुकूमतके दिनोंमे भोगते थे। मिली हुई आजादीपर यूनियनमे सिर्फ हिंदुओंका और पाकिस्तानमे सिर्फ मुसलमानोंका ही हक नहीं है। मैं अपने एक भाषणमें आप लोगोंसे कह चुका हू कि जब यूनियनमे हिंदुओं और सिखोंका मुसलमानोंके खिलाफ भडका हुआ गुस्सा कम हो जायगा, तो संभव है वह दूसरोंपर उतरे। लेकिन जब मैने यह बात कही थी तब मुझे यह आशा नही थी कि मेरी भविष्यवाणी इतनी जल्दी सच साबित होने लगेगी। अभीतक मुसलमानोंके खिलाफ बढ़ा हुआ गुस्सा पूरी तरह शांत नही हुआ है। जहांतक मै जानता हूं, ये ईसाई बिलकुल निर्दोष है। मुझे सुझाया गया कि उनका गुनाह यही है कि वे ईसाई हैं। इससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह यह है कि वे गाय और सूअरका गोश्त खाते हैं। मैंने उत्सुकतासे मिलने आए हुए पादरीसे पूछा कि इस बातमें कोई सचाई है? तब उन्होंने कहा कि इन रोमन कैथोलिकोंने अपनी मरजीसे बहुत पहले ही

गाय और सूअरका मांस खाना छोड़ दिया है। अगर इस तरहका नादानीभरा द्वेष चालू रहा तो आज़ाद हिंदुस्तानका भविष्य अंधेरा ही समझिए। वह पादरी जब रेवाड़ीमें थे, तव उनकी खुदकी साइकिल उनसे छीन ली गई और वह मौतसे बालबाल बचे। क्या यह दुःख सारे ग़ैर-हिंदुओं और ग़ैर-सिखोंको मिटाकर ही मिटेगा ?

: १५६ :

२२ नवबर १९४७

(गुड़गांवके नज़दीक एक गांवमें ईसाइयोंके साथ होनेवाले बुरे बरताव-का फिरसे ज़िक्र करते हुए गांधीजीने अपने आजके शामके भाषणमें कहा—)

भाइयो और बहनो,

मुझे खबर मिली है कि कुछ-कुछ ऐसा ही बरताव सोनीपतके ईसाइयोंके साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहां ईसाइयोंसे प्रार्थना की गई कि वे निराश्रितोंको अपने मकानोंका उपयोग करने दे। ईसाइयोंने खुशीसे इसकी इजाज़त दे दी और इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। मगर यह धन्यवाद अभिशापमें बदल गया; क्योंकि उनके दूसरे मकान भी जबरदस्ती निराश्रितोंके काममें ले लिये गए और उनसे कह दिया गया कि अगर वे सोनीपतमें अपनी जिंदगीको बहुत दुःखी नहीं देखना चाहते, तो वहासे चले जायं। अगर यह बात ऐसी ही हो, जैसी कि वह कही गई है, तो साफ जान पड़ता है कि यह बीमारी बढ़ रही है और कोई नही बता सकता कि यह बीमारी हिंदुस्तानको कहां ले जानेवाली है।

जब मैं कुछ दोस्तोंसे चर्चा कर रहा था, तब मुझसे कहा गया कि जबतक पाकिस्तानमें होनेवाली इसी किस्मकी बुराइयां कम नहीं होतीं, तबतक हिंदुस्तानी संघमें ज्यादा सुधारकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बातके समर्थनमें मेरे सामने लाहौरके बारेमें जो कुछ अख-बारोंमें छपा है, उसका उदाहरण रखा गया। मैं खुद अखबारोंकी

खबरोंको सोलह आने सच नही मानता और मैं अखबार पढ़नेवालोंको भी चेतावनी दूगा कि वे उनमें छपी कहानियोंका अपने ऊपर आसानीसे असर न पड़ने दें। अच्छे-से-अच्छे अखबार भी खबरोंको बढ़ा-चढ़ाकर कहने और उन्हें रंगनेसे बरी नही है। मगर मान लीजिए कि जो कुछ आपने अखबारोंमे पढ़ा वह सब सच है, तो भी एक बुरे नमूनेकी कभी नकल नही की जानी चाहिए।

एक ऐसे समकोण चौखटकी कल्पना कीजिए, जिसमे स्लेट नही लगी है। अगर उस चौखटको ज़रा भी बेढगे तरीक़ेसे पकड़ा जाय, तो उसके समकोण न्यूनकोण और अधिककोणमें बदल जायंगे और अगर चौखटको एक कोनेपर फिरसे ठीक ढंगसे पकड़ा जाय, तो दूसरे तीन कोने अपने आप समकोण बन जायगे। इसी तरह अगर हिंदुस्तानी संघकी सरकार और लोग, सही बरताव करें, तो मुझे इसमें ज़रा भी शक नही कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करने लगेगा और सारा हिंदुस्तान फिरसे समझदार बन जायगा। ईसाइयोंके साथ किये गए बुरे बरतावको, जिन्होने, जहांतक मैं जानता हू, कोई अपराध नहीं किया है, इस बातका संकेत समझा जाय कि इस पागलपनको और ज्यादा बढने देना ठीक नहीं है। और अगर हिंदुस्तानको दुनियाके सामने अपना अच्छा लेखा-जोखा रखना है, तो एकदम और तेज़ीके साथ इस पागलपनका मुक़ाबला किया जाय।

(इसके बाद निराश्रितोकी समस्यापर बोलते हुए गांधीजीने कहा—)

उनमें डाक्टर, वकील, विद्यार्थी, शिक्षक, नर्सें वग़ैरा हैं। अगर उन्होंने गरीब निराश्रितोंसे अपने आपको अलग कर लिया, तो वे अपने ऊपर पड़े हुए एकसे दुर्भाग्यसे कोई सबक़ नहीं ले पायंगे। मेरी राय है कि सब व्यवसायी और ग़ैर-व्यवसायी, धनवान और ग़रीब निराश्रित एक साथ रहे और जिस तरह लाहौरके धनवान लोगोंने लाहौरको आदर्श शहर बनाया—और जिसे हिंदुओं और सिखोंको लाचार होकर खाली करना पड़ा—उस तरह वे भी आदर्श शहर बसाएं। ये शहर, दिल्ली-जैसी घनी आबादीवाले शहरोंका बोझ हलका करेंगे और इनमें रहनेवाले लोगोंकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी और उनकी तरक्की होगी। अगर कुरुक्षेत्रकी

बड़ी छावनीमें रहनेवाले दो लाखसे ऊपर निराश्रित बाहरी और भीतरी सफाईके मामलेमें आदर्श बन गए, अगर व्यवसायी और धनवान गरीब निराश्रितोंके साथ बराबरीके आधारपर रहे, अगर उन्होंने तंबुओंकी इस बस्तीमें अच्छी सड़कें बनाकर संतोषकी जिंदगी बिताई, अगर वे सफ़ाईसे लगाकर सारे काम खुद करते रहे और दिनभर किसी-न-किसी उपयोगी काममें लगे रहे, तो वे सरकारी बजटपर बोझ नहीं रह जायंगे। और उनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोंमें रहनेवाले लोग सिर्फ उनकी तारीफ करके ही नहीं रह जायंगे, बल्कि उन्हें अपने जीवनपर शर्म मालूम होगी और वे निराश्रितोंकी सारी अच्छी बातोंकी नकल करेंगे। तब मौजूदा कड़ुवाहट और आपसी जलन एक मिनटमें गायब हो जायगी। तब निराश्रित लोग, चाहे वे कितनी ही बड़ी तादादमें क्यों न हों, केंद्रीय और मुक़ामी सरकारोंके लिए चिंताके विषय नहीं रह जायंगे। लाखों निराश्रितोंद्वारा बिताई गई ऐसी आदर्श जिंदगीकी दुःखी दुनिया तारीफ करेगी।

अंतमें मैं कंट्रोलोंको हटानेके बारेमें, खासकर अनाज और कपड़ेका कंट्रोल हटानेके बारेमें चर्चा करूंगा। सरकार कंट्रोल हटानेमें हिचकिचाती है, क्योंकि उसका खयाल है कि देशमें अनाज और कपड़ेकी सच्ची तंगी है। इसलिए अगर कंट्रोल हटा दिया गया तो इन चीज़ोंके दाम बहुत बढ़ जायंगे। इससे गरीबोंको बड़ा नुकसान होगा। गरीब जनताके बारेमें सरकारका यह खयाल है कि वह कंट्रोलोंके जरिए ही भुखमरीसे बच सकती है और तन ढकनेको कपड़ा पा सकती है। सरकारको व्यापारियों, अनाज पैदा करनेवालों और दलालोंपर शक है। उसे डर है कि ये लोग कंट्रोलोंके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देख रहे हैं, ताकि गरीबोंको अपना शिकार बनाकर बेईमानीसे कमाये हुए पैसेसे अपनी जेबें भर सकें। सरकारके सामने दो बुराइयोंमेंसे किसी एकको चुननेका सवाल है। और उसका खयाल है कि मौजूदा कंट्रोलोंको हटानेके बदले बनाए रखना कम बुरा है।

इसलिए मैं व्यापारियों, दलालों और अनाज पैदा करनेवालोंसे अपील करता हूं कि वे अपने प्रति किये जानेवाले इस शकको मिटा दें

और सरकारको यह यकीन दिला दें कि अनाज और कपड़ेका कंट्रोल हटनेसे कीमतें ऊंची नहीं चढ़ेगी। कंट्रोल हटानेमे काला बाजार और बेईमानी जड़से भले ही न उखाड़ी जा सकें, लेकिन इससे गरीबोंको आजसे ज्यादा सुख और आराम मिलेगा।

: १५७ :

२३ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाई लिखते हैं कि अगर हक नही मिले तो क्या हिंसाका मार्ग नहीं लेना चाहिए ? हिंसासे हम हक ले नहीं सकते। मै तो कहूंगा कि हिंसासे कुछ मिल ही नही सकता। लगता तो है कि मिल सकता है, लेकिन कैसे ? हां, एक बच्चा है, उसके हाथमें रुपया है, उसको दो-चार तमाचा मार दूं और रुपया ले लू, तो मीठा तो लगेगा कि रुपया तो ले लिया लेकिन मैंने गुमाया कितना! बच्चा बेचारा करे क्या ? लेकिन मेरा दिल चुभेगा कि बेचारे बच्चेका रुपया ले लिया, मारपीट करके। लेकिन ऐसे पाजी दुनियामें भरे पड़े है। मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। ऐसा छीननेका मेरा हक नहीं है। छीन लिया तो नतीजा बुरा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंसासे हक ले नहीं सकते। हक लेनेका एक ही तरीका है और वह मैंने प्रकट कर दिया है। वह सबको पसंद पड़ा। उसमें लिखा है कि लोगोंका हक क्या है और कैसे मिल सकता है। मैं तो कहूंगा कि हक है ही नहीं। जिसके पास फर्ज नहीं है तो उसका हक नहीं है, अर्थात् सब हक अपने फर्जमेंसे निकलता है—फर्ज नहीं तो हक नहीं। मैं फर्ज अदा करता हूं तो उसका नतीजा मिलता है, वही हक है। जैसे मैं खाता हूं, खानेका धर्म है तो खाता हूं, शौकसे लिया तो कुछ-न-कुछ रोग पैदा होगा। अगर खाता हूं धर्म समझकर, ईश्वरका नाम लेता हूं, दुनियाकी सेवा करता हूं तो मुझे हक मिल जाता है। क्या मिलता है ? सेवा

करनेका हक मिलता है। आप कहेंगे कि इसको हक कैसे कहेंगे ? आप विचार करेंगे तो यह मालूम हो जायगा। मै तो कहूंगा कि वही हक हो जाता है। मानो कि मैं दिनभर काम करता हूं तो आठ आना कमा लेता हूं—वह आठ आना हकसे मिलता है। हक कैसे आया? काम किया तब। काम न करूं और आठ आना पैसा लू तो हकसे नही लिया, छीन लिया। हक तो तभी होता है जब मजदूरी करनेका इकरार कर दिया और वह दिलसे किया अर्थात् मनसे, वचनसे, कर्मसे किया। लेकिन अगर दिलसे काम नहीं करता हूं, सरदारका बिगाड़ता हूं, सरदार देखता नहीं है, इसलिए धोखा दू तो वह पाप है। और जब देखता हूं कि दूसरेको तो एक रुपया मिल रहा है तो मै भी एक रुपया ले सकता हूं, लेकिन कब? सरदारको कहकर। उनको कहू सबको तो एक रुपया मिलता है तो मैं कैसे आठ आनेमें काम करू—एक रुपया नही तो पंद्रह आने तो दे दो। वह कहे कि आठ आनेमें काम करो तो करो नही तो चले जाओ। तब मै क्या करूं? क्या माल जला दूं, उसका काम रोक दूं, धरना दू, फाका करूं, क्या करूं? मै कहूंगा कि में इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन आठ आनेमें तो मजदूरी नहीं कर सकता हूं—यह तो शराफत हुई। में तो कहूंगा कि जो कुछ करना चाहो वह शराफतसे करो। शराफतमें यही आता है कि हम धर्मका पालन करें, फर्जको अदा करें और फर्ज-करके अहिंसासे हक पैदा करें। हिंसाके मारफत कुछ भी लेनेकी कोशिश न करें—इसीसे दुनिया चलती है, नहीं तो दुनिया बिगड़ती है।

तो क्रिस्तियोंके बारेमें तो कह दिया था। आज मैं आप लोगोंको हरिजनोंके बारेमें कहूंगा। वह तो हमारे लिए शर्मकी बात है कि रोहतकमें, रोहतक जिलेमें कहो, हर जगह हरिजन पड़े हैं—पहले भी थे, अब भी हैं। तो वहां भी हरिजन पड़े हैं। वहां तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहीर भी पड़े है। उनके दिलमें ऐसा हुआ कि हरिजन हैं, वे हमारे गुलाम हैं, जो कुछ काम लेना है लेंगे—वहां फिर हककी बात आ गई—वे तो जन्मसे गुलाम पैदा हुए हैं। पानी चाहिए तो दें, खाना खाए तो ठीक है, नहीं तो हकसे ले नहीं सकते।

इसको मैं तकबरी[1] मानता हूं। जब अंग्रेजी सल्तनत थी तब चलती थी और अब वह चीज ज्यादा बन गई। बेचारे हरिजन गरीब है तो मेरे पास आए और कहा कि हमपर ऐसी गुजर रही है तो क्या हम गुलामीमें रहें, कि मर जायं या रोहतक छोड़ दें या क्या करें? अभी वे छोड़ भी नहीं सकते, यह समझने लायक बात है। यदि वे रोहतक छोड़ते हैं तो दूसरे लोग मरेंगे, क्योंकि उनका काम बिगड़ता है; लेकिन हरिजनको गुलामी ही करना है तो ऐसा हो जाता है। तो वे बेचारे आ गए—मदरसेमें पढ़ते हैं, कोई आगे पढ़ता है, कोई पीछे है, उद्योग भी सीखते हैं; लेकिन वे लोग जो नाराज कर रहे हैं उनको क्या कहें। अब तो हम ऐसे हो गए है कि हम सोचते नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब डरते थे कि हमको मारपीट डालेंगे। अब वह सल्तनत चली गई तो कौन क्या कर सकता है! जजके सामने पेश किये जाएंगे तो जजको भी डरा सकेंगे। जज क्या कर सकता है? अब ऐसी तकबरी पैदा हो गई है। इसका नतीजा यही आता है कि हरिजन तबाह हो जाता है। तो मैंने उन लोगोंसे कहा कि आप बापा साहब[2]के पास जाइए—उन्होंने तो हरिजनों और आदिवासियोंको सेवा करनेके लिए जन्म लिया है, वे हरिजनोंके लिए सब कुछ करते हैं। तो वे गए और पीछे मेरे पास आए और मुझको सुनाया कि बापा साहब कुछ नहीं करते है। मैं तो समझ गया कि वे क्या चाहते हैं। वे यहीं बैठे हैं। मैंने कहा कि आप डाक्टर गोपीचंदके पास जाइए। वे प्रधान मंत्री बन गए हैं तो क्या, पहले तो हरिजन-सेवक-संघका सब काम करते थे। आज आनेवाले थे तो मैंने कहा कि उनसे मिलूं। मिला। लेकिन वहां जो लोग जालिम बन गए हैं, मजबूर करते हैं, हठीले बन गए हैं तो क्या करना? आज अंग्रेजी सल्तनत तो है नहीं, वैसा कर भी नहीं सकते हैं, तो वे करें क्या? तो मैंने सोचा कि आज मैं हरिजनोंकी करुण कथा सुनाऊं। हम इतना भी नहीं कर सकते है? आज हमारा धर्म क्या है?

---

[1] तकब्बुर=अभिमान। [2] श्री ठक्कर बापा।

आजतक हम उन्हें अछूत, गुलाम मानते आए हैं, वह अधर्म किया। गलती की और पाप किया, उसके प्रायश्चित्तके रूपमें हरिजन-सेवक संघ बना, संघने बहुत काम भी किया है। सब हिंदूने ऐसा नहीं किया—करोड़ोंकी संख्यामें हिंदू, सब हिंदूने तो उसे अपनाया भी नही है। अगर सब हिंदुओंने अपना लिया होता तो मुझे यह करुण कथा क्यों सुनानी पड़ती। अंग्रेजोंके राज्यमे तो करते थे—उनको गाली देते थे कि अगर ये नही होते तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अब तो वे चले गए—हम अब अच्छे हैं या बुरे? मैं तो कहूंगा कि पहलेसे ज्यादा बुराइयां आ गईं। हम ज्यादतियां तब करते थे और अब भी करते हैं, पहले तो मुसलमानोंपर ज्यादतियां कीं, यह भी पाप किया—पाकिस्तान है यह भूल जाओ, उसका खयाल मत करो। समझो कि अगर एक आदमी पाप करता है तो क्या हम भी करें। सोचोगे तो मालूम होगा कि वह बुरा है—एक बुराईसे दूसरी बुराई पैदा होती है। हमने काफी लोगोंको मार डाला है, हमारे दिलमें झूठी हिम्मत आ गई है कि मारो क्रिस्तियोंको, पीछे हम जाटिस्तान, अहीरिस्तान, हर एक अपना-अपना स्थान बनाएगे; लेकिन हिंदुस्तान कोई नही बनाएगा। हरिजनोंको तो अपनाना ही चाहिए—वे तो हम जैसे हिंदू हैं, वह पंचम जाति तो है नही। पचम वर्ण तो हिंदूमें है नही, चार वर्ण हैं—उनमें एक नीचा और दूसरा ऊंचा तो है ही नहीं। इन चारोंमें ऐसा है कि एक धर्म सिखाता है, दूसरा रक्षा करता है, तीसरा तिजारत करता है—घर भरनेके लिए नहीं, अपने लिए करोड़ों रुपया पैदा करनेके लिए नहीं, प्रजाके लिए भले ही पैदा करे—और चौथा प्रजाकी सेवा करता है। लेकिन चारों साथ-साथ खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर शूद्र है, वह बैरिस्टर बन जाय तो वह बैरिस्टरी नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वह बैरिस्टर होकर भी सेवा कर सकता है। जो धर्म सिखाता है वह भी सेवा करता है, तिजारत करता है, नौकरी करता है वह सेवा करता है और झाड़ू लगाता है वह भी सेवा करता है—ये चारों सेवा हैं, सेवाक्षेत्र बन गया है। पीछे जो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है—इसका मतलब

यह नहीं है कि वह अगर उस कामको छोड़कर दूसरा काम करता है तो पाप करता है। वह उस कामको नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हमने अनेक जातियां पैदा कीं और अब पंचम वर्ण पैदा करते हैं तो हमारी गलती है, दुष्टता है। अगर हम अपने-अपने धर्मके मुताबिक चलें तब तो हो सकता है। आज हमारे हाथमें बागडोर आ गई है तो हिंदू-सिख सब अपने-अपने धर्मके अनुसार चलें तो मैं समझता हूं कि सबका काम चल सकता है। मैंने भी समाप्त कर दिया और वह भी समाप्त हो गई।

: १५८ :

२४ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

जब मैं प्रार्थनामें आता हूं आप लोग मेहरबानी करके मेरे और मेरी लड़कियोंके लिए काफी जगह गुजरनेके लिए छोड़ देते हैं, मगर जानेके समय लोग चरण छूनेके लिए मेरे इर्द-गिर्द भीड़ कर देते हैं। वह अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रार्थना है कि जानेके समय भी आप लोग मुझे शांतिसे रास्ता दें। आपकी मुहब्बत मैं समझता हूं, और उसकी मुझे कदर है। मगर मैं चाहता हूं कि यह मुहब्बत बाह्य उभारकी जगह किसी रचनात्मक कार्यका रूप ले। इस बारेमें मैं बहुत बार कह चुका हूं और लिख चुका हूं। रचनात्मक कार्यक्रममेंसे मुख्य तो आज कौमी मेल-जोल है। पहले भी झगड़ा होता था मगर उसमें किसीको बर्बाद करनेकी बात नहीं होती थी। अब तो मारनेकी ही बात है। जहर फैल गया है। एक तरफसे हिंदू और सिख, दूसरी तरफसे मुसलमान एक दूसरेके दुश्मन बन गए हैं। इसका शर्मनाक नतीजा आप देख ही चुके हैं।

प्रार्थनामें आनेवालोंका अपना हृदय वैरभावसे खाली हो, यह बस नहीं। उन्हें सांप्रदायिक मेलजोल फिरसे कायम करनेमें सक्रिय

भाग लेना है। खिलाफतके जमानेमें हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यका हमें गर्व था। उन दिनोंमें मिली-जुली बड़ी-बड़ी सभाओंमें जाना मैं भूला नहीं। उस ऐक्यको देखकर मेरा हृदय आनंदसे उछलता था। क्या वे दिन फिर कभी वापिस नहीं आवेंगे ?

हिंदुस्तानकी राजधानीमें कल ही जो दुःखद घटना हुई उसका विचार कीजिए। कहा जाता है कुछ हिंदू और सिखोंने एक खाली मुस्लिम घरका कानूनके विरुद्ध कब्जा लेनेकी कोशिश की। उसपरसे झगड़ा हुआ और कुछ लोगोंको चोट पहुंची। मगर किसीकी मृत्यु नहीं हुई। यह घटना बुरी थी। मगर उसे और भी बढ़ाया-चढ़ाया गया। पहली खबर यह थी कि चार सिख मारे गए हैं। नतीजा वही हुआ जो ऐसी चीजोंमें होता है। बदलेकी भावना भड़की और कई लोग छुरेसे घायल हुए।

सुनता हूं कि अब एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगा है। छोटी कृपाणकी जगह सिख लोग बड़ी तलवार रखने लगे हैं। तलवार खींचकर हिंदुओंके साथ या अकेले मुसलमानके घरोंमें जाते हैं, और उन्हें मकान खाली करनेको धमकाते हैं। अगर यह खबर सच्ची है तो राजधानीमें ऐसी चीज असह्य पशुपन है। अगर यह सही नहीं है तो इसकी तरफ और ध्यान देनेकी जरूरत नहीं। सही है तो न सिर्फ सत्ताधारियोंको, बल्कि जनताको भी फौरन इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जनताके पीठ-बलके बिना सत्ताधीश कुछ नहीं कर सकते।

मैं नहीं जानता कि ऐसी हालतमें मेरा धर्म क्या है ? इतनी बात स्पष्ट है कि हालत ज्यादा बिगड़ रही है। जल्दी ही कार्तिककी पूर्णिमा आनेवाली है। मेरे पास तरह-तरहकी अफवाहें आती हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे दशहरा और बकरीदके समय हुआ, उसी तरह अब भी ये अफवाहें झूठी सिद्ध होंगी।

इन अफवाहोंसे एक पाठ तो हम सीख ही सकते हैं। आज हमारे पास शांतिकी कोई मिल्कियत जमा नहीं। हमें रोजकी कमाई रोज करना है। यह स्थिति किसी राष्ट्र या राज्यके लिए अच्छी नहीं। देशके हरेक सेवकको ध्यानपूर्वक सोचना है कि वह इस खा जानेवाले

जहरको मिटानेके लिए क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए।

यहांपर लायलपुरके सरदार संतसिंहजीके एक लंबे पत्रकी चर्चा करना अच्छा होगा। वे पहले सेंट्रल असेम्बलीके सदस्य थे। उन्होंने सिखों-का जबर्दस्त बचाव किया है। उन्होंने मेरे पिछले बुधवारके भाषणका जो अर्थ किया है, वह उस भाषणके शब्दोंमेंसे नहीं निकलता। मेरे मनमें तो वह था ही नहीं। शायद सरदार साहब जानते होंगे कि १६१५ में दक्षिण अफ्रीकासे लौटनेके बाद मेरा सिख मित्रोंके साथ घनिष्ट संबंध रहा है। एक समय था कि जब सिख, हिंदुओं और मुसलमानों-की तरह मेरे वचनोंको वेद-वाक्य मानते थे। अब समय बदल गया है, उसके साथ लोगोंके ढग बदल गए हैं। मगर मैं जानता हू कि मैं नही बदला। शायद सरदार साहब नही जानते, सिख आज किस तरफ बहे जा रहे है। मैं उनका पक्का मित्र हूं। मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना। सो मैं सब चीज देख सकता हू। मैं उनसे साफ-साफ दिल खोलकर बात कर सकता हूं, क्योंकि मै उनका सच्चा मित्र हू। मै यह कहनेकी हिम्मत करता हू कि कई बार सिख भाई मेरी सलाहको मानकर कठिनाइयोंमेंसे बच निकले है। इसलिए मुझे कभी यह खयाल भी नहीं आया कि मुझे सिखोंके बारेमें, या तो किसीके भी बारेमें, सोच-समझकर बोलना चाहिए। सर-दार साहब और हरेक सिख जो सिख-जातिका भला चाहता है और आजके प्रवाहमे वह नही गया, इस बहादुर और महान् जातिको पागलपन, शराबखोरी और उसमेंसे निकलनेवाली बदियोंसे बचानेमें मदद करें। जिस तलवारका वे काफी प्रदर्शन कर चुके हैं, और बुरी तरह इस्तेमाल कर चुके हैं, उसे अब वापस म्यानमें रख दें। अगर प्रिवी कौंसिलके फैसलेका यह अर्थ है कि कृपाणका मतलब है किसी भी मापकी तलवार, तो भी, वह उससे मूर्ख न बनें। किसी भी बेउसूल शराबी आदमीके हाथमें जानेसे, या उसका मनमाना इस्तेमाल करनेसे कृपाणकी पवित्रता जाती रहती है। पवित्र चीजका पवित्र और बाकानून मौकेपर ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शक नहीं कि कृपाण शक्तिका

प्रतीक है। कृपाण रखनेवालेको वह तभी शोभा देती है जब वह अपने आपपर आश्चर्यजनक काबू रखे और बहुत ही भारी विरोधी ताकतके सामने उसका इस्तेमाल करे।

सरदार साहब मुझे यह कहनेके लिए माफ करेंगे कि मैंने सिख-इतिहासका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और ग्रंथ साहबके तत्त्वोंका अमृतपान किया है। उन वचनोंके हिसाबसे देखा जाय तो जो सिखोंने किया बताया जाता है, उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। वह अपने आपको बर्बाद करनेका रास्ता है। किसी भी हालतमें सिखोंकी बहादुरी और ईमानदारीका इस तरह नाश नहीं होना चाहिए। वे सारे हिंदुस्तानके लिए भारी संपत्ति हो सकते हैं, आज तो वे भयरूप बन गए हैं। सो नहीं होना चाहिए।

यह कहना कि सिख इस्लामके पहले नंबरके दुश्मन हैं, बिल्कुल वाहियात बात है। मुझे भी तो यही अल्काब[1] दिया जा चुका है न ! क्या यह अल्काब मुझे सिखोंके साथ बांटना पड़ेगा? मेरा सारा जीवन इस इल्जामको गलत सिद्ध करनेवाला है। सिखोंपर यह इल्जाम लगाया जा सकता है क्या? शेरे-काश्मीरको जो सिख आज मदद दे रहे हैं, उनसे तो वे पाठ सीखें। उनके नामसे जो मूर्खताके कार-नामे किये जा रहे हैं, उसका वे पश्चात्ताप करें।

मैं जानता हूं कि एक बुरी और भयानक बात यह चलती है कि हिंदू सिखोंको छोड़ दें तो उन्हें पाकिस्तानमें कोई खतरा नहीं। सिखोंको पाकिस्तानमें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे भाई-भाईको मारनेवाले सौदेमें मैं तो कभी हिस्सेदार नहीं बन सकता। जबतक हरेक हिंदू और सिख बाइज्जत और सुरक्षित रूपसे पश्चिमी पंजाबमें अपने घर वापस नहीं जाता, और हरेक मुसलमान यूनियनमें अपने घर उसी तरह नहीं लौट आता, तबतक इस बदकिस्मत देशमें शांति होनेवाली नहीं। जो लोग अपनी खुशीसे खास कारणोंसे अपने घरोंको न लौटना चाहें उनकी बात अलग है। अगर हमें शांतिसे, एक-दूसरेको

---

[1] उपाधि।

मदद देनेवाले पड़ोसी बनकर रहना है तो जनताके तबादलेके पापको धोना होगा।

पाकिस्तानकी बुराइयोंको यहां दुहरानेकी जरूरत नहीं, उससे हिंदू और सिख दुखियोंको कोई फायदा पहुंचनेवाला नहीं। पाकिस्तानको अपने पापोंका बोझ उठाना है। और मैं जानता हूं वह भयानक है। मेरी क्या राय है, यह जानना सबके लिए काफी होना चाहिए। अगर उस रायकी कोई कीमत है तो वह यह है कि १५ अगस्तसे बहुत पहले मुस्लिम लीगने शरारत शुरू की थी। मै यह भी नहीं कह सकता कि १५ अगस्तको उन्होंने नई जिंदगी शुरू कर दी और शरारतको भूल गए। मगर मेरी यह राय आपकी कोई मदद नही कर सकती। महत्त्वकी बात यह है कि यूनियनमें हमने उनके पापोंकी नकल की, और उनके साथ हम भी पापी बन गए। तराजूके पलड़े करीब-करीब बराबर हो गए। क्या अब भी हमारी मूर्च्छा छूटेगी और हम अपने पापोंका प्रायश्चित्त करेंगे? या फिर हमें गिरना ही है?

: १५६ :

२५ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं आपसे पाकिस्तानसे आए हुए शरणार्थियोंके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अभी मुश्किलकी बात यह है कि उनको शरणार्थी कहना चाहिए कि नहीं। कल चंद भाई मुझको कहते थे कि आप हमको शरणार्थी क्यों कहते हैं? एक तरहसे तो उनकी बात सच्ची है, क्योंकि शरणार्थी तो उनको कहते हैं जो शरण चाहते हैं। वे वहांसे कष्टके मारे आ तो गए, लेकिन यहां किसीकी शरण क्यों चाहें? और शरण भी किसकी, जब सारा हिंदुस्तान है और वह सबका है! यहां तो मैं पाकिस्तानको भी उसमें मानता हूं। लेकिन आज अगर वह नहीं है और

ऐसा कहो कि हमारे दो टुकड़े हो गए हैं, तो भी यूनियन तो सबका है और होना भी चाहिए। तब वे यहां आते हैं तो अपने हकसे आते हैं। इसलिए उनकी बात मुझको सच्ची लगी। जब आदमीको किसी जगह कष्ट होता है और वह वहांसे भागता है और आकर अपनी मांकी गोदमें छिप जाता है, तब उसको हम शरणार्थी कहेंगे या हकसे आया है, ऐसा कहेंगे? मैंने उनको कहा कि आप यह तो मानेंगे कि मुझे कोई द्वेष-भाव तो हो नहीं सकता कि जो मैं इस कटु भाषाका इस्तेमाल करूं। हकीकतमें यह पहले अंग्रेजीका शब्द 'रिफ्यूजी' था, और हम तो अंग्रेजी भाषाके अबतक ऐसे गुलाम रहे हैं कि गुलामीमेंसे छूट नहीं सकते हैं। इसलिए 'रिफ्यूजी' शब्द तो पहले बना और उसका एक ही मानी हो सकता था जो कि पीछे अखबारवालोंने शरणार्थी या निराश्रित किया। तब उन्होंने कहा कि अंग्रेजीमें और भी तो शब्द बहुत हैं, जैसे 'सफरर्स'[1] है कि नहीं, तो फिर उनको 'सफरर्स' क्यों नहीं कहते? मैं तो अंग्रेजी इतनी जानता हूं, इसलिए 'सफरर्स' कैसे कहूं! तो फिर क्या कहूं उनको? पीछे मेरे दिलमें ऐसा हुआ कि दुःखी तो वे हैं ही, इसलिए दुःखी कहो। वैसे तो हम सभी यहां दुःखी पड़े हैं; लेकिन जो लोग लाखोंकी तादादमें अपने घरबार छोड़कर यहां आए हैं, वे दरअसल दुःखी हैं। इसलिए उनके बारेमें मैं आज कुछ कहना चाहता हूं।

मेरे पास आज तीन किस्मके लोग मिलने आए। एक किस्मको तो मैं छोड़ देना चाहता हूं। लाहौरमें उसका एक बड़ा सारा कबीला था। कुछ होटल वगैरह उसका चलता था, तो वहां उसका सब घरबार और मालमता छूट गया और अपनी बीबी-बच्चोंको लेकर यहां आ गए। सबको तो यहां नहीं लाए। लेकिन मुझको सब हाल सुनाया और पीछे कहने लगे कि मुझको यहां कहीं घर दिलवा दो। मैंने कहा कि मेरे हाथमें कोई हकूमत तो है नहीं, और अगर हकूमत भी होती तब भी मैं घर दिलवानेवाला नहीं था। एक तो दिल्ली शहरमें वैसे ही घर कम है और यहांके लोग ही काफी परेशानीमें पड़े हैं, इसपर भी उनसे हकूमत घर छुड़वा लेती है।

---

[1] पीड़ित।

जब कोई अमलदार या राजदूत आ गया तो उनको तो तबूमें नहीं रख सकते हैं। इसलिए उनको किसीका घर या कोठी खाली कराकर दे देते हैं। जो लोग उसमें पहलेसे रहते हैं, वे जब कहते हैं कि हम कहां जाएं तो कहा जाता है कि कही भी जाओ। हकूमत यहांतक तो नही जाती, लेकिन जा सकती है, और कई लोगोंको इस तरहके नोटिस मिले है कि तुम्हें अपना घर खाली करना पड़ेगा। जब यह हालत है तो जो ये लाखों लोग दुःखी पड़े है, उनको घर कहांसे दिया जाय ? उसने कहा कि हम सत्रह आदमी खोकर यहां आए है। मैंने कहा कि आप सत्रह आदमी खोने लायक तो थे। ऐसे भी कबीले है जिनमें एक मर्द और औरतके सिवा दूसरे कोई है ही नही। अगर आप यह मानें कि यह सारा हिंदुस्तान हमारा है तो जो सत्रह गए वे तो गए, लेकिन बाकी हिदुस्तानके लोग तो है। खैर, यह तो एक ज्ञान-वार्ता हो गई, उसको तो छोड़ो। तब मैंने उनको कहा कि जो कैंप यहां चल रहे है उनमें आपको चले जाना चाहिए। वहां सब किस्मके लोग रहते हे और वहां रहना कोई बुरी बात नही है। उसने कहा कि क्या मैं कोई भिक्षार्थी हूं। मैंने कहा, हर्गिज नही। अगर मैं कैंप चलानेवाला बनूं तो किसी भिक्षुकको अन्न दूंगा ही नही। आप सब लोग तगड़े हैं, काम करो और खाओ, कपडे बनाओ और पहनो। हां, रातमे कुछ कपडा ऊपर तान लो जिससे कि ऊपरसे जो ओस गिरती है, उससे बच जाओ। दिनमें उसकी भी कोई जरूरत नही होती। आकाश साफ होता है और सूर्यनारायण जो गर्मी देता है वह गर्मी लेनी चाहिए। मैं तो दिनके समय घरमें रहता नही। बाहर सूर्यनारायणकी धूप मुझको अच्छी लगती है। उसने कहा कि हम तो ऐसे नही हैं, हमारे तो छोटे-छोटे बच्चे हे, हमें तो रहनेके लिए मकान ही चाहिए। मैंने कहा कि क्या आपके ही बच्चे है और किसीके है ही नहीं ? मै तो जिस कैंपमें गया वही देखा कि माताए और उनके बच्चे सभी वहां रहते हैं। कोई उनमे गर्भवती भी हैं और वही बच्चे पैदा करती है। तब आपको वहां रहनेमें क्या आपत्ति है ? वहां जो दूसरे लोग खाते हैं वह खाओ और वे जो मेहनत करते हैं वही करो। तुम तो काफी चुस्त और तगड़े हो, होटल वगैरह भी चला सकते हो। तो फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते जिससे दूसरोंको भी राहत मिले ?

उन्होंने कहा कि यहां जो मुसलमान रहते हैं वे खाली करके क्यों नही जाते ? वे अबतक क्यों यहां बैठे हैं ? यह सुनकर मुझे काफी चोट लगी। मुसलमान एक तो पहलेसे ही डरके मारे हट रहे हैं और जो बाकी रहे हैं उनमेंसे भी रोज कुछ-न-कुछ हलाक[1] हो जाते हे। हर कोई आकर उनको कहता है—यहांसे हटो, हमको तुम्हारे घरमे रहना है। इस तरह हरेक आदमी अगर हाकिम बन जाए तो फिर रैयत कौन रहेगा और देश किसका होगा ? हर आदमी तो हकूमत चलानेवाला हो नहीं सकता। दुनियामें किसी जगहपर भी ऐसा नही होता। हां, जहां बिल्कुल जंगली लोग रहते हैं वहां कहते हैं कि कोई हाकिम नही होता। लेकिन लुटेरोंका भी कोई हाकिम रहता ही है। जैसे अलीबाबा और चालीस चोरकी वार्ता चलती है तो वहां भी उनका एक सरदार तो था ही। इस तरहसे दुनियामें कोई जगह नही जहां सब आदमी हाकिम हों या कोई भी हाकिम न हो। हम हाकिम बनना और अपने ऊपर हकूमत चलाना तो जानते ही नही। तभी तो आज इस झंझटमें पड़े हे। आप उन लोगोंके घरोंपर, जो कि डरके मारे उन्हें छोड़ गए हैं या मारे गए हैं या पुलिसने पकड़ लिए हैं, ऐसी नजर करें, यह बहुत बुरी बात है। यह बात आपके लायक नहीं। आप अगर कह सकते हैं तो मुझसे कह सकते है, क्योंकि मे जहां रहता हूं वह एक महल-जैसा घर है। मुझे कह सकते हो कि तू यहांसे हट जा और किसी कैंपमें चला जा। तुझको क्या है ? न तेरे पास पत्नी है, न लड़के है और न लड़की हैं, ये कोई दूसरी-तीसरी लड़कियां लेकर बैठ गया है और कहता है कि मेरी लड़कियां हे। वहां कैंपमें जा। वे भी तेरी ही लड़कियां हे। मे तुम्हारी यह बात सुनूंगा। हां, हँसूगा तो सही, क्योंकि अगर में भाग भी गया तब क्या आप यहां रह जायंगे ? यह घर तो दूसरेका है, मेरा नहीं है। हां, इस घरका मालिक ऐसा है कि उसने मुझको ही मालिक बना रखा है और यह कह रखा है कि जिसको तुझे रखना है रख और न रखना हो मत रख। मुसलमान तो अपने घरोंसे हटने लायक हैं कहां, उनसे बहुत लायक तो गांधी है। उसको यहांसे उठाकर कहीं भी पटक देंगे

---

[1] मारा जाना।

तो उसको तो इस तरहसे कोई पड़ने देगा नही। उसे तो कोई दूध देगा, कोई फल देगा और कोई खजूर दे देगा, इस तरह उसका निर्वाह तो हो ही जाएगा। नंगा वह रहनेवाला नहीं है, कपड़े भी उसको मिल जायंगे। जब इस तरहसे मैंने उनको कहा तो वे शर्मिंदा बन गए।

इसके पीछे मेरे पास जो लोग आए वे सिख भाई थे। उन्होने कहा कि हम ऐसे सिख नही है जैसे यहां है। खूबीकी बात यह थी कि उनके पास कृपाण नही थी। मैंने पूछा तो नही कि उनके पास कृपाण क्यों नही है, लेकिन हाथोंमे कडा पहना हुआ था और मेरा खयाल है कि दाढ़ी भी थी। उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशानीमे पडे है। हम हजारा जिलेके है। मैंने पूछा कि वहां आप क्या करते थे? उन्होंने कहा कि वहां हमारे खेत थे और उनमे खेती किया करते थे। यहां भी हम खेती चला सकते है, अगर हमे जमीन और खेती करनेका सामान दे दिया जाय। मुझको दर्द हुआ कि वे बात तो ठीक ही कहते है। मैंने कहा कि आप पूर्वी पजाबमें क्यो नही जाते? उन्होने बताया कि पूर्वी पजाबकी हकूमत हमें कहती है कि जो लोग पश्चिमी पंजाबसे आए है उन्हींको हम ले सकते हैं। सब जगहसे अगर लोग आए तो उतनी जगह हम कहासे दे सकते है? चूंकि तुम लोग सरहदी सूबेके हो इसलिए केंद्रीय सरकारके पास जाओ। यह जवाब हमको वहांसे मिलता है।

केंद्रीय सरकारके पास तो जमीन रहती नही है, लेकिन वह अगर इन लोगोंको जमीन दे दे और खेतीका काम ये करने लगें तो बहुत ही अच्छा हो। उनके लिए बैल, हल और बीज वगैरहका भी प्रबध सरकारको करना चाहिए। दिल्ली प्रांतमें इतनी जमीन है या नहीं, इसका मुझको पता नही है। लेकिन जो लोग हल जोतना चाहते हैं उनको कहीं भी बसा देना चाहिए। अगर हकूमत मेरे हाथमें होती तो मैंने उनके लिए एक अलग कैंप खोल दिया होता। वहांपर वे सब अपने लिए खानापीना पैदा करें। अगर वैसे नहीं तो हकूमत उनके खातेमें लिखकर इस कामके लायक पैसा दे दे। वे कहते है कि आज तो पैसे हमारे पास नही है, लेकिन हम मेहनती आदमी हैं और अगर हमें खेतीका काम मिल गया तो हम सब कुछ पैदा कर लेंगे, हम कोई शौकसे तो बैठेंगे नही। मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे खेतिहर-

लोग जो इधर-उधर पड़े हैं उससे हमारे मुल्कका नुक्सान होता है। वे हमारे ही भाई हैं, इसलिए उनके लिए कुछ-न-कुछ करना चाहिए। हकूमत-में मैं किससे मिलू, मुझको पता नहीं। मगर मैं आपकी मार्फत हकूमतको सुनाना चाहता हूं कि ऐसे लोगोंकी मदद करना हमारा काम हो जाता है। वे कहते हैं कि हम कहां रहें और क्या खाएं ? मैं तो कहूंगा कि उनके लिए कोई अलग कैंप होना चाहिए और जबतक वह न हो तबतक वे इन्हीं कैंपोंमें रहकर अपना गुजारा करें। अगर यहां उनको जगह नहीं मिलती है तो सारे हिंदुस्तानमें कही कोई खाली जगह मिलती हो वह हमारी ही जगह है। वे यह नही कहते कि हमें इसी जगहपर रखो, वे यह भी नहीं कहते कि हमें किसी मुसलमानका घर दिलवा दो। वे कहते है कि हमने जो मुसीबत भुगती वह हम दूसरोंको देना नहीं चाहते। हम तो गरीब लोग हैं। वैसे तो तगड़े है, लेकिन हमारा तगड़ापन किसीको डरानेको नही है। हमें तो यहां ईश्वरसे डरकर बैठना है और जिस तरहसे जीवन बसर हो सकता है वैसे करना है। लेकिन मैने कहा कि ये सब चीजें केवल चंद दिनोंके लिए हैं। उन्होंने पूछा कि यह कैसे ? जैसा कि यहां भी एक भाईने पूछा है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानसे आनेवालोंको वही जाना होगा और यहांसे गए हुए मुसलमानोंको यहां आना होगा,यह कैसे होगा ? मैंने कहा कि यह आज नहीं तो कल होकर रहेगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले हम लोग यहां अच्छे बनें। हम ऐसा मान लें कि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, मुसलमान भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान यहां भी फिफ्थकालम[1] हैं। बेचारे क्या 'फिफ्थकालम' हो सकते हैं ! हम यहां ऐसे पड़े हैं कि हमको कोई सता नहीं सकता और अगर सताएगा भी तो भगवान उसको देखेगा या हमारी हकूमत ही उसको मार डालेगी। आज अगर हम यहां ठीक हो जाते हैं तो कल सब काम ठीक हो सकता है। तब तो मैं भी आजाद हो जाऊंगा। आज तो मैं परेशान पड़ा हूं, मेरे लिए अब जीना भाररूप बन गया है। मैं सोचता हूं कि क्यों मैं यहां पड़ा हूं। अगर दिल्ली मान जाए तो मैं तगड़ा

---

[1] पंचम स्तंभ।

बन जाता हूं और तब मैं भागता हुआ चला जाऊंगा पश्चिमी पंजाबमें, और जो मुसलमान यहांसे गए हैं उनको कहूंगा कि मै तुम्हारे लिए सब सामान तैयार करके यहां आया हूं, आप अब जहां चाहे और जब चाहे तब वापिस जा सकते है। अगर ऐसा मौका आ गया, और कभी-न-कभी तो यह मौका आना ही है, क्योंकि करोड़ों आदमी कैसे एक दूसरेके दुश्मन बनकर रह सकते हैं ? हमारे यहां जो ३॥ या ४ करोड़ मुसलमान है, उनको मारो या यहांसे भेज दो, यह कोई बननेवाली बात नहीं है। यह तो ख्वाबमें भी नही आ सकता और न मैं ऐसा ख्वाब चाहता हूं। लेकिन आज तो मैं भारस्वरूप पड़ा हूं। एक दिन वह था जब मेरी चलती थी, मगर आज नही चलती। तो क्या मै भाग जाऊं ? मैं जिंदा रहू या मर जाऊं, लेकिन जितने ये दुःखी लोग हैं उनको कभी-न-कभी अवश्य अपने-अपने घरोंको वापिस लौटना है और पूरी शान तथा मर्दानगीके साथ, किसीसे लड़नेके लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयोंसे भेट करनेके लिए। उसी तरहसे, मुसलमानोंको यहां आना है। केवल वही चीज हमको जिंदा रख सकती है और दूसरी तरहसे हम जिंदा रह नही सकते।

: १६० :

२६ नवबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाईने मुझे खत लिखा है। उसमें बंबईके एक अखबारकी कतरन भेजी है। उस कतरनमें लिखा है, गांधी तो कांग्रेसका ही बाजा बजाता है। लोग वह सुनना भी नहीं चाहते। इस तरहसे कांग्रेस रेडियो वगैराका अपने ही प्रचारके लिए इस्तेमाल करेगी तो आखिरमे यहां हिटलरशाही कायम हो जायगी। मै कांग्रेसका बाजा बजाता हूं, यह बात सर्वथा गलत है। मैं तो किसीका बाजा बजाता ही नही या फिर सारे जगतका बजाता हूं। उस कतरनमें यह भी कहा है कि अहिंसाकी बात तो यों ही ले आते हैं, हेतु तो यही है कि हकूमतको अपना ही गान

करना हूं। मैं यह कहता हूं कि जो हकूमत अपना गान करती है वह चल नहीं सकती। और, मैं तो धर्मकी ही सेवा करना चाहता हूं। धर्मसे संबंध रखनेवाली बातें ही आप लोगोंको सुनाता हूं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातें सुनना पसंद न करते हों, मगर, दूसरे लोग मुझे लिखते हैं कि मेरी बातोंसे उनका कितना हौसला बढ़ता है। जिन्हें मेरी बातें नापसंद हों उन्हें कोई सुननेके लिए मजबूर नहीं करता। और, अगर आपका मन कहीं और है तो यहां बैठकर भी आप मेरी बात बिना सुने जा सकते हैं। आप लोग मुझे छोड़ देंगे, तो मैं यहां प्रार्थना भी नही कराऊंगा और भाषण भी नही होगा। मैं खास तौरसे रेडियोपर बोलने जानेवाला नही, मुझे वह पसद नही है। यहांपर भी मुझे क्या कहना है, यह मैं सोचकर नहीं आता।

हमारी काफी औरतें पाकिस्तानमें पड़ी हैं, लोग उन्हें बिगाड़ते हैं। वे बेचारी ऐसी बनी है कि उसके लिए शर्मिंदा होती है, मेरी समझमें उन्हें शर्मिंदा होनेका कोई कारण नहीं। किसी औरतको मुसलमान जबर्दस्ती पकड़ लें और समाज उसको निकम्मी मानने लगे और भाई, मां, बाप, पति सब छोड़ दें तो यह घोर निर्दयता है। मै मानता हू कि जिस औरतमें सीताका तेज रहे उसे कोई छू नही सकता। मगर आज सीता कहांसे लावे? और सब औरतें तो सीता बन नही सकतीं। जिसे जबर्दस्ती पकड़ा गया, जिसपर अत्याचार हुआ, उससे हम घृणा करें क्या? वह थोड़े ही व्यभिचारिणी है। मेरी लडकी या बीबीको भी पकड़ा जा सकता है, उसपर बलात्कार हो सकता है, लेकिन मै कभी उससे घृणा नही करूंगा। ऐसी कई औरतें मेरे पास नोआखालीमें आ गई थीं। मुसलमान औरतें भी आई हैं। हम सब बदमाश बन गए हैं। मैंने उन्हें दिलासा दिया। शर्मिंदा तो बलात्कार करनेवालेको होना है, उन बेचारी बहनोंको नही।

एक भाई कहते हैं कि मान लीजिए कि कंट्रोल मिट जाय, देहातोंमें लोग अपने लिए अनाज पैदा करने लगें, गाँवके लोग फसल वगैरा काटनेके लिए एक दूसरेकी अपने आप मदद करें तो अनाज सस्ता होगा; लेकिन अगर किसानको दाम देकर मजदूर लगाने पड़ेंगे तो दाम बढ़ेगा। पहले तो यह रिवाज था ही, एक किसान दूसरे किसानोंको निमंत्रण देता था

फसल काटनेका और साफ करके घरमें ले जानेका काम हाथोंहाथ खतम हो जाता था। आज हम वह रिवाज भूल गए हैं, मगर उसे वापस लाना चाहिए। एक हाथसे कुछ काम नहीं हो सकता।

फिर वह भाई यह भी कहते है कि मंत्रियोंमेसे कम-से-कम एक तो किसान होना ही चाहिए। हमारे दुर्भाग्यसे आज हमारा एक भी मंत्री किसान नहीं है। सरदार जन्मसे तो किसान हैं, खेतीके बारेमें कुछ समझ रखते हैं, मगर उनका पेशा बैरिस्टरीका था। जवाहरलालजी विद्वान् हैं, बड़े लेखक हैं, मगर वह खेतीके बारेमें क्या समझें! हमारे देशमें ८० फीसदीसे ज्यादा जनता किसान है। सच्चे प्रजातंत्रमें हमारे यहां राज्य किसानोंका होना चाहिए। उन्हे बैरिस्टर बननेकी जरूरत नही। अच्छे किसान बनना, उपज बढ़ाना, जमीनको कैसे ताजी रखना, यह सब जानना उनका काम है। ऐसे योग्य किसान होंगे तो मैं जवाहर-लालजीसे कहूंगा कि आप उनके मन्त्री बन जाइए। हमारा किसान-मंत्री महलोंमें नहीं रहेगा, वह तो मिट्टीके घरमें रहेगा, दिनभर खेतोंमें काम करेगा, तभी योग्य किसानोंका राज्य हो सकता है।

: १६१ :

२७ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आपने देखा होगा, शायद देखोगे, क्योंकि देखा तो अभी कैसे होगा कि मैं आज गवर्नर जनरलके पास चला गया था, अभी अखबारोंमें आ जायगा। और बादमें लियाकतअली साहबसे भी मिलने गया। ऐसा मौका आ गया दोनोंके पास जानेका। काफी बातें हुईं और कुछ काम भी वे कर रहे हैं। लियाकत साहब बीमार तो हैं और मैंने देखा कि बिस्तरमें ही उनको पड़ा रहना पड़ता है। छातीका दर्द उनको हो गया था और धड़कन भी होती है। वह तो अब ठीक हो गई है, लेकिन बहुत दुबले हो गए हैं। वे गवर्नर जनरलके मकानमें ही ठहरे हुए हैं, इसलिए

में वहां उनके पास भी चला गया था। जैसे जवाहरलालजी यहांके प्रधान मंत्री हैं वैसे वे पाकिस्तानके प्रधान मंत्री हैं। तो वे, और वहांका जो अर्थमंत्री है उनका नाम मैं भूल गया हूं, सरदार पटेल और पीछे दो और, ये सब एक साथ मिले और उन्होंने कुछ-न-कुछ कर भी लिया है। पूरा-पूरा तो उसका बयान मैं नहीं दे सकता हूं। अगर वह सब हो जाय तो मुमकिन है कि आज इतनी भीड़मे जो हम लोग पड़े हैं और जिस परेशानीमेंसे हम गुजर रहे हैं उसमेंसे कुछ तो निकल पाए। लेकिन सब तो ईश्वरके हाथमें है कि क्या होनेवाला है और क्या नही। आखिर इन्सान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है।

आपने यह भी देख लिया होगा कि शेख अब्दुल्ला साहब भी यहां आ गए हैं। जितने काश्मीरके लोग हैं वे तो सब उनको 'शेरे काश्मीर' कहते हैं। और वह है भी ऐसा ही। बहुत काम उन्होंने कर लिया है और सबसे आला दर्जेका काम तो उन्होंने यह किया कि काश्मीरमें जितने हिंदू, मुसलमान और सिख रहते हैं उन सबको अपने साथ ले लिया है। तादादमें तो मुसलमान बहुत अधिक हैं और हिंदू और सिख तो मुट्ठीभर है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन तो भी उनको अपने साथ लेकर वे चलते हैं। वे खुश न रहें ऐसा कोई काम वे नही करते। पीछे हमने देखा कि वे यहां आते हुए जम्मू भी चले गए थे। जम्मूमें हिंदुओंकी तरफसे ज्यादतियां हुई हैं और काफी ज्यादतियां हुई हैं। उनका पूरा-पूरा बयान तो हमारे अखबारोंमें नही आया। महाराजा साहब भी वहां चले गए थे और उनके नए प्रधान मंत्री भी। तब वहां दो प्रधान मंत्री हैं क्या, या कुछ और हैं, मजाकमें मैं उनसे पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझको भी यह पता नही, मगर इतना तो है कि मैं वहाका इंतजाम कर रहा हूं। दो हों या एक हो। तो वे भी जम्मूमे चले गए थे। जम्मूमें जो कुछ हुआ वह महाराजाने करवाया या उनके जो नए प्रधान मंत्री हैं उन्होंने करवाया, इसका तो मुझको पता नहीं। लेकिन वहां हुआ और हमारे लिए यह बड़ी शर्मनाक बात है कि हम ऐसा करें। शेख अब्दुल्लाने यह सब देखकर भी अपना दिमाग बिगड़ने नहीं दिया और जम्मूमें जो हिंदू पड़े हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया। पीछे उसमें उनको कहना भी क्या था? यह होते हुए भी

उनको तो बताना है, काश्मीरको, और सारे हिंदुस्तानको भी, कि यही तरीका है जिससे हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरेपर एतबार कर सकते हैं। तभी काश्मीर और हिंद दोनों एक साथ रह सकते हैं। उनकी तरफसे कोशिश तो ऐसी ही हो रही है; लेकिन उसमें एक रुकावट है। वह पहाड़ी मुल्क तो है ही, चौदह हजार फुट तो शायद नहीं, लेकिन दस हजार फुट ऊंचा तो है। बहुत बर्फ वहां पड़ती है। इसीलिए एक जगहसे दूसरी जगह आना-जाना आरामसे नहीं हो सकता। आरामसे तो पाकिस्तानमेंसे ही होकर आ सकते हैं। लेकिन कौन कह सकता है कि वे जाने दें या न जाने दें। इसके अलावा जो अफरीदी हमलावर हैं, या उनको पाकिस्तानके कहो, उनके साथ कुछ लड़ाई तो चल ही रही है। तब इस हालतमें काश्मीरके लोग वहांसे होकर कैसे आवें? यों तो हिंद सरकारने उनको मदद भी भेज दी है। तब उनको सीधा रास्ता तो यूनियनमेंसे ही मिल सकता है। काश्मीरमें वैसे कोई बड़ी तिजारत[1] तो नहीं है, लेकिन वहांके लोग उद्यमशील हैं और हाथके कारीगर हैं। फलोंका तो काश्मीर एक बड़ा बगीचा है। लेकिन ये सब चीजें कौन वहांसे यहां लाए और कैसे लाए? हवाई जहाजसे तो सब चीजें आ नहीं सकतीं, और जो बेचनेवाले हैं वे भी कैसे हवाई जहाज-से आएं? ऐसे तो काम नहीं बन सकता। इसलिए वहां एक ही रास्ता है जो पूर्वी पंजाबमें पठानकोटकी तरफसे है। है तो वह छोटा-सा ही रास्ता, लेकिन है। तब पूर्वी पंजाबमें जो हिंदू रहते हैं, वे इतने बदमाश हो गए हैं कि उस रास्तेसे कोई मुसलमान आ नहीं सकता। शेख साहब कहते हैं कि यही सबसे बड़ा खतरा है। शेख अब्दुल्ला तो एक बड़ा आदमी है, लेकिन वह कहते हैं कि हम भी अगर उधरसे जाते हैं, तो हमको भी बहुत दुश्वारी होती है। यह जरूरी नहीं कि कोई सिपाही ही हो, बल्कि आम लोग भी वहांके, यह पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो, लाओ, तुम्हारी पगडी उतारकर देखें तो कि चोटी भी है कि नहीं, और इसके बाद दूसरी-तीसरी चीजें भी पूछ लेते हैं। अगर वह हिंदू या सिख हैं तो खैर है और अगर

---

[1] व्यवसाय।

मुसलमान निकला तो बस फिर खत्म हुआ। ऐसी हालत है वहां !

तब गवर्नर जनरल और ये जो चार लोग इकट्ठे बैठ गए हैं वे अगर कुछ कर लें तो अच्छा ही है, और कुछ कर भी लिया है। मगर उनके करनेसे क्या ? जब जनता बिगड़ी हुई है तो फिर कोई काम बनता नहीं है। मैं तो पूर्वी पंजाबकी जनताको यह कहूंगा कि अब बहुत हो चुका, हमने कितनी खराबियां कीं, मगर अब तो भूल जाओ। या हमेशाके लिए यही होनेवाला है ? मैं कहता हूं कि यह रास्ता बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। उसमें हकूमतको भी पूरा काम करना है। अगर यह काम न कर सकी और हवाई जहाजोंसे थोड़ा-बहुत लश्कर वहां भेज दिया तो उससे क्या हुआ ? उससे क्या काश्मीरका व्यापार चलनेवाला है ? अगर नहीं तो क्या हिंद यूनियन काश्मीरियोंका पेट भरता रहेगा ? यह तो हो नहीं सकता है। आज अगर हमारी हकूमतके पास करोड़ रुपये आ गए हैं तो क्या वह उनको इधर-उधर उड़ाती रहेगी ? सुनता हू कि अब हकूमतमें हरएक आदमीको एक-एक सेक्रेटरी मिलनेवाला है। क्या होगा उसका, और क्या दरमाहा[1] उस सेक्रेटरीको मिलनेवाला है, मुझको तो कुछ पता नहीं चलता। अगर इस तरहसे हम पैसे उड़ाते रहे तो हमारा जल्दी ही खात्मा होनेवाला है। हमारा मुल्क करोड़पतियोंका नहीं है, एक गरीब मुल्क है, जहां लोग ताबेके पैसे भी बड़ी मुश्किलसे पैदा करते हैं। यहां जो करोड़पति या ताजिर[2] लोग हैं, वे तो केवल मुट्ठीभर हैं। उनके पास भी जितना पैसा पड़ा है वही क्या है ? इस तरह अगर पैसा उड़ाया जाय तो वह भी एक मिनट-में खत्म हो सकता है। पीछे तो सारा हिंदुस्तान पड़ा है, उसका खर्च भी हमें चलाना है। हम पैसेका दुरुपयोग तो कर ही नहीं सकते। तब हकूमतको यह देखना होगा कि किस तरहसे यह रास्ता सुरक्षित हो सकता है जिससे कि कोई भी आदमी उस रास्तेसे आ-जा सके। काश्मीरमें बहुत खूबसूरत कपड़े बनते हैं, वे आ सकते हैं, शाल आ सकते हैं, और भी जो चीजें कारीगर लोग बनाते हैं वे सब उस रास्तेसे आ सकती है। काश्मीरकी मेवा यहां आ सकती है। आज तो अगर काश्मीरका सेब खाना हो तो बहुत मुश्किल-

---

[1] मासिक ; [2] व्यापारी।

से ही मिलेगा। काश्मीर भारतीय यूनियनमें आ तो गया; लेकिन इस तरह-से वह कहांतक हमारे साथ रह सकता है ? अगर काश्मीरको सुरक्षित रास्ता न मिले तो फिर क्या होगा यह मुझको भी पता नही है। अब एक तीसरी बात और कहकर आजका मामला तो मैं खत्म करता हूं।

अभी मेरे पास पाकिस्तानके 'डान' और 'पाकिस्तान टाइम्स' दोनों अखबार आ गए हैं। ये दोनों पाकिस्तानके अच्छे बड़े अखबार हैं। जब 'डान' मे या 'पाकिस्तान टाइम्स' में कुछ निकलता है तो हम यह नही कह सकते कि अरे, यह तो कुछ अखबार नही है। तब तो वहांके लोग भी कह सकते हैं कि 'हिंदुस्तान टाइम्स' में जो लिखा है, वह क्या है, 'बंबई क्रानिकल' में जो लिखा है वही क्या है ? यह तो एक निकम्मी बात हो जाती है। मैं तो यह मानता हूं कि वे भी अच्छे अखबार हैं, उनको मुसलमान लोग पढ़ते हैं और अच्छे-अच्छे मुसलमान उनको चलाते हैं। तो उनमें वे काठियावाड़के मुसलमानोके बारेमें लिखते हैं। जब सरदार जूनागढ़मे चले गए थे तब तो मुझको बहुत अच्छा लगता था यह देखकर कि वहाके मुसलमानोंने भी उनका इस्तकबाल[1] किया। वे कहने लगे, आप तो भले आए, हम सब परेशान हो रहे थे, अब शायद आराम-से रह सकेंगे। जब काठियावाड़के सब राजा और प्रजा एक तरफ मिल गए हैं तब जूनागढ़ कहांतक अलग जा सकता था ! इसलिए मुझको अच्छा लगा कि कुछ मारपीट भी न हुई और सारा मामला निपट गया। वे बिल्कुल अहिंसापर तो कायम नही रहे, मगर जो हिंसा उन्होंने अख्तियार की थी उसमें उन्होंने बहुत सोच-विचारकर काम लिया। मैं तो यह सब देखकर खुश हुआ था। लेकिन अभी सुनता हूं और 'डान' अखबारमें भी है कि काठियावाड़में मुसलमान आज आरामसे नही बैठ सकते हैं। ठीक मौकेपर एक मुसलमानका भेजा हुआ मुझको तार भी मिल गया है। काठियावाड़ ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान बहुत आरामसे रहते थे और उनको कोई छूता भी नहीं था। वहां अच्छे और तगड़े मुसलमान भी थे और बलवाखोर भी थे। बलवा वे कोई आपस-आपसमे नहीं करते थे, बल्कि

[1] स्वागत।

जीविकाके लिए कुछ कर लेते थे। आज उसी काठियावाड़में उनको ऐसा लग रहा है कि वे वहां रह सकेंगे कि नहीं। तब क्या काठियावाड़से सारे-के-सारे मुसलमान चले जाएं या उनको हिंदू लोग काट डालें ? हैरान हूं वे सब-के-सब और मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ी दुखवारी है, क्योंकि मैं काठियावाड़मे पैदा हुआ हूं, वहांके सब राजाओंको जानता हूं और हजारों लोगोंको भी मैं वहां जानता हूं। वहापर तो जो मेरा लड़का-सा ही सांवलदास गांधी है वही जूनागढ़का सब कुछ होकर बैठ गया है। उसने एक आरजी[1] हकूमत भी बना रखी है। इन लोगोंकी हकूमतके होते हुए काठियावाड़में ऐसा हो कि जिस मुसलमानने कुछ भी नही किया है उसको भी लोग मार डालें तो फिर यह आरजी हकूमत क्या हुई ? जब लोग इस तरहसे कानूनको अपने हाथमे ले लेते हैं तो फिर मुसलमान कैसे वहां सही-सलामत रह सकते हैं ? अगर यह पीछे सब जगह फैल जाए तब क्या हो, मै जानता नही। यह सब वहां हुआ है या नहीं यह भी नहीं जानता, लेकिन 'डान' में जो लिखा है वह मैंने पढ़ा है और तार भी मेरे पास आ गए हैं। बादमें मैंने चंद हिंदुओंसे भी पूछा और उन्होंने भी कहा कि हां, कुछ आग लगानेके मामले तो हुए हैं, कुछ लूट भी हो गई है, मगर किसीका खून भी हुआ कि नहीं यह हम नहीं जानते और मुसलमानोंकी औरतें भी छीनी गई हैं कि नहीं यह भी हम नहीं कह सकते। लेकिन 'डान' तो लिखता है कि ये चारों बातें हुई है और अच्छे बड़े पैमानेपर हुई हैं। बहुत-से तार मेरे पास आ गए थे, लेकिन मुझको एक ही तार बताया गया और दूसरे तार गफलतसे नही बताए गए। शायद ऐसे पचास तो आ गए होंगे, मुसलमानोंने इधर-उधरसे भेजे होंगे। और उनको हक है मुझसे यह कहनेका, कि तुम्हारा लड़का वहांका सब कुछ बना हुआ है। लड़का जो कुछ करे उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूं ? लेकिन इससे तो मैं दुनियाको या उन मुसलमानोंको क्या समझा सकता हूं ? वे तो ठीक ही मुझको लिखते हैं। लेकिन मैं लड़केको सुनाता भी कब ? आज ही तो मैंने यह सब पढ़ा है। इसलिए मै आपकी मार्फत,

---

[1] तात्कालिक।

अपने लड़केको ही नहीं, सारे काठियावाड़को सुनाना चाहता हूं कि अगर हिंदू वहाके ऐसे पाजी हो गए हैं— हिंदू ही हो सकते हैं, क्योंकि सिख तो वहां है ही नहीं, क्या हुआ अगर एक-दो वैसे काम करनेके लिए चले गए हों—तब काठियावाड सही-सलामत नहीं रह सकता। हमने जूनागढ़ लिया तो सही, मगर इस तरहसे हम उसको खोनेवाले हैं, ऐसे ही, जैसे कि हमने अपने मुल्ककी आजादी ली तो सही, लेकिन खोनेके लिए ली। पीछे वे सुनाते हैं कि याद है सरदारने जूनागढ़में क्या कहा था ? उसने कहा था कि अगर मुसलमानका एक बच्चा भी होगा तो उसके एक बालको भी कोई छू नही सकेगा, बशर्ते कि वह काठियावाड़, यानी हिंद यूनियनके प्रति वफादार बनकर रहा। अगर मुसलमानकी एक भी छोटी लड़की है और उसको कोई छूता है तो मैं देख लूगा। वह तो ऐसा कह सकते थे, क्योकि एक तो सरदार, और दूसरे हिंदुस्तानके गृहमंत्री थे। उनको तो कहनेका हक था। उन्होंने कहा तो, लेकिन वह अब कहां गया, मै पूछता हूं। मेरे दिलमें चुभता है कि काठियावाड़में ऐसा हो सकता है और वहाके लोग इस तरह दीवाने बन सकते हैं। हमारा धर्म गया, कर्म गया और इस तरहसे हमारा मुल्क भी चला जायगा। मेरा तो यही धर्म था कि मै आप लोगोंको यह सब बता दूं। हमारे अखबारोंमे तो ऐसी चीजें आती नही हैं। मेरे पास ये सब आ जाती हैं। मेरा धर्म तो था कि मैं इतनी तहकीकात करता, लेकिन मेरे पास कहां इतना वक्त है ! इसलिए जैसे मैंने सुना वैसे ही मैंने आपको कह दिया। मै तो जब लियाकतअली साहबसे मिला तब भी मैने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूछो। तब मैंने कहा कि क्या आप काठियावाड़के बारेमें कुछ जानते हैं ? उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा वहां हुआ है और यही चारों बाते हुई है, लेकिन कितने पैमानेपर हुईं, यह मैं नही कह सकता। वे तो पाकिस्तानके प्रधान मंत्री है। इसलिए उन्होंने तो सब साफ-साफ कहा, हालांकि मैं तो दबी जबानसे ही बात कर रहा था। तब मैंने सोचा कि आज शामको मैं इसको जरूर कह दूंगा। मेरे दिलको इस बातसे कितनी चोट पहुंची है।

काठियावाड़ मेरा घर है। जब घर ही इस तरहसे जल जाता है

तो फिर किसीको कहनेका क्या मौका रह जाता है ! तब दिल्लीवालोंको मैं क्या सुना सकता हूं ? मेरे पास तो कुछ ऐसा बन गया है कि इर्द-गिर्द चारों ओर यही चलता है । तब फिर उसमें मै कैसे साबूत[१] रह सकता हूं । जो इन्सान है और समझदार है वह इस तरहके वातावरणमें साबूत रह नही सकता । यह मेरी दु:खकी कथा है या कहो सारे हिंदुस्तानके दु:खकी कथा है, जो मैंने आपके सामने रखी है ।

: १६२ :

२८ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आप जानते है कि आज गुरु नानक साहबका दिन है । मुझको भी किसीने निमंत्रण तो भेज दिया था, मगर उस वक्त तो मैंने कह दिया था कि आनेके लिए तो मुझे आप माफ करेंगे । लेकिन आज बाबा विचित्र-सिह मेरे पास आ गए और उन्होने कहा कि आपको तो आना ही चाहिए। वे १० बजे मिले थे और एक घंटेमे ही जाना था । तो फिर मैंने समझा कि अब मुझको जाना ही चाहिए । अपनी ओरसे मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन आज सिख भाई मुझसे नाराज तो है । हां, मैंने उनको एक कड़वी घूट पिलानेकी चेष्टा की है । यह तो है, लेकिन ऐसे ही बनता है दुनियामे । तब उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, आपको तो वहां आना ही चाहिए । वहां हजारों सिख भाई-बहने होंगी और उनमे काफी दु:खी सिख भी पड़े होंगे, जो आपकी बात सुनना चाहते हैं । तब मैंने कहा कि अच्छा, मुझको ११ बजे ले जाइए । ११ बजे शेख अब्दुल्लाको भी अपने साथमें लेकर आए । उनको भी वे वही ले जानेवाले थे । मैंने कहा कि शेख अब्दुल्ला कैसे वहां जा सकता है; क्योंकि आज तो ऐसा बन गया है न कि सिख और मुसलमान तो एक दूसरेको बर्दाश्त ही नही कर सकते ; लेकिन

---

[१] साबित ।

कुछ भी हो, शेख अब्दुल्लाने एक बहुत बडा काम कर लिया है। काश्मीरमें उन्होंने हिंदू, सिख और मुसलमानको एक साथ रखा है और एक साथ मरना और एक साथ जीना, ऐसा कर लिया है। तब मैंने सोचा कि शेख अब्दुल्लाको भी ले जाना चाहिए। इसलिए मैं उनको अपने साथ ले गया। मुझको यह बड़ा अच्छा लगा। हजारो सिख भाई-बहने वहां थी। मैने कुछ थोड़ा-सा ही कहा, लेकिन शेख अब्दुल्ला तो काफी बोला और सब लोगोने बहुत ध्यानसे सुना। आखसे भी कोई कुछ बताता नही था, आवाज तो कौन करनेवाला था! क्योकि हम लोगोंको तो निमत्रण देकर वे ले गए थे। आखिर सिख बहादुर तो है ही, इसलिए यह सब अच्छी तरहसे हो गया। मैंने सोचा कि आपको इतनी खबर तो देनी ही चाहिए।

मेरे पास बंगालसे एक खत आ गया है। वहा जो मुस्लिम चेंबर आव कामर्स है उसका वह खत है। जवाब तो मैं नही दे सकता हू, लेकिन सोच लिया है और पीछे घनश्यामदासको भी मैंने पूछा कि आप कुछ इस बारेमें जानते है। उसने बताया कि यह जो मुस्लिम चेंबर आव कामर्स है उसको गवर्नमेंटके साथ ताल्लुक करना है, गवर्नमेंटके साथ खतोकिताबत करना है। लेकिन हकूमत तो सबकी है, हिंदू, मुसलमान, पारसी सबकी। तब मुसलमान एक चेंबर बनाए, हिंदू दूसरा, पारसी तीसरा और अग्रेज चौथा, तो ऐसा कैसे बन सकता है। इसलिए सरकारने इन्कार कर दिया। तब वे लिखते है कि कैसा गोलमाल करते है कि मारवाड़ी चेंबर रह सकता है, यूरोपियन चेंबर रह सकता है, लेकिन मुस्लिम चेंबर है, वह नहीं रह सकता। मुझको उनकी यह बात अच्छी लगी और मेरे दिलको चोट लगी। अगर सरकार मुस्लिम चेंबरके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती तो पीछे मारवाड़ी चेंबरके साथ भी नही रख सकती और यूरोपियनके साथ भी नही होना चाहिए। अबतक यह सब था और यूरोपियन चेंबरका तो इसलिए भी बन गया था कि वे लोग हकूमतमें थे। यहां यूरोपियनोंकी हकूमत चलती थी, तभी तो वाइसराय उनके प्रेसिडेंट बनते थे। पीछे तो ऐसा बन गया था कि बड़े दिनोंके अवसरपर उनको कलकत्ता तो जाना ही होता था, तो वहां यूरोपियन चेंबरमें एक बड़ा व्याख्यान भी दे देते थे।

लेकिन अब वह सिलसिला रह नहीं सकता। जो यूरोपियन हैं वह अलग करें, मुसलमान अलग और मारवाड़ी अलग, इस तरहसे कैसे हो सकता है! केवल एक इंडियन चेंबर ही बन सकता है। अगर हिंदू, मुसलमान और पारसी सब अलग-अलग अपने व्यापारिक चेंबर बनाने लगें तो फिर हिंदुस्तानकी आजादी किसके लिए होगी? और यूरोपियनोंको तो खसूसन[1] आज झुक जाना चाहिए। उनको अलग रहकर कोई चीज करनी ही नहीं चाहिए। वे कहें कि हमको कोई अलग हक नहीं चाहिए। जो दूसरोंके हक हैं वही हमारे हक हैं। तब आजाद हिंदुस्तानकी यह एक बड़ी भारी निशानी बन जाती है। यूरोपियन चेंबरवाले हर साल वाइसराय साहबको बुला लेते थे, लेकिन आज मेरी निगाहमें तो वे यहांके प्रधान मंत्रीको, या उप-प्रधानमंत्रीको या ऐसा कहो कि लार्ड माउंटबेटन साहबको भी अपने यहां बुला नहीं सकते हैं। हां, एक यूरोपियनकी हैसियतसे वे वहां यूरोपियनोंसे मिलने जा सकते हैं। मगर चेंबरकी हैसियतसे वे माउंटबेटन साहबको नहीं बुला सकते। मैं तो बहुत अदना आदमी हूं, लेकिन मेरी राय यह है कि इसमें मुझको कोई शक नहीं। इसी तरहसे जो मारवाड़ी चेंबरके लोग हैं वे हकूमतमेंसे किसी आदमीको बुला नहीं सकते हैं, वैसे मारवाड़ी मारवाड़ियोंकी हैसियतसे किसीको भी बुला सकते हैं, मगर चेंबरकी तरफसे नहीं। उन सबकी हस्ती सारे हिंदुस्तानकी हस्तीके साथ है। मुसलमान भी यहां कोई अलग कौमकी हैसियतसे नहीं रह सकते। हिंदी होकर रहें। इसी तरहसे जो सिख हैं वे, जो हिंदू हैं वे, और यूरोपियन हैं वे भी यहां हिंदी होकर ही रह सकते हैं। वे सब हिंदुस्तानके वफादार होकर रह सकते हैं। दूसरा कोई स्थान मैं उनके लिए नहीं पाता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि जो अहम[2] बात है उसको तो मैं उनको कह दूं। मैं यहांसे लिखूं और पीछे वह उनके पास पहुंचे, इससे पहले अच्छा है मेरी आवाज उन तक पहुंच जाय। मुसलमान अगर ऐसा कहें कि वे राजनैतिक दृष्टिसे भी अलग रहेंगे और दूसरी तरहसे भी, तो यह कोई चलनेवाली बात नहीं है। जो यूरोपियन हैं, वे क्रिस्टी बनकर रह सकते हैं

---

[1] विशेषतः; [2] जरूरी।

और क्रिस्टी धर्ममे जो खूबियां है उनका वे पालन कर सकते है। यह तो उनका सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र हुआ। लेकिन जहातक राज्य-व्यवहार या राज्य-प्रकरणका संबध है उसमे वे सब एक ही-जैसे माने जा सकते है। उसी तरह व्यापार तो सबके लिए है ही। तब उसमे मारवाडी कहे कि हम सब खा जाए, गुजराती कहे हम खा जाए और पजाबी कहे हम खा जाए, तो पीछे बाकी सारा हिंदुस्तान क्या खाएगा? ऐसे हमारा काम निपटता नही है।

एक चीज तो कहनी मै भूल गया, जो भूलनी नही चाहिए। वहा सिख-सभामे तो मैने कह दिया था, लेकिन यहा भी जो सिख है या हिंदू भी है, क्योकि जो बात एकके लिए सत्य है, वह दूसरोके लिए भी है, तो मै कहूंगा कि आज सिखोंका नया दिन है, ऐसा मानना चाहिए। इस-लिए आजसे ही सिखोंका यह धर्म हो जाता है कि वे सब लोगोंको अपना भाई-भाई समझें। गुरु नानक साहबने कोई दूसरी बात सिखाई ही नही। वे तो मक्का शरीफ भी चले गए थे और गुरु ग्रथ साहबमे भी काफी लिखा है। गुरु गोविदने क्या किया था? बहुतसे मुसलमान उनके शागिर्द थे और उनको रखनेके लिए या उनकी हिफाजतके लिए उन्होने कई अन्य लोगोंको मारा भी। ऐसा वह नही करते थे कि एक सिखको बचानेके लिए दूसरोंको मारा हो। तलवार उन्होने ली तो थी, लेकिन उसमे एक मर्यादा रख दी थी। तब मुसलमानोने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन हमे उनकी नकल नही करनी। हम लोग सब शरीफ रहे और अपने धर्मका पालन करे। आज जब मैं वहा सिख-सभामे बोलने गया तो मुझको तो इस बातका बहुत ही दर्द हुआ कि रास्तेमे मुझको एक भी मुसलमान नहीं दिखाई दिया। चांदनी चौकमे एक भी मुसलमान न दिखाई देता हो, इससे बड़ी शर्मकी बात हमारे लिए और क्या होगी? मैने देखा कि वहा आदमियोंकी बहुत भीड थी और मोटरोंकी तो लंबी-लबी कतार चलती थी। लेकिन उनमें कोई मुसलमान नहीं था। सिर्फ एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला मेरे पास बैठे थे। जब ऐसी हालत है तब हमारा काम कैसे निपट सकता है?

एक भाई मुझको लिखते हैं कि जो सोमनाथ मदिर था उसका

जीर्णोद्धार होगा। उसके लिए पैसा चाहिए और वहां जूनागढ़मे जो आरजी हकूमत सांवलदास गाधीने बनाई है, उसमेसे वे ५० हजार रुपया उसके लिए दे रहे हैं। जामनगरने एक लाख रुपया देनेको कहा है। सरदारजी आज जब मेरे पास यहां आए तो मैने उनसे पूछा कि सरदार होकर क्या तुम वहा ऐसी हकूमत बनाओगे कि जो हिंदू धर्मके लिए अपने खजानेमेंसे जितने पैसे चाहे निकाल कर दे दे। हकूमत तो सब लोगोके लिए बनाई गई है। अग्रेजी शब्द तो उसके लिए 'सेकुलर' है, अर्थात् वह कोई धार्मिक सरकार नही है, या ऐसी कहो कि वह किसी एक धर्मकी नही है। तब वह यह तो कर नही सकती है कि चलो, हिदुओके लिए इतना पैसा निकालकर दे दे, सिखोके लिए इतना और मुसलमानोके लिए इतना। हमारे पास तो एक ही चीज है और वह यह कि सब लोग हिंदी है। धर्म तो अलग-अलग व्यक्तिका अलग-अलग रह सकता है। मेरे पास मेरा धर्म है और आपके पास आपका।

एक भाईने और लिखा है, एक पर्चेमें, और अच्छा लिखा है। वह कहते है कि अगर जूनागढ़की हकूमत सोमनाथके जीर्णोद्धारके लिए पैसा देती है या यहा की मध्यवर्ती हकूमत कुछ देती है तो वह एक बडा अधर्म होगा। मै मानता हू कि वह बिलकुल ठीक लिखा है। तब मैंने सरदारजी-से पूछा कि क्या ऐसी ही बात है ? उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते हुए यह बननेवाली बात नही है। सोमनाथके जीर्णोद्धारके लिए जूनागढ़की तिजोरीसे एक कौडी नही जा सकती। जब मेरे हाथसे यह नही होगा तो सावलदास बेचारा क्या करनेवाला है ! सोमनाथके लिए हिंदू काफी पडे हैं जो पैसा दे सकते है। अगर वे कजूस बन जाते है और पैसा नही देते तो वह ऐसे ही पडा रहेगा। डेढ लाख तो हो गया है और जामसाहबने उसके लिए एक लाख रुपया दे दिया है। रुपयेका इतजाम तो हो जायगा।

एक बात और मेरे पास आ गई है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान-मे हमारी लडकियोको मुसलमान छीन ले गए है। उनको छुड़ानेके लिए कोशिश तो हो रही है, और वह होनी ही चाहिए। हरएक लडकीको जो कि वहां अबतक जिंदा पड़ी है, वापिस लानेकी कोशिश की जाय। अगर

जुल्म और जबर्दस्ती करके उसे उन्होंने बिगाड दिया है, तो क्या उसका धर्म और कर्म सब खत्म हुआ ? मैं तो ऐसा मानता नही हू और कल मैंने आपको इस बारेमें बताया भी था । जबर्दस्तीसे किसीका धर्म नही बदला करता । लेकिन उस लडकीको लानेके लिए कुछ पैसे दो, ऐसी भी बात आज चलती है । कुछ गुडे आ जाते हे और कहते हे कि लाओ, एक-एक हजार रुपया फी लड़की दे दो, हम उनको ला सकते हैं । तब क्या यह कोई व्यापार बन गया है ? अगर मेरी इन तीन लडकियोंमेसे एकको कोई उठा ले जाता है और वह पीछे मेरे पास आकर कहे कि एक हजार या एक-सौ ही दे दो, मैं वापस ला दूंगा, तो मै जवाब दूंगा कि तू उसको मार डाल । अगर ईश्वर उसको बचाना चाहते है तो मेरी लड़की मेरे पास आ जायगी । लेकिन क्या तू उसके लिए सौदा करना चाहता है ? एक तो लुटेरा बनता है और फिर दगाबाजी करता है । अपने धर्मको तो तूने छोड दिया और चूंकि मेरी लड़की है, इसलिए अब मुझको दबानेके लिए आया है। मै एक कौडी नही देनेवाला हू । इसी तरहसे कोई भी मा-बाप अपनी लड़कियोंके लिए ऐसा सौदा न करें। उनकी लडकी खुदाके पास पड़ी है । ईश्वर सब जगह है। अगर एक लड़कीका पति मर जाता है तो वह लडकी कहां जायगी ? हां, यह बात दूसरी है कि अगर लड़कीको वहासे आना है और किराया नही है, तो किराया दे देते हैं । लेकिन अगर यह गुडा आता है और कहता है कि इतने पैसे दे दो तो वह कोई बननेवाली बात नही है । इसी तरहका एक दृष्टांत मै दे देता हूं वहाका, और यहाका भी; क्योंकि यहा हमने भी तो ऐसा ही किया और मुसलमान लडकिया छीनी है । तब पूर्वी पजाबकी सरकार या यह मध्यवर्ती सरकार जिन्ना साहबसे कहे कि एक लाख रुपया दे दो, जितनी मुसलमान लड़कियां हमारे कब्जेमे है सब दे देंगे, तो क्या हमारी हकूमत ऐसा पाजीपनका काम करेगी ? मै तो हकूमतको एक कौड़ी भी नही दूं । एक तो उसके यहा ऐसा नीच काम हुआ है और पीछे उस नीचताके बदलेमें वह पैसा भी मागे ! हकूमतको तो मेरे पास आकर तोबा करनी चाहिए और मुझको लड़की भी वापिस करें और उसके साथ ही कुछ इनाम भी दे। ऐसे अगर हम शुद्ध न रहे और हम बहादुर न बने तो फिर हमारा काम अच्छी तरहसे होनेवाला नही है ।

कल काठियावाडकी बात मैंने कही थी। मैंने तो जो पाकिस्तानके अखबारोंमें पढ़ा और पीछे कुछ हिंदुओंने भी सुनाया वही आपको कह दिया था, लेकिन आज जब सरदारजी मेरे पास थे तब मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा कि जब आप वहा गए थे तब तो आपने बड़े-बड़े व्याख्यान दिए थे कि वहा एक भी मुसलमान लड़के या लड़कीको कोई छू भी नहीं सकेगा। मगर अब मैं सुनता हू कि उनको लूटा गया, मारपीट भी हुई, उनकी जायदाद वगैरा जला दी गई और उनकी लड़कियोंको भी उठा ले गए। उन्होंने कहा कि जहांतक मैं जानता हू और ठीक जानता हूं कि वहां एक भी मुसलमानको मारा नही गया और एक भी मुसलमान-का मकान जलाया नही गया और लूटा भी नही गया। हां, इतना तो कुछ हो गया, लेकिन वह तो उनके पहुचनेसे पहलेकी बात हुई, जब कि वहां यह सब गोलमाल चल रहा था। तब कुछ लूटमार भी हुई और शायद एकाध मकान जलाया भी गया है, लेकिन ये दो बाते तो तब भी नही हुई, न तो किसी-को मारा गया और न किसी लड़कीको उठाया गया। वहां तो मध्यवर्ती सरकारका एजेंट या कोई कमिश्नर वगैरा भी रहता है। तो उसको हुक्म चला गया है कि इस तरहकी चीज नही हो सकती, तुमको पूरा बदोबस्त करना है। कोई भी, मुसलमानको वहा छू नही सकता, लूटना और मारना तो दूर रहा। बादमें वहा ऐसा कुछ नही हुआ। मैंने कहा कि क्या मैं इस बातको शामकी सभामें कह सकता हूं। उसने कहा कि बडी खुशीसे तू कह सकता है, अगर कुछ हुआ है तो मैं उसके पीछे पड़ूगा। उसने यह भी कहा कि वहा जो कांग्रेसी हिंदू हैं उन्होने अपनी जान खतरेमें डालकर भी मुसलमानोको और उनकी मिल्कियत वगैराको बचाया। वहां कोई गुडाबाजी चल नही सकती। जबतक मैं वहां पड़ा हू और गृह-विभाग मेरे हाथमें है तबतक मैं ऐसा कभी भी नही होने दूंगा। मैं तो यह सब सुनकर राजी हुआ और मैंने पूछा कि क्या मैं यह सब लोगोंको बता दूं। उसने कहा कि बड़ी खुशीसे, और मेरा नाम लेकर तू कह सकता है। मुझे कितनी खुशी हुई इस बातकी कि कल ही हमने ऐसा कहा था और आज मुझको यह खबर मिल गई।

: १६३ :

२९ नवंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मैंने आपसे कल कहा था कि सिखोंके लिए तो कलका दिन एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन हमको भी वह ऐसा ही मानना चाहिए। अगर सचमुच कलसे उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है और जो गुरु नानक सचमुच हमारे सबके लिए रख गए हैं, उसके मुताबिक वे चलना चाहते हैं तो जो चीजें आज दिल्लीमें बन रही हैं, वे होनी नहीं चाहिए।

मैंने आज तो अखबारोंमें भी पढ़ लिया है और यों भी मैंने सुन लिया था कि दिल्लीमें काफी लोग शराब पीते हैं। शराब पीनेवाले क्या-क्या कर सकते हैं, यह तो हम जानते ही हैं। तो वे कहते हैं कि अब तो शराबका मामला बड़ा कठिन हो गया है और दिल्लीमें वह बहुत फैल गया है, यहा-तक कि उसको काबूमें लाना बहुत मुश्किलकी बात हो गई है। अगर कल-से एक नया पन्ना खुल गया है तो यह होना चाहिए कि जो शराबका दौर पहले चलता था वह अब कम हो जाना चाहिए। शराब पीकर तो हम दीवाने ही बन सकते हैं। तब शराब क्या पीना था! सब चीजें तो मैं आपको बताऊं भी क्या, मेरे पास तो न जाने क्या-क्या आ जाता है।

एक तो यह चीज हुई और दूसरी, उसमें कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते हैं—वह यह कि जिन मस्जिदोंमें हमने नुकसान किया था, वह तो है, लेकिन जहा मस्जिदको मंदिर बना लिया था, वहा अगर पुलिस या मिलटरी-की चौकी पड़ी है तब तो वह जैसी थी वैसी ही बद रहती है। लेकिन मुझको तो वह भी चुभेगा, क्योंकि अगर नया पन्ना हमने कल खोल लिया है तब यह कैसे बन सकता है ? जिन मस्जिदोंको मंदिर बना रखा है, उसमें सिखोंका काम तो नही हो सकता। लेकिन सिख एक बड़ी कौम है, और वे अगर यह निश्चय कर लेते हैं कि हमको तो आजसे पाक ही बनना है और पाक काम ही करना है तो पीछे उसका हिंदुओंपर भी असर पड़ता है, इसमें मुझे थोडा-सा भी शक नही है। तब सिख लोग तो सचाई और हकके फैलानेवाले बन जाते हैं और उनका पेशा ही यह बन जाता है कि हम

तो हर जगह अमन[1] चाहते है, दूसरा तो कुछ है ही नही। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर शक्ल दूसरी ही बदलनेवाली है। अतः जिन लोगोंने मस्जिदोंको मदिर बनाया है उन्हे वहासे मूर्तियां उठा लेनी चाहिए और जो मस्जिद है, उसको मस्जिद-जैसी ही रखना चाहिए। अगर ऐसा बन जाए तो फिर जो पुलिस या मिलटरी हम वहा रखते है उसकी दरकार भी क्यो रहेगी। जब सब लोग भले हो जाते है तो पुलिसकी दरकार ही नही रहती।

एक तीसरी चीज और है और वह यह कि हमारी काफी लड़कियोको पाकिस्तानमे लोग उडा ले गए है। कहा ले गए है वे, इसका तो हमे कुछ पता ही नही है। तो कल मैंने कहा था कि एक कौडी भी हम किसी लड़कीको खरीदनेके लिए न दें। जिन्होंने हमारी लड़कियोको उडानेका गुनाह किया है वे उनको वापिस दे दे और उनके साथ-साथ पश्चात्ताप भी करे। हम उसके लिए पैसा दे यह बन नही सकता है। लेकिन एक बयान हमारे लिए भी मेरे सामने आता है और वह तो बहुत खतरनाक बयान है। वे कहते है कि पूर्वी पंजाबमें हम जिन मुस्लिम लडकियोंको अपने पास रखकर बैठ गए है, उनका हम बेहाल करते है। मै नही समझ सकता कि हम इन्सानियतसे यहातक गिर गए है! मुझसे तो यह बर्दाश्त होता नहीं है, यह मै कबूल करता हू। उन लडकियोको तो हमे अपनी मां या अपनी लड़कियों-जैसी ही समझना चाहिए। जो मुसलमानकी लडकी है तो वह मेरी ही लड़की है। तब मेरी जो ये लड़की है, इनका कोई बेहाल करे, और मै मौज उड़ाऊ, जिंदा बना रहूं और खूब खाऊ-पीऊ तो यह कैसे कर सकता हू। जिन भाईने यह खबर दी है उसमें मुझको लगता है कि कुछ-न-कुछ अतिशयोक्ति है। लेकिन अतिशयोक्ति मानकर उसे भूलना तो नही चाहिए और पीछे अगर उसमे अतिशयोक्ति है भी तो अच्छा ही है, क्योकि उससे हमको सोचना तो पड़ेगा कि क्या इन्सान यहातक भी गिर सकता है। वह चीज तो ऐसी है कि जो हमारे अदर कपन पैदा कर दे। तो कलसे हमने एक नया पन्ना खोल दिया है, क्योकि जब सिखोने खोल दिया

---

[1] शांति।

तो हिंदुओंने भी खोला और कहो कि मुसलमानोंने भी । लेकिन मुसलमानोंको तो भूल जाओ, क्योंकि यूनियनमें तो हमने उनको लाचार बना दिया है। लेकिन हिंदू और सिख तो लाचार नहीं हैं । तब उनको बराबर यह सोचना है कि क्या करना चाहिए । हां, यहां तो हम ऐसा करते नहीं हैं । लेकिन कहीं भी अगर कोई गुनाह करता है तो मैं गुनहगार बन जाता हूं, ऐसा मुझको लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए । मैंने अगर कुछ गुनाह किया है तो आप भी यही सोचें कि गांधीने गुनाह किया तो हम लोग भी गुनहगार हैं । हम ऐसे ओतप्रोत बनें कि जैसे एक समुद्रके बिन्दु होते हैं । अगर समुद्रके बिन्दु अलग-अलग होकर रहें तो वे सूख जाते हैं, मगर जब वे समुद्रमें ही रहते हैं तो वे सब मिल जाते हैं और बड़े-बड़े जहाजोंको भी अपनी छातीपर उठा लेते हैं । जैसे समुद्रका हाल है वैसे हमारा है । आखिर हम भी तो मनुष्योंका समुद्र हैं । अगर एकने बुरा किया है तो सबने किया । पीछे, ऐसा होनेसे वह बुराई मिट जाती है । हम सबको जाग्रत हो जाना चाहिए । इसलिए मैंने आपको इतनी चीजें तो कहीं, लेकिन मैं अब इसके बाद कंट्रोलपर आना चाहता हूं ।

चीनीपरसे तो कंट्रोल हट गया और मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है कि कपड़ोंपर और खुराकपर जो दूसरे-तीसरे कंट्रोल हैं, वे भी सब छूटने ही चाहिए । लेकिन वे कैसे छूटें और उनके छूटनेके बाद हमारा धर्म क्या हो जाता है ? चीनीका तो कंट्रोल छूट ही गया, इसलिए पहले तो मैं उसकी बात कर लूं । अभी तो चीनीके बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके लोग ऐसा न करें कि चलो, अब तो हमें छुट्टी मिल गई है, इसलिए हम जितने पैसे लोगोंके पाससे छीन सकते हैं उतने छीन लें । अगर वे चीनीका दाम बढ़ा दें तो पीछे सब लोग कंगाल हो जायंगे । यह तो अच्छी बात है कि चीनी खानेवाला सारा हिंदुस्तान तो नहीं है । उनको कुछ खाना है तो गुड़ खाना चाहिए और गुड़पर तो कोई अंकुश वगैरा है ही नहीं । गुड़को तो देहाती लोग आरामसे अपने-अपने घरोंमें बना सकते हैं, लेकिन चीनी तो वे नहीं बना सकते । उसके लिए तो हिंदुस्तानमें बड़े-बड़े यंत्रालय बने हैं और जो लखपति-करोड़पति लोग हैं, वे कुछ मजदूर रखकर उनमें

चीनी बनाते हैं । लेकिन गुड़ तो जहां भी गन्ना पैदा होता है वहां आम[1] बन सकता है । और फिर गुड़ तो बड़ा खाने लायक होता है, अगर वह शुद्ध बना है तो । बचपनमें मेरे पिता मुझको ले जाते थे या पिताके पास जो दूसरे नौकर रहते थे, उनके साथ में चला जाता था उन देहातोंमें, जहां गन्ना पैदा होता है । तो वहांके लोग हमें बिल्कुल ताजा और स्वच्छ गुड़ खानेके लिए देते थे । तब तो वह एक खुराक जैसा बन गया, मगर चीनी खुराक नही बन सकती । तब गरीब लोग तो गुड़ खाए, लेकिन आज उनमेंसे कुछ चाय पीनेवाले भी तो बन गए हैं और पीछे चायमें वे गुड नही, बल्कि चीनी डालते हैं । मैं तो लोगोको यह सिखा दूं कि उसमें गुड डालो, लेकिन मेरी वे माननेवाले थोडे ही हैं ! तब अगर चीनीका दाम बढ़ता है तो वे सोचेंगे कि चीनीपर भी अंकुश रहता तो ही अच्छा था, हमें इतने दाम तो नही देने पडते । ऐसी हालतमें जितने चीनीके व्यापारी या कारखानेदार हैं उनका यह परम धर्म हो जाता है कि वे आपसमें मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान यह देखे कि आज हमको आजादी मिल गई है तो इस आजादीमें हम केवल शुद्ध कौड़ी ही कमाएंगे । इस आजादीमें हम लोगोंको दगा नही देंगे और धोखाबाजी भी नहीं करेंगे, जो भी सडाद या गदगी है उसको निकाल बाहर करेंगे । अगर वह नही होता है तो मुझको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर काफी काम मैंने इसपर-से कंट्रोल हट जानेके लिए किया है और अभी भी कर रहा हू । चीनीके व्यापारी और कारखानेदार अगर अपने मुनाफेके टके बढ़ा देते हैं तो फिर चीनीका दाम बढ़ना ही है । अगर वे सौमेंसे पांच लेते हैं, तब तो वह शुद्ध कमाई ही मानी जायगी और अगर दस या बीस फी सदी अपनी जेबमें डालते हैं, तो वह शुद्ध कौडी नही कही जा सकती । सौमेंसे पांच बहुत काफी है, उससे अधिक तो लेना नहीं चाहिए । तब जो दूसरे कंट्रोल हैं वे तो अपने आप ही उड़ जाते हैं । हकूमतको यह न कहना पड़े कि तब तो सब कहते थे कि अंकुश उड़ा दो और अब वह उड़ा तो दिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं वे क्या खायंगे ? गरीबोंको तो वह मिलती ही नहीं है । ऐसा

[1] साधारणतः ।

नही होना चाहिए। जो कारखानेवाले पड़े है उनको स्वच्छ बनना है और आपसमे मिलकर एक मडल बना ले और एक ही भाव बांध दें। उससे ज्यादा कोई भी कारखानेदार न ले। लेकिन ऐसा भी नही होना चाहिए कि जो गन्ना बोनेवाले किसान लोग हैं उनको गन्नेका दाम कम दे। अगर किसानोंको ज्यादा दाम दे और उसकी वजहसे कुछ भाव बढ़ता है, तब तो वह शुद्ध कौड़ीकी ही बात हो गई। वे सच्चा हिसाब करे और वह हिसाब सबको बता दें कि कल किसानोंके पास इतना जाता था और आज उनको इतना मिलता है जो सीधा किसानोकी जेबमें जाता है और बीचमे उसे कोई खा नही सकता। हम लोग तो कल जो दो रुपये फी सदी या पाच रुपये फी सदी लेते थे, आज सवा पांच भी नही लेते हैं। मान लीजिए, मिलवालोने तो पाचसे ज्यादा नही लिए, लेकिन जो बीचमे छोटे-छोटे ताजिर लोग आ जाते है, वे अगर ज्यादा दाम लेते है तो फिर चीनीके खानेवाले तो मर जाते है। तब कारखाने-दारोको चाहिए कि वे चीनी सीधी खानेवालोंको ही बेच डाले। अगर यह हो जाता है तब तो काम सीधा-सीधा चलता है, इसमे मुझको शक नही है।

एक भाईने लिखा है कि देखो तो सही, जो लोग तीसरे दर्जेमें सफर करते है उनके रेल-किराये भी बढ़ा दिए है, हालाकि दूसरे और पहले दर्जेके किरायोसे तो वे कुछ कम बढ़े हैं। लेकिन वह लिखते है और ठीक लिखते हैं कि तीसरे दर्जेके किरायेमे इतनी-सी वृद्धि भी हमको क्यो करनी पडी? माना कि हमको अब ज्यादा काम करना है और उसके लिए हमको पैसे चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत-सी चीजें हैं, जैसे तबाकू है, बाहरसे कई चीजे ऐसी आती है और यहा भी बनती है कि जो हरएक आदमीके जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक नही है। इन चीजोपर चाहो तो कुछ कर बढ़ा दो। उसमेसे कुछ बन सकता है। तब जो हकूमतमे हमारे बड़े-बड़े लोग पड़े है उनको देखना और हिसाब करना है कि इस तरहकी बुद्धिसे क्या कुछ निकल सकता है। लेकिन यह समझने लायक बात तो है ही, और हकूमतको भी यह देखना है कि ऐसे लिखनेवाले भी मेरे पास पड़े है। वे कोई निकम्मे नही, बहुत समझदार आदमी है। आज अगर करोड़ों

रुपये हमारे हाथमे आ गए है तो करोड़ों ही हम खर्च कर डालें, ऐसा नही है। करोडमेंसे एक-एक कौड़ी लेकर भी हम आहिस्ता-आहिस्ता और फूक-फूककर चले। एक कौड़ी हम खर्च तो करें, लेकिन वह हिंदुस्तानकी झोंपडियोमे जाती है कि नहीं, मेरे लिए तो यही हिसाब काफी रहता है। जो करोडों रुपये हिदुस्तानकी झोंपडियोंमेसे खिचकर आते है, उनमेंसे कितना हम उनको वापिस भेज सकते है ? जो सच्चा पंचायती राज्य या लोकराज्य होता है उसे लोगोके पाससे पैसा तो लेना पड़ता है, लेकिन उसका दाम दस गुना उनके घरोंमें चला जाना चाहिए। जैसा कि मैं तालीमके लिए लोगोंसे पैसा लेता हूं तो मै ऐसी तालीम उनके लड़कोंको दू और इस तरहसे खर्चका अंदाजा करू कि जिससे दस गुना पैसा उनको वापिस मिल जाय। मान लीजिए, मै देहातोंमे सफाईका काम करू, लोगोके लिए सड़कें और रास्ते बनवाता हू तो देहातके लोग यही सोचेंगे कि जो पैसा हम देते है वह हमारे ऊपर ही खर्च होता है। नतीजा यह होगा कि आज मिलिटरीके पीछे हम जो इतने दीवाने बन गए है, तब उतने नही रहेगे। हमारे दिलमे पीछे यही विचार पैदा होगा कि मिलिटरीपर तो कम-से-कम खर्च करे और आम लोगोंपर ज्यादा-से-ज्यादा। तब तो लोग मिलिटरी भी खुद ही बन जाते है और उसका काम सीख लेते है। इस तरहसे जब वह अपनी और अपने पडोसीकी भी रक्षा कर लेते हैं तो फिर हिंदुस्तानकी रक्षा तो अपने आप हो जाती है। ऐसे तो हिंदुस्तानपर कोई गदी नजर डाल भी नही सकते है।

आज तो ऐसा है कि अग्रेजी राज तो यहासे गया, लेकिन अग्रेजी हवा अभी नही गई है। हम उस हवाको बदल दें। वे तो यहां एक बड़े पैमानेपर खर्च करते थे और ऐसा खर्च कि जो लोगोंके पास वापिस नही आता था ; लेकिन आज तो सब-का-सब खर्च हमको वापिस आना चाहिए, तब तो हमारे लिए खैर हो जाती है। बस, आज तो इतना ही मैं आपसे कहूगा।

: १६४ :

३० नवबर १६४७

भाइयो और बहनो,

कल ही मै तो आपसे कहना चाहता था, लेकिन चूकि और बहुत कुछ कहना था, इसलिए रह गया। आपने देखा होगा कि ये लडकियां जो बैठती हे तो फर्शपर ही बैठ जाती है और उससे ठड लगती है। मैने तो कह दिया था कि हमारे पास इतने कागज पडे है या अखबार है जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, उनपर बैठो। लेकिन आज तो किसी भाईने चद्दर बिछा दी है तो अच्छा किया। हम बेदरकार रहते है यह एक तरहसे तो अच्छा भी है। हम क्यों ऐसे नाजुक बने कि हम अगर कही बैठ गए तो हमको ठड लगे। फिर भी घासपर अगर हम बैठते है तो एक कागजका टुकड़ा अच्छा-सा मिल जाय और वह गीला नही हो जाता है तो वह ठडसे बचा लेता है। ऐसा नही हो तो पीछे हमारा तो एक पुराना तरीका भी है कि जहा भी कही जाना है, सबको आसन अपन साथ ही लेकर चलना है और पीछे जहा भी बैठना होता है वही आसन बिछाकर बैठना है। आज तो हम यह सब भूल गए है और ऐश-आराममें पड़ गए है। लेकिन मै तो कहता हू कि कागजका टुकड़ा भी छोडो, ले लो अगर लेना ही है तो, और वह भी एक खासा अखबार है तो, मगर जो आसन होता है, या तो ऊनका या फिर जूटका या दोनोंमेंसे किसीका, नही तो फिर कपड़ेका या सूखी घासका ही हो, वह एक बड़ी चीज है। जहां बैठना है, उसे बिछाया और बैठ गए और पीछे उसको बगलमे रखकर चले गए। क्योंकि मुझको ठड लगती है, इसलिए सबको ठड तो लगती ही होगी। पीछे डाक्टरोंका भी बताया हुआ है कि भीगी जमीनपर या कि वहां जहां ठंड लगती है, नही बैठना चाहिए। जो भाई धोती पहनते है या जो बहनें सिलवार या घाघरी पहनती है, वे अगर भीतर मोटा कपड़ा पहना हुआ है तो आसनका काम दे देता है। लेकिन वे भी तो नाजुक बन गई है तो फिर उनके पहननेको भी मुलायम चीज ही होनी चाहिए। वे मोटा कैसे पहनें और भीतर जो कपड़ा पहनते हैं वह मुलायम होना चाहिए। तब वह

यहांकी जो सर्दी है, उससे बचा नहीं सकते।

अभी मेरे पास तो बहुतसे तार आ गए हैं काठियावाड़से। उनके बारेमें मैंने सुना तो दिया है जो कुछ भी मैंने सुना था और पीछे जो पाकिस्तानके अखबारोंमें लिखा था। उनको भी वहाके हजारो लोग पढ़ते हैं, शायद दस हजार पढ़ते हों। कितने पढ़ते होंगे, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं; लेकिन उनमे जो चीजे आती हैं, उनके बारेमें मै ऐसा सोचू कि क्या पता ऐसा हुआ है कि नही, तो ऐसे काम नही निपटता। इसलिए मैंने बड़ा अच्छा किया कि जो कुछ उनमें पढ़ा था वह आपके सामने रख दिया। मै नही जानता कि वह सब सही है या नही। अगर वह सही है तो सारे काठियावाड़के लिए बड़ी शर्मकी बात है और अगर सही नही है तो पीछे जो अखबारोमे लिखनेवाले हैं उनके लिए शर्मकी बात है। तब एक या दूसरोंके लिए वह शर्मकी बात तो हो ही गई। उस बारेमे सरदारजी क्या कहते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। आज भी वे आ गए थे और मुझको सुनाते थे कि वहांसे जो बातें आती हैं वे तुम्हारे कहने लायक नही होती। वे तो बहुत बनी-बनाई आती हैं।

लेकिन राजकोटसे जो तार आ गया है वह तो आपके समझने लायक है। काफी लबा तार है, उसका थोड़ा-सा बयान मैं आपको दे देता हूं। आखिर मैं तो काठियावाड़के मुसलमानोको पहचानता हू। उनमेंसे एक-एकको तो नही पहचानता, लेकिन वहा जो खोजा लोग रहते हैं, मीना हैं, बाघेर हैं और किसानोमे भी कुम्बिय हैं, महेर हैं इन सबको मैं जानता हूं। आखिर मैं तो वहा पैदा हुआ हू और करीब-करीब १७ साल वहां रहा हूं। करीब-करीब क्या, पूरे १७ साल रहा हूं; क्योकि कहीं बाहर तो पढ़ने मैं गया ही नही। मेरे बापने मुझको कही भेजा ही नही। मेरा पढ़ना तो वहीं पूरा हुआ और कालेजमें तो क्या हुआ, कोई दो-चार महीने पढ़ा था और वह भी भावनगरमे। इम्तहान भी मेरा अहमदाबादसे आगे नही जा सका। यह मेरे हाल थे। पीछे वहां कुछ था तो मैं सब चीजें देख लेता था, और बादमे भी आता-जाता सबसे मिलता रहा। तो वे लिखते हैं कि तुमको तो हमारी तरफसे बड़ी चिंता हो गई है और तुम्हारी चिंता पीछे हमारी चिंता बन गई है। यह ठीक है कि काठियावाड़में हिंदू कुछ बिगड़ गए

और आज तो कहीं ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने कुछ मारपीट भी की, मुसलमानोंको कुछ रंज भी पहुंचाया, उनके कुछ घर ढाए और जलाए भी; लेकिन हमने उसको आगे बढ़ने ही नही दिया। जितने कांग्रेसके लोग थे और उनके मुखिया तो ढेबर भाई थे। उनको तो मै अच्छी तरह पहचानता हू। वे उनको बचाने गए और उनको काफी कामयाबी भी मिली। सब लोगोंका तो इस लूटमारमे हाथ नही था, क्योंकि अगर सबका हाथ होता तो फिर राजकोटमे जितने मुसलमान थे, उन सबके मकान जल जाते, मारपीट भी बहुत होती और कोई खून भी हो गया होता। लेकिन यहांतक तो नौबत नही पहुची। कांग्रेसवालो और दूसरे लोगोंने वहा बहुत एहतियात-से[1] काम लिया। ढेबर भाईके साथ तो यहातक भी हुआ, हालांकि वह तो खासा बड़ा आदमी है और वकील भी है, लेकिन भीडको जब इस तरहसे गुस्सा आ जाता है तो फिर छोटे-बडेकी बात ही छूट जाती है, उन्होंने कहा कि अच्छा, इनको बचाने आता है, गालिया दी और बहुत परेशान भी किया। ढेबर भाईके साथ जो दूसरे लोग है, वे लिखते हैं कि कुछ नुकसान तो किया, लेकिन ढेबर भाईको तो दूसरे लोगोने बचा लिया। तब तारमे तो यह भी लिखा है कि वहाके जो ठाकुर साहब है उन्होंने भी हमारे साथ हाथ बटाया और वहाकी जो पुलिस है, उसने भी। तब वहां दंगा करनेवाले रहे कौन ? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ, ऐसा वे कहते हैं। इन लोगोने कुछ-न-कुछ तो किया भी, लेकिन इनकी कोशिश तो यह थी कि मुसलमानोंको, कम-से-कम राजकोटसे, तो निकाल ही दे। मगर वह कर नही सके। लेकिन अब हम निश्चित हो गए और मुसलमानोंके लिए कोई खतरा अब नहीं रहा है। और आप भी अब निश्चित रहिए। दूसरी जगह भी हम देखनेकी कोशिश कर रहे है और इसके बाद एक दूसरा तार हम भेजेगे।

वहीसे एक मुसलमान भाईका भी तार आ गया है। वे लिखते हैं कि हम तो काग्रेसवालों और दूसरे लोगोंके बहुत अहसानमंद है। हमारी जान-मालकी रक्षाके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन बबईसे

---

[1] खबरदारीसे।

एक दूसरा तार आया है, वह भी मुसलमानका ही है। वे लिखते हैं कि पहले जो आपने कहा था वह तो ठीक कहा था, लेकिन अब जो तुमको काठियावाड़के बारेमें सुनाया गया है, वह ठीक नहीं है। वहां काफी हुआ है और अभी भी हो रहा है।

मुझको नहीं मालूम कि मैं बंबईसे जो तार आता है उसको सच मानूं या इस दूसरे मुसलमानके तारको। लेकिन जो बंबईसे तार आता है उसमें मुझको शक हो जाता है, क्योंकि वे तो बंबईमें बैठे हुए लिखते हैं और दूसरा तार तो उनका है जो खुद काठियावाड़में पड़े हैं। और पीछे जो काठियावाड़में हैं वे मुझको धोखा भी नहीं दे सकते, धोखा देकर वे जायंगे कहां! इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि जो बंबईसे तार आया है उसमें कुछ अतिशयोक्ति या मुबालगा[1] है। क्या है और क्या नहीं, यह तो मुझको पीछे पता चल जायगा, लेकिन अभी तो मैं उसे सबके सामने रख दूं।

एक तार भावनगरसे भी आया है। वह वहांके महाराजाका है। उनको भी मैं पहचानता हूं, क्योंकि मैं तो वहां तीन-चार महीने रहा हूं। इसलिए महाराजाको मेरे लिए यह लगा कि वह परेशान क्यों होता है। उन्होंने लिखा है कि तुम फिक्र क्यों करते हो। हम यहां सब जाग्रत हैं और यहांके हिंदू भी जाग्रत हैं। मुसलमानोंको कोई नुक्सान नहीं होने देंगे। तुमको इस बारेमें कुछ शक मनमें नहीं लाना चाहिए।

लेकिन जूनागढ़से अभी एक तार आ गया है। वह मुसलमानोंकी तरफसे है और वे लिखते हैं कि ये लोग तो तुमको धोखा दे रहे हैं। तुम एक कमीशन बिठाकर इसकी तहकीकात कराओ कि हम लोगोंको परेशान किया जाता है कि नहीं। यह तार जवाहरलालजी, सरदारजी और दूसरे लोगोंको भी भेजा है और उनमें एक मैं भी आ गया हूं। मैं कहता हूं कि हरएक चीजके लिए इस तरहसे कोई कमीशन नहीं बैठ सकता है। कमीशन बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। हां, अगर कोई चीज ऐसी है कि सचमुच इतना नुक्सान हुआ है तो फिर इसमें कमीशन बिठानेकी क्या दरकार है? काठियावाड़के लिए तो मैं ही कमीशन-जैसा पड़ा हूं। अगर मेरे ध्यानमें

---

[1] अतिशयोक्ति।

कुछ आता है तो मै दबा सकता हूं, वहांके राजा लोगोंको और रैयतको भी। मै यह दावा तो नही करता हू कि मै हर चीजमे कामयाब रहता हू और वह मेरी हर बातको मान ही लेते है; लेकिन काठियावाड़के लिए तो ऐसा है न, कि जैसा बिहारके लिए कहो। बिहारमे अगर कोई कहे कि तू कमीशन बिठा दे तो मैं क्या कमीशन बिठाऊंगा ? मै तो खुद ही वहां पडा हू। वहांके सब लोग मुझको चाहते है और मेरी मान भी लेते हैं। तब वहाके लिए कोई कमीशन बिठाना तो ठीक नही हुआ।

मेरे पास तो राजकोटसे काफी खत भी आए है मुसलमानोके। वे लोग काफी हिंदुओंके दोस्त है और कांग्रेससे भी खुश हैं। तब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघमे कौन है ? उनसे मुझको कोई अदावत[1] तो हो नही सकती। वे सोचते हैं कि हिंदू-धर्मको बचानेका वही तरीका है, लेकिन मैं मानता हू कि इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नहीं होगी। वे मानते है कि अगर एक आदमीने कुछ कर लिया है तो उसके साथ मारपीट करना। मगर मै यह कहता हूं कि बुराईका बदला बुराईसे क्या देना! हमारी जो हकूमत पडी है उसको सताओ और उससे कहो कि ऐसा क्यों होता है। और फिर हमारी हकूमत तो जाग्रत पड़ी है और जितना भी हो सकता है कोशिश कर रही है। तब हिंदूमहासभाको मै कहूगा और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघको भी—ये दोनों हिंदुओंकी सस्था है और अच्छे बड़े और पढ़े-लिखे आदमी इनमें हैं, जैसे कि और सस्थाओंमें भी हैं— आप हिंदू-धर्मको ऐसे नही बचा सकते, अगर यह बात सही है कि इन्होंने ही मुसलमानोको सताया है और अगर यह सही नही है तो फिर किसने उनको सताया है ? कांग्रेसने नही सताया, वहाकी हकूमतने नही सताया और यहांकी हकूमतने नही, तो पीछे और कौन हिंदू है जिसने किया ? आज तो यह इल्जाम सारे हिंदुओं और सिखोंपर पड़ता है जैसा कि पाकिस्तानमे सारा इल्जाम मुसलमानोपर पड़ता है, और वह ठीक तो पड़ता है। इसलिए मै कहूगा कि जो बेगुनाह हैं और जिनके खिलाफ इल्जाम लगाए गए है उनको अपना नाम साफ करना चाहिए। जूनागढ़में जो मुसलमान

---

[1] दुश्मनी।

भाई पड़े हैं वे अगर इन्साफ चाहें तो वह मिल सकता है, फिर कमीशन हम किसलिए बिठाएं ?

वहांकी बात मैंने आपको कह दी, लेकिन अब यहांके बारेमें भी तो आपको कुछ सुनाऊ। सरदारजीने कुछ इतजाम तो कर लिया है और जितनी मस्जिदें हमने यहां रखी है उनकी वे रक्षा करने जा रहे है। आपने अखबारोंमें उनका यह नोटिस तो देख लिया होगा कि सात दिनके अदर जितनी मस्जिदोंपर कब्जा किया हुआ है वे खाली कर दें, नही तो पुलिसको भेजकर खाली कराई जायंगी। मै तो कहता हूं कि वे पुलिस भेजकर क्या करेंगे ? वहां अगर मस्जिदमे किसी हिंदूने मूर्ति रख दी है, पीछे वह मूर्ति तो सोनेकी हो सकती है, चांदीकी भी, पीतल, मिट्टी या पत्थरकी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहते है और मै भी मानता हू कि जबतक उसमे प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की गई है और जबतक लोग पाक हाथोंसे उसकी पूजा नही करते हैं तबतक वह मेरी दृष्टिमे तो मूर्ति नही, बल्कि पत्थर या सोनेका टुकड़ा है। ऐसी कुछ मूर्तियाँ कनाट प्लेसके कोनेवाली मस्जिदमें भी बिठा दी गई हैं और उनमे अभी तो हनुमानजी नही हैं। मेरे नजदीक तो वह नहीं है। मेरे नजदीक तो वह एक पत्थरका टुकड़ा है जिसे हनुमानजीकी शक्ल दे दी है और कुछ सिंदूर भी लगा दिया है। मेरी दृष्टिमे तो वह कोई पूजाके लायक नही है। पूजाके योग्य तो वह तभी बन सकता है जबकि उसको कही हकसे बिठाया जाय, और उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाय। वह सब तो नही हुआ। इसलिए जिन लोगोंने उनको वहां बिठाया है उनका यह धर्म हो जाता है कि वे दिनके आरंभके साथ उसको वहांसे उठा ले जायं और पीछे जहां भी उसको रखना है वहां रखें। इस तरहसे वे एक तो मस्जिदको बिगाड़ते हैं और दूसरे उस मूर्तिका अपमान करते हैं। हिंदू-धर्ममें हम मूर्तिपूजक होकर भी इस तरहसे किसी मूर्तिकी पूजा करें तो वह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। तब सरदारजीको क्या पड़ी कि वह वहां पुलिस भेजे ! आप जितने हिंदू है वे सब पहरेदार बन जाएं और जिन मस्जिदोंमें मूर्तियां रखी हैं वहांसे उनको हटा दें। जो मस्जिदें बिगड़ी हुई हैं हमको कहना चाहिए कि हम उनकी मरम्मत कर देंगे। लेकिन आज तो सरदारजी कहते हैं कि हकूमत अपने खर्चपर उनकी मरम्मत कर

लेगी। हकूमत क्यों करेगी, इसीलिए न कि हम नहीं कर रहे हैं। उसको तो सबकी रक्षा करनी है। लेकिन यह हमारे लिए शर्मकी बात हो जायगी। आज जितने हिंदू या सिख है, लेकिन सिखको तो मैंने कहीं मूर्ति बिठाते हुए सुना नही, उनकी तो एक ही मूर्ति या पुस्तक कहो, वह गुरु ग्रथ साहब ही हैं। मैंने तो देखा नही कि किसी सिखने गुरु ग्रथ साहबको मस्जिदमें लाकर रखा हो। अगर किसीने ऐसा किया भी है तो उसने गुरु ग्रंथ साहबका अपमान किया है। गुरु ग्रथ साहबको तो गुरुद्वारेमें ही रखा जा सकता है। जो पवित्र सिख हैं वही उसको ऊंची जगहपर सजाकर रखते है। मेरे-जैसा अगर कोई हो तो वह तो बहुत सुदर खादी बिछाकर उसको रखे। लेकिन आज यदि देसी-परदेसीका तो खयाल नही है, फिर भी बड़े खूबसूरत ऊनी और रेशमी वस्त्र हम हाथोसे तैयार करते है। उस रेशमको हम वहा बिछाएं और गुरु ग्रथ साहबको रखे तब तो वह पूजाके लायक है और अगर कोई सिख उसे मस्जिदमें ले जाकर रखता है तो वह गुरु ग्रथ साहबकी तौहीन[1] करता है और वह पूजाके लायक नही हो सकता।

आज एक मुसलमान मेरे पास आया। मैं समझा नहीं कि वह क्या कहना चाहता था। लेकिन उसके हाथमें एक कुरानशरीफ थी, जो आधी जली हुई थी। लेकिन उसके लिए तो वह भी पाक थी। इसलिए उसने उसको बहुत साफ कपड़ेमें लपेटा हुआ था। उसने आरंभसे वह कपड़ा खोला और मुझको दिखाया। वह कुछ बोला तो नही, लेकिन रोने-जैसी उसकी शक्ल बन गई और पीछे चला गया। बृजकिशनजीसे तो कुछ बातें भी की, लेकिन मैं तो काममें पड़ा हुआ था। इसी तरह अगर एक मुसलमान यहां आकर कुरानशरीफ बिठा जाता है और मुझको और आपको मारता है तो मैं कहूंगा कि वह कुरानशरीफकी तौहीन करता है। कुरानशरीफ यह नहीं कहती कि किसीको मजबूर करके उसे रखो।

इसलिए मैं तो बड़े अदबसे कहना चाहता हूं हिंदू-महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघसे तथा और भी लोगोंसे, जो मेरी सुनना चाहते है और साथ-साथ सिखोंको भी, क्योंकि सिख तो बड़े है और अगर वे सीधे

---

[1] अपमान।

हो जाते हैं और गुरु नानकके सच्चे अनुयायी बन जाते हैं तो हिंदू भी आप-ही-आप सीधे हो जाते है। मेरे दिलमें सिखोंकी कद्र है। लेकिन आज क्या हिंदू और क्या सिख, सब बिगड़ते जा रहे है और हिंदुस्तानको धूलमें मिला रहे है। जिस हिंदुस्तानको हमने ऊंचे चढ़ाया है, क्या उसको नीचे खींचकर हम मटियामेट करेंगे? क्या हम अपने धर्म, कर्म और देशको इस तरहसे धूलमें मिला देंगे? ईश्वर हमको इस चीजसे बचा ले।

: १६५ :

मौनवार १ दिसंबर १९४७

(लिखित संदेश)

भाइयो और बहनो,

कई मित्र नाराज होते है कि मै 'अगर यह सही है तो' कहकर क्यों कोई निवेदन करता हूं। मुझे पहले तय कर लेना चाहिए कि बात सही है या नही। मैं मानता हू कि जब-जब मैंने 'अगर' इस्तेमाल किया है मैंने कुछ गमाया नहीं है। जो काम उस समय मेरे हाथमें था उसे फायदा ही हुआ है।

इस वक्तकी चर्चा काठियावाड़के बारेमें है। मित्र लोग कहते हैं कि मैंने काठियावाड़के बारेमें मुसलमानोंपर ज्यादतियोंके झूठे बयानको मशहूरी[1] दी है। अधिकतर इल्जाम सरासर झूठे थे। जो थोड़ी-बहुत गड़बड़ी हुई थी उसे फौरन काबूमें लाया गया। मेरे 'अगर' के साथ उन इल्जामों-का जिक्र करनेसे सचाईको कोई नुकसान नही पहुंचा। काठियावाड़के सत्ताधीश और कांग्रेस, जिस हदतक सचाईपर खड़े रहे है, उतना ही उन्हें फायदा होगा। मगर मित्र लोग कहते हैं कि सचाई आखिरमें जाहिर होकर रहती है। इसमें भले शक न हो, मगर उससे पहले नुक्सान तो हो ही जाता

[1] प्रसिद्धि।

है। जिन्हें सच-झूठकी कुछ पड़ी नही, ऐसे बेईमान लोग मेरे कथनको अपनी बात सिद्ध करनेके लिए काममें लाते हैं। इस तरहसे झूठको फैलाया जाता है। मैं इस तरहकी चालबाजीसे आगाह[1] रहूं। जब-जब इस तरहकी चालाकी खेलनेकी कोशिश की गई है वह निष्फल हुई है और ऐसा करनेवाले बेईमान लोग जनतामे झूठे बने हैं। मै 'अगर' कहकर इल्जामोंका जिक्र करता हूं तो उससे किसीको घबरानेकी जरूरत नही, शर्त सिर्फ यह है कि जिनपर इल्जाम लगाया जाता है वे सचमुच इल्जामसे सर्वथा मुक्त हों।

इससे उल्टी स्थितिका विचार कीजिए। काठियावाडकी ही मिसाल लीजिए। अगर पाकिस्तानके बड़े-बड़े अखबारोंमे लिखे इल्जामोंकी तरफ मैं ध्यान न देता, खास करके जब पाकिस्तानके प्रधान मन्त्रीने भी कहा कि इल्जाम मूलमें सही है, तो मुसलमान उन इल्जामोंको वेद-वाक्य माननेवाले थे। मगर अब भले मुसलमानोके मनमे उनकी सचाईके बारेमे शक है।

मै चाहता हूं कि इसपरसे काठियावाडके और दूसरे मित्र यह पाठ सीखें कि हम अपने घरमे तो किसी तरहकी गडबड़ होने नही देंगे, टीकाका स्वागत करेंगे, चाहे वह कडवी टीका ही क्यों न हो; अधिक सच्चे बनेंगे और जब कभी भूल देखनेमे आवे उसे सुधारेंगे। हम यह सोचनेकी गलती न करें कि हम कभी भूल कर ही नही सकते, कड़वी-से-कड़वी टीका करनेवाले-के पास हमारे विरुद्ध कोई-न-कोई सच्ची, काल्पनिक शिकायत रहती है। अगर हम उसके साथ धीरज रखे, जब कभी मौका आवे उसकी भूल उसे बतावें, हमारी गलती हो तो उसे सुधारें, तो हम टीका करनेवालेको भी सुधार सकते हैं। ऐसा करनेसे हम कभी रास्ता नही भूलेंगे। इसमे कोई शक नही कि क्षमता तो रखनी ही होगी। समझदारी और शनाख्तकी[2] हमेशा जरूरत रहती है। जान-बूझकर शरारतकी ही खातिर जो बयान दिए जाते है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मै मानता हूं कि लबे अभ्याससे मैं शनाख्त करना थोड़ा बहुत सीख गया हूं।

---

[1] परिचित; [2] पहचान।

आज हवा बिगड़ी हुई है, एक दूसरेपर इल्जाम-ही-इल्जाम लगाए जाते हैं। ऐसी हालतमें यह सोचना कि हम गलती कर ही नहीं सकते, मूर्खता होगी। हम ऐसा दावा कर सकें वह खुशकिस्मती आज कहां! अगर मेहनत करके हम झगड़ेको फैलनेसे रोक सकें और फिर उसे जड़मूलसे उखाड़ फेंके तो बहुत हुआ। यह हम तभी कर सकेंगे अगर हम अपने दोष देखने और सुननेके लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। कुदरतने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपनी भूल नहीं देख सकते, वह तो दूसरे ही देख सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जो दूसरे देख सकते हैं उससे हम फायदा उठावें।

कल प्रार्थनामें जाते समय मुझे जो जूनागढ़से लंबा तार मिला उसकी बात कल पूरी नहीं हो सकी। कल मैंने उसपर सरसरी नजर ही डाली थी। आज उसे ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूं। तार भेजनेवाले कहते हैं कि जिन इल्जामोंका मैंने पहले दिन जिक्र किया था वे सब सच्चे हैं। अगर यह सही है तो काठियावाड़के लिए बहुत बुरी बात है। अगर जो इल्जाम साथियोंने स्वीकार किए हैं और मैंने छापे हैं उनको बढ़ानेकी कोशिश की गई है तो तार भेजनेवालोंने पाकिस्तानको नुक्सान पहुंचाया है। वे मुझे निमंत्रण देते हैं कि मैं खुद काठियावाड़में जाऊं और अपने आप सब चीजोंकी तहकीकात करूं। मैं समझता हूं कि वे जानते हैं कि मैं आज ऐसा कर नहीं सकता। वे एक तहकीकाती कमीशन मांगते हैं। मगर उससे पहले उन्हें केस तैयार करना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि उनका हेतु जूनागढ़को या काठियावाड़को बदनाम करना नहीं है। वे सच निकालना चाहते हैं और अल्पमतकी जान-माल और इज्जतकी रक्षाका पूरा प्रबंध करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि हरएक आदमी जानता है कि अखबारी प्रचार, खास करके जब वह पूरी-पूरी सचाईपर न हो, न जानकी रक्षा कर सकता है, न मालकी, न इज्जतकी। तीनों चीजोंकी रक्षा आज हो सकती है, उसके लिए तार भेजनेवालोंको सचाईपर कायम रहना चाहिए और हिंदू मित्रोंके पास जाना चाहिए। वे जानते हैं कि हिंदुओंमें उनके मित्र हैं। वे यह भी जानते हैं कि अगरचे मैं काठियावाड़से बहुत दूर बैठा हूं, मगर यहांसे भी उनका काम

कर रहा हूं। मैंने जान-बूझकर यह बात कह दी और मैं सब सच्ची खबरें इकट्ठी कर रहा हूं। मैं सरदार पटेलसे मिला हूं और वे कहते हैं कि जहांतक उनके हाथकी बात है, वे कौमी झगड़ा नहीं होने देंगे और कहीं कोई मुस्लिम भाई-बहनोंसे बदतमीजी करेगा उसे कडी सजा दी जायगी। काठियावाड़के कार्यकर्ता, जिनके मनमें कोई पक्षपात नहीं, सच ढूढनेकी और काठियावाड़के मुसलमानोंको जो तकलीफ पहुची हो, उसको दूर करनेकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हे मुसलमान उतने ही प्यारे हैं जितनी अपनी जान। क्या मुसलमान उनकी मदद करेगे ?

: १६६ :

२ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

मैंने तो आपको कहा था कि आज मुझको पानीपत जाना है। इरादा ऐसा था कि ४ बजे वापस आ जाऊंगा। लेकिन काम इतना निकल गया था कि बडी मुश्किलसे ५॥ बजकर ५ मिनट हो गई थी—३ मिनट तो हो ही गई थी—आया। तब प्रार्थनाकी आवाज सुनी। प्रार्थना तो शुरू हो ही जानी चाहिए थी, मैं रहूं चाहे न रहूं। मैंने तो कह दिया है कि प्रार्थना शुरू हो ही जानी चाहिए, नियमके मुताबिक चलना ही चाहिए। पीछे मुंह धोने चला गया, इसलिए देर लग गई। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हू।

मैं क्यों पानीपत गया, इसका थोड़ा-सा तो इशारा कर दिया था। मेरी उम्मीद तो थी और अब भी उम्मीद नही छोड़ आया हू कि किसी-न-किसी तरह पानीपतके मुसलमानोको रख सकें तो अच्छा है। हमारे लिए तो अच्छा है ही, सारे हिंदुस्तानके लिए भी अच्छा है और जो हिंदुस्तानके लिए अच्छा है वह पाकिस्तानके लिए भी अच्छा है।

वहां आज लोग मुसीबतमें पड़े हैं। वहांसे जो दुःखी लोग आए हैं—

दु:खीको शरणार्थी कहते हैं—वे भी दु:खमें हैं और रहनेवाले हैं, जबतक अपने घर नहीं चले जाते हैं। वैसे ही मुसलमान मजबूर होकर जो पाकिस्तान गए हैं वे भी दु:खमे ही रहनेवाले हैं। इसमे आप कोई शक न रखें।

मैं धर्मका पालन करता हूं तो वहां चला गया, यह अच्छा हुआ। डाक्टर गोपीचंद भार्गव भी आ गए थे, गृह-मंत्री सरदार स्वर्णसिंह भी आ गए थे। मुझको पता नही था कि डाक्टर गोपीचंद आनेवाले थे। सरदार कर्णसिंहने तो कहला भेजा था कि मेरी दरकार हो तो मैं आ सकता हूं। मैंने कहा कि दरकार तो नही है; क्योंकि जो कुछ करना है, वह मैं करूंगा; लेकिन वे आ गए। पूर्वी पंजाब उनका इलाका है तो उनका तो वह हक है, इसलिए वह भी आ गए। देशबन्धु गुप्ताने कहला भेजा था कि मैं बीमार हूं सो नही आऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है; लेकिन वहां तो उनका घर पड़ा है, इसलिए वह भी आ गए। तो अच्छा हुआ सब आ गए। मौलाना हैं वह जो यहां हमेशा आते है, वह भी आए। पीछे उन लोगोंसे बातचीत की। मुसलमानोंसे अकेलेमें बातचीत की; लेकिन दोनों मंत्री तो साथ थे। उन लोगोंने कहा कि मंत्री तो रहे। जो बात मंत्रीसे अलहदा है, जिसे मैं इस्तेमाल न कर सकू तो वह किस कामकी है ! उन लोगोने कहा कि वहां उस वक्त जो बात हो गई थी तब तय किया था कि रहेंगे और आपको कहा भी था। बादमें हालत बिगड़ गई। जैसा तुम कहते थे, कुछ भी हो ही नही पाया, इसलिए हम परेशान हो गए। हमारी इज्जतकी कोई परवाह नही की गई। जब इज्जत, माल और जान, तीनोंकी रक्षा नहीं हो सकी तो कैसे रहेंगे ? जो कुछ भी हो, घर गिरा तो क्या, आग लगी तो क्या, जानको जाने देंगे, मालको जाने देंगे, लेकिन मानकी हिफाजत[1] करना अपना काम है। उसकी हिफाजत कर सकेंगे तो रहेंगे। तो मैंने कहा कि मरनेकी बात कहते हैं वह तो ठीक है, लेकिन मनमें जगत-प्रेम है वही ईश्वरकी भक्ति है।

पीछे वहां जो दु:खी शरणार्थी हैं उनसे बहुत बातें हुईं। यह करते-ही-करते ३॥ बज गए। यहांसे १०॥ बजे निकल गया था और

[1] रक्षा।

करीब ११॥ बजे वहा पहुच गया । ३ बजेतक बाते चलती रही—बाते काफी थीं । पीछे दु:खी लोगोंसे मैंने कहा, पीछे डाक्टर गोपीचंद भार्गव थे उन्होंने कहा, सरदार स्वर्णसिह खड़े हुए तो गोलमाल शुरू हो गया, लोगोंने चीखना शुरू कर दिया, इसलिए नही कि वे लोग उनका अपमान करना चाहते थे, लेकिन वे लोग अब गवारा[1] नही कर सकते थे। वह क्या बताएगे हमको, इसलिए वे लोग गुस्सा हो गए ।

काफी लोग थे— करीब २० हजार होंगे । मैदान भर गया था । छत सब भर गई थी । इस तरहसे लोग भरे थे । मेरी बात तो शांतिसे सुनी । पीछे उन्होंने शुरू किया तो लोग खडे हो गए । हमारेमे तो रिवाज हो गया है कि गुस्सा बता दे । सब खडे हो गए, चीखना शुरू कर दिया कि मुसलमानोको हटा दो । मैंने कहा कि मुसलमानोंका जाना अच्छा नही है, उनका घर है तो रहने दो, मजबूर करनेसे क्या होगा ? यहा ऐसा करोगे तो वहा हमारा काम बिगड जायगा। तो यह सब समझाया। मै तो बैठनेवाला था, लेकिन स्वर्णसिह गृह-मत्री है, बहादुर आदमी हैं, वे माननेवाले नही । उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा ? उन्होंने बोलनेकी बडी चेष्टा की; लेकिन काम चला नही । लोग चीखते ही रहे, सब खड़े रहे । तो दु:खी लोगोके जो प्रमुख है, नुमायदा है, वह उतरे । पीछे उन्होंने शुरू किया । मुझको पता नही था कि वे शायर है, पजाबीमे शुरू किया, पहले तो भजन शुरू किया— वे लोग तो जानते है कि पंजाबियोंमे ऐसा है कि उनको भजन अच्छा लगता है—पीछे पजाबीमें ही डाटा और कहा कि मै तो आपका नुमायदा हू, आप क्यों नही सुनते, चीखनेसे क्या होगा ? सभा बिगाड़नेसे आपका क्या फायदा होगा ? आपका नुकसान ही है । तो पीछे शाति हुई, मेहनतसे । लोग बैठ गए तो पजाबीमे सब बाते हुईं ।

मैं पजाबी बोल तो नही सकता, लेकिन समझ लेता हू। उन्होंने जो कहा वह मुझको अच्छा लगा था। मुसलमानोके साथ बैठे थे तब भी कहा था कि हम दो चीज जरूर करनेवाले हैं, पाकिस्तानमे चाहे कुछ भी हो, हम वहशी[2] नही बनेगे। हम आजादीकी सल्तनत चलाते है तो ऐसा

[1] बर्दाश्त; [2] जंगली ।

थोड़े होने देंगे। मुस्लिम लड़कीको जो भगा लिया है उसको हम हर हालतमें वापस करेंगे। हां, कोई भी आदमी बता दे, कह दे कि वह लड़की वहां है, क्योंकि हमको पता तो है नहीं, तो वह जहां होगी वहांसे हम लाएंगे। और दूसरी बात यह कि जिन मुसलमानोंको मजबूरीसे हिंदू और सिख बनाया गया है वे मुसलमान ही हैं; धर्म-परिवर्तन हुआ है उसे हम बाकानून नहीं समझेंगे; क्योंकि यह नीतिके विरुद्ध है। ऐसे जो लोग पड़े हैं उनकी हम हिफाजत करेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ही उनकी हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान चाहे करे या न करे। स्वर्णसिंहने तीसरी बात भी कह दी कि मस्जिदोंकी भी हिफाजत करेंगे। ये तीन चीज तो हर हालतमें हम करनेवाले हैं।

हां, जान-मालके बारेमें कौन क्या कह सकता है! हकूमत है, पुलिस है, वह पूरी कोशिश तो करेगी; लेकिन अगर सब-के-सब लोग लूट-मार करने लगे तो क्या गोलीसे उड़ा दें? क्या करें? हम लाचार हैं, हमारी आजादी लूली है, हम लाचारी कबूल करते हैं। हां, लोगोंको डांटेंगे; लेकिन लाचारी तो कबूल करनी ही चाहिए। उन्होंने लोगोंको खूब समझाया, मिन्नत की कि हमारी लाज, आबरू, शर्म सब आपके हाथमें है, उसकी आप रक्षा करें। हकूमत हमारी थोड़ी है, हकूमत आपकी ही है, आपने ही हमें भेजा है तो हम पड़े हैं। जब हम पड़े हैं तो हम काम तो करें और आप इसमें मदद दें। यह सब समझाया। इसमें काफी समय लग गया। गोलमाल हो गया, उसे शांत करनेमें काफी देर लगी। हमेशा ऐसा रहा है कि ऐसे मौकेपर जब लोग बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तब मैंने देखा है कि थोड़ी देर बाद जब वे लोग ठंडे दिलसे सोचते हैं तो समझने लग जाते हैं। मैं जब आजादीकी लड़ाई करता था तब भी देखा था। ऐसी भी नौबत आ जाती थी कि सभाको खत्म कर देंगे; लेकिन देखता था कि बादमें समझ जाते थे। तो पीछे नुमायंदे आए। मैंने कहा था तो वे मेरे पीछे आए। मैंने उनको गाड़ीमें ले लिया। अगर न लूं और वहां बैठ जाऊं तो यहां समयमें पहुंच नहीं सकता था, इसमें भी समय लगता, मिनट-मिनटका हिसाब करना पड़ता था, जब यहां आना था।

मैंने आराम करना छोड़ दिया, जब सब दुःखी हैं तब मैं क्या आराम

करूं ! उनसे तो मुझको बहुत ग्राराम है ही। तो वे सुनाते हैं कि जो यहां दु:खी पड़े हैं वे खुद बहुत रंजमें पड़े हैं। कुछ तो हुग्रा ही है, जैसा मैंने देखा था वैसा ही है, ऐसी बात नही है। कुछ इतजाम तो हुग्रा ही है, कुछ छतें लगाई गई हैं, वे ग्रब तबूमें रहते हैं, ऐसा तो है, लेकिन खाना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, पूर्वी पजाबके गवर्नरने भी देखा ग्रौर कबूल किया कि ऐसा तो नही होना चाहिए। कपडेके बारेमे ऐसा होता है कि ग्रच्छे कपड़ेको भीतरसे ही कोई ले जाता है—कौन लेता है, क्या कहू। उसको छोड देता हू, लेकिन पीछे उनको टूटे-फूटे सड़े कपडे मिल जाते है, ऐसा नही होना चाहिए। जो चीज उनके लिए भेजी जाती है वही मिलनी चाहिए। वहा लोग मरते भी है, मृत्यु तो होनी ही है। दो मरनेवालोंको जलानेके लिए लकड़ी मिली ही नही। सारा दिन चला गया। कोई डाक्टर महाशय है, उनका नाम भूल गया, उनके हाथमें इसका इतजाम है। वे एक जगह नही मिले, दूसरी जगह गए, वहां नही मिले तो तीसरी जगह गए, वहा भी नही मिले। इस तरह दिनभर चला गया, शामको ७ बज गया तो कुछ लोगोंने उनके रिश्तेदारको कहा कि वहासे लकडी नही मिली तो क्या हुग्रा। हम ग्राठ-ग्राठ ग्राना देते है। इस तरहसे १०) या १५) हो गए। लेकिन वह तो तगड़ा ग्रादमी था। उसने रुपये लेना मजूर नही किया। उसने कहा कि लकड़ी नहीं मिलती है तो मेरा नसीब, मैं दफना दूगा। हिंदू दफन नही करते, लेकिन उसने दफना दिया। तो मुझको दु:ख हुग्रा कि ऐसा नही होना चाहिए।

पीछे मुझको सुनाया कि कोई भी चीज हो, वह बडे शरणार्थीको तो मिल जाती है, गरीबको नही मिलती है; क्योकि वे ग्रफसरोके हाथमे नही हैं। रखें भी कैसे, कहातक रखे, वहा जो लोग पड़े है, उनको ले लिया, उनकी मारफत करते हैं। ग्रगर वे भले है, परमार्थी है, सेवाभावी हैं तब तो हो जाता है, लेकिन जब सेवाभावी नही रहते है तो दुश्वारी हो जाती है। मैं सब चीज जाहिर कर देता हूं। हम मारपीट तो न करे, इससे जहर पैदा होता है। हमारे पास दूसरा तरीका है, वह यह कि साफ-साफ कह देना चाहिए। ढाकनेसे कोई फायदा तो होता नही है। मैं कहता हूं कि जो चीज बनी है वैसा कह देना चाहिए। जो बुरा करते हैं उनपर इल्जाम लगाया जाय तो उसमें बुरा क्या है ! इल्जामके लायक है तो कहना ही

चाहिए। ऐसा समझकर मै सुनाता हूं कि यह बुरी बात है। एक तो हम दुःखी हैं, लाखों लोग घर-बार छोड़कर आए है, फिर ऐसा करने लगें यह बहुत दुःखकी बात है। आज मुझको एक छोटा-सा लड़का मिला, वह स्वेटर पहने था, उसे निकालकर खड़ा हो गया। मेरे सामने आंखें तो बहुत करता था मानो कि खा जायगा। लेकिन बच्चा था, क्या करनेवाला था! कहने लगा कि आप बात करते हैं कि आप हिफाजत करने आए है; लेकिन मेरा बाप मर गया है तो मुझे मेरा बाप तो दे दो। वह तो मर गया, मैं कहां-से लाऊं? आखिर उस लड़केको गुस्सा आ गया। मैं समझ सकता हूं कि अगर इतनी ही उम्रका मैं रहता तो शायद मै भी ऐसा ही करता। यह सुनना पड़ता है, मुझको गुस्सा नही आया, दया आई।

आजका नजारा देखा। ऐसा था तो पीछे वे कहते है कि इतना तो करो कि हम जो शरणार्थी है वे सब खराब थोड़े हैं, उनके हाथमे इतजाम दे दो, ऊपरमें मजिस्ट्रेट वगैरा तो है ही, वहाके लोगोंके ऊपर भी तो देखना पड़ता है, मजिस्ट्रेट वगैरा हमारे ऊपर भी देख-रेख करें; लेकिन कंबल बांटने हैं तो हमको दे दो। बच्चोंको दूध तो मिलना चाहिए, फिर भी मिलता नही, वह तो ऊपरके अमलदारोंके लिए है। वे या सेवा-भावके लिए जो कमेटी बनी है उसके सदस्य पी जायं, इससे बेहतर तो यह है कि हमको दे दो। चोरी होती है तो क्या, जैसा करते है वैसा भोगेगे। पीछे वे कहते है कि उनके पास और दुःखी भाई लोगोंने चिट्ठी भेजना शुरू किया। चिट्ठियोंमें वे लिखते है कि महात्माको तो कहो कि वह हमारी भी सुने। वे सुनाते थे कि उनमें ऐसी-ऐसी बाते लिखी है। तो मै समझता हूं कि मैं चला गया तो अच्छा हो गया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप शांतिसे रहें और आप मुसलमानोंको कहें कि आप भाई हैं, यहीं रहो, पानीपतमें तो बहुत-सी लड़ाई हो गई हैं, तो यह सबसे आला दर्जेकी चीज हो जायगी।

आप २८००० आदमी डेरेमें रहते है, दूसरे आते है तो इससे क्या। आपको खाना मिल जाय, पहनने और ओढ़नेको कपड़ा मिल जाय, छत हो या तंबू ही मिल जाय तो ठीक है। कहीं भी रहोगे तो अभी चौथी चीज तो मिल नहीं सकती। इन तीनों चीजोंसे आप बहुत-सी चीजें पैदा

कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यह आप लोगोको सुना दू। आप भी समझें कि हमारे हिंदुस्तानमें कैसे-कैसे खेल चल रहे हैं और उसपर हम कैसे काबू पा सकते हैं। आज तो हकूमत है। हकूमत आपपर जबरदस्ती तो कर नही सकती। आजादी हमने पाई है तो क्या ऐसा होना चाहिए? कल जवाहरलालने सुदर कहा है। आज देख लिया, मैं हमेशा कहा पढ़नेवाला था, पढ़नेका मौका कहा आता था। जवाहर कहता है कि मुझको प्रधान मत्री कहते है तो मुझको चुभता है, मै प्रधान मत्री कब बना था? हा, यह कहो तो अच्छा लगेगा कि मै अव्वल दर्जेका खादिम हू, सेवक हू। अगर सब ऐसे बन जाय कि प्रधान सेवक है तो उनको २४ घटे लोगोंका खयाल करना है। पीछे उनके नीचेके नौकर ऐसा करेंगे तो हमारा देश सचमुच स्वर्णभूमि बन सकता है, रामराज्य हो सकता है, खुदाई राज्य बन सकता है। तब हमारी आजादी मुकम्मिल[1] बन सकती है। अगर हम आजादीके बाद ऐसा करेंगे जैसा आज हो रहा है तो ऐसी आजादी मुझको चुभती है। क्या हमारी आजादी ऐसी होगी? ऐसी कभी नही होगी।

: १६७ :

३ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मेरे पास काफी लोग आते है, सबका हिसाब तो मै आपको देता नहीं हू, कोई ऐसी चीज होती है तो कह देता हू। तो आज भी कुछ भाई लोग मेरे पास आए। उनका कोई ताल्लुक हमारी हकूमतके प्रधान जो है उनसे हुआ होगा। तो वे कहते हैं कि प्रधानने एक समय तो एक चीज कही थी, लेकिन अभी अपनी प्रतिज्ञा, वचनको भग कर रहे हैं। वह कैसे, मै तो कह नही सकता हू। उनके पास लिखित खत था कि उन्होंने एक बार कल या तीसरे दिन—ऐसा कहा था और अब ऐसा कहते हैं।

---

[1] पूर्ण।

तो मैंने कहा कि लिखित चीज हो तो बताइए। आखिर मैं भी वैसा ही हूं जैसे आप हैं। मैं हकूमत तो हूं नही, मेरे पास कोई अधिकार तो है नहीं; लेकिन मैं सेवक हू, उनका दोस्त हूं, उनके साथ काम किया है, इसलिए उनके साथ बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बात कैसे कहूं? इसपर मुझको लगा कि ऐसा क्यों होता है, हमसे कहें एक बात और करें दूसरी बात। ऐसा होता है तो मुझपर बीतती है न? मैं समझता हूं कि मैंने कभी इरादा करके, समझके किसीको धोखा नही दिया है। हा, हो सकता है कि आदमीको जानकारी नहीं है, सद्भावसे कहता है, बुरा हेतु नही है, उसे धोखा माने और दुःख मानें तो ऐसी बहुत-सी चीज दुःखकी होती है। बहुत-सी चीज बगैर समझे होती है और उससे भी वचन भंग हो जाता है; लेकिन अगर कोई जान-बूझकर अपना वचन भंग करता है तो बुरा करता है। ऐसा नही होना चाहिए। इसके लिए जहांतक हो सके वहांतक मौन ही रखना चाहिए। कभी बेकार एक शब्द भी नही कहना चाहिए, और अगर एक बार दिलकी बात निकाल दी तो उसके मुताबिक काम करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तभी हम एक-वचनी बन सकते हैं। और अभी जब सारे देशकी हकूमत चलाते है तो हमको सावधानीसे काम करना चाहिए, उसमें मर्यादा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए और नम्रता होनी चाहिए, उद्दंडता नही होनी चाहिए। ये सब हो तब हमारा काम आखिरतक पहुच सकता है और लोगोको कुछ कहनेकी गुंजाइश नहीं रहेगी। हा, एक बार कह दिया कि अमुक चीज मुफ्तमें बांटेंगे, ऐसा तो होता नही है, लेकिन मानो कि हुआ, बादमें कहा कि दो पैसे लेंगे तो वह वचन-भंग हुआ। इस तरहसे वचनका भग करना ही नही चाहिए। आज हम ऐसे बन गए है कि हमारे पास वचनकी कोई कीमत ही नही रही। आज बोल दिया और कल अलग हो जाते हैं। आज मै कह देता हू कि कल कोई ४ बजे आपके पास आता हूं, लेकिन उस वक्त नाचमें चला गया या और कहीं चल देता हूं तो वह वचन-भग होता है। मैं तो कहूंगा कि हमें बड़ी सावधानीसे काम करना चाहिए। तो मैने सोचा कि मै कह तो दूं कि वह हकूमतपर लागू नहीं होता, व्यक्तिपर लागू होता है। सब वचनपर कायम रहें, बोलें तो तौलकर बोलें, आवेशमें तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए।

जैसे हम एक चीजका बयान देते हैं कि मारपीट हो गई, पीछे उसमें रंग डालनेके लिए कह देते हैं कि खून हुआ। ऐसी बात तो छिप नहीं सकती, अभी नहीं तो बादमें, कभी-न-कभी तो मालूम हो ही जायगी। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए।

अभी मुझे एक डाक्टर सिंधसे लिखते हैं कि वहां जितने हरिजन रहे हैं वे बेहाल हैं। हरिजन अगर अकेले वहां रह गए और कोई दूसरे नहीं रहते तो वे कहते हैं कि उनको वहां मरना है। अगर मरना नहीं है तो गुलामीमें रहना होगा और आखिरमें मुसलमान बनना होगा। यह बहुत बुरी बात है। आज तो ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानकी हकूमत जो कहती है उसको उनके मातहत जो आदमी हैं, वे करते नहीं हैं। आज हिंदुस्तानमें भी ऐसा हो गया है। जवाहरलाल कह देंगे, सरदार कह देंगे कि हम तो मुसलमानोंकी हिफाजत करेंगे, हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती एक भी मुसलमानको पाकिस्तान जाना पड़े; लेकिन चलती नहीं है, उनके पास ऐसे करनेवाले नहीं हैं; क्योंकि उनके मातहत करते नहीं हैं, पीछे प्रजा तो करती ही नहीं है।

मैंने कल सुनाया ही था कि मैं पानीपत चला गया था। वहां २८००० हिंदू सिख दुःखी पड़े हैं। उनके साथ पाकिस्तानमें अच्छा सलूक नहीं हुआ। तभी तो उनको भागना पड़ा, दुःख पड़ा तभी तो भागे, नहीं तो भागनेकी क्या गरज पड़ी थी! जब वे ऐसा दुःख उठाकर आए हैं तो क्या वे दूसरेको भगाए? लेकिन ऐसा होता है। मैं पाकिस्तानको किस मुंहसे कहूं? तो भी कहना पड़ता है। वे लिखते हैं—लंबा-चौड़ा खत लिखा है, मेरे पास पड़ा है—वहां कोई हरिजन रहना नहीं चाहता। वे अगर एक जगह बैठना चाहते हैं तो बैठकर रह नहीं सकते, उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता है। कहा जाता है कि पैखाना साफ करो, झाड़ू निकालो। यह सब हमको करना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा करनेको कहते हैं तो आज भंगी पैखाना ही साफ करे, ऐसी बात थोड़ी है। एक भंगी हमेशा पैखाना साफ करनेका काम करे, ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर वह बैरिस्टर बन सकता है तो वह क्यों न बने? हम ऐसा क्यों कहें कि तुम यही काम करो—उनके दिलकी बात होनी चाहिए। अगर उनसे ऐसा

कहा जाय कि मुसलमान बनके रहो, नहीं तो ठीक नहीं है तो बेचारे हरिजन जायं कहां? क्या करें? आपने देखा ही होगा कि जगजीवनरामने एक लंबा बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हरिजनोंको यहांसे आ जाना चाहिए। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके लिए सब सहूलियत पैदा करनी चाहिए। जबतक वे पाकिस्तानमें भी रहते हैं तबतक उनको उनकी खुशीके मुताबिक करने देना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। ऐसा नही करते है तो हमेशाके लिए हिंदू और सिखको चुभनेवाली बात है हिंदुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी बने, तो भी हम एक दूसरेको भूल नही सकते। हमको तो एक शराफतसे काम करना है, किसीको रंज पहुंचाना नही है, किसीको मजबूर करके मुसलमान भी नही बनाना है, किसीकी लड़कीको या औरतको मजबूर करके, छीनकर भाग नहीं जाना है। कल डाक्टर गोपीचंद भार्गव और सरदार स्वर्णसिंहने भी कहा था कि इसको हम बर्दाश्त करनेवाले नही हैं। आजकल अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं हिंदू बन गया हूं तो उसे मानना नहीं चाहिए, हरिजन कहें कि हम मुसलमान बन गए हैं तो वह मानने लायक चीज नहीं है। डरके मारे ऐसा कह देते हैं; लेकिन उसे मानने लायक चीज नहीं समझना चाहिए; क्योंकि वह बेकानून चीज है।

अभी एक बात और रह गई है—काठियावाड़से दो किस्मकी चीजें आती हैं। एक किस्मकी तो ऐसी आती है कि जो तुमने लिखा था वैसी ही चीज बन गई है। आज भी ऐसा तार आया है। दूसरी किस्मकी कांग्रेसकी चीज है कि नही ऐसा नही बना है। कांग्रेसवाले ऐसा करते ही नही हैं, हिंदूमहासभावाले और राष्ट्रीय स्वयसेवक संघवाले करते हैं। वे कहते हैं कि मुसलमानोंको कोई नुकसान ही नही पहुंचा है। हिंदू-महासभावाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघवाले कहते हैं कि हमने तो किसीका मकान जलाया ही नही है। मै किसकी बात मानूं? कांग्रेसकी या मुसलमानोंकी या हिंदूमहासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक संघकी? हमारे मुल्कमें ऐसा हो गया है कि ठीक-ठीक पता लगाना मुश्किल हो गया है। गलती हो गई तो मान लेना चाहिए। हिंदुओंसे गफलत हो गई, हिंदुओंने ज्यादतियां

की तो कह देना चाहिए। इसमे क्या है ? अगर नही हुआ है और मुसलमान अतिशयोक्ति करते हैं कि उनका मकान जला दिया गया है, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है, उनकी लडकी भगा ली गई है तो डका पीटकर संसारको बता देना चाहिए कि बात क्या है, इसमे मुझे कोई शक नही है। इसी तरहसे अगर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघसे कुछ नही हुआ है तो मै धन्यवाद देनेवाला हूं। बडी अच्छी बात है। सही क्या है वह मैं नही जानता हू। इसे जाननेकी मेरी कोशिश तो चल रही है। मै वहा जिनको जानता हूं उनको मैने लिखा है। मुसलमानोको लिखा है कि क्या हुआ है, उसका हवाला दो, तब तो मै समझू कि किस तरहसे काम चल रहा है। इसका आखिर अजाम क्या आएगा, वह नही जानता हू।

अभी दक्षिण अफ्रीकाकी बात है। आपने देखा होगा कि पडित विजयालक्ष्मीने क्या कह दिया है। वह कहती है, हम यहा हार तो गए, क्यों ? क्योंकि दो-तिहाई मत नही मिले। दो-तिहाई मत मिले तब अमरीकामे काम हो सकता है, लेकिन काफी लोगोने मदद दी और कहा कि आप जो कहती है वह सही है। दूसरी बात यह कि सच तो हमारे साथ है, पीछे हमारी एक प्रकारकी विजय तो हो ही गई है। इसलिए दक्षिण अफ्रीकावालोको मायूस[1] नही होना चाहिए। लेकिन मै तो दूसरी बात कहूगा। वह विजयालक्ष्मी बहन तो कह नही सकती; क्योंकि वह तो यहांसे सरकारकी ओरसे गई थी--आपके पास उपाय नही है तो मेरे पास तो है, मैंने तो जनूबी[2] अफ्रीकामें शुरू किया था, तो मै कहूंगा कि हारना-जीतना क्या है, चाहे दक्षिण अफ्रीकाके अग्रेज कहें, स्मट्स कहे कि वह वहां हमको नही चाहते, जाओ, नही तो मारेंगे, खाना-पीना नही देंगे जैसे पाकिस्तानमे होता है और यहा भी ऐसा होता है कि हम मुसलमानोंको खाना नही देंगे। पाकिस्तानसे हिंदू और सिखको भगा दिया गया, उनसे कहा गया कि नही जाओगे तो मारेंगे। जैसे अभी बन्नूमें काफी हिंदू, सिख पड़े है, उनका क्या हाल होगा, मुझे पता नही है। आज ही मेहरचद खन्ना आए थे तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह भी पड़े तो है, लेकिन कहा नही जा सकता

---

[1] निराश; [2] दक्षिण।

कि जिंदा रहेंगे; और अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम कबूल करना ही है; लेकिन बन्नूमे तो बहुतसे हिंदू सिख पड़े हैं, वे क्या करें ? जैसे जेलमें रहते है वैसे पड़े है, बाहर निकल नही सकते; भीतर रहते हैं तो खाएं क्या, ऐसी बडी आपत्तिमे पड़े है। हकूमत क्या करे ? वह भी पेचीदगीमे पड़ी है । मै जो यहा कहता हूं, वैसे ही वहां दक्षिण अफ्रीकामे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब पड़े है। उनको मै एक ही बात कहूंगा कि हार-जीत तो चलती है। लेकिन सच्ची हार-जीत तो आप ही खानेवाले है, नहीं तो आप कहें कि हम इज्जतसे रहेंगे, हटेंगे नही। यहासे सब गए, ऐसी बात नही है। हमको बुलाया गया था। जो गिरमिटमे गए थे, फिर वहा हमारे बाल-बच्चे पैदा हो गए। तो यदि वहां किसीको रहनेका हक है—हब्शीको छोड़कर, क्योंकि वह तो उनका देश है—तो सबसे पहले इनका है। बोर लोगोंको भी हमारे-जितना हक नही है।

अमरीकामें सब देशके नुमायदे[1] गए थे। जमा हो गए थे, तो हमारे देशके नुमायंदेको भी जाना था। वह बुरा नही, अच्छा किया। वहां तो इन्साफ करने जमा होते है, इन्साफ नहीं कर पाते या कर नही सकते यह बात दूसरी है। लेकिन मैं तो कहूगा कि दक्षिण अफ्रीकामे हम लड़ें, तलवारसे नहीं, बाहुबलसे नही, आत्मबलसे। आत्मबल तो छोटी लड़की जो मेरे पास बैठी है उसके पास है, और बैठे है उनके पास है, सिपाहियोंके पास है। तलवारको तो कोई छीन सकता है, हथियारको छीन लेगा, हाथको काट डालेगा; लेकिन आत्माको तो कोई छीन नही सकता—वह तो सनातन सत्य है, आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा। बिना आत्माके शरीर निकम्मा है। शरीर तो दफन होनेवाला है। मेरी पत्नी मर गई तो उसे मै रख नही सका, जला दिया उसी रोज। दो दिन भी नहीं रख सका। महादेव मर गया, वह तो मेरा सब काम करनेवाला था। तो मैं उसको रख थोडे सका ! जो काम करता था वह चला गया तो उसके शरीरको जला दिया। तो मैं तो यही कहनेवाला हूं कि अगर दक्षिण

---

[1] प्रतिनिधि।

अफ्रीकावालोंमें अपनापन है और मैं मानता हूं कि वह है, अगर हिम्मतवान है तो उन्हें नम्रतासे कहना है कि अमरीकामें दो-तिहाई मत तो नही मिले, लेकिन काफ़ी तो मिले। दक्षिण अफ्रीकाके लोगोसे कहें कि हम नम्रतासे कहते हैं कि आप इतना तो करें कि हमें इज्जतसे रहने दें। हम इज्जतसे रहेगे। वहा मुहकमोमे हमे कोई हिस्सा नही चाहिए। आप हमे मदद न करें, लेकिन हमें हवा तो खाने दे, पानी पीने दें, जमीनमें रहने दे, जिस जगह हम रहना चाहते हैं, पैसे देकर रहना चाहते है, मुफ्तमें नही, हमें आपका मत नही चाहिए, मिले तो जैसे अग्रेजोंको मिलते है वैसे मिलें, नही तो नही मिले। उसके लिए हम सत्याग्रह नही चलाएगे; लेकिन हमे अपनी इज्जत रखनी है और हमें पानी चाहिए, रोटी चाहिए और जमीन चाहिए, और हमारे लड़कोको तालीम चाहिए, इसके लिए पैसे न दे उसे तो समझ सकेंगे। हम इधर घूमते है तो लड़कोंको तालीम तो दें। यह हमारा हक है और इन चीजोके लिए इस तरहसे लड़नेका हमारा हक है। हारनेकी बात तो है नही, मरनेकी बात है। करना या मरना इसके सिवा कोई दूसरा चारा नही है। अगर दुनियामे हमें इज्जत रखनी है तो करना या मरना है। इसमे कोई बेहालकी बात नही है। यह सीधा धर्म है। यह मैं दक्षिण अफ्रीकावालोको बताता हू और आपको भी बताता हू। दूसरा मेरे पास है ही नही।

: १६८ :

४ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

काठियावाडकी बात मैंने कल भी की थी। आज मेरे पास सामलदास गांधीका तार आया है। कल श्री ढेबरभाईका तार आया था। दोनों कहते हैं कि मेरे पास बहुत अतिशयोक्तिभरी खबरें आई हैं। वहां औरतें उडाई ही नही गईं और जहातक वे जानते हैं, एक भी खून वहा नहीं हुआ। सरदार पटेलके जानेके बाद तो कुछ भी नही हुआ। इसके

पहले थोड़ी लूटपाट और दगा हुआ था। सामलदासको मेरे कहनेकी चोट लगी, लगनी ही चाहिए थी। वह खुद बबईसे काठियावाड़ चले गए हैं। वहां और तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे।

इधर अमेरिका, ईरान और लदनसे मेरे पास तार आते रहे हैं, जिनमे लिखा था कि काठियावाड़मे मुसलमानोंपर बड़ा अत्याचार किया गया है। इस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोंका काम नहीं। इस बारेमें ईरानका हिंदुस्तानके साथ क्या ताल्लुक?

सामलदास गाधी कहते है कि 'मेरे पास हिंदू-मुसलमानका भेद नही।' तो जो मुसलमान भाई मुझे लिखते है उनका मै पूरा-पूरा साथ देना चाहता हू। मगर शर्त यह है कि वे सचाईकी राहपर हों। वे अति-शयोक्तिभरी खबरे विदेशोंमें भेजें, सारी दुनियामे शोर मचावें, यह मुझे बुरा लगता है। हिंदुस्तानमेंसे भी मेरे पास तार आते है, उन्हे तो मैं बरदाश्त कर लेता हूं, लेकिन जब विदेशोसे तार आते है तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत हुआ। उससे मुझे चोट लगती है।

होशंगाबादसे एक मुसलमान भाईका खत आया है। उन्होंने लिखा है कि वहा गुरु नानकके जन्म-दिनपर सिखोंने मुसलमानोंको बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे भाई है, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मुझे यह जानकर खुशी हुई। होशगाबाद वही जगह है, जहां स्टेशनपर एक घटना हो गई थी। होशगाबादमें गुरु नानकके जन्म-दिनपर सिखोंने जैसा किया, वैसा सब जगह लोग करे, तो आज हमपर जो काला धब्बा लग गया है उसे हम धो सकेंगे।

व्यापारी-मंडलवाली बात आगे चल रही है। मैंने इशारा तो किया था कि मारवाड़ी और यूरोपियन व्यापारी-मडल रहें, तो मुसलमान-चेंबर क्यों न रहे? एक मारवाड़ी भाईने मुझे लिखा है कि हम है तो मार-वाड़ी, मगर हमारे चेंबरमे दूसरे भी आ सकते है। मैने उनसे पूछा है कि आपके चेबरमें गैर-मारवाड़ी कितने है और हिंदू कितने हैं। उनका खत अंग्रेजीमें है, मुझे यह बुरा लगता है। उनकी रिपोर्ट भी अंग्रेजीमें है। क्या मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता हूं? मेरा दावा है कि जितनी मैं अपनी जबान जानता हूं, उतनी अंग्रेजी कभी नहीं जान सकता। मांका दूध पीनेके समयसे

जो जबान सीखी, उससे ज्यादा अग्रेजी—जिसे १२ बरसकी उमरसे सीखना शुरू किया—मुझे कैसे आ सकती है ? एक हिदुस्तानीके नाते जब कोई मेरे बारेमे यह सोचता है कि मै अपनी जबानसे अग्रेजी ज्यादा जानता हू, तो मुझे शर्म मालूम होती है ।

हम अपने आपको धोखा न दें। यूरोपियन चेंबरवाले भी ऐसा दावा कर सकते है कि हमारे चेंबरमे सब लोग आ सकते है। मगर इससे काम नही चलता। अगर सब कोई आ सकते है तो अलग-अलग चेबर रखनेकी जरूरत क्या ? यूरोपियनोसे मेरा कहना है कि वे हिदुस्तानी बनकर रहे, अगर वे हिदुस्तानी बनकर रहें और हिदुस्तानके भलेके लिए काम करें तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बडे होशियार व्यापारी है। उन्होने अपना सारा व्यापार बदूकके जोरसे नही, बल्कि बुद्धिकी शक्तिसे बढाया है।

बर्माके प्रधान मत्री मुझसे मिलने आ गए थे। वह बड़े नम्र और सज्जन है। उनसे मैने कहा, आप हमारे यहां आए, यह अच्छी बात है। हमारा मुल्क बड़ा है, हमारी सभ्यता प्राचीन है। मगर आज हम जो कर रहे है, उसमें आपके सीखने-जैसा कुछ नही है। हमारे देशमें गुरु नानक हुए, उन्होने सिखाया कि सब दोस्त बनकर रहे, सिख मुसलमानोंको भी अपना दोस्त बनावे और हिदुओंको भी। हिंदुओ और सिखोंमे तो फर्क ही क्या है ? आज ही मास्टर तारासिंहका बयान निकला है। उन्होंने कहा है, जैसे नाखूनसे मास अलग नही किया जा सकता, वैसे ही हिंदू और सिख अलग नही किए जा सकते। गुरु नानक खुद कौन थे ? हिदू ही थे न ? गुरु ग्रथ साहब वेद, पुराणों वगैराके उपदेशोसे भरा पडा है। बाते तो कुरानमे भी वही है। हिंदू-धर्ममें 'वेदके पेट' में सब धर्मोंका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना पड़ेगा कि हिदू-धर्म एक है, सिख-धर्म दूसरा, जैन-धर्म तीसरा और बौद्ध-धर्म चौथा। नामसें सब धर्म अलग-अलग है, मगर सबकी जड़ एक है। हिदू-धर्म एक महासागर है, जैसे सागरमे सब नदियां मिल जाती हैं वैसे हिंदू-धर्ममें सब धर्म समा जाते है। लेकिन आज हिदुस्तान और हिदू अपनी विरासतको भूल गए मालूम होते है। मै नही चाहता कि

बर्मावाले हिंदुस्तानसे भाई-भाईका गला काटना सीखें। आज हम अपनी सभ्यताको नीचे गिरा रहे है। लेकिन बर्मावालोंको हमारे इस काले वर्तमानको भूल जाना चाहिए। उन्हे यही याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानकी ४० करोड़ प्रजाने बिना खून बहाए आजादी हासिल की है। हो सकता है कि अंग्रेज थके हुए थे। मगर उन्होंने कहा है कि 'हिंदुस्तानियोंकी लडाई अनोखी थी। उन्होंने हममे दुश्मनी नही की, बदूकका सामना बंदूकसे नही किया। उन्होंने हमें नाराज नही किया। ऐसे लोगोंपर क्या हम हमेशा मार्शल ला चलाते रहे ? यह नही हो सकता। सो वे हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नही उठाया। अहिंसा कमजोरोंका हथियार नही, वह बहादुरोका हथियार है। बहादुरोंके हाथमे ही वह सुशोभित रह सकता है। तो आप हमारे जगलीपनकी नकल न करे, हमारी खूबियोका ही अनुकरण करें। आपका धर्म भी आपने हमसे लिया है। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बर्मा और लका भी आजाद हुए। जो हिंदुस्तान बिना तलवार उठाए आजाद हुआ उसमे इतनी ताकत होनी चाहिए कि बिना तलवारके वह उसको कायम भी रख सके। यह मैं इसके बावजूद कह रहा हू कि हिदुस्तानके पास सामान्य फौज है, हवाई फौज है, जल-सेना बन रही है, और यह सब बढ़ाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि अगर हिंदुस्तानने अपनी अहिंसक शक्ति नही बढ़ाई तो न तो उसने अपने लिए कुछ पाया और न दुनियाके लिए। हिंदुस्तानका फौजीकरण होगा तो वह बरबाद होगा और दुनिया भी बरबाद होगी।

: १६८ :

५ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझको यहा जो खत दिए जाते हैं वे लबे-लंबे मिलें तो उनको मैं पढ़ूं और उत्तर दूं, ऐसा तो नहीं बन सकता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे जो पत्र आते हैं वे अगर जवाब देने लायक हैं तो

दूं;- लेकिन उनको पढ़नेमें समय लगता है। उनको यहां पढ़ तो नहीं सकता हूं, क्योंकि उनमें मेरा समय जाता है और आपका भी। एक खतमें लिखा है कि आप लियाकत अली खा साहबसे मिले और बातचीत की। क्या अब भी पता नही चला है कि काठियावाडमे कुछ भी नही हुआ ? वह भाई अगर यहां है तो सुन लें, नही है तो भी इसके (रेडियोके) मारफत सुन ही लेंगे कि काठियावाडमे कुछ भी नही हुआ है। सामलदास गांधीने कहा है कि जैसा बयान आपको मिला है वैसा नही हुआ। हा, हुआ है; लेकिन उतना नही हुआ है। वह पाकिस्तानके अखबारोमें आ गया और तार भी छूटा। वह भयानक चीज है, लेकिन भयानक चीज नही हुई। आज सामलदासका दूसरा तार आया है। वह लिखते है कि मैंने तहकीकात की तब पता चला कि ऐसा हुआ नही है और सरदारके आनेके बाद तो कुछ हुआ ही नही। पहले जो मुझे खबर दी गई थी उसका कहनेका मतलब यह है कि सरदारने लोगोको भडकाया तब हुआ, लेकिन उनके जानेके बाद तो कुछ हुआ ही नही तो शक्ल बदल जाती है। तो सामलदास गांधीने कहा कि मै मुसलमान भाइयोसे कहूंगा कि आप ऐसे तार क्यों भेजते है। तो मेरे पास उन्ही लोगोने, जिन मुसलमान भाइयोने शिकायत की थी, तार भेजे है कि उसमें गलती थी, उसमे अतिशयोक्ति थी। वे लिखते हैं कि पाकिस्तानके अखबारोंने जो लिखा है वह गलत है। जितना नुकसान हुआ बताया जाता है वह भी गलत है। उसमे यह भी है कि मुसलमान लोग भड़क उठे है, सब दहशतमें है—यह भी गलत है। तो मुझको अच्छा लगा। क्यों ? मैंने तो कह दिया है कि मुसलमान भाइयोके लिए जितना मुझसे हो सकता है करूगा। जो गिरे है उन्हे हमें लात नही मारनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए। यह हमारी इन्सानियत बताता है, हमारी मोहब्बत बताता है; हम सभ्य है, शरीफ है, यह बताता है। किसीको नीचे गिराना तो मेरेसे कभी हो ही नही सकता। मेरा दुश्मन भी हो—मेरा दुश्मन तो कोई है नही—तो उसको भी मै कभी नुकसान नही पहुचाऊगा। हा, लोगोंका जो बड़ा ख्वाब था कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहा सब कुछ हो जायगा। ऐसा क्या होगा ? ऐसा थोड़ा है कि जो पाकिस्तानमे रहेंगे वे जिदा रहेंगे और जो बाहर रहेंगे वे जिंदा नहीं रहेगे। पाकिस्तान क्या

बचा सकता था ? पाकिस्तानमें तो समुदर भरा है हिंदू और मुसलमानोंका। क्या वहां जो हिंदू सिख भरे हैं उनको भगाएं ? वे हटना तो चाहते नही थे; लेकिन नही होने लायक चीज हो गई। वे हटना थोड़े चाहते थे। सिखोंके पाससे मेरे पास खत आया है कि वे वहां जाना चाहते हैं और उनको उनके बिना चैन नहीं। मानो कि लायलपुरके नजदीक किसीकी हजार एकड जमीन पड़ी है, वहां उसने खेत बना लिया है, बगीचा बना लिया है, केले पकाता है, गेहूं पकाता है, कपास पकाता है, फल पकाता है तो वह उसको कैसे छोड़ सकता है। जबतक वह वहा लौट नही जाता है तबतक उसको चैन मिल ही नही सकता। तो वहा तो ऐसा हुआ और यहां क्या हुआ ? सिखोंको गुस्सा आया कि हम तो वहांसे भागकर आए और वे लोग यहा आरामसे रहते है तो बदला लें। तो मैंने कहा कि यह इन्सानियत नही है, हैवानियत है। ऐसा करना नही चाहिए। बुरेका बदला अच्छा ही देना चाहिए। बुरेकी नकल नही करनी चाहिए। अच्छेकी नकल हो सकती है। यह इन्सानका काम है। तो मुझको अच्छा लगा कि काठियावाड़से तार आया। मै तो मुसलमान भाइयोंसे कहूगा कि एक चीज बन गई है तो उसका आधा बताओ; पाव बताओ, उसका दुगुना, दस गुना क्या करना था, और बाहर क्या भेजना था ! दुनियामें फैलाएं, ऐसा क्या करना था ! पीछे हिंदू, सिख---सिख तो है नही, हां अभी थोड़े चले गए हैं---बिगड़ जाए तो दुनिया क्या बचा सकती थी ? हां, वे कहते कि क्या तुमने इसलिए आजादी पाई ? हम उसे छीन लेते है। वह सब बन सकता है; लेकिन जो मर जाय वह थोड़े आ सकता है। इसलिए मै कहूंगा कि हम कोई चीज बढ़ाकर न कहें। जो दुःख है वह दुःख तो है ही, उसको कोई बाहरवाला हटानेवाला नही है। उसको छोटा करके कहें। दूसरोंका जो भला काम है उसको बढ़ाकर बताएं और बुरेको छोटा करके बताएं तब तो हम दुनियामें काम कर सकते हैं। तो आपको यह खबर देनी थी, दे दी। एक भाईने लिखा था, वह भी आ गया। उसमें और क्या लिखा है, देखूगा। कहना होगा तो वह खबर कल दे दूंगा।

अभी एक बात और आपको कहनी है। उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है; लेकिन आपके मारफत कह तो दूं। मैंने बृजकिशनजीको कह दिया

है कि मेरेसे जो मिलने आते है उनको ६ तारीखसे १३ तारीखतक वक्त न दें। नही मिलना चाहता हू, इसका मतलब यह नही है कि मैं बीमार हूं या शौक करता हूं। वह तो कई महीनेसे बात चल रही है। मै सेवाग्राम जा नही सकता हूं। इसलिए वे लोग सेवाग्रामसे यहा आ रहे है। कलसे कस्तूरबा ट्रस्टकी बैठक शुरू होती है, उसके बाद चर्खा-सघ, फिर नई तालीम, पीछे ग्राम-उद्योगसघकी बैठक होगी। इन दिनोंमें चार बैठक हो जायंगी। अच्छी तरहसे हो सके तो इसमे वक्त तो जायगा। तो इनको वक्त दू या मिलनेवालोको वक्त दू? तो मैने कह दिया कि मेहरबानी करके इन दिनोंमें वक्त न मागे। हा, बादमे मिल सकते है। मै यहा अपना काम नही करूगा ऐसी बात नही है। बाहरसे आते है तो कितना चाहते है; क्योंकि मै तो सूखा जानवर-सा बन गया हू। जब घर रहता है तब कहते है कि देखनेके लिए तो चले जाए। बाहरसे आते है तो कहते है कि सूखा जानवरको तो देख ले, लेकिन समझ ले कि थोडे दिन घर के भीतर बैठा हुआ है। तो इतना मैने कह दिया।

अभी एक बात आपको और कह देनी चाहिए। कह तो चुका हू। बाते भी चल रही है कि कपडोंपर जो अकुश है, कट्रोल है, वह छूट जायगा। खुराकपर है वह भी छूट जायगा—कल छूट जायगा, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन प्रवाह चल गया है तो कहते है कि तुमने अच्छा किया। सब जगह-से खत आते है कि अकुश छूट जाय तो अच्छा है। तब मुझे कहना चाहिए कि अंकुश छूट जाता है तब हमारा कुछ फर्ज नही है, ऐसी बात नही है। जब छूट जाता है तो जो इस बारेमे व्यापार करते है उनका पहला फर्ज हो जाता है। मैं घनश्यामदासको भी कहूंगा कि आप ज्यादा कपडे क्यों नही पैदा करते? वह कह सकते हैं कि मै तो एक मजदूरी कर लेता हू। जो हुकम होता है वे कपड़े हम बनाते है, जो दाम होता है वह दाम ले लेते है, लेकिन जब अकुश उठ जाता है तब घनश्यामदास क्या करे, दूसरे मित्र लोग क्या करे? छूट मिल गई तो लोगोको लूटना है? तब तो मेरी हजामत होनेवाली है। ऐसा हो गया है कि लोग कहते है कि यह मैने हटाया। हुकूमतमें मेरे भाई-बंद हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको कहा तो छूट गया, ऐसी बात थोड़ी है। मैने तो हिंदुस्तानकी खिदमत की है। मैं कितना भी बड़ा होऊ, कितना

भी कहूं; लेकिन अगर हकूमतको नही जचती है, लोगोंको, जिनकी हकूमत है, नहीं जचती है तो मैं कितना भी कहूं, उससे क्या? मैं भगवान थोड़े हूं कि जो कहूं वह अच्छा है। मै तर्क करता हूं, अनुमान करता हूं, तब कहता हूं कि कपड़े और दूसरी चीजोंपर जो अकुश है वह हट जाय। इसका मतलब यह है कि अगर आज हमारे पास ५ मन अनाज पड़ा है तो कल १० मन होना चाहिए; क्योंकि मै समझता हूं कि दबाकर बैठ गए हैं। अगर आज किसानके पास नही हैं और तब भी मैं कहूं कि अकुश हटा लो, लोग भूखे मरेगे तो क्या? मै इतना बेवकूफ थोड़े हूं कि कहूं कि लोगोको भूखे मरने दो! मेरे लिए तो घनश्यामदास बकरीका दूध तैयार करा देते है, फल दे देते है, भाजी-तरकारी दे देते हैं, मैं थोड़े भूखा मरता हूं। मैं क्या ऐसा कर सकता हू कि लोग भूखे मरें? मै तो मान बैठा हूं कि किसानोंके पास अनाज पड़ा है, लेकिन उतना दाम नही मिलता है जिससे वे खाना भी खा सकें। मजबूर करके सरकार उनसे जितना लेती है उतना दे देते है और कहते है कि जब छूट हो जायगी तब बता देगे कि हमारे पास कितना अनाज है। दूसरे व्यापारी हैं, जब हमारे पास हकूमत नहीं थी तब वे नखरा करते थे और हरएक किस्मका पैसा लोगोंसे ले लेते थे, लेकिन अब वैसे एक कौड़ी भी लेना हराम है। मै तो समझता हूं कि किसान अनाज निकाल देगे, उसको अच्छे दामपर बेच देगे तो भूखे नही मरेंगे। माना कि हमारे पास उतना अनाज नही है जितना चाहिए, तो क्या जिसके हाथमें जितना अनाज आए उतना सब खा जाय और पड़ोसी भूखा मरे? अगर हम इतने नालायक बन गए तो उसका इलाज नही है। तब भी मै कहूंगा कि उसका इलाज अकुश नही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी हकूमतको जिसमें आला दर्जेके हमारे लोग है, हट जाना है। लोग चालाकी करते हैं, सचपर नही रहते हैं, जिन व्यापारियोंको लोगोंके लिए व्यापार करना है वे अपना ही घर भरते है, अपने लड़के-लड़कीके लिए व्यापार करते हैं तो हमारी जो सल्तनत है उसे हट जाना चाहिए। हकूमत क्या करे? गोली मारे, मजबूर करे? हमारी ऐसी ताकत है नही और ऐसी ताकत हमें चाहिए भी नहीं। पुलिस रखना है तो रखें, लेकिन गोली मारनेके लिए थोड़े रखना है! व्यापार करते हैं उनको मारना है तो किसके लिए मारें? किसानों-

को मारें तो कौन रहेगा ? मैं तो कहूंगा कि ३० वर्षसे तालीम ली वह कहां गई ? इन्सानियत कहा चली गई ? ऐसा चल नही सकता। यह तरीका तो जो आजादी मिल गई है उसको खोनेके लिए है। इसलिए मै तो कहूगा कि अकुश हट जाय। अगर हकूमत कहे कि अकुश हटा लेगे तो लोग मर जाएगे तो मै कहूगा कि पंचायत राज नही बना, लोगोका राज नही हुआ, रामराज्य तो हुआ ही नही। मैं तो उसीके खातिर जिदा रहना चाहता हू। मैं कहूगा कि जो अंकुशसे बरी हो जाते है वे अपनेपर अंकुश रखकर दूसरोको खुश करे। पीछे हकूमत चलानेमे जो सिविल सर्विसके लोग है वे कहे कि यह गांधी कहासे निकला, यहां क्यों कूद पडा, उसको हकूमत चलाने का अनुभव कहा है। बादमे अकुश लाना और खाना खिलाना मुश्किल हो जायगा। तो मै कहूगा कि हा, ठीक है, मै सिविल सर्विसमें नही गया हूं, हकूमत नही चलाई है; लेकिन हजारों करोड़ों लोगोंमे मै घूमा हू, उनके दिलको जानता हू, इसलिए मै समझता हू। मै सिविल सर्विसवालोंसे, जो हकूमत चलाते है उनके पाससे प्रमाणपत्र मांगूगा कि वे ऐसा ही कहें, गांधीकी बात सुन ली और नतीजा यह आया कि अबतक हमारेमे जो काला-बाजार चलता था वह मिट गया। जो ताजिर करते है वे अपना ही काम नही करते है—वे लोगोंको साथ रखकर चले।

पीछे कपडेका भी आ जाता है। अनाज निकालना तो एक अलग बात भी है। आप कह सकते है कि हमारे यहा अनाज पूरा नही है, लेकिन अभीतक किसीने ऐसा नही कहा है कि कपास काफी नही है। कपास तो यहांतक ज्यादा है कि बाहर जाता है। तो कहोगे कि हमारे पास इतनी मिलें कहां है ? मै कहूंगा कि मिल मेरे घरमें है, आपके घरमे है, यहा जितनी माताए बैठी हैं उनके घरमें हैं। दो हाथ तो सबके पास हैं। कपड़ा पहनना है तो चर्खा चलावें, नही तो नंगे रहें। हा, तो ताजिरको कहोगे कि खबरदार, जितना पैसा चाहो लोगोसे ले नही सकते, और कहोगे कि मिल हम चलाएगे तो मै कहूंगा कि वह तो हकूमतके पास है, वह ले सकती है। हमारे पास इतनी मिलें है फिर भी उम्मीद है कि कम पड़ेगा तो हमें हाथसे कातना और बुनना तो पड़ेगा। बुनना आसान है। हमारे यहां इतने जुलाहे, बुनकर पड़े हैं कि जितना चाहिए उतना बुन सकते हैं। लेकिन

हमारे यहां शौकीन बड़े हैं, मिलका सूत मिले तो बुन सकते है, हाथका सूत नहीं चाहिए। हाथ जब दबावमें आता है कि नहीं बुनेंगे तो नंगा रहना पड़ेगा तब लाचारीसे हाथके सूतको ही बुनेंगे। अगर हाथके सूतको बुनने लगे तो नगा रहनेकी कोई दरकार नही। तो हमारा खूबसूरत मुल्क, जिसमें इतने करोड़ लोग रहते है, जो धधा जानते हैं, जिनको इतना इल्म है कि कपड़ा किस तरह तैयार किया जाता है, नगा नही रह सकता। इस कारण कपड़ेपर अंकुश रखना कि २ गज कपड़ा मिलेगा, ४ गज मिलेगा, ज्यादा नही, अच्छा नही लगता। कपड़ेपर अकुश रखना मेरी निगाहमें अज्ञानताकी सीमा है। आज छूट सके तो आज छूट जाय। हां, अनाजकी बात है तो मैं कहूगा कि किसान और व्यापारी कहें कि हमें तो लोगोंके लिए पैदा करना है, कोई दगाबाजी नही करना है। किसान समझें कि अनाज बोना है तो अपने ही पेटके लिए नही, सब लोगोंके लिए। मैं यह भी कहूगा कि हमारे मुल्कमे आधा सेर पैदा होता है तो हम अपनी जमीनसे एक सेर क्यों न पैदा करें, लेकिन इसके लिए लोगोंको बताना तो चाहिए, उत्तेजन तो दे, हमारे पास जो यंत्र[1] पड़ा है उसे रोक ले और इसमें लगा दें कि क्यो ज्यादा नही होता है।

हमारा मुल्क ऐसा है कि भूखे मरने, नगे रहनेकी कोई दरकार नहीं। हम अपनी अज्ञानतासे नगे रहते है, जितना अनाज चाहिए उतना पैदा नही करते, जितना दूध चाहिए उतना दूध पैदा नही करते, हमारे यहां इतनी भैंस पडी है तो भी हमारा यह हाल है! इससे ज्यादा मूर्खता मैं समझ नही सकता हू।

: १७० :

६ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आप लोगोंने लक्ष्मी बहनका भजन सुना, रामधुन भी सुनी।

[1] कंट्रोलमें लगी हुई मशीनरी।

वे तो यहा नई हैं, जलसामें चली जाती है। रामधुन तो ऐसी है, भजन भी ऐसी चीज है जिसमे लीन होना पड़ता है। आज आपने समझ लिया कि उनका गाना सुननेके लिए क्यों आतुर रहते हैं—सुर अच्छी रहती है। उन्होंने उसके लिए जब पैगाम भेजा तब मुझको अच्छा लगा।

हां, तो आज १५ मिनटसे ज्यादा नही बोलना चाहता हूं। कल २५ मिनट लग गए, वह ज्यादा हो गया। यह मेरे लिए शर्मकी बात है। मै नही चाहता हू कि मै २५ मिनट लू। १५ मिनट करना है तो मै १५ मिनट बोलनेका अभ्यास कर लू। बाकी छूट जाय तो छूट जाय। आज १५ मिनटमे पूरा कर दू गा।

कल एक भाईने पत्र भेजा था उसको पूरा पढ़ नही पाया हू, थोडा पढ़ा है। आज दूसरा पत्र आया है। उसको पढ नही सका हू। इसके लिए माफी माग लूगा। एक ढेर पड़ा है, उसमे कही पडा होगा। वह खत जिसे पढ़कर आया हू उसमे लिखा है कि मैं तो भोला-भाला हू, पीछे दुनिया कैसी चलती है उसको मै नही जानता हू। उसका उत्तर कैसे दू, यह भी नही जानता हू। इसलिए धोखा दे सकते हैं। जो धोखा है उसका तात्पर्य भी बताता है। तो वह खबरदार करता है कि मै सावधानीसे रहूं। वह लिखता है कि देखो, पाकिस्तानमे क्या हो रहा है, हम भी ऐसा ही करे और बदला ले। अगर सावधान रहते है तो कुछ होनेवाला नही है—हम बदला लें, हमारे मकान वगैरा तो सब गए। मै ऐसा नही मानता हूं। ऐसा समझकर मुसलमानोके मकानोंको, थोडा या ज्यादा, जलाए तो जिसका मकान जलता है उसके लिए तो उस मकानकी उतनी ही कीमत है जैसे करोडपतिका मकान जल जाय; क्योकि उसीमें उसका गुजारा होता है। यह बड़ा मकानवाला है तो ज्यादा खाता है, ऐसा थोड़ा है। जितना आप खाते हैं, मै खाता हू उतना करोड़पति खाता है। तो मै आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मुसलमानको मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ता है तो उसको भी नुकसान पहुचता है।

वह पूछते है कि हिंदू, सिख पाकिस्तानमें सब छोडकर यहा चले आए तो वह कब मिलनेवाला है? मुझे कहना है कि हा, यह ठीक शिकायत

है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मै संतुष्ट होकर बैठनेवाला नही हूं जबतक सब हिंदू, सिख—मर गए वह बात दूसरी है—अपने मकानपर जाकर बैठ नहीं जाते हैं। जबतक एक भी हिंदू, सिख ऐसा रह जायगा जिसे उसका मकान वापस नही मिला हो तबतक मै शांतिसे नही रह सकता हूं। हां, जो मकान जल गया है उसको कहे कि ऐसा-का-ऐसा बना दो, तो ऐसा तो कोई हकूमत नही कर सकती, न आपकी हकूमत ऐसा कर सकती है। हकूमतसे ऐसी आशा करनी ही नही चाहिए। मै तो कहता हूं कि मांडल टाउनमे हिंदू सिख सब जाकर रहें तो यह काफी है। लाहौरके हिंदू, सिख हैं वे अपने घरपर, जमीनपर जाकर बैठें और कहें कि जो मकान जैसा है दे दो, जो जमीन है वैसे दे दो। इसी तरह सब अपने घर चले जायं और अपने घरमें जाकर रह सकते हैं तो मेरे लिए काफी है। हां, इतना होना चाहिए कि जिन मकानोंपर मुसलमानोंने कब्जा कर लिया है वहासे उनको हटा दें और जिस हालतमे वह मकान है, दे दे। उनको हवेली बनाकर, दें, ऐसा थोड़ा है। जमीन है, उसे ही लौटा दें, बस इतना काफी है। लेकिन हां, इस यूनियनमें जितने हैं वे सच्चे बने, अच्छे बनें, शरीफ बनें तो दूसरा नतीजा बन नही सकता। इसमे मुझे कोई शक नही है। मै तो यह भी कहूंगा कि वे जैसा करें, हम भी वैसा ही करे, ऐसा थोड़ा है। वे नाक कटाकर बैठ गए है तो क्या हम भी नाक कटाकर बैठ जाय?

यह भाईका जो खत है उसके जवाबमे मै कहता हूं जो हमारी गलती हो गई—गलती सब करते है, उसमें क्या, लेकिन जब गलतीपर कायम रहते है तब हम जो करते है उसको शैतानियत मानता हूं, उसीपर हम कायम रहें तो वह इन्सानियत नहीं है। आदमी तो गलतीका पुतला है, वैसे धर्मका भी पुतला है। जिस जगह गलतियां कर लेता है उसको दुरुस्त कर लेता है तो वह धर्मका ही पुतला रह जाता है। तो हम अपने धर्मपर कायम रहे तो पीछे सारी दुनियाको सुनानेकी जरूरत नही है।

काठियावाड़के मुसलमानोंको जितना नुकसान हुआ है उसके बारेमें मुझको लिखना पड़ा, और यह ठीक भी है, वहांके हिंदुओंको उनके बारेमे कहना अच्छा है, वहाकी हकूमतको कहना अच्छा है, यहां हमारी जो हकूमत पड़ी है उसको कहना चाहिए। यह हमारा हक है। हमने ऐसे थोड़े माना

है कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सब हिंदू-सिखका मकान जला दें, सब वहासे चले जायं, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन गलती हो गई तो गलतीको दुरुस्त करो। उसमें वक्त लगता है। हमको भी कह सकते हैं कि तुम भी गलतीको दुरुस्त करो। वे कह सकते है कि जितने मुसलमान पड़े हैं, जिनको मजबूरन वहां जाना पड़ा है, उनको ले लो। ऐसे ही पाकिस्तानसे यहां जितने हिंदू सिखोंको आना पडा है वे वहां चले जाय तो हम दोनों शरीफ बन जाते हे, पाक बन सकते हे। नही तो पीछे दुनियामें भारी मुह काला होनेवाला है। हमारा मुह सब दिन सफेद रहा है। हां, हम गुडे रहते हे और गुडेपनसे आजादी लें तो बात दूसरी है। दुनिया कहती है कि हमने शराफतसे आजादी ली। मै कहू तो बात दूसरी है, हिंदू मुसलमान कहे तो बात दूसरी है, बाहरकी दुनिया कहती है हमने जो आजादी ली है, मिल गई है, वह शराफतसे ली है, शराफतसे मिली है। तो शराफतसे उसे हमे रखना भी चाहिए; गुडेबाजीसे नही, गुडेबाजीसे हम उसे गवानेवाले हैं। उसी तरहसे हम अपना आचार रखे, बर्ताव रखे तो दुनिया देख ले कि हमने गलती दुरुस्त कर ली। पीछे आप कहे कि दुनिया पाकिस्तानका क्या करती है, देखना है। मै तो कहूंगा कि दुनिया क्या करेगी, दुनियाको कहनेकी दरकार नही। उसे साफ होना ही पड़ेगा। मुझको कहते हैं कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें मेरा हाथ था, तो सुनाते हैं कि तुमने करा तो लिया, लेकिन लोगोके दिलमे है नही—पाकिस्तानसे जो हिंदू, सिख आए है वे जाना नहीं चाहते। तो मैं थोड़े कहता हूं कि वे मिस्कीन होकर जाय। यह ठीक है कि पाकिस्तानसे जितने हिंदू, सिख आए हैं वे लाचारीसे आए है; लेकिन मै कहता हूं कि लाचारीसे जानेकी जरूरत नहीं, शानसे जायं। पाकिस्तानके मुसलमान कहें कि हम सब मुसलमान ठीक हो गए हे, आप आइए। ऐसा हम मुसलमानोंसे कहें कि आप मेहरबानी करके आइए, आपका मकान, आपकी जमीन जैसी-की-तैसी पडी है, उसपर कब्जा लीजिए। हमारा दीवानापन मिट गया है। हम शराफतसे चलनेवाले हे तो आज अच्छा हो जाता है। इसमे धोखा देनेकी बात क्या है ? मैं तो जानता नही हू कि धोखा कैसा है, किस तरह धोखा दिया जाता है। इसमें दुनियाको धोखा माननेकी बात नहीं है। अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रस्ताव पास किया है कि जितने हिंदू, सिख यहां आए है उन सबको आदरसे, मोहब्बतसे अपने घरोंपर, जमीनपर जाना है, लायलपुरमे जाना है। जैसे हमारे सिख भाई वहां खेती वगैरह चलाते थे तो उनको तो वहां जाना ही है। ऐसा मेरा ख्वाब है। यही देखनेके लिए मैं जिंदा रहना चाहता हू। ईश्वर मेरे ख्वाबको पूरा नहीं करना चाहता है तो मुझे उठा ले। दिल्लीमे मै रह इसीलिए रहा हू, दिल्लीमें न कर सकूं तो दूसरी जगह क्या करनेवाला हूं ! हम शरीफ हो जायं तो यह चीज बननेवाली है, इसमे मुझे कोई शक नही है। पाकिस्तानवाले भले बन जाते है और भलेपनसे कहते है कि हमारी गलती हो गई, अब हम शराफतसे पेश आएंगे, आप आइए। इस तरहसे हो जाय तो ठीक बन सकता है। तभी हम अच्छे पड़ोसी बनकर रह सकते हैं।

: १७१ :

७ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मै आपको बहुत गूढ बात कहना चाहता हूं। बात तो हमेशा रहती है ; लेकिन यह बहुत नाजुक चीज है। अखबारोंमे तो आ गई है। आप लोगोंने देखा है कि कल लाहौरमे यहांसे चद हिंदू बहनें चली गई थी और लाहौरमें चद मुसलमान बहनें थी। वे आपसमें मिलीं—इस कारण कि जिन बहनोंको मुसलमान उठा ले गए हैं और जिन बहनोंको हिंदू और सिख उठा ले गए हैं, पूर्वी पंजाबमें, उनका क्या किया जाय ? यहासे काफी मुसलमान चले गए और हो सकता है कि अभी और जायं। अगर हम हिंदू और सिख समझ जायं कि हम एक भी मुसलमानको मजबूर करके यहांसे भेजना नही चाहते है, अपने आप चले जायं, यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसा है कि अपने आप कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जायं अपना घरबार छोड़कर ? वहां पाकिस्तानमें उनके लिए घरबार तैयार है, ऐसी बात तो है नहीं। इच्छासे वहां जानेका तय कर लिया है

या नौकरीवाले वहां जा रहे हैं तो यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसे कम है। और, लोगोंको वहा क्या जाना था ! वहा पाकिस्तानमें उनके लिए काम खाली है, ऐसी बात भी नही है । पहलेके व्यापारमे यहा उनका कोई हर्ज नही होता है तो वे क्यो जायगे ?

यह तो हुआ, लेकिन औरतोंका क्या ? यह मामला गूढ है, पेचीदा है । कोई कहते है कि बारह हजार औरतोको हिंदू और सिख उठा ले गए और उससे दुगुनी पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए। कोई कहते है कि यह बहुत कम तादाद है, इससे भी ज्यादा है । मैं तो कहूगा कि बारह हजारकी तादाद कम नही है, एक हजार भी कम नही है, एक भी कम नही है मेरी निगाहमें । ऐसा क्यो हो कि किसी औरतको कोई उठाए ? कोई हिंदू औरत है या सिख औरत है उसको मुसलमान उठाए और मुसलमान औरत है उसको हिंदू और सिख उठाए, यह तो बडा अत्याचार है । कुछ लोग जो कहते है कि बारह हजारको उठा ले गए, यह कम-से-कम तादाद बताई जाती है । मै तो कम-से-कम लेना चाहता हू । मेरे लिए यह बहुत ज्यादा है । बारह हजार औरतोको पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए और बारह हजार औरतोको पूर्वी पंजाबके हिंदू, सिख ले गए । इनको कैसे लाना एक पेचीदा प्रश्न है । इसको हल करनेके लिए वे बहनें चली गई थी। मुसलमान बहने है, उन लोगोंने भी सोचा । जितनी हिंदू और सिख बहनोको उडा ले गए है उनको वापस लाना चाहिए, इसके लिए ये गई थी । उसी तरह जितनी मुसलमान बहनें है उनको भी उनके घर पहुचाना चाहिए । ऐसा नही कि वे आकर ले जायं । हमे ही पहुचा देना चाहिए । उसमे वहाके प्रधान गजनफर अली और वहाके पुलिस अफसर भी थे—नाम तो भूल गया—और दूसरे भी थे जो इसमें काम कर सकते थे। मृदुला बहन, रामेश्वरी बहन चली गई थीं। दोनोंने मुझे अलग-अलग सुनाया कि सबने मिलकर तय किया कि बहनोंको घर वापस पहुंचाना चाहिए। लेकिन बात यह हुई कि यह कैसे हो सकता है ? अगर आज उनको निकालनेके लिए ऐसा करना पड़े कि पुलिस भेजनी पड़े, फौज भेजनी पड़े, उसके साथ बहने भेजनी पडे तो यह काम करनेका कोई तरीका नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहा हिंदू, सिख बहनें चली जायं, पुलिस

अफसर चले जायं, शायद पूर्वी पंजाबके अफसर भी चले जायं, उन बहनोंको लानेके लिए, और उन बहनोंको ले आए। लेकिन दोनोंमेंसे एक भी जगह ऐसा हुआ नही है। कह सकते है कि वे बहने आना नही चाहती तो भी लाना है। उसी तरहसे यहासे भी वहा पहुचाना है। कोई कह सकता कि हिंदू और सिख बहन मुसलमान बन गई है, उनके साथ निकाह कर लिए है। हा, हुआ है, लेकिन वे आनेको तैयार नही है, यह मै माननेके लिए तैयार नही हू। मै इसे गलत बात समझता हू। उसी तरहसे यहा है। वे बहन खुशीसे रहती है, यह माननेके लिए मै तैयार नही।

दूसरी बात भी मै सुना चुका हूं। हमारा व्यवहार वहशियाना तौरसे चलता है, पूर्वी पजाबमे, और ऐसे ही पश्चिमी पजाबमे। उसमें एक ज्यादा हैवान है और दूसरा कम, ऐसा कहोगे? हैवानमे ज्यादा और कम क्या हो सकता है? राजा गजनफर अलीने कहा है कि दोनोंने काला काम किया है। किसने ज्यादा किया और किसने कम, इसे जाननेकी जरूरत नही। काफी तादादमे हुआ, किसने पहले की यह तहकीकात करनेकी जरूरत नही, इसके निर्णयकी जरूरत नही। जरूरत यह है कि जिन बहनोको जबरदस्ती उठा ले गए है, जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, उनको उनके घर पहुचाना है। तो उनको कैसे लाना? यह काम कैसे हो सकता है? मुझको कहना चाहिए कि यह काम पुलिससे नही बन सकता है, फौजसे नही बन सकता है। चद बहनोंको पूर्वी पजाब भेज दो और चद बहनोंको पश्चिमी पजाब—तो यह काम हो सकता है, नही तो हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह तरीका नही है। मै नहीं कहता कि जान-बूझकर करना नही चाहते; लेकिन मै तजुर्बेकार होनेके नाते कहता हू कि इस तरहसे काम होता नही है। यह काम हुकूमतका है। मै यह नही कहता कि औरतोको उड़ानेका काम हुकूमतने कराया—पूर्वी पंजाबका काम हुकूमतने थोडे कराया—पूर्वी पजाबमे हिंदू और सिखोंने किया और पश्चिमी पजाबमें मुसलमानोने किया। इसमें तहकीकात क्या करनी है? वह तो हुआ है। सख्या कितनी ही हो, मै कम-से-कम बारह हजार मानता हू। तो पूर्वी पजाब और पश्चिमी पंजाब इतनेको तो दे दें।

कुछ ऐसा सवाल उठा है कि उनके घरवाले उनको लेना नहीं चाहते। जंगली मां-बाप या पति होंगे जो कहते हैं कि हम अपनी लड़कीको या बीबीको नही लेंगे। उनको तो लेना ही है। उन बहनोंने बुरा काम किया, यह मैं माननेको तैयार नही। उनके साथ जबरदस्ती की गई तब हुआ। उनपर काला तिलक लगा देना और कहना कि यह समाजमें रहने लायक नही है, अधर्म है। मुसलमानोंमे ऐसा नही होता है। उसमें, इसलाममें, तो उदारता है कि वह निकम्मा नही बनाता है। यहा निकम्मे बन जाते है ऐसा थोडा है। निकम्मे बनानेवाले ही निकम्मे बन जाते हैं। तो मैं तो यही कहूगा कि यह काम हकूमतका है। हकूमतको पता लगाना है कि वे कहा-कहां हैं— दो-चार थोडे है, बारह हजार है। उनको निकालना है और घर पहुंचाना है। अगर हम समझे कि पुलिसको भेजे, औरतोंको भेजे उन बहनोंको लानेके लिए, तो यह तरीका नही है। इस तरीकेसे वे आनेवाली नही हैं। यह पेचीदा सवाल है। इसका मतलब यह है कि लोकमत तैयार नही है। बारह हजार औरते उड़ा ले गए है तो कहोगे कि बारह हजार आदमी ले गए होंगे, और वे गुडे लोग हैं; तो मैं कहूगा कि ऐसी बात नही है। शरीफ ही गुडे बन गए है। गुडे तो कोई दुनियामे पैदा होते नही। मौका मिलनेपर वे बन जाते हैं और इस तरहसे ले जाते है। ऐसा क्यों होता है ? तो मैं कहूगा कि दोनों हकूमत इस काममें पगु है। दोनो हकूमतोने अपना अधिकार यहातक नही जमाया है कि अधिकारके जरिये उन औरतोंको लावे। अगर इतना अधिकार होता तो पूर्वी पजाब-मे जो हो गया है वह होनेवाला नही था, इसी तरहसे पश्चिमी पजाबमें होनेवाला नही था। हमें तो तीन महीने पहले आजादी मिली है। हमारी आजादी तो अभी बच्चा है।

मेरी निगाहमें पाकिस्तानने यह जहर फैला दिया। लेकिन उसको क्या कहूं ? कहनेसे क्या बन सकता है ? बहनोंको तो बचानेका एक ही तरीका है—वह यह कि हकूमत अब भी समझ जाय, जाग्रत हो जाय, इसको पहले दर्जेका काम बनाकर इसमें सारा वक्त लगा दे और इसके लिए मरनेतकको तैयार हो जाय। तब इन औरतोंको बचाया जा सकता है, नही तो कितनी ही बहनोंको पूर्वी पंजाब भेजो व पश्चिमी पंजाब भेजो

इससे वे बचनेवाली नही है। बचानेका एक ही तरीका है जो मै कहता हू। हां, मदद मांगे तो मदद दें, यह बात दूसरी है। इतनी बड़ी बात मैंने सुना दी।

मैने कल कह दिया था कि मुझे पंद्रह मिनटसे ज्यादा नहीं लेना है। इसलिए इतना ही कहकर खतम कर दूगा। दो-तीन मिनट रह गई है, उन्हे मै छोडे देता हू।

: १७२ :

मौनवार, ८ दिसबर १९४७

(लिखित संदेश)

एक मुस्लिम सोसायटी मुझे चेतावनी देती है कि मुझे हिंदू या मुसलमानोंकी बाते मानकर दलीलमे नही उतरना चाहिए। बेहतर यह होगा कि मै पहले तहकीकात करू और बादमें जो करना हो सो करू। सोसायटी आगे चलकर मुझे सलाह देती है कि मुझे काठियावाड़ जाकर खुद सब कुछ देखना चाहिए। मै कह चुका हू कि आज मै वह नही कर सकता। मुझे दिल्लीमे और दिल्लीके आस-पास अपना धर्म-पालन करना चाहिए। यह सलाहकार भूल जाते है कि मेरे मिठासके तरीकेसे, जहांतक आवश्यक था वहांतक, उनकी शिकायत वापिस खिचवा सका हूं। इसमेंसे सीखनेको तो यह है कि जहा सचाईकी खातिर सचाई निकालनेका प्रयत्न रहता है वहां परिणाम अच्छा ही आता है। इस बातको बहुत बार आजमाया जा चुका है। ऐसी बातोंमे धीरजकी और लगकर काम करनेकी बहुत जरूरत रहती है।

सिंधसे दु:खी पत्र आया ही करते है। सबसे आखिरका खत कराचीसे है। उसमे लिखा है, "खून तो नही हो रहे, पर हिंदू इज्जत व आबरूसे यहां रह नही सकते। यूनियनसे आए हुए मुसलमान जब चाहें हिंदुओंके घरोंमें आ घुसते है और आरामसे कहते हैं—'हम यहां रहने आए हैं।' उनके हाथमें सत्ता नही, पर हम उन्हें 'ना' कहनेकी हिम्मत

नहीं कर सकते। ऐसे किस्से काफी सख्यामें देखनेमे आते हैं। चंद महीने पहिलेका कराची आज स्वप्न-सा हो गया है।" यह एक लबे खतका साराश है। मै जानता हू कि यह खत विश्वास करनेके लायक है। यह बताता है कि वहा अधाधुधी मची हुई है। यह तो आदमीका लहू सुखाकर मारनेकी बात हुई। साथ ही इसमे आत्माका भी हनन होता है। पाकिस्तानवालोसे मेरा अनुरोध है कि वे इस अधाधुधीको रोकें। यह एक बीमारी है। उससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाय उतना ही अच्छा है।

चीनीपरसे अकुश उठ गया है। अन्नपरसे, दालो और कपडेपरसे जल्दी ही उठ जाएगा। अकुश उठानेका मूल हेतु यह नही है कि कीमतें एकदम कम हो। आज तो असल हेतु यह है कि हमारा जीवन स्वाभाविक बने। ऊपरसे लदा हुआ अकुश हमेशा बुरा होता है। हमारे देशमे वह और भी बुरा है; क्योकि हमारी करोडोकी आबादी है और वह एक विशाल देशमे फैली हुई है, जो १६०० मील लबा और १५०० मील चौड़ा है। यहां देशके बटवारेको सामने रखनेकी जरूरत नही। हम फौजी कौम नहीं हैं। हम अपनी खुराक खुद पैदा करते है, या यो कहिए कि कर सकते है, और हमारी जरूरतके लिए काफी कपास पैदा करते है। जब अकुश उठ जायगा, लोग आजादी महसूस करेगे, उन्हें गलतिया करनेका अधिकार रहेगा। यह प्रगतिका पुराना तरीका है, आगे बढना, गलतिया करना और उन्हे सुधारते जाना। किसी बच्चेको रुईमे लपेटकर ही रखा जाय तो या तो वह मर जायगा, या बढेगा नही। अगर आप चाहते है कि वह तगड़ा आदमी बने तो आपको उसे सिखाना होगा कि वह सब किस्मके मौसमको बर्दाश्त कर सके। इसी तरहसे हकूमत अगर हकूमत कहलानेके लायक है तो उसे लोगोको सिखाना है कि कमीका सामना कैसे करना। उसे लोगोको बुरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मुसीबतोंका अपनी सयुक्त कोशिशसे सामना करना सिखाना है। बिना अपनी मेहनतके जैसे-तैसे उन्हें जिंदा रखनेमे मदद नही करना है।

इस तरहसे देखा जाय तो अकुश निकालनेका अर्थ यह है कि हकूमतके चद लोगोकी जगह करोडोको दूरंदेशी सीखनी है। हकूमतको जनताके प्रति नई जिम्मेदारिया उठानी होंगी, ताकि वह जनताके प्रति

अपना फर्ज पूरा कर सके। गाड़ियों इत्यादिकी व्यवस्था सुधारनी होगी, उपज बढ़ानेके तरीके लोगोंको बताने होंगे। इसके लिए खुराक-विभागको बड़े जमीदारोंके बजाय छोटे-छोटे किसानोंकी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। हकूमतको एक तरफसे तो सारी जनताका भरोसा करना है, उनके काम-काजपर नजर रखना है और हमेशा छोटे-छोटे किसानोंकी भलाईका ध्यान रखना है। आजतक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, मगर करोडोंकी जनतामें बहुमत इन्ही लोगोका है। अपनी फसलका उपयोग करनेवाला भी किसान खुद है। फसलका थोड़ा-सा हिस्सा वह बेचता है और उसके जो दाम मिलते है उनसे जीवनकी दूसरी जरूरी चीजे खरीदता है। अकुशका परिणाम यह आया है कि किसानोंको खुले बाजारसे कम दाम मिलते है। इसलिए अकुश उठानेसे किसानोको जिस हदतक अधिक दाम मिलेगे उस हदतक खुराककी कीमत बढ़ेगी। खरीदारको इसमे शिकायत नही होनी चाहिए। हकूमतको देखना है कि नई व्यवस्थामे कीमत बढ़नेसे जो नफा होगा वह सब-का-सब किसानकी जेबमें जाय। जनताके पास रोज-रोज या हफ्ते-के-हफ्ते यह चीज स्पष्ट करनी होगी। बड़े-बड़े मिल-मालिकों और बीचके सौदागरोको हकूमतके साथ सहयोग करना होगा और हकूमतके नीचे काम करना होगा।

मै समझता हू कि यह आज हो रहा है। इन चद लोगोंमे और मंडलोंमें पूरा मेल-जोल और सहकार होना चाहिए। आजतक उन्होंने गरीबोंको चूसा है। उनमें आपसमे जो स्पर्धा चलती आई है यह सब दूर करना होगा। खास करके खुराक और कपड़ेके बारेमे इन चीजोंमे नफा कमाना किसीका हेतु नही होना चाहिए। अकुश उठानेसे अगर लोग नफा कमानेमें सफल हो सके तो अकुश उठानेका हेतु निष्फल हो जायगा। हम आशा रखे कि पूजीपति इस मौकेपर पूरा सहकार देंगे।

: १७३ :

९ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मैं चर्खा-सघके ट्रस्टियोंकी सभामें गया था। बहनोंके साथ तो आध घटे बात करना ही था। अगर समय रहा, क्योंकि मैं १५ मिनटमें तो खतम करता हू, तो उसके बारेमें कहूंगा, नहीं तो कल कहूगा।

आज एक चीज तो अखबारोंमें यह आ गई है कि सरदार पटेल और मैं पिलानी जा रहे है और वह किस कामके लिए ? हवा खानेके लिए। यह बात बिल्कुल निकम्मी है। सरदारके दिलमें क्या है यह तो मैं नही जानता हू, लेकिन मैं इतना तो जानता हू कि यह हवा खानेका समय नही है। सरदार सारा दिन काम करते हैं और रातको आराम करते है, वही हवा खाना है। वही हाल मेरा भी है। हा, मेरा काम इतना नहीं है, क्योंकि मेरे हाथमे हकूमत नही है। लेकिन मेरे पास लोग आते-जाते है इसलिए थकान हो जाती है, तो भी आराम तो करता ही हू। आजकल हवा तो यहां भी अच्छी है। इस वक्त हवा क्या खाना था ! आजकल तो यहाकी हवा ठढी है। पिलानीमे है क्या ? मेरा तो ऐसा है कि करना या मरना। यह भी नही कर पाया हू। अखबारवाले इस तरहकी हवाई बातें क्यो छापते हैं, यह मैं नही समझ सकता हू। मैं यही समझूगा कि अखबारोंमे जो कई बातें आती है, वे गलत है। पीछे मैंने सुना कि—वह अखबारमे नही है—क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जयपुरसे हुकम निकला है कि इतनी चीनी चाहिए, इतना गेहू चाहिए, क्या-क्या चाहिए। पीछे आदमी तो दो रहे, इसलिए इतना चाहिए नही, लेकिन ऐसा हो गया कि वहांके बाजारमें सन्नाटा हो गया। यह सुनी हुई बात है, देखी हुई नही। यह कितनी बुरी चीज है कि जो चीज होनेवाली नहीं, वह भी हो गई। हम ऐसे है कि बाजारपर भी असर हो गया। बाजारमें ऐसा हो गया कि इतना दूध चाहिए, इतना सेर चीनी चाहिए, जैसे हम खानेके लिए ही जिंदा रहते है या हमारे साथ इतना बडा रिसाला जाता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सरदार

मिस्कीन है, मै भी मिस्कीन हूं। यह है कि वह आलीशान मकानमें रहते हैं, आलीशान मकानमे तो मैं भी पड़ा हूं। नही तो कहां ढूंढूं। तो इस तरहसे है। आलीशान मकानमें रहते हुए भी मिस्कीनकी तरह अच्छा हैं। बड़ा अच्छा तो यही है—मैं कबूल करूंगा—कि वह मिट्टीके झोंपड़ेमें रहें और मैं भी मिट्टीके झोंपड़ेमें रहू। कुछ भी हो, मैं तो यही बात बताना चाहता हू कि इस तरहसे गप्प उड़ती है। मैं तो यहीं पड़ा हूं तो पूछ लेना चाहिए था कि क्यों भाई, तुम पिलानी जाओगे? हमारे पास तार आ गया है और वह भी एसोशियेटेड प्रेसका—उसकी तो ऐजेसी यहां है, सो मुझको और चुभा। सरदार तो ज्यादा काममे रहता है। उसको नही मुझको तो पूछ सकते थे कि क्या कही जानेवाले हो?

दूसरी बात यह है कि एक सिंधी भाईका पत्र आ गया है। उसने तो अपना नाम दिया है; लेकिन मै उसका नाम देना नहीं चाहता हू। उनकी तरफसे कोई मनाही नही है। सिंधके एक डाक्टरकी बात तो मैंने बताई ही थी। नाम नही दिया था। उन्होंने बताया था कि वहां हरिजनोंको कितनी तकलीफ है। वह पकड लिए गए। इसी कारण पकड़ लिए गए या दूसरे कारण, यह मै नही जानता हू। कई आदमी जो हरिजनोंकी सेवा करते हैं वे पकड़ लिए गए है। ऐसा सिलसिला आज सिंधमें चलता है। हां, इतना है कि खून नही होता है, लेकिन जैसा मैंने कल बताया, वह खूनसे बदतर है, क्योकि खून तो एकका हुआ, वह खतम हुआ, पीछे सब समझ जाएगे कि इतना हुआ। लोगोंको परेशान कर मारना, यह तो बदतर बात है। एक आदमीको पकड़ लिया और छोड़ दिया, मुमकिन है दूसरोको भी छोड़ दे। लेकिन तो भी इस तरह लोगोको पकड़ना बुरी बात है। मै पाकिस्तानकी हकूमतपर इल्जाम नही लगाता हू; लेकिन मै पाकिस्तानको सावधान करता हू कि अगर वे इस तरह करते हैं कि कोई हरिजनोंकी सहायता करता है, इसलिए गिरफ़्तार कर लें तो सिंधमे कार्यकर्ता कैसे रहेंगे? हरिजन लोग कैसे रह सकते है? हां, यह चीज पहले अग्रेजोके जमानेमें तो चलती थी। क्या हम भी ऐसा करेगे?

अभी चंद मिनट बाकी हैं तो चंद मिनटमे वहाकी एक बात सुना

दूं—वह औरतोंकी बात है। कस्तूरबा स्मारकका सिलसिला है, वह तो इस कारण है न कि हमारे यहा सात लाख देहात है, वहां बच्चे और बहनें पड़ी है, उनकी जाग्रति करना, उनकी सेवा करना कस्तूरबा स्मारकका काम है। लेकिन यहां तो एक बडा मामला हो रहा है कि एक तरफसे हिंदू और सिख औरतोंको, लडकियोको मुसलमान भगा ले गए है और दूसरी तरफसे हिंदू और सिख मुसलमान लडकियोंको भगा ले गए है। यह बात छोड़ दो कि कौन ज्यादा भगा ले गए और कौन कम। कुछ भी हो, एक-एक हकूमतमे बारह-बारह हजारसे ज्यादा लडकियोंको भगा ले गए हैं। इसमें कस्तूरबा स्मारक क्या करे ? मेरे हाथमे है तो जो होना चाहिए वह तो करूगा ही। लेकिन यह एक बात साफ है कि कोई नामके लिए तो कर नही सकते है। जो सेवक है तो उन्हे काम करना है—काम किया, खतम हुआ, भूल गए— अखबारमे आए चाहे न आए, इसकी ओर ध्यान नही देना चाहिए। इसी तरहसे दूसरा काम भी है—यह काम भी औरतोंका ही है। दूसरे भी मदद करेंगे। एक बात यह भी है कि औरतोके लिए क्या-क्या किया जाय वह तो बताओ। वह थोड़ा-सा मैं यहा बता देना चाहता हू। इसमें जितनी सेविकाए है, वे शहरोसे है—बहुत-सी सेविकाए देहातोंसे नही मिली, दैवयोगसे मिलीं तो बहुत कम मिली और जो देहातोसे मिली है वे भी शहरोसे ताल्लुक रखती है। शहरोंसे ताल्लुक रखना बुरा है, गदा है, ऐसा नही है; लेकिन ऐसा सिलसिला बन गया है—१५० वर्षोंसे भी अधिक समयसे—कि शहर है वह देहातियोसे पैसे लेनेके लिए है, देहातोसे कच्चा माल ले, देश-विदेशोमें व्यापार करे और करोड़ों रुपये कमाये। लेकिन करोडों रुपया देहातियोंको नही मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज्यादा रुपया करोड़पतियों, धनिकों तथा मालिकोंको मिलेगा। शहर देहातियोको चूसनेके लिए है। इसलिए शहरकी जो सभ्यता है वह देहातोके ढाचेमें नही है। एक बहन शहरकी है तो उसे किस दृष्टिसे देहातको जाना है, तो मैंने तो बता दिया है कि उसे शहरोंकी आबहवा व सभ्यता लेकर नही जाना चाहिए। माना कि उसके पास पैसे पड़े है, शौककी चीजें पड़ी हैं, मोटर पड़ी है, रंग-रागकी चीजे है, मखमल है, ऐसी कीमती चीजे पड़ी हैं। दांत साफ करनेका—बाहरसे या यहांका हो—मजन पड़ा है तो ले लें,

टूथ ब्रुश ले लें, और अच्छे, खूबसूरत लगते हैं वैसे बूट ले ले, जूतियां ले लें, चप्पल ले लें—ये सब चीजे पडी है, इनको लेकर देहात जायं तब देहातकी सेवा कैसे कर सकती है? यह देहातके लिए आदर्श है, ऐसा हुआ तो ये चीजें देहातको खा जायंगी। होना तो ऐसा चाहिए कि शहर है वह देहातके मारफत समृद्ध बननेके लिए है, पैसे भेजनेके लिए है, देहातकी सभ्यताको जितना बढ़ा सके उतना बढानेके लिए है, लेकिन वैसे हुआ तो उल्टा हो जायगा। अभी मैने सब बाते तो बताई नही है; लेकिन इतना तो कह दू कि जिन बहनोको सच्ची सेवा करना है, चूसना नही है, तो उनको विवेकशक्ति रखनी होगी और विवेककी दृष्टि रखकर जो चीजे देहातोंमे जा सकती है वहां ले जाय। जो सुधार करना है वह भी देहातों-के ढाचेमें करे। तब तो हमारे सात लाख देहात, जो गिरी हुई हालतमे है, ऊपर आ सकते है। ऐसा नही है कि देहातोंमे जगली पडे है, वहां कला नही है, वहांके जीवनमे कुछ भी अच्छापन नही है। देहाती जीवनमे तो बहुत कुछ खूबसूरती भरी है, ऐसा मेरा मत है। यहां बहुत कला भरी है, यहा अनेक प्रकारके उद्योग पड़े है, जो सारी दुनिया जानती है। यहांके ही उद्योग पश्चिममे नमूना बनकर गए। तो मै आज इतना ही बता देना चाहता हू कि जिन बहनोको वहां सेवा करनी है उनको समझना चाहिए कि शहरों-की चीज शहरोमें ही छोड़ दें। शहरकी जो उत्तम चीज है, नीति-वर्धक है, उसे ही ले जाय, बाकी शहरमे ही रख जाय। तभी करोडों बहन और बच्चोंको ऊपर ले जानेमे मदद दे सकते है। इतना तो हम कर ही सकते हैं।

: १७४ :

१० दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

कल तो मैने आपको कह दिया था कि मै चर्खा-संघकी सभा-में गया था और औरतोंसे थोड़ी बात कर ली थी, पर आज भी वहां तालीमी संघकी बैठकमें जाना पड़ा, लेकिन शायद आज यह बात

छोड़ दूगा। आज मुझे चर्खा-संघकी बात करनी चाहिए। चर्खासंघ क्या चीज है, आप जानते ही हैं। वह तो खद्दरका काम करता है और चर्खासे (चर्खीसे) शुरू होता है, माने यह कि पहले कपासका बिनौला निकालना पडता है, पीछे धुनाई करनी होती है, पीछे पूनियां बनानी पडती हैं, फिर कातना, फिर बुनाईकी बात आती है। मै उस सबमे जाना नहीं चाहता हूं। मै तो इतना बता देना चाहता हू कि हिदुस्तानमे करोडो लोग पड़े है। अगर वे यह काम करें—यह आसान काम है, बुढिया औरत भी कर सकती है, ६, ७ वर्षका बच्चा भी कर सकता है, हम चर्खा-सघमे ऐसे बच्चोंको भी सिखाते हैं—तो कपड़ेका खर्च करीब-करीब बच जाता है। अगर देहातोंमे कपड़े बन जाते है तो मुफ्त-सा हो जाता है—मेहनत की और हो गया। अगर देहातमे कपास बो ली तो करीब-करीब सब खर्च बच गया, दुगुना पैसा बच गया—एक तो पैसा खर्च नही करना पडा और दूसरा कुछ उद्योग करते है, कला भी भूलते नही, और आगे बढते है। इस कारण, मै तो कहूगा कि अगर हम पागल नही बनते है तो कपड़ेका घाटा तो हमारे यहा होना ही नही चाहिए। कोई भी मिल न रहे तब भी घाटा नही होना चाहिए। आज तो हम मिलका मुंह ताकते है, मिलका ही कपड़ा अपनाते हैं। आज हम चर्खेको, खद्दर-गाढेको अपनाना भूल गए है। आज कोई खद्दरकी टोपी पहन लेता है, क्योकि कुछ अभ्यास हो गया है, उसको साथ लेकर आजादीकी लडाई लड़ी थी, लेकिन आज वह चीज हमारे जीवनमें जिदा नही है। यह हमारे लिए दु खकी बात है। इतने वर्षोंसे चर्खा-सघने काम किया और लोगोको करोड़ो रुपये दिए, लेकिन फिर भी हम ऐसे-के-ऐसे रह गए है, तो इसके लिए सोचना चाहिए। कल सोचते थे तो बताया गया कि चर्खाके मारफत क्या काम होता है, वह क्या बताता है। चर्खा अहिसा बतानेवाली चीज है। अगर सब लोग चर्खामय बन जाते है और सब देहात सचमुच समृद्ध बन जायं तो आज जो हालत देखते है, करुणा-मय है, वह बननेवाली नही थी। वहा बहस चलती थी। वहा बताया गया कि किस तरह चर्खेके मार्फत—खादीके मार्फत—कपडेका घाटा आरामसे पूरा कर सकते है, करोड़ों रुपए देहातोंमे दाखिल कर सकते हैं। नगद नही, लेकिन करोड़ों रुपये जो मिलके कपड़े खरीदनेमें खर्च करते है, वह

बच जाते हैं। लोग कह सकते हैं कि खादी तैयार करनेमें भी तो कपास-का दाम पड़ेगा, लेकिन मै कहता हू कि कपासका दाम तो कम पड़ेगा। आज यहां जिस तरहसे कपास निकलता है उसे लगा दो तो उसमें करीब-करीब ऐसा बन जाता है। लेकिन यह हिसाब सच्चा नही है। इसलिए नही है कि कपडोंका दाम मिलमे जो होना चाहिए उससे कममें दिया जाता है। सल्तनतकी मदद नही हो तो दाम तो बहुत बढ जाय, लेकिन उसको सब मदद सरकारसे मिलती है। मिलके लिए सब सुविधा पैदा की जाती हैं। हम राज चलाते हैं, उसमें धनपति हैं, उनकी तो चलती है और जो हलपति है उनकी नही चलती है। यह एक बड़े दुःखकी बात है। धनपतिसे मेरा द्वेष तो है नही, क्योंकि मे एक धनपतिके घर पड़ा हू। धनपतिका जो रवैया रहा है उसे जानता हूं। धनपति मिल चलाते है, तो मैं थोड़े हिस्से लेता हूं, या काम करता हूं ! कर भी नही सकता और हिस्सा भी नहीं लेना है। हां, उनके मार्फत चर्खाका काम निकाल लूं तो अच्छा है, लेकिन कर नही पाया हूं। ये सब सुविधाए धनपतियोंने सरकारके मार्फत पैदा कर ली है। अगर वे कहते हं कि गरीबोंके लिए है तो वैसा तो अगरेज भी कहते थे। लेकिन सच बात यह है कि गरीबोंका काम नंही होता है। इस हकीकतको दीनतासे कबूल कर लेना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो बुरी बात है। कह तो सभी देंगे कि हां, गरीबोंका काम होना चाहिए, लेकिन हमारे जितने मंत्री है वे कहें कि हम तो देहातोंमे जाकर कहने वाले है। अगर समाजवादी है, और मेरी चले तो यही आवाज निकलवा लूंगा कि सब समाजवादी बन जायं। अगर समाजवादी सच्चे है, लोगों-की सच्ची सेवा करते हैं—मजदूरोकी ही नही, हलपतियोंकी भी, क्योकि इनकी सख्या ज्यादा है, और, हमलोगोंको ऊपर उठाना चाहते है तो उनसे यही कहलाऊगा कि हमको तो यही सिखाना है कि तुम कपडा खादीका ही पहनो। तुम घरमे खद्दर बना लो, उसमे कोई रुकावट नहीं है। मतलब यह है कि वे क्या कर रहे हैं, यह मैं लोगोंको बता दूंगा। जबसे मैं आया हू तबसे मे यही कह रहा हूं, तो भी मुझसे कुछ हुआ नही है। मुझसे यही हुआ कि कई करोड़ रुपये देहातोंको दे दिए, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हरएक देहातके घरोंमें चर्खा गुजन करे और गाढ़के सिवा दूसरा दीखे ही नहीं।

ऐसा बना सकूं तो जो दीनता है वह रहनेवाली कहा है ! ऐसा अभीतक हो नही सका, यह बहुत दु:खकी बात है।

आजकल यहां सब ठीक चल रहा है, गोलमाल नही है, ऐसा नही है। हिंदू मुसलमानोके बारेमे एक तरहसे सुनता हू कि ऐसे व्याख्यान भी चलते हैं—अभी नाम नही बताऊंगा, क्योंकि पूरा-पूरा नाम अभी नही आया है—कि यहा चद मुसलमान पडे है उनको रहने नही देगे। जो मस्जिदें रह गई है उनपर कब्जा करेगे और उनमे हिंदू रहेगे। फिर क्या करेगे, दैव जानता है, मै नही जानता हू। मै समझता हू कि अगर उनमें हिंदू रहेगे तो उससे हिंदू-धर्म मिट जाता है। यह दिल्लीकी बात है।

अभी अजमेरकी बात भी आ गई। अजमेरमे भी ऐसा हो रहा है। वहां तो मै कई बार गया हू। वहां मुसलमान पडे है, हिंदू पडे है। वहा तो बडी भारी दरगाह है। उस दरगाहमे हिंदू भी जाते है और हिंदू जाकर मानता भी करते है। इसी तरहसे मुसलमान भी जाते है। तो सब एक ही बन गए है, ऐसा चलता है। धर्मसे नही, कर्मसे। हिंदू और मुसलमानके बीच वहा कभी झगड़ा नही हुआ है, ऐसी बात नही है। होता था; लेकिन आज ज्यादा हो गया है। ऐसा थोडा-सा अखबारमे आया है, उससे जानता हू वहा काफी मुसलमान मारे गए। पहले तो वे डरे, डरके मारे भागे। पीछे थोड़े रह गए। फिर झगडा हो गया। सुनता हू कि इर्द-गिर्दके देहातोमे यही हो रहा है। पूरी खबर मिल जायगी तो सही-सही बता दूगा। इतना तो कहूगा कि यह शर्मनाक बात है। हम अभी इतना तो करे कि ईश्वरसे प्रार्थना करे कि हमे ऐसी सुबुद्धि दे कि हम ऐसे न बिगड़ जायं कि हम हिंदू-धर्मका भी नाश करें। मुसलमानोका नाश करनेके बहाने हिंदू-धर्मका भी नाश करे, यह तो कुछ अच्छी बात नही हो सकती। अगर हम जिंदा रहना चाहते है तो हमे सबको जिंदा रखना है, तभी हम भी रह सकते है। ईश्वरने ऐसा नही बताया है कि एकको मारकर दूसरेको जिंदा रखें। पाकिस्तानमें सब हिंदू और सिखोंको मार डाले और हिंदुस्तानमे मुसलमानोको मार डालें और जो बाकी रहें उनको गुलाम बनाकर रखे, यह हो नही सकता। तो मै कहूगा कि हम विनाशका काम कर रहे है। जैसे संस्कृतमे है, 'विनाश-काले विपरीतबुद्धि:,' ऐसी हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। मारो, काटो,

निकाल दो मुसलमानोंको, यह पागलपनकी बात है। बहुत-सी बातें ऐसी हो गई हैं, लेकिन सब नही सुना सकता हूं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कर लिया है कि घड़ी निकालकर रखता हू, जिससे १५ मिनटसे ज्यादा न बोलू।

: १७५ :

११ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

पहले तो जिस भाईने बड़ी नम्रतासे पूछा या तो कहा कि कुरानशरीफमेंसे यहा जो आयते पढ़ी जाती है, उसके माने अगर समझा दिए जाय तो अच्छा हो, माने पुराने हो या नए। नया तो कोई हो नही सकता। कुरानशरीफ तो मुहम्मदसाहबने उतारा। उनकी जबान है, ऐसा कहते है। इसे १३०० वर्ष हो गए, इतना पुरातन है। उसमेका जो हिस्सा हम पढ़ते हैं वह बड़ा बुलद माना जाता है। जैसे हमारे मत्रमें है, वह विभूति मानी जाती है, उसे पढनेमे ही पुण्य मिल जाता है, वैसे ही यह भी जानो। अर्थ जाने चाहे न जाने, शुद्ध उच्चारणसे ही उसका पुण्य मिल जाता है। मै उसका अर्थ, निचोड़ दे सकता हूं, क्योंकि मै अरबी या फारसी तो जानता नही हू। मेरे पास शब्दार्थ है। अभी तो नहीं है, कल दे दूगा। उसका अर्थ यह है कि हम ईश्वरकी प्रार्थना करते है। ईश्वर तो एक ही है, उसे चाहे किसी नामसे पुकारो। उसका नाम अल्ला भी है। वह कैसा है, उसके विशेषण दिए है। वह रहीम है, रहमान है, दयावान है, दयाका भडार है। उसमे यही आता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नही है। उसमे यह भी है कि तू ही हमे शैतानसे बचा सकता है, शैतान तो हमको नीचे गिराता है, शैतान पाप-कर्म कराता है तो तू ही उस बलासे बचा सकता है। उसमें एक आदमीने इकरार किया है कि वह पुरुषार्थका काम नही करता है, दैव कराता है, ईश्वर कराता है। पीछे कहता है कि हे ईश्वर, तू ही शैतानसे बचा सकता है। हम छोटे इन्सान तो समुदरमें एक बिंदुके समान हैं। तू नही बचाएगा तो शैतान हमको खा जायगा।

तू महान् है, तू सब कुछ है, तेरी मेहरबानी रहे तो हम बच सकते है। तो मै कहूंगा कि हम उसका जितना उच्चारण करे, उसका मनन करे और उसके मुताबिक चलें, कम है। इसीसे दुनिया चलती है। तब आप कहेगे कि फिर मुसलमान ऐसा मिथ्या आचरण क्यों करते है ? उसका जवाब यही हो सकता है कि क्रिस्टी आला बन गए हैं, शास्त्रज्ञ बन गए है; लेकिन बाइबिल-के मुताबिक चलते कहा है ? उसके मुताबिक चलनेवाले क्रिस्टी कहा है ? हिंदू गायत्री मंत्रके मुताबिक कहां चलते है ? वह कितना बडा मत्र है। हम सदा पढते है—"ईशावास्यमिद सर्वम्" उसके माने यह है कि सारा जगत ईश्वरसे भरा है। सब चीज वही देता है। तो आदमी कहता है कि हमारे पास सारा जो कुछ है वह तेरा है। वह हम सब त्याग देते हैं और जो हमें भोगना चाहिए भोगते है। हमारी कोई चीज नही है, घरबार सब ईश्वरके अर्पण कर दिया। यह तो बडी चीज है। पीछे ऐसा है कि दूसरेका धन है, दूसरेकी दौलत है, उससे द्वेष न करे। उसकी इच्छा तक न करे। उसमें यह सब चीज है। एक ही मत्रके मुताबिक सब हिंदू चले, सारा ससार चले, हिंदूके लिए ही थोड़े है, हिंदूका नाम भी नही है—सिख चलें, सिख नही मानते है, ऐसा थोड़ा है। तो हम आज दुनियामें जो करुणामय दृश्य देखते है वह थोड़े होनेवाला था। तो कहोगे कि उसके मुताबिक नही चले तो कैसे यह दुनिया चलती है ? तो मै कहू कि सब-के-सब बदमाश है, ऐसे थोडा है। सब हिंदू फरिश्ता थोडे है। सब सिख बदमाश है, ऐसा थोडे है। सब हिदू देवरूप है और सब मुसलमान फरिश्ता है, ऐसा भी नही है।

दूसरा मत्र पारसियोंका है। पहला मत्र जो होता है वह गुरुदेवको नमस्कार है। पीछे सस्कृतमें है वह है। पीछे भजन गाते है वह है। इतना होते हुए भी मनको साफ नही करते हैं, यह दु खकी बात है।

अब हरिजन-बस्तीमे जो चल रहा है, उसकी एक चीज समझा दूं, लेकिन आज मै उसको छोड देता हू, क्योंकि दूसरा काम करना है। सात मिनट हो गए और १५ मिनटमें खतम करना है।

आज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आए। पहले भी आए थे, आज दुबारा आए। उन लोगोंने मुझसे कहा कि अभी हम पाकिस्तान,

पंजाबमें गए थे। यही काम करनेके लिए युक्तप्रांतके मुसलमान वहां गए थे। पीछे वहां दूसरे मिले। उनके दिलमें हुआ कि वहां सुलह करा सकेंगे तो यहां सुभीता हो जाएगा और पीछे कोई बात नही रहेगी। मुझको पूछकर गए थे। तो मैंने कह दिया था कि जाओ। सच्चे दिलसे जाते हो तो अच्छा है। तो आज वहांसे आए। मेरे पास आए और कहा कि हम तुम्हारे पाससे एक चीज चाहते है, इतना चाहते हैं कि हिंदुओंको कहो, सिखोंको कहो—पहले हिंदूको कहो कि वे लाहौर जायं और हम उनके साथ जाएंगे। पहले हम मरेंगे, फिर कोई दूसरा मर सकता है। पर ऐसा तो होगा नही। हमने वहांकी हकूमतके साथ बात कर ली है। वह गैर-मुसलमानोंको बसानेके लिए राजी है। तो मैंने कहा कि यह सब लिखकर तो दो। आज-के-आज तो ऐसा होता नही है। यह बड़ी बात है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। पीछे उन लोगोंने कहा कि करो तो सही, हम जो कहते है उसकी जितनी परीक्षा करते हो करो। तो उन लोगोंने लिखकर दिया। उसमें लिखा है—

"युक्तप्रांतके शांति-दलने दो मर्तबा पश्चिमी पजाबका दौरा किया। पहली मर्तबा एक महीना और दूसरी मर्तबा एक हफ्ता घूमा। अब वहांकी हालत पहलेसे अच्छी है। पहलेके मुकाबले अवाम[1] और हकूमत दोनों अमनके लिए कोशिश कर रहे है। चुनांचे पश्चिम पजाबकी सरकार खाहिशमद[2] है कि जो गैर-मुस्लिम वहा इस वक्त रहते हैं तो रहे और जो वहांसे चले गए हैं वे वापस आएं, सरकारने यह हिदायत जारी की है कि जो गैर-मुस्लिम पश्चिम पंजाब वापस जाएगे उनको उनकी मिल्कियत और जायदादपर कब्जा दिया जायगा और जो गैर-मुस्लिम भाई आएगे और रहेंगे उनकी पूरी हिफाजत की जायगी और उनको कारोबारकी हर तरहसे सहूलियत दी जायगी। अगर बावजूद[3] मिन्नत[4]-के कोई गैर-मुस्लिम वहां रहने या वापस जानेका खाहिशमंद न हो तो उसको अपनी जायदादको बदलने या फरोख्त[5] करनेका पूरा हक है। बलवा-फसाद करनेवालोंको हकूमत सख्त सजा दे रही है और आनेवालोंकी

[1] जनता; [2] इच्छुक; [3] तिसपर भी; [4] प्रार्थना; [5] बेचना।

हिफाजतके लिए हर तरहकी तदबीर एहतियात[१] बरत रही है। शांतिदलने वहाके अवाम और सरकारको इस बातके लिए आमादा और तैयार कर लिया है कि पाकिस्तानकी हकूमतका यह फर्ज है कि गैर-मुस्लिमकी इज्जत-आबरूकी पूरी जिम्मेवरी ले। चुनांचे सरकार और अवाम दोनों इसके लिए तैयार है। युक्तप्रातीय शाति-मिशनके सदस्य गैर-मुस्लिम भाइयोसे गुजारिश करते है कि जो भाई पश्चिमी पजाबमे बसना चाहते है हम उनके साथ चलकर उनको वहा बसानेके लिए तैयार है। हम अपनी जानसे ज्यादा उनकी जिम्मेवरी लेते है और उनको पूरा इतमीनान कराके हम वापस आएगे।"

चार मुस्लिम भाइयोंने इसमें दस्तखत किए है। इसे मै अच्छी खबर मानता हूं अगर यह सही है। ये शरीफ आदमी है, तो मैने कहा कि लिखकर दे दो तो काम करू, मै सारी दुनियाको बताऊगा। और अगर ऐसी बात नही होगी तो बुरी बात है। पीछे मैने कहा कि माडल टाउनसे काफी हिंदू, सिख आए है, लाहौरमे भी हिदुओंकी बड़ी-बड़ी इमारते है, सिखोंकी भी इमारते है, उनका वहां गुरुद्वारा भी है, क्या वहां जा सकते है ? उन लोगोंने कहा कि जरूर जा सकते है। वहां सब अवाम ठीक हो गए है, ऐसी बात नहीं है। कुछ जहर तो भरा ही है, वह जल्दी नही निकाला जा सकता है। लेकिन हकूमतने तय कर लिया है कि वहां किसीको हलाक नही किया जाय।

अगर सचमुच ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी चीज है। मेरी उम्मीद नही थी कि इतनी जल्दी काम हो जायगा। कितना सही है, वह मै नही जानता हू; लेकिन हम कम-से-कम दिलमे समझे तो सही कि ऐसा करनेवाले मुसलमान भी पड़े है। ऐसा समझे कि सब मुसलमान बदमाश है तो वह इन्सानियत नही है। उनमे भी शरीफ पड़े है। पीछे उनके साथ एक हिंदू आया। वह भी खत लाया। अब ज्यादा वक्त नही है, इसलिए उसे पढूंगा नही, लेकिन उसमें भी यही चीज है। वह वहां होटल, विश्रामगृह चलाता है। वहां करीब एक हजार आदमी हमेशा आते है। मुसलमान ज्यादा आते होंगे; लेकिन कुछ हिंदू भी आते होंगे। उनके आनेमें कोई रुकावट

[१] सावधानी।

नही होती है। उस खतमें उन्होंने लिखा है और कहते हैं कि हिंदू भाइयोंको वहां जानेमें कोई रुकावट नही है। इतना मै आजके तजुर्बेसे कहता हूं। लेकिन मै यह नही कहता हूं कि कल चले जाओ। मैं ऐसा भी नहीं कहनेवाला हू कि न जाओ, जाओ तो अच्छा है।

: १७६ :

१२ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाईने खत लिखा है। उसमें लिखा है कि मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान जाना शुरू करे। मैंने तो कहा था कि मैं उस बातकी जाच करूंगा, निश्चय हो जायगा तो कहूंगा। मै देख लू कि जिन भाइयोंने कहा है वह ठीक है या नही। तब कहूंगा कि जाओ या नही जाओ। तो वह भाई कहता है कि मैं अभी जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां लूटमार चल रही है, आते हैं तो कोई पूछता नही है, तन ढाकनेको कपड़ा और खानेको अनाज नहीं मिलता, हमारे लिए कुछ भी नही होता है। हा, मैं जानता हूं कि ऐसा है। ऐसा हो गया है कि सबको पूछ नहीं सकते, सब चीज पहुंचनेवाली भी नही है। मेरा खयाल है कि जितनी तजवीज हो सकती है, कर रहे हे। लेकिन अगर तजवीज नही है तो भी मै कह नहीं सकता कि आज जाओ। नही आए थे तो बात दूसरी थी, लेकिन जब आ गए हैं तब ठीक-ठीक हो जाय तब जाय। मै अभी खुद यह कहनेको तैयार नहीं हूं कि आप अभी जाय। हां, तैयारीमें रहें तो अच्छा है। जितनी जल्दी जाने लायक हो सकें उतना अच्छा है।

मैंने कल कहा था कि कुरानशरीफकी जो आयत पढ़ी जाती है उसका तर्जुमा सुना दूगा। उसका सार तो बता दिया था। मेरे पास आज तर्जुमा पड़ा है। उसमें यह है कि मैं अल्लाहकी शरण लेता हूं, वह भी शैतान पापात्मासे बचनेके लिए। पीछे कहा है कि मैं शुरू करता हूं ईश्वरके नामसे ही। मैं जो कुछ भी करता हूं उसीके लिए, क्योंकि सब कुछ

बख्शनेवाला[1] वही है। जो रहीम है, रहमान है, दयालु है वह सब वही है। पीछे कहा है कि अल्लाह एक है, वह जन्म नहीं लेता और जन्म नहीं देता है। जन्म नहीं देता है, यह गलत है, गलत तर्जुमा हुआ है। सबको जन्म देनेवाला तो वह ही है। उसकी बराबरीका कोई नही है—वह तो अकेला है। इसीलिए हम कहते है कि वह निरजन है, निराकार है। गुणका भी आगार है—गुणकी थाहको बता नही सकते। ऐसी चीज उसमें है।

आज मेरे पास चार-पांच खत आ चुके है। एक तो काठियावाड़से है। मैने कहा था कि काठियावाड़से मुसलमान भाइयोने लिखा, लेकिन चद मुसलमानोको वह भी चुभा है। क्यों, मै जानता नही हू; क्योंकि जिन लोगोने शिकायत की थी वे खुद लिखते है कि कुछ हुआ नही है और जो हुआ भी तो उसे मिटानेके लिए काग्रेसियोने पूरा जोर लगाया, इसलिए हम आरामसे घरमे है।

एक खत ब्रह्म देशसे आया है और दूसरा शायद बंबईसे। उनमें किसीके दस्तखत तो है नही, तो जवाब किसको दू ? बबईसे लिखते हैं कि तुम्हे कुछ करना तो है नही। वह कहते है कि आप गोलमाल करते है। मै यहा गोलमाल करता हू या क्या करता हू, वह तो जो सुनते है वे जानते है, और मै जानता हूं। जो भाई खतमे नाम नही देते है तो किसको कहूं ? वह कहते है कि काठियावाड़मे हुआ है, तो पीछे उस खतमे अपना नाम-धाम तो देना चाहिए, तब मैं तहकीकात करूं। तहकीकात करना मेरे हाथमें तो है नही। हकूमतको कहूगा कि तहकीकात करो। यह कैसी बात है कि आप बैठे है और लोग शिकायत करते है।

एक खत अजमेरके बारेमें भी है। वह हिदुओका खत है। उसमे लिखा है कि जो तुमने कहा वैसा नही हुआ है। हुआ है सही; लेकिन हिंदुओंकी तरफसे शुरू नही हुआ, मुसलमानोंकी तरफसे शुरू हुआ। ऐसे तो चलता ही आया है। तो मुझको ऐसा लगा कि ऐसे कहनेवाला पक्ष भी है। ईश्वर ही जानता है कि क्या सही है। मेरे पास तो वहांसे कोई चीज आई नहीं है। अखबारमें जो चीज आई उसको पढ़कर मैंने बताया। कुछ दूसरोंने भी

---

[1] देनेवाला।

कहा कि वहां क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर हम ऐसा करते रहें तो यहांकी हकूमतको कायम नही रख सकेंगे।

पीछे एक भाई लिखते हैं कि सोमनाथके मंदिरके जीर्णोद्धारके लिए पैसे निकालने हैं। सरदारने कहा कि इस मदिरका जीर्णोद्धार किया जाय, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जूनागढ़की तिजोरी या यहांकी हकूमतकी तिजोरीसे पैसा नही निकलेगा। मैं कहता हूं कि यह ठीक है; लेकिन वह कहते हैं कि क्यों न निकले, मैं इसके बारेमें ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना तो कहूंगा कि अगर इसके वास्ते पैसे निकले तो सबके लिए निकलें। तो यह बड़ी बात हो जायगी।

कलकत्तेमें जो हुल्लड़ हो गया उसकी काफी चीजें अखबारोंमें आ गई हैं। उस परसे लगा कि आज हमारे यहां एक वायुमडल पैदा हो गया है कि किसी-न-किसी तरहसे हम हुल्लड़से ले सकते हैं। यह खतरनाक बात है। मैंने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं। ३० वर्षतक अंग्रेजोंसे लड़ाई चली; लेकिन यह ठंडी ताकतकी लड़ाई थी। किसीसे मारपीट करनेकी लड़ाई नहीं थी—किसीके पाससे जबरन[1] छीननेकी नहीं थी। बंगालमें जो हकूमत है वह हमारी है, उसमे कांग्रेसके आदमी हैं। उनके साथ ऐसा क्या करना था! मानो कि गलती की, मैं तो जानता नही हूं कि क्या गलती की, लेकिन मानो कि की है, तो जबरदस्ती क्या करनी थी! हम वहशियाना तौरसे क्यों पेश आएं? अखबारोंमे जब ऐसी चीज आती है और मैं उसे पढ़ता हूं कि इस तरहसे हुआ तो मैं आपके सामने निचोड रखता हूं। वहांके हुल्लडमे विद्यार्थीगण भी हैं। वे अच्छे लिखे-पढ़े हैं, तो उनका यह मार्ग तो हो नही सकता है कि असेबलीमें उसके जो सदस्य जाना चाहते हैं उनको रोकें और हर एक जगहसे सब दरवाजे रोक दें, इतना ही नही, भीतर भी चले जायं। लेकिन उन लोगोंने ऐसा किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि इस तरहसे हम हकूमत चलानेवाले नहीं हैं। इस तरहसे मजबूर करना है कि जो हम नही चाहते हैं, उसको कानून न बनाओ। बंगालकी हकूमतने जो कानून बनाया है उसमें यही है कि जो तूफान वगैरा करते

---

[1] जबरदस्ती।

हैं, उनको रोका जाय। मानो कि यह भद्दा कानून है, तो जब हमारी हकूमत है तब उसका बाकानून इलाज कर सकते हैं, तूफान नही कर सकते है। तूफान क्या करना था ! हम अग्रेजोंके विरुद्ध भी ऐसा नही करते थे और जब कोई ऐसा करता था तब मै डाटता था । हम शरीफ-जैसे काम करते थे—मैं तो उपवास भी कर लेता था।

आज जो हमारी हकूमत है उसके सामने बहुतसे काम पडे है। इस कामके लिए सब काम रोकना, पीछे सिपाही जाते हैं, डडा चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना, गोली चलाते हैं तो उसकी शिकायत करना, अश्रुगैस चलाते है तो उसकी शिकायत करना—दोनों चीजे हो नही सकती। आजादीका यह अर्थ हो नही सकता कि तूफान करें और अगर उनपर डडा चलाया जाय तो शिकायत करे। तो क्या हकूमत ऐसे लोगोंको सजा भी न दे? इसलिए इसकी शिकायत करना ठीक नही। हां, बाकानून करो और जितना कर सको करो। लोगोको समझाओ, अखबारोमें लिखो, यहा-की पार्लमेंटमें शिकायत करो, वहा न हो तो यहाकी मरकजी[1] हकूमतको कहो। हमारे पास ऐसे सब सामान है। उसे निकम्मा नही कह सकते। तीन महीनोंमें उसे क्या कह सकते है? हम तीन महीनेके बालक है, तीन महीनेकी आजादी है। इसलिए हम सपूर्ण हो गए, ऐसा मै नही कह सकता हू। इसलिए जो गोलमाल कर रहे हैं उनसे नम्रतासे कहूगा कि वे ऐसा न करें।

गोलमाल करनेवालोंमें गुडे पड़े है, ऐसा नही है, या अनपढ पडे है, ऐसा नही है। उसमे पढ़े-लिखे है। वे अगर ऐसा करे तो सब काम रुक जायगा। जो काम हम करना चाहते हैं वह रुक जायगा। लोगोंको खुराक पहुचाना है, लोगोंको हर तरहकी मदद देनी है यह सब काम रुक जायगा। सब काम रोक देना क्या हमारा पेशा बन गया है? ऐसा होना नहीं चाहिए। ईश्वरका शुक्र है कि कलकत्तेके जितने आदमी है उन सबने यह काम नही किया, लेकिन अगर सब-के-सब भी करे तो भी यह शराफतकी चीज हो नही सकती। मुझको लगा कि ऐसी चीज रोकी जानी चाहिए तो

---

[1] केंद्रीय।

मैंने कह दिया। लोगोंको समझना चाहिए कि हुकूमत हमारी है। अगर हुकूमतसे इमदाद नही मिलती है तो कानूनके मुताबिक लड़ना चाहिए।

: १७७ :

१३ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

जब मैं हरिजन-निवास जाता था तब वहाकी बातोंके बारेमे रोज थोड़ा-थोड़ा आपको बताना चाहता था। पर मैं ऐसा कर न सका। आज आपको फिरसे चरखेकी बात सुनाना चाहता हू। वहांपर यह संवाद चला था—चरखेका क्या महत्व है? मैं क्यों उसपर इतना जोर देता हूं?

जब मैंने पहले-पहल चरखेकी बात शुरू की थी तब मुझे यह पता नही था कि पजाबमें चरखेका काफी प्रचार था। लेकिन जब मैं गया, तो वहांकी बहनोंने मेरे सामने सूतके ढेर लगा दिए थे। बादमें पता चला कि गुजरात-काठियावाड़में भी एकाध जगह चरखा चलता था। गायकवाडकी रियासतोंमे बीजापुर नामक एक गाव है। वहा गगा बहन भटकती हुई जा पहुची थीं। इन्हे पता था कि मैं चरखेके पीछे दीवाना हूं। वहा परदेवाली चंद राजपूत औरतें चरखा चलाती थीं। गगा बहनने उन्हें पूनी देकर उनसे सूत खरीदना शुरू किया। उस समय बहुत कम दाम दिए जाते थे। बादमें तो हमने काफी प्रगति कर ली। उस समय हमें इतनी ही कल्पना थी कि खादीके जरिये हम बहनोंका पेट भर सकेंगे। उनका पेट कहां बडा होता है? दो पैसेकी जगह तीन पैसे मिल गए कि वे खुश हो जाती थीं।

बादमें मैंने समझ लिया कि चरखेमें तो बड़ी ताकत भरी है। वह ताकत अहिंसाकी ताकत है। एक तरफ तो हिंसाकी, मिलिटरीकी ताकत और दूसरी तरफ बहनोंके पवित्र हाथोंसे चरखा चलानेसे पैदा

होनेवाली अहिंसाकी जबरदस्त ताकत ! इसीलिए मैंने चरखेको अहिंसा-का प्रतीक कहा है । अगर सब लोग इस चीजको समझते तो चरखेको जला न देते ।

एक समय सारी दुनियामें चरखा चलता था । कपासका जितना कपडा बनता था सब हाथका बनता था । हिंदुस्तानमें ढाकाकी मलमल और शबनम सब जगह प्रसिद्ध हो गई थी । सबकी आंखे उनपर लग गई थी । कपासमेंसे इतना खूबसूरत कपडा पैदा हो सकता है, इसपर सबको ताज्जुब होता था । उस रोचक इतिहासको मैं छोड़ देता हूँ । मगर उस वक्त चरखा गुलामीका प्रतीक था । बहनोंको मजबूर किया जाता था कि इतना सूत तो देना ही होगा और अपने मालिकोंसे वे यह नही कह सकती थी कि इतने कम दामपर हम सूत नही कातेगी । तंगीसे पेट भर जाय, इतना दाम भी तो उन्हें नही मिलता था । औरतोको लूटा जाता था । उस करुण इतिहासको भी मैं छोड़ देता हू । मगर जो चरखा गुलामीका प्रतीक था, वही आजादीका प्रतीक बना, हिंसाके जोरसे नही, बल्कि अहिंसाके जोरसे । अली भाई चरखेकी कुकडीको अहिंसक बम कहा करते थे । अपने हाथोंसे सूत कातना, कपड़ा रुपया बचाना और चरखेमेंसे ताकत पैदा करना—यही चरखेका बनाना, रहस्य है ।

१९१७ मे चरखा शुरू हुआ । १९१७ में मेरा पजाबका दौरा हुआ । आजादी तो हमने ले ली, पर जो आधी और तूफान आज देशमें चल रहा है, उसका क्या ? हमने चरखा चलाया, पर उसे अपनाया नही । बहनोंने मुझपर मेहरबानी करके चरखा चलाया । मुझे वह मेहरबानी नहीं चाहिए । अगर वे समझ लेती कि उसमे क्या ताकत भरी है तो आज जो हालत है वह होनेवाली नहीं थी । अगर हमें अहिसक शक्ति बढ़ानी है, तो फिरसे चरखेको अपनाना होगा और उसका पूरा अर्थ समझना होगा । तब तो हम तिरंगे झडेका गीत गा सकेंगे । आज हमारे तिरंगे झंडेमें चरखेका चक्र ही रह गया है । उसमें दूसरा अर्थ भी भर दिया गया है । वह अच्छा है । मगर पहले जब तिरंगा झंडा बना था, तब उसका अर्थ यही था कि हिंदुस्तानकी सब जातिया मिल-जुलकर काम करें और चरखेके द्वारा

अहिंसक शक्तिका संगठन करें। आज भी उस चरखेमें अपार शक्ति भरी है। अंग्रेज चले गए हैं, मगर हमारा लश्करका खर्च बढ़ गया है, यह शर्मकी बात है। इतने साल अहिंसासे काम लिया, अब हमारी आंखें लश्करपर लगी हैं। क्योंकि हम चरखेको भूल गए हैं, इसीलिए हम आपसमें लडते हैं। अगर सब भाई-बहन दुबारा चरखेकी सच्ची ताकतको समझकर उसे अपनावें तो बहुत काम बन जाय। जब मै पंजाब गया था, तब वहाके सिख और मुसलमान भाइयोंने मुझसे कहा था— 'चरखा चलाना तो औरतोंका काम है। मर्दोंके हाथमे तो तलवार रहती है।' बादमे कुछ पुरुषोंने चरखा चलाया था, मगर उसे अपनाया नही। आज अगर सब भाई-बहन चरखेको जला दें, खादीको फेंक दें, तो मुझे उसकी परवा नहीं। लेकिन अगर उसे रखना है तो समझ-बूझकर रखे। अहिंसा बहादुरीकी पराकाष्ठा, आखिरी सीमा है। अगर हमें यह बहादुरी बताना हो, तो समझ-बूझसे, बुद्धिसे चरखेको अपनाना होगा। ४० करोड़की आबादीमेसे छोटे बच्चोंको छोड़ दीजिए, फिर भी, अगर ५–७ बरससे ऊपरके बच्चे और बड़ी उमरके सब तदुरुस्त लोग काते, तो हिंदुस्तानमे कपड़ेकी कमी कभी नहीं हो सकती और करोड़ो रुपये बच जाते है। मगर वह सब भूल जाइए। सबसे बडी चीज यह है कि करोड़ोके एक साथ काम करनेसे जो शक्ति पैदा होती है उसका सामना कोई शस्त्र-बल नही कर सकता। मै यह सिद्ध न कर सकू तो दोष मेरा है, अहिंसाका नहीं। मेरी तपश्चर्या अधूरी है, अहिंसाकी शक्तिमें कभी कमी नहीं आ सकती। उस शक्तिका प्रदर्शन चरखे द्वारा हो सकता है, क्योंकि चरखा करोड़ोंके हाथोंमें रखा जा सकता है और उससे किसीको नुकसान नही हो सकता। करोड़ों आदमी मिल नही चला सकते, दूसरा कोई धंधा नही कर सकते। चरखेमें नीतिशास्त्र भरा है, अर्थशास्त्र भरा है और अहिंसा भरी है।

: १७८ :

१४ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मुझे एक ख़त मिला है। उसमें एक भाई लिखते है कि 'एक मुसलमान भाईको मजबूर होकर पाकिस्तान जाना पड़ा है। वह अपनी मेहनतकी कमाईका कुछ सोना-चादी मेरे पास छोड़ गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सोना-चांदी असली मालिकके पास कैसे भेजा जाय ?' अगर वह लिख भेजें तो मैं हकूमतसे कहूंगा कि वह मालिकके पास उसकी मिल्कियत भेजनेका इतजाम कर दे। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि हम जान ले कि हममें अब भी ऐसे शरीफ आदमी पड़े हैं। इस भाईके दिलमें ख्याल भी नहीं आया कि चलो, दोस्त तो गया, उसका माल हड़प कर जायं। उसे अमानतको लौटानेकी फिक्र है। अगर हम सब भले बन जाय तो सब अच्छा ही होनेवाला है।

मैंने आपसे वायदा किया था कि हरिजन-निवासमें जब मैं जाता था तब वहां जो चर्चा होती थी, उसके बारेमें आपको थोड़ा-सा बता दूगा। आज मैं आपको नई तालीमके बारेमे कुछ कहना चाहता हूं। नई तालीमको शुरू हुए आठ साल हुए हैं। इस संस्थाका उद्देश्य राष्ट्रको नए आधारपर शिक्षा देना है। उसके लिए यह कोई लंबा समय नहीं है। बुनियादी तालीमका आमतौरपर यह अर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जरिये शिक्षा देना। मगर यह कुछ अशतक ही ठीक है। नई तालीमकी जड़ इससे गहरी जाती है। उसका आधार है सत्य और अहिंसा। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, दोनोंमें ये ही उसके आधार हैं। विद्या वह जो मुक्ति दिलानेवाली हो—'सा विद्या या विमुक्तये'। झूठ और हिसा तो बधनकारक है। उनका शिक्षामे कोई स्थान नहीं हो सकता। कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि बच्चोंको असत्य और हिसाकी शिक्षा दो। सच्ची शिक्षा हर एकको सुलभ होनी चाहिए। वह चंद लाख शहरियोंके लिए ही नही, मगर करोड़ों देहातियोंके लिए उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा कोरी पोथियोंसे थोड़े मिल सकती है ! उसका

फिरकेवाराना मजहबसे भी कोई ताल्लुक नहीं हो सकता । वह तो धर्मके उन विश्वव्यापी सिद्धातोंकी शिक्षा देती हैं, जिनमेंसे सब संप्रदायोंके धर्म निकले हैं। यह शिक्षा तो जीवनकी किताबमेसे मिलती है। उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता और उसे ताकतके जोरसे कोई छीन नही सकता। आप पूछ सकते है कि बुनियादी तालीमका काम करनेवाले भाई क्या ऐसे सत्य और अहिंसामय बन चुके हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि मैं ऐसा नही कह सकता। मैं यह थोड़े ही बता सकता हूं कि किसके दिलमें क्या है। हिंदुस्तानी तालीमी सघके अध्यक्ष डॉ० जाकिरहुसैन हैं। श्री-आर्यनायकम् और आशादेवी उसके मत्री हैं। उन्होंने यह कभी नही कहा कि वे सत्य और अहिंसामें विश्वास नही रखते। अगर उनका सत्य और अहिंसामें विश्वास न हो तो उनका तालीमी सघसे हट जाना ही मुनासिब होगा। नई तालीमके शिक्षक सत्य और अहिंसाको पूरी तरह माननेवाले हों, तभी वे सफलता पा सकेंगे। तब वे कठोर-से-कठोर व्यक्तियोंको चुबकके मानिंद खीच सकेंगे। उनमें वे सब गुण होने चाहिएं, जो स्थित-प्रज्ञके बताए गए है, और जो आप रोज प्रार्थनाके संस्कृत श्लोकोंमे सुनते है। तालीमी सघको कांग्रेसने जन्म दिया, मगर अभी वह कांग्रेस-जैसा कहा बना है ? कांग्रेसमेसे मैं निकल गया, सरदार भी निकल जायं, जवाहरलाल भी चले जाय, जितने वहां आज काम करते है, वे सब मर जाय, तो भी कांग्रेस थोडे ही मरनेवाली है ? वह तो जिदा ही रहनेवाली है। मगर तालीमी संघके बारेमें आज ऐसा नही कह सकते। उसे ऐसा बनना है। हर संस्थाको ऐसा बनना चाहिए कि व्यक्ति निकल जायं, तो भी उसका काम बद न हो, बल्कि बराबर बढ़ता और फैलता जाय।

: १७६ :

मौनवार, १५ दिसबर १९४७

(लिखित सदेश)

भाइयो और बहनो,

अखबारोंमे पढकर मुझे दु:ख हुआ कि शरणार्थियोंने ६ म्यूनिस्पल स्कूलोंके मकानोंपर कब्जा कर लिया है और दिल्ली म्यूनिस्पल कमेटीकी पूरी कोशिशोंके बावजूद उन्हे खाली नही किया। कमेटी इन मकानोंको खाली करवानेके लिए पुलिसकी मदद लेने जा रही है।

यह रिपोर्ट विश्वासके लायक लगती है। यह किस्सा शर्मनाक अधाधुधीका एक नमूना है। यूनियनकी राजधानीमें ऐसी चीजे हरएकके लिए शर्मका कारण हैं। मै आशा करता हू कि कब्जा करनेवाले अपनी बेवकूफीके लिए पछताएगे और अपने आप स्कूलोंके मकान खाली कर देगे। अगर ऐसा न हुआ तो आशा है, उनके दोस्त उनको समझा सकेंगे और सरकारको अपनी धमकीपर अमल नहीं करना पडेगा। शरणार्थियोंके सामने यह आम शिकायत है कि इतना दु:ख सहन करनेके बाद भी वे समझदार, गंभोर और मेहनती कार्यकर्ता नहीं बने। हम सब आशा करते है कि आम तौरपर सब शरणार्थी और खास तौरपर यह स्कूलोंका कब्जा लेनेवाले भाई प्रायश्चित्त करके इस शिकायतको गलत साबित कर देगे।

शनिवारको मैंने कलकत्तेकी दगा-खोरीका जिक्र किया था। वहां शरारत करनेवाले शरणार्थी नही थे। उसकी भूमिका भी अलग थी। सब नेताओंका, चाहे वे किसी भी खयालों या पार्टीके क्यों न हों, यह फर्ज है कि वे हिदुस्तानकी इज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करें। अगर हिंदुस्तानमें अधाधुधी और रिश्वतखोरीका राज चले तो हिदुस्तानकी इज्जत बच नहीं सकती। मैने रिश्वतखोरीका यहा जिक्र इसलिए किया है, क्योकि अराजकता और रिश्वतखोरी दोनों एक ही कुटुंबके है। कई विश्वासपात्र जरियोंसे मुझे पता लगा है कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है। तो क्या हरएक अपना ही खयाल करेगा और हिंदुस्तानकी भलाई कोई नहीं सोचेगा?

एक भाई लिखते हैं: "मैंने अभी आपकी कलकी प्रार्थनाका भाषण

रेडियोपर सुना। उसमें आपने कहा है कि यू० पी० के कुछ मुसलमान भाइयोंने जो लाहौर जाकर आए हैं, पाकिस्तानकी हुकूमतकी तरफसे आपको विश्वास दिलाया है कि गैर-मुस्लिम, खास करके हिंदू, वहां जाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदुओंको ही बुलाना और सिखोंको नहीं, यह चालाकी है, और सिखों और हिंदुओंमें फूट डलवानेकी चाल है। इस तरहके आश्वासन धोखाबाजी है, मजाक है। शायद आप-जैसे ही ऐसे मुसलमानोंकी बातोंमें आ सकते हैं। मैं आपको ११ दिसंबरके 'हिंदुस्तान टाइम्स'की एक कतरन भेजता हूं। उससे आपको पाकिस्तान सरकारकी सचाई और साफदिलीका पता चल जायगा। यह पढ़कर भी क्या आप यह मानते है कि जो मुसलमान आपके पास आते हैं वे ईमानदार है? वे सिर्फ इतना ही बताना चाहते है कि पाकिस्तान सरकार अल्पमतवालोंके प्रति न्याय करती है और पाकिस्तानमे सब ठीक-ठाक चल रहा है, अगरचे वाकयात[1] इससे उल्टे हैं। अगर वे मुसलमान दुबारा आपके पास आवे तो कृपा करके उन्हें यह कतरन दिखाइएगा। मैं विश्वास रखता हूं कि आप भूले नही होंगे कि २० नवबरको जो हिंदू और सिख अपनी कीमती चीजें बैंकसे निकलवाने लाहौर गए थे, उनका क्या हाल हुआ था। हिंदुस्तानी मिलिटरीपर, जिसकी रक्षामें ये लोग गए थे, मुसलमानोंने हमला किया। पाकिस्तानी अफसरोंके सामने यह वाकया बना। मगर उन्होंने दगाखोरोंको रोकनेकी कोई कोशिश नहीं की।" कतरनमे लिखा है :

"लाहौर 'सिविल और मिलिट्री गजट' अखबारमें हालहीमें एक रिपोर्ट छपी थी कि गैर-मुस्लिम व्यापारी और दुकानदार 'जो दगेके दिनोंमे भाग गए थे, धीरे-धीरे महीनोका बंद पड़ा अपना कारोबार फिरसे चलानेकी आशासे वापिस आ रहे हैं। मगर उनकी दुकानें वगैरा वापिस करनेसे पहले उनसे ऐसी नामुमकिन शर्तोंपर दस्तखत कराए जाते हैं कि कई निराश होकर वापिस चले गए हैं। फिर बसानेवाला कमिश्नर इन शर्तोंपर दुकानें खोल देता है :

---

[1] घटनाएं।

१—बिक्रीका पूरा हिसाब रखा जाय ।

२—बिना इजाजत मालिक कुछ भी माल या रुपया दूसरी जगह न ले जाय ।

३—अपनी दुकानका चालू धंधा रखनेका वचन दे ।

४—बिक्रीसे जितनी कमाई हो रोज-की-रोज बैंकमें जमा की जाय, बिना इजाजत उसमेंसे कुछ भी निकाला न जाय ।

५—दुकानदार कायमी तौरपर लाहौरमें ही रहेंगे ।

मुसलमानोंपर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो हिंदुओंपर क्यों ? हिंदू कहते हैं कि इन शर्तोंका वे पालन न कर सकेंगे। सो निराश होकर वापिस जाते हैं ।"

तो निराशाकी बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं । यह खबर सही हो तो भी जरूरी नहीं कि उन मुसलमान भाइयोंने मुझे जो कहा वह सर्वथा रद्द हो जाता है । उन्हें न सिर्फ अपना नाम रखना है, मगर यूनियनमें, जिनके वे नुमायदे हैं, उनका और पाकिस्तानका, जिन्होंने उन्हें वह सब आश्वासन दिया उनका नाम भी उन्हें रखना है । मैं यह भी कह दूं कि वे भाई मुझे मिलते रहते हैं । आज भी आए थे । मगर मेरा मौन था और मैं अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, इसलिए उनसे मिल न सका। उन्होंने मुझे संदेशा भेजा है कि वे निकम्मे नहीं बैठे हैं । इस मिशन-का काम कर रहे हैं । पत्र लिखनेवाले भाईको मेरी सलाह है कि जरूरतसे ज्यादा शक न करें और बहुत ज्यादा नाजुक बदन न बनें । विश्वास रखनेसे वे कुछ खोनेवाले नहीं हैं । अविश्वास आदमीको खा जाता है । वे संभलकर चलें । मेरी तरफसे तो इतना ही है कि मैंने जो किया है उसका मुझे अफसोस नहीं । मैंने तो सारी जिंदगी खुली आंखोंसे विश्वास किया है । मैं इन मुसलमान भाइयोंका भी विश्वास करूंगा जबतक कि यह साबित नहीं हो जाता कि वे झूठे हैं । विश्वासमेंसे विश्वास निकलता है । उससे दगाबाजी-का सामना करनेकी ताकत मिलती है । अगर दोनों तरफ लोगोंको अपने घरोंको वापिस जाना है तो उसका रास्ता यही है जो मैंने अख्तयार किया है और जिसपर मैं चल रहा हूं । पत्र लिखनेवाले भाईकी शंका कि यह निमंत्रण हिंदुओं और सिखोंमें फूट डलवानेकी चाल है, ठीक नहीं ।

मैंने मुसलमान भाइयोंसे कहा भी था कि उनकी बातका ऐसा खतरनाक अर्थ भी निकल सकता है। उन्होंने जोरोंसे इन्कार किया कि ऐसा कुछ मतलब उसमें है ही नही। वापिस जानेवालोंके लिए रास्ता साफ करनेमें मैं कोई बुराई नही देखता। इस बातसे इन्कार नही हो सकता कि पाकिस्तानमें सिखोंके सामने जहर ज्यादा है, मगर इसमें भी शक नहीं कि हिंदुओ और सिखोंको साथ तैरना है या डूबना है। उनके मनमें कोई बुरे इरादे नही होने चाहिए। साजिशबाजोंके[1] बीच ईमानदारीका भाई-चारा नहीं हो सकता।

पूर्वी पाकिस्तानसे एक भाई लिखते हैं: "हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो जानेके बाद भी आप अपने आपको एक हिंदुस्तानका बाशिंदा कैसे कहते है? आज तो जो एक हिस्सेका है, वह दूसरेका हो नही सकता।" कानूनके पंडित कुछ भी कहे, वे मनुष्योंके मनपर राज नही कर सकते। इस मित्रको भी यह कहनेसे कौन रोक सकता था कि वह सारी दुनियाका बाशिंदा है। कानूनकी दृष्टिसे ऐसा नही है और हरएक मुल्कके कानूनके मुताबिक कई मुल्कोंमें उसे कोई घुसने भी नही देगा। जो आदमी मशीन नही बन गया, जैसे कि हममेंसे कई लोग नही बने, उन्हे कानूनन हमारी क्या हस्ती है उसकी फिक्र क्या? जबतक नैतिक दृष्टिसे हम सही रास्तेपर हैं हमें फिक्र करनेकी जरूरत नही। हम सबको जिस चीजसे बचना है वह तो यह है कि हम किसी मुल्कके प्रति या किसी मुल्कके लोगोंके प्रति वैर-भाव न रखे। मिसालके तौरपर मुसलमानोंके प्रति या पाकिस्तानके प्रति वैर-भाव रखकर कोई भी पाकिस्तानका और यूनियनका बाशिंदा होनेका दावा नही कर सकता। अगर ऐसा वैर-भाव आम तौरपर फैल जाय तो दोनोंमें लड़ाई ही होनेवाली है। हरएक मुल्क ऐसे बाशिंदोंको, जो मुल्ककी तरफ दुश्मनी रखता है और दुश्मन-मुल्ककी मदद करता है, दगाबाज और बेवफा करार देगा। वफादारीके हिस्से या टुकड़े नही किए जा सकते।

---

[1] षड्यंत्रकारियों।

: १८० :

१६ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

ऐसा कहा जाता है और कुछ अशमें ठीक भी है कि जो खाने और पहननेकी वस्तुओंपर अकुश रखा है वह कुछ तो चला गया है और कुछ और चला जायगा। लेकिन जा रहा है इसमें तो कुछ शक नही है और उसका परिणाम भी मेरे सामने है, जो बृजकिशनजीने रख दिया है। मैंने सोचा कि अच्छा है वह भी मै आपको बता दूगा। अभी गुडका भाव एक रुपये सेर था और अब अकुश हटनेके बाद वही गुड़ आधे रुपयेमे मिलता है। यह तो एक बड़ी बात हुई। इससे भी कम दाम होना चाहिए। मुझको तो पता नही कि वह क्यों कम नही होना चाहिए। मै जब जवान था तब तो गुडका इतना दाम क्या होनेवाला था! एक सेर गुड़ ले लिया तो बस उसका एक आना दे दिया और शायद उससे भी कम। इसलिए आशा तो ऐसी ही है कि वह कम होता जायगा। हां, मुफ्त तो वह मिलेगा नही, लेकिन हमे जो पुराने ढग थे, उनपर पहुचना चाहिए, अगर पहुंच सकते है तो। शक्करका भाव भी जो ३२ रुपए मन था वह २० रुपए हो गया। बडा अच्छा लगता है कि इतना भाव उतर गया। मूग, उड़द और अरहरकी दाल है वह एक रुपयेकी डेढ़ सेर हो गई है। कितना बड़ा फर्क हो गया? इसी तरहसे चनेका हाल है। मेरी नजरमे तो चना भी एक प्रकारकी दाल ही है। लेकिन उसका इस प्रदेशमे बहुत उपयोग होता है, इसलिए उसे अलग रखा है। वह २४ रुपए मन था उसके अब १८ रुपए हो गए है। और गेहू चोर-बाजारमे ३४ रुपए मन था वह अब २४ रुपए हो गया हैं। इस तरहसे यह सब है। मुझको तो पहले सब डरा रहे थे कि तुम कहते तो हो, लेकिन तुमको पता नही कि बाजार कैसे चलता है और किस तरहसे भाव चढ़ते-गिरते हैं। तुमको अर्थ-शास्त्रका पता ही नही। बस महात्मा हो, इसलिए कह रहे हो। उसका नतीजा तुम्हें तो उठाना नही पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग मर जायंगे। मगर जो परिणाम मैं देख रहा हूं उससे गरीबोंको मरना नहीं, बल्कि तरना है। इसलिए

मैं तो यह कहूंगा कि मक्का और बाजरा वगैरापर जो अंकुश है उनपरसे भी वह हट जाना चाहिए; क्योंकि बाजरा खानेवाले बाजरा ही खाते थे, गेहूं उनको हज्म भी नही होता। इसी तरहसे मक्का खानेवाले भी बहुत हैं। उनको पसंद भी वही आएगा। इसलिए अंकुश जारी रखनेकी कोई वजह मुझको तो लगती नहीं है। डा० राजेंद्रप्रसादने भी तो यही कहा था कि सब अंकुश आहिस्ता-आहिस्ता हटा देंगे। कुछ तो हट गए हैं और दूसरे भी जो हैं वे भी हट ही जायंगे। उसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने आ गया है। यही दियासलाईका हाल है। अभी तो उसपर बहुत दाम देना पड़ता है। चोरबाजारमें तो क्या, खुले बाजारमें, उसको चोरबाजार कहें भी कैसे, लेकिन होता है, और इसलिए लोगोंको बहुत दाम देने पड़ते हैं। उसपरसे भी अगर अंकुश निकल गया तो बड़ा अच्छा परिणाम हो सकता है, मुझको तो इसमें कुछ शक नहीं है। दियासलाईपरसे कंट्रोलको जाना ही है और उसका दाम भी गिरना ही है। दियासलाईका इतना दाम तो पहले कभी भी नही था। मेरे जमानेमें तो उसकी कुछ गिनती ही नही थी। आज तो एक दियासलाईकी पेटी कोई एक आनेमें देगा, लेकिन तब एक आनेमे १२ पेटी मिलती थीं। ऐसा भी एक जमाना था और आज ऐसा जमाना हो गया है! आज तो सब चीजोंके दाम बढ़ गए हैं। अगर लोगोंका दरमाहा बढ़े तब तो वह अच्छा लगता है, लेकिन चीजके दाम बढ़ते हुए देखकर मुझको कभी अच्छा नही लगनेवाला है। अगर दाम कुछ बढ़ना है तो वह मेहनत करनेवालेके घरमे चला जाए, लेकिन उनके घरमें जाए तब भी इतना दाम नहीं बढ़ सकता है। इतना दाम तो तब बढ़ता है जब तिजारत करनेवाले लोग पाजी बन जाए, उनकी नीयत बिगड़ जाए और वह सब पैसा उनकी जेबोंमें जायगा। हम आजादी पाकर तो बैठ गए और हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति भी आई, लेकिन हम शुद्ध काम करन नही सीखे। हमारे जो ताजिर लोग है वे अगर शुद्ध कौड़ी कमाए तो मुझ तो जरा भी शक नही है और जिनको शक है उनको भी यह नहीं है अंकुश हटा दें तो चीजोंके दाम बढ़ जायगे। वे कहते है कि दाम बढ़ जा क्योंकि हम लोग पाजी और दगाबाज हैं। ताजिर शुद्ध कौड़ीका व नहीं करते और जो किसान वगैरा हैं, या जो पैदा करनेवाले हैं, वे भी

पेट भरना जानते हैं और प्रजाकी कोई खबर ही नही लेते। तब मैं कैसे यह मानूं कि हमारे यहां लोकराज्य है ? मुझको तो यह मानते हुए शर्म आती है। लोकराज्य या पचायत राज्यमें यह कैसे हो सकता है ? उसमें तो हकूमत-का यह पूरा-पूरा धर्म हो जाता है कि वह लोगोंपर एतबार करे। वह साफ-साफ कह दे कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हम करते है, लेकिन उससे अगर कोई तकलीफ होती है तो हम जिम्मेदार नही होनेवाले हैं। यह ठीक है कि हमारे यहां सिविल सर्विस पड़ी है, लेकिन हम लोग जितने यहां पड़े हैं, सब-के-सब अपनेको सिपाही समझे और लोगोंकी सेवा करे। अगर हम जिंदा रहते है तो भी लोगोके लिए ऐसा हम लोग सोच लें तो मुझको कोई शक नहीं है कि दाम नही बढ सकते और आज लोगोमें जो एक किस्मका पाजीपन या दगाबाजी आ गई है वह भी मिट जायगी और हम सरल होकर सीधा-सादा काम करने लगेंगे। लेकिन आज तो सब इसी तरहसे होता है और मेरे पास तो जगह-जगहसे तार वगैरा आते हैं। मैंने सुना है कि बबईमें तो इस बारेमें कुछ गोलमाल भी चल रहा है। क्या है, इसका मुझको कुछ पता नही। लेकिन यह सब होना ही नही चाहिए। मगर अबतक जो शुभ काम हो गया है इसके लिए तो लोगोंको हर प्रकारसे बधाई ही देनी चाहिए। इससे हकूमतको भी उत्साह मिल जाता है। यह तो एक बात हुई।

दूसरी बात यह है कि मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं कि अभी यह कहाकी बात है कि सिविल सर्विसपर इतना खर्च कर रहे हो। एकाएक तो हटा भी कैसे सकते हैं और हटाए तो काम कैसे चल सकता है। उनमेंसे काफी तो चले भी गए और जो जा रहे हैं उनसे काफी ज्यादा काम ले रहे हैं। हमारे जो सरदार हैं उनके मातहत ये लोग हैं। वे तो उनको धन्य-वाद देते है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। थोड़े हैं तो भी वे कामको पहुच जाते हैं। इस धन्यवादके लायक हैं तो वह उनको मिले। उनको दरमाहा भी तो काफी मिल जाता है। लेकिन सच्ची सिविल सर्विस तो हम हैं। हकूमतको चाहिए कि सच्ची सिविल सर्विस हमको बना दे और जितना एतबार वह सिविल सर्विसपर रखें उतना हमपर रखें। यह हो सकता है कि अगर सिविल सर्विसवाले दगा दें तो वे सजाके योग्य होते हैं और उनको सजा हो जाती है। इसी तरहसे वह हमको भी सजा दे। किसीको

बुला लें और कहें कि तुम्हें इतना काम करना है। क्या पाजीपन और धोखाबाजी करनेवालेको सजा देनेका कोई कानून नहीं है? अगर नहीं भी है तो मैं कहूंगा कि वे बना ले। जिस तरहसे वे सिविल सर्विसको जिम्मेदार समझते है उसी तरह सारी प्रजाको जिम्मेदार समझें। सारी प्रजाका ही यह राज्य चलता है।

मुझको यह क्यों कहना पड़ता है? इसलिए कि अभी जो एक नई बात और हो गई है न, कि काग्रेसने यह कह दिया कि मंत्रियोके नीचे पार्लामेंटरी सेक्रेटरी भी होने चाहिए और वे सिविल सर्विसके लोग नहीं, बल्कि बाहर काग्रेससे या जो लोग कांग्रेससे अच्छा संबध रखते है, उनमेंसे पार्लामेंटरी सेक्रेटरी बनाए जाय। मुफ्त तो कोई बनता नहीं है, सबको दरमाहा देनेको चाहिए। आज अगर करोड़ों रुपयेकी हकूमत हमारे हाथमें नही आती तो हम कहासे दरमाहा दे सकते थे और कहासे देते? आज वह अगर हमारे हाथमे आ गई है तो हम डेढ़-दो हजार रुपया दे, मकान दें, यह दे, वह दें और पीछे पार्लमिंटरी सेक्रेटरी बना दें, मुझको तो यह सब चुभता है। चाहे वह पार्लमिंटरी सेक्रेटरी प्रधान मत्रीका हो, गृह-मत्रीका हो या किसीका भी हो। और इसके लिए पार्लामेंट उनको मजबूर करें, पार्लमेंट तो क्या काग्रेस-पार्टी कहो। काग्रेस-पार्टीका तो शब्द भी मुझको अच्छा नहीं लगता है। काग्रेस तो सब लोगोंकी है। हिंदू, मुसलमान और पारसी वगैरा आपस-आपसमें दगा न करे, ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए बड़ा दरमाहा दें तभी क्या हम लोगोंको काम करना है? ऐसा अगर हम करते रहे तो हिंदुस्तान तो एक बिल्कुल निकम्मा देश बन जायगा। हमारी ताकत क्या कल नही थी और आज हो गई है? इससे ज्यादा अज्ञान मै कोई और नहीं समझता। हां, पहले कुछ पैदा तो हम कर ले। जितना १४ अगस्तको पैदा होता था, उससे कितना आगे हमने बढ़ाया, यह हिसाब तो कर लें। पहले हम जो कुछ पैदा करते थे उससे ज्यादा क्या बनाया? क्या हमारे अनाजकी पैदावार बढ़ी, क्या कपड़ा बढ़ा और क्या हमारा उद्योग कुछ बढ़ा? जब लोग सच्चा उद्योग करनेमे लग जाएं, उनकी धन-दौलत बढ़े और वे कहें कि आप क्या पैसा-पैसा करते हो, ले जाओ हमारे पाससे, तब मैं समझूंगा कि हमारा काम बढ़ा है, हिंदुस्तानका नाम आगे बढ़ा है और हमारा दाम भी बढ़ गया

हैं। लेकिन आज तो हमारी पैदावार ७० रुपये फी आदमी प्रति वर्ष है। यह तो कुछ भी चीज नहीं है। जब उसकी आय दुगुनी हो जाय या उससे भी ज्यादा, और देहाती लोग भी यह महसूस करने लगे कि उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, तब आप उनसे ज्यादा पैसे भी मांग सकते हैं। अगर पैदावार तो बढ़े नही और हम खर्च बढाते ही चले जायं तो हमारा हाल क्या होगा? मान लीजिए, एक दुकान है, क्योंकि हिंदुस्तान भी तो एक बड़ी दुकान है, उसका मालिक हमेशा आकर देखता है और अपने मंत्री या कारकुनसे[1] पूछता है कि आज बिक्री कितनी हुई, साहब? अगर वह कहता है कि आज एक हजारकी बिक्री हुई और कल पांच-सौकी हुई थी तब तो वह राजी हो जाता है। जब वह पूछता है कि आज खर्च कितना किया और वह बताए कि एक हजारकी आमदनी और डेढ़ हजारका खर्च, तब तो सेठका मिजाज खराब हो जायगा। उसकी आखे लाल हो जायगी और अपने कारकुनको गालिया भी देगा। खैर, गाली देना तो ठीक नही, लाल आखे करना भी ठीक नही, लेकिन वास्तवमे चीज तो उसकी सच ही है, जब वह कहता है कि हजार रुपयेकी आमद और डेढ हजारका खर्च तो ५०० रुपए मैं कहासे लाऊ और कौन मुझको देगा? आज हमारे हाथमें रुपया पड़ा है, इसलिए हम नाचते हैं। लेकिन वह नही रहनेवाला है। इसलिए मुझको वह चुभता है कि हम क्यों इतना पैसा फेंक रहे हैं। बस आज मै इससे आगे और नही जाना चाहता।

: १८१ :

१७ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाई जो होशियारपुरमें रहते है, शायद वहींके है, नाम वगैरा दिया है, वह सब तो मै नही देना चाहता हूं। काफी प्रश्न भी

---

[1] कर्मचारी।

उन्होंने पूछे हैं, उनको भी मैं छोड़ना चाहता हूं। लेकिन उसमें जो तात्पर्य है वह तो यह है कि पहले पजाब तो एक ही था, उसके कोई टुकड़े थोड़े ही हुए थे ! इसलिए एक आदमी व्यापार किसी जगह करता था और उसकी जमीन और मकान किसी दूसरी जगह होते थे। यह भाई पश्चिमी पंजाबमें तिजारत करता था और मकान उसका पूर्वी पंजाबमें था। वहांसे उसको भागना पड़ा। जैसे हजारों-लाखों लोग भागे, इसी तरह उसको भी भागना पड़ा। उसने सोचा कि पूर्वी पजाबमें चला जाता हू, वहां मेरा मकान है जिसमे जाकर मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन वहां सब जाते है तो क्या देखते है कि उसमे तो कोई अमलदार[1] रहता है। तब उनको अपने ही घरमें रहनेके लिए सिर्फ दो कमरे मिलते है और बाकीके बड़े हिस्सेमे वह अमलदार रहते हैं। मकान कुछ बडा है, ऐसा मुझको लगता है; क्योंकि आजही उनका खत मेरे हाथमें आया है। वे पूछते है कि मुझको मकान मिलना चाहिए कि नही। अगर नही मिलता है तो हकूमतको मुझे मदद देनी चाहिए कि नही, या मुझको कोर्ट-दरबारमें ही जाना चाहिए ? मेरा खयाल है कि वह मकान उसको मिलना ही चाहिए। कोर्ट-दरबार-मे जानेकी उनको क्यों तकलीफ दी जाय ? अगर वह हकूमतका ही कोई अमलदार है तब तो उसपर और भी हक उनका हो जाता है। यह तो मैंने इसका उत्तर दे दिया।

मैंने पहले भी कहा था कि जो दु:खी लोग है वे जहां चाहें कब्जा कर लेते हैं और वहां चले जाते हैं। किसी जगहपर अगर ताला-कुजी लगी हो तो उसको भी तोड़ डालते है और वहा जमकर बैठ जाते हैं। जैसे अमलदार रहता है वह किराएसे रहता है, वहातक तो ठीक है; लेकिन जब उस मकानका मालिक आ जाता है तब वह कैसे उसमें रह सकता है ? अगर रहना भी है तो मालिकसे मशविरा[2] करके केवल एक हिस्सा अपने पास रखें। लेकिन यह तो हो नहीं सकता कि बड़ा हिस्सा तो अपने पास रखे और मालिक-मकान अभ्यागत बन जाए। यह तो ठीक नहीं है। लेकिन जो दु:खी लोग हैं उनका तो घरमें हिस्सा नही है। उनका तो इतना ही है

---

[1]अफसर; [2]सलाह।

न कि उनको मजबूरन अपने घरोंमेंसे निकलना पडा। इसलिए क्या वे कही भी जमकर कब्जा कर लें ? अगर दुर्भाग्यसे वह मुसलमानका घर हुआ तब तो बस खत्म हुआ। उसपर तो वे अपना एक तरहका हक-सा मानते हैं; लेकिन इससे हम अपना या हिंदुस्तानका कोई भला नही कर सकते। मेरा तो यह दृढ विश्वास है कि कभी भी वे इस तरहसे अपना भला नहीं कर सकते। इन्सान क्या चोरी या लूट करनेसे या किसीके मकान जलानेसे कभी अपना भला कर सका है, तब इनका कैसे हो सकता है, इस तरहसे अगर मामला चले और पाकिस्तानमें भी ऐसा बन जाए कि वहा सिवाय मुसलमानोंके कोई दूसरा रहता ही नही है। मेरे पास तो रोज ऐसा कुछ-न-कुछ आ जाता है कि वे अगर मीठी जबानसे कुछ कहे तो आपको धोखेमे नही पड़ना चाहिए। बाकी वहा कोई आरामसे रह नही सकता, अगर वह मुसलमान नही है। लेकिन आखिरमें वहा अगर सब मुसलमान ही रह गए तो फिर वे आपस-आपसमें लड़ेंगे। यह अगर वहा चलता है तो भी अच्छा नही है और यहा चलता है तो भी अच्छा नही है। यहा अगर चलता है तब तो मेरी निगाहमे वह और भी अच्छा नही है, क्योकि हमने कभी कहा ही नही कि हिंदुस्तान हिंदुओंका ही है या उसमें एक ही कौम रह सकती है और दूसरी नही। जो लोग यहा पैदा हुए और जो अपनेको हिंदुस्तानके रहनेवाले मानते है, उन सबको इस देशमे रहनेका हक है। ऐसा अगर था और आज भी है, तो फिर हमारे पास तो कोई कारण नही रहता। लेकिन पाकिस्तानके लिए तो बहुत वर्षोंसे वे ऐसा कहते आए है कि मुसलमानोंके लिए तो कोई जगह होनी चाहिए। उसका मतलब यही हुआ कि उसमें दूसरे चाहे रहे या न रहे, लेकिन बादमे जब यह हो गया और १५ अगस्तका दिन आया, जो पहले ख्वाबमें भी नही था, लेकिन वह हुआ और कहा कि अभी तो हमें सबको रखना है। यह आवाज निकली तो मुझको बहुत प्रिय लगी। लेकिन जो बात चुभने लायक है वह यह कि जो कुछ कहा जाता है उसपर अमल नही होता। यहां भी हिंदू और सिख अगर वैसा ही करते है तो उसमे मैं तो दोनोंका ही सहार और नाश देखता हूं। उसमे मैं कोई और दूसरी चीज नहीं पाता हू, ऐसा मैंने कह दिया है।

अभी एक भाई है, वह कहते हैं कि मै तो लाहौरमे था। अब तो

वे लाहौरमें नहीं हैं, लेकिन यह बात लाहौरकी है। वह कहते हैं कि मुझको वहांसे निकलना पड़ा, निकलना चाहता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निकला और पश्चिमी पंजाब छोड़कर यहां आ गया। लेकिन जब तुमने कहा कि इस तरहसे वापिस वहीं जाना है तो वहां फिर वापिस चला गया। लेकिन देखता हू कि मेरी जमीन और मेरे मकानपर तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। मुझको लंबी-चौड़ी बातें सुनाई गईं और जो कुछ मेरा था वह मुझको नहीं मिल सका। ऐसी हालतमें आप कैसे कह सकते हैं कि वापिस वहीं जाओ?

मैंने कई बार इसका जवाब दिया है और अब भी जब कोई लिखते हैं तो कुछ कहना ही चाहिए। मैंने तो साफ-साफ यह कहा है कि जब वह मौका आएगा तब जाया जायगा। वहां तो मैंने तैयारीकी बात कही थी कि जिसके दिलमें वापिस जानेकी इच्छा हो वह तैयार रहे। पहले तो जिन मुसलमान भाइयोंकी तरफसे यह बात आई है उनको वहां जाना है। अभी तो वह सिर्फ बात ही है, लेकिन वह बात-की-बात रहनेवाली चीज नहीं है। हकूमत-के नामसे वे कहते थे। आखिरमें उनको या तो यह कह देना होगा कि हम हार गए और यह हमने गलत कह दिया था कि पाकिस्तान सरकारने कहा है कि हिंदू वहां वापिस आ सकते हैं। यह भाई लिखते हैं कि कहना तो एक बात है; लेकिन काम असलमें उल्टा ही होता है, इसलिए वह पूछते हैं कि उनको वापिस जाना है? और यह पूछनेका उनको पूरा हक है। लेकिन जब वे इतना लंबा-लंबा लिखते हैं तो जो कुछ कह चुका हूं वह भी दुहरा देता हू, क्योंकि आखिर तो यह एक भलाईकी बात है। साफ-साफ जो बात है वह यह कि इस तरहसे किसीको वापिस जानेकी बात ही नहीं है। इस तरह तो दूसरे भी बहुतसे लिखते हैं कि हम भी जानेको तैयार हैं। मैं सबको यही जवाब दे देता हू कि जब जाना होगा तो मैं कह दूगा कि फलां तारीख-को आप जानेको तैयार रहें। अभीसे मैं किसीको कोई बात नहीं कह सकूंगा। ऐसी शीघ्रतासे तो यह खयाल भी किसीके दिलमें नहीं आ सकता था, लेकिन जब मुसलमान भाई ही ऐसा कहते हैं तो मुझको वह अच्छा लगता है। अगर वे इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी फ़िज़ा[1] जो आज

---

[1] वातावरण।

बिगड़ गई है उसको दुरुस्त होनेमें उससे एक बड़ी मदद मिलनेवाली है। उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वह की जायगी। लेकिन ये जो भाई लिखते हैं या दूसरे भी, उनसे मैं कहूंगा कि आपको अभी तो खामोश रहना है, अभी तो कुछ होनेवाला नहीं है। उसकी तजवीज हो रही है। जब हो जायगी तो उसका मैं ऐलान[1] कर दूंगा। किसीके खुफिया तौरसे जानेकी तो बात है नहीं। मेरी तो ऐसी उम्मीद रहती है कि पाकिस्तान उनके लिए गाड़ी यहां भेज दे और फिर उसमें पांच हजार आदमी चले जाएं। वे वहां शौकसे और हकसे जायंगे। इसलिए वे जाएंगे कि उनको वे वहां बुलाते हैं। अगर यह नहीं होता है तो वह चीज भी नहीं हो सकती है।

अभी एक तीसरी चीज और है और वह है पूर्वी अफ्रीकाकी। आपको याद रखना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीकामें नेरोबी करके जो प्रदेश है वही सबसे अच्छा है। वह ऐसे ही है जैसे यहां शिमला है। यहां जैसे चार-पांच महीने तो मौसम अच्छा होता है और फिर गर्मी पड़ने लगती है और मैदानमें तो और भी अधिक गर्मी होती है। लोगोंको ठंडक चाहिए, इसलिए वे शिमला या दार्जिलिंग चले जाते हैं। हिंदुस्तान तो एक बड़ा मुल्क है, मगर पूर्वी अफ्रीका तो छोटा-सा है। इसके अलावा नेरोबीको बनानेवाले भी सिख थे। सिख लोग कोई ऐसे-वैसे थोड़े ही हैं। बड़ी काबिल कौम है और बहुत तगड़े और काम करनेवाले हैं। बड़ी जहमत[2] उठाकर उन्होंने वहांकी रेल बनाई थी। मगर खूबीकी बात यह है कि रेल तो बनाई उन्होंने और नेरोबीमें वे खुद जा भी नहीं सकते। जा तो सकते हैं, मगर मजदूरी करनेके लिए, रहनेके और तिजारत करनेके लिए नहीं। यह तो नेरोबीमें है, लेकिन आदमी जब बिगड़ता है तो स्वभावसे ही कुछ ऐसा है कि जब वह एक चीजमें बिगड़ता है तो पीछे सब चीजोंमें ही बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी हिंदुस्तानी वहां रहते हैं उनके विरुद्ध वे भारतीय प्रवेशविरोधी बिल बनाने जा रहे हैं, जैसा कि दक्षिण अफ्रीकामें भी बन गया है। हिंदुस्तानियोंके जो हक है उनको वे छीन लेनेकी कोशिशमें हैं। अभी यह बिल बना तो नहीं है, लेकिन उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली

---

[1] जाहिर; [2] संकट।

या कौंसिलमें तो आ गया है। इसलिए जो हिंदुस्तानी भाई वहां रहते हैं बेचारे उम्मीद तो हमसे रखते ही हैं। पंडित नेहरूको भी उन्होंने कुछ लिखकर भेजा है, क्योंकि वे हमारे विदेश-मंत्री हैं। बाहर जितनी चीजें होती हैं वे सब उनके हाथमें रहती है। इसके अलावा वे हमारे प्रधान मंत्री भी हैं। इसलिए उनको उन्होंने एक तार दिया और तारकी एक नकल मुझको भी दी है। वे कहते हैं कि इस बारेमें कुछ तो कहो। मैं चूंकि अफ्रीकामें रहा हूं, इसलिए मुझपर भी उनका हक है। इसलिए मैं तो आज कुछ कहे देता हूं और पीछे मेरी आवाज वहां पहुंच जायगी। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया है, लेकिन आजाद हिंदुस्तानके साथ ऐसा ही होगा क्या? मुंबासा और पूर्वी अफ्रीका जो है वह ब्रिटिश इलाका है। जो हिंदुस्तानी वहां गए हुए हैं उनके साथ ब्रिटिश इलाकेमें क्या ये हाल होनेवाले हैं? उनके साथ यह सब गोलमाल क्यों चलता है? आपको समझना चाहिए कि वहां हमारे काफी ताजिर लोग है, उनमें काफी मुसलमान है और खोजा तथा दूसरे मुसलमान भी वहां हैं। हिंदू भी वहां काफी पड़े हैं। हर जगहसे वे वहां गए हैं और पैसे भी काफी वहा कमाए है, कोई लूट या चोरी करके नहीं, बल्कि वहां जो हब्शी लोग रहते है उनके साथ तिजारत करके। वे अंग्रेजोंके जानेसे काफी पहलेके वहा हैं। यूरोपके अन्य लोग भी तबतक वहां नहीं गए थे और अगर गए भी होंगे तो बहुत कम। हिंदुस्तानियोंने वहां बड़ी-बड़ी हवेलियां बनाईं, क्योंकि वे बनाने लायक थे। उस जमानेमें तो जहाज भी हमारे थे, लेकिन जब हम गिर गए तो हमारे जहाज भी सब गए।

पीछे तो वहां अंग्रेज भी गए और यूरोपके दूसरे लोग भी। वह तो एक लंबा इतिहास है, जिसपर मैं नहीं जाता। हिंदुस्तानी वहांके हब्शी तथा दूसरे लोगोंसे मिल-जुलकर रहे और उनके साथ तिजारत की। उन्होंने शुद्ध कौड़ी ही कमाई हो, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो सही है कि उन्होंने जबर्दस्ती किसीसे कुछ नहीं लिया। मुसलमान भी वहां गए और ऐसा कुछ नहीं था कि जो मुसलमान थे उनको वहां कुछ ज्यादा मिला हो और हिंदुओंको कम। उनमें ऐसा आज भी कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए वे सब मिलकर लिखते हैं कि इस बिलको आप किसी-

न-किसी तरह रोकें, नहीं तो हमारा बड़ा नुक्सान होता है। मैं तो कहूंगा कि वह बिल रुक जाना चाहिए।

हिंदुस्तान आज एक आजाद मुल्क है। मुझको पता है कि जवाहरलालजी तो इस बारेमें जो कुछ हो सकता है वह करनेवाले हैं।

: १८२ :

१८ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

एक भाईका एक खत आया है जिसमें यह लिखा है कि जब आपको उर्दू जबानपर एतराज नही है तो अंग्रेजीपर क्यों है? जब हिंदुस्तान सारी दुनियाका मित्र है, जैसा कि आप कह चुके हैं तो फिर जैसे मुसलमान हैं, वैसे अंग्रेज हैं।

इस भाईको जो दुःख हुआ है वह केवल अज्ञानताका कारण है। इससे ज्यादा अज्ञानका कारण कोई और हो सकता है मैं नो नही समझता। उर्दूपर मुझको एतराज नही होता, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं। प्रातीय भाषाकी हैसियतसे तो उर्दू है, पजाबी है, मराठी, गुजराती, बंगला और उड़िया वगैरा सब हैं। जितने भाषावार प्रांत हैं उनकी उतनी ही भाषाए है। यों तो हिंदुस्तानमे बहुत अधिक भाषाएं पड़ी है, लेकिन सब विद्वानोंने मिलकर जो फैसला किया है उसके मुताबिक तो १४ या १५ भाषाए है जो काफी भव्य हैं, जिनके अपने-अपने साहित्य है और जिनसे हम कुछ-न-कुछ सीखते ही हैं। लेकिन १५ या १४ भाषाए सब प्रांतोंमें तो नहीं चल सकती। सब प्रांतोंमे एक दूसरेके साथ व्यवहार करनेके लिए कौन-सी एक भाषा होनी चाहिए, यह सवाल है। जबसे मे दक्षिण अफ्रीकासे वापस आया हूं तभीसे मै बराबर यह कहता आया हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा वही हो सकती है कि जिसको हिंदू और मुसलमान ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें बोलते और लिखते हैं। तब तो वह देवनागरी लिपि या उर्दू लिपिमें लिखी हुई हिंदुस्तानी ही हो सकती है। मैंने तो कहा है कि मै उर्दूका समर्थन करता

हूं, लेकिन सारी दुनियाका मित्र होते हुए भी मै अंग्रेजीका समर्थन क्यों नहीं करता, यह समझने लायक बात है। अंग्रेजी भाषाका यहां स्थान नहीं है। अंग्रेजोंने यहां राज चलाया और पीछे जो राज चलाता है वह अपनी भाषा भी चलाता है। वह परदेशी भाषा है, स्वदेशी भाषा नही है। इसलिए मुझको यह कहते हुए दुःख नही, बल्कि फख्र[1] होता है कि उर्दू हिंदुस्तानकी भाषा है और वह हिंदुस्तानमें ही बनी है। तुलसीदासके तो हम सब भक्त हैं और होना ही चाहिए, लेकिन उनकी रामायणमें आपको यह देखकर ताज्जुब होगा कि कितने ही अरबी और फारसीके शब्द ले लिए हैं। जो शब्द बाजारमे लोग बोलते थे वही उन्होंने ले लिए। आखिर उन्होने लिखा है वह आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। तुलसीदासजीने जो थोड़ेसे सस्कृत बोलनेवाले हैं, उनके लिए थोडे ही लिखा है! इसलिए जो तुलसीकी भाषा है वही हमारी भाषा है। अगर आपको फैसला करना है कि कौन-सी हमारी राष्ट्र-भाषा है तो मै यह दावेसे कह सकता हूं, पीछे हिंदू मुझको चाहे मारें, काटें, या कुछ भी करें, कि हमारी राष्ट्र-भाषा वही हो सकती है जो देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है।

लाला लाजपतरायजी तो पजाबके शेर माने जाते थे। वह तो चले गए। मै तो उनका मित्र था और उनके साथ मजाक भी करता था कि हिंदीमें बोलना कब सीखोगे। वह कहते थे, यह नही होनेका। याद रखो वह समाजी थे और यह भी याद रखो कि वे हवन इत्यादि भी करवाते थे। चूकि में उन्हींके घरमे ठहरता था, इसलिए मै यह सब देखता था। हवन-में तो सस्कृत ही काममे आती है और अजीब बात थी कि यह सब होते हुए भी वे थोड़ा-थोड़ा पढ़ तो लेते थे देवनागरीमें, लेकिन उनकी मादरी जबान उर्दू ही थी। वे कहते थे कि उर्दूमें तो मुझसे कहो तो घंटों बोल लेता हूं और बोलते थे, और उर्दूके तो मै आपको क्या बताऊ, वे बड़े भारी विद्वान थे और बहुत शीघ्रतासे लिख सकते थे। अंग्रेजीमे भी वे घटों बोल सकते थे, लेकिन सस्कृतमय हिंदी तो उनकी समझमें भी नही आती थी। जब मैं चुन-चुनकर अरबी-फारसीके शब्द लाता तब वे मेरी बात समझ सकते

---

[1] अभिमान।

थे। जब उनकी बात मैंने कर ली तो सबकी कर ली। तब वे भाई क्यों कहते हैं कि उर्दूपर एतराज क्यों नहीं है ? मैं तो कहूंगा कि किसीको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजीके लिए एतराज है। आखिर हिंदी साहित्य सम्मेलन-का भी मैं दो दफा सभापति रह चुका हूं और सभापतिके पदसे मैंने यही चीज कही और किसीने शिकायत नहीं की। की होगी तो शायद १-२ ने की होगी। सब लोगोंने तालियां ही बजाईं और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक बात कहता हूं। आज भी मैं वही आदमी हूं। तब क्यों आप मुझको ऐसा सुनाएंगे कि मैं हिंदीका पक्ष कम लेता हूं और इसलिए कम हिंदुस्तानी हूं। मुझको तो ऐसा लगता है कि जो आदमी उर्दूपर एतराज करता है, वही कम हिंदुस्तानी है।

हम आज अनेक झंझटोंमें पड़े हैं और इस तरहसे आपस-आपसमें विष पैदा हो गया है। अजमेरमें भी तो यही हुआ है। अगर आप हिंदू-धर्म-की रक्षा करना चाहते हैं तो यहां जितने मुसलमान पड़े हैं उनकी दुश्मनी करके नहीं कर सकते। मैं तो आजकलका ही मेहमान हूं। कुछ दिनोंमें यहांसे चला जाऊंगा। पीछे आप याद किया करोगे कि बूढ़ा जो कहता था वह सही बात है। मैं कोई अकेले हिंदू-धर्मकी ही बात नहीं करता। इस्लाम-धर्म भी मर जायगा अगर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मुसलमानोंको ही पहचानते हैं, बाकी तो हमारे दुश्मन हैं। इस तरह तो वे इस्लामको दफना देंगे, इस बारेमें मुझे कोई शक नहीं है। ईसाई-धर्मके लिए भी मैं यही कहूंगा। अगर वे कहें कि जो ईसाको नहीं मानते वे सब दुश्मन हैं और अहले[1] किताब नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि वे गलती करते हैं। दुनियाके जितने धर्म हैं उनके माननेवाले सब अहले किताब हैं। अगर वे कहें कि जो बाइबिलको माने वह अहलेकिताब है या जो कुरान शरीफको मानते हैं वही अहले किताब हैं, तो मैं कहूंगा कि वे गलत रास्तेपर हैं। दुनियाके जितने धर्म हैं वे सब अच्छे हैं, क्योंकि वे भलाई सिखाते हैं। जो दुश्मनी सिखाते हैं उनको मैं धर्म नहीं मानता।

अंग्रेजोंके जमानेमें भी वही बात मैं कहता था कि यहां अंग्रेजी हो

---

[1]आस्मानी किताबों वाले।

नहीं सकती। मेरे दिलमें अंग्रेजीकी कद्र है और मैं अंग्रेजी पढ़-लिख भी लेता हूं। सब मानते भी है कि मैं न अंग्रेजोंका दुश्मन हूं, न उनकी भाषाका। लेकिन सब चीजे अपनी-अपनी जगहपर हैं। अंग्रेजी दुनियाकी भाषा है। अगर दुनियाके साथ व्यवहार करना है तो अंग्रेजीसे ही हो सकता है। अंग्रेजी बहुत व्यापक बन गई है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापक नहीं है। हम अंग्रेजी राज्यसे तो बरी हो गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता-का जो प्रभाव हमपर पड़ा है, उस असरसे हम अभी नही निकले है, यह कितने दुःखकी बात है!

याद रखो, मैंने कहा है कि हिंदुस्तानी वह चीज है जो उर्दू और हिंदीके संगमसे बनी है, जैसा गगा और जमनाका सगम प्रयागमें होता है। उस संगममे तो सरस्वती भी बताई जाती है, लेकिन उसको तो न देखते है, न जानते हैं। दोनोंका व्याकरण तो एक होना ही चाहिए और वह हिंदुस्तानी है। उसमे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी वगैरा सब भाषाओंके शब्द भरे पड़े हैं। अंग्रेजीका शब्द जैसे कोर्ट है, तो उसको कोर्ट ही कहेगे। अगर कचहरी कहो तो वह भी बाहरका ही शब्द है, हमारा तो नहीं है। इसी तरह बाइसिकल है और रेल है। रेलको और क्या कहेगे? अंग्रेजी शब्द हमारी भाषामें काफी दाखिल हो गए हैं और उनसे हमें घृणा नही है। लेकिन अगर ये भाई मुझको अंग्रेजीमे खत लिखे तो मै फेंक दूगा, क्योंकि मै जानता हू कि वे हिंदुस्तानी लिख सकते है। इसी तरहसे अगर मेरा लड़का अंग्रेजीमे लिखे, क्योंकि अंग्रेजी तो वह जानता है, तो मै फेंक दूंगा और नही पढ़ूगा। इसी तरहसे अगर मै अंग्रेजीमे कुछ लिखकर भेजू तो उसे फेंकनेका अधिकार है। यह तो बिल्कुल ही सरल चीज है, लेकिन हम तो आज अपना धर्म-कर्म सब भूल गए और हमारे अंदर एक प्रकारकी विकृति पैदा हो गई है। ईश्वर उस बलासे हमें बचा ले।

: १८३ :

१६ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

आज दुपहरको मेवों[1]को देखनेके लिए गुड़गावा चला गया था। वहां तीन तरहके मेव थे. एक तो अलवरसे भागकर आए हुए, दूसरे भरतपुरसे और तीसरे वहीके। पूर्वी पजाबके प्रधान मंत्री डा० गोपीचद भार्गव भी साथ थे। उन्होने मेवोसे कहा कि जो रहना चाहते है, उनको कोई हटा नही सकता। हकूमत उनकी हिफाजत करेगी। लाखों आदमियों-को अपने मकान छोड़कर वहांसे भागना पडा, वह एक वहशियाना बात थी। यहांसे जिनको भागना पडा वह भी वहशियाना बात थी। पीछे किसने ज्यादा किया, किसने कम किया और किसने शुरू किया, उसको छोड देना चाहिए; क्योकि ऐसे हिसाबमें अगर हम पड़े तो दुश्मनी मिट नही सकती और कोई आरामसे नही बैठ सकता। हमारे नसीबमें एक-दूसरेकी दुश्मनी रहे, वह नहीं रहनी चाहिए। वह अगर रही तो हमारा खात्मा हो जायगा। मैने तो कहा है न कि मै तो इसे बर्दाश्त कर नही सकता। हां, जिनको जाना है या जो बिदक गए है, उनको कोई रोकनेवाला नही है। लेकिन किसीको मजबूरीसे न जाना पड़े। जो भी हो, वह आदमीकी इच्छासे हो। उनको भागना पड़े, इस तरह उन्हें कोई मजबूर न करे, न हकूमत करे, न हकूमतके अफसर करे और न जनता करे। अगर कोई करता है तो वह पागलपन है। वहां बहने भी सब थी और पुरुष भी। सब परेशानीमें पड़े है। कई तो ऐसे है कि तंबू है, नही है और ये जाड़ेके दिन! यह सब एक बहुत ही दुःखद किस्सा है। इनको वापिस जाना चाहिए, अगर अलवर रियासत यह कहे कि गलती तो हो गई, लेकिन अब आप आइए। इसी तरहसे भरतपुर है और पीछे यहा भी जिन्होंने गुनाह किया है और उनको हलाक किया है, उनको उन्हें निभा लेना चाहिए। ऐसा कहनेसे तो काम नही चलता कि मेव तो गुनाह करनेवाली कौम है। गुनाह

---

[1] एक जाति।

करनेवाला कौन है और कौन नहीं, इसको कौन जानता है? जो लोग गुनाह करते भी हैं उनको क्या आप हिंदुस्तानसे जला-वतन[1] करेंगे? यहांसे निकाल देंगे या मार डालेंगे? तुम यहांसे चले जाओ, यह कहनेसे तो काम हो नहीं सकता। उनको तो सुधारना चाहिए और सच्ची तालीम देनी चाहिए। जो शराफतका रास्ता है वह उनको बताना चाहिए। एक तो यह बात हुई।

दूसरी बात चीनीकी है। चीनी हर जगहपर तो होती नहीं और शक्कर भी हर जगह नहीं होती। जहां होती है, उस जगहसे उसको लाना है। माना कि यहां नहीं है, तो यू० पी०से उसको लाना है। या कोयम्बटूरसे आ सकती है। लेकिन आए कैसे? वह तो रेलसे ही आ सकती है। लेकिन गाड़ियां तो आज है ही नहीं। डा० जान मथाईके हाथमें वह महकमा[2] है। वह कहते है कि मैं कहांसे दूं! जितने वैगन[3] है रेलवेके वे सब-के-सब तो निकाल दिए हैं। जितनी जल्दी वे माल ला सकते हैं, ला रहे हैं। इसके अलावा कोयला कम, लोहा कम और चलानेवाले कम, ये सब झंझट हैं। रेलवे स्टाफ जितना चाहिए उतना नहीं है। पीछे दूसरे-तीसरे काममें भी उनको लेना पड़ता है। वह तकलीफ तो जब रफा होगी तब हो जायगी। लेकिन बीच-बीचमें हम क्या करें? वह जो चीनी और शक्कर बनानेवाले हैं वे बदमाश हैं और वे दाम बढ़ा देते हैं। आखिर हजारों और सैकड़ों मीलसे माल कोई सिरपर तो ला नहीं सकता। आज तो रेल और हवाई जहाज देखकर लोगोंको ऐसा हो गया है कि उनके हाथ-पैर चलते ही नहीं हैं। तब क्या करना चाहिए? एक तो मथाई साहबको लिख देना चाहिए। यह सही है कि हमको रेलवे वैगन नहीं मिलते या ऐसा कहो कि रेल ट्रांसपोर्ट[4] नहीं मिलता। मगर हिंदुस्तानमें ऐसा भी तो बन गया है कि एक तरफ रेलवे चलती है तो साथ-साथ दूसरी ओर मोटर भी चलती है। जितनी तेज रफ्तारसे रेल जाती है उतनीसे ही मोटर जाती है। रेलके लिए तो लोहेकी पटरी भी होनी चाहिए, लेकिन मोटरके लिए तो कुछ भी नहीं। साफ रास्ता हो तो अच्छा है, लेकिन रास्ता जैसा-तैसा हो तो भी जीप तो

---

[1] देश निकाला; [2] विभाग; [3] डिब्बे; [4] यातायात।

चली जाती है। काफी तादादमें ये मोटरें हिंदुस्तानमें चलती हैं। लेकिन उनके लिए पेट्रोल चाहिए और उसपर अभीतक अंकुश है। मैंने बताया कि अभी सब अकुश तो छूटे नही है। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा लें तो सब लारिया चलने लगे और माल लाए—और ले जाने लगे। उनमें तो पीछे नमक भी आ सकता है। यह कैसी भयानक बात है कि आज हमारे मुल्कमें नमक बन सकता है, उसपरसे कर भी चला गया है, तो भी वह महंगा है; क्योंकि वह पूरा आता ही नहीं है। मेरी निगाहमें तो कुछ लोगोंको नमक बनाने और लानेका जो ठेका दिया गया है वह एक बड़ी गलती हुई है। सबको नमक लानेकी छूट होनी चाहिए। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश निकल जाए तो ये मोटर-लारियां नमक भी ला सकती हैं और दूसरी चीजे भी। एक चीजपरसे अंकुश हटा लिया और दूसरीपर रखा तो वह ठीक नही बैठता। जब एक नीति हमने ग्रहण कर ली कि अकुश निकालना है तो पीछे सबको ही निकाल देना है और देखना है कि लोग क्या करते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बाजारमें पेट्रोल नही है। पेट्रोलका तो चोर-बाजार चलता है और जबतक उसपर अकुश चलेगा तबतक यह चोर-बाजार चलता रहेगा। चोर-बाजार तो अंधेरेमे चलना चाहिए, लेकिन वह तो साफ-साफ जाहिरमे चलता है। तब उसे ब्लैक मार्केट कहे या सफेद मार्केट कहे या उसको और कोई नाम दें? पीछे क्या होता है, सुना है उसके पीछे रिश्वत भी बहुत बढ़ गई है। जो पेट्रोलका अफसर है, थोड़ा पैसा उसके हाथमें रखना ही चाहिए। थोड़ा पैसा कोई रुपया, दो रुपया नही, बल्कि सैकड़ोंकी बात चलती है। जब एक चीज बुरी हो जाती है तो और भी बुराइयां उसके साथ चलती रहती हैं। जिन चीजोंपरसे अकुश निकल गया उससे लोग तो मानते हैं कि उनको राहत मिली है। फिर पेट्रोल तो कोई खानेकी चीज भी नही है और न हरएक आदमीके दरकारकी चीज है। जो लोग मोटर ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनको पेट्रोल चाहिए। हकूमतको जितना पेट्रोल चाहिए उतना वह अपने लिए रख लें और बाकीको खुले बाजारमें रख दें। अगर माना कि बाजारमें वह बिल्कुल मिलता ही नही और रेलें भी सब-की-सब मिट गईं तो भी हिंदुस्तानका कारोबार पेट्रोलके बिना बंद नही होनेवाला है। सिर्फ इधर-उधर माल ले जानेका तरीका, जो आज है वह बदल जायगा।

तब हम पुराने जमानेके तरीकेपर चले जायंगे। अगर पेट्रोलका जो अंकुश है वह निकल जाय तो मुझको उससे कुछ डर नहीं है।

एक बात यह भी है कि हमारे यहां पूरी खुराक तो पैदा नहीं होती है। तब लोगोंको कहो कि वे जमीनको बो लें, उसमेंसे पैदा हो जायगी। बात तो सच्ची है, लेकिन उसके लिए बाहरसे जो बनी बनाई खाद आती है, जिसको कि रसायन खाद बोलते हे, उसमें हम चंद करोड़ रुपये मुफ़्तके दे देते हे या ऐसा कहो कि जमीनको बिगाड़नेके लिए वह पैसे देते हैं। यह मेरा कहना नही है, में तो वह जानता ही नहीं; लेकिन जो इसका ज्ञान रखते हैं वे ऐसा कहते हैं। मीराबेनने ही यह सब किया है और उसने ही इस चीजके जानकार लोगोंको इकट्ठा किया। उसको शौक है और वह सचमुच किसान बन गई है।

और भी बड़े-बड़े आदमी इस काममें उसके साथ थे। राजेंद्र बाबू तो हैं ही, सर दातारसिंह है और भी दूसरे अच्छे-अच्छे खेतीका थोड़ा-बहुत जाननेवाले है, वे आ गए थे। वे मिले और जो किया वह अखबारोंमें भी आ गया है। उन्होंने यह निकाला है कि खाद किस तरह बना सकते हैं। उसको जिदा खाद कहते है। हमारे यहां गोबर तो काफी होता है और जहां मनुष्य हैं वहां उनका विष्टा भी रहता है, उससे खासा अच्छा खाद बन जाता है। उसको मिश्रण करनेके बाद, यह कोई कह नही सकता कि वह कैसे बना है। अगर बननेके बाद उसको हाथमे ले लो तो सुगधि निकलती है, दुर्गन्धि नही। इस तरहसे उसका परिवर्तन हो जाता है। जो भी घास-पत्ता और कूड़ा-कचरा होता है वह सब मिला लिया जाता है और इस तरह वह मुफ़्तमें खाद बन जाता है। कचरेमेंसे करोड़ों रुपए कैसे निकल सकते हैं, यह इल्म लोगोंको बतानेके लिए दो-तीन रोजके लिए ये कुछ लोग बैठ गए थे।

: १८४ :

२० दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

बड़े दुःखकी बात है कि यहां (दिल्लीमें) फिर थोड़ेसे पैमानेपर दगा शुरू हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि सब मुसलमानोंको यहांसे जाना है तो फिर हमको साफ कह देना चाहिए, वह शराफत होगी या हकूमत कहे कि आप लोगोंका यहा रहना मुफीद[१] नहीं है? हम आपको थोडा-थोड़ा हलाक करके नही निकालना चाहते, लेकिन सचमुच तो आपको जाना ही है। मुझको तो इसका बड़ा दुःख होता है।

क्या ही अच्छा हो अगर हम सब अच्छे हो जायं, शरीफ बन जायं और बहादुर हो जाय। वह तो एक डरपोकका काम हो जाता है कि जो यह कहे कि मुसलमान मेरे पास नही रह सकता। क्यो नही रह सकता? अगर वह खराब है तो उसको ठीक करना है—शराफतसे, मारपीटकर नही। इसलिए मुझको तो यह बड़ा चुभता है कि हम क्यों ऐसे बन गए कि जिससे मुसलमान यहां डरे और हिंदू तथा सिख पाकिस्तानमे डरे। और पीछे बड़ी-बड़ी बातें हम करें कि यहा सब लोग आरामसे रह सकते हैं। कहां आरामसे रह सकते हैं? मैं तो हमारी हकूमतसे भी कहता हू कि अगर वह सच्ची बनना चाहती है तो ऐसा होना नही चाहिए। अपने सारे अफसरोंको साफ-साफ यह कह दे कि हमारे रहते हुए ऐसे नही बन सकता है। आखिर आप ही लोगोंके तो हम नुमायदे हैं, क्योंकि सरकारी अफसर भी तो मतदाता होते हैं। इसलिए अफसरोको क्या, फौजको क्या और पुलिसको क्या, सबको शराफतसे चलना है। अगर हम लोग शराफतसे चलेंगे तो हमारी गाड़ी आगे चल सकती है, नही तो जो लगाम हमारे हाथमें आ गई है उसको हम छोड़ रहे हैं, इसका मुझको दुःख होता है। लेकिन आज तो मैं वह बात नही करना चाहता था। मैं तो आपको वह सुनाना चाहता हूं जो मैंने छोड़ रखी है।

---

[१] लाभदायक।

चरखा-संघकी जो बैठक हुई थी उसमें ग्राम-उद्योगसंघकी बात मैंने अभीतक छोड़ रखी थी। थोड़ा-सा इशारा जरूर कर दिया था। चरखा तो ग्राम-उद्योगका मध्य-बिंदु है। अगर सात लाख गावोमें चरखा न चले तो अन्य गृह-उद्योग भी नही चल सकते हैं। चरखा तो सूरज है और दूसरे जो उद्योग हैं वे ग्रह हैं, जो सूरजके इर्द-गिर्द घूमते हैं। उनको ग्रह भी इसलिए कहा गया कि वे सूरजके इर्द-गिर्द फिरते रहते हैं। अगर सूरज डूब जाय तो दूसरे ग्रह चल नहीं सकते, क्योंकि वे सब सूरजपर ही आश्रित हैं, ऐसा दुनियामें बन गया है। लेकिन देहातका सूरज किसको कहें? हिंदुस्तानका सूरज तो वह चक्र है कि जो झंडेमें मौजूद है, पीछे चाहे आप उसको सुदर्शन चक्र कहें या अशोक राजाका चक्र कहें। मेरी निगाहमें तो वह चरखेकी निशानी है। अगर वह देहातोमें चलता रहे तो अन्य ग्राम-उद्योग भी रुक नही सकते, लेकिन उसके चलते रहनेपर भी दूसरोको देखना तो है। अगर उनको सभाले ही नही और वे सब इर्द-गिर्द चलना छोड़ दे तो फिर जो सूरज है, वह भी बेहाल हो जायगा। जितने हमारे खगोल-शास्त्री कहे जाते है उन्होंने यह नही देखा है और उन्होंने देखा होगा तो मैं मूर्ख हू, जानता नही हू। लेकिन मैं तो मानता हू कि अगर सब ग्रह डूब जाते है तो सूरजको भी डूबना है। यह मै शास्त्रीय तरीकेसे तो सिद्ध नहीं कर सकता हू, लेकिन यहां तो मै सिद्ध कर सकता हू कि जो दूसरे इर्द-गिर्दके उद्योग न चलें तो चरखा बेचारा अकेला क्या कर सकता है? दिल्लीके इर्द-गिर्द क्या थोडे ग्राम पड़े है। अगर वे सब दिल्लीको आश्रय दें और उनको दिल्लीका आश्रय लेना है तो पीछे वह सब बहुत खूबसूरत काम बन जाता है और आपस-आपसकी लड़ाईका सारा झगड़ा भी मिट जाता है। आखिर देहातोंमेंसे सब चीजे हमको चाहिए। आज तो वे चीजें आ नहीं सकती हैं। आप अगर न जानते हों तो जानना चाहिए कि दिल्लीमें बहुतसे कारीगर मुसलमान थे। वे चले गए। पानीपतमें देखो, कितने मुसलमान कंबल वगैरा बनाते थे। आज तो वह धधा अस्त-व्यस्त हो गया। पीछे अगर हिंदू और सिख वहा गए तो देखा जायगा। लेकिन वे क्यों वहां जाएं? वे कोई भूखे थोड़े ही मरते है! हिंदूके पास जो पेशा है उसमेसे वह कमा लेता है और मुसलमानके पास जो पेशा है उसमें वह कमा लेता है। अगर तब

मुसलमान अपना काम छोड़कर यहांसे चले जाते है तो उसमे हिदुस्तानका नुकसान ही होता है। इस लिहाजसे तो पाकिस्तान और हिदुस्तान दोनो डूब रहे है। क्या वजह है कि हम काश्मीरमे लड़ते है ? वहां जो बागी लोग आ गए है वे लडें और फिर हम यहांसे उसके लिए लश्कर भेज दे, वह तो एक वहशियाना बात मै समझता हू।

ग्राम-उद्योगकी बात तो एक बड़ी बुलद बात है। कल मैने आपको बताया था कि मीरा बेन उस कामको कर रही है और उसमे तो हमारी हकूमतके लोगोंका भी हाथ है। वह खाद हम सब अपने घरोमे बना सकते है। हम लोग जो मैला करते है वह और गोबर तथा और भी जो कूड़ा-कचरा जमा हो जाता है, वह सब मिला ले। वह इस खूबीसे मिल जाता है कि पीछे एक खूबसूरत और सुगधित खाद बन जाती है।

इसलिए ग्राम-उद्योग और चरखा-सघका जो काम है वह तभी चल सकता है जब करोडो आदमी उसमे मदद दे। अगर वे न दें तो वह काम बिल्कुल चल नही सकता। चार चीजे, जहातक मुझको याद है, अर्थात् चरखा-सघ, हरिजन-सेवक सघ, ग्राम-उद्योग सघ और तालीमी सघ—जो बनी हैं, वे चारोंकी चारो धनिकोके लिए नही, बल्कि गरीबोके लिए है। सब लोगोंको इनके काममे हाथ बटाना है। अगर हाथ न बटाए तो वह काम चल नही सकता। अगर हम हिंदुस्तानमे पचायत राज्य या लोगोंका राज्य चाहते हैं, तो सब लोगोंको उस काममें मदद देनी है। वह कोई हवामेंसे तो आता नही है और न हिमालयसे चलकर आता हैं। वह तो यहांकी जनताके द्वारा ही हो सकता है। जनता एक तरहकी नीव है, जिसपर हम एक बहुत ऊचा मकान बना सकते हैं। अगर उसमें सब हाथ दें, तब तो खैर हैं और अगर न दे तो ठीक है। हम एक-दूसरेसे लड़ तो रहे ही है और नतीजा भी उसका वही आकर रहेगा जो यादव लोगोंका हुआ था। यदुवशी तो कृष्ण भी हुए थे, लेकिन पीछे क्या हुआ कि सब लड़ते थे और दूसरोंको डराते रहते थे। शराब पीना, व्यभिचार करना और आपसमे लड़ना, उनका काम रह गया था। नतीजा यह हुआ कि वह उस चीजमे जो घासकी थी, खत्म हो गए। यादवस्थल उसको हम कहते हैं। वह नतीजा या तो हिंदुस्तानको आनेवाला है और अगर नहीं

आनेवाला है तो केवल इससे कि ये चार चीजें बनी है उनको हम करते रहें। तभी हम सब आरामसे रह सकते है।

: १८५ :

मौनवार, २२ दिसंबर १९४७
(लिखित सदेश)

भाइयो और बहनो,

यहासे आठ-दस मीलके फासलेपर महरौलीमें कुतुबुद्दीन बख्तियार चिश्तीकी दरगाह है। वह पवित्रतामे अजमेरकी दरगाहसे दूसरे नबरपर मानी जाती है। इन दरगाहोपर न सिर्फ मुसलमान जाते थे, बल्कि हजारों हिंदू और दूसरे गैर-मुस्लिम भी वहा पूजाभावसे जाया करते थे। पिछले सितबरमें यह दरगाह हिदुओके गुस्सेका शिकार बनी। आस-पासमे रहनेवाले मुसलमान अपने ८०० साल पुराने घरोंको छोडनेपर मजबूर हुए। इस किस्सेका जिक्र करनेका कारण इतना ही है कि दरगाहके प्रति प्रेम और वफादारी रखते हुए भी, वहा आज कोई मुसलमान नही है। हिंदुओं, सिखो, वहांके सरकारी अफसरों और हमारी सरकारका यह फर्ज है कि जल्दी-से-जल्दी पहलेकी तरह उस दरगाहको खोलकर, यह कलकका टीका धो डालें। यह चीज देहलीमें और देहलीके इर्द-गिर्दके मुसलमानोंकी सब धार्मिक जगहोपर लागू होती है। वक्त आ गया है कि दोनों तरफकी सरकार सख्तीके साथ अपनी-अपनी अक्सरियत[1]के सामने यह साफ कर दे कि अब धार्मिक स्थलोका अपमान बर्दाश्त नही किया जायगा, चाहे वह स्थल छोटा हो और चाहे बड़ा। इन स्थलोका जो नुक्सान किया गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए।

मुस्लिम लीगकी सभाने कराचीमें जो फैसला किया है उसे देखते हुए मुसलमान मुझे पूछते है कि जो लीगके मेबर है वे, जो सभा लखनऊमें मौलाना आजाद बुला रहे है, उसमें जावे या न जावे? क्या मुस्लिम लीगके

---

[1] बहुसंख्यक।

मेंबरोंकी जो सभा मद्रासमें होनेवाली है, उसमें भी जावें? हर हालतमें यूनियनमें रहनेवाले मुस्लिम लीगके मेंबरोंका क्या रवैया[1] होना चाहिए? मेरे दिलमें कोई शक नहीं कि अगर उन्हें व्यक्तिगत या जाहिर निमंत्रण मिले, तो उन्हें लखनऊकी मीटिंगमें जाना चाहिए, और मद्रासकी मीटिंगमें भी। दोनों जगह उन्हें अपने विचार निर्भयतासे और खुली तरह जाहिर करने चाहिएं। अगर उन्होंने पिछले ३० सालमें हिंदुस्तानकी अहिंसाकी लड़ाईका अभ्यास किया है तो उन्हें इस बातसे घबराहट नहीं होनी चाहिए कि यूनियनमें वे अकलियतमें[2] हैं, और पाकिस्तानकी अक्सरियत उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। यह चीज समझनेके लिए उन्हें अहिंसामें विश्वास रखनेकी जरूरत नहीं कि अकलियतको, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, अपनी इज्जत और इन्सानको जो भी प्रिय और निकट लगता है, वह सब कुछ, बचानेके लिए डर रखनेका कभी कारण नहीं रहा। इन्सान ऐसा बना है कि अगर वह अपने बनानेवालेको समझ ले और यह समझ ले कि मैं उसी भगवानका प्रतिबिंब हूं तो दुनियाकी कोई ताकत उसके स्वमानको छीन ही नहीं सकती। उसके स्वमानका हनन कोई कर सकता है तो वह खुद ही कर सकता है। जिन दिनों मैं ट्रांसवालकी जबर्दस्त हकूमतके साथ लड़ रहा था, मेरे एक प्रिय अंग्रेज मित्रने मुझे जोहांसबर्गमें कहा, "मैं हमेशा अकलियतका साथ देना पसंद करता हूं, क्योंकि अकलियत आम तौरपर कभी गलती नहीं करती है, और करती है तो उसे सुधारा जा सकता है। मगर अक्सरियतको सत्ताका मद होता है, इसलिए उसे सुधारना कठिन रहता है।" अगर अक्सरियतसे हथियारोंकी एकतरफा ताकतका भी मतलब हो तो इस दोस्तकी बात सही थी। हम अपने कड़वे अनुभवपरसे जानते हैं कि कैसे मुट्ठीभर अंग्रेज यहां हथियारोंकी ताकतसे अक्सरियत बने बैठे थे और सारे हिंदुस्तानको दबाए हुए थे। हिंदुस्तानके पास वे हथियार नहीं थे, और रहते भी तो हिंदुस्तानी उनका इस्तेमाल नहीं जानते थे। यह दुःखकी बात है कि हमारे मुल्कमें अंग्रेजोंकी हकूमतसे हिंदुओं और सिखोंने पाठ नहीं सीखा। यूनियनके मुसलमानोंको पश्चिममें और पूर्वमें अपनी

---

[1] तरीका; [2] अल्पसंख्यक।

अक्सरियतका झूठा घमंड था। आज उस बोझसे मुक्त हो गए हैं। अगर वे अकलियतमें रहनेके गुणोंको समझेंगे तो वे अपने तरीकेसे इस्लामकी ख़ूबियोंका प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस्लामका अच्छे-से-अच्छा जमाना हजरत मुहम्मदके मक्केके दिनोंमें था। कान्सटेनटेन-की शहनशाहीके वक्तसे मिस्रो धर्मका अस्त होने लगा। इस दलीलको यहां लंबा करना नही चाहता। मेरी सलाहका आधार मेरा पक्का अकीदा[1] है, इसलिए अगर मुस्लिम मित्रोंके मनमें इस चीजपर विश्वास नही है तो बेहतर होगा कि वे मेरी सलाहको फेंक दें।

मेरी रायमें उन्हें कांग्रेसमें आनेके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर जबतक कांग्रेसमें उनको हार्दिक स्वागत न मिले, और समानताका बर्ताव न मिले, तबतक वे काग्रेसमे भर्ती होनेकी अर्जी न करें। सिद्धांतके तौरपर तो कांग्रेसमें अक्सरियत और अकलियतका सवाल उठता ही नही। कांग्रेसका कोई धर्म नही, एकमात्र मानवताका धर्म है। उसमें हरएक स्त्री-पुरुष समान है। कांग्रेस एक शुद्ध राजनैतिक संस्था है, जिसमें सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब बराबर है। कांग्रेस हमेशा अपने कहनेपर अमल नही कर सकी। इससे कभी मुसलमानोंको लगा है कि यह तो मुख्यतः सवर्ण हिंदुओंकी ही सस्था है। जो भी हो, जहांतक खेंचतान जारी है मुसलमान बाइज्जत अलग खड़े रहें। जब उनकी सेवाओंकी काग्रेसको जरूरत होगी वे कांग्रेसमें आ जावेंगे। उस वक्त-तक जिस तरह मै काग्रेसका हू, वे काग्रेसके रहें। कांग्रेसका चार आनेका मेंबर न होते हुए भी कांग्रेसमें मेरी हैसियत है, तो उसका कारण यह है कि जबसे १९१५ में मै दक्षिण अफ्रीकासे आया हूं, मैंने वफादारीसे कांग्रेसकी सेवा की है। हरएक मुसलमान आजसे ऐसा कर सकता तो वे देखेंगे कि उनकी सेवाओंकी भी उतनी ही कदर होती है जितनी कि मेरी सेवाओंकी।

आज हरएक मुसलमान लीगवाला और इसलिए कांग्रेसका दुश्मन समझा जाता है। बदकिस्मतीसे लीगका शिक्षण ही ऐसा रहा है। आज तो दुश्मनीका तनिक भी कारण रहा नही। कौमीवादके[2] जहरसे मुक्त

---

[1] विश्वास; [2] सांप्रदायिकता।

होनेके लिए चार महीनेका अर्सा बहुत छोटा अर्सा है। इस दु:खी देशका दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुओं और सिखोंने जहरको अमृत समझ लिया और लीगी मुसलमानोंके दुश्मन बने। ईटका जवाब पत्थरसे देकर उन्होंने कलकका टीका मोल लिया और मुसलमानोंके बराबर हो गए। मेरा मुसलमान अकलियतसे अनुरोध है कि वे इस जहरी वातावरणसे ऊपर उठे, अपने आदर्श बर्तावसे उनके बारेमे जो वहम भर गया है, उसे वे गलत सिद्ध करे और बता दें कि यूनियनमे इज्जत-आबरूसे रहनेका एक यही तरीका है कि वे मनमे किसी तरहकी चोरी न रखकर हिंदुस्तानके शहरी बनें।

इसमेंसे यह परिणाम निकलता है कि लीग राजनैतिक सस्थाके रूपमें नही रह सकती। इसी तरह हिंदू-महासभा, सिख-सभा और पारसी-सभा भी नही रह सकती। धार्मिक सस्थाओके रूपमे वे भले रहे। तब उनका काम अदरूनी सुधार होगा, धर्मकी अच्छी चीजे ढूढ़ना और उनपर अमल करना होगा। तब वातावरणमेसे जहर निकल जाएगा और ये सस्थाए एक दूसरेके साथ भलाई करनेमे मुकावला करेंगी। वे एक दूसरेके प्रति मित्रभाव रखेगी और हकूमतकी मदद करेंगी। उनकी राजनैतिक महात्वाकाक्षाए तो काग्रेसके ही द्वारा पूर्ण हो सकती है, चाहे वे काग्रेसमें हो या न हों। जब काग्रेस, जो काग्रेसमे है उन्हीका विचार करेगी, तो उसका क्षेत्र बहुत सकुचित हो जायगा। कांग्रेसमे तो आज भी बहुत कम लोग है। काग्रेसकी आज कोई बराबरी नही कर सकता तो उसका कारण यह है कि वह सारे हिंदुस्तानकी नुमायदगीका प्रयत्न कर रही है। वह गरीब-से गरीब, दलित-से-दलितकी सेवाको अपना ध्येय बनाए हुए है।

: १८६ :

२३ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज तो मैने विचार कर लिया है कि तीन चीज कहूंगा। एक

चीज तो यह है कि कल आपने देखा होगा कि यहां बहावलपुरके लोग आ गए थे । बड़े परेशान है । उन लोगोंने बताया कि वहां जितने हिंदू और सिख हैं उन सबको बुला लेना चाहिए, नहीं तो उनकी जान खतरेमें है। आज वहासे दो भाई भी आ गए थे। उन लोगोंने भी यही बात बताई। उन लोगोंने कहा कि अगर कुछ नही होता है तो गवर्नर-जनरलके घरके सामने जाकर भूख-हड़ताल करेंगे। तो मैंने कहा कि वहां भूख-हडताल करनेसे न तो आ सकते है और न बच सकते हैं और गवर्नर-जनरल तो अब नामके रह गए है । दस्तखत कर देते है, उनके पास तो आज सत्ता है नही। वे तो आज जैसे आप है वैसे है। अपने बलसे ऐसा कहो कि हमारे बलसे खडे है। हमारे प्रधान है, हमारे बलपर खड़े है। तो सोचोगे कि पडित नेहरू या सरदारके घरके सामने भूख-हड़ताल करें, यह भी अज्ञानता है। उनमें एक-दो डाक्टर थे। वे समझ गए, इसलिए हड़ताल नही की। कल तो मेरी खामोशी थी, इसलिए कुछ नही कह सका। बहावलपुरके नवाबको चाहिए कि वे सब हिंदू सिखको जहां वे जाना चाहते है, भेज दे, नहीं तो उनके धर्मका पतन हो जायगा। नवाब साहबके होते हुए क्या हुआ, वह क्या बताऊं ? वह काफी खतरनाक बात है । वहा काफी हिंदू, सिख मारे गए और परेशान भी हुए। सिखोंने तो बहावलपुरको बनाया है—वे बहादुर है, वे लड़ सकते है, किसानका काम कर सकते है और वे वहा किसान बनकर रहते है, खाते-कमाते है । वैसे ही हिंदू भी है। आलसी बनकर बैठे है, ऐसे थोड़े हैं। उन्होंने कोई गुनाह तो किया नही, गुनाह इतना ही है कि वे हिंदू है या सिख हैं। बिना गुनाहके काफी हिंदू और सिखोको मार डाला और बाकी भाग गए। जब हिंदू और सिख वहां आरामसे रह नहीं सकते तो नवाब साहब कुछ भी कहे तो उससे क्या ! मै तो कहूगा कि नवाब साहब अपने धर्मका पालन करें, इसीमें उनकी शोभा है। अगर वे वहां उन लोगोंको इज्जतसे रख नही सकते तो उनको चाहिए कि वे प्रबंध कर उन लोगोंको भेज दें, नही तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि वहां जितने हिंदू, सिख पड़े हैं उनके बालको भी कोई छूनेवाला नही है। वे आरामसे पड़े रह सकते हैं और अगर भूखों मरते है तो उनकी रोटीका प्रबध कर दिया जाय।

जो पागलपन हो गया वह हो गया। वैसा पागलपन तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोंमें हो गया। उस पागलपनको अब छोड़ दें और शराफतसे काम करें।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह आजके 'स्टेट्समैन' मे है। वह यह कि लाहौरमे जो शिविर पड़े है—उसमें तो दु:खी लोग है, वहां तो मुसलमान पडे हैं—वे बहुत गदे हैं, वहा हैजा हो रहा है, सीतला निकल रही है और काफी लोग ऐसे है जिनको कुछ हुआ तो नही है, लेकिन ठडमे पड़े रहते है। कुछ लोग ठडके कारण भी मरते है, क्योंकि बाहर पड़े रहते है। बाहर रहे तो रहे, लेकिन आकाशके नीचे कैसे रह सकते है? पानीसे बचनेको कुछ रहना चाहिए, तन ढकनेको चाहिए और रोटी भी चाहिए। ये न रहें तो मरनेका चारा हो गया। बाकी मैं नही जानता कि वहां क्या-क्या हो रहा है। हां, ऐसा भी है कि वहां स्यालकोटसे भंगी बुलाए गए हैं, जो शिविरोंकी सफाईका काम करेंगे, मैला उठाएगे। वहांके अफसर कहते हैं कि वहां उनसे पूरा-पूरा काम होता नही है—मैं तो जानता नही हूं कि क्या है, लेकिन मै इतना कहूगा कि परेशानीमे पड़े है। वे लोग पाकिस्तानमे है तो क्या हुआ, मुसलमान है तो क्या हुआ, इन्सान ऐसे क्यों बनें, मुझे इसका दु:ख होता है। हमारी ज्यादतीके कारण वे लोग यहांसे जान बचाकर भागे, यहासे घर-बार छोड़कर चले गए। वहा उनका घरबार तो है नही तो तकलीफ तो होगी ही; लेकिन यह क्या बात है कि वे अपनी सफाईतक न रख सके। मैं तो हर दु:खीको—वहां पड़े है उनको, और यहां पडे है उनको, सबको—कहूंगा कि उन्हे ऐसा कहना नही चाहिए कि हमे खाना बनानेवाले दो, झाड़ू करनेवाले दो, मैला उठानेवाले दो। जब घर छोड़कर भाग गए तो ऐसी मांग क्यों करनी चाहिए। वे तो करोड़पतिके लिए है। वह चाहे तो एक आदमीके बदले दस आदमी रख सकता है, लेकिन सब कैसे रख सकते है? मै तो कहूगा कि यह हमारे गिरनेके लक्षण है। उनको दृढ़तासे, हिम्मतसे कहना चाहिए कि हम स्यालकोटसे भगी नही बुलाएगे और अपने शिविरको हमें ही साफ रखना है। पाकिस्तानके अफसर और वहांकी हकूमतको भी कहना चाहिए कि हम आपके लिए स्यालकोटसे झाड़ू देनेवाले नही बुलाएंगे। इन्सानसे जितना हो सकता है उतना तो करें। उसके बाद

मरे वह बात दूसरी है, लेकिन नही करते है तो गुनाह इन्सानका है और इन्सानपर खूनका बोझ पड़नेवाला है । मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हू कि शरणार्थियोको शराफतसे रहना चाहिए । उन्हें चाहिए कि उनसे जितना काम हो सकता है, करें, किसीपर बोझ नहीं होना चाहिए । पंजाबका नमूना देकर सबको कहूंगा कि सफाईका काम खुद करना चाहिए । काम करनेमें कोई शर्म नहीं है ।

एक बात और कहूंगा । वह अच्छी बात है । आपको मैंने एक वक्त शायद सुनाया तो था कि प्यारेलाल यहां आ गए हैं । आप लोग तो जानते ही है कि वे कौन है । वे तो मेरा मंत्रीका काम करते है—वे बहुत दिनोंसे नोआखालीमें काम करते थे । उनके साथ और लोग भी थे—वे सब-के-सब जानपर खेल रहे थे, उससे वहां जितने हिंदू कष्टमें थे उन सबको सहारा मिल गया और मुसलमान भी समझ गए कि वे हमारे दोस्त है, सेवक हैं, मारने-पीटने नही आए है, वे तो दोनोंके बीचमें, अगर हो सके तो मेल कराने आए है । वे कहते है कि वहांकी एक चीज जानने लायक है, ऐसी तो कई चीज है; लेकिन यह एक बड़ी चीज है। वहां किसी मदिरको मुसलमानोंने तोड़ दिया था और उसपर लोगोंने अधिकार कर लिया था । तो यह तो झगड़ेकी बात हो गई । पीछे उन मुसलमानोने कहा कि हम हिंदुओके साथ मिल-जुलकर रहनेवाले है, लेकिन जब हिदू मंदिरको नहीं जा सकते, पूजा नही कर सकते तो यह जचनेवाली बात नही हुई । वह सब तो दुबारा सुनाऊगा, क्योंकि अब वक्त हो रहा है । पीछे मुसलमानोंने कहा कि वे अपने मदिरोमें जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हम भी जाकर उनके साथ पूजा करेंगे तो प्यारेलालने कहा कि क्या करोगे, मदिर तो है नहीं, मदिर तो होना चाहिए, तो उन लोगोने कबूल कर लिया कि ठीक है और मेहनत कर मंदिर बना दिया और कहा कि आप लोग आरामसे रह सकते है, पूजा कर सकते हैं, रामधुन चला सकते हैं । वहां प्रतिष्ठा हो गई । इस तरहसे अब सब बड़े आरामसे रहते हैं । अमलदारोंने भी इसमें हिस्सा लिया । वह अच्छी चीज है । अगर सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ऐसा हो जाय तो हमारी शक्ल बदल जाती है । अगर हम अपने धर्मपर कायम रहें और दूसरोंके धर्ममें दखल न दें तो हमारा सब काम हो सकता है ।

: १८७ :

२४ दिसबर १९४७

भाइयो और बहनो,

मेरे पास हमेशा सिख भाई आते रहते है। मै अखबारोमेसे थोडा पढ लेता हू, मिलने आनेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते है। वे लोग कहते है कि मै तो सिखोका दुश्मन बन गया हूं। उन्होने इसकी परवा न की होती, अगर मेरी बात हिंदुस्तानके बाहर कुछ-न-कुछ वजन न रखती। दुनिया मानती है कि हिदने अहिसाके, शातिके जरिये आजादी ली है। अगर ऐसा ही होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मगर पगु और नामर्दीसे अहिसा चल नही सकती। यह पगुपन और गूगा-पन शारीरिक नही। शरीरसे पगु बननेवाले तो ईश्वरकी मददसे अहिंसापर खडे रह सकते है। एक बच्चा भी अहिंसापर खडा रह सकता है—जैसे प्रह्लाद। ऐसा हुआ या नही, मै नही जानता, पर कहानी बन गई है कि प्रह्लादने अपने पिताको साफ कह दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिवा कुछ निकलेगा ही नहीं। मेरे सामने १२ बरसका बच्चा प्रह्लाद आज भी खडा है। मगर जो आदमी आत्मासे लूला है, पगु है, अधा है, वह अहिसाको समझ नही सकता। अहिंसाका पालन कर नही सकता। मैंने गलतीसे यह सोच लिया था कि हिदुस्तानकी आजादीकी लड़ाई अहिसक लड़ाई थी। लेकिन पिछली घटनाओने मेरी आखे खोल दी है कि हमारी अहिंसा असलमे कमजोरोंका मद विरोध था। अगर हिदुस्तानके लोग सचमुच बहा-दुरीसे अहिंसाका पालन करते, तो वे इतनी हिंसा कभी नही करते।

सिख भाइयोके गुस्सेपर मुझे हँसी आती है। सिखो और हिंदुओमें मै फर्क नही समझता। गुरु ग्रथसाहब मैने पढ़ा है। सिख कहते है कि मै गुरु गोविदसिहके बारेमे क्या समझू? अगर मे इस दिशामे अज्ञान होता, तो उनके बारेमे मैने जो लिखा है वह नही लिख सकता था। मै किसीका दुश्मन नही हू। उन्हें समझना चाहिए कि जब मै सिखोंकी शराबखोरी या जुआ खेलनेकी बात करता हू, तो वह सारे सिखोपर लागू नही होती। हिदुओमे भी ऐसे बहुत लोग पड़े हैं। मगर जहा सिखोंकी

तलवार नहीं चलनी चाहिए, वहां चलतो है यह-बुरी बात है। बुरा बरताव करनेवाला कोई भी क्यों न हो, वह ईश्वरके सामने गुनाह करता है।

आज २४ दिसबर है, कल २५। क्रिस्मस[1] ईसाइयोंके लिए वैसा ही त्योहार है, जैसी हमारे लिए दीवाली। न दीवाली नाचरंगके लिए हो सकती और न क्रिस्मस। जीसस क्राइस्टके नामसे यह चीज बनी है। इस मौकेपर सारे ईसाई भाइयोको मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने जीवनमें जीसस क्राइस्टके उपदेशोंपर अमल करेंगे। मैं नही चाहता कि कोई हिंदू, मुसलमान या सिख यह चाहे कि हिंदुस्तानके थोड़ेसे ईसाई बरबाद हो जाय या अपना धर्म बदल डालें। 'धर्म-पलटा' शब्द मेरी डिक्शनरी[2]में ही नही है। मैं चाहता हू कि हर ईसाई अच्छा ईसाई बने। हर हिंदू अच्छा हिंदू बने। वह हिंदू-धर्मकी मर्यादा और सयमका पालन करे और उसमे जो तपश्चर्या बताई गई है, उसे अपने सामने रखकर जीवन व्यतीत करे। उसी तरह मैं चाहता हू कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बने और सिख अच्छा सिख बने। पाजी हिंदू अगर मुसलमान बने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नही सकता। अगर मैं अच्छा हिंदू बनता हूं और ईसाईको अच्छा ईसाई बननेकी प्रेरणा देता हूं, तो मैं अपने धर्मका प्रचार करता हू।

ईसाई लोग जीसस[3]के धर्मपर कायम रहे। दुनियामें धर्मकी वृद्धिहो। मैंने अखबारोमें देखा है कि चूंकि अब ईसाई धर्म या दूसरे किसी धर्मको राजसे पैसेकी मदद नही मिलनेवाली है, बाहरसे भी बहुत पैसे नही आनेवाले है, इसलिए हिंदुस्तानके ७५फी सदी गिरजे बंद हो जायंगे। हमारे यहांके ज्यादातर ईसाई गरीब हैं। उनके पास पैसे नही हैं। मगर पैसेसे धर्म नही चलता। ईसाइयोंको खुश होना चाहिए कि पैसेकी यह बला दूर हुई। हजरत उमरके घर एक वार बहुत-सा इनामइकराम आ गया। वह बहुत गभीर होकर अपनी बीबीसे कहने लगे कि यह बला आ गई है। पता नहीं, अब मैं अपने धर्मपर कायम रह सकूंगा या नहीं। भगवान तो हमारे पास पड़ा है, उसे हम पहचानें। सबसे बड़ा गिरजाघर है ऊपर आकाश और

---

[1] बड़ा दिन; [2] कोष; [3] ईसा।

नीचे धरती माता। खुलेमें क्या मै भगवानका नाम नही ले सकता ? भगवानकी पूजाके लिए न सोना चाहिए न चादी। अपने धर्मका पालन हम खुद ही कर सकते है, और खुद ही उसका हनन कर सकते है।

: १८८ :

२५ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

काश्मीरमे जो कुछ हो रहा है, उसके बारेमे थोड़ा बहुत मुझे और आपको मालूम है। एक चीजकी तरफ मै आपका ध्यान खीचना चाहता हू। अखबारोमे आ गया है कि यूनियन और पाकिस्तान काश्मीर-के बारेमे फैसला करनेका किसीको निमत्रण दे। यह पच नियुक्त करनेकी बात हुई ? कहांतक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान और यूनियन आपसमें फैसला कर ही नही सकते ? कहातक हम आपसमें लड़ते रहेगे ? दोनों काश्मीर और जम्मू एक हैं। वहां मुसलमानोंकी अधिकता है। काश्मीरके दो टुकड़े करे, तो यह टुकड़े करनेकी बात कहा जाकर रुकेगी ? हिंदुस्तानके दो टुकड़े हुए, इतना बस है, बससे ज्यादा है। हिंदुस्तानको ईश्वरने एक बनाया, उसके टुकड़े मनुष्य कैसे कर सकता था ? पर वह हुआ। लीग और काग्रेस अलग-अलग कारणोंसे उसमे राजी हुई। आज काश्मीरके टुकड़े करें तो दूसरी रियासतोंके क्यों नही ?

काश्मीरमे झगड़ा क्यों हुआ ? कहा जाता है कि हमला करनेवाले डाकू है, लुटेरे है, वे बाहरसे आते हैं, रेडर्स[1] है। मगर जैसे-जैसे वक्त बीतता है, वैसे-वैसे पता चलता है कि ऐसा नही है। उर्दूके कुछ अखबार यहां आ जाते हैं। मै थोड़ा-बहुत खुद पढ़ सकता हूं। कुछ मुझे आसपास वाले सुना देते है। आज 'जमींदार' नामके अखबारमेंसे मुझे थोड़ा सुनाया गया। 'जमीदार'के एडीटर[2]को मै पहचानता हू। उनकी जबानपर कभी लगाम

---

[1] आक्रमणकारी; [2] सम्पादक।

नहीं रही। अब तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला निमंत्रण दिया है कि सब मुसलमान काश्मीरपर हमला करनेके लिए भर्ती हों। डोंगरोको, सिखोंको, सबको उन्होंने गालियां दी हैं। काश्मीरकी लड़ाईको जिहाद[1] कहा है। मगर जिहादमें तो मर्यादा होती है—संयम होता है। यहा तो कुछ भी नही है। जो कुछ चल रहा है, वह होना नहीं चाहिए। क्या वह यह चाहते हैं कि हिंदू, सिख और मुसलमान हमेशा अलग ही रहें? मुसलमान अगर हिंदुओं और सिखोंको मारे-काटें, फिर भी हमारा धर्म क्या है? यह मै आपको रोज बतलाता हूं। हिंदू और सिख कभी बदला न लें।

सीधी बात यह है कि काश्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढ़ाई है। हिंदुस्तानका लश्कर वहां गया हुआ है, मगर चढ़ाई करनेको नही। वह महाराजा और शेख अब्दुल्लाके बुलानेपर वहा गया है। काश्मीरके सच्चे महाराजा शेख अब्दुल्ला हैं। हजारो मुसलमान उनपर फिदा हैं।

अपना गुनाह हरएकको कबूल कर लेना चाहिए। जम्मूके सिखों और हिंदुओंने या बाहरसे आए हुए हिंदुओं और सिखोंने वहां मुसलमानोंको काटा। काश्मीरके महाराजा इग्लैंडके राजाकी तरह नही है। उनकी रियासतमे जो भी बुरा-भला होता है, उसकी जिम्मेदारी उनके सिरपर है। वहा काफी मुसलमान कतल किए गए, काफी लड़कियां उड़ाई गईं। शेख अब्दुल्ला साहबने बचानेकी कोशिश की। जम्मूमे जाकर उन्होंने बहस की, लोगोंको समझाया। काश्मीरके महाराजाने अगर गुनाह किया है तो उन्हे या जिस किसीने गुनाह किया है, उसे हटानेकी बात मैं समझता हूं। पर काश्मीरके मुसलमानोंने क्या गुनाह किया है कि उनपर हमला होता है?

पाकिस्तानकी हकूमतसे में अदबसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि इस्लामकी सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान है। मगर आपको उसका फख्र तभी हो सकता है, जब आपके यहा एक-एक हिंदू-सिखको इन्साफ मिले। पाकिस्तान और हिंदुस्तानको आपसमे बैठकर फैसला करना चाहिए, लेकिन तीसरी ताकतके मार्फत नही। दोनों तरफके प्रधान

---

[1] मजहबी लड़ाई।

बैठकर बातें करे। महाराजा अपने आप समझकर अलग बैठ जायं और लोगोंको फैसला करने दें। शेख अब्दुल्ला तो उसमें होंगे ही। मगर महाराजा समझ ले और कह दे कि यह हकूमत मेरी नही, काश्मीरके लोगोंकी है। यहाके लोग जो चाहे, सो करें। काश्मीर, काश्मीरके मुसलमानों, हिंदुओं और सिखोका है, मेरा नही। महाराजा और उनके प्रधान अलग हो जाते है, तो शेख साहब और उनकी आरजी हकूमत रह जाती है। सब बैठकर आपस-आपसमे फैसला करे। उसमें सबका भला है। यूनियन सरकारने काश्मीरकी मदद की तो वहाकी प्रजाके खातिर; महाराजाके खातिर नही। काग्रेस प्रजाके विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नही ले सकती। राजाओको प्रजाका ट्रस्टी बनकर रहना है, तभी वे रह सकते हैं।

एक उर्दू मैगजीन[1]मे आज मैने एक शेर देखा। वह मुझे चुभा। उसमे कहा है—'आज तो सबकी जबानपर सोमनाथ है। जूनागढ़ वगैराका बदला लेनेके लिए गजनीसे किसी नए गजनवीको आना होगा।' यह बहुत बुरा है। यूनियनके किसी मुसलमानकी कलमसे ऐसी चीज नही निकलनी चाहिए। एक तरफसे मित्रभाव और वफादारीकी बातें और दूसरी तरफसे यह! मै तो यहा यूनियनके मुसलमानोंकी हिफाजतके लिए जीवनकी बाजी लगाकर बैठा हू। मै तो यही करूंगा, क्योंकि मुझे बुराईका बदला भलाईसे देना है। आप लोगोंको यह सुनाया, ताकि आप ऐसी चीजोंसे बहक न जावे। गजनवीने जो किया था, बहुत बुरा किया था। इस्लाममे जो बुराइया हुई है, उन्हे मुसलमानोंको समझना और कबूल करना चाहिए। काश्मीर, पटियाला वगैराके हिंदू-सिख राजाओंको उनके यहां जो बुराई हुई हो उसे कबूल कर लेना चाहिए, उसमे कोई शर्म नही। गुनाह कबूल करनेसे वह हलका होता है। यूनियनमें बैठकर मुसलमान अगर अपने लड़कोंको सिखावें कि गजनवीको आना है, तो उसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तानको और हिंदुओंको खा जाओ। इसे कोई बर्दाश्त करनेवाला नही। दोनों आपसमे मिलकर चाहे कुछ भी कर लें। अगर यह शरारतभरा शेर एक महत्त्वपूर्ण मैगजीनमे न छपा होता, तो मैं उसका जिक्र भी न करता।

---

[1] अखबार।

: १८६ :

२६ दिसंबर १९४७

भाइयो और बहनो,

आज मै आपको यहांके तिबिया कॉलेजके बारेमें एक बात सुनाना चाहता हूं। इस कॉलेजके जन्मदाता हकीम अजमलखां थे। आज कमनसीबीसे हम मुसलमानोंको दुश्मन मानकर बैठ गए हैं। मगर जब तिबिया कॉलेज बना था, तब ऐसा नही था। हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबोने और हिंदू-मुस्लिम जनताने उसके लिए पैसा दिया था। हकीम साहब बड़े तबीब (डॉक्टर) थे। वह इस कालेजको चलाते थे। इसका एक ट्रस्ट भी बना था। ट्रस्टमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। डॉ० अन्सारी भी उसके ट्रस्टियोंमे थे। आज कुछ हिंदू सज्जन मेरे पास आए थे। उन्होंने पूछा कि तिबिया कॉलेजका क्या होगा? अगर तिबिया कॉलेज बंद हो, तो मै समझता हू कि हमारे लिए बहुत दुःख और शर्मकी बात होगी। आज तो वह बंद पड़ा है। कॉलेज करोलबागमे है। हमने बहुतसे मुसलमानोंको अपने पाजीपनसे भगा दिया। मगर दिल्लीमें आज मुसलमान कहा रह सकते है और कहा नहीं रह सकते, यह बड़ा प्रश्न है। दूसरोंको मिटानेकी चेष्टा करनेवालोंको खुद मिटना होगा। यह जीवनका कानून है। यह अपने आपको और अपने धर्मको मिटानेकी बात है।

दूसरी बात जो मै कहना चाहता हू, वह पहले कह चुका हूं। मगर वह बार-बार कही जा सकती है। हजारों हिंदू और सिख लड़कियोको मुसलमान भगा ले गए है। मुसलमान लड़कियोंको हिंदुओं और सिखोंने भगाया है। वे सब कहां है? उनका पता भी नही है। लाहौरमें सबने मिलकर यह फैसला किया था कि सारी भगाई हुई हिंदू, सिख और मुसलमान औरतोंको निकाला जाय। मेरे पास पटियाला और काश्मीरसे भगाई हुई मुसलमान लड़कियोंकी एक लबी लिस्ट[1] आई है। उनमेंसे कई अच्छे और मशहूर घरोकी लड़कियां है। अगर वे लड़कियां मिलें तो उन्हें वापस

[1] सूची।

लेनेमे कोई कठिनाई नही होगी। लेकिन हमारे हिंदू लोग खोई हुई हिंदू और सिख लडकियोंको आदरसे वापिस लेगे या नहीं, यह बडा प्रश्न है। अगर उनके साथ किसीने निकाह भी कर लिया, उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, तो भी मेरे विचारसे वे मुसलमान नही हुईं। उन्हें मैं आदरसे अपने पास रखूगा। उनकी जो सतान होगी उसे भी आदरसे रखूगा। वे दिलसे तो नही बिगडी। अगर वे दुष्टोके पजेमे फस गई तो मेरे मनमे उनके प्रति घृणा नही हो सकती, रहम ही हो सकता है। समाजको उन्हें वापस ग्रहण करना ही चाहिए। अगर उन्हें आदरसे वापस नहीं लेना हो तो उन्हे लोगोंके घरोसे निकालनेकी चेष्टा ही क्यो की जाय? किसी लपटने उनपर जबरदस्ती की और उन्हे हमल[१] रह गया, तो क्या उन्हे मै ठुकरा दू? नही, उन्हे मै अपनी गोदमे बिठाऊगा।

ऐसी जो लडकिया हिंदू थी, वे हिंदू रहेगी, और जो सिख थी वे सिख रहेंगी। बच्चोका धर्म माका ही धर्म रहेगा, बड़े होकर वे स्वेच्छासे भले किसी धर्ममे चले जाय। सुनता हूं कि कई लड़किया आज कहती हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहती। क्योकि उन्हे डर है कि उनके मा-बाप या पति उनकी तौहीन[२] करेगे। जिन लडकियोके रिश्तेदार है, उन्हे ऐसी लड़कियोंको आदरपूर्वक वापिस लेना चाहिए। जिनका कोई नही है, उन्हे हम कोई धधा सिखा दे, ताकि वे अपने पाँवोपर खडी रह सके। मेरे पास ऐसी कोई लड़की आ जायगी तो उसे मैं लाकर आपके सामने यहा बिठाऊगा। जैसा इन लडकियोंका आदर है, वैसा ही उसका भी होगा। वह मेरी गोदमे बैठेगी। अगर मैं बेरहम बन जाऊ, तो मैं हिंदू नही रह जाऊगा। गुडा मुसलमान हो या हिदू, वह बुरा है। मुसलमान लडकियोको हमे वापिस करना चाहिए और पचके सामने अपने गुनाहका प्रायश्चित्त करना चाहिए। यह लिस्ट देखकर मैं कांप उठता हू। जम्मूमें भी यही हुआ। मर्दो और बूढी औरतोंको मार डाला और जवान लड़कियोको उठा ले गए। मैं नहीं जानता कि वे कहां है। अगर मेरी आवाज वहातक पहुच सकती हो, तो मेरा उन लोगोंसे अनुरोध है कि उन सब लड़कियोको वे लौटा दे।

---

[१] गर्भ; [२] अनादर।

कहते है कि काफी हिंदू और सिख लड़कियां किसी पीरके यहां पड़ी है। वे कहते हैं कि उन्हे किसी तरहका नुकसान नहीं पहुचाया जायगा। मगर हम उन्हें तबतक वापिस नहीं करेंगे, जबतक हमारी मुसलमान लड़कियां वापिस नही आएगी। लकिन ऐसी चीजोंमें सौदा क्या ? हमे दोनों तरफसे सब लड़किया अपने-आप लौटा देनी चाहिएं। वही आराम और शराफतसे रहनेका रास्ता है, नही तो हमारा मुल्क ४० करोड़ गुडोंका मुल्क बन जायगा।

: १६० :

२७ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मै आज इस देहात[1]में प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे प्रार्थनामे यहां धन्यवाद करते है या मान-पत्र देते है या हार पहनाते है, ऐसा होना नही चाहिए। प्रार्थना करना तो हमारा धर्म है। प्रार्थना तो जब प्रात.काल हम उठते हैं तभी करते हैं। अगर हम नियमित रूपसे प्रार्थना करे तो फजर[2] और शाम को करें। शामको पाच बजे अगर हो सके तो मिलकर करें, लेकिन जाड़ेके दिनोमे जितनी जल्दी कर सके, अच्छा है। सोते है तब, और उठते हैं तब, ईश्वरकी याद करें। बीचमे जब काम करते है तब ईश्वरका काम करे, स्वार्थका काम न करे, सेवा करें। प्रार्थनामे क्या भरा है यह मै आज नही समझा सकता; क्योंकि मेरे पास इतना समय नही है।

मैने जब कह दिया कि मान-पत्र नही चाहिए, हार नही चाहिए तो भी आप लोगोंने दिया तो मै इसके लिए आभारी हू। आपने मान-पत्र-मे सत्य और अहिसाका जो उल्लेख किया है वह बहुत भारी चीज है। अगर हमारे आचार-विचार ऐसे नही हैं तो हम नाम लेनेसे घातक बनते

---

[1] दिल्लीसे बारह मील दूर सिंभालका नामक गांवमें; [2] सुबह।

हैं। मै तो ऐसा धोखा दे नही सकता हूं। जबसे मै दक्षिण अफ्रीकासे हिंदुस्तान आया हू तबसे मै हिंदुस्तानका भ्रमण कर रहा हू। एक दफा नही, कई दफा सारे हिंदुस्तानका मैने भ्रमण किया है, हजारों देहातोंको देखा है। लोग ऐसी बाते कह तो देते है, लेकिन करते नहीं है। उनको मानते हैं या नही, उसकी परवाह नही करते। हम ऐसा कभी न करे। खयाल एक चीजका करें, उच्चारण दूसरेका और आचरण तीसरी चीजका करे तो बात बनती नही है। हिंदुस्तानमे आपस-आपसमे हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरेको काटे, गाली दे, हटा दे तो हमारे लिए शर्मकी बात है। दैवयोगसे आपके यहा झगडा नही है, क्योकि मुसलमानोंकी ज्यादा आबादी नही है। अगर है तो थोडी-सी। तो वे बेचारे क्या करनेवाले है? अगर मै जान लेता कि यहा कितने है तो अच्छा होता और कुछ ज्यादा सुना सकता था। अगर हम आपस-आपसमे दुश्मनी करते है तो अहिसा छोड दें। हम कम-से-कम इतने सच्चे तो हो जाय। अगर हम ऐसा नही करते है तो वह दुखकी बात है। हम आजाद हुए हैं तो एक दूसरेको काटनेके वास्ते नही। आजादीके माने यह है कि हम बिना किसी दबावके धर्मका पालन करें—धर्मकी आजादी मिली है, अधर्मकी नही। ईश्वरसे कोई ऐसी प्रार्थना थोडे करता है कि हमको झूठ बोलने दे। अगर हम ऐसा करते है तो हम शैतानकी बदगी करते है, उसके पजेमे पड़ते है और गुलाम बन जाते है।

आप लोगोंने पचायत बनाई है तो अच्छा किया, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अगर पंचायतका काम नहीं किया तो मैं कहूगा कि पचायतका नाम किया, लेकिन काम नही किया। आपकी पंचायत सच्चे मानेमे पचायत नही है। पहले हिंदुस्तानमें सच्ची पचायत थी—आपने तथा मैंने वह देखी नही है; लेकिन चीन और यूनानसे जो लोग हिंदुस्तान आए वे सब कहते हैं। उनकी किसीने खुशामद नही की, उनको किसीने पैसा नही दिया, उनको किसीने बुलाया भी नही। वे खुद बड़ी तकलीफ उठाकर आ गए—वे ज्ञान पाने आए, तो वे लिखते है कि हिंदुस्तानमें कहीं चोरी देखनेमे नही आई, किसी जगह ताला-कुजी नहीं देखा, यह कोई हजारों वर्षकी बात नही है। हजारों वर्षका इतिहास कहां है?

वह तो रामायण-महाभारतसे निकलता है; लेकिन किसीने देखा नहीं है—वह कहांतक ठीक है यह मै नही कह सकता। एक-दो हजार वर्षकी बात इतिहाससे पता चलती है; लेकिन ग्राज हम उस ढगसे नही रहते, जैसे एक-दो हजार वर्ष पहले रहते थे।

पहले चार वर्ण थे। मै उनके वर्णनमे नहीं जाना चाहता हूं। ग्राज तो कितने ही वर्ण हो गए है। उनको वर्ण कहना ग्रनर्थ हो जाता है। ग्राज ग्रापने पंचायत कर ली तो ग्रापने कितनी जिम्मेदारी ले ली। गाय ग्राज इतना कम दूध देती है कि कई लोग कहते है कि उनको काट डालो। मुसलमान तो काटते है, लकिन हिदू जितनी गाए काटते है उतनी गाएं जगतमे कोई नही काटता। हिदू ग्रच्छी तरहसे रखते ही नही, किस तरहपर गाए रखनी चाहिए, यह जानते ही नही। यह तो ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता काटनेकी बात हो गई। इससे ग्रच्छा तो जल्दीसे काट दे तो वे खत्म हो जाय। हम उनकी पूजा तो करते है, लेकिन कष्ट इतना देते है जितना दुनियामे कही नही दिया जाता। ग्राज ग्रगर एक गाय तीन सेर दूध देती है तो एक वर्षके बाद मै सुनना चाहता हू कि वह ६ सेर दूध देती है, तब मै समझूगा कि ग्रापने कुछ किया।

इसी तरह ग्राप ग्रनाज दुगुना पैदा करे। ग्राप कहेगे—कैसे? मै कहूगा कि ग्राप जमीनको पेटभर खानेको दे। मीराबेन ग्राई थी, उसने सभा बुलाई। उसमे बहुत लोग ग्राए। उन लोगोंने तय किया कि गावमें जितना कूड़ा-कचरा, गोबर, विष्ठा होता है उनमेसे सुनहरी खाद पैदा कर सकते हैं। इसमे पैसे भी नही लगते, हा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इससे जमीनकी पैदा करनेकी शक्ति बढ जाती है।

ग्राज यहा कितनी स्वच्छता है, मै यह नही जानता हूं; लेकिन ग्रापका परम कर्तव्य है कि ग्राप तगड़े हों। ग्राप भीतर भी स्वच्छ रहे ग्रौर बाहर भी। ग्रापका देहात ऐसा होना चाहिए कि किधर भी जाए कूडा-कचरा न मिले, गोबर पड़ा हुग्रा न मिले ग्रौर दुर्गंध न ग्राए। ग्रापको स्वच्छताके नियम पूर्णत. पालन करने चाहिए।

मैं कहूगा कि यहां सिनेमा-घर रखकर क्या करोगे? हमारे जमानेके कितने खेल पड़े हैं, नाटक हैं, ये सब करो। सिनेमा ग्राएगा तो पैसे खर्च

करोगे, पीछे जुआ खेलोगे। इससे और भी कई बुराइया सीखोगे। जब तालीम दी जायगी तब भले ही कुछ फायदा हो, लेकिन अभी तो मै ये बुराइया देख रहा हूं। अभी तो आपमेसे कई भाई शराब, गाजा, भांग पीते हैं, लेकिन जब सब भाई ये व्यसन छोड़ दे तब मैं समझूगा कि आपने सचमुच पचायत बनाई। तब दिल्लीके लोग यहां देखने आएगे। पीछे आप अस्पृश्य बन जाय और छूआछूतको भूल जाय। आप जब यह समझने लगे कि मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिस्टी, पारसी सब भाई है तब आप हिदुस्तानकी आजादी किसको कहते है, यह सिद्ध करके बतानेवाले हैं। तब हिदुस्तान आपके गांवका नमूना देखकर नकल करेगा। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप यह सब काम कर सके।

आप लोग तालिया न बजाए, क्योकि मैंने जो कहा है वह भी प्रार्थनामे शामिल है और प्रार्थना तो ईश्वरका नाम है। मुझे आपलोगोंका आशीर्वाद चाहिए और मैने जो कहा है वह पूरा कर दिया तो मुझको आपने सब दे दिया, मेरा काम पूरा कर दिया, ऐसा मै माननेवाला हू।

: १६१ :

२८ दिसंबर १६४७

भाइयो और बहनो,

आज मै व्यापारियोंकी सभामें चला गया था। उन लोगोने भी बताया कि कुछ अन्य चीजोंकी तरह कपडेपरसे भी अकुश हटा लिया जाय। मुझको इसमे शक नही है कि अकुश छूट जाना चाहिए। उस सभाकी सब चीज तो आप अखबारमे देख ही लेगें, लेकिन एक चीज कहने लायक है। वह यह कि व्यापारियोंने बताया कि अकुश हटनेका ऐसा चमत्कार हो गया है कि कपडेपरसे अंकुश न हटनेपर भी कपडेके दाम कम होने लगे हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि लोगोंको ऐसा खयाल हो गया है कि अब चूकि गांधीजी लोगोंकी आवाजको हकूमततक पहुचा रहे है, इसलिए कपड़ेपरसे शीघ्र अकुश हट जायगा। इसीसे चोर-

बाजारका कपड़ा बाहर आ गया और दाम कम हो रहा है।

उसी तरह चीनीका हो गया है। मुझको बताते हैं कि जिधर जाओ उधर चीनीका ढेर पडा है। वहांसे सब लोग ले जाते हैं। एक रुपया सेरके भावसे लेते है। आज मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते है कि हम तो इस भावसे नही ले सकते, तो पद्रह आना सही, चौदह आना सही। यह तो व्यापार है। अंकुश छूट जानेसे लोग आरामसे ले जाते है। इसमें ऐसी खूबी है। हर जगहसे इस तरहसे मेरे पास तार और खत आ रहे हैं। अकुश छूट जानेसे आराम महसूस करते है। पीछे मुझको लिखते है कि करोडोंकी दुआ तुमको मिलती है। मैं समझता हू कि मुझको दुआ क्यों मिले—करोड़ोंको मिले। मैंने तो करोड़ोंकी आवाज उठाई—न उठाऊ तो मेरी आवाजको क्यों सुने? जब मै अपनी आवाज उठाता हू तब कौन सुनता है? मैं कहता हूं कि मुसलमानोको दुश्मन मत मानो तब लोग मुह मोड़ लेते है। लोग कहते हैं कि यह क्या पागलपन करता है। मेरी ऐसी आवाज कोई नही सुनता। हां, मै इतना तो जरूर कहूगा कि अगर करोडो लोग मेरी आवाज नहीं सुनते है तो अपने धर्मको हानि पहुचाते है। लोगोंको समझना चाहिए कि मैं जब हमेशा अच्छी बात कहता हू तो अभी बुरी बात क्यो कहूंगा? मैं गलत बात कहता ही नही। इसमे गलत बात क्या कहनी थी! मै जो कहता हू कि धर्मकी जड दया है वह तो तुलसीदासका है। उससे कहो कि तू दीवाना है। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती है उतनी सारे हिंदुस्तानमे दूसरी कोई पुस्तक नही चलती—शायद ही दुनियामे इतनी कोई दूसरी पुस्तक चलती होगी। वह पुस्तक सिर्फ बिहारमे चलती है या युक्तप्रातमें चलती है, ऐसी बात नही है। वह सब जगह चलती है। मैंने तो उनका काम किया, उनकी आवाज उठाई। इसमें मुझको पागल कहनेकी क्या बात है। लकडीपर क्या अंकुश रखना था! वह खानेकी चीज तो है नहीं कि न मिले। मानो कि मिलने लग जाय तो सब खा जायंगे यानी जला डालेंगे? लेकिन उतनी ही जलाएंगे जितनी जरूरत होगी। कोई फालतू तो जलाएगा नही। तब उसपर अंकुश क्यों? मुझको तबतक संतोष नहीं जबतक लकड़ीपरसे अंकुश न हट जाय। आज उसका मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि गरीबोंकी हानि होती है।

पीछे मुझको सुनाते है कि आपने इतना तो किया तो पेट्रोलपरसे अकुश हटानेके लिए आवाज उठाओ। मैं तो कहूगा कि पेट्रोलपरसे भी अकुश हट जाना चाहिए और कल हट जाना चाहिए तभी हमारी भलाई होने-वाली है। पेट्रोलपरसे अंकुश हट जायगा तब ज्यादा मोटरे चलेगी। इससे गरीबोंको नुकसान नहीं होगा—फायदा होगा। अगर रेलगाड़ियां ज्यादा चले तो पेट्रोलकी ज्यादा जरूरत नही, लेकिन ज्यादा रेल बनाए तो करोड़ों रुपया खर्च होगा। जितना है उतना तो हजम होने दो। ज्यादा क्या करोगे? रेलके लायक बने तो सही। हमको जितना चाहिए उतना है। जल्दीसे एक जगहसे दूसरी जगह जानेके रास्ते तो है, लेकिन पेट्रोल नही है। एक जगहसे दूसरी जगह हम जितनी चीज भेजना चाहे भेज सकते है। इसके लिए हमे रेल-यातायात नही, सडक-यातायातके साधनोंकी जरूरत है। मै समझता हू कि अगर पेट्रोलपरसे अकुश उठ गया तब यह हो सकता है। अकुश हटानेसे सब दाम कम हो रहे है। किसी चीजका दाम बढ़ नही रहा है। अगर कोई ऐसा कहे तो वह गलत बात है। अगर दाम बढ़ते तो मेरे पास इतने तार कहासे आते! क्योंकि दाम गिर रहे है, लोग कहते है कि अच्छा हुआ। पेट्रोलपरसे अंकुश हट जाय तो सड़क-यातायात बढ जायगा। इसके बढ़नेसे सब जगह अनाज और कपडा जा सकेगा। नमकका आना-जाना बढ़ जाएगा।

सबसे ज्यादा तो नमकका दाम कम होना चाहिए, लेकिन वह सबसे ज्यादा है। नमकपर कर बद हो गया, इसलिए दाम बढ गया, यह गलत बात है। हा, लेकिन नमकका दाम बढ गया है। हमारी आदत नही हुई है कि नमक पैदा कर ले। नमक बनाना हमने सीखा नही है। हिंदुस्तानके पास दरियाका किनारा इतना पड़ा है कि नमककी कमी हो नही सकती। दरियाके पानीसे बच्चा भी नमक बना सकता है। नमक बड़े आरामसे बनाया जा सकता है। एक बहन बना सकती है। बंगालसे नमकका पानी लाऊ तो बड़े आरामसे नमक बन सकता है। इसके लिए इतना पैसा देना पड़ता है, इतने झझटमे पड़ते है। इसका सबब यह है कि जिस जगह नमक बनता है वहासे वह आ नही रहा है—वहांसे शीघ्रतासे हम ला नही सकते। मै मानता हूं कि उसमें एक गलती हो गई है। वह यह कि किसीको ठेका दे दिया है कि

तुम लाओ। वे बदमाशी करना सीख गए हैं, जिससे बहुत पैसा कमाते हैं। वहासे दूसरे ला नही सकते। इस ठेकेकी तबदीली[1] होनी चाहिए। अगर नमकको सस्ता करना है तो अकुश हटाकर चमत्कार देखो। हां, दो चीजे जरूरी है, एक यह कि ठेका-प्रणालीमें तबदीली हो और दूसरी सड़क-यातायातकी व्यवस्था हो। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

: १६२ :

२६ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

कल हकीम अजमल खा साहबकी वार्षिक तिथि थी। वह हिंदुस्तानके हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिस्टी, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे। वह पक्के मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देशके रहनेवाले सब लोगोकी समान सेवा करते थे। उनकी मेहनतकी सबसे बढ़िया यादगार दिल्लीका मशहूर तिबिया कालेज और अस्पताल था। वहापर हर श्रेणीके विद्यार्थी पढते थे और वहा यूनानी, आयुर्वेदिक और पश्चिमी डाक्टरी सब सिखाई जाती थी। साप्रदायिकताके जहरके कारण यह सस्था भी, जिसमे किसी तरह सांप्रदायिकताको स्थान न था, बद हो गई है। मेरी समझमे इसका कारण इतना ही हो सकता है कि इस कालेजको बनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वे चाहे कितने ही महान् और भले क्यों न रहे हो, और भले ही उन्होंने सबका मान सपादन क्यों न किया हो। उस स्वर्गवासी देशभक्तकी स्मृति, अगर वह हिंदू-मुस्लिम फिसादको दफन नही कर सकती, तो कम-से-कम इस कालेजको तो नया जीवन दे सके।

कल मैंने जिक्र किया था कि हमारी सभाए वगैरा खुलेमें, आकाशके मंडपके नीचे हों। यह बहुत इष्ट चीज है। अगर यह आम रिवाज हो जावे

---

[1] परिवर्तन।

तो इस कामके लिए विचारपूर्वक जगह वगैराका प्रबंध करना होगा। छोटे-बडे शहरोमे इस कामके लिए मैदान रखने होंगे; अपनी आदतें हमें बदलनी होंगी; शोरकी जगह शाति और बेतरतीबीकी जगह करीने[1]से बैठना सीखना होगा। हमारी आदते सुधरेगी तो हम तभी बोलेगे जब हमें बोलना ही चाहिए और जब बोलेगे तब हमारी आवाज उतनी ही ऊची होगी, जितनी कि उस मौकेके लिए जरूरी होगी, उससे ज्यादा कभी नही। हम अपने पड़ोसीके हकका मान रखेगे, और व्यक्तिगत रूपसे या सामूहिक रूपसे कभी दूसरोंके रास्तेमे नही आएगे; दूसरोके कामोंमे दखल नही देंगे। ऐसा करनेके लिए कई बार अपने आपपर बहुत सयम रखना पड़ेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थामे दिल्लीके सबसे ज्यादा कारोबारवाले हिस्सेमे जो शोर और गदगी आज देखनेमे आती है, वह नहीं मिलेगी, चाहे कितने ही बड़े हजूम[2] क्यों न हो, धक्कम-धक्का या फिसाद नही होगा। हम ऐसा न सोचे कि इस लक्ष्यको तो हम पहुच ही नही सकते। किसी-न-किसी तबके[3]को इस सुधारके लिए दिली कोशिश करनी होगी। जरा विचार कीजिए इस किस्मके जीवनमे कितना समय, शक्ति और खर्च बच जायगा।

मैंने काश्मीर और वहाके महाराजा साहबके बारेमे जो कुछ कहा है उसके लिए मुझे काफी डांट खानी पडी है। जिन्हे मेरा कहना चुभा है उन्होंने मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक पढा नही लगता। मैंने तो वह सलाह दी है जो मेरी समझमे एक मामूली-से-मामूली आदमी दे सकता है। कभी-कभी ऐसी सलाह देना फर्ज हो जाता है और वही मैंने किया। ऐसा किया इसलिए कि मेरी सलाह अगर मानी जाती तो महाराजा साहब अपनी और जगतकी आखोंमे बहुत ऊचे चले जाते; उनकी और उनकी रियासतकी हालत आज ईर्ष्याके लायक नही। काश्मीर एक हिंदू राज है और उनकी प्रजामें बहुत बडी अक्सरियत मुसलमानोंकी है। हमलावर अपने हमलेको 'जिहाद' कहते हैं। वे कहते हैं कि काश्मीरके मुसलमान हिंदू राजके जुल्मके नीचे कुचले जा रहे थे और वे उनकी रक्षा करनेको आए हैं।

---

[1] सलीका; [2] भीड़; [3] गिरोह।

शेख अब्दुल्ला साहबको महाराजाने ठीक वक्तपर बुलाया है। शेख साहबके लिए यह काम नया है। अगर महाराजा उन्हें इस लायक समझते हैं तो उन्हें हरएक तरहका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुझे यह स्पष्ट है और बाहरके लोगोके सामने भी स्पष्ट होना चाहिए कि अगर शेख साहब अक्सरियत और अकलियत दोनोंको अपने साथ न रख सके तो काश्मीरको सिर्फ फौजी ताकतसे हमलावरोसे बचाया नही जा सकता। महाराजा साहब और शेख साहब दोनोंने हमलावरोका सामना करनेके लिए यूनियनसे फौजी मदद मागी थी।

महाराजाको मेरे यह सलाह देनेमें कि वे इगलैडके राजाकी तरह वैधानिक राजा रहे, और अपनी हकूमत और डोंगरा[1] फौजको शेख साहब और उनके सकटकालीन मत्रिमडलके कहनेके मुताबिक चलावे, आश्चर्यकी बात क्या है? रियासतोंके यूनियनके साथ जुड़नेका शर्तनामा तो पहले ही जैसा है। वह राजाको अमुक-अमुक हक देता है। मैंने एक सामान्य व्यक्तिकी हैसियतसे महाराजाको यह सलाह देनेका साहस किया है कि वे अपने आप अपने हकोंको छोड दे या कम कर दे और एक हिंदू राजाकी हैसियतसे वैधानिक कर्तव्यका पालन करे।

अगर मुझे जो खबरे मिली है उनमे कोई गलती है तो उसे सुधारना चाहिए। अगर हिंदू-धर्मके बारेमे और हिंदू-राजाके फर्जके बारेमे मेरे ख्यालात भूलभरे है तो मेरी सलाहको वजन देनेकी बात नही रहती। अगर शेख साहब मत्रिमडलके मुखियाकी हैसियतसे या एक सच्चे मुसलमानकी हैसियतसे अपना फर्ज पूरा करनेमें गलती करते है तो उन्हें एक तरफ बैठ जाना चाहिए, और बागडोर अपनेसे बेहतर आदमीके हाथोंमें सौंप देनी चाहिए।

आज काश्मीरकी भूमिपर हिंदू-धर्म और इस्लामकी परीक्षा हो रही है। अगर दोनों सही तरीकेसे और एक ही दिशामें काम करें तो मुख्य कार्यकर्ताओंको यश मिलेगा और कोई उनका यश और नाम और इज्जत छीन नही सकेगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि इस अंधकारमय

---

[1] राजपूतोंकी जाति।

देशमे काश्मीर रोशनी दिखानेवाला सितारा बने।

यह तो हुआ महाराजा साहब और शेख साहबके बारेमें। क्या पाकिस्तान सरकार और यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्थ हिंदुस्तानियोंकी मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फैसला नही कर लेगी ? क्या हिदुस्तानमें निष्पक्ष लोग रहे ही नही ? मुझे यकीन है कि हमारा ऐसा दिवाला नहीं निकला।

मुझे मथुरासे एक बहिनने ५०)का मनीआर्डर शरणार्थियोंके लिए कबल खरीदने को भेजा है, वह अपना नाम मुझे भी बताना नहीं चाहती और लिखती है कि प्रार्थना-सभामें अपने भाषणमे मै उन्हे पहुच दे दू; मै आभारके साथ उनके ५०) रु० की पहुच देता हूं।

आश्चर्यकी बात है कि जिन रियासतोके राजाओंने यूनियनमें जुड जानेका इरादा जाहिर किया है वहांकी प्रजाकी तरफसे मुझे शिकायतके तार आ रहे है। अगर किसी राजा या जागीरदारको यह लगे कि वह अकेला रहकर अपने आप अच्छी तरहसे अपना राज नही चला सकता तो उसे अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है ? जो लोग तारोंपर इस तरहसे रुपया खर्च करते हैं उन्हे मेरी सलाह है कि वे ऐसा न करे। मुझे लगता है कि ऐसे तार भेजनेवालोंके बारेमें कुछ दालमे काला है। वे गृह-मत्रीके पास सलाह लेने आवे।

कई मुसलमान, खास तौरपर डाक और तारके महकमेवाले कहते हैं कि उन्होने प्रचारकी खातिर यूनियनमे रहनेकी बात की थी, अब वे अपना विचार बदलना चाहते है। ऐसे भी मुसलमान है जिन्हें नौकरीसे बरखास्त किया गया है। उसका कारण तो मेरे खयालमे यही होगा कि उनपर शक किया जाता है कि वे हिंदुओंके विरोधी है। मेरी उन लोगोंके प्रति पूरी सहानुभूति है। मगर मैं महसूस करता हूं कि सही तरीका यह है कि व्यक्तिगत किस्सोंमें यह शक कितना ही बेजा क्यों न हो, उसको क्षम्य समझा जाय और गुस्सा न करें। मैं तो अपना पुराना आजमाया हुआ नुस्खा ही बता सकता हू। सरकारी नौकरियोंमे बहुत थोड़े लोग जा सकते हैं। जिंदगीका मकसद सरकारी नौकरी पाना कभी नही होना चाहिए। जीवनके इस क्षेत्रमे ईमानदारीकी जिंदगी बसर करना ही एकमात्र ध्येय

हो सकता है। अगर आदमी हर तरहकी मेहनत-मजदूरी करनेको तैयार रहे तो ईमानदारीसे रोटी कमानेका जरिया तो मिल ही जाता है। मेरी सलाह यह है कि आज जो सांप्रदायिक जहर हमपर सवार है जबतक वह दूर न हो तबतक मुक्ति नही। मै समझता हूं, मुसलमानोके लिए अपना स्वाभिमान रखनेके लिए यह जरूरी है कि वे सरकारी नौकरियोंमें हिस्सा पानेके पीछे न दौडे। सत्ता सच्ची सेवामेंसे मिलती है। सत्ता पाकर बहुत बार इन्सान गिर जाता है। सत्ता पानेके लिए झगड़ा शोभा नही देता। उसके साथ-ही-साथ सरकारका यह फर्ज है कि जिन स्त्री-पुरुषोंके पास कोई काम न हो, चाहे उनकी सख्या कितनी ही क्यों न हो, उनके लिए वह रोजी कमानेका साधन पैदा करे। अगर अक्लसे यह काम किया जाय तो सरकार-पर बोझ पडनेके बदले इससे सरकारको फायदा होगा। मै इतना मान लेता हूं कि जिनके लिए काम ढूढ़ना है वे शरीरसे स्वस्थ होंगे, और काम-चोर नही, बल्कि खुशीसे काम करनेवाले होगे।

: १६३ :

३० दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

मैंने कलके भाषणमें कहा है कि हमारी सभ्यता कहांतक जानी चाहिए। हमे कब बोलना, कैसे चलना चाहिए कि करोड़ों आदमी साथ चले, तो भी पूरी शांति रहे। ऐसी लश्करी तालीम हमें मिली नहीं। मैं यहांसे जानेके बाद घूमता हू, तब लोग मुझे इधर-उधरसे देखनेकी कोशिश करते हैं। वे ऐसा न करें। प्रार्थनामें देख लिया, वह बस हुआ। वहां जो लाभदायक बाते सुनी, उनका वे मनन करे और अपने-अपने घर चले जाए।

बहावलपुरके बारेमें एक भाई लिखते हैं कि मैं बहावलपुरके लिए एक बार कुछ और कहूं। वहांके नवाब साहबने तो कहा है कि उनके नजदीक उनकी सारी रैयत बराबर है। तो मै क्यों कहूं कि यह सच्चा नहीं

है ? अगर सचमुच उनके लिए सारी रैयत एक-सी है तो उनको चाहिए कि अगर वे हिंदू-सिखोंकी सभाल नही कर सकते तो उन्हे अपनी गाड़ीमे बिठाकर यहा भेज दे और आरामसे आने दें। जबतक उनको वहासे लानेका प्रबध नही होता तबतक उनकी खानेकी, कपड़ेकी, ओढनेकी व्यवस्था उन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे।

मै तो कायदे आजमसे कहना चाहता हू कि सिधमे हिंदुओका रहना दुश्वार हो गया है। वहां हरिजन परेशान हे । उनको भी वहासे आने देना चाहिए। सिंध जैसा पहले था वैसा आज नही है। इस यूनियनसे जो मुसलमान वहां गए हैं वे लोग वहाके हिंदुओंको घर छोड़नेपर मजबूर करते हैं, उनके घरोमें घुस जाते है। अगर वे ऐसा करे तो कौन हिंदू वहां रह सकता है ? तब क्या पाकिस्तान इस्लामिस्तान हो जायगा ? क्या इसीलिए पाकिस्तान बना है ? कोई हिंदू वहां चैनसे रह ही नही सकता, यह दुःखकी बात है।

पढरपुरमे विठोबाका मदिर है। महाराष्ट्रमे इससे बडा मदिर कोई नही है। वह मदिर हरिजनोके लिए वहाके ट्रस्टियोने खुशीसे खोल दिया है, ऐसा तार आया था। अब वे लिखते हे कि बड़े-बड़े ब्राह्मण पुजारी इसपर नाखुश हे और अनशन कर रहे हैं। यह सुनकर मुझको बहुत बुरा लगा। मैं वहा जा तो नही सकता, मगर यहासे दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि पुजारी लोग अपने आपको ईश्वरके पुजारी मानते हे, लेकिन वे सच्चे तरीकेसे पूजा नही करते। आज तो वे लोगोको लूटते हैं। विष्णु भगवान ऐसे नही हैं कि कोई भी उनके पास जावे और वे दर्शन न दे। ईश्वरके लिए सब एक हे। सो उन पुजारी लोगोको अनशन छोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सब हरिजनोंके लिए मंदिर खोलनेमे राजी हैं। हमारी धर्मकी आख खुल गई है। मंदिरमे जानेसे पापका नाश होता है, यह माना जाता है। अगर सच्चे दिलसे पूजा करे तो पापका नाश होगा ही। ऐसा थोड़े ही है कि पापी मदिरमे नही जा सकते और पुण्यशाली ही जा सकते हे। तब वहां पाप धुलेगे किसके ? जिन हरिजनोंको हमने ही अछूत बनाया है वे क्या पापी हो गए ? मुझे आशा है कि अनशन करनेवाले समझ जाएगे कि यह बात कितनी असगत है।

बबईमे चावल बहुत कम मिलते है। एक हफ्तेमें एक रतलसे ज्यादा नहीं मिलते। सो लोग काले बाजारसे चावल लेते हैं। अंकुश छूटनेपर भी उस शहरमे अभी राहत नही मिली। अगर शहरी लोग ईमानदार बन जायं, तो ये तकलीफे मिटनी ही है। लोगोंका पेट भर जाय तो चोरीका कारण ही क्यों रहे?

: १६४ :

३१ दिसबर १६४७

भाइयो और बहनो,

मेरे पास कई खत आए है। सबका जवाब अभी नही दे सकूगा। जिनका दे सकता हूं, देता हू।

एक भाईने लिखा है कि सिंधमे जब हिंदुओपर सख्ती होती है और वहां हिंदू और सिख नही रह सकते, तो पंजाबमें या पाकिस्तानके और हिस्सोमे फिरसे जाकर वे कैसे बस सकते है? खत लिखनेवाले भाईने मेरी इस बाबतकी सब बातोंपर ध्यान नही दिया। कुछ मुसलमान भाई पाकिस्तान होकर मेरे पास आए थे। उन्होंने उम्मीद दिलाई थी कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आ गए है, वे वहां वापिस जा सकेंगे, ऐसी आशा होती है। मैंने वही आपसे कह दिया था। पर मै यह भी कह चुका हूं कि अभी वह वक्त नहीं आया। अभी मै किसीको वापिस जानेकी सलाह नही दे सकता। जब वक्त आवेगा तब मै कहूंगा। अभी तो सुनता हूं कि सिंधमे भी हिंदू नही रह सकते। यह ठीक है। चितरालसे एक भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि वहां ढाई सौके करीब हिंदू-सिख अभी पड़े हैं, जो निकलना चाहते है। सिंधमें तो अभी बहुत है, हजारों है, जो वहांसे निकलना चाहते हैं। वे सब जबतक नही आ जायंगे, हिंद सरकार चुप नही बैठेगी। वह कोशिश कर रही है।

पर आखिरमे तो मै उसी बातपर जमा हू। जबतक सब हिंदू और सिख भाई, जो पाकिस्तानसे आए हैं, पाकिस्तान न लौट जावे और सब

मुसलमान भाई, जो यहांसे गए हैं, यहां न लौट आवें, तबतक हम शांतिसे नही बैठ सकते हैं। मै तो तबतक शातिसे बैठ ही नही सकता। हो सकता है कि कोई शरणार्थी भाई यहां खुश हो, पैसा भी कमाने लगे, फिर भी, उसके दिलसे खटक कभी नहीं जायगी। उसे अपना घर तो याद आवेगा ही, दिलमें गुस्सा और नफरत भी रहेगी। हमने दोनोंने बुरा किया है। दोनों बिगड़े है। इसलिए दोनो भोग रहे है। किसने पहले किया, किसने पीछे; किसने कम, किसने ज्यादा, यह सोचनेसे काम नही चलेगा। हम सब अपने-अपने बिगाडको नही सुधारेगे तो हम दोनो मिट जायगे। जबतक हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें दिलका समझौता नही होता हमारा दोनोका दु:ख नही मिट सकता। दोनों अपना-अपना बिगाड़ सुधार ले तो हमारी बिगड़ी बाजी फिर सुधर जाय।

उन्ही भाईने लिखा है कि शरणार्थियोके कैंपोंमें कुछ घरेलू धधे सिखाए जावें तो अच्छा है, जिससे वे कमाकर अपना खर्च निकाल सकें। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। सब चाहेंगे तो मैं सरकारसे कहूगा और सरकार बडी खुशीसे इसका इतजाम कर देगी। सरकारके तो इससे करोडो रुपये बचेंगे। मै चाहता हू कि जिस भाईने खत लिखा है, वह इसके लिए आंदोलन करे, सब शरणार्थियोको राजी करे। शरणार्थी खुद यह कहे कि मुफ्तकी मिली खीरसे अपनी मेहनतका रूखा-सूखा टुकड़ा कही अच्छा है। इससे उनका मान बढेगा, मर्यादा भी बचेगी।

अभी तो एक हिंदू बहन मेरे पास आई थी। कहती थी कि वह अपने घरका ताला बद करके कही गई तो पांच-छ: सिखोंने आकर ताला तोड़ लिया और घरमें रहना शुरू कर दिया। बहनने आकर देखा तो पुलिसमें रिपोर्ट लिखाई। सुना है, कुछ सिख पकड़े भी गए। एक भाग गया। हिंदुओं और दूसरोने भी ऐसी गदी बाते की हैं। इससे हमारे धर्मपर बड़ा कलक लगता है। ऐसी बाते बद होनी चाहिए। उस बहनने मुझसे पूछा, क्या मैं घर छोड दू ? मैंने कहा, कभी नही। सिख भाई अपना मान रखें, अपनी मर्यादासे रहे। हम सब अपनी मान-मर्यादासे रहें तो सारा झगड़ा खत्म हो जावेगा।

एक और खत आया है उससे मैं और भी खुश हुआ। एक भाई

लिखते हैं कि आपका रोजका भाषण तो सब रेडियोपर सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना और भजन रेडियोपर सबको नहीं मिलते। वह भी सब सुन लें तो अच्छा हो। रेडियो क्या कर सकता है, मैं नहीं जानता। रेडियो अगर भजन भी ले ले तो मुझे अच्छा लगेगा। वह भाई अपना नाम भी नहीं देना चाहते। पर मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मैं रोज बोलता हूं, जो बहस करता हूं, वह भी प्रार्थना ही है, उसीका हिस्सा है। मेरा यह सब भी भगवानके लिए है। लड़कियां जो भजन गाती हैं, वह भगवानके लिए गाती है। फिर उसमे सुरकी मिठास हो या न हो, भक्ति तो है। जिन्हें सुरकी मिठास चाहिए उनके लिए रेडियोपर बहुतेरे गाने होते हैं। जिन्हें भक्तिकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर ये भजन जा सकें तो लाभ ही होगा।

कुछ भाइयोंने जूनागढ़ और अजमेरकी बाबत मुझे तार भेजे हैं। जूनागढ़में, जो काठियावाड़मे है, तो मैं पला हूं। वहांका हाल मैं कह चुका हू। अजमेरमें तो बहुत बुरी बातें हुई है, इसमें शक नहीं। वहां जलाया भी है, लूट भी हुई, खून भी हुआ। पर बुरी बातको भी ज्यादा बढ़ाकर कहनेसे हम अपना मामला कमजोर कर लेते है। इन तारोंमें बात बढ़ाकर कही गई है। अजमेरमें दरगाह शरीफ तो ठीक है। जितना है, उतना कहिए। सरकार अमन कायम करनेकी कोशिश कर रही है। हम उसपर भरोसा करें। भगवानपर भरोसा करे। सब अपनी-अपनी गलतियोंको ठीक नही करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट जावेंगे।

: १६५ :

१ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज अंग्रेजी सालका पहला दिन है। आज इतने ज्यादा आदमियोंको यहां जमा देखकर मैं खुश हूं। पर मुझे दुःख है कि बहनोंको बैठनेकी जगह देनेमें सात मिनट लग गए। सभामें एक मिनट भी बेकार

जानेका मतलब है कि करोड़ों जनताके बहुतसे मिनट बेकार गए। फिर तो हमारा खात्मा है न ? भाइयोंको चाहिए कि बहनोंको पहले जगह देना सीखे। जिस देशमे औरतोंकी इज्जत नही, वह सभ्य नही। दोनोंको अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। यही मनु महाराजने बताया है। आजादी मिल जानेके बाद, हम सबको और भी मर्यादाके साथ बरतना चाहिए। मै उम्मीद करता हू कि आगे इससे भी ज्यादा लोग आवेगे। पर जितने लोग आवें, वे प्रार्थनाकी भावना लेकर आवे, क्योकि प्रार्थना ही आत्माकी खुराक है। भगवानके पाससे हमे जो खुराक मिल सकती है, वह और जगह नही मिल सकती। मै उम्मीद करता हू कि जो लोग आए है, वे सब यहा भी शाति रखेंगे और जाते वक्त घरोंको भी अपने साथ शांति ले जावेंगे।

यू० पी०मे हालमें एक हरिजन कान्फ़रेस हुई थी। कहते है, उसमे एक वजीरने हरिजनोंको उपदेश दिया कि आप गदे रहना, गदे कपड़े पहनना और शराब पीना छोड़ दे। इसपर कोई हरिजन बोल पड़ा कि जैसे सरकार ताड़ीके दरख्तोंको उखाडकर फिकवा सकती है और शराबकी सब दुकाने बद करा सकती है, वैसे ही वह गदे कपड़े भी फुकवा दे, हम नगे रहेंगे, पर गदे नही। मै उस हरिजन भाईकी हिम्मतको सराहता हू। मै तो ताड़ीका गुड़ बना लेता हू। पर मै हरिजन भाइयोंसे कहूगा कि असली इलाज उनके अपने हाथोमें है। शराब अगर दुकानपर बिकती भी हो तब भी उन्हे जहरकी तरह उससे बचना चाहिए। सच यह है कि शराब जहरसे भी ज्यादा बुरी है। मजदूर लोग घरमे आकर जो दुख देखते है उसे भुलानेके लिए शराब पीते है। जहरसे शरीर ही मरता है, शराबसे तो आत्मा सो जाती है। खुद अपने ऊपर काबू पानेका गुण ही मिट जाता है। मै सरकार-को सलाह दूगा कि शराबकी दूकानोंको बंद करके उनकी जगह इस तरहके भोजनालय खोल दे जहां लोगोंको शुद्ध और हल्का खाना मिल सके, जहां इस तरहकी किताबे मिले जिनसे लोग कुछ सीखें और जहां दूसरा दिल बहलानेका सामान हो। लेकिन सिनेमाको कोई स्थान न हो। इससे लोगोंकी शराब छूट सकेगी। मेरा यह कई देशोंका तजुरबा है। यही मैंने हिंदुस्तानमे भी देखा और दक्षिण अफ्रीकामे भी देखा था। मुझे इसका पूरा यकीन है

कि शराब छोड़ देनेसे काम करनेवालोंका शारीरिक बल और नैतिक बल दोनों बहुत बढ़ जाते हैं और उनकी कमानेकी ताकत भी बढ़ जाती है। इसलिए सन् १९२०से शराबबदी कांग्रेसके कार्यक्रममे शामिल है। अब, जब हम आजाद हो गए है सरकारको अपना वादा पूरा करना चाहिए और आबकारीकी नापाक आमदनीको छोड़नेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आखिरमे सचमुचमे आमदनीका भी नुकसान नही होगा और लोगोंका तो बहुत बड़ा लाभ होगा ही। हमारे लिए तरक्कीका यही रास्ता है। यह हमे अपने आप, अपने पुरुषार्थसे करना है।

: १९६ :

२ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

नोआखालीमें किसान लोग धूपसे बचनेके लिए यह टोप ओढ़ते हैं।[1] मै दो बातोंकी वजहसे इसकी बडी कदर करता हूं। एक तो मुझे यह एक मुसलमान किसानने भेंट किया है। दूसरे यह छतरीका अच्छा काम देता है और उससे सस्ता है, क्योकि सब गांवकी ही चीजोंसे बना है।

प्रार्थनामें जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना मीठा है। पर यह भजन असलमें सुबहका है। इसमे भगवानसे प्रार्थना की गई है कि उठकर इंतजारमे खडे भक्तोंको दर्शन दो। यह सत्य है कि ईश्वर कभी सोता नहीं है। भजनमे तो भक्तके दिलकी भावना है।

हालमे इलाहाबादसे मेरे पास एक खत आया है। भेजनेवाले भाईने लिखा है कि थोड़ेसे भले लोगोको छोड़कर किसी मुसलमानपर यह एतबार नही किया जा सकता कि वह हिंद सरकारका वफादार रहेगा—

---

[1] पानी बरसनेके कारण गांधीजी नोआखालीका टोप पहनकर आए थे जिसे देखकर लोग हँसने लगें। इसलिए गांधीजीने टोंपसे ही शुरू किया।

खासकर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हुई। इसलिए थोड़ेसे नेशनलिस्ट[1] मुसलमानोंको छोड़कर और सब मुसलमानोंको निकाल देना चाहिए। मैं कहता हू कि हर आदमीको यही चाहिए कि जबतक कोई बात इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानोंकी बातका एतबार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब एक लाख मुसलमान लखनऊमें जमा हुए थे। उन्होंने साफ शब्दोंमें अपनी राष्ट्रभक्तिका ऐलान किया। अगर किसीकी बेवफाई या बेईमानी साबित हो जावे तो उसे गोलीसे मारा भी जा सकता है, गो कि यह मेरा तरीका नही है। पर फिजूलकी बेएतबारी जहालत और बुजदिलीकी निशानी है। इसीसे साप्रदायिक नफरतें फैली है, खून बहे हैं और लाखों बेघरबार किए गए है। यह अविश्वास जारी रहा तो देशके अलग-अलग टुकड़े हमेशाके लिए बने रहेंगे और आखिरमे दोनों डोमिनियन नष्ट हो जावेगी। भगवान न करे, अगर दोनोमें लड़ाई छिड़ गई तो मै तो जिंदा रहना पसंद न करूगा। पर जो मेरी तरह लोगोंमे भी अहिंसामे विश्वास होगा, तो लड़ाई नही होगी और सब ठीक ही होगा।

: १६७ :

३ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

मुझे खुशी है कि आज मै अपना बहुत दिनोंका वादा पूरा कर सका और इस कैंप[2]के शरणार्थियोसे बातें कर सका। मुझे बड़ी खुशी है कि यहां जितने भाई हैं, उतनी ही बहनें हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पास इस प्रार्थनामें शामिल हों कि हमारे मुल्कमें और दुनियामें फिरसे शांति और प्रेम कायम हो। शांति बाहरकी किसी चीजसे, जैसे दौलतसे या महलोसे, नही मिलती। शांति अपने अंदरकी चीज है। सब धर्मोंने इस सचाईका ऐलान किया है कि जब आदमीको

---

[1] राष्ट्रीय; [2] बेवल कैंटीन।

इस तरहकी शांति मिल जाती है तो उसकी आंखों, उसके शब्दों और उसके कामों—सबसे वह शांति टपकने लगती है। इस तरहका आदमी झोंपड़ीमें रहकर भी सतुष्ट रहता है और कलकी चिंता नही करता। कल क्या होगा, यह भगवान ही जानते है। श्रीरामचद्रको, जो हमारी तरह आदमी थे, यह पता नही था कि ठीक उस वक्त जब उनके गद्दीपर बैठनेकी आशा थी, उन्हें बनवास दे दिया जायगा। पर वह जानते थे कि सच्ची शांति बाहरकी चीजोपर निर्भर नही है। इसीलिए वनवासके खयालका उनपर कुछ भी असर न हुआ। अगर हिंदू और सिख इस सचाईको जानते होते तो यह पागलपनकी लहर उनपरसे फिर जाती, और मुसलमान चाहे कुछ भी करते, वे खुद शांत रहते। अगर ये शब्द हिंदुओं और सिखोंके दिलोंमें घर कर लें तो मुसलमानोंपर तो अपने आप उसका असर जरूर होगा ही।

मैंने सुना है कि यह कैंप कुछ अच्छी तरह चल रहा है। मै यह बात तबतक पूरी तरह नही मान सकता, जबतक सब शरणार्थी मिलकर इस कैंपमे उससे ज्यादा सफाई और तरतीबी न रखे जितनी दिल्ली शहरमें दिखाई देती है। आपको जो मुसीबते भोगनी पड़ी है वह मै जानता हू। आपमेंसे कुछ बड़े-बड़े घरोके लोग थे। पर आपके लिए उतने ही आराम-की उम्मीद यहां करना फिजूल है। आप सबको सीखना चाहिए कि नई जरूरतोके मुताबिक अपनेको कैसे ढाला जाय और जहांतक बन पड़े इस हालत[1]को ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए। मुझे याद है कि सन् १८९९की बोअर वारसे[2] ठीक पहले अग्रेज लोग ट्रासवालको छोड़कर वहांसे नेटाल गए थे। वे जानते थे कि मुसीबतका कैसे सामना किया जावे। वे सब-के-सब बराबरकी हैसियतसे रहते थे। उनमेंसे एक इजीनियर था और मेरे साथ बढ़ईका काम करता था। हम सदियोंसे विदेशियोंके गुलाम रहे हैं, इसलिए हमने यह बात नही सीखी। अब जब हम आजाद हुए है—और आजादी कैसी अनमोल बरकत है— मैं उम्मीद करता हूं कि शरणार्थी भाई-बहन अपनी इस मुसीबतसे भी पूरा फायदा उठाएंगे। वे अपने इस कैंपको एक ऐसा आदर्श कैंप बना देंगे कि अगर सारी दुनियासे नही तो सारे हिंदुस्तानसे

---

[1] व्यवस्था; [2] बोअर युद्ध।

लोग आ-आकर इसपर फख्र करें। प्रार्थनामे जो मत्र पढा गया है उसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सब भगवानके अर्पण कर दें और फिर जितनेकी हमे सचमुच जरूरत हो, उतना ही उसमेंसे ले लें। अगर हम इस मत्रके अनुसार रहें तो इस कैंपमे ही नही, सारी दिल्लीमें, जो हालमें बदनाम हो गई है, फिरसे नई जान आ जावेगी और हमारे सबके जीवन अदरके सुखसे भर जावेंगे।

: १६८ :

४ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

आज यहा तो हर जगह लड़ाईकी ही बात हो रही है। कहते है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानके बीच शायद लड़ाई छिड़ जायगी। अगर लडाई छिड़ जाती है तो हम दोनोका बड़ा दुर्दिन है, ऐसा मै मानता हूं। और बस हम दोनो आपस-आपसमे सुलहसे नही बैठ सकते है। अभी मै हैरान हुआ कि हिंदुस्तानकी यूनियनने, जो सारी प्रजाका या समग्र प्रजाका मंडल बन गया है, पाकिस्तानको लिखा है। ऐसी जब कोई बात हो जाती तो इस मडलको इन्साफ करने और लडाई रोकनेके लिए कहा जाता है। इसलिए उनको इडियन यूनियनने लिखा है कि यह जो कुछ भी है, चाहे मामूली चीज ही हो, लेकिन इसमेंसे लडाई छिड़ सकती है। अच्छा लबा-चौडा लिखकर भेजा है और चूकि वह तारसे जा सकता था इसलिए उससे भेज दिया। उसपर पीछे पाकिस्तानसे एक तो जफरुल्ला साहब और दूसरा लियाकतअली साहबने एक बहुत लबा बयान निकाला है। वे दोनों भाई मुझको कहने देंगे कि वह मुझको कोई अच्छी बात नहीं लगी। तब कहो कि यूनियनके जो सचिव हैं, उन्होंने जो चीज भेजी वह अच्छी लगी क्या? मै कहूंगा कि मुझको अच्छी भी लगी और बुरी भी। अच्छी तो यों लगी कि आखिर वे करे क्या? उन्होंने मान लिया है कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। अगर काश्मीरकी सरहदके बाहरसे लड़ाई

होती रहे तो जाहिर है कि उनके दिलमें यही होगा कि उसमें पाकिस्तानका कुछ-न-कुछ हिस्सा तो है ही। वह नही है, ऐसा वह कहते हैं। लेकिन उनके कहनेसे तो काम नहीं निपट सकता। काश्मीर हमारे पास आ गया है। एक शर्तसे हमने उसको यूनियनमें ले लिया है। अगर पाकिस्तान उसको नाराज करे और काश्मीरके नेता शेख अब्दुल्ला यह मागे कि हमको मदद दे दो, तो यूनियन तो मदद देनेके लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए मदद तो दी, लेकिन यहा तो इस तरहसे हो रहा है कि पाकिस्तानसे मिन्नत करते हैं कि जो हमलावर हैं उनको वहासे निकल जाना चाहिए और कोई आपसी निपटारा हो जाना चाहिए। अगर यह निपटारा नही होता है तो फिर तो लड़ाईमें ही फंस जाना पड़ेगा। इस लड़ाईमे न फंसनेके लिए ही उन्होंने ऐसा कर लिया है। यह सब ठीक है या नही, यह तो ईश्वर ही जानता है। न मैं जानता हू, न कोई और जानता है।

पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी था, लेकिन मैं तो ऐसे करता कि उनको यहां आनेके लिए कहता। वे यहा आ सकते थे या किसीको भेज सकते थे। इस बारेमें कोई समझौता करनेके लिए हम मिल तो लें। सारी दुनियाको जाहिर तो यह करते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलनेका सामान पैदा नहीं करते, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए पाकिस्तानके जो जिम्मेदार आदमी हैं उनसे मैं तो मिन्नत करूगा कि हमारे दो टुकड़े तो हो गए, हालांकि मुझको तो अच्छा नही लगा कि दो टुकड़े हो गए, लेकिन हो गए, क्योंकि आप लोग चाहते थे। दो टुकड़े होनेके बाद अब ऐसा इकरार तो होना ही चाहिए था कि हम आपसमे सुलहसे रहेंगे। मान लिया कि हिंदुस्तानमें तो सब बुरे आदमी रहते है, लेकिन पाकिस्तान तो एक नई पैदाइश है और वह भी धर्मके नामपर या इस्लामके नामपर। तब उसको तो साफ ही रहना चाहिए था। लेकिन वह नहीं है, ऐसा वे खुद भी तो कबूल करते हैं। पाकिस्तानमें मुसलमानोंने ज्यादतियां नही की, ऐसा वे खुद भी नही कहते हैं। की हैं, इसलिए मैं तो उनसे मिन्नत करूंगा कि आपका तो परम धर्म हो जाता है कि जहांतक हो सकता है हिंदुस्तानके साथ मिल जाना चाहिए और दोनोंको साथ-साथ काम चलाना चाहिए। गलतियां हो गई हैं दोनोंसे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम गलतियां

करते ही रहें। आखिरमें नतीजा तो यही होगा कि हम दोनों आपसमें लड़ें और मरें। तब तो सारा हिंदुस्तान एक तीसरी ताकतके हाथ चला जाता है। इससे बुरी बात हिंदुस्तानके लिए, या किसी भी हिंदुस्तानीके लिए, कोई और हो क्या सकती है, यह मेरे जहनसे[1] तो बाहरकी बात है। इसलिए दोनों ताकतोंको ईश्वरको दरमियान रखकर आपस-आपसमें मिल जाना चाहिए। आखिर यू० एन० ओ०में तो यह मामला चला ही गया है। उससे तो कौन छीन सकता है। लेकिन एक ताकत तो उनसे भी यह मामला छीन सकती है और वह यह कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिल जाते हैं तब यू० एन० ओ० में जो बड़े-बड़े लोग पड़े हैं, वे तो राजी होनेवाले हैं। वे कोई नाराज थोड़े ही होंगे। आखिर उनके हाथमें तो कलम पड़ी है। वे तो यही कहेंगे कि हमारे पास जो चीज आती है उसके लिए हम भी कोशिश करेंगे कि दोनों आपसमे मिल जाए, ताकि हमें कुछ करना ही न पड़े। ऐसी अगर वे कोई कोशिश न करें तो वे भी आखिर खिलौना थोड़े ही हैं कि कोई हरएक बात उसमे ले जाई जाय। जब दोनों मजबूर हो जाए कि आपसमे उनका कोई फैसला हो ही नही सकता है तब वे उसको यू० एन० ओ० में ले जाते हैं। एक तो मैं यह बात आपको कहना चाहता था। इसलिए हम ईश्वरसे प्रार्थना करते है और जो प्रार्थना यहां करे, वही हम हमेशा अपने घरमे भी करे कि किसी-न-किसी तरह भगवान दोनों हकूमतोंको लडनेसे बचा ले। लेकिन हर तरहसे लड़नेसे बचा ले, वह प्रार्थना भी हम न करें। मैं तो कहता हू कि हे ईश्वर! या तो दोनोको आदर और मोहब्बतके साथमें रख या अगर भीतरसे दुश्मन ही रहते हैं तो बेहतर यही है कि हमको पेटभरके लड़ने दे। हम भले ही मूर्ख हों, लेकिन लड़ने तो दो। पीछे कभी-न-कभी तो शुद्ध हो ही जायंगे। आप भी यही प्रार्थना करे।

अब कुछ दिल्लीके बारेमें भी कहना मैं मुनासिब समझता हूं। यहां क्या हो गया, इसका मुझको रातको ही पता चल गया था। मुझको बृजकिशनजीने बता दिया था। मैं भी कल उस तरफ प्रार्थना करने चला

[1] अक्लसे।

गया था। मैं तो आ गया था, लेकिन वह कैंप[1] देखने और लोगोंसे बात करनेके लिए वहीं ठहर गए थे। वहांके कुछ फासलेपर ही चार-पांच सौ आश्रित दुःखी स्त्रियां, थोड़े बच्चे और बाकी पुरुष गए। उन लोगोंने क्या किया? किसीसे मारपीट तो नहीं की, ऐसा मैं सुनता हूं। कुछ मुसलमानोंके घर थे, थोडे उनमें खाली भी थे, मगर जो भी खाली हों, उन्हींमें वे जाकर बैठ जायं, ऐसा थोड़े ही है। लेकिन जिन घरोंमें लोग रहते थे उनपर भी जबर्दस्ती कब्जा करनेकी उन्होंने कोशिश की। पुलिस तो नजदीक ही थी। सुनते ही वह वहां पहुच गई और सात या साढ़े-सात बजेसे यह शुरू हुआ और ९ बजेके बाद वह तो अखबारोंमे है। मैंने सुना है, ११ बजेके बाद मामला शात हुआ। पुलिस वहीं रही और जो एक नया शस्त्र निकला है न, अश्रु-गैस, वह भी चलाया गया। उससे लोग परेशान हो जाते हैं, मरते तो नही हैं; लेकिन परेशानी तो बहुत होती है। पीछे ये लोग वहासे गए और सुना है कि आज दिनमें भी कुछ हो रहा था। वे वहांसे चले नही गए थे।

मैं तो कहूगा कि इससे हमको लज्जित होना चाहिए। जो आश्रित लोग हैं वे दु.खमेंसे भी इतना नही सीखे कि हम मर्यादित हैं। यह कोई मर्यादा नही है कि हम किसीके घरमे जाकर बैठ जाय। उनके लिए घर या कुछ भी चाहिए वह हकूमतका काम है। आज तो हकूमत भी हमारी हो गई है; लेकिन उस हकूमतको भी वे बेकार करें और जो पुलिस है उसकी भी कोई परवा न करें और किसीके घरमें घुसकर बैठ जायं तो इस तरह तो हमारी हकूमत चलनेवाली नहीं है। और पीछे दिल्लीमें अर्थात् हिंदुस्तानके पाया-तख्त[2]में ऐसा हो, जहां इतने लोग पड़े है, बाहरसे बडे-बड़े एलची यहां आए हुए है! क्या उनको यह देखनेको मिले कि लोग जहां चाहें वहां कब्जा करके बैठ जाते है। पुलिस अगर मिन्नत करे कि मेहरबानी करके जाइए तो कोई मेहरबानी करनेका ही नहीं। इसपर भी औरतों और बच्चोंको आगे रखना तो कोई इन्सानियत नहीं है। मैं तो उसको हैवानियत मानता हू। हम कोई जगली थोड़े ही है! पुरुष

---

[1] बेवल कैंटीन; [2] राजधानी।

स्त्रियोंको आगे रखें वह तो ऐसे ही हुआ जैसा कि मुसलमान बादशाहोंके वक्तमें गायोंको फौजके आगे रखते थे, ताकि हिंदू लड़ें ही नहीं। मैं तो उसको भी सभ्यता नही, असभ्यता मानता हूं। लेकिन उससे भी बड़ी असभ्यता मैं यह मानूंगा कि औरतों और बच्चोंको आगे रखें ताकि पुलिस उनपर गैस या डंडा न चला सके। वह तो औरतका बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है, ऐसा मैं मानूंगा। इसलिए जितने दुःखी लोग, औरत-बच्चे, सब पड़े हैं, उन सबको मैं कहूंगा और बहुत विनयके साथ कि वे ऐसा न करें। वे सब शांतिसे बैठ जाएं। अगर नही बैठते हैं तो दो हकूमतोंका लड़ना तो दरकिनार रहा, हम आपस-आपसमें ही लड़कर ख्वार हो जायंगे। हम दिल्लीको गंवा बैठेंगे और सारी दुनिया हमपर हँसेगी कि ये लोग हकूमतको नही चला सकते हैं। इनका लोगोंपर कोई काबू नहीं है। हिंदुस्तान आजाद रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो जो चीजें आज हिंदुस्तानमें हो रही हैं उनसे हम बच जाय। यहा किसी किस्मका उपद्रव न हो, इसके लिए कोई और दूसरा चारा हमारे पास नही है।

: १६६ :

५ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

अकुश निकल जानेके कारण बाजारमें बेतहाशा ऊनी और रेशमी कपड़ा आ गया है। ऊनी और रेशमी कपड़ेकी कीमत कम-से-कम ५० फी सदी गिर गई है। काफी जगह ६६ प्रतिशत गिरी है।

इस आशासे कि सूती कपड़े और सूतपरसे भी अंकुश जल्दी ही निकल जायगा, कीमतें धीरे-धीरे गिर रही हैं। अगर सूती कपड़ेपरसे पूरी तरह अंकुश उठा लिया जाय तो कीमत कम-से-कम ६० प्रतिशत गिर जायगी और कपड़ा भी ज्यादा अच्छा मिलने लगेगा। मिल-मालिकोंको एक दूसरेके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। रेशमी और ऊनी कपड़ेकी तरह, अंकुश हट जानेसे सूती कपड़ा भी ढेरों मिलने लगेगा। सूती कपड़ेपरसे अगर

अंकुश उठाया गया तो उसे सफल बनानेके लिए कम-से-कम तीन सालतक हिंदुस्तानसे बाहर कपड़ा भेजनेकी मनाही होनी चाहिए ।

सरकारी दफ़्तरोंके आकड़े तो जादूका खेल-सा रहते हैं । वे खुराक और कपड़ेपरसे अंकुश उठानेके रास्तेमें नही आने चाहिएं ।

पेट्रोलपर अकुश तो युद्धके कारण लगाया गया था, अब उसकी जरूरत नहीं है । सच्ची बात तो यह है कि इस कंट्रोलसे थोडी-सी ट्रांसपोर्ट कपनियोंको फायदा पहुच रहा है और वे इसे रखना चाहती हैं । करोड़ों जनताका तो इसके साथ कोई सबंध ही नही है । यह कहनेकी जरूरत नहीं कि एक भी बस या ट्रामका मालिक, जिसके पास एक ही रास्तेका लाइसेंस है, आज दस-पंद्रह हजार रुपया हर महीने कमा रहा है । अगर पेट्रोलपर अकुश न रहे, और गाड़िया चलानेमे भी किसी एकके इजारे (स्वत्व) का रिवाज न रहे, तो एक गाड़ीका मालिक महीनेमें ३०० रु० से ज्यादा नही कमा सकता । आज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी[1] तिजारत होती है । एक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठी आज किसी ट्रांसपोर्ट डीलरके पास दस हजारमे बेची जा सकती है । अगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा दिया जाए तो खुराक, कपड़े और मकानोका प्रश्न और कई दूसरे प्रश्न, जो आज देशके सामने हैं, अपने आप हल हो जाएगे । पेट्रोलके राशनिंगसे ट्रांसपोर्ट कंपनियां पैसे कमा रही है, और करोड़ों लोगोंका जीवन बर्बाद हो रहा है । अकुश निकलवाकर आप दु:खी जनताकी सहायता करे तब यह देश चद खुशकिस्मतोके रहने लायक ही नही, पर करोड़ों बदकिस्मतोंके रहने लायक भी बनेगा । अकुश लड़ाईके जमानेके लिए थे । आजाद हिंदमें उनका कोई स्थान नही होना चाहिए ।

मुझे लगता है कि इन आकडोंके[2] सामने कुछ कहा नही जा सकता । हो सकता है यह बात मेरा अज्ञान मुझसे कहला रहा है । अगर ऐसा है तो ज्यादा जानकार लोग दूसरे आकड़े बताकर मेरा अज्ञान दूर करनेकी

---

[1] कूपन ।

[2] गांधीजीने नीचेके भाव बताते हुए कहा कि देखिए, चीनी इत्यादिका भाव सौ प्रतिशत गिर गया है ।

कृपा करें। मैंने ये बातें मान ली हैं, क्योंकि जानकार लोगोंका मत भी इसी तरफ है।

जब जनता किसी बातको मानती है और कोई चीज चाहती है तब लोकतन्त्रमें झिझकको स्थान नहीं रहता। जनताके प्रतिनिधियोंको जनताकी माग ठीक स्वरूपमें रखनी चाहिए, ताकि वह पूरी हो सके। जनताका मानसिक सहकार तो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां जीतनेमें बहुत मदद दे चुका है।

कहते हैं कि दुनियामें जितना पेट्रोल निकलता है, उसका एक

आजकलका भाव	नवंबरमें अंकुश उठानेसे पहलेका भाव
चीनी ३७॥) मन	......८०)से ८५) मन
गुड़ १३)से १५) मन	......३०)से ३२) मन
शक्कर १४)से १८) मन	......३७)से ४५) मन
चीनीके क्यूब ॥≈) फी पैकेट	......१॥)से १॥।) फी पैकेट
चीनी देशी ३०)से ३५) मन	......७५)से ८०) मन
अनाज	
गेहूं १८)से २०) मन	......४०)से ५०) मन
चावल बासमती २५) मन	......४०)से ४५) मन
मकई १५)से १७) मन	......३०)से ३२) मन
चना १६)से १८) मन	......३८)से ४०) मन
मूंग २३) मन	......३५)से ३८) मन
उड़द २३) मन	......३४)से ३७) मन
अरहर १८)से १६) मन	......३०)से ३२) मन
दालें और तेल	
चनेकी दाल २०) मन	......३०)से ३२) मन
मूंगकी दाल २६) मन	......३६) मन
उड़दकी दाल २६) मन	......३७) मन
अरहरकी दाल २२) मन	......३२) मन
सरसोंका तेल ६५) मन	......७५) मन

प्रतिशत ही हिंदको मिलता है। निरुत्साह या निराश होनेका कारण नहीं। हमारी मोटरें तो चलती ही हैं। क्या इसका यह मतलब है कि क्योंकि हम युद्ध करनेवाले लोग नही, इसलिए हमे ज्यादा पेट्रोलकी जरूरत ही नहीं, और अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़े और दुनियामें जितना पेट्रोल निकलता है, उतना ही निकले तो दुनियाके लिए पेट्रोल कम पड़ेगा? टीकाकार मेरे घोर अज्ञानकी हँसी न करें। मै तो प्रकाश चाहता हूं। अगर मै अपना अंधेरा छिपाऊं तो प्रकाश पा नहीं सकता। सवाल यह उठता है कि अगर हमारे हिस्सेमें बहुत कम पेट्रोल आता है, तो काले बाजारमें पैट्रोलका अटूट जखीरा कहांसे आता है, और गाड़ियोंका अनावश्यक आना-जाना, बिना किसी तरहकी रुकावटके कैसे चलता है?

पत्र लिखनेवाले भाईने जो हकीकत बयान की है वह सच्ची हो तो चौकानेवाली चीज है। अकुश अमीरके लिए आशीर्वादरूप है और गरीबके लिए शापरूप, और अकुश रखा जाता है गरीबोंकी खातिर। अगर इजारेका रिवाज इसी तरह काम करता है तो उसे एक क्षण भी विचार किए बिना निकाल देना चाहिए।

कपडेके बारेमें तो, अगर खादीको, जिसे आजादीकी वर्दी कहा गया है, हम भूल नही गए तो कपड़ेपर अंकुश रखनेके पक्षमे तो एक भी दलील नही है। हमारे पास काफी रुई है और काफी हाथ हैं जो देहातोमें चर्खा और कर्घा चला सकते है। हम आरामसे अपने लिए कपड़ा तैयार कर सकते है। न उनके लिए शोरगुलकी जरूरत है, न मोटर-लारियोकी। पुराने जमानेमें हमारी रेलवेका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे नंबरपर बंदरगाहोंपर रुई ले जाना और बाहिरसे बना कपड़ा भीतर ले आना। जब हमारी कैलिको, जिसे खादी कहते हैं, देहातोंमें बनती है, और वहीं खपती है, तब इस केंद्रीकरणकी कोई जरूरत नही रहती। अपने आलस्य या अज्ञान, अथवा दोनोंको छिपानेके लिए हम अपने देहातोंको गाली न दें।

: २०० :

६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज भी मैंने सुना है कि कई आदमी मुसलमानोंके घरमें जानेकी कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस अपना फर्ज अदा करती है और रोकनेकी कोशिश करती है। पुलिस आखिर क्या करे? वह अश्रु-गैस चलाती है। आज मैंने सुना कि पुलिसकी तरफसे ऐसी कोशिश हुई। यहां काफी जगह है। दिल्लीमें जगह नहीं है ऐसा तो नहीं है। हां, यह है कि दुःखी लोग परेशानीमें पड़े हैं। वे लोग आकाशके ही नीचे रहें, यह तो ठीक नहीं है। पानी पड जाता है उस समय उनके और आकाशके बीच सिर्फ कपडा रहे तो वह काफी नहीं है। इसलिए परेशानीमें वे लोग सब कुछ कर लेते हैं। अगर सचमुच इतनी ही बात है तब तो उन्हीं घरोंमें जाय, मुसलमानोंके ही मकानोंका कब्जा ले, यह जमता नहीं है। तब मैंने एक भाईको कह दिया कि यह बड़ा मकान है। इसमें तो काफी लोग आ सकते हैं, मुझको निकाल दो, एक बीमार औरत है उसको भी निकाल दो, पीछे मालिकको निकाल दो, इसको मैं समझ सकता हूं। तो वह भाई कहता है कि तुमको तो मिल जायगा, लेकिन हमको कहां मिलेगा! मैं तो कहता हूं कि वे ऐसा करें, लेकिन कब? जब उनके पास जितना इलाज है, वह न चले और दिल्लीवाले कुछ न करें तब। इसको मैं समझ सकता हूं। तब मैं उनमें कुछ शराफत पाऊंगा, लेकिन जिनको हमने डरा रक्खा है या जो भाग गए हैं, उनके घरोंपर कब्जा कर लें या जिनके नजदीकके घर खाली हो गए हैं, उनके घरोंपर कब्जा कर ले या उनके घरोंमें बैठना चाहे तो वह अच्छी बात नहीं है। उससे हमारी भलाई नहीं हो सकती, शरणार्थियोंकी भी भलाई नहीं हो सकती। हिंदू, मुसलमान, सिख या हिंदुस्तान, किसीकी भलाई नहीं हो सकती।

आज तो पुलिसने ऐसा किया कि किसी-न-किसी तरहसे उन लोगोंको कुछ मकान दे दिए, लेकिन उन लोगोंने कहा कि ये मकान नहीं चाहिए, हमें तो वे ही मकान चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि साफ कह दो कि हमें

यहां मुसलमान नहीं चाहिए । यह शराफत तो नहीं है, लेकिन इतना तो होगा कि टेढ़ी तरहसे निकालनेके बदले सीधे तौरसे निकाल दें । साफ-साफ कह दो कि हम पाकिस्तानमें हलाक हो गए हैं तो हम तुमको भी हलाक करेंगे । हमको तुम्हारा एतबार नही है । इसको तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन आज जैसा हो रहा है वह पागलपन है ।

हमारे मुल्कमें बदकिस्मतीसे ऐसा हो गया है कि बिना सोचे-बिचारे कई काम इधर-उधर ऊटपटांग कर बैठते हैं । लोग कुछ ऐसा समझते हैं कि हमारा मुल्क आजाद हो गया है, हमारा राज हो गया है तो हम जैसा चाहे वैसा करें । बबईसे खबर आई है कि वहां सल्तनत बड़ी मुसीबतमें पड़ी है । बदरगाहके मजदूरोंने हड़ताल कर दी है । इस तरहकी हड़तालसे हम मरनेवाले हैं । इससे जो मजदूर हड़ताल करते हैं उनका भी कोई भला नही होनेवाला है । उसमें चाहे किसी दलका हाथ हो, चाहे कांग्रेसका हो या समाजवादी दलका हो, या कम्यूनिस्टका हो या और किसी दलका हो, मुझे इसकी परवा नही है । मैं तो सबके लिए कहूंगा कि इस तरहसे कारोबार नही चलेगा । ऐसा करनेसे हम मरनेकी कोशिश कर रहे हैं । आज हमारे देशकी स्थिति नाजुक है, इसलिए हमें तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम बच जायं ।

मुझको औंधसे वहांके महाराजा साहबने लिखा है । औंध महाराष्ट्रमें एक छोटी-सी रियासत है । उन्होंने तो जब अंग्रेजी सल्तनत थी तभीसे अपनी रियासतका सब काम वहांके लोगोंके हाथ सौंप दिया था । उनके और उनके पुत्रके दिलमें हुआ कि प्रजाकी सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने वहांके लिए खासा निजाम बना लिया, पंचायत राज बना दिया और सत्ता उसके सुपुर्द कर दी । तो महाराजा साहब लिखते हैं कि सब ऐसा कहते हैं कि आप अकेले ऐसा नही कर सकते, सब करें तब आप करें । उन्होने हिंदुस्तानमें अपनी रियासतको मिलानेका तय तो करीब-करीब कर ही लिया है, तो भी राजा तो रह जाते हैं, लेकिन लोगोंका दास होकर रहते हैं, लोग उन्हें जितना दे उतना ही वे ले सकते हैं । खालसा हो गया है, उसके माने यह हैं कि जैसी रैयत है वैसा ही राजा है । उन्होंने ऐसा कर दिया है । सरदार साहबने उड़ीसासे शुरू

किया कि राजा लोगोंको भी कुछ पेंशन दे दी जाय, काम करें चाहे न करें। औंधके राजा साहबको भी पेंशन दे दी जाय और बैठ जाय तो इसे मैं अच्छा नहीं समझता। हां, वे दखल न दें। वे कहते हैं कि पंचायत राज दे दिया है तो उसके मुताबिक रियासतमें काम चल सकता है या नहीं; क्योंकि उनसे कहा गया है कि हिंदुस्तानसे जैसी अन्य मिली हुई रियासतोंमें काम चलेगा वैसे ही वहां चलेगा, अलग कानून नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा कि उसमें कानूनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि राजा तो है नहीं, तो कानून कौन बनाए। मैं तो कहूंगा कि जब हमारी हकूमत है—वह खालसा तो है ही, पंचायत है—उसका हक तो कोई एक आदमी छीन नहीं सकता, तब उसमें डरनेकी क्या बात है! सच्चा हक तो वही है जो छीना नहीं जा सके। वह तो धर्मके अमलसे पैदा होता है। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपना फर्ज अदा करें। अगर कुछ लोग मिल जाते हैं और कोई गिरोह बना लेते हैं तो भी क्या? पूछना क्या था? पंचके मार्फतसे न्याय करेंगे। जो अदालतें बनी हैं उनमें नहीं जायगे। अपने आप सब कर लेंगे। वहां ज्यादा लोग गुनाह नहीं करते हैं—थोड़े आदमी करते हैं। जो करते हैं वे भी पंचायतके बाहर जानेवाले नहीं हैं। सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। इसका नाम सचमुच प्रजासत्ता या प्रजाराज है। प्रजासत्ता बन गई इसका मतलब यह नहीं है कि राज दिल्लीसे चले। अगर सचमुच वैसी सत्ता बन जाती है तब तो वह प्रजाके मार्फत ही बनेगी और उसमें देहातके लोग रहेंगे। ऐसी जो पंचायत है वह काम चलाए। उसमें दखल देनेकी गुंजाइश नहीं। उसमें कोई दखल दे नहीं सकता। दखल देनेका कानून भी नहीं बनाया जा सकता; नहीं तो वह लौकिक राज या पंचायत राज नहीं होगा। तलवारके जरिए पंचायत राज नहीं हो सकता।

तीसरी बात मैं और अभी कह देना चाहता हूं। एक भाई लिखते हैं—वह खासा खत है, हिंदुस्तानीमें है—कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि जो मुल्क हमेशा सुखी है वही राम-राज्य हो सकता है। बाहरके मुल्कसे कोई माल लेता नहीं, ऐसा नहीं है; लेकिन उतना ही लेना चाहिए जितनी कीमतका माल हम भी भेज सकें। तब हिसाब सीधा हो जाता है। अगर

हम बाहरसे माल खरीदनेमें पचास रुपए खर्चें तो उतना बाहरसे भी आना चाहिए, तब तो ठीक है। वह कहते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा ऐसा रहा नहीं है। हमेशा हम कर्जदार रहे हैं। अभी ऐसा हो गया है कि हम लेनदार हो गए हैं, लेकिन कबतक रहेंगे अगर हम अभी खर्च ही करते रहें? कहनेका मतलब यह है कि हम बाहरसे उतना माल मंगाते नहीं रहें जितना हम भेजते नहीं। अगर भेजते हैं तब ठीक हो जाता है, लेकिन नगद भेजकर मंगाते हैं तो ठीक नहीं। आज तो हमें ऐसा करना चाहिए कि बाहरसे जो माल मंगवाते हैं वह ज्यादा होना ही नहीं चाहिए—हम बाहरसे कम माल मंगवाएं और ज्यादा भेजें तब तो हमारा देश लेनदार देश हो सकता है, तब हमारी जमा बढ़ जाती है, यानी हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तब हम जो काम करना चाहते है कर सकते हैं, नहीं तो नहीं।

एक बात यह है कि हम बाहरसे जो मंगवाते हैं वह हमारे कच्चे मालका पक्का माल बनकर आता है। इससे हमारा सिलसिला बदल जाता है। हमें तो अपने देशको ऐसा बना लेना चाहिए कि बाहरसे मंगवानेकी जरूरत ही न रहे। अगर मगवाते है तो दूसरोंकी सहायता करनेके लिए। कोई कहे कि हमको कुछ पैसेकी दरकार है तो पैसे है तो भेज दो। वह ठीक कहते हैं कि ऐसे ही अमरीका बना है। हमें अमरीका-जैसे नही बनना है; लेकिन हम इतना तो कर ले कि हम बाहर ज्यादा भेजें नही तो बाहरसे मंगवाएं भी नहीं। तभी हमारी खैर है।

: २०१ :

७ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अभी सुना है कि विद्यार्थी लोग हड़ताल करनेवाले हैं—वह ९ तारीखसे शुरू होनेवाली है। मुझको इसके बारेमें इतना ही कहना है कि यह बहुत गलत बात है। इस तरहसे हड़ताल करना और उससे

अपना काम निकालना कोई बेहतर चीज नही है—यह अहिंसक चीज तो है ही नही, इसके बारेमें मेरे दिलमे कोई संदेह ही नही। मैंने बहुत अहिंसक हड़ताल कराई है। हरएक हडताल अहिंसक है या हरएक हड़ताल उचित है, यह नही कहा जा सकता। विद्यार्थी जब विद्याभ्यास करते हैं तब उनको हड़ताल क्या करना था और इस तरहसे तो हमारा काम बिगड़ता है। अगर वे लोग मेरी प्रार्थना मानें तो अच्छी बात है। इसके बारेमें भी कहूंगा कि अनुभव लेते हुए मुझे करीब पचास वर्ष हो गए। यह अनुभव हिंदुस्तानसे नही, दक्षिण अफ्रीकासे शुरू किया और कामयाब हुआ। मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि जिसमे पडा उसमें कामयाब नही हुआ। ऐसा हो ही नही सकता। अगर वह सचमुच न्याय है और उसके सिवा दूसरा कोई चारा नही है तो कामयाबी मिलती ही है।

मेरे पास आज पंजाब, सिंध, सरहदी-सूबा और कहां-कहाके नही थे—सब जगहके भाई आ गए थे, लेकिन सब पाकिस्तानवाले थे। प्रतिनिधि मिलने आए। सब थोड़े आ सकते थे। वे अपने दुःखकी कहानी सुना रहे थे। कहते थे कि आप इसके बारेमे दिलचस्पी क्यों नही लेते है? बात तो यह है कि वे बेचारे कहांसे जान सकते हैं कि मै क्या कर रहा हूं। मैं तो यहां इसी कामसे बैठा हूं कि किसीके पाससे करवा.सकता हूं तो करवाऊं। आज तो मेरी दीन हालत हो गई है। एक जमाना था, जब कि मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था। आज ऐसी बात नहीं रही। मै तब भी एक अहिंसक सेनापति था—अब जब कोई मानता नही है तो सेनापति कैसा? वह जमाना चला गया। लेकिन उस जमानेमे भी मैंने ऐसा कभी दावा नहीं किया कि मै जो कहता था उसको सब मानते थे, लेकिन लोग मानते थे, जगत मानता था। आज मेरी बात कौन मानते हैं, मै नही जानता हूं। मै जो आज कहता हूं वह अरण्यरोदन है; लेकिन धर्मराजने तो ऐसा कहा है कि अकेले रहनेपर भी क्या हुआ; धर्मकी बात तो करनी ही चाहिए। लोग कहते हैं कि हकूमत है, उसमें तो तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम जो कहोगे उसको तो वे लोग माननेवाले हैं। उसके मुताबिक उनको चलना ही चाहिए। बात सच्ची है—वे मेरे दोस्त हैं; लेकिन मेरे कहनेके मुताबिक वे क्यों चलें? आप सब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब

ऐसा थोड़ा है कि मैं जैसा कहूं वैसा करें। दिलमें घुसता है, जमता है तब करें और न करे तो आलसी हैं। हकूमतमें मेरे दोस्त हैं तो उनसे बहस करूंगा और कहूंगा। मान जायंगे तो अच्छा है, नही तो मैं लाचार हू। वे लोग मुझसे कह सकते है कि हकूमत चलानेमे कई मुश्किलोंका सामना करना पड़ता है, तुम भी हकूमत चलाओगे तब भी वैसा नहीं कर सकोगे। हकूमतमें आज जो मेरे दोस्त है वे करे, पीछे उनके सेक्रेटरी है वे भी मेरे दोस्त हैं; क्योंकि वे लोग जानते है कि मैं किसीका शत्रु नही हूं, वे मानें, पुलिस है वे भी माने, तो पीछे क्या चाहिए? अगर इस तरहसे हो तो आज जो हिंदुस्तानमें हो रहा है वह होनेवाला नही था। हकूमत कह सकती है कि हमारे पास ऐसे सिपाही, कारकून, कहां है? जो अंग्रेजोंके जमानेमे थे वे ही हैं। निकल जाय तो भी काम नही चलता है। ऐसा उन्हें कहनेका अधिकार है। चाहे कुछ भी हो, मै आज जो चाहता हू वैसा करवा नही सकता हूं। मै तो आप लोगों-जैसे मिस्कीन हूं। मै परमेश्वर तो हूं नही। मेरी जितनी ताकत है उतना करता हू।

तो भी वे लोग कहते हैं—ठीक कहते हैं—कि इसके बारेमें हम क्या करे। रहनेके लिए कुछ तो होना चाहिए, पहननेको चाहिए और खानेके बारेमें होना चाहिए—तीनों चीजें चाहिए। मेरे पास है तब उनके पास क्यों नहीं होनी चाहिए—सबके पास क्यों नही होनी चाहिए। उन लोगोंने कोई गुनाह किया है, ऐसी बात नहीं है। शरणार्थियोंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन लोगोंने मारा नही है, पीटा नहीं है, हकीकतमें उन्हें डराकर मार-पीटकर, भगा दिया है। वे इस तरहसे हैं, बेगुनाह हैं। मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनपर ऐसा दबाव डाला जाय, अन्याय हो और यहां आनेपर भी आरामसे नहीं रह सकें तो उन्हें ऐसा कहनेका हक़ है कि तुमको तो सब मिलता है, हमको नहीं मिलता है, यह कहांका न्याय है? मुझको यह कबूल करना होगा कि यह अन्याय है। तो वे क्या करें? यह तो मैंने बता दिया है। किसीके मकानमें जाकर बैठ जायं, यह कहांका तरीका है? हमला करनेका तरीका मैंने बता दिया है, अहिंसक हमला करें। किस घरपर हमला करें, यह भी बता दिया है।

मैं तो कहता हूं कि आप सीधी बात करें और कह दें कि जो काम

हमको दिया जायगा उसको करेंगे—आगे न चले तो बात दूसरी है। जैसे एक आदमीको लिखनेका काम दिया, लेकिन लिख नही सकता था तो क्या करे! एकको कुदाली दी तो वह कहे मुझसे कलम चलती है, इसलिए मुझको वही दो। ऐसा मैं नही सुन सकता हूं। जो काम दिया जाय उसको करना चाहिए। इसी तरहसे जिस जगह मकान दिया जाय, तंबू दिया जाय, उसमे रहें। घास-फूसके जो मकान दे उनमें भी रहना चाहिए। हां, मकान होना चाहिए—ऊपर छत होनी चाहिए। मैं उसमें रहा हूं, इसलिए कहता हू। चारपाईकी कोई दरकार नही। मै तो बताता हू कि घासमें—हरी घासमे नही, सूखी घासमें—भी कोई भी आदमी आरामसे सो सकता है। उसमें हर्ज नहीं होता है। रुईवाले गद्देमें सोनेसे जितनी गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी सूखी घासमें भी मिलती है, यह मै तजुर्बेकी बात कहता हू। किसी एकके पास गद्दा है तो मुझको भी गद्दा चाहिए, नही तो वैसे ही पड़ा रहूंगा, ऐसा कहना नादानी है। जो मिलता है उसको ईश्वरका अनुग्रह मानकर ले ले, तब तो सब काम हो सकता है। ऐसा करें तो आज जो हमारे साथ चद लाख शरणार्थी पड़े है, उतना ही नही, अगर करोड़ भी हों तब भी काम अच्छी तरह चल सकता है। यहां काफी जगह पड़ी है। सीधी बात यह है कि उनका दिल साफ होना चाहिए; लेकिन होता है उल्टा।

आपने देखा होगा कि कराचीमें क्या हो गया। लोग कहते थे कि सिंधमें ऐसा नही हुआ है, हो नही सकता है। मै तो कहता था कि सिंधमे हिंदू आरामसे रह नहीं सकते, हिंदूके सिवा दूसरे भी नही रह सकते, उनका भी रहना दुश्वार है—हिंदू और सिख वहां रह नही सकते। वे वहांसे निकलनेके लिए गुरुद्वारा आए थे। तो गुरुद्वारापर हमला शुरू कर दिया, उनपर हमला हुआ, चद आदमी मारे गए, चद जख्मी हुए। इस तरहसे सिंधमें हुआ। हकूमत कहती है कि हालत जितनी जल्दी काबूमें की जा सकती थी, कर ली गई। ठीक है; लेकिन मैं इस चीजको इसलिए कहता हूं कि ऐसा होना ही नही चाहिए था। मै पाकिस्तानकी हकूमतको कहूंगा कि या तो ऐसा होने नही देना चाहिए, नही तो हकूमत छोड़ देनी चाहिए। हां, ऐसा करनेसे कुछ दिन लुटेरोंका राज कायम हो जाएगा; लेकिन पीछे

हालत सुधरने लगेगी। जो मैं वहांकी हकूमतको कहता हूं वही बात यहांकी हकूमतको भी कहता हू। मैं हकूमतकी ऐसी बात नहीं सुनना चाहता कि लोग नही मानते हे। मै कहूंगा कि लोग नही मानते हैं तो आप हकूमत मत चलाइए। हकूमत अगर कहे कि मजबूरी है तो मै कहूंगा कि मजबूर होनेकी क्या जरूरत है। थोड़ा यहां किया, थोड़ा वहां किया, मनको फुसला लिया कि सब चलता है। तो इससे काम बनता नहीं है, ऐसा मेरा तजुरबा है। हा, मै ऐसा मान सकता हूं कि गाड़ी हमारी चल तो रही है चाहे वह एक ही कदम आगे गई हो। लेकिन आज तो वह पीछे जा रही है, यह खराब है। पाकिस्तानकी हकूमतको कहता हू तो यहाकी हकूमतको न कहूं, यह बात नही हो सकती। मेरे लिए तो दोनों बराबर हे।

अगर पाकिस्तानकी हकूमत इस तरह लोगोंको मरने देगी तो उससे बेहतर है कि हकूमत चलाना छोड़ दे। सो नही होता तो हकूमतको भी मरना है। मै आप लोगोंको भी बता देना चाहता हूं कि इसके कारण आप दीवाने न बने। दु:खी हे तो गुस्सेसे भरे हैं—गुस्सेके सिवा ऐसा बन नही सकते। इस गुस्सेको पीना इन्सानियत है। गुस्सेका जवाब गुस्सेसे दे और कहें कि कराचीके गुरुद्वारामे ऐसा हुआ तो हम भी मस्जिदोंको ढा डालें, उनपर कब्जा कर ले, पीछे मुसलमानोको मार डालें, यह न्याय नही है। इस तरहसे बदला लेनेसे हकूमत रहती कहां है! हकूमतका काम इस तरहसे चलता नही है। ऐसा करनेसे आखिरमें हमें बिगड़ना होगा। हां, शरणार्थियोंके लिए इन्सान जितनी सहूलियते पैदा कर सकता है, करना चाहिए, नही तो शर्मकी बात है। कराचीमे ऐसा हो गया, उससे न डरना है, न घबराहटमें पड़ना है और न गुस्सा करना है। उसका बदला हम ऐसे ले सकते है कि हम अच्छी तरहसे रहें। हम यहां ठीक तरहसे रहें, मुसलमानोंको रखे और शरणार्थी सभ्यतासे रहें तो आज जो दर्द पैदा हो गया है उसको हम मिटा देनेवाले हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।

: २०२ :

८ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

अभी एक भाई लिखते है कि मैंने हरिजनोंको शराबके बारेमें लिखा था। मैंने तो हरिजनोंके लिए ही नही, सबके लिए लिखा था। वे लिखते है कि क्या हरिजनोंको शराब छोड़ देनी चाहिए और पीछे फौजी पड़े हैं, धनिक पड़े हैं उनको क्या छोड़नेकी जरूरत नहीं है? सच्ची बात यह है कि यह प्रश्न पूछने लायक नही है। धनिक न छोड़ें, फौजी न छोड़े तो क्या दूसरे भी न छोड़ें! कानून भी न हो कि शराब न पीएं तो वह धर्म थोड़े हो जाता है। दूसरे पाप करे तो क्या हम भी पाप करें; ऐसा बन नही सकता है। वे पूछते है तो मै कहूगा कि इस तरहसे जो शराब पीते है उनको तो छोडनी ही चाहिए। हरिजन है, मजदूर है वे इसे समझ नही सकते तो कानून बताता है कि मत पीओ। उनके पास आरामकी चीजें नही रहती है तो शराब पीकर दर्द दूर करना चाहते हैं। कगालपन है उसको भी वे इसीसे भुलाना चाहते हैं। इस तरहसे उनके ऐसा करनेका कुछ सबब हो सकता है; लेकिन धनिक हैं, फौजी हैं उनको पीनेकी क्या जरूरत है? मै धनिकोंको क्या समझा सकता हू? फौजी कहें कि इसके बिना काम कैसे चल सकता है; लेकिन मै तो फौजको मानता ही नही हूं तो फिर इसको क्या माननेवाला हू! मेरे दोस्त भी पडे हैं जो शराब नहीं पीते हैं। हमारे यहां सब पीते हैं, ऐसा नहीं है। सब फौजी पीते हैं ऐसा भी नही है। अग्रेजोमें भी ऐसे पड़े हैं जो शराब नही पीते। ऐसे थोड़ा है कि मैं चाहता हूं कि हरिजन ही छोड़ दें। मै तो कहता हूं कि सबको छोड़ना चाहिए। कानूनकी बात तो सबके वास्ते है। कानून थोड़े कहता है कि धनिक पी सकते हैं और हरिजन नही।

अभी विद्यार्थियोकी हड़तालकी बात करना चाहता हूं। सुनता हूं कि कांग्रेसके विद्यार्थी हड़तालमें शामिल नही होंगे। यह तो कम्यूनिस्ट विद्यार्थियोंकी हड़ताल है। विद्यार्थियोंमें सब होते हैं—कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी—इससे मेरा वास्ता नही है। मैं तो सबके लिए कहता हूं। कांग्रेसके

विद्यार्थी हड़ताल नहीं करते हैं तो वे धन्यवादके पात्र हैं। कम्यूनिस्ट हड़ताल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। जैसे शराबके बारेमे कहा है, वैसा यह भी है। कांग्रेस क्या, मै तो सबको कहूंगा कि उन लोगोंको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझको दर्द होता है कि कम्यूनिस्ट भाई ऐसा कर रहे है। कम्यूनिस्ट भाई होशियार होते हैं, वे देशकी सेवा करना चाहते है, लेकिन इस तरहसे देशकी सेवा नही हो सकती। फिर विद्यार्थी किसी दलका पक्ष क्यो लें—विद्यार्थियोंका पक्ष एक है। विद्यार्थी तो विद्याभ्यास करते है सारे मुल्कके लिए—अपने कामके लिए नहीं, अपना पेट भरनेके लिए नही। अपना काम निकालनेका तो दूसरी तरहसे हो सकता है—पहले ऐसा होता था, आजतक ऐसा होता था, लेकिन अब तो बागडोर हमारे हाथमे आ गई है तो विद्यार्थी ज्यादा चाहिए और सच्चे विद्यार्थी चाहिए। उनको सबकी सेवा करनी चाहिए, विद्याभ्यास करना चाहिए, उनको उसको हजम करना चाहिए, उसपर अमल करना चाहिए। विद्यार्थियोंके लिए समाजवाद है नही; कम्यूनिज्म है नही, कांग्रेस है नही—उसका एक काम है विद्याभ्यास करना, जिससे ज्ञानकी वृद्धि हो। हड़ताल उनके लिए निकम्मी है—यह सबके लिए घातक है।

एक प्रश्न आ गया है, अच्छा है। वे लिखते हैं कि आप तो बुरी वस्तुका त्याग करवाना चाहते हैं, आप भी करते हैं, यह अच्छी चीज है। तो वे कहते है कि आप पाकिस्तानमें जाकर क्यों नही करते ? वहां सत्याग्रह क्यों नहीं चलाते ? यहां तो काफी कह दिया, अब वहां तो जाओ। मैंने तो इसका जवाब दे दिया है। हां, सत्याग्रह करनेका जवाब नहीं दिया है। मैंने तो कह दिया है कि मै किस मुंहसे पाकिस्तान जा सकता हूं। यहां हम पाकिस्तानकी चाल चलें तो कैसे बन सकता है !

ऐसा आप पूछते हैं तब जवाब देता हूं। मै पाकिस्तान तभी जा सकूंगा जब हिंदुस्तानमें साफ हो, कहने लायक कुछ चीज नहीं हो। मुझे तो यहां करना या मरना है। दिल्लीके हिंदू, सिख पागल हो गए हैं। वे चाहते हैं कि यहांसे सब मुसलमानोंको हटा दिया जाय, काफीको हटा भी दिया है। बाकी बचे हैं वे भी हटा दिए जाएं। ऐसेमें मेरा जाना फजूल है। वहां पाकिस्तानमे जितने हिंदू, सिख पड़े है वे आना चाहते हैं तो

सत्याग्रह कौन करे? आज सत्याग्रह कहां रहा? सत्याग्रह नहीं तो अहिंसा नहीं। अहिंसाको आज कौन मानता है? सब हिंसाको मानते हैं। सब फौज मांगते हैं और जब यह मिले तब राजी हो सकते हैं, चैनसे बैठ सकते हैं, नही तो चैनसे नही बैठ सकते। आज ऐसा हो गया है कि ईश्वर-का स्थान फौजको मिल गया है। इसका मतलब यह है कि लोग हिंसाके पुजारी हो गए हैं। तो हिंसाके पुजारी होते हुए सत्याग्रह कैसे चलाए? मेरी सुनें तो अखबारोंकी शकल बदल जाय। आज हमारे अखबार भी काफी गंदगी फैला रहे है। आज तो हम सत्याग्रहको भूल गए है। वह हमेशा चलनेवाली चीज है, लेकिन चलानेवाले सत्याग्रही नही है।

फिर वह भाई कहते हैं कि जब पाकिस्तानसे इतने हिंदुओं और सिखोंको यहां हटा लिया तब मुसलमानोंके लिए जगह कहा है? जबतक उतने मुसलमानोंको यहांसे हटा नहीं देते तबतक उनको कहा रखोगे? तो जितने हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आए है उतने मुसलमान तो यहासे वहां जायं। मैं ऐसा मानता हू कि करीब-करीब उतने मुसलमान तो चले गए। बाकी पड़े हैं। पाकिस्तानसे सब हिंदू और सिखोंको हटानेकी चेष्टा हो रही है, इसलिए यहांसे सब मुसलमानोंको हटाया जाय, यह पागलपन है। यहां मुसलमानोंकी काफी तादाद रह जाती है। इसलिए मौलाना साहबने लखनऊमें सम्मेलन बुलाया। वहां, कहते है, कम-से-कम सत्तर हजार लोग आ गए थे—काफी तादाद हो गई। इस जमानेमें मुसलमानोंकी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। उसके बारेमे भली-बुरी बातें निकलती हैं। उनको मैं छोड़ देता हूं। यहां जो मुसलमान पड़े है उनके प्रति-निधि उसमें गए। क्या हम इन मुसलमानोंको मार डालें या पाकिस्तान भेज दें? भेजें तो किस वास्ते? यह समझने लायक चीज है। आज मैं यही कहूंगा कि ऐसा कहना कि मुसलमानोंको यहांसे हटा दें, मुझको लज्जा-स्पद बात लगती है। मेरी जबानसे ऐसी चीज निकलनेवाली नहीं है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो हिंदुस्तानमें सांप्रदायिकता फैल गई, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा दुनियामें कहां नहीं है? है, तो भी मुझको परवाह नहीं है। दुनियाकी बुराइयोंकी नकल थोड़ी करनी है, हमें नेकियोंकी नकल करनी है।

आज मेरे पास बहावलपुरके काफी लोग आ गए थे। मीरपुर काश्मीरके लोग भी आ गए थे। वे परेशान हैं। वे अदबसे बातें करते थे। वे बैठे थे, इतनेमें पंडितजी आ गए। तो मैंने पंडितजीको कहा कि इनकी बातें सुन लें। मीरपुरवाले पंडितजीसे बातचीत कर गए। मेरी उम्मीद है कि कुछ-न-कुछ हो जायगा। पूरा हो जायगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। आज लड़ाई छिड तो नहीं गई है, लेकिन एक किस्मकी चल रही है। तब ऐसा रास्ता निकालना और सबको एकाएक लाना हो नहीं सकता। जितना हो सकेगा, करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इतना करनेपर भी अगर कोई न बच सका, न लाया जा सका तो क्या करें। हमारे पास, जितनी चाहिए, उतनी गाड़ियां नहीं हैं। आज तो काश्मीरका रास्ता इतना नहीं खुला है कि लाखों आ-जा सकें। है, थोड़ा-सा रास्ता है, उस रास्तेसे इतनी तादादमें लाना मुश्किल है।

बहावलपुरकी बात सुनने लायक है। वहांके जो लोग आज मुझसे मिले, उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि मेरेसे जितना हो सकेगा कोशिश करूंगा। वे लोग कहते हैं और ठीक कहते हैं कि जो सूबेसे आए वे भी शरणार्थी और बहावलपुर रियासतसे आए वे भी शरणार्थी, लेकिन सूबेसे आए वे तो नौकरीके लिए दरखास्त कर सकते हैं—ऐसा सिलसिला हो गया है कि नौकरी वगैरा दिलानेके लिए नाम रजिस्ट्री करवाने हैं—तो हमारा नाम क्यों न उसके लिए दर्ज किया जाय? इतनी तकलीफ हम क्यों गवारा[1] करे? मैं समझता हूं कि ऐसा है नहीं और होना नहीं चाहिए। लेकिन वे लोग कहते हैं—अच्छे आदमी हैं तो मैंने कहा कि पता लगाऊंगा। हकूमतमें ऐसे पड़े हैं, उनके पास सब पहुंच नहीं सकते हैं। मेरे पास तो सब आ सकते हैं। मैं तो इसी कामके लिए पड़ा हूं। मेरा दूसरा काम नहीं है। तो वे सब आ गए थे, सब अदबसे बातचीत करते थे, वहशियाना बात नहीं करते थे। वे कहते थे कि ऐसा नहीं है तो ठीक है; लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं हैं; क्योंकि हम रियासतसे आए और खालसासे आते तो बात दूसरी थी। यह कहांका न्याय है?

---

[1] सहें।

सरहदी सूबा, पंजाब, सिंधसे आते हैं उनकी दरखास्त ली जाती है, नहीं तो नहीं। मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुआ है तो गलतीसे हुआ है। सरदारने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता और हुक्म भी यह निकाला तब भी नहीं होता है। है कि नहीं, मैं पता लगाऊंगा; लेकिन मुझको लगा कि इतना भी कह दूं तो इतमीनान हो जायगा कि चलो, हमारा काम भी चलता है।

: २०३ :

९ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज बहावलपुरके मंदिरके मुखिया मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे बताया कि वहां उस मंदिरमें शरणार्थियोंको किस तरह मारा गया। उन्होंने कहा कि अब वहांके बचे हिंदुओंको लानेके लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक इन्सानसे जितना हो सकता है कर रहा हूं। आज हकूमत दो हो गईं तो दो राजा हो गए हैं, इसलिए इस राज्यको उस राज्यमें दखल देनेका ऐसा कोई हक नहीं है। आजका समय इतना नाजुक है कि लोगोंमें धैर्य होना चाहिए और लोगोंको मरनेसे डरना नहीं चाहिए; क्योंकि आज नहीं तो कल आखिर मरना ही है तो बहादुरीके साथ क्यों न मरें? (सत्याग्रही की तरह क्यों न मरें?)

एक भाईका पत्र आया है। वे कहते हैं कि आप बिड़ला-भवनमें हैं तो भी प्रार्थना तो होती ही है; लेकिन गरीब वहां नहीं जा सकते। पहले भंगी बस्ती या बाल्मीकि-बस्तीमें रहते थे, उसमें गरीब भी जाते थे; लेकिन अब उनको बिड़ला-भवनमें जानेका मौका नहीं मिलता। मेरा तो खयाल है कि मैं जब यहां आया था तभी इसके बारेमें कह दिया था, लेकिन आज दुबारा कहनेकी आवश्यकता है। मैं अबकी बार जब यहां आया उस समय मार-पीट हो रही थी। दिल्ली श्मशान-सी लगती थी। उस समय भंगी-बस्तीमें शरणार्थी भी पड़े थे। फिर उस समय कहांपर क्या

होगा कोई नही जानता था। तो सरदारने कहा कि हम तुमको वहां नहीं रखेंगे, बिड़ला-भवनमें रखेंगे, तो मैं यहां आ गया। मैंने कहा कि मैंने ऐसी कोई शपथ थोड़ी ले ली है कि मैं हर हालतमें वहीं रहूंगा। मुझको किसी जगह एक कमरा देते तो उससे गुजर हो नही सकती; क्योंकि मेरे साथ दफ़्तर रहता है, रसोई-घर रहता है, और भी लोग रहते है। भंगी-बस्तीमें गरीबोके मकान है, फिर उसमें स्कूल है, उसमे एक कमरा मिले तो काम चल नही सकता। इसलिए वहां कैसे जाऊं? मै यह भी नही जानता कि आज वह खाली है या नही। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां रहनेका मेरा धर्म नही है। मै चला जाऊं पीछे शरणार्थी आएं तो उनको कहां रखोगे—रखना तो है ही। मै रहूंगा तो कोई निकालेगा नही, निकाले तो अच्छा है। वे कह सकते है कि तुम भाग जाओ, यहां रहनेका तुम्हारा क्या अधिकार है, हम बाहरसे आए है। इसलिए मुझको अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मुझे वहा रहनेका शौक है, लेकिन शौक छोड़कर यहां पड़ा हूं। फिर ऐसा नही है कि गरीब यहां नही आ सकते। ऐसी मनाही नही है, लेकिन मैं मानता हूं कि इतनी दूरसे नही आ सकते। वे अगर आना चाहते है तो पैदल ही आ सकते है, मोटरसे तो गरीब आ नहीं सकते। अमीर मोटरसे आ सकते है।

फिर आज मे यहां पड़ा हूं तो मुसलमानोंको तो कुछ मदद पहुंचा सकता हूं—उस कामके लिए मेरा यहां रहना बड़ा मुफीद है। मैं यहां रहता हूं तो हकूमतके लोगोंसे जल्दी मिल सकता हू, क्योंकि वे पासमें रहते हैं—वे मुझको नही बुलाते है, खुद आ जाते हैं, यह उनकी मेहरबानी है। वे लोग यहां दो मिनटमे आ जाते हैं। भंगी-बस्ती जानेमें दस-पंद्रह मिनट लगते हैं। इसलिए यहां पड़ा हूं। मुसलमान भाइयोंको भी यहां आनेमे सुविधा है, वहां जानेमें डर रहता है। आज जो रह गए है उनको बचा लें तो अच्छा है। आज तो जिधर सुनता हूं उधर ऐसा हो रहा है कि एकाएक लुटेरे निकल आते हैं और कोई आदमी बाइसिकलमें बैठा हो तो उसको उतार देते हैं और उसके पास जो कुछ पैसा, रुपया, घड़ी रहती है उसको ले लेते हैं। कोई मोटरमें रहता है उसको भी रोककर उसके पाससे सब छीन लेते है। हम आज ऐसे बन गए हैं। यह हमारे हिंदुस्तानके लिए शर्मकी बात है।

: २०४ :

१० जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

यह देखने लायक बात है कि आज हम कहांतक गिर गए हैं। साधु होनेका, संयमका, गीता आदि पढ़नेका जो दावा करते है, वे इतना संयम क्यों न रखे ? उन्हें एक बार कहनेसे ही बैठ जाना चाहिए[1]। इतनी दलील भी क्यों ? आजकल प्रार्थना-सभामे आम तौरसे सब लोग इतनी शांति रखते हैं, वह अच्छा लगता है।

बहावलपुरके भाइयोंकी भी ऐसी ही बात है। अपने दुःखकी बात कहिए, फिर प्रार्थनामे शांत रहिए। मुझसे किसीने कहा था कि बहावलपुर-वाले भाई आज हमला करनेवाले है। प्रार्थनामे चीखते ही रहेंगे। मैंने कहा, ऐसा हो नही सकता। उनका नमूना सबके सामने रखता हूं। उनके दुःखका मैं साक्षी हूं। वे इतमीनान रखे कि वहाके सब हिंदू-सिख आ जायंगे। नवाब साहबका वचन है—अगरचे मैं नही जानता कि राजा लोगोंके वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है—पर नवाब साहब कहते हैं, "जो हो चुका सो हो चुका। अब यहांपर हिंदुओं और सिखोंको कोई दिक नही करेगा। जो जाना ही चाहेंगे उन्हे भेजनेका इंतजाम होगा। जो रहेंगे, उन्हें कोई इस्लाम कबूल करनेकी बात नही कहेगा।" हो सकता है, वहां सब सही-सलामत हों। यहांकी हकूमत भी बेफिकर नही है। मैं आशा रखता हू कि अभी वहा सब लोग आरामसे हैं। आप कहेंगे, वे आज ही क्यों नही आते ? आपको समझना चाहिए कि पहले मुल्क एक था। अब हम दो हो गए हैं। वह भी एक दूसरेके दुश्मन। अपने देशमें परदेशी-से बन गए हैं। सो जो हो सकता है सो करते हैं। वहां तो सत्तर हजार हिंदू-सिख पड़े हैं। सिंधमें और भी ज्यादा हैं। वे वहां सुरक्षित नही।

---

[1] भाषणसे पहले साधुके कपड़े पहने हुए एक भाईने जिद की कि वे अपना खत गांधीजीको पढ़कर सुनावेंगे। गांधीजीको काफी दलील करके उन्हें रोकना पड़ा। प्रार्थनाके बाद गांधीजीने भाषण उसीसे शुरू किया।

कराचीसे एक तार आया है। वह मैंने यहां आनेसे पहले पढ़ा। उसमें लिखते हैं कि अखबारोंमें जो आया है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान वहां हुआ है। आज ऐसा जमाना है कि हमे शांति और धीरज रखना है। हम धीरज खो दें, तो हम हार जाएंगे। हार शब्द हमारे कोषमें होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए यह जरूरी है कि गुस्सेमे न आवें। गुस्सेसे काम बिगडता है। ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए सो हमें सोचना है। मैं तो आपको वह बताता ही रहता हूं।

मेरे पास आज ईरानके एलची आए थे। वह यहांकी हकूमतके मेह-मान है। वे मिलने आए और कहन लगे, "कि एक काम है। ईरान और हिंदमे बड़ी पुरानी दोस्ती रही। ईरानी और हिंदी दोनों आर्य हैं। हम तो एक ही हैं।" यह भी ठीक है। जेंदावस्ताको देखें, उसमें बहुत संस्कृत शब्द हैं। हमारा व्यवहार भी साथ-साथ रहा है। वे कहते है, "एशियामें आप सबसे बड़े है। आपकी बदौलत हम भी चमक सकते है। हम दिलसे एक होना चाहते हैं।" गुरुदेव वहा गए थे। वे ईरानको देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा—हमारे ही लोग वहां रहते हैं।

ईरानके एलचीने कहा, ईरान और हिंदका संबंध नही बिगड़ना चाहिए। मैंने कहा, कैसे बिगड़ सकता है? उन्होने बंबईका एक किस्सा सुनाया। वहा काफी ईरानी हैं। चायकी दूकान रखते हैं। वहां काफी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जाते है। उनकी चायमें कुछ खूबी है। वहा कुछ फसाद हुआ होगा। मै नही जानता। सुनता हूं, कुछ ईरानी मारे गए। ईरानी मुसलमान तो हैं ही। ईरानी टोपी पहनते हैं। आज हम दीवाने बन गए हैं। किसीके दिलमें हुआ होगा कि वे मुसलमान है तो काटो उनको। अगर ऐसा हुआ है तो बुरी बात है। मैंने पूछा, वहांकी हकूमतके बारेमें क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा, वहांकी हकूमत तो शरीफ है। उन्होंने जल्दीसे सब ठीक कर लिया। यहांकी हकूमत भी बड़ी शरीफ है, ऐसा वे कहते थे। यहां जो मुसलमान भाई हैं, उनके लिए गार्ड रखे गए हैं। उन्हें आदरसे रखते हैं। हकूमतसे हमें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानमें भी हिंदू, सिख, मुसलमान सौदागर सब मिल-जुलकर रहते हैं। हिंदसे बढ़ा-चढ़ाकर

खबरें जाती है। उससे आगे क्या होगा, सो पता नहीं। मगर हम इस बारेमें होशियार हैं।

एक भाई लिखते हैं—"अनाज वगैराका अंकुश हटवा दिया और हटवानेकी कोशिश करते हैं। कई लोग कहते है, यह अच्छा है। पर दरअसल ऐसा नहीं। मैं आपको जताए देता हूं।" मैं इन भाईको जानता हूं। मैंने उन्हें लिखा है—आपने कहा तो अच्छा किया; पर मुफ्तक लिखकर ही मौकूफ रखेंगे तो हारेंगे। एक तरफसे मुझे इतने मुबारकबादीके तार आते हैं, उनको मैं फेंक नहीं सकता। मैं भविष्यवेत्ता नहीं और न मेरे दिव्यचक्षु हैं। जितना इन आंखोंसे देख सकूं, कानोंसे सुन सकू, वही मेरे पास है। मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, सब जनता है। आप अपने विचार सबसे कहें। धन्यवाद देनेवाले बहुत हैं, मगर मैं दूसरा पहलू भी जानना चाहता हूं। मैं कहूं इसलिए आप कोई बात न मानें। अपनी आंखोंसे देखें सो करें; मेरे कहनेसे नहीं। २० महात्मा कहें तो भी नहीं। तजरबेसे गलती करके आप सीखेंगे। जो ठीक लगे सो करें। ऐसा करेंगे तभी आप आजादीको रख सकेंगे और उसके लायक बन सकेंगे।

: २०५ :

११ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

अभी एक चीज आई है—वह करुणाजनक है। आंध्रसे दो खत आए हैं। एक तो बूढ़े बुजुर्गका है, मैं उनको पहचानता हूं। वह हमेशा कहांसे खत लिखें, लेकिन इस वक्त लिखा। दूसरा खत एक नौजवान भाईका है, उनको मैं नहीं पहचानता हूं। मेरे पास नाम दोनोंके हैं; लेकिन नामको आप जानते नहीं हैं तब देनेसे क्या फायदा। दोनोंका मतलब यह है कि जबसे पंद्रह अगस्त आया है तबसे लोगोंके दिलमें ऐसा आ गया है कि अभी हमारा क्या है। अंग्रेजोंका डर था वह रहा नहीं, सजाका डर नहीं है, अब किसीका डर नहीं है। भगवानका डर कौन

पहचानता है। आंध्रमें तो लोग तगड़े रहते हैं। जब ऐसे रहते हैं और आजाद हो जाते हैं तब काबूके बाहर चले जाते हैं। तो अब ऐसे बाहर चले गए हैं कि पेट भरनेका काम करते हैं, दूसरा नही करते। एक भाई लिखते हैं कि कांग्रेसमें ऐसे-ऐसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था–हिंदुस्तानको आजाद करनेके लिए बलिदान कर दिया तो क्या इस कारण किया? आज कांग्रेस गिरती जा रही है। कांग्रेसमें जितने हैं वे सब असेम्बलीके सदस्य बनते हैं। सदस्य बनकर देशका काम नहीं करते, अपना करते हैं। सदस्य बनते हैं तो कम पैसे नहीं मिलते—मैं भूल गया हूं कि कितना मिलता है, लेकिन काफी मिलता है जिससे सदस्य बननेवालेका पेट भर जाता है। तो वे लिखते हैं कि इस तरहसे पैसा खाते हैं। इतना ही नही, सिविल कर्मचारियोंको डराते हैं। कहते हैं कि नहीं मानोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा। बेचारे पेट भरनेके लिए तो काम करते है, क्या करे। इस तरहसे दोनों तरफसे बिगडते हैं—हमारे दफ़्तरमें पड़े हैं वे बिगड़ते हैं और प्रतिनिधि कहलाते हैं वे बिगड़ते हैं। लोगोंको समझना चाहिए कि किसको अपना मत दें, लेकिन आज तो ऐसा है नहीं। वे दुःखसे यह बात लिखते हैं—दोनों ऐसा लिखते हैं। बुजुर्ग आदमीको बुरा लगता है तो वे कहते है कि यहां तुम रहो कुछ दिन और देखो–यह अच्छा लगता है। मैं आंध्र क्या, सबके बीच रहा हूं। मैं नहीं जानता हू कि ऐसा नही है। यह आंध्रका है, या मद्रासका है या किसी भी प्रांतका है, मुझसे छिपा नही है। मेरे लिए तो सब हिंदुस्तानके है। हिंदुस्तान-मे पड़े है, फिर अलग-अलग भाषा है तो उसमे क्या। कोई कहे कि मै तो आंध्रका हूं, देशसे मेरा वास्ता नही हो सकता है। तो मुझको भी उनसे वास्ता नही हो सकता। तो मैंने सोचा कि इतना कह तो दूं। मेरी आवाज वहांतक पहुंचे तो अच्छा है, जिससे वे समझ जायं कि किस तरहसे काम करें।

वे लिखते हैं कि इस तरहसे हमारा दुःख है और यह गंदगी हमारेमें फैल गई है। इसको मिटानेके लिए ज्यादा भेजें तो ज्यादा गंदगी होती है। दूसरा वे कहते एक जगह एक हजार भेजने हैं तो हजारमें गंदगी फैलती है, यह मेरी निगाहमें ऐसा है कि एक ही आदमीको गंदा करने दो, उसको हटानेमें दुश्वारी नहीं होती है, लेकिन अगर एकके बदलेमें एक हजार भेजें

तो ज्यादा बिगड़ता है। तो वे लिखते हैं कि जितने सदस्य हैं उन्हें कम तो करो, इससे कम गंदगी होगी—पीछे ज्यादा गंदे आदमी जा नहीं सकते—वे सच्चे प्रतिनिधि तो बनते नहीं हैं, वे पेट भरते हैं, यह बुरी बात है। पीछे कांग्रेसपर कब्जा करनेकी कोशिश करते हैं। फिर और दूसरी बातें पड़ी हैं, कम्यूनिस्ट हैं, समाजवादी हैं, ऐसे लोग पड़े हैं। वे भी आपसमें ऐसा कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हम सारे हिंदुस्तानपर कब्जा कर लेंगे। तो हिंदुस्तान किसपर कब्जा करेगा। कांग्रेसमें भी यही है, समाजवादियोंमें भी यही है, कम्यूनिस्टमें भी यही है, तो मैं सबसे कहूंगा कि हम हिंदुस्तानके बनें; हिंदुस्तान हमारा न बने। हिंदुस्तान एक-एकका बने तो हिंदुस्तान कहां जाय। इसलिए हिंदुस्तानको अपनाते है तो अपना पेट भरनेके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोंको पैसा देनेके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोंको नौकरियां देनेके लिए नहीं। मैं तो कहूंगा कि यह काम हमारा पहले दर्जेका होना चाहिए, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाता है।

बहनें बातें कर रही हैं, यह बुरी बात है। ऐसा करना है तो यहां आकर भाषण दें। मैं जो यह कह रहा हूं उसे शायद सुनती ही नहीं हैं—सुननेके लिए यहां थोड़े आती हैं। इतवार है तो गुनाह हो गया। सब आ जाते हैं, सुननेको नहीं, जिसको कुछ काम नहीं यहां आकर बैठ जाते हैं।

: २०६ :

मौनवार, १२ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

सेहत सुधारनेके लिए लोग सेहतके कानूनोंके मुताबिक उपवास करते हैं। जब कभी कुछ दोष हो जाता है और इन्सान अपनी गलती महसूस करता है तब प्रायश्चित्तके रूपमें भी उपवास किया जाता है। इन उपवासोंमें उपवास करनेवालेको अहिंसामें विश्वास रखनेकी जरूरत नहीं, मगर ऐसा मौका भी आता है जब अहिंसाका पुजारी समाजके किसी अन्यायके सामने विरोध प्रकट करनेके लिए उपवास करनेपर मजबूर हो जाता है। वह

ऐसा तब ही करता है, जब अहिंसाके पुजारीकी हैसियतसे उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नही रह जाता। ऐसा मौका मेरे लिए आ गया है।

जब ९ सितंबरको मै कलकत्तेसे दिल्ली आया था तब मैं पश्चिमी पंजाब जा रहा था। मगर वहां जाना नसीबमें नही था। खूबसूरत रौनकसे भरी दिल्ली उस दिन मुर्दोंके शहरके समान दीखती थी। जैसे ही मै ट्रेनसे उतरा, मैंने देखा कि हरएकके चेहरेपर उदासी थी। सरदार जो हमेशा हँसी-मजाक करके खुश रहते है, वे उस उदासीसे बचे नही थे। मुझे उस समय इसका कारण मालूम नही था। वे स्टेशनपर मुझे लेनेके लिए आए थे। उन्होने सबसे पहली खबर मुझे यह दी कि यूनियनकी राजधानीमें झगड़ा फूट निकला है। मै फौरन समझ गया कि मुझे दिल्लीमे ही करना या मरना होगा। मिलिटरी या पुलिसके कारण आज दिल्लीमें ऊपरसे शाति है, मगर दिलके भीतर तूफान उछल रहा है। वह किसी भी समय फूटकर बाहर आ सकता है। इसे मै अपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति नहीं समझता, जो ही मुझे मृत्युसे बचा सकती है—मृत्युसे, जिसके समान दूसरा मित्र नही। मुझे बचानेके लिए पुलिस और मिलिटरीके द्वारा रखी हुई शांति ही बस नही। मै हिंदू, सिख और मुसलमानोमें दिली-दोस्ती रखनेके लिए तरस रहा हू। कल तो ऐसी दोस्ती थी। आज उसका अस्तित्व नही है। यह ऐसी बात है कि जिसको कोई हिंदुस्तानी देशभक्त, जो इस नामके लायक है, शातिसे सहन नही कर सकता।

मेरे अंदरसे आवाज तो कई दिनोंसे आ रही थी, मगर मै अपने कान बंद कर रहा था। मुझे लगता था कि कही यह शैतानकी यानी मेरी कमजोरीकी आवाज तो नही है। मै कभी लाचारी महसूस करना पसंद नही करता। किसी सत्याग्रहीको नही करना चाहिए। उपवास तो आखिरी हथियार है। वह अपनी या दूसरोंकी तलवारकी जगह लेता है।

जो मुसलमान भाई मुझसे मिलते रहते है उनके इस सवालका कि 'वे अब क्या करें' मेरे पास कोई जवाब नही। कुछ समयसे मेरी यह लाचारी मुझे खाए जा रही है। उपवास शुरू होते ही यह मिट जाएगी। मैं पिछले तीन दिनसे इस बारेमे विचार कर रहा हूं। आखिरी निर्णय बिजलीकी तरह मेरे सामने चमक गया है और मै खुश हूं। कोई भी इन्सान, जो पवित्र

है, अपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज कुरबान नही कर सकता। मैं आशा रखता हू और प्रार्थना करता हू कि मुझमे उपवास करनेके लायक पवित्रता हो। नमक, सोडा और खट्टे नीबूके साथ या इन चीजोके बगैर पानी पीनेकी मैं छूट रखूगा। उपवास कल सुबह पहले खानेके बाद शुरू होगा।

उपवासका अर्सा[१] अनिश्चित है और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कौमोके दिल मिल गए है, और वह बाहरके दबावके कारण नही; मगर अपना-अपना धर्म समझनेके कारण, तब मेरा उपवास छूटेगा।

आज हिंदुस्तानका मान सब जगह कम हो रहा है। एशियाके हृदयपर और उसके द्वारा सारी दुनियाके हृदयपर हिंदुस्तानका रामराज्य आज तेजीसे गायब हो रहा है। अगर इस उपवासके निमित्त हमारी आखे खुल जाय तो यह सब वापिस आ जायगा। मैं यह विश्वास रखनेका साहस करता हू कि अगर हिंदुस्तानकी आत्मा खो गई तो तूफानोसे दुःखी और भूखी दुनियाकी आशाकी आखकी किरणका लोप हो जायगा।

कोई मित्र या दुश्मन--अगर ऐसे कोई है तो--मुझपर गुस्सा न करे। कई ऐसे मित्र है, जो मनुष्य-हृदयको सुधारनेके लिए उपवासका तरीका ठीक नही समझते। वे मेरी बर्दाश्त करेंगे और जो आजादी अपने लिए चाहते है, वह मुझे भी देगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है। मुझे किसी औरकी सलाहके बिना यह निर्णय करना चाहिए। अगर मैंने भूल की है और मुझे उस भूलका पता चल जाता है तो मैं सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करूगा और अपना कदम वापस लूगा। मगर ऐसी संभावना बहुत कम है। अगर मेरी अंतरात्माकी आवाज स्पष्ट है, और मैं दावा करता हू कि ऐसा है, तो उसे रद नही किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारेमें दलील न की जाय और जिस निर्णयको बदला नही जा सकता, उसमे मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिंदुस्तान-पर या कम-से-कम दिल्लीपर, ठीक असर हुआ तो उपवास जल्दी भी छूट सकता है। मगर जल्दी छूटे या देरसे छूटे या कभी भी न छूटे, ऐसे नाजुक मौकेपर किसीको कमजोरी नही दिखानी चाहिए।

---

[१] अवधि।

मेरे जीवनमें कई उपवास आए हैं। मेरे पहले उपवासोंके वक्त टीकाकारोंने कहा है कि उपवासने लोगोंपर दबाव डाला और अगर मैं उपवास न करता तो जिस मकसदके लिए मैंने उपवास किया, उसके स्वतंत्र गुण-दोषके विचारसे निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। अगर यह साबित किया जा सके कि मकसद अच्छा है तो विरुद्ध निर्णयकी क्या कीमत है। शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्मपालनकी तरह है। उसका फल अपने आप मिल जाता है। मैं कोई परिणाम लानेके लिए उपवास नही करना चाहता। मैं उपवास करता हूं, क्योंकि मुझे करना ही चाहिए।

मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शात चित्तसे इस उपवासका तटस्थ वृत्तिसे विचार करे और यदि मुझे मरना ही है तो मुझे शातिसे मरने दे। मैं आशा रखता हूं कि शाति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिंदुस्तानका, हिंदू-धर्मका, सिखधर्मका और इस्लामका बेबस बनकर नाश होते देखना इसकी निस्बत मृत्यु मेरे लिए सुदर रिहाई होगी। अगर पाकिस्तानमें दुनियाके सब धर्मोके लोगोको समान हक न मिले, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और यूनियन भी पाकिस्तानकी नकल करे तो दोनोका नाश निश्चित है। उस हालतमें इस्लामका तो हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ही नाश होगा—बाकी दुनियामें नही—मगर हिंदू-धर्म और सिख-धर्म तो हिदुस्तानके बाहर है ही नही।

जो लोग दूसरे विचार रखते है, वे मेरा जितना भी कड़ा विरोध करेंगे, उतनी मै उनकी इज्जत करूगा। मेरा उपवास लोगोंकी आत्माको जाग्रत करनेके लिए है, उसे मार डालनेको नही। जरा सोचिए तो सही, आज हमारे प्यारे हिदुस्तानमे कितनी गदगी पैदा हो गई हैं। तब आप खुश होगे कि हिदुस्तानका एक नम्र पूत, जिसमे इतनी ताकत है, और शायद इतनी पवित्रता भी है, इस गदगीको मिटानेके लिए ऐसा कदम उठा रहा है, और अगर उसमे ताकत और पवित्रता नही है तब वह पृथ्वीपर बोझरूप है। जितनी जल्दी वह उठ जाए और हिदुस्तानको इस बोझसे मुक्त करे, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है। मेरे उपवासकी खबर सुनकर लोग दौड़ते हुए मेरे पास न आवे। सब अपने आसपासका वातावरण सुधारनेका प्रयत्न करें तो बस है।

: २०७ :

१३ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरी उम्मीद है कि मैं पंद्रह मिनटमें जो कहना है, कह सकूंगा। बहुत कहना है, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे।

आज तो मैं यहां (प्रार्थना-सभामें) आ सका, क्योंकि जब कोई फाका करता है तब पहले दिन—चौबीस घंटेतक—तो किसीको कुछ लगना न चाहिए। मैंने तो आज साढ़े नौ बजे खाना शुरू किया। उसी समय लोग आते रहे, बात करते रहे तो खाना ग्यारह बजे पूरा कर सका। सो आजके दिनकी तो कीमत नहीं। इसलिए आज प्रार्थना-सभामें आ सका हू तो किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तो आ-जा सकता हूं, बैठ सकता हू और सब काम भी किया है। कलसे डर है। मैं यहां आऊं और फिर न बोलूं, इससे अच्छा तो वहीं पड़ा रहकर विचार कर सकता हूं। आखिर भगवानका नाम लेना है तो वहीं लूंगा। कलसे आपके सामने प्रार्थनामें आना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। मैं आना चाहूं और न आ सकूं; लेकिन प्रार्थना आप सुनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लड़कियां तो प्रार्थना करने आएगी— सब नहीं तो एक आ जायगी। आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। मेरे यहां आनेकी आशासे तो आपको निराशा हो सकती है।

मैंने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मुसलमानने गुनाह किया, हिंदूने गुनाह किया या सिखने गुनाह किया? किसने गुनाह किया? फाका कबतक चलनेवाला है? ठीक है, जो पूछते है कि क्या इल्जाम हमपर है? मैं कहता हू कि इल्जाम किसीपर नहीं है। मैं इल्जाम लगानेवाला कौन हू? हां, मैंने सुनाया तो कि हम गुनहगार बन गए हैं, लेकिन कोई एक आदमी गुनहगार थोड़ा है! हिंदू मुसलमानको हटाते हैं तो अपने धर्मका पालन नहीं करते और आज तो हिंदू और सिख दोनों साथ करते हे। लेकिन मैं सब हिंदुओं या सब सिखोंपर भी इल्जाम नहीं लगाता हूं; क्योंकि सबने थोड़े किया।

यह समझने लायक बात है। न समझे तो मेरा काम नही होगा और फाका भी बद नही होगा। अगर मै अपनेको जिदा नहीं रख सका तो इसका इल्जाम किसीपर नहीं है। मै नालायक सिद्ध होता हू तो ईश्वर उठा लेगा। मुझको उठा ले तो कौन-सी बड़ी बात है? तो मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुसलमान भाईके लिए करते हो? ठीक कहते हैं। मै कबूल करता हू कि मैंने उनके लिए तो किया। क्यों? क्योंकि आज मुसलमान यहा तेजी[1] खो बैठे हैं—हकूमतका एक किस्मका सहारा था कि इतनी जगह मुसलमानोंकी है, मुस्लिम लीगकी भी यहां चलती है, वह अब रही नहीं। आज यहा मुस्लिम लीग नही रही, मुस्लिम लीगका सहारा सच्चा नही है— पीछे लड़ाई करते हैं, यह बात दूसरी है— बाकी उनकी हकमत नही रही। लीगने दो टुकड़ें करवा दिए। इसीलिए दो हिस्से बन गए। इसके बाद भी मुसलमान यहा रहते हैं। मेरा तो हमेशा ऐसा मत रहा है कि जो थोड़े रहते हैं, उनकी मदद की जाय। ऐसा करना मनुष्यमात्रका धर्म है।

यह आत्म-शुद्धिका उपवास है तो सबको शुद्ध होना चाहिए। सबको शुद्ध होना ही नही है तो मामला बिगड जाता है। सबको शुद्ध होना है तो मुसलमानको भी होना है। सबको साफ-सुथरा और शुद्ध बन जाना है और मुसलमान कुछ भी करें, उनका कोई दोष नही निकालना है। आत्म-शुद्धिका उपवास इस तरहसे नही हो सकता। अगर मै कहू कि मैंने किसीके सामने गुनाह किया तो वह प्रायश्चित्त है। जिसके सामने हम गुनाह कबूल करते हैं वह प्रायश्चित्त है।

मै जब कहता हूं तब मुसलमानकी खुशामद करने या किसी और दूसरेकी खुशामद करनेके लिए नही कहता हूं। मै तो अपनेको राजी रखना चाहता हू। इसका मतलब यह है कि मैं ईश्वरको राजी रखना चाहता हूं। मै ईश्वरका गुनहगार नही बनना चाहता। मैं तो कहूगा कि मुसलमान-को भी शुद्ध बनना है और यहां रहना है। बात ऐसी है कि चुनावमें—सही हो या गलत— हिंदू-सिखने मुस्लिम लीगको मान लिया, उसके पहले भी

---

[1] (गुज०) हिम्मत, उत्साह।

मानते थे और कहते भी थे। मै उसके इतिहासमें नही जाऊगा। इसके बाद देशके हिस्से हो गए— उसके पहले दिलके हिस्से हो गए। उसमे मुसलमानोने भी गलती की। सब गलती उन्हीकी थी, ऐसी बात नहीं है। हिंदू, सिख, मुसलमान—तीनों गुनहगार थे। अब तीनो गुनहगारोंको दोस्त बनना है। इन तीनोंके बीचमें एक चीज पडी है। वह है ईश्वरको सब मानें, शैतानको नही, तो यह काम बन सकता है। मुसलमान भी काफी पड़े है, जो शैतानकी पूजा करते है, खुदाकी नही। काफी हिंदू भी शैतान-राक्षसकी पूजा करते है, सिख भी गुरु नानक और दूसरे गुरुओंकी पूजा नही करते— ऐसे हम बन गए हैं। हम तो धर्मके नामपर अधर्मी बन गए। अगर हम तीनो धर्म-पथपर चलें तो किसी एकको डरनेकी आवश्यकता नही है।

मैंने मुसलमानोंके नामसे उपवास शुरू किया है, इसलिए उनके सिरपर जबरदस्त जिम्मेदारी आती है। क्या जिम्मेदारी आती है? उनको यह समझना है कि हम हिंदू सिखके साथ भाई-भाई बनकर रहना चाहते है, इसी यूनियनके है— पाकिस्तानके नही सही— हम वफादार बनकर रहना चाहते है। मै यह नही पूछता हू कि आप वफादार है या नही? पूछकर क्या करना है! मै तो कामोसे देखता हू।

पीछे सरदारका नाम आ जाता है। वे कहते हैं कि सरदारको हटा दो, तुम अच्छे हो। पीछे सुनाते है कि जवाहर भी अच्छा है। तुम हकूमतमे आ जाओ तो हकूमत अच्छी चले। सब अच्छे है, सरदार अच्छे नही हैं। तो मै मुसलमानोंसे कहूगा कि मुसलमान ऐसा कहेगे तो कोई बात चलनी नही है। क्यों नही? क्योंकि आपका हाकिम वह मंत्रिमंडल है। हकूमतमें न अकेला सरदार है और न जवाहर है। वे आपके नौकर है। उनको आप हटा सकते है। हा, ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान तो हटा नही सकते है, लेकिन इतना तो करें कि सरदार जितनी गलती करते है— लोगोंमे आपस-आपसमे बात करनेसे निपटता नहीं है— उनको बताओ। ऐसा नहीं कि उन्होंने यह बात कही, वह बात कही; लेकिन उन्होंने किया क्या, यह बताओ। मुझको बता दो। उनसे मै मिलता रहता हूं और सुनता भी हूं तो मैं कह दूगा। वही जवाहर, वही सरदार दोनों हकूमत चलाते हैं।

जवाहर तो उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ है। वे उनकी तारीफ करते हैं। फिर मंत्रि-मंडल है, वह हकूमत है। सरदार जो कुछ करता है उसके लिए सारी हकूमत जवाबदार है। आप भी जवाबदार है; क्योंकि वे आपके नुमायंदे है। इस तरहसे हमारा काम चलता है। इसलिए मै कहूगा कि मुसलमानोंको बहादुर, निर्भय बनना है। उसीके साथ खुदा-परस्त बनना है। वे ऐसा समझे कि हमारे लिए लीग नही है, काग्रेस नही है, गांधी नही है, जवाहर नही है, कोई नही है, खुदा है। उसके नामपर हम यहा पड़े है। मै चाहता हू कि हरएक मुसलमान इस तरहका बने। हिंदू, सिख चाहे कुछ भी करते है, आप बुरा न मानें। मै आपके साथ पड़ा हू। मै आपके साथ मरना या जिदा रहना चाहता हूं। मै मरनेकी क्या कोशिश करनेवाला हूं? मै करूगा या मरूगा। अगर आप लोगोंको साथ नही रख सकता हू तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता है। इसलिए मुसलमानपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इसे आप भूले नही। ऐसी बात नही करता कि मै मुसलमानकी गलती न निकालू। क्यों न निकालू?

सरदार सीधी बात बोलनेवाले है। वे बोलते है तो कड़वी लगती है। वह सरदारकी जीभमे है। मैंने उनसे कहा कि आपकी जीभसे कोई बात निकली कि कांटा हो गई। तो उनकी जीभ ही ऐसी है कि कांटा है, दिल वैसा नही है। उसका मै गवाह हू। उन्होने कलकत्तेमें कह दिया, लखनऊमे कह दिया कि सब मुसलमानोंको यहा रहना है, रह सकते है। साथ ही मुझको यह भी कहा कि उन मुसलमानोका एतबार नही करता हू, जो कलतक लीगवाले थे और अपनेको हिंदू-सिखका दुश्मन मानते थे— वे जब कलतक ऐसे थे तब आज एक रातमे दोस्त कैसे बन सकते है? पीछे ऐसा है कि लीग रहेगी तो वे लोग किसकी मानेगे— हमारी हकूमतकी या पाकिस्तानकी? लीग अभी भी वैसा ही कहती है तो उनको शक होता है। उनको शक करनेका अधिकार है। सबको शक करनेका अधिकार है। सरदारने जो कहा है उसका सीधा अर्थ निकाल लें तो काम बन जाता है। जैसे कोई मेरा भाई है, लेकिन उसपर शक है तो क्या करूं? शक साबित हो तब काटूं, यही मैं कर सकता हूं। लेकिन मै पहलेसे ही भाईकी बुराई करूं, ऐसा कैसे हो सकता

है ? वे कहते हैं कि हमारे दिलमें आज मुस्लिम लीगके मुसलमानोके बारेमें एतबार नही है, उनपर कैसे भरोसा रखें ? मुसलमान सबूत दे कि वे ऐसे नही हैं। ऐसा करें तो सब अजाम पहुच जाता है। पीछे मुझे यह कहनेका हक मिल जाता है कि हिंदू, सिख क्या करें। इस यूनियनमे सरदार क्या करे, जवाहर क्या करे, उसमे कोई भी क्या करे, मै क्या करू ?

इन लड़कियोंने अभी जो गीत सुनाया है वह गुरुदेवका प्रसिद्ध गीत है। नोआखालीमें पैदल चलते थे तब इस गीत[1] को गाते थे। उसमे एक बात है। अकेला जब कोई आदमी चलता है तो किसीको कैसे बुलाते हैं: आओ ऐ भाई, आओ ऐ भाई, मदद तो दे दो। कोई नही आता है, अधेरा है तो गुरुदेव कहते थे कि अकेला चले तो भी क्या, क्योंकि उसका एक साथी— ईश्वर तो साथ है ही। मैंने आज लड़कियोंसे इस गीतको गानेको कहा तो गा दिया, नही तो यहां बंगाली गीत क्या गाना था ! हिंदुस्तानी चलता था। उसमें बड़ा गुण पड़ा है।

१

यदि तोर डाक शुने केउ न आसे तबे एकला चलो रे,
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे ।।
यदि केउ कथा न कय, ओरे, ओरे, ओ अभागा !
यदि सबाई थाके मुख फिराये, सबाई करे भय—
तबे परान खुले
ओ तूई मुख फूटे तोर मनेर कथा, एकला बोलो रे ।
यदि सबाई फिरे जाय, ओरे, ओरे, ओ अभागा !
यदि गहन पथे जाबार काले, केउ फिरे ना चाय—
तबे पथेर कांटा
ओ तूई रक्तमाखा चरनतले एकला दलो रे ।
यदि आलो ना धरे, ओरे, ओरे, ओ अभागा !
यदि झड़ बादले आंधार राते दुआर देय धरे—
तबे वज्रानले

तो मैंने कहा कि आज इसे गाओ। गुरुदेवका यह प्रिय भजन है। तो मै कहूंगा कि अगर हिंदू-सिख ऐसा नही बनते हैं तो सच्चे नही हैं। उनमें इतनी बहादुरी नही होती कि थोड़ेवालोंको भी नही रहने दोगे—क्या मारोगे-पीटोगे— मारोगे नही, पीटोगे नही, लेकिन ऐसी हवा पैदा कर दो कि सब मुसलमान जानेको मजबूर हो पाकिस्तान जायं, तो काम कैसे बन सकता है ? इसलिए कहता हूं कि हिंदू-सिखको यहांतक बहादुर बनना है कि पाकिस्तानमें मुसलमान चाहे कुछ भी करे, चाहे सभी हिंदू और सिखोंको मार डाले तो भी यहां ऐसा न हो। मै वहांतक जिंदा रहना नहीं चाहता कि पाकिस्तानकी नकल हो। मैं जिंदा रहूंगा तो सब हिंदू, सिखको कहूंगा कि एक भी मुसलमानको न छूवें, एक भी मुसलमानको मारना बुजदिली है। हमें तो यहां बहादुर बनना है, बुजदिल नहीं।

फाका छूटनेकी शर्त यह है कि दिल्ली बुलंद हो जाय। अगर दिल्ली बुलद हो जाती है तो सारे हिंदुस्तान ही क्या, पाकिस्तानपर भी

आपन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एकला जलो रे।

अर्थात्—

यदि तेरी पुकार सुनकर कोई नहीं आता तो तू अकेला ही चल!
अकेला चल, अकेला चल, अकेला ही चल!
यदि कोई बात नहीं करता, अरे, अरे, ओ अभागे!
यदि सभी मुंह मोड़े रहते हैं, सभी डरते हैं,
तो दिल खोल कर तू अपने मनकी बात अकेला ही कह।
यदि तेरे सभी लौट जायं, अरे, अरे, ओ अभागे!
यदि गहन पथमें जाते समय कोई तेरी ओर फिर कर न देखें।
तो राहके कांटोंको
लोहू लुहान पैरोंसे अकेले ही दल,
यदि कोई रोशनी नहीं दिखाता
यदि आंधी पानी और अंधकार भरी रात में कोई घरका दरवाजा बंद कर देता है तो वज्राग्नि से अपने हृदय-पंजर को प्रज्वलित करके तू अकेला ही जल।

असर पड़ेगा। अगर दिल्ली ठीक हो जाती है और यहां कोई मुसलमान भी अकेला घूम सकता है तो मेरा फाका छूट जाता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली पायातख्त है। सब दिन यह हिदुस्तानका पायातख्त रही है। दिल्लीमें सब ठीक नही होता है तो सारे हिदुस्तान और पाकिस्तानमें ठीक नही हो सकता। यहा कहे कि हम भाई-भाई बन गए है, यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक-दूसरेसे मिलते-जुलते है। पीछे चाहे मुहरावर्दी साहब हों—गुडोके सरदार माने जाते हैं तो उससे मुझको क्या—अब वह गुडा बने तो गोलीसे उडा दे। सुहरावर्दीको मै यहां क्यो नही लाता हू ? क्योंकि डर है कि उनका कोई अपमान न कर दे। अगर कोई उनका अपमान करता है तो मेरा भी अपमान होगा। आज ऐसा थोडा है कि वे दिल्लीकी गलियोमें घूम सकते हैं। घूमेंगे तो काट डाले जायंगे। मै तो कहूगा कि उन्हे अधेरेमे भी घूमनेकी आजादी रहनी चाहिए। ठीक है कि कलकत्तेमें मुसलमानोंपर आ पड़ी तो किया, लेकिन बिगाडना चाहते तो बिगाड सकते थे— वे बिगाडना नही चाहते थे। कलकत्तेमें जिस चीज-पर मुसलमान कब्जा लेकर बैठ गए थे उनको उन्होने खीच-खीचकर निकाला और कहा कि मै प्रधान-मत्री था, ऐसा कर सकता हू। मुसलमानोने जिनपर कब्जा किया था वह हिंदुओं और सिखोंका था, तो भी उन्होंने किया। तो मैं कहूगा कि यहा असली शांतिके लिए एक दिनके बदले एक महीना लगे तो क्या, मेरा उपवास बीचमे ही छुडवानेके लिए कोई ऐसा काम न करे। इससे सारा हिंदुस्तान तो बच जाता है। आज तो गिरा हुआ है। ऐसा करे तो हिंदुस्तान ऊचा जानेवाला है।

तो मैं यही चाहता हू कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो हिंदुस्तानमें पड़े है, यहीं रहे। हिंदुस्तान ऐसा बने कि किसीके जान-मालको नुकसान न पहुचे। तब हिंदुस्तान ऊचा होगा।

: २०८ :

१४ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

कल तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं यहां आ सकूगा या नहीं, इसमें शक है। हो सका तो आज आ गया। कल-परसों ऐसे दिन आनेवाले हैं कि मैं घूम नही सकूगा। डाक्टर तो ऐसे है कि आजसे ही मनाही करते है। लेकिन मैं तो डाक्टरोंके हाथमें नही हू, ईश्वरके हाथमें पडा हू। मुझे ऐसा मोह नही है कि जिदा रहू तो ठीक है। जिंदा रखेगा तो वही रखेगा और मारेगा तो वही मारेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी अटल श्रद्धा कायम रहे और उम्मीद करता हू कि उस श्रद्धामें कोई विघ्न न डाले। आज ऐसा हो गया है कि आदमी दुर्बल पड़ा है। कहता है कि ईश्वर कहा है? ऐसे दुर्बल आदमी पड़े हैं। तो मैं कहता हू कि सब सबल बनें, इर्द-गिर्द सबल बने। तभी आदमी आपत्तिसे निकल सकता है। तो मैंने अपनी रामकहानी कह दी।

मैं तो आज आपको दो-चार चीज कह देना चाहता हूं। सचमुच मैंने अंग्रेजीमें तो लिख डाला है या लिखा दिया है। पीछे ऐसा था कि दिल कैसे चलेगा। नही जानता था। ताकत नही हो तो तर्जुमा करके सुना देगे। ऐसा हो सकता था। पीछे मैंने सोचा कि मैं सुना दू तो अच्छा है। यह आपके लिए ही नही है। इसे रेडियोके जरिये सारे हिंदुस्तानके लाखो आदमी सुन लेते है। वे सुनना चाहते हैं कि मैं क्या कहता हू, मेरी आवाज कैसी है। मैं तो प्रेमके बसमें हू। तो मुझको लगा कि आज भी मेरी आवाज सुन ले तो अच्छा है। मैं ऐसा मानता हू कि ३६ घटेका उपवास तो कामकी चीज है — शरीरको स्वच्छ करता है। इतनेसे हानि किसीको नही पहुंचती है। हां, यह ठीक है कि भविष्यके लिए ताकतको इकट्ठा रखना है, लेकिन वह तो भगवान करा लेगा।

मेरे पास काफी तार आए हैं, मुसलमानोंके भी काफी तार आए हैं हर जगहसे। हिंदुस्तानके बाहरके भी काफी तार आए हैं। तो मैंने प्यारे-लालको कह दिया कि उनमेंसे कामके निकालो। सबको छपवाना थोड़े

है ! उससे फायदा क्या ? कितने ही ऐसे तार आए है। एक किस्मके तार तो ऐसे है कि जिनमेसे लोगोंको शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार है कि हम सब कर लेगे, उपवास छोड़ दो। उपवास ऐसे कोई छुट सकता है ? ईश्वरने करवाया है, ईश्वर ही छुड़वा सकता है। दूसरी कोई ताकत नहीं। वह ताकत तो वही है जो मैंने लिखा है।

मृदुलाबेनका टेलीफोन आया। वह लाहौरमें पड़ी है। उसके काफी मुसलमान दोस्त है। वह हिंदू लड़की है। वह तो व्याकुल बन गई है। छोटी थी तबसे मेरी गोदमें पड़ी थी। अब तो बड़ी हो गई है। हर जगह घूमती है—अकेली। तो कहती है कि सब मुसलमान मुझसे पूछते है, अफसर भी पूछते है—गांधी जो कर रहे है वह हमारे लिए कर रहे है तो पूछो—क्या हमको बता देगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते है ? मुझको यह अच्छा लगा। तो उत्तर देनेके लिए कहे देता हू। टेलीफोन वहा पहुचा या नही, एक रातमे क्या होगा, कल तो वहा यह पहुंच ही जायगा। और जो तार भेजते है उनको कहूगा कि यह कौन-सी बड़ी बात है कि आप मेरे बारेमे पूछते है ? पूछनेकी क्या जरूरत है ? यह दिल्लीका यज्ञ तो है, लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ अकेलेके लिए है या सबके लिए, ऐसा सवाल ही नही है।

यह उपवास आत्म-शुद्धि करनेके लिए है। जहां आज शैतान बैठा है वहा ईश्वरको बैठा दो कि शैतान उसे हटा न सके। तो उसकी कुछ निशानी होनी चाहिए। इसके लिए सब तो फाका कर नही सकते। यह मेरे शुभ नसीबमें है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेमसे चलें। हिंदू कहता है कि मुसलमानको मारो, मुसलमान हिंदूको मारनेके लिए तैयार होता है, और सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालो। इस तरह सिख, हिंदू, मुसलमान झगड़ा करे तो बुरी बात है। यज्ञमें हिस्सा लेना है, लेना चाहते है तो सब भाई-भाई बन जायं, वैर-भावके बदले प्रेम-भाव करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख—सब ऐसा बने तो उस जगह शराब नही देखूगा, अफीम नही देखूंगा, व्यभिचारी लोगोंको नही देखूगा, व्यभिचारिणी औरतोंको नहीं देखूगा। सब ऐसा समझेंगे कि यह मेरी बहन है या मां है या पत्नी है या लड़की है। सब परहेजसे रहें, साफ-सुथरे रहें तो भी अगर

मै समझूं कि मैं पाकिस्तानका दुश्मन हूं, पाकिस्तान पापसे भरा है तो मुझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-भूमि नही, पाक-भूमि है। ऐसा बनना है तो अच्छा है। कहनेसे नहीं बने, करनेसे बने। पाकिस्तानमे जितने मुसलमान पड़े हैं वे ऐसे रहें तो इसका असर इधर भी होगा। पाकिस्तानने हिंदुओंके साथ गुनाह किया है यह मैंने कभी छिपाया नही है।

अभी कराचीमें क्या हो गया? बेगुनाह सिख मार डाले गए, जायदाद लूट ली गई। अब सुनता हू कि गुजरातमे भी हो गया। वे बेचारे बन्नूसे या कहांसे, मुझको पता नही, आ रहे थे। सब शरणार्थी थे। वहांसे जान बचानेके लिए भाग रहे थे यहा आनेके लिए। रास्तेमें काट डाले गए। मै सब किस्सा नहीं कहना चाहता हू। मै मुसलमानोंको कहता हूं कि आपके नामसे पाकिस्तानमें ऐसा बनता रहे तो पीछे हिंदुस्तानके लोग कहां-तक बर्दाश्त करेंगे? मेरी तरह सौ आदमी भी फाका करे तो भी नही रुक सकता है। मेरे-जैसे मिस्कीनके फाका करनेसे क्या होगा? तो आप ऐसा करे कि सब अच्छे बन जाय। कोई मुसलमान हो, कबीलेवाले हों तो उनको भी अच्छा बनना है। और कहे कि हम सब सिख, हिंदूको यहां लानेवाले है।

कविने कहा—मैंने यह पढ़ा है—कि अगर आपको जन्नत देखना है, तो यहा है, बाहर नहीं है। वह तो एक बगीचेके लिए कहा है। लिखनेवाले उस्ताद रहते हे। क्या खूबसूरत चीज है, यह उर्दूमे लिखा है। मैंने इसे वर्षों पहले—बचपनमें पढा था। जन्नत ऐसे आता नही है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख—सब ऐसे शरीफ बनें, सब-के-सब भाई-भाई बनें तो कहूगा कि वही शेर सब दरवाजेमे लगाए जाय। पीछे कहूगा कि वही नही, यहां भी लगाए जाय। लेकिन कब लगाया जायगा, जब पाकिस्तान पाक हो जायगा। कहना एक और करना दूसरा तो दोजख हो जायगा। दिलको साफ कर लो, उसमे शैतान नही, खुदाको विराजमान करो। ऐसा करोगे तो जन्नत यहीं है। जन्नत देखना हो तो वहां देखो। अगर वहां ऐसा हो जाय तो हम यहां मुकाबला करेंगे और उससे भी आगे बढ़नेकी कोशिश करेंगे। हिंदुस्तानके दो टुकड़े हैं तो क्या, दिल तो एक हो गया है। भूगोलमें टुकड़े

रहें तो क्या हुआ, हकूमत अलग है तो उससे क्या? सारी दुनियामे हकूमत अलग-अलग है। हकूमत पचास रहें, पांच-सौ रहे तो क्या? मै तो कहूगा कि सात लाख गांव हैं तो सात लाख हकूमत बनी ऐसा मानो, तो छोटी वह होगी, अच्छी रहेगी। पीछे देहातोंका काम, बहने पडी हैं उनके हाथ छोड सकते है। यह ऐसी खूबसूरत चीज है।

मुझसे कहते हैं—कहते-कहते घूट पी लेते है—कि यह पागल है। एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन मै क्या करू? मै बचपनसे ऐसा बना हू। जब छोटा था तब अखबार भी नही पढता था। मै सच कहता हू कि अखबार नही पढता था। मै अग्रेजी मुश्किलसे पढ़ सकता था, गुजराती भद्दी जानता था तो मै अखबार कैसे पढ सकता था? तबसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिदुस्तानमे—राजकोटमे ही नही—हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान एक बनकर रहे तो पीछे हम यहां आरामसे रह सकते है। मेरा ऐसा ख्वाब रहा है। अभी जो स्वराज आया है वह निकम्मा है। जवानीमे मैने जो ख्वाब देखा है वह अगर सच्चा होता है—मै तो बूढा हो गया हू, मरनेके किनारे हू—तो मेरा दिल नाचेगा, बच्चे नाचेगे और देखेगे कि हिंदुस्तानमे सब खैर हो गया, लडते-भिड़ते नही, साथ रहते है। आप सब इस काममे मदद करे। पाकिस्तानके लोग सुनेंगे तो वे भी नाच उठेंगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब भूल जाय कि हम दुश्मन थे, अलग-अलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्ममे कायम रहे और अच्छे बनें तो सब धर्म एक साथ चल सकते है। पीछे धर्म नही देखेंगे, शरीफ रहेंगे। इस तरहसे दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जायं तो मै नाचूगा। आपको भी नाचना पडेगा। वह तो एक नशा है—ईश्वर ऐसा नशा देग और हमे किसीका डर नही रहेगा। हम ऐसे नही डरनेवाले है कि यह सिख है या ऊचा पठान है। हमे तो सिर्फ ईश्वरसे डरना है। मै ऐसा देखना चाहता हू।

आप अपनेको ऐसा बना सकते है। समाज क्या है? आप सबमे समाज बना है। हम उसमे है तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं बनाता है। हम उसको बनाते है। हम सोए हुए पड़े हैं। इसलिए कहते है कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार हैं। उसी तरह हकूमत है।

हकूमत तो हम हैं। एक आदमी ऐसा कर सकता है। एक है तो अनेक बनेगा, एक नही तो शून्य है।

आपको पता नही था कि मैं आज बोलूंगा। कल आनेमें शक है; लेकिन प्रार्थना होगी और लड़कियां भजन सुनाएंगी।

: २०६ :

१५ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरे लिए यह एक नया अनुभव है। मुझको इस तरहसे लोगोंको सुनानेका कभी अवसर नही आया है, न मै चाहता था। मै इस वक्त जिस जगह प्रार्थना हो रही है वहा नही जा सकता हू। इसलिए प्रार्थनामे जो लोग आए है वहातक मेरी आवाज यहासे नही पहुच सकती है। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगोंतक, जिधर आप बैठे है, मेरी आवाज पहुच सके तो आपको आश्वासन मिलेगा और मुझको बड़ा आनद होगा। जो मैंने लोगोके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिया था। ऐमी हालत कल रहेगी कि नही, मै नही जानता।

आपलोगोसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हर एक आदमी दूसरे क्या करते है उसे न देखे, बल्कि अपनी ओर देखे और जितनी आत्म-शुद्धि कर सकते है, करे। मुझे विश्वास है कि जनता बहुत परिमाणमे आत्म-शुद्धि करलेगी तो उसका हित होगा और मेरा भी हित होगा। हिंदुस्तानका कल्याण होगा और सभव है कि मै जल्दीसे जो उपवास चल रहा है उसे छोड़ सकू। मेरी फिक्र किसीको नही करनी है, फिक्र अपने लिए की जाय। हम कहांतक आगे बढ़ रहे है और देशका कल्याण कहांतक हो सकता है, इसका ध्यान रक्खे। आखिरमे सब इन्सानोंको मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्युसे मुक्ति मिल नही सकती। ऐसी मृत्युका भय क्या? शोक भी क्या करना? मै समझता हू कि हम सबके लिए मृत्यु एक आनंददायक मित्र है, हमेशा धन्यवादके लायक है, क्योंकि मृत्युसे अनेक प्रकारके दुखोंमेंसे हम एक समय तो निकल जाते है।

(लिखित संदेश)

कल शामकी प्रार्थनाके दो घटे बाद अखबारवालोंने मुझे संदेश भेजा कि उन्हें मेरे भाषणके बारेमे कुछ बातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते थे। मगर मैंने दिनभर काम किया था, प्रार्थनाके बाद भी कामम फसा रहा। इसलिए थकान और कमजोरीके कारण उन्हे मिलनेकी मेरी इच्छा नहीं हुई। इसलिए मैंने प्यारेलालसे कहा कि उनसे कहो कि मुझे माफ करें और जो सवाल पूछने हों वह लिखकर कल सुबह नौ बजे बाद मुझे दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया है।

पहला सवाल यह है—"आपने उपवास ऐसे वक्त शुरू किया है जब कि यूनियनके किसी हिस्सेमे कुछ झगड़ा हो ही नही रहा।" लोग जबरदस्ती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा लेनेकी बाकायदा, निश्चयपूर्वक कोशिश करे, यह क्या झगडा नही कहा जायगा? यह झगड़ा तो यहांतक बढ़ा कि फौजको इच्छा न रहते हुए भी अश्रुगैस इस्तेमाल करनी पडी और, भले ही हवामें हो, मगर कुछ गोलियां भी चलानी पड़ी। तब कही लोग हटे। मेरे लिए यह सरासर बेवकूफी होती कि मै मुसलमानोंका ऐसे टेढ़ी तरहसे निकाला जाना आखिरतक देखता रहता। इसे मै रुला-रुलाकर मारना कहता हूं।

दूसरा प्रश्न यह है—" आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने डरकी और अपनी असुरक्षितताकी कहानी लेकर आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें कोई जवाब नही दे सकते। उनकी शिकायत है कि सरदार जिनके हाथोमे गृह-विभाग है, मुसलमानोंके खिलाफ हैं। आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेले पहले आपकी 'हां-में-हा' मिलाया करते थे, 'जी-हजूर' कहलाते थे, मगर अब ऐसी हालत नहीं रही। इससे लोगोंके मनपर यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिए उपवास कर रहे हैं। आपका उपवास गृह-विभागकी नीतिकी निदा करता है। अगर आप इस चीजको साफ करेंगे तो अच्छा होगा।"

मैं समझता हू कि मै इस बातका साफ-साफ जवाब दे चुका हूं। मैंने जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है,

वह मेरी कल्पनामें भी नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा अर्थ किया जा सकता है तो मैं पहलेसे इस चीजको साफ कर देता।

कई मुसलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारका रुख मुसलमानोंके खिलाफ है। मैंने कुछ दुःखसे उनकी बात सुनी मगर कोई सफाई पेश न की। उपवास शुरू होनेके बाद मैंने अपने ऊपर जो रोक-थाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मैंने टीकाकारोंको कहा कि सरदारको मुझसे और पंडित नेहरूसे अलग करके और मुझे और पंडित नेहरूको खामख्वाह आसमानपर चढ़ाकर वे गलती करते हैं।

इससे उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। सरदारके बात करनेके ढंगमें एक तरहका अक्खड़पन है, जिससे कभी-कभी लोगोंका दिल दुख जाता है, अगरचे सरदारका इरादा किसीको दुःखी बनानेका नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है। उसमें सबके लिए जगह है। सो मैंने जो कहा उसका मतलब यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीको एक बेजा इल-जामसे[1] बरी[2] कर दूं। मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले कहीं यह न समझ बैठें कि मैं सरदारको अपना 'जी हुजूर' मानता हूं। सरदारको प्रेमसे मेरा 'जी हुजूर' कहा जाता था। इसलिए मैंने सरदारकी तारीफ करते समय कह दिया कि वे इतने शक्तिशाली और मनके मजबूत हैं कि वे किसीके 'जी हुजूर' हो ही नहीं सकते। जब वे मेरे 'जी हुजूर' कहलाते थे तब वे ऐसा कहने देते थे; क्योंकि जो कुछ मैं कहता था वह अपने आप उनके गले उतर जाता था। वे अपने क्षेत्रमें बहुत बड़े थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी-में उन्होंने शासन चलानेमें बहुत काबलियत[3] बताई थी। मगर वह इतने नम्र थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होंने उसका कारण मुझे बताया था कि जब मैं हिंदुस्तानमें आया था उन दिनों जिस तरहका राज-काज हिंदुस्तानमें चलता था, उसमें हिस्सा लेनेका उन्हें मन नहीं होता था। मगर अब जब सत्ता उनके गले आ पड़ी तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसाको वे आजतक सफलतापूर्वक चला सके अब वही नहीं चला सकते। मैंने कहा है कि मैं समझ गया हूं कि जिस चीजको मैं

---

[1] अपराध; [2] मुक्त; [3] योग्यता।

ग्रौर मेरे साथी ग्रहिंसा कहा करते थे वह सच्ची ग्रहिंसा न थी। वह तो नकली चीज थी ग्रौर उसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध। हां, किनके हाथोंमें निष्क्रिय प्रतिरोध किसी कामकी चीज है ? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर ग्रादमी जनताका प्रतिनिधि बने तो वह ग्रपने मालिकोंकी हँसी ग्रौर बे-इज्जती ही करवा सकता है। मैं जानता हूं कि सरदार कभी उन्हें सौंपी हुई जिम्मेदारीको दगा नही दे सकते। वे उसका पतन बर्दाश्त नही कर सकते। मै उम्मीद करता हूं कि यह सब सुननेके बाद कोई ऐसा खयाल नही करेंगे कि मेरा उपवास गृह-विभागकी निंदा करनेवाला है। ग्रगर कोई ऐसा खयाल करनेवाला है तो मै उसको कहना चाहता हूं कि वह ग्रपने-ग्रापको नीचे गिराता है ग्रौर ग्रपने-ग्रापको नुकसान पहुचाता है, मुझे या सरदारको नहीं। मैं जोरदार लफ़्ज़ोंमें कह चुका हूं कि कोई बाहरी ताकत इन्सान-को नीचे नही गिरा सकती। इन्सानको गिरानेवाला इन्सान खुद ही बन सकता है। मै जानता हूं कि मेरे जवाबके साथ इस वाक्यका कोई ताल्लुक नही है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा सकता है।

मै साफ लफ्जोंमें कह चुका हूं कि मेरा उपवास यूनियनके मुसलमानों-की खातिर है। इसलिए वह यूनियनके हिंदू ग्रौर सिखों ग्रौर पाकिस्तानके मुसलमानोंके सामने है। इस तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी ग्रकलियत[1]की खातिर भी है। जो विचार में पहले समझा चुका हू उसीको मै यहां थोड़ेमें दोहरानेकी कोशिश कर रहा हू।

मै यह ग्राशा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे ग्रपूर्ण ग्रौर कमजोर इन्सानका फाका दोनों तरफ की ग्रकलियतोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सबकी ग्रात्म-शुद्धिके लिए है। उसकी पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक जाना गलती होगी।

तीसरा सवाल यह है, "ग्रापका उपवास ऐसे वक्तपर शुरू हुग्रा है जब संयुक्त राष्ट्र-संघकी सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही ग्रभी ही कराचीमें फिसाद हुग्रा है ग्रौर गुजरात (पंजाब) में कत्लेग्राम

[1] ग्रल्पसंख्यक।

हुआ है। हम नहीं जानते कि विदेशके अखबारोंमें इन वाकयातकी तरफ कहातक ध्यान दिया गया है। इसमें शक नही कि आपके उपवासके सामने यह वाकयात छोटे लगने लगे है। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंके पिछले कारनामोंसे हम समझ सकते है कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएंगे और दुनियाको कहेंगे कि गांधीजी अपने हिंदू अनुयायियोंसे, जिन्होंने हिंदुस्तानमे मुसलमानोंकी जिंदगी आफतमें डाल रखी है, पागलपन छुड़ानेके लिए उपवास कर रहे हैं। सारी दुनियाभरमे सच्ची बात पहुंचनेमें देर लगेगी। इस दरमियान आपके उपवासका यह नतीजा आ सकता है कि सयुक्त राष्ट्र-संघपर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।" इस सवालका लबा-चौड़ा जवाब देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी हकूमतों और दुनियाके लोगोको जहांतक मैं जानता हूं मै यह कहनेकी हिम्मत करता हू कि उपवासका असर अच्छा ही हुआ है। बाहरके लोग, जो हिंदुस्तानके वाकयातको निष्पक्षतासे देख सकते है, मेरे फाकेका उल्टा अर्थ नहीं लगाएगे। फाका यूनियनके और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपनको छुड़ानेके लिए है।

अगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अकसरियत सीधी तरहसे न चले, वहाके मर्द और औरतें शरीफ न बने तो यूनियनके मुसलमानोंको बचाया नही जा सकता। मगर मुझे खुशी है कि मृदुला बेनके कलके सवालपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी आंखे खुल गई है और वे अपना फर्ज समझने लगे है।

सयुक्त राष्ट्र-सघ यह जानता है कि मेरा फाका उसे ठीक निर्णय करनेमे मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान और हिंदुस्तानका उचित पथ-प्रदर्शन कर सके।

: २१० :

१६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

पझे आशा तो नही थी कि आज भी मै बोल सकूंगा, लेकिन यह सुनकर आप खुश होगे कि कल मेरी आवाजमे जितनी शक्ति थी उससे आज ज्यादा महसूस करता हू। इसका मतलब तो यही किया जाय कि ईश्वरकी बड़ी कृपा है। चौथे रोज मुझमें (पहले) जब मैंने फाका किया, तब इतनी शक्ति नही रहती; लेकिन आज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर आप सब लोग आत्म-शुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो बोलनेकी मेरी शक्ति आखिरतक रह सकती है। मै इतना तो कहूगा कि मुझे किसी प्रकारकी जल्दी नही है। जल्दी करनेसे हमारा काम नही बनता है। मैं परम शांतिम हं। मै नही चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मुझे सुना दे कि ठीक हो गया है। सारा-का-सारा जब यहा ठीक होगा तो सारे हिंदुस्तानमें ठीक होगा। इसलिए मैं समझता हू कि जब इर्द-गिर्दमे, सारे हिंदुस्तानमें और सारे पाकिस्तानमें, शाति नही हुई है तो मुझे जिदा रहनेमें दिलचस्पी नही है। यह इस यज्ञके माने है।

(लिखित संदेश)

किसी जिम्मेदार हकूमतके लिए सोच-समझकर किए हुए अपने किसी फैसलेको बदलना आसान नही होता। मगर तो भी हमारी हकूमतने, जो हर मानेमें[1] जिम्मेदार हकूमत है, सोच-समझकर और तेजीसे अपना तय किया हुआ फैसला बदल डाला है।

उनको काश्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और कराचीसे लेकर

---

[1] पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया निकलता था उसे भारत-सरकारने काश्मीरका मामला तय हो जानेपर दिलानेका निश्चय किया था। गांधीजीके उपवास प्रारंभ करते ही भारत सरकारने उसे दे देनेका फैसला कर लिया।

डिबरूगढ़तक सारे मुल्कको मुबारकबाद देना चाहिए। मैं जानता हू कि दुनियाके सब लोग भी कहेंगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी हकूमतके जैसी बड़े दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानोंको संतुष्ट करनेकी बात नही है। यह तो अपने आपको संतुष्ट करनेकी बात है। कोई भी हकूमत, जो बहुत बड़ी जनताकी प्रतिनिधि है, बेसमझ जनतासे तालियां पिटवानेके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहां चारों तरफ पागलपन फैला हुआ है, वहां आकर बडे-से-बड़े नेता बहादुरीसे अपना दिमाग ठंडा रखकर जो जहाज चला रहे हैं क्या उसको डूबनेसे न बचावें?

हमारी हकूमतने क्यों यह कदम उठाया? इसका कारण मेरा उपवास था। उपवाससे उनकी विचारधारा ही बदल गई। उपवासके बिना वे, कानून जितना उनसे करवाता, उतना ही करनेवाले थे। मगर हिंदुस्तानकी हकूमतका यह कदम सच्चे मानेमे दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली चीज है। इससे पाकिस्तानकी भी परीक्षा हो जायगी। नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काश्मीरका, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमे जितने मतभेद हैं सबका सम्मानजनक आपस-आपसमें फैसला हो जावे। आजकी दुश्मनीकी जगह दोस्ती ले। न्याय कानूनसे बढ जाता है। अंग्रेजीमें एक घरेलू कहावत है, जो सदियोसे चली आई है, उसमे कहा है कि जहां मामूली कानून काम नही देता, वहां न्याय हमारी मदद करता है। बहुत वक्त नही हुआ जब कानूनके लिए और न्यायके लिए वहां अलग-अलग कचहरियां हुआ करती थी। इस तरहसे देखा जाय तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानकी हकूमतने जो किया है वह सब तरहसे ठीक है। अगर मिसालकी जरूरत है तो मेकडॉनल्ड एवार्ड (निर्णय) हमारे सामने है। वह सिर्फ मेकडॉनल्डका निर्णय न था, बल्कि सारे ब्रिटिश मन्त्रिमंडलका और दूसरी गोलमेज परिषद्के अधिकतर सदस्योंका भी निर्णय था। मगर यरवदाके उपवासने तो रातों-रात वह निर्णय बदल दिया। मुझे कहा गया कि यूनियनकी हकूमतके इस बड़े कामके कारण तो अब मैं अपने उपवासको छोड़ दूं। काश कि मैं अपने दिलको ऐसा करनेके लिए समझा सकता!

मैं जानता हूं कि उन डाक्टर लोगोंकी चिंता जो अपनी इच्छासे काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रहे है, जैसे-जैसे उपवास लबा होता जाता है, बढती जाती है। गुरदे ठीक तरहसे काम नहीं करते। उन्हें इस चीजका इतना खतरा नहीं कि आज मर जाऊंगा, मगर उपवास लंबा चला तो हमेशाके लिए शरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुंचेगा, उससे वे डरते है। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मैंने उनकी सलाहसे उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर रहा है, वह कभी गलती नहीं करता। वह सर्वशक्तिमान है। अगर उसे मेरे इस कमजोर शरीरसे कुछ और काम लेना होगा तो डाक्टर लोग कुछ भी कहें वह मुझे बचा लेगा। मैं ईश्वरके हाथोंमें हूं। इसलिए मै आशा करता हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है, न अपंग होकर जिंदा रहनेका। मगर मुझे लगता है कि अगर देशको मेरा कुछ भी उपयोग है तो डाक्टरोंकी इस चेतावनीके परिणामस्वरूप लोगोंको तेजीके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनतसे आजादी पानेके बाद हमे बहादुर तो होना ही चाहिए। बहादुर लोग, जिनपर दुश्मनीका शक होता है, उनपर भी विश्वास रखते हैं। बहादुर लोग अविश्वासको अपनी शानके खिलाफ समझते है। अगर दिल्लीके हिंदू, मुसलमान और सिखोंमें ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानके बाकी हिस्सोंमें आग भड़के तो भी दिल्ली शांत रहे तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। खुश-किस्मतीसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग अपने-आप समझ गए लगते हैं कि उपवासका अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनों उपनिवेशोंमें ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्मके लोग दोनों तरफ बिना किसी खतरेके आ-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धिके लिए इतना तो कम-से-कम होना ही चाहिए।

हिंदुस्तान और पाकिस्तानके लिए दिल्लीपर बहुत ज्यादा बोझ डालना ठीक न होगा। यूनियनके रहनेवाले भी आखिर तो इन्सान हैं। हमारी हकूमतने लोगोंके नामसे एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया है और उसको उठाते समय उसकी कीमतका खयालतक नही किया। इसका जवाब पाकि-स्तान क्या देगा? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत है। मगर क्या इरादा है?

: २११ :

१७ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

ईश्वरकी ही कृपा है कि आज पांचवां दिन है तो भी मैं बगैर परिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हूं। जो मुझको कहना है वह तो मैंने लिखवा दिया है, जिसे प्रार्थना-सभामें सुशीला बहन सुना देगी।

इतना है कि जो कुछ भी आप करें, उसमें परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। अगर यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा खयाल रखें कि इसे कैसे जिंदा रखा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेवाले हैं। मुझको जिंदा रखना या मारना किसीके हाथमें नहीं है। वह ईश्वरके हाथमें है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। किसीको भी शक नहीं होना चाहिए।

इस उपवासका मतलब यह है कि अंतःकरण स्वच्छ हो और जाग्रत हो। ऐसा करें तभी सबकी भलाई है। मुझपर दयाकर आप कुछ न कीजिए। जितना दिन उपवासका काट सकता हूं काटूंगा। ईश्वरकी इच्छा होगी तो मर जाऊंगा।

मैं जानता हूं कि मेरे काफी मित्र दुःखी हैं, और सब कहते हैं कि आज ही उपवास क्यों नहीं छोड़ा जाय। आज मेरे पास ऐसा सामान नहीं है। ऐसा मिल जाय तो नहीं छोड़नेका आग्रह नहीं करूंगा। अहिंसाका नियम है कि मर्यादापर कायम रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। नम्र होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसमें अभिमान नहीं है। शुद्ध प्यारसे कह रहा हूं। ऐसा जो जानता है वही रहनेवाला है।

(लिखित संदेश)

मैं पहले भी कह चुका हूं और फिरसे दोहराता हूं कि फाकेके दबावके नीचे कुछ भी न किया जाय। मैंने देखा है कि फाकेके दबावके नीचे कई बातें कर ली जाती है और फाका खत्म होनेके बाद मिट जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा कभी होना ही

नही चाहिए। आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है, वह है दिलकी सफाई। अगर दिलकी सफाई ईमानदारीसे की जाय तो जिस कारणसे सफाई की गई थी वह कारण मिट जानेपर भी सफाई नही मिटती। किसी प्रियजनके आनेके कारण कमरेमे सफेदी की जाती है तो जब वह आकर चला जाता है तो सफेदी मिट नही जाती। यह तो जड़ वस्तुकी बात है। कुछ अर्सेके बाद सफेदी मिटने लगती है और फिरसे करवानी पडती है। दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम रहती है। फाके-का दूसरा कोई योग्य मकसद नही हो सकता।

राजा, महाराजा और आम लोगोके तारोंका ढेर बढ़ रहा है। पाकिस्तानसे भी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं, मगर पाकिस्तानके दोस्त और शुभचिंतककी हैसियतमे मैं पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको पाकिस्तानका भविष्य बनाना है उनको कहना चाहता हू कि अगर उनका जमीर[1] जाग्रत न हुआ और अगर वह पाकिस्तानके गुनाहको कबूल नही करते तो पाकिस्तानको कभी कायम नही रख सकेंगे। इसका यह मतलब नही कि मै यह नही चाहता कि हिंदुस्तानके दोनों टुकड़े अपनी खुशीसे फिरसे एक हों। मगर मैं वह साफ कर देना चाहता हू कि जबरदस्तीसे मिटानेका मुझे खयालतक नही आ सकता। मैं उम्मीद रखता हूं कि मृत्यु-शय्यापर पड़े मेरे यह वचन किसीको चुभेंगे नही। मैं उम्मीद रखता हू कि सब पाकिस्तानी यह समझ जायगे कि अगर कमजोरीकी वजहसे या उनका दिल दुखानेके डरसे मैं उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात न रखू तो मैं अपने प्रति और उनके प्रति झूठा साबित होऊगा। अगर मेरे हिसाबमें कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। मैं वायदा करता हू कि अगर मैं गलती समझ गया तो अपना वचन वापस लेलूंगा। मगर जहांतक मै जानता हूं, पाकिस्तानके गुनाहके बारेमे दो विचार हो ही नही सकते।

मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनैतिक न समझा जाय। यह तो अंतरात्माकी जबरदस्त आवाजके जवाबमें धर्म समझकर किया

---

[1] विवेक।

गया है। महायातना भुगतनेके बाद मैंने फाका करनेका फैसला किया। दिल्लीके मुसलमान भाई इस बातके साक्षी हैं। उनके प्रतिनिधि करीब-करीब रोज मुझे दिनभरकी रिपोर्ट देने आते हैं। इस पवित्र मौकेपर मेरा उपवास छुड़वानेके हेतु मुझको धोखा देकर राजा, महाराजा, हिंदू, सिख और दूसरे लोग न अपनी खिदमत करेंगे, न हिंदुस्तानकी। वे सब समझ लें कि मैं कभी इतना खुश नहीं रहता, जितना कि आत्माकी खातिर उपवास करते वक्त। इस फाकेसे मुझे हमेशासे ज्यादा खुशी हासिल हुई है। किसीको इसमें विघ्न डालनेकी जरूरत नहीं है। विघ्न इसी शर्तपर डाला जा सकता है कि ईमानदारीसे आप यह कह सकें कि आपने सोच-समझकर शैतानकी तरफसे मुह फेर लिया है और ईश्वरकी तरफ चल पड़े हैं।

: २१२ :

१८ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मैंने थोड़ा तो लिखवा दिया है। वह सुशीला बहन आप लोगोंको सुना देंगी।

आजका दिन मेरे लिए तो है, आपके लिए भी मंगल-दिन माना जाय। कैसा अच्छा है कि आज ही गुरु गोविंदसिहकी जन्म-तिथि है। उसी शुभ तिथिपर मैं आपलोगोंकी दयासे फाका छोड़ सका हूं। जो दया आप लोगोंसे—दिल्लीके निवासियोंसे, दिल्लीमें जो दुःखी शरणार्थी पड़े हैं, उनसे, यहांकी हकूमतके सब कारोबारसे —मुझे मिली है उसे, मुझे लगता है, कि मैं जिदगीभर भूल नहीं सकूंगा। कलकत्तेमें ऐसे ही प्रेमका अनुभव मैंने किया। यहांपर मैं कैसे भूल सकता हूं कि शहीद साहबने कलकत्तेमें बड़ा काम किया। अगर वह नहीं करते तो मैं ठहरनेवाला नहीं था। शहीद साहबके लिए हम लोगोंके दिलमें बहुत शकूक[1] थे। अभी भी हैं। उससे हमको

---

[1]संदेह।

क्या ? आज हम सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उससे हमको दोस्ताना तौरसे काम करना है। हम किसीके साथ किसी हालतमें दुश्मनी नही करेंगे, दोस्ती ही करेंगे। शहीद साहब और दूसरे चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं। वे सब-के-सब फरिश्ते तो हैं ही नहीं। ऐसे ही सब हिंदू और सिख भी फरिश्ते थोड़े ही हैं! अच्छे और बुरे हममें है; लेकिन बुरे कम है। हमारे यहां जिसको हम जरायम पेशा जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। हमारे यहां जिनको जगली जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। उन सबके साथ मिल-जुलकर रहना है।

मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं है। यहीं नही है, सारी दुनियामें पड़ी है। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनियाके साथ हम मित्र-भावसे रहेंगे, दोस्ताना तौरसे रहेंगे तो क्या वजह है कि हम यहांके जो मुसलमान हैं उनसे दुश्मनी रखें?

मैं भविष्यवेत्ता नही हूं। फिर भी मुझे ईश्वरने अक्ल दी है, मुझको ईश्वरने दिल दिया है। उन दोनोंको टटोलता हूं और आपको भविष्य सुनाता हूं कि अगर हम किसी-न-किसी कारणसे एक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, वह भी यहांके ही नही, पाकिस्तानके और सारी दुनियाके मुसलमानोंसे दोस्ती न कर सके, तो समझ लें, इसमें मुझे कोई शक नही है कि हिंदुस्तान हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आजादी हमने पाई है उसे हम खो बैठेंगे।

आज इतने लोगोंने आशीर्वाद दिए हैं। सुनाया है कि हम सब हिंदू, सिख, मुसलमान भाई-भाई बनकर रहेंगे और किसी भी हालतमें, कोई भी कुछ कहे, दिल्लीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब जो यहांके बाशिंदे है और सब शरणार्थी है वे भी दुश्मनी नही करनेवाले हैं। यह थोड़ी बात नहीं है। इसके माने यह हैं कि अबसे हमारी कोशिश यह रहेगी कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पड़े हैं वे सब एक मिलकर रहेंगे। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी दिलसे मिलाने हैं। अगर इस फाकेके छूटनेका यह अर्थ नहीं है तो बड़ी नम्रतासे कहूंगा कि यह फाका छुड़वाकर आपने

कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई काम ही नहीं किया। अभी फाकेकी आत्माका भलीभाति पालन होना चाहिए। भेद क्यों हो ? जो दिल्लीमें हो, वही सारे यूनियनमे हो और जो सारे यूनियनमें होगा तो पाकिस्तानमें होना ही है, इसमें आप शक न रखें। आप न डरें, एक बच्चेको भी डरनेका काम नहीं। आजतक हम, मेरी निगाहमें, शैतानकी ओर जाते थे। आजसे मै उम्मीद करता हू कि हम ईश्वरकी ओर जाना शुरू करते हैं। लेकिन हम तय करें कि एक वक्त हमने अपना चेहरा, मुंह ईश्वरकी ओर रखा तो वहांसे कभी नहीं हटेगे। ऐसा हुआ तो सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारी दुनियाको ढाक सकेगे, सारी दुनियाकी सेवा कर सकेंगे और सारी दुनियाको ऊची ले जा सकेंगे। मैं और किसी कारणसे जिंदा रहना नही चाहता हू। इन्सान जिंदा रहता है तो इन्सानियतको ऊचा उठानेके लिए। ईश्वर और खुदाकी तरफ जाना ही इन्सानका फर्ज है। जबानसे ईश्वर, खुदा, सतश्री अकाल कुछ भी नाम लो, वह झूठा है अगर उनके दिलमे वह नाम नही है। सब एक ही हस्ती है तो फिर कोई कारण नही है कि हम उस चीजको भूल जायं और एक दूसरेको दुश्मन मानें।

आज तो मैं आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नही हूं, लेकिन आजके दिनसे हिंदू निर्णय कर ले कि लड़ेंगे नही। मैं चाहूंगा कि हिंदू कुरान पढें, जैसे वे भगवद्गीता पढ़ते है। सिख भी वही करें। और मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाई-बहन भी अपने घरोंमे ग्रथ साहब पढें, उनके माने समझें। जैसे हम अपने धर्मको मानते है, वैसे दूसरेके धर्मको भी मानें। उर्दू-फारसी किसी जबानमें भी बात लिखी हो, अच्छी बात तो अच्छी बात है। जैसे कुरान शरीफ वैसे गीता और ग्रंथ साहब हैं। मेरा मकसद यही है। चाहे आप मानें या न मानें, अभीतक मैं ऐसा करता रहा हूं। मैं आपको कहूंगा और दावेसे कहूंगा कि मैं पत्थरकी पूजा नही करता हू। मगर मैं सनातनी हिंदू हूं। पत्थरकी पूजा करनेवालोंसे मैं नफरत नहीं करता। खुदा पत्थरमें भी पड़ा है। जो पत्थरकी पूजा करता है वह उसमें पत्थर नही, खुदा देखता है। पत्थरमें ईश्वर न माने तो कुरान शरीफ खुदाई किताब है, यह क्यों माना जायगा ?

तो यह क्या बुतपरस्ती नही है ? दिलोंमें भेद न रखें तो हम सब यह सीख सकते है। ऐसा हो तो फिर यह नही होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह मुसलमान है। सब भाई-भाई है, मिल-जुलकर रहनेवाले है। ऐसा होना चाहिए। फिर ट्रेनमें आज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है–लडका फेक दिया जाता है, आदमी फेंक दिया जाता है, औरते फेक दी जाती है, वह सब मिट जायगा, हर कोई आसानीसे हर जगह रह सकेगे, कही किसीको डर न होगा। यूनियन ऐसा बने। पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए। मुझको तबतक परम शाति नही होनेवाली है जबतक यहाके शरणार्थी, जो पाकिस्तानसे दुखी होकर आए है, अपने घरोंको वापस न जा सके और जो मुसलमान यहांसे हमारे डरसे, मार-पीटसे भागे है और जो वापस आना चाहते है वे आरामसे यहा न रह सकें।

बस इतना ही कहूगा। ईश्वर हम सबको, सारी दुनियाको अच्छी अक्ल दे, सन्मति दे, होशियार करे और अपनी ओर खींच ले, जिससे हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो।

(लिखित संदेश)

मैंने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईश्वर है, नामपर किया था। जीते-जागते सत्यके बिना ईश्वर कही नही है। ईश्वरके नामपर हम झूठ बोले है, हमने बेरहमीसे लोगोंकी हत्याए की है और इसकी भी परवाह नही की कि वे अपराधी है या निर्दोष; मर्द है या औरतें; बच्चे हैं या बूढ़े! हमने अपहरण व बलात् धर्म-परिवर्तन किए है और हमने यह सब बेहयाईसे किया है। मै नही समझता कि किसीने यह काम सत्यके नामपर किए हों। इसी नामका उच्चारण करते हुए मैंने उपवास तोडा है। हमारे लोगोंका दु.ख असह्य था। राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू हिंदुओं, मुसलमानों व सिखों, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शरणार्थियोंके सौसे अधिक प्रतिनिधियोंको लेकर मेरे पास आए। इन प्रतिनिधियोंके दलमें पाकिस्तानके हाई कमिश्नर जाहिदहुसैन साहब, दिल्लीके कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर और आजाद हिंद फौजके जनरल शाहनवाज भी शामिल थे। नेहरूजी भी एक मूर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे और ऐसे

ही मौलाना आजाद। राजेन्द्र बाबूने एक दस्तावेज[1] पढ़कर सुनाया, जिसपर

[1] वह शांति-प्रतिज्ञा, जिसपर हिंदुओं, सिखों व मुसलमानोंके सौसे अधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए और जिसपर गांधीजीने उपवास समाप्त किया, इस प्रकार है—

हम यह घोषित करना चाहते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हिंदू, मुसलमान और सिख और दूसरे धर्मके सब माननेवाले फिरसे आपसमें मिलकर भाई-भाईकी तरह दिल्लीमें रहें और हम उनसे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मुसलमानोंकी जान, धन और धर्मकी हम रक्षा करेंगे और जिस तरहकी घटनाएं यहां पहले हो गई हैं, उनको फिर न होने देंगे।

१. गांधीजीको हम इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह ख्वाजा कुतुबुद्दीनके उर्सका मेला पहले हुआ करता था, वैसे ही अब भी होगा।

२. जिस तरह मुसलमान दिल्लीके सभी मुहल्लोंमें और खास तौर-पर सब्जीमंडी, करौलबाग और पहाड़गंजमें आया-जाया करते थे, वैसे ही बेखटके और बेखतरे फिरसे आ-जा सकेंगे।

३. उन मस्जिदोंको, जिनको मुसलमान छोड़कर चले गए हैं, या जो हिंदुओं और सिखोंके कब्जेमें हैं, वापिस दे देंगे। जिन जगहों-को खास मुसलमानोंके बसनेके लिए गवर्नमेंटने रख छोड़ा है, उनपर जोर-जबर्दस्तीसे कब्जा करनेकी कोशिश नहीं की जायगी।

४. जो मुसलमान दिल्लीसे बाहर चले गए हैं, वे अगर वापिस आना चाहें तो हमारी तरफसे कोई बाधा न दी जायगी और मुसलमान अपने कारबार जिस तरहसे करते थे, करने पाएंगे। हम यह इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि ये सब चीजें अपनी कोशिशसे पूरी करेंगे और सरकारी पुलिस या फौजकी ताकत इसकी खातिर इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

५. महात्माजीसे हमारा अनुरोध है कि वे हमारी बातोंपर विश्वास करके अपना उपवास छोड़ दें और जिस तरह आजतक देशके रहनुमा रहे हैं, बने रहें।

आगत प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे। इस दस्तावेजद्वारा मुझसे कहा गया कि उनपर अधिक चिताका दबाव न डाला जाय और मैं अपना उपवास तोड़कर उनके दुःखका अंत कर दूं। पाकिस्तान व भारतीय यूनियनसे भी मेरे पास तार-पर-तार आए थे कि मैं उपवास तोड़ दू। मैं इन सब मित्रोंकी सलाहका विरोध न कर सका। मैं उनकी इस प्रतिज्ञापर अविश्वास नहीं कर सका कि हर हालतमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों व यहूदियों सबमें मित्रता रहेगी और इस मित्रताको कभी भंग नहीं किया जायगा। इस दोस्तीको तोड़नेका मतलब राष्ट्रको तोड़ना होगा।

जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी कामनावाले तारोंका तांता लगा हुआ है। ईश्वर मुझे काफी सेहत और विवेक दे जिससे मैं मानव-जातिकी सेवा कर सकूं। यदि यह आश्वासन, जो आज मुझे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हू कि मैं चौगुनी शक्तिसे प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीने दे और मैं अंततक मानव-जातिकी सेवा करूं। विद्वानोंका मत है कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष है और कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हैं। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होनेमें जितना समय लगनेकी आशा थी वह दिल्लीके नागरिकोंकी, जिनमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके नेता भी सम्मिलित हैं, सद्‌भावनाके कारण उससे पहले पूरी हो गई। मुझे पता चला है कि कलसे हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूतिमें उपवास कर रहे हैं। तो ऐसी हालतमें इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं सकता था। हजारों व्यक्तियोंने मेरे पास लिखित आश्वासन भेजे हैं कि लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन हो गया है और वे सबको भाई मानते हैं। सारी दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आए हैं। क्या इस बातका इससे अच्छा कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवासमें ईश्वरका हाथ था? लेकिन मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंके पालनके बाद उसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके बिना शब्दोंका पालन बेकार हो जाता है। मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन तथा पाकिस्तानमें हिंदू, मुस्लिम, सिखमें मित्रता स्थापित करना है। यदि यूनियन (हिंदुस्तान) में ऐसा हो जाता है तो जैसे रातके बाद दिन होता है वैसे ही पाकिस्तानमें भी ऐसा होना ही चाहिए। यदि यूनियनमें अंधेरा

हो तो पाकिस्तानमें उजालेकी आशा करना मूर्खता है, किंतु यदि यूनियनमें रात मिट जानेका कोई शक नहीं रह जाता तो पाकिस्तानमें भी रात मिट-कर ही रहेगी। पाकिस्तानसे बहुतसे संदेश आए है। उनमेंसे एकमें भी इस बातका विरोध नहीं किया गया है। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि जिस तरहसे इन छः दिनोंतक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह आगे भी हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे।

: २१३ :

१९ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

सारी दुनियासे हिंदुस्तानियों और दूसरे लोगोंने मेरी सेहतके बारेमें चिंता और शुभेच्छा बतानेवाले अनेक तार भेजे है। उनके लिए मै उन सब भाई-बहनोंका आभार मानता हू। ये तार जाहिर करते हैं कि मेरा कदम ठीक था। मेरे मनमें तो इस बारेमें कोई शक था ही नही। जिस तरहसे मेरे मनमें कोई शक नही कि ईश्वर है और उसका सबसे तादृश्य नाम सत्य है, उसी तरहसे मेरे दिलमे कोई शक नही है कि मेरा फाका सही था। अब मुबारकवादके तारोंका तांता लगा है। चिंताका बोझ हल्का होनेसे लोग आरामकी सांस लेने लगे हैं। मित्रगण मुझे क्षमा करेंगे कि मै सबको अलग-अलग पहुच नही भेज सकता, ऐसा करना नामुमकिन है। मै यह भी आशा रखता हू कि तार भेजनेवाले पहुंचकी आशा भी नहीं रखते होंगे।

तारोंके ढेरमेंसे मैं दो तार यहां देता हूं। एक पश्चिमी पंजाबके प्रधान मंत्रीका है और दूसरा भोपालके नवाब साहबका। उन लोगोंका आज लोग काफी अविश्वास करते हैं। तार तो आप सुनेंगे ही। उस बारेमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर ये तार उनके दिलोंके सच्चे भावको जाहिर करनेवाले न होते तो क्यों वे उपवास जैसे पवित्र और गंभीर मौके-पर मुझे तार भेजनेकी तकलीफ उठाते?

भोपालके नवाब साहब अपने तारमें लिखते है :

"सब कौमोंके दिली मेलके लिए आपकी अपीलको हिंदुस्तानके दोनों हिस्सोंके सब शांतिप्रिय लोग जरूर मानेंगे। इसी तरहसे, हिंदुस्तानके दोनों हिस्सोंमें दोस्ती और समझौता होने की इस अपीलको भी सब लोग जरूर मानेंगे। खुशकिस्मतीसे इस रियासतमें, पिछले सालमें हमारी कठिनाइयोंका सामना हम सब कौमोंके समझौते, प्रेम और मेलके उसूलपर कर सके हैं। नतीजा यह है कि इस रियासतमें शांति-भंग करनेवाला एक भी किस्सा नही बना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी ताकतसे इस मेल-जोल और मित्र-भावको बढानेकी कोशिश करेंगे।"

पश्चिमी पजाबके प्रधान मत्रीका तार भी मै पूरा-पूरा देता हू। वे लिखते हैं :

"आपने एक भले कामको बढानेके लिए जो कदम उठाया है, पश्चिमी पजाबकी वजारत[1] उसकी तहेदिलसे[2] तारीफ करती है और सच्चे हृदयसे उसकी कदर करती है। इस वजारतने अकलियतोकी जान-माल और इज्जत बचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूल[3] हमेशा अपने सामने रखा है। यह वजारत मानती है कि अकलियतोंको अन्य नागरिकोंके बराबर हक मिलने चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते है कि यह वजारत इस नीतिपर अब और दुगने जोरसे अमल करेगी। हमें यही फिकर है कि हिंदुस्तानके भूखण्डमें एक जगह फौरन हालत सुधरे, ताकि आप अपना उपवास छोड़ सकें। आपके-जैसी कीमती जिंदगीको बचानेके लिए इस सूबेमें हमारी कोशिशमें कोई कसर नही रहेगी।"

आजकल लोग बिना सोचे-समझे नकल करने लगते है। इसलिए मुझे चेतावनी देनी होगी कि कोई इतने ही समयमें इस तरहके परिणामकी आशा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करे। अगर कोई करेगा तो उसे निराश होना पड़ेगा और ऐसे अचूक और शाश्वत उपायकी बदनामी होगी। उपवासकी शर्तें कड़ी हैं। अगर ईश्वरमें जीता-जागता विश्वास नहीं है और अंतरात्मासे आवाज, ईश्वरीय हुकम नहीं निकलता है तो

---

[1] मंत्रि-मंडल; [2] हृदयसे; [3] सिद्धांत।

उपवास करना फिजूल है। तीसरी शर्त भी लगानेकी इच्छा होती है, मगर इसकी जरूरत नहीं है। ईश्वरका हुकम तभी मिल सकता है जब उपवासका मकसद सच्चा हो, सही हो और बामौका[१] हो। इसमेंसे यह भी निकलता है कि ऐसे कदमके लिए पहलेसे लंबी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए कोई झटसे उपवास करने न बैठे।

दिल्लीके शहरियोंके सामने और पाकिस्तानसे आए हुए दुःखी लोगोंके सामने बहुत बड़ा काम है। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासके साथ आपस-आपसमें मिलनेके मौके ढूंढ़ें।

कल बहुत-सी मुसलमान बहनोंसे मिलकर मुझे निहायत खुशी हुई। मेरे साथकी लड़कियोंने मुझे बताया कि वे बिरला हाउसमें बैठी हुई हैं, मगर जानती नहीं कि अंदर आएं या न आएं। उनमेंसे अधिकतर पर्देमें थीं। मैंने उन्हे लानेके लिए कहा और वे आईं। मैंने उनसे कहा कि वे अपने पिता और भाईके सामने पर्दा नहीं रखती तो मेरे सामने क्यों? फौरन हरएकने पर्दा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं है कि मेरे सामने पर्दा निकाला गया है। मैं इस बातका जिकर यह बतानेके लिए करता हूं कि सच्चा प्रेम---और मैं दावा करता हूं कि मेरा प्रेम सच्चा है---क्या कर सकता है।

हिंदू और सिख बहनोंको मुसलमान बहनोंके पास जाना चाहिए और उनसे दोस्ती करनी चाहिए। खास-खास मौकोंपर, त्योहारोंपर, उनको निमंत्रण देना चाहिए और उनका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। मुसलमान लड़के-लड़कियां आम स्कूलोंकी तरफ खिचें, सांप्रदायिक स्कूलोंकी तरफ नहीं, वे स्कूलोंके खेलोंमें हिस्सा लें।

मुसलमानोंका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें अनुरोध करना चाहिए कि वे जो धंधे करते थे उन्हें फिरसे करने लगें। मुसलमान कारीगरको खोकर दिल्लीने नुक्सान उठाया है। हिंदू और सिखोंके लिए यह ख्वाहिश रखना कि वे मुसलमानोंसे उनकी रोटी कमानेका जरिया छीन लें, बहुत बुरी कंजूसी होगी। एक तरफसे तो कोई

[१] समयानुसार।

चीज या कामपर किसी एकका इजारा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफसे किसीको बाहर करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारा देश बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है।

जो शांति-कमेटियां बनी हैं वे सो न जायं। सब मुल्कोंमें बहुत-सी कमेटियां दुर्भाग्यसे सो जाया करती हैं। आप लोगोंके बीच मुझे जिंदा रखनेकी शर्त यह है कि हिंदुस्तानकी सब कौमें शांतिसे साथ-साथ रहें। और वह शांति तलवारके जोरसे नहीं, मगर मुहब्बतके जोरसे हो। मुहब्बतसे बढ़कर जोड़नेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोई नहीं है।

: २१४ :

२० जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

पहली बात तो मैं आपसे यह कह दूं कि जिन लोगोंने दस्तखत किए उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यरूपी ईश्वरको साक्षी रखकर दस्तखत किए हैं, तो भी कलकत्तेसे ऐसी आवाज आ रही है कि यहा जो काम हुआ है उसमें भी कुछ घोटाला न हो। अगर दिल्लीके निवासी और दिल्लीमें जो दुःखी आ गए हैं, वे सब साबित कदम रहेंगे चाहे बाहरमें कुछ भी हो—हिंदुस्तानके और हिस्सेमें कुछ भी हो, पाकिस्तानमें कुछ भी हो—तो मेरा दृढ़ मत है कि आप हिंदुस्तानको बचा लेंगे और पाकिस्तानको भी बचानेवाले हैं। आखिर दिल्ली आजकलका नहीं, पुराना शहर है। आज दिल्लीमें जो काम हो गया है—इतना बड़ा काम, जो सत्यमय और अहिंसामय है—उसका प्रभाव सारे हिंदुस्तानमें, सारे पाकिस्तानमें और सारी दुनियामें पड़ेगा।

सरदारने बंबईमें क्या कहा, उसे गौरसे पढ़ें तो पता चल जायगा कि सरदार और पंडित नेहरू दूर नहीं हैं, अलग-अलग नहीं हैं। कहनेका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करते एक ही चीज हैं। वे हिंदुस्तान या मुसलमानके दुश्मन नहीं हो सकते। जो मुसलमानका दुश्मन है वह

हिंदुस्तानका भी दुश्मन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हम कम-से-कम इतना तो सीख ले। सारी दुनियामें लोग सीख चुके हैं। हां, अमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहां हब्शी लोगोंको मार डाला जाता है। वहां काफी ऐसे गोरे लोग हे जो बुरा नही मानते, उनके लिए दिलमें शर्म नही है, लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते। उसको हम वहशियाना मानते हे। हमारे ही अखबारोंने लिखा है कि वे लोग कितने वहशियाना काम करते है। अमरीकाके लोग इतने सुधारक हैं, तो भी ऐसा करते हे। हम ऊचे हैं, हम ऐसा कर नही सकते। वह तो है, लेकिन आज क्या होता है। तो मै कहूंगा कि आप सब बता दें कि गैर-इन्साफ, बाहर हो या यहा, उसका बदला हम न लेगे, हकूमतपर छोड़ देगे। कम-से-कम इतना करें, तब लोग आरामसे आ-जा सकते हे।

मैंने कहा कि मुमकिन है, मै यहासे पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पाकिस्तानको तब जाऊंगा जब हकूमत बुलाएगी और कहेगी कि तू तो भला आदमी है, ख्वाबमें भी मुसलमानोंका बुरा नही कर सकता, हिंदुओंका भी बुरा नही करता, सिखोंका भी बुरा नही करता। हर हालतमें तेरी हाजिरी पाकिस्तानमे चाहते हे। या तो एक-एक हकूमत कहे—तीन हकूमतें हे, बलूचिस्तानको छोड़ दो—या पाकिस्तानकी मरकजी[1] हकूमत है वह कहे तो जा सकता हूं। तब आप समझें कि मै चला गया। हां, डाक्टर कहते हैं कि फाकेसे जिस्मको इतना नुक्सान पहुचा है कि पद्रह दिन कही नही जा सकता— सूखी चीज भी नही खा सकता—तुमको तो पानी ही पीना है। पीछे पानीमें दूध आ जाता है, फलका रस आ जाता है। दूधसे तो आदमी जिंदगीभर रह सकता है।

दूसरी बात यह है। यहां जितने दुःखी लोग हैं, उनके लिए तो पंडितजी—उनको मै बहुत पहचानता हू—ऐसे हैं कि दूसरोंको सुलाकर सोनेवाले हैं। मानो एक ही बिछौना है, जो सूखा है, बाकी गीला है, तो वह सूखेमें दुःखीको सुलाएगे खुद चाहे घूमते रहें। मैं यह पढकर बहुत खुश हुआ। वे कहते हैं कि उनके घरमें जगह नही है, दूसरे आदमी भी चले आते है,

[1] केन्द्रीय।

इसलिए जगह नही रहती है। वह तो मुख्य प्रधान है। तो मिलनेवाले जाते हैं, दोस्त है, अंग्रेज भी जाते है तो क्या वहांसे उनको निकाल दे ? तो भी कहते हैं कि मेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, जितना निकल सकता है निकालूंगा और दुःखी लोगोंको रखूगा। फिर दूसरे मुख्य प्रधान भी करे, फिर फौजके अफसर है वे भी ऐसा करें। इस तरहसे सब अपने धर्मका पालन करें तो कोई दुःखी नही रहेगा। ऐसा जो जवाहरने किया, उसे देखा तो मैं उनको और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहां एक रत्न है। पीछे कहते है कि दूसरे धनिक लोग जैसे बिड़ला या दूसरे हैं, उनको भी यही करना है। जब प्रधान ऐसा करता है तो और भी क्यों न ऐसा करें ? बड़ी तेजीसे दुःखी लोगोंके दुःखको दूर करनेकी कोशिश हो रही है। इससे हम सीखे कि हम मुसलमानोसे दुश्मनी नही करेंगे।

एक खत आया है। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीको आया था। लोगोंमें बदमाश भी पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि व्यापार करो। उन्होंने बड़े-बड़े नोट निकाल दिए और गरीबोंको बेचने लगे। सस्ते मिलते है, इसलिए गरीब बेचारे ले लेते है। लेकिन इन नोटोकी तो कोई कीमत नही, आखिर मामूली कागजके ही होते है। ऐसे नोट निकालने-वालोंसे मैं हाथ जोड़कर कहूगा कि ऐसा मत करो। क्या सच्चा मार्ग नही मिलता है, जिससे अपना काम चला सके ? मैं गरीबोंको भी, जो भोले हैं, कहूंगा कि कहांतक ऐसे भोले रहोगे ! करोड़ों भोले रहेगे तो काम नही चलेगा।

मुझको एक तार लाहौरसे आया है। वे भाई काश्मीर स्वातंत्र्य लीग-के अध्यक्ष हैं। वे लिखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह बहुत बुलंद काम है, लेकिन उसमें कामयाबी नही मिल सकती, जबतक काश्मीरका जो मसला है उसका फैसला नही हो जाता। इसके लिए तुमको ऐसा करना चाहिए कि भारत-सरकारने वहां जो फौज भेजी है उसको हटाले; क्योंकि उस फौजने काश्मीरमें हमला किया है। और काश्मीर जिसका है उसको दे दो तब फैसला होगा। इससे मुझको दुःख होता है। क्या काश्मीरका फैसला नही होता है तो आज ऐसा ही रहेगा—क्या मुसलमान हिंदू-सिखके, दुश्मन रहेंगे और हिंदू-सिख मुसलमानके दुश्मन रहेंगे, सिर्फ काश्मीर-

के लिए ? पीछे लिखा क्या है उसे समझना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारी हकूमतने जो फौज भेजी है वह हमला करनेके लिए है। काश्मीरकी सकटकालीन सरकारके प्रधान शेख अब्दुल्लाने लिखा और महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद[1] भेजो, नहीं तो काश्मीर गया—वह तो उनकी निगाहसे है, लिखनेवालेकी निगाहसे नहीं सही। तो मैं उस भाईको और ऐसे जितने है उन सबको कहूगा कि वे ऐसा न करें। हा, यह ठीक है कि जिसका है उसको दे दो। तो जितने बाहरसे आए हैं—अफरीदी हों या कोई भी हों—हट जाय। पुंछके लोग बागी बने हैं तो मुझको शिकायत नहीं है, वे रहें तो भी बागी बनकर समूचे काश्मीरको ले लें, यह अच्छा नहीं है। वहांसे बाहरके सब लोग निकल जायं, बाहरसे कोई गोलमाल न करें, शिकायत न करे और बाहरसे भीतरवालोंको मदद न करें तो मै समझ सकता हूं; लेकिन कहे कि हम रहेंगे और उनको निकाल दो तो बात बनती नही है। पीछे यह कहना कि काश्मीर जिसका है उसको दे दो, तो किसका है ? मैं कहूंगा कि अभी तो काश्मीर महाराजाका है, क्योंकि महाराजा तो वहां है। आज हमारी निगाहमे, हकूमतकी निगाहमें, महाराजाको निकाल नहीं सकते। हा, ऐसा समझें कि महाराजा बदमाश है, रैयतके लिए कुछ करता नहीं है तो मेरा खयाल है कि हकूमतका हक है कि उसे निकाल दे, लेकिन अभी ऐसी बात तो है नही। वहा जो मुसलमान हैं वे कहे कि हमे महाराजा नही चाहिए, हम सीधा-सीधा पाकिस्तान या हिंदुस्तानमें जाना चाहते है तो इसमे कोई शिकायत नही हो सकती। मै तो फाका करके उठा हू। मै किसीका दुश्मन नही हूं तो मुसलमानका दुश्मन कैसे हो सकता हूं ! मेरे पास आएं और समझाएं कि मेरी क्या गलती है। समझा सको तो मै मान जाऊगा।

पीछे एक भाई ग्वालियरसे लिखते हैं—तार रतलामसे आया है, मुसलमान भाईका है। सही क्या है, मै नही जानता हूं। तो वे लिखते हैं कि हमारे वहां ग्वालियर रियासतमे कोई देहात है—हम वहां मजबूर हो गए तब हिदुओंने हमें ले तो लिया; लेकिन मारना शुरु कर दिया—एक-दो

---

[1] मदद।

मारे गए, अनाज वगैरा लूट लिया। मकानोंको जला दिया। पंद्रह-सोलह जनवरीको लिखा। उन दिनों मेरा फाका चलता था। फाकासे उसको क्या मतलब हो सकता है? अगर यह सही है तो मैं ग्वालियरके हिंदुओंसे कहूंगा कि दिल्लीमें जो बन गया है उसको आप लोग बिगाड़नेवाले हैं। वे कहते हैं कि जो हकूमत चलानेवाले हैं वे भी इमदाद नहीं देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदुस्तानके एक कोनेमें भी ऐसा हो तो मैं कहूंगा कि हकूमतको शर्मिंदा होना है और हमको भी शर्मिदा होना है। मेरी उम्मीद है कि ऐसा हुआ हो तो आखिरमें उसको ठीक कर दिया जायगा।

मैंने सुना है, अखबारोंमें पढा है कि काठियावाड़के जितने राजा हैं—काफी हैं, दो सौसे ज्यादा है—उन सबने मिलकर इकरार कर लिया है कि हम सब एक रियासत बनाएंगे और असेम्बली बना लेंगे, प्रजाका भी काम करेंगे और अपना भी काम करेंगे। अगर अखबारोंमें जो बात आई है वह सही है तो बड़ी चीज है। इसके लिए काठियावाड़के सब राजाओंको और वहाके लोगोंको मैं धन्यवाद देता हूं। भावनगरमें सब सत्ता प्रजाके हाथ सौंप दी और राजा प्रजाका सेवक बन गया। इस बड़े कामके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

: २१५ :

२१ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

पहले तो मैं माफी मांग लूं कि मैं १० मिनिट देरसे आया हूं। बीमार हूं, इसलिए समयपर नहीं आ सका।

कलके बम फूटनेकी बात कर लूं। लोग मेरी तारीफ करते हैं और तार भी भेजते हैं। पर मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई। मैंने तो यही समझा था कि फौजवाले कहीं प्रैक्टिस[1] करते हैं। बादमें सुना कि

---

[1]अभ्यास।

बम था। मुझसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर ईश्वरकी कृपासे बच गए। अगर सामने बम फटे और मैं न डरूं, तो आप देखेंगे और कहेंगे कि वह बमसे मर गया, तो भी हँसता ही रहा। आज तो मैं तारीफके काबिल नहीं हूं। जिस भाईने यह काम किया, उससे आपको या किसीको नफरत नहीं करनी चाहिए। उसने तो यह मान लिया कि मैं हिंदू-धर्मका दुश्मन हूं। क्या गीताके चौथे अध्यायमें यह नहीं कहा गया है कि जहां कहीं दुष्ट धर्मको नुकसान पहुंचाते हैं, वहां उन्हें मारनेके लिए भगवान किसीको भेज देता है। उसने बहादुरीसे जवाब दिया। हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह उसे सन्मति दे। जिसे हम दुष्ट मानते हैं और वह दुष्ट है, तो उसकी खबर ईश्वर लेगा।

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें बैठ गया था। जगह नहीं थी, तो वह हकूमतको दोषी ठहरावे, पर पुलिसका या किसीका कहना न माने, यह तो ठीक नहीं।

इस तरह हिंदू-धर्म नहीं बच सकता। मैंने बचपनसे हिंदू-धर्मको पढ़ा और सीखा है। मैं छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी दाई कहती थी कि डरता क्यों है, राम-नाम ले। फिर मुझे ईसाई, मुसलमान, पारसी सब मिले, मगर मैं जैसा छोटी उमरमें था, वैसा ही आज भी हूं। अगर मुझे हिंदू-धर्मका रक्षक बनना है तो ईश्वर मुझे बचावेगा।

कुछ सिखोंने आकर मुझसे कहा कि हम नहीं मानते कि इस काममें कोई सिख शामिल था। सिख होता तो भी क्या? हिंदू या मुसलमान होता, तो भी क्या? ईश्वर उसका भला करे। मैंने इंसपेक्टर जनरलसे कहा है कि उस आदमीको सताया न जाय। उसका मन जीतनेकी कोशिश की जाय। उसे छोड़नेको मैं नहीं कह सकता। अगर वह इस बातको समझ ले कि उसने हिंदू-धर्म, हिंदुस्तान, मुसलमानों और सारे जगतके सामने अपराध किया है तो उसपर गुस्सा न करें, रहम करें। अगर सबके मनमें यही है कि बूढ़ेका फाका निकम्मा था, पर इसे मरने कैसे दें, कौन उसका इलजाम ले, तो आप गुनहगार हैं न कि बम फेंकनेवाला नौजवान। अगर ऐसा नहीं है, तो उस आदमीका दिल अपने आप बदलेगा ही; क्योंकि इस जगतमें पाप कभी अपने आप रह नहीं सकता। वह किसीके सहारे ही टिक

सकता है। सिर्फ भगवान और भगवानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। इसीमेंसे हमारा असहयोग निकला। अहिंसात्मक असहयोग यहां भी ठीक है।

आप भी भगवानका नाम लेते हैं। हमला हो, कोई पुलिस भी मददपर न आवे, गोलियां भी चलें और तब भी मैं स्थिर रहूं और राम-नाम लेता और आपसे लिवाता रहूं, ऐसी शक्ति ईश्वर मुझे दे, तब मैं धन्यवादके लायक हूं।

कल एक अनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि बम फेकनेवालेको पकड़वा दिया। यह मुझे अच्छा लगा। मैं मानता हूं कि कोई मिस्कीन हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है। मन चंगा तो भीतरमें गंगा। मुझपर तो सबने प्रेम ही बरसाया है।

बहावलपुरवालोंने लिखा है कि हमें जल्दी निकालो, नहीं तो सब मरनेवाले हैं। मैं कहता हूं कि वे घबराए नही। वहाके नवाब साहबने आज भी मुझे तार दिया है कि वे सब कोशिश करेंगे। मैं उस चीजको भूल नहीं गया हूं।

बंबईके सिंधी सिख भाइयोंकी तरफसे एक तार आया है। वे कहते हैं कि सिंधमें १५००० सिख हैं। कुछको तो मार डाला है। ये १५००० इधर-उधर पड़े हैं। उनकी जान और उनका ईमान खतरेमें है। उन्हें वहांसे निकालनेकी तजवीज कीजिए—हवाई जहाजसे ही कोशिश कीजिए। मैं यहां जो कहता हूं, वह बात उन तक जल्दीसे पहुंचेगी। तार देरसे पहुंचते हैं। मुझसे यह बरदाश्त नही होगा कि १५००० सिख काटे जायं, या उनके ईमान-इज्जतपर हमला हो। तो मैं एक इन्सान जो कर सकता हूं वह करूंगा। दूसरे, पंडितजी तो सबका ध्यान रखते ही हैं। सिंध और पाकिस्तानकी हकूमतको मैं कहूंगा कि वे सिखोंको इतमीनान दिला दें कि जबतक वे वहां हैं, उनको किसी तरहका खतरा नही। अगर वे यह नही कर सकते, तो सबको एक जगह रखें या हिफाजतके साथ भेज दें। सिख बहादुर हैं। उनके ईमानपर हमला कौन करनेवाला है। तो सिख भाई इतमीनान रखें। मैंने कुछ पारसी भाई वहां देखनेको भेजे हैं।

एक भाई लिखते हैं कि जब आप १९४२ में जेलमें थे तब हमने हिंसाका भी काम कर लिया था। उपवासमें अगर कहीं आपका अंत हो

गया तो देशमें ऐसी हिंसा फूटेगी कि आपका ईश्वर भी रो उठेगा। इसलिए आपका उपवास हिंसक होगा। आप उपवास छोड़ दीजिए। यह बात प्रेमसे लिखी है और अज्ञानसे भी। यह सही है कि मेरे जेल जानेके बाद हिंसा हुई। उसीका यह नतीजा है। उस वक्त सारा हिंद अहिंसक रहता तो उसका आजका हाल कभी न होता। मेरे मरनेसे सब आपस-आपसमें लड़ेंगे, इस बारेमें भी मैंने सोच लिया है। ईश्वरको बचाना होगा तो बचावेगा। अहिंसासे भरा आदमी मरता है तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। पर कृष्ण भगवानके मरनेके बाद यादव ज्यादा भले या पवित्र नहीं हुए। सब कट-कटकर मर गए। तो मैं उसपर रोनेवाला नहीं। भगवानने इरादा कर लिया है कि इन्हें मरने दो, तो ऐसा होगा। लेकिन मैं दीन, मिस्कीन आदमी हूं। मेरे मरनेसे क्या लड़ना मारना? पर भगवान मिस्कीनको भी निमित्त बनाकर न मालूम क्या-क्या कर सकता है? कहते हैं, अब यहांके हिंदू-मुसलमान नहीं लड़ेंगे। मुसलमान औरतें भी दिल्लीमें घरसे बाहर आने लगी हैं। मुझे खुशी है। मैं सबसे कहता हूं कि अपने-अपने दिलको भगवानका मंदिर बना लो।

: २१६ :

२२ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आप देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ईश्वरकी तरफसे मुझमें ताकत आ रही है। उम्मीद है कि जल्दी पहले-जैसा हो जाऊंगा। पर यह ईश्वरके हाथोंमें है।

एक भाई लिखते हैं कि जवाहरलालजी, दूसरे वजीर और फौजी अफसर वगैरा सब अपने-अपने घरोंमेंसे कुछ जगह शरणार्थियोंके लिए निकालें तो भी उनमें कितने लोग बस सकेंगे? कहनेवाले ज्यादा हैं, करनेवाले कम।

ठीक है, कुछ हजार ही उनमें रह सकेंगे। काम इतना बड़ा नहीं,

पर करनेवाले एक मिसाल कायम करेंगे। इंगलैंडके राजा कुछ भी त्याग करें, एक प्याली शराब भी छोड़ें, तो भी उनकी कद्र होती है। सब सभ्य देशोंमे ऐसा होता है। सब दुःखी लोगोंपर अच्छा असर होता है। अगर दूसरे लोग भी उनकी तरह करेंगे, तो उनके लिए मकान वगैरा बनानेवालोंको तसल्ली मिलेगी। अगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगहसे भी लोग दिल्ली आने लगें, तो काम बिगड़ेगा। लोगोंने समझा कि दिल्लीमें हमारी पूछ-ताछ ज्यादा होगी।

दूसरी कठिनाई यह है—लोग कहते हैं कि पहले कांग्रेसको एक लाख रुपये जमा करनेमें भी मुसीबत होती थी। लोग देते तो थे, पर हम भिखारी थे। आज करोड़ों रुपये हमारे हाथमें आ गए हैं। करोड़ों लेनेकी ताकत भले आई, पर खर्च तो वही अंग्रेजी जमानेवाला है। जितना रुपया उड़ाना है, उड़ावें। शानसे न रहें, तब उसका असर देशसे बाहर भी पड़ेगा। उन्हें समझना चाहिए कि पैसा शौकके लिए खर्चना चाहिए या देशके कामके लिए? यदि यह बात ठीक है कि हम इगलैंडके साथ मुकाबला करें तो कर सकते हैं, पर वहां एक आदमीकी जो आमदनी है, उससे यहां बहुत कम है। ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका मुकाबला करे तो वह मर जावेगा। दूसरे देशोमें हमारे प्रतिनिधि भी यह बात समझें। अमेरिकाका मुकाबला रहने दो। खानेमें, पीनेमें और पार्टियां देनेमें वे जो दावा करते थे कि हमारी हकूमत आवेगी तो हमारा भी रंग-ढंग बदल जायगा वह उन्हें झुठला देना चाहिए। हमारे त्यागी कांग्रेसवाले भी ऐसी गलती करें तो यह सोचनेकी बात है।

फिर लोग कहते हैं कि ये लोग इतने पैसे लेते हैं, तब हम हकूमतकी नौकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिएं। सरदार पटेलको अगर १५०० रुपए मिलें, तो हमें ५०० तो मिलने ही चाहिएं। यह हिंदुस्तानमें रहनेका तरीका नहीं है। जब हरएक आत्म-शुद्धिका प्रयत्न करता हो, तब यह सब सोचना कैसा? पैसेसे किसीकी कीमत नहीं होती।

ग्वालियर रियासतके एक गांवमें मुसलमानोंपर जो गुजरी है उसे बतानेवाले तारकी बात मैंने की थी। उस बारेमें मुझे वहांके एक कार्यकर्ताने सुनाया कि आपको मैं एक खुशखबरी देने आया हूं। ग्वालियरके

महाराजाने सब सत्ता प्रजाको दे दी है। थोड़ी जो रखी है उसमें भी हमारा बहुमत होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता मिलनी चाहिए वह मिली, यह सुनकर आप खुश होंगे। हां, मगर प्रजा-मंडलवालोंमें भेद-भाव आ जाय और वे मुसलमानोंको निकालें, तो मुझे क्या खुशी ? अगर आप कहें कि भेदभाव नहीं होगा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, किसीके साथ बैर नहीं करेंगे, तब तो वह मेरा ही काम हुआ। उसमें मेरा धन्यवाद और आशीर्वाद मिलेगा ही। महाराजाको लोगोंका सेवक बनना है। इस आत्म-शुद्धिके यज्ञमें राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह भाग लेना है। तब तो हम सारी दुनियाके सामने खड़े रह सकते हैं। अगर हमें दुनियाकी चालको ठीक रखना है और उसके रक्षक बनना है तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

: २१७ :

२३ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज मेरे पास काफी चीजें पड़ी हैं। जितना हो सकेगा उतना कहूंगा।

आज सुभाषबाबूकी जन्म-तिथि है। मैंने कह दिया है कि मैं तो किसीकी जन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नहीं रखता। वह आदत मेरी नहीं है। सुभाष बाबूकी तिथिकी मुझे याद दिलाई गई। उससे मैं राजी हुआ। उसका भी एक खास कारण है। वे हिंसाके पुजारी थे। मैं अहिंसाका पुजारी हूं। पर इसमें क्या ? मेरे पास गुणकी ही कीमत है। तुलसीदासजीने कहा है न :

"जड़-चेतन गुन-दोषमय बिस्व कीन्ह करतार।
संत-हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार॥

हंस जैसे पानीको छोड़कर दूध ले लेता है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। मनुष्यमात्रमें गुण और दोष दोनों भरे पड़े हैं। हमें गुणोंको ग्रहण

करना चाहिए। दोषोंको भूल जाना चाहिए। सुभाषबाबू बड़े देश-प्रेमी थे। उन्होंने देशके लिए अपनी जानकी बाजी लगा दी थी और वह करके भी बता दिया। वह सेनापति बने। उनकी फौजमें हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सब थे। सब बंगाली ही थे, ऐसा भी नहीं था। उनमें न प्रांतीयता थी, न रंगभेद, न जातिभेद। वे सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा सहूलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं था।

एक बार एक सज्जन, जो बड़े वकील थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि हिंदू-धर्मकी व्याख्या क्या है? मैंने कहा, मैं हिंदू-धर्मकी व्याख्या नहीं जानता। मैं आप-जैसा वकील कहा हूं? मेरे हिंदू-धर्मकी व्याख्या मैं दे सकता हूं। वह यह है कि जो सब धर्मोंको समान माने वही हिंदू-धर्म है। सुभाषबाबूने सबका मन हरण करके अपना काम किया। इस चीजको हम याद रखें।

दूसरी चीज—ग्वालियरसे खबर आई है कि रतलामसे जो आपको एक गांवके झगड़ेके बारेमें खबर मिली थी, वह सर्वथा ठीक नहीं है। वहां कुछ दंगा हुआ तो सही, लेकिन आपस-आपसमें उसमें हिंदू-मुसलमानकी कोई बात न थी। मुझे इससे बड़ी खुशी होती है। उसपरसे मैं मुसलमान भाइयोंको जाग्रत करना चाहता हूं। मैं तो, जो चीज मेरे सामने आती है, उसे जनताके सामने रख देता हूं। अगर ऐसी बनी-बनाई बात कहते रहेंगे, तो सबके दिलमें गलतफहमी हो जायगी। कोई भी चीज बढ़ाकर न बतावें। अपनी गलती बढ़ाकर बता दें, दूसरोंकी कम करके। तब यह माना जायगा कि हम आत्मशुद्धिके नियमका पालन करते हैं।

मैसूरसे तार आया है कि आपने जो व्रत लिया उसका मैसूरकी जनतापर असर नहीं पड़ा। वहां झगड़ा हो गया है। मैं मैसूरके हिंदू-मुसलमानोंको जानता हूं। जिनके हाथमें हकूमत है उनको भी जानता हूं। मैंने मैसूर सरकारको लिखा है कि वे, जो कुछ हुआ है, उसे साफ-साफ दुनियाको बता दें।

जूनागढ़से मुसलमान भाइयोंका तार आया है। वे लिखते हैं कि जबसे कमिश्नर और सरदारने हकूमत ले ली है, तबसे यहां हमें न्याय ही मिल रहा है। अब कोई भी हममें फूट नहीं डाल सकेगा। यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है।

मेरठसे एक तार आया है। उसमें लिखा है कि आपके उपवासका नतीजा ठीक आ रहा है। यहांपर जो नेशनलिस्ट[1] मुसलमान हैं, उनसे हमे कोई नफरत नही है। पर लीगी मुसलमान सीधे हो गए है या हो जाएगे, ऐसा मानोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। आपकी अहिंसा अच्छी है, मगर राजनीतिमें नही चल सकती। फिर भी हम आपको कहना चाहते है कि आजकी जो हकूमत है वह अच्छी है, इसमे किसी तरहकी तबदीली नहीं होनी चाहिए।

मैं तो नही समझता कि तबदीलीका सवाल उठता कहां है। मगर तबदीलीकी गुजाइश हो तो जिनके हाथमें हकूमत है, उन्हे निकालना आपके हाथोमें है। मै तो इतना जानता हू कि उनके बिना आज आप काम नही चला सकेंगे।

आज यह कहना कि राजनीतिमे अहिंसा चल नही सकती, निकम्मी बात है। आज जो काम हम कर रहे हैं, वह हिंसाका है। मगर वह चल नहीं सकता। मेरठके मुसलमानोंने आजादीकी लड़ाईमें काफी हिस्सा लिया है। आजकलकी राजनीति अविश्वाससे चल ही नहीं सकती। इसलिए हमें मुसलमानोंपर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया है कि भाई भाई बनकर रहना है, तो फिर हम किसी मुसलमानपर खामखाह अविश्वास न करेंगे; फिर भले वह लीगी हो। मुसलमान कहें कि हिंदू-सिख बदमाश हैं, तो यह निकम्मी बात है। ऐसे ही हरएक लीगीके लिए यह मान लेना भी बुरा है। अगर कोई लीगी या दूसरा कोई भी बुरी बात करता है, तो आप उसकी खबर सरकारको दें। हमारा परम धर्म मैंने सबको बता दिया है कि न्याय हकूमतके हाथोंमें रहने दें, अपने हाथमें न ले लें। वह वहशियाना काम होगा। मेरे पास बहुतसे तार आ रहे हैं। सबका जवाब नहीं दे सकैता, इसलिए सभाके मारफत मैं आप सबका अहसान मानता हूं। आपकी दुआ सफल हो।

---

[1] राष्ट्रीय।

: २१८ :

२४ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मैंने आपसे प्रार्थना की है कि सब लोगोंको प्रार्थना-सभामें शांत रहना चाहिए। आज तो मैंने प्रार्थनाके आरंभमे भी कहा था कि सब शात हो जाएं। तब तो आप शांत हो गए, लेकिन बादमें जब प्रार्थना चलती थी तब कुछ बहनें आपसमें बातें भी करती थी और बच्चे चीखते रहते थे। वह कोई अच्छा नही लगता था। मैं बार-बार यही कहता हूं कि सबको जब बच्चे चीखते हों या रोते हों, तो उनको बाहर ले जाना चाहिए। उन्हे भीतर लेकर बैठनेकी हिम्मत नही होनी चाहिए, अगर वे सभ्यता सीखना चाहती है तो।

आज एक तार मेरे पास है। इसकी बात तो मै कल ही करना चाहता था, लेकिन नही कर सका। बहुत लंबा तार है; लेकिन उसमें इतना लिखा है कि दोनों हकूमतोंमे यह समझौता तो हो गया है कि जो कैदी एक हकूमतमें हो गए थे, उनको दूसरी हकूमतमे भेज देना। जैसा कि अगर पश्चिमी पंजाबमें या कहो पाकिस्तानके पजाबमे, जो आदमी कैदमें हैं, वे तो हिंदू और सिख ही हो सकते है, कोई अन्य और तरहसे हों, वह दूसरी बात है। इसी तरहसे जो पूर्वी पंजाबमें है, वे मुसलमान कैदी है। उनमें वे लड़कियां भी है जिन्हें लोग भगा ले गए थे। तारमे वे कहते है कि ऐसा समझौता हो तो गया, लेकिन थोड़े अर्सेतक चला। अभी वह टूट गया है और कहा यह जाता है कि जो टूटा उसका कारण यह है कि पश्चिमी पंजाबकी जो हकूमत है उसने कैदियोंको रख लिया और कहा कि यह तभी हो सकता है जब कि पूर्वी पंजाबमें जितनी रियासतें हैं, या राजा हैं और जहांतक उनका कार-बार चलता है, वहां भी जो कैदी है, वे वापिस आने चाहिए और वहा जो लड़कियां है उनको भी वापिस करना चाहिए।

मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नही हो सकती है। ऐसे ही पश्चिमी पंजाबकी जो रियासतें हैं, वहासे होना चाहिए। वहां कम रियासतें है और यहां ज्यादा है, उससे क्या हुआ? कहीं भी हो, इस बारेमें समझौता हो

जाना चाहिए। इसमें दिक्कत आती है, यह तो सही है। पूर्वी पंजाबसे जब यह समझौता कर लिया था तब तो यह नही था, ऐसा मै अखबारोंसे समझता हूं। नहीं था, तो भी क्या ? जितनी लड़कियां उठा ले गए हैं, इधर या उधर, वे सब वापिस होनी चाहिएं। मेरी निगाहमें तो यह नहीं होता कि पश्चिमी पंजाबसे दस लड़की आती हैं तो पूर्वी पंजाबसे भी दस ही जानी चाहिएं, ग्यारहवी नही जा सकती। जितनी लड़कियां पूर्वी पंजाबमे पड़ी हैं, औरतें हैं, पुरुष है या दूसरे कैदी है, उन सबको वापस कर देना चाहिए और यह सब बिना शर्त होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैमनस्य भरा हुआ है। वे ऐसा करनेमें कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन यह तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पंजाबसे तो सबको वापस कर दें। उसमें क्या होगा ? माना कि कुछ ज्यादा तादादमें पश्चिमी पंजाबमे और थोड़ी तादादमें पूर्वी पजाबमे है। मैंने कहा है कि मुझको तो इसकी परवा नहीं है। सब गलती ही है, एकको ले गए वह गलती है और सौको ले गए वह भी गलती है। ज्यादा नही ले सके, उसका कोई दूसरा सबब नही है। दिलमें तो ऐसा नही था कि एक ही लड़कीको ले जाए या इतने पुरुष ही कैद रखे। जब सब बिगड़ा तो उसमें पीछे मुकाबला क्या करना था! जो चलता रास्ता है उसमें तो रुकावट नही होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दूसरी चीजें भी करें, समझौता करके। अगर दोनो हकूमत दोस्ताना तरीकेसे करे और यह समझें कि लड़ाई हम आपस-आपसमें नही करना चाहते है, तो फिर रास्ता सीधा और साफ हो जाता है। इसीलिए मैं दोनों हकूमतोंसे बड़े अदबसे कहूंगा कि जो कुछ भी हो गया है उसे भूलकर अब भी दुरुस्त हो जाएं। दिलको दुरुस्त करना है और अगर दिल दुरुस्त हो गया तो ठीक है और नही हुआ तो फिर हमें तो अपने धर्मका पालन करना ही है, लेकिन झगड़ेका सबब तो रह ही जाता है, फिर चाहे मुझको आप तार भेजते रहे कि हमारे झगडोंका कारण कोई रहता ही नहीं। ये सारी चीजें आत्मशुद्धिमे आ जाती हैं। आत्मशुद्धिके माने यही हैं कि हम अपने दिलोंको साफ करें।

लेकिन मेरे पास इल्जाम तो यह आ रहा है कि पश्चिमी पंजाबमें जो औरतोंको उठा ले गए हैं उनको वे उतनी तादादमें वापस नही करते।

ऐसी शिकायत पूर्वी पंजाबके बारेमें भी करते हैं। मैंने तहकीकात तो नहीं की है कि कौन झूठा है और कौन नहीं। मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन पश्चिमी पंजाबके बारेमें अगर यह शिकायत सही है तो शर्मकी बात है, पूर्वी पंजाबके बारेमें भी ऐसा ही है। लेकिन पश्चिमी पंजाबके बारेमें तो यह शिकायत भी है कि वे कहते हैं एक चीज, और करते हैं दूसरी। मैं इस बारेमें इतना ही कह सकता हू कि यह सब दुरुस्त होना चाहिए। नहीं होता है तो बड़े शर्मकी बात है। और पीछे मैं तो यही कहूं कि मैंने जो फाका किया उसके अक्षरोंपर तो दिल्लीमें अमल हो भी गया, लेकिन उसमें जो भेद या रहस्य है, उसका पालन नहीं हुआ।

: २१६ :

२५ जनवरी १६४८

भाइयो और बहनो,

अभी हमारेमें दिलका समझौता हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं मुसलमानोंसे पूछता हूं और हिंदुओंसे भी। सब यही कहते हैं कि हम सब समझ गए हैं कि अगर आपस-आपसमें लड़ते रहेंगे तो काम हो नहीं सकेगा। इसलिए आप अब बेफिक्र रहें। मैं यह पूछना तो नहीं चाहता हूं कि इस सभामें कितने मुसलमान हैं। मगर मैं सबको भाई-भाई बननेको कहूंगा। किसी भी मुसलमानको अपना दोस्त बना लें, या यह मानो कि जो मुसलमान हमारे सामने आता है वह हमारा दोस्त है और उससे कहो कि चलो, वहां आरामसे बैठो। यहां किसीसे नफरत तो है ही नहीं। दो दिनसे तो यहां काफी आदमी आ रहे हैं। अगर सब अपने साथ एक-एक मुसलमान लाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे हम यही बता सकते हैं हम भाई-भाई हैं।

महरौलीमें जो दरगाह है, वहां कलसे मुसलमानोंका उर्सका मेला शुरू होगा। वैसे तो वह हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष तो हमने उसको ढहा दिया था या बिगाड़ दिया था। जो पत्थरकी चित्रकारीका काम

था वह भी ढहा दिया था। अब कुछ ठीक कर लिया है, इसलिए उर्स जैसा पहले मनता था ऐसा ही अब मनेगा। वहां कितने मुसलमान आते हैं इसका मुझको कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि वहां दरगाहमें मुसलमान भी काफी जाते थे और हिंदू भी। मेरी तो उम्मीद है सब हिंदू इस बार भी शांतिसे और पक्की भावनासे जाए तो बड़ा अच्छा है। मुझको पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए थे और कितने नहीं। लेकिन वे जो मुसलमान वहां जाते हैं उनका मजाक न करें और किसी तरहकी निंदा न करें। पुलिसके लोग वहां होंगे तो सही, लेकिन कम-से-कम रहने चाहिए। आप सब पुलिस बन जाए और सब काम ऐसी खूबीसे हो कि वह चीज सारी दुनियामें चली जाए। इतना तो हो गया कि आप बड़े मशहूर हो गए है। अखबारोंमें भी आता है और मेरे पास तो तार और खत दुनियाके हर हिस्सेसे आ रहे हैं। चीनसे तथा एशियाके सब हिस्सोंसे आ रहे हैं और अमरीका तथा यूरोपसे भी। दुनियाका कोई भी देश बाकी नहीं बचा है और सब यही कहते हैं कि यह तो बहुत बुलंद काम हो गया है। हम तो ऐसा मानते थे कि अंग्रेज तो वहांसे आ गए, अब वे तो जाहिल आदमी है और जानते नहीं है कि अपना राज कैसे चलाना चाहिए और आपस-आपसमें लड़ते-भिड़ते थे। १५ अगस्तको यह सारी चीज़ तो हो गई और हम तारीफ भी कर रहे थे कि हम तलवारके जोरसे नहीं लड़े। हमने शांतिसे लड़ाई की या ठंडी ताकत की लड़ाई की, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी गोदमें आकर आजादी देवीने रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी घटना १५ अगस्तको हो गई।

मैं २ फरवरीको वर्धा चला जाऊंगा। राजेंद्र बाबू भी मेरे साथ जाएंगे; लेकिन मैं वहांसे जल्दी ही लौटनेकी कोशिश करूंगा। अखबारोंमें प्रकाशित यह समाचार गलत है कि मैं वहां एक महीनेतक ठहरूंगा। लेकिन मैं वर्धा तभी जा सकता हूं जब आप लोग आशीर्वाद देंगे और यह कहेंगे कि अब आप आरामसे जा सकते हैं, हम यहां आपसमें लड़नेवाले नहीं है।

उसके बादमें मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान सरकारको कहना है कि तू आ सकता है और अपना काम कर सकता है।

अगर पाकिस्तानकी एक भी सूबेकी हकूमत बुलाएगी तो भी मैं वहां चला जाऊंगा।

जब-जब कांग्रेसकार्य-समितिकी बैठक मेरी उपस्थितिमें होती है, तब-तब मैं आपको उसके बारेमें कुछ-न-कुछ बता देता हूं। आज कार्य-समितिकी दूसरी बैठक हुई और उसमे काफी बाते हुईं। सब बातोंमें तो आपकी दिलचस्पी भी नही होगी, लेकिन एक बात तो आपके बताने लायक है। कांग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमे जितनी बड़ी-बड़ी भाषाए है उतने प्रात होने चाहिए। कांग्रेसने यह भी कहा था कि हकूमत हमारे हाथमे आते ही ऐसे प्रांत बनाए जायगे। वैसे तो आज भी ६ या १० प्रात बने हुए है और वे एक मरकजके मातहत[1] हैं। इसी तरहसे अगर नए प्रान्त बने और सब दिल्लीके मातहत रहे तबतक कोई हर्जकी बात नही। लेकिन अगर वे सब अलग-अलग होकर आजाद हो जाएं और एक मरकजके मातहत न रहें तो फिर वह एक निकम्मी बात हो जाती है। अलग-अलग प्रात बननेके बाद वे यह न समझ ले कि बंबईका महाराष्ट्रसे कोई सबंध नहीं, महाराष्ट्रका कर्नाटकसे और कर्नाटकका आंध्रसे कोई संबध नही। तब तो हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए सब आपसमें भाई-भाई समझे। इसके अलावा अगर भाषावार प्रांत बन जाते है तो प्रांतीय भाषाओंकी भी तरक्की होती है। वहांके लोगोंको हिंदुस्तानीमें तालीम देना तो वाहियात है और अंग्रेजीमें देना तो और भी वाहियात है।

: २२० :

२६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

आज २६ जनवरी स्वतंत्रताका दिन है। जबतक हमारी आजादी-की लड़ाई जारी थी और आजादी हमारे हाथमें नहीं आई थी, तबतक इसका

---

[1]अधीन।

उत्सव मनाना जरूर मानी रखता था। किंतु अब आजादी हमारे हाथमें आ गई है और हमने इसका स्वाद चखा है तो हमें लगता है कि आजादीका हमारा स्वप्न एक भ्रम ही था जो कि अब गलत साबित हुआ है। कम-से-कम मुझे तो ऐसा लगा है।

आज हम किस चीजका उत्सव मनाने बैठे हैं? हमारा भ्रम गलत साबित हुआ, इसका नहीं। मगर अपनी इस आशाका उत्सव हमें मनानेका जरूर हक है कि काली-से-काली घटा अब टल गई है और हम उस रास्तेपर हैं कि जिसपर आते-जाते हुए तुच्छ-से-तुच्छ ग्रामवासीकी गुलामीका अंत आएगा और वह हिंदुस्तानके शहरोंका दास बनकर नहीं रहेगा; बल्कि देहातोंके विचारमय उद्योगोंके मालकी विज्ञप्ति और बिक्रीके लिए शहरके लोगोंका उपयोग करेगा। वह यह सिद्ध करेगा कि वह सचमुच हिंदुस्तानकी भूमिका जायका[1] है।

इस रास्तेपर आगे जाते हुए अंतमें सब वर्ग और संप्रदाय एक समान होंगे। यह हर्गिज न होगा कि बहुसंख्या अल्पसंख्यापर—चाहे वह कितनी ही कम या तुच्छ क्यों न हो—अपना प्रभुत्व जमाए या उसके प्रति ऊंच-नीचका भाव रखे। हमें चाहिए कि इस आशाके फलीभूत होनेमें हम ज्यादा देरी न होने दें कि जिससे लोगोंके दिल खट्टे हो जाए।

दिन-प्रतिदिनकी हड़तालों और तरह-तरहकी बदअमनी जो देशमें चल रही है वह क्या इसी चीजकी निशानी नहीं कि आशाएं पूरी होनेमें बहुत देर लग रही है? यह हमारी कमजोरी और रोगकी सूचक है। मज-दूर-वर्गको अपनी शक्ति और गौरवको पहिचानना चाहिए। उनके मुका-बिलेमें वह शक्ति या गौरव पूंजीपतियोंमें कहां है, जो कि हमारे ग्रामवर्गमें भरा है! सुव्यवस्थित समाजमें हड़तालोंका बदअमनीके लिए अवसर या अवकाश ही नहीं होना चाहिए। ऐसे समाजमें न्याय हासिल करनेके लिए काफी कानूनी रास्ते होंगे। खुली या छुपी जोरावरीके लिए स्थान ही न होगा। कानपुर या कोयलेकी खानोंमें या और कहीं भी हड़-तालें होनेसे सारे समाज और खुद हड़तालियोंको आर्थिक नुक्सान उठाना

---

[1] स्वाद—व्यंजन।

पड़ता है। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लंबा लेक्चर मेरे मुंहमें शोभा नही देता, जब कि मैंने खुद इतनी सफल हड़ताले करवाई हैं। अगर कोई ऐसे टीकाकार है तो उन्हे याद रखना चाहिए कि उस वक्त न तो आजादी थी और न इस किस्मके कानूनी जाब्ते थे जो कि आजकल है। कई बार तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या हम सचमुच ताकतकी सियासी शतरंज और सत्तापर चुगल[1] मारनेकी वबा (बीमारी) से, जो कि पूर्व और पाश्चात्यके सब देशोंमे फैल रही है, बच सकते है। इससे पहले कि मै इस विषयको यहां छोड़, मै यह आशा प्रकट किए बिना नही रह सकता कि यद्यपि भौगोलिक व राजनैतिक दृष्टिसे हिंदुस्तान दो भागोंमें बंट गया, पर हमारे दिल जुदा नही हुए और हम हमेशाके दोस्त बनकर भाइयोंकी तरह एक दूसरेकी मदद करते रहेंगे और एक दूसरेको इज्जतकी निगाहसे देखेगे। जहांतक दुनियाका ताल्लुक है हम एक ही रहेगे।

कपड़ेपरसे अकुश उठानेके फैसलेका सब तरफसे स्वागत किया गया है। कपड़ेकी कमी कभी थी ही नही, और हो भी कैसे सकती है, जब कि देशमे इतनी रुई, और कातनेवाले और बुननेवाले मौजूद है। कोयले और जलानेकी लकड़ीपरसे अकुश उठनेपर भी इतना ही सतोष प्रकट किया गया है। यह बड़ी देखनेकी चीज है कि अब बाजारमें गुड़ जरूरतसे ज्यादा आकर जमा हो रहा है, और गुड़ ही गरीब आदमीकी खुराकमें गर्मी देनेवाली चीजके अंशको पूरा कर सकता है। गुड़के इन जमा हुए ढेरोंको घटाने या जहां गुड़ बनता है वहासे गुड़ पहुंचानेकी कोई सूरत नहीं, अगर तेजीसे सामान ढोनेका बदोबस्त न हो। एक मित्र, जो इस विषयको खूब समझते हैं, एक पत्रमें लिखते हैं, वह ध्यान देने लायक है :

"यह कहनेकी जरूरत नही कि अंकुश उठानेकी नीतिकी सफलताका ज्यादा आधार इस चीजपर ही है कि रेलगाड़ी या सड़कसे सामानकी नकली हरकत[2] का ठीक-ठीक बंदोबस्त किया जाए। अगर रेलसे माल इधर-उधर ले जानेके तत्रमे सुधार न हुआ तो देशभरमें कहत[3] फैलने और

---

[1] चुंगल (गुजराती) पंजा;   [2] हरकत (गुज०) अड़चन।
[3] अकाल।

अंकुश उठानेकी सब योजना अस्त-व्यस्त हो जानेका डर है। आज जिस तरहसे माल ले जानेका हमारा तंत्र चल रहा है उससे दोनों, अंकुश चलाने और उठानेकी नीति, सख्त खतरेमें है । हिंदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोंमें भावोंमें इतना भयंकर फर्क होनेकी वजह भी माल उठानेके साधनोंकी यह कमी ही है। अगर गुड रोहतकमें आठ रुपए मन और बबईमें पचास रुपए मनके हिसाब बिकता है तो यह साफ बताता है कि रेलवे तत्रमे कही सख्त गडबड़ है। महीनोंतक मालगाडीके डिब्बोंमेंसे सामान नहीं उतारा जाता, डिब्बों और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह[1] देनेके बहाने, मालगाड़ीके डिब्बोंपर माल लादनेमें सख्त बेईमानी और घूसका बाजार गर्म है। एक डिब्बेको किरायेपर हासिल करनेके लिए सैकड़ों रुपए खर्च करने पडते है और कई-कई दिनोतक स्टेशनोंपर झक मारनी पडती है। डिब्बोंकी मांग पूरी करने और डिब्बोंको चलते रखनेमें ट्रासपोर्ट-के मत्रीकी भी अभीतक कुछ चली नही। अगर अकुश उठानेकी नीतिको सफल बनाना है तो ट्रासपोर्टके मंत्रीको रेल और सडककी सारी ट्रासपोर्ट-व्यवस्थाकी फिरसे जाच-पड़ताल करनी होगी । तभी यह नीति जिन गरीब लोगोको राहत देनेके लिए चलाई जा रही है, उनको फायदा पहुचा सकेगी। आज इस ट्रांसपोर्टके कसूरसे लाखों और करोड़ों देहातियोंको सख्त तकलीफ उठानी पड़ती है और उनका माल मंडीतक पहुचने ही नही पाता।"

जैसा मै पहले लिख चुका हूं, पेट्रोलका राशनिग बद करना ही चाहिए और सडकसे सामान ढोनेके साधनोंका इजारा[2] और परमिटका तरीका बिल्कुल बंद होना चाहिए। इजारेमें थोडी ट्रासपोर्ट कंपनियोंका ही लाभ होता है और करोड़ों गरीबोंका जीवन दूभर हो रहा है। अकुश उठानेकी नीतिकी ९५ फी सदी सफलता उपरोक्त शर्तोंपर ही निर्भर है। जो सूचनाए ऊपर दी गई है उनपर अमल हुआ तो परिणामस्वरूप देहातोंसे लाखों टन खाद्य पदार्थ और दूसरा माल देशभरमे आने लगेगा। बेईमानी और घूसखोरीका विषय कोई नया नही है, केवल अब वह पहलेसे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाहरका अकुश तो कुछ रहा ही नहीं है। इसलिए यह

---

[1] विशेषता; [2] (गुज०) ठेका।

घूसखोरी तबतक बंद न होगी जबतक जो लोग इसमे पड़े है वे समझ न लें कि वे देशके लिए है, न कि देश उनके लिए। इसके लिए जरूरत होगी एक ऊंचे दर्जेके नैतिक शासनकी। उन लोगोंकी तरफसे, जो खुद घूसखोरीके इस मर्जसे बचे हुए हैं और घूसखोर अमलदारोंपर जिनका प्रभाव है, ऐसे मामलोंमें उदासीनता दिखाना गुनाह है। अगर हमारी सध्याकालकी प्रार्थनामे कुछ भी सचाई है तो घूसखोरीके इस दौरको खत्म करनेमे उससे काफी मदद मिलनी चाहिए।

: २२१ :

२७ जनवरी १९४८

(आज गांधीजीकी प्रार्थना-सभामे एक ही मुसलमान उपस्थित था। गांधीजीने कहा कि मै इतनेसे ही सतुष्ट नही हू। प्रार्थनामे आनेवाले सब हिंदू और सिख भाई-बहन अपने साथ एक-एक मुसलमान लाए।

इसके बाद गांधीजीने महरौलीकी दरगाह शरीफमे मुसलमानोके उर्सके मेलेका जिक्र किया जिसे वे स्वय आज सवेरे देखने गए थे। उन्होंने कहा :)

किसीको वहां आने-जानेमें झिझक नही थी। मैंने जान-बूझकर मुसलमानोंसे पूछा कि हमेशा जितने आते थे उतने तो नही आ सके होंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ डर तो रहा होगा ही। हमारेमे ऐसे लोग भी हैं न, कि जो डर-सा बता देते हैं। वे कहते हैं कि इलाहाबादमे भी कुछ हो गया है, वही यहा हुआ तो हिंदू क्या करेगे। इन्सान इन्सानसे डरे, यह तो हमारे लिए शर्मकी बात है। लेकिन कम-से-कम इतना तो मैंने पाया कि जितनी तादाद मुसलमानोंकी थी उतनी ही तादाद हिंदुओंकी थी और सिख भी काफी थे। पीछे एक दु:खद बात भी मैंने देखी। वह दरगाह तो बादशाही जमानेकी है, कोई आजकी थोड़े ही है। बहुत पुराने जमानेकी है। अजमेरकी दरगाह शरीफसे दूसरे नंबरपर है, तो जो मुख्य वस्तु है वह तो वहां नक्काशीका काम ही था और बड़ा खूबसूरत था। वह सब तो

नहीं, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नक्काशीकी जालिया थी वे भी काफी तोड़ डालीं। मुझको तो यह देखकर बहुत दुःख हुआ। मैं तो उसे वहशियाना चीज ही कह सकता हू। क्या हम इतने गिर गए है कि एक जगहपर किसी औलियाकी कब्र बनाई गई है और कब्र भी बहुत आलीशान, हजारों रुपया उसपर खर्च किया है—उसको हम इस तरह नुक्सान पहुंचाए, माना कि इससे भी बदतर पाकिस्तानमे हुआ है। यहा एक गुना हुआ और वहा दस गुना हुआ, इसका हिसाब मै नही कर रहा। मेरे नजदीक तो चाहे थोड़ा गुनाह करो या ज्यादा, इसकी कोई तुलना मे नही करता। वह शर्मनाक बात है। अगर सारी दुनिया शर्मनाक बात करती है तो क्या हम भी करें? नही करना चाहिए, ऐसा आप भी मानेंगे।

मुझको पता चला कि दरगाहमे हिंदू और मुसलमान दोनों काफी तादादमें आते है और मिन्नत भी करते है। उसका बडा दर्जा वे रखते हैं और जो औलिया हो गए है, यहा या अजमेर शरीफमे, उनके दिलमे भी हिंदू, मुसलमानका कोई भेदभाव नही था। यह तो एक ऐतिहासिक बात थी और सच तो है ही। झूठ बतानेमें तो उनका कोई फायदा नही होता। ऐसे जो औलिया हो गए उनका आदर होना ही चाहिए। पाकिस्तानमें क्या होता है, उस तरफ हम न देखे।

आज ही मैंने अखबारोंमे देखा है कि पाकिस्तानमे एक जगह १३० हिंदू और सिख कत्ल हो गए हैं। और पीछे वहां लूटपाट भी हुई। किसने उनको कत्ल किया? सरहदी सूबेके ऊपर जो छोटी-छोटी कौमें मुसलमानोंकी रही है, उन्होंने बस उनपर हमला किया और उन्हें मार डाला। कोई गुनाह उन्होने किया था ऐसा कोई नही कहता। पाकिस्तानकी हकूमतने जो कुछ लिखा है उसमें यह भी है कि हकूमतने कई हमलावरोंको मार डाला। मार डाला या नही मार डाला, लेकिन जब वे कहते है तो हमे मान ही लेना चाहिए। इसपर हम गुस्सा करे और हम भी यहा मारना शुरू कर दें तो वह एक वहशियाना चीज होगी। आज तो आप भाई-भाई होकर मिलते हैं, लेकिन दिलमें अगर गंदगी रखते हैं और वैर या द्वेष करते हैं तो फिर आपने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि हम दिलमें भी ऐसा नही रखेंगे, उसे आप झुठला देते हैं। पीछे हम सबका खाना खराब होनेवाला

है। यह वहां सबने महसूस किया। किसीसे मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन आंखोंसे मै समझ गया। पाकिस्तानमें जो कुछ हुआ, उसका हिसाब लेना तो हमारी हकूमतका काम है, वह जाने। हमारा काम तो यही है कि एक दूसरेका दिल साफ करनेकी जो कसम हमने खाई है, उसे कायम रखें और वही चीज हम करें।

अभी अजमेरमें राजकुमारी बहन चली गई थी। उन्होंने वहाकी एक बड़ी खतरनाक और हमारे लिए तो शर्मकी बात सुनाई। वहां जो हरिजन रहते है, उनसे वहांवाले काम लेते है और वे करते भी है। लेकिन जिस जगहमे वे रहते है वह बहुत गदी और मैली है। वहां तो हमारी ही हकूमत है और अच्छी खासी हकूमत है। जो हिंदू और सिख वहां अमलदार है, वे इसी हकूमतके मातहत काम करते है। क्या उन्हे ख्याल नही आता कि ऐसा शर्मका काम हम कैसे करते है? वहां सफेद पोशाक पहननेवाले बहुत हिंदू है। पैसा खासा कमाते है और खुश हालतमें रहते है। वे क्यों नही वहां एक दिनके लिए भी हरिजनोंकी बस्तीमे जाकर रहें? वे अगर जाएं तो कै[1] कर लेगे और कोई तो शायद उनमेंसे मर भी जाए। ऐसी जगह इन्सानोंको रखना—क्योंकि उनका यह गुनाह है कि वे हरिजन पैदा हुए है—बहुत बुरी बात है। यहां दिल्लीमें भी मै हरिजनोंकी बस्तीमे गया हू। वह भी खराब तो बहुत है, लेकिन अजमेर तो इससे भी बदतर है। यह तो बड़ी शर्मनाक बात है। क्या ऐसी शर्मनाक बाते ही हम लोग करते रहेगे? हमने आजादी तो पाई, लेकिन उस आजादीकी कोई कीमत नही, जबतक हम इस तरहका काम भी नही बंद कर सकते। यह तो एक दिनमें हो सकता है। क्या हम इन हरिजनोंको सूखी जगहमें नहीं रख सकते? उनको मैला उठानेका काम करना है, वह तो करे, लेकिन मैलेमें ही पडे रहें, ऐसा तो नही हो सकता। हमारी तो आज अक्ल चली गई है, हमारा हृदय नहीं रहा है और ईश्वरको हम भूल गए है। इसीलिए तो गुनाहके काम हम करते जाते है। और पीछे हम दूसरोंका ऐब निकालें, दूसरोंको दोष दें और खुद निर्दोष बनें, यह बड़ी खतरनाक बात है।

---

[1] उल्टी।

अंतमें एक और बात मैं कहना चाहता हूं और वह है मीरपुरके बारेमें। एक दफा तो थोड़ा-सा मैंने कह भी दिया था। मीरपुर काश्मीरमें हैं। अब वह हमलावरोंके हाथमें चला गया है। वहां हमारी काफी बहनें थी। उनको वे उठा ले गए हैं। उनमें बुड्ढी भी है और नौजवान भी। वे उनके कब्जेमें पडी है और उनको वे बेआबरू भी कर लेते हैं, इसमे मेरे दिलमें कोई शक नही है। खाना भी उनको बुरा दिया जाता है। चंद बहनें तो पाकिस्तानके इलाकेमें हैं। गुजरात[1] जिलेमें झेलमतक तो शायद पहुची होंगी ही।

मैं तो कहूंगा कि जो हमलावर हमला कर रहे है, उसमें कुछ भी तो मर्यादा या कुछ हद तो होनी ही चाहिए। मैं इन हमलावरोंसे कहता हूं कि आप इस्लामको बिगाडनेके लिए यह काम कर रहे हैं और कहते ये हैं कि आजाद काश्मीरके लिए करते हैं।

कोई खानेके लिए लूटपाट करे वह मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो छोटी लड़कियां है, उनको बेइज्जत करना, उनको खाने और पहननेको न देना, वह भी क्या आपको कुरान शरीफने सिखाया है? और जो पीछे पाकिस्तानमें लड़कियोंको उठाकर चले गए है, उनके बारेमें मैं पाकिस्तान हकूमतसे मिन्नत करूंगा कि इस तरहसे जो भी कोई लड़कियां है, उनको वापस करो और उन्हें अपने घरोंपर जाने दो।

बेचारे मीरपुरके लोग मेरे पास आए है। काफी तगड़े हैं और शर्मिंदा होते है। मुझको वे सुनाते भी है कि क्या वजह है कि हमारी इतनी बड़ी भारी हकूमत पडी है, वह इतना काम भी नही कर सकती। मैंने समझानेकी कोशिश तो की। जवाहरलालजी खुद कोशिश कर रहे हैं और बहुत दुःखी है। लेकिन उनके दुःखी होनेसे और उनके कोशिश करनेसे भी क्या है! जो लोग लुट गए है, बरबाद हो गए हैं और जिन्होंने अपने रिश्तेदारोंको गवा दिया है, उनको कैसे संतोष दिलाया जाय? आज जो आदमी आया उसके पंद्रह आदमी वहां कत्ल हो गए। उसने कहा कि अभी जो वहां बाकी पड़े हैं उनका क्या हाल होनेवाला है? मैंने सोचा कि

[1] पंजाबमें 'गुजराना' नामका एक शहर है।

दुनियाके नामसे और ईश्वरके नामसे वे जो हमलावर पड़े है, उनको और पीछे पाकिस्तानको भी मैं यह कहू कि आपको बगैर मांगे हुए और शोहरतके साथ उन बहनोंको वापिस कर देना चाहिए। यह उनका धर्म है। मैं इस्लामको काफी जानता हूं और काफी पढ़ा भी है। वह कभी नही सिखाता कि औरतोंको उठा ले जाओ और उनको इस तरहसे रखो। वह धर्म नही, अधर्म है। वह शैतानकी पूजा है, ईश्वरकी पूजा नही।

: २२२ :

२८ जनवरी १९४८

(आरंभमे गांधीजीने बहावलपुरसे आए हुए कुछ लोगोंकी शिकायतका जिक्र किया कि उन्हे उनसे मिलनेका समय नही दिया गया। गांधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हे विश्वास दिलाते हुए कहा :) उनके लिए जो भी किया जा सकता है वह हो रहा है। डा० सुशीला नायर और श्री लेसली क्रास बहावलपुर चले गए है और नवाब साहबने उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है। भगवानकी कृपासे यूनियनकी राजधानी दिल्लीमे तीनो जातियोंमे फिरसे शाति कायम हो गई है। इससे सारे हिंदुस्तानमे हालत जरूर सुधरेगी।

आप जानते है कि दक्षिण अफ्रीकामें हमारे लोग अपने हकोंके लिए लड़ रहे है। यहा तो कोई ऐसे हक छीनते नही है कि लोग कही जमीन न रख सके या कही भी रहना चाहते है, वहां न रह सके। हरिजनोंका तो हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया है, बाकी हिंदुस्तानमें ऐसा कुछ है ही नही। लेकिन दक्षिण अफ्रीकामे तो ऐसा है, इसका मैं गवाह हूं। इसलिए वे वहां हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिंदुस्तानके हकके लिए लड़ रहे है। बहुत तरीकोंसे वे लड़ सकते है, लेकिन वे तो सत्याग्रही होनेका दावा करते हैं। इसलिए सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके तार भी आ जाते है। वे बिना परवानेके कही जा भी नहीं सकते—जैसे नेटाल, ट्रांसवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वगैरा, ऐसा सिलसिला

वहां रहा है। दक्षिण अफ्रीका एक खंड जैसा है, कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है। बहुत बड़ा है। नेटालसे अगर परवाना मिले तो वे ट्रांसवाल जाए, नहीं तो नहीं। तो उन सबने कहा कि यह हमारा भी मुल्क है, तब क्यों हमारे इधर-उधर आनेमें किसी तरहकी रुकावट हो? बहुतसे तो वहां चले भी गए और मुझको यह तो कहना ही पड़ेगा कि वहांकी हकूमतने इस वक्त तो कुछ शराफत बताई है। उनको अभीतक पकड़ा नहीं। ट्रांसवालका जो पहला शहर आता है फाकसेस, वहां वे चले गए हे। पीछे कही उनको पकड सकते है, लेकिन अभीतक पकड़ा नही है। हकूमतके सिपाही तो वहां मौजूद थे, लेकिन वे सब देखते रहे और उनको कुछ नही कहा। वहां तो उन्हें मोटर भी खड़ी मिली और उसमें बैठकर वे आगे चले गए और वहांपर उनका जल्सा हुआ, जिसमे उनका स्वागत-सत्कार किया गया। वह सब हुआ। मैंने सोचा कि आपको इतनी खबर तो दे दूं। यह एक बड़ी बहादुरीका काम है। वहा हिंदुस्तानी छोटी तादादमें हैं, लेकिन छोटी तादादमें रहते हुए भी अगर सब हिंदी सत्याग्रही बन जाए तो उनकी जय ही है। कोई रुकावट उनके आगे नहीं ठहर सकती। लेकिन ऐसा तो नही बना है। हर किस्मके लोग वहा रहते हैं जैसे यहा भी रहते हे। वहा थोड़े हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हे। वे सब मिल-जुलकर यह काम करते हैं। वे जानते है कि इसमे कोई गमानेकी बात नहीं है। और अकेले आदमियोंसे तो यह लडाई लडी भी नही जाती। इसलिए वे जोहान्सवर्गमे पहुच तो गए है, लेकिन आखिरतक तो अलग नही रह सकते, ऐसा मेरा खयाल है। उनको चलते ही जाना है, आखिर तक भी जाना है जबतक कि पकड़े न जायं। पकडनेका वहाकी हकूमतको हक है, क्योंकि सत्याग्रहमें यह चीज तो पड़ी है कि जब कानून भंग किया है तो उनको पकड़ें और जेलके भीतर जाकर भी वे कानूनकी पाबदी करते है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारी तरफसे धन्यवाद तो उनको मिलना ही चाहिए और वह है ही; क्योंकि मे जानता हूं कि इसमे कोई दूसरी आवाज निकल ही नही सकती। वहांकी हकूमतसे भी मैं कहता हू कि जो लोग ऐसे लड़ते है और इतनी शराफतसे लड़ते है उनको हलाक क्या करना है! उनकी चीजको समझ लें और फिर आपसमे समझौता क्यों न कर लें? ऐसा

क्यों हो कि जिसकी सफेद चमड़ी है वह काली चमड़ीवालेके साथ कुछ बहस नही कर सकता ? या हिन्दुस्तानियोको जो सतोष देना है या इन्साफ करना है तो उसके लिए उनको लडना क्यों पड़े ? अगर हिंदुस्तानी भी उसी जगहमें रहें तो उन्हें (गोरोंको) कौन-सा कष्ट हो सकता है ? उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको उनके साथ सलाह-मशवरा करके सलूकसे रहना चाहिए और उनको संतोष दिलाना चाहिए। आज हम भी आजाद है और वे भी आजाद है और एक ही हकूमतमे हिस्सेदारकी हैसियतमे रहते है। अर्थात् दक्षिण अफ्रीका भी एक डोमीनियन[1] है, इडियन यूनियन भी डोमीनियन है और पाकिस्तान भी डोमीनियन है। तब सब भाई-भाई जैसे बनकर रहे, यह सब उनके गर्भमें पड़ा है। इसके विपरीत वे आपस-आपसमे लड़ें और हिदुस्तानको अपना दुश्मन मानें—हिदुस्तानियोको जब वहां शहरी हक भी न मिले तो फिर वे दुश्मन नही है तो और क्या हुए ? तो यह समझमे न आ सके, ऐसी चीज है। क्यों ऐसा माना जाय कि जो काली चमड़ीवाले है वे निकम्मे है या वे जो उद्यम कर सकते है और थोडे पैसेमे रह सकते है, तो क्या यह कोई गुनाह है ? लेकिन वह गुनाह बन गया है। इसलिए इस सभाकी मार्फत मैं दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको कहता हूं कि वह सही रास्तेपर चले। मै भी वहां २० वर्षतक रहा हूं। इसलिए मेरा भी वह मुल्क बन गया है, ऐसा मै कह सकता हूं। यह सब कहना तो मुझको कल ही चाहिए था, लेकिन कह नही पाया।

मैसूरके मुसलमानोंने कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था कि तुम्हारे उपवासका वहां कोई असर नहीं पड़ा और मुसलमानोंको हलाक किया जा रहा है। इसके बारेमें मैंने कुछ कहा भी था। उसके उत्तरमें मैसूरके गृह-मन्त्रीकी ओरसे एक तार मिला जिसमें पहले तारका खंडन किया गया और यह बताया गया है कि वहां मुसलमानोंके साथ इन्साफ करनेकी पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे मैं सबसे कहता हूं वैसे मैं मैसूरके उन मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि वे किसी बातमें भी अतिशयोक्ति न करें।

---

[1] उपनिवेश।

ऐसा कहनेसे मेरे हाथ-पैर बंध जाते है और मै कुछ काम नही कर सकता। मै पहले भी कह चुका हूं और फिर मुसलमान भाइयोंसे कहता हू कि वे किसी चीजको ज्यादा बढाकर न बताएं। अगर कर सकते है तो कम करें। यही रास्ता है हिंदू, मुसलमान और सिखोंके मिल-जुलकर तथा भाई-भाई बनकर रहनेका। मै तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, तो भी सारी दुनियामें दूसरा कोई रास्ता मैंने नही पाया।

हमारे लोग इतने भोले है कि डाकमे ही पैसा भेज देते है। मुझे अपने बापके समयसे तजुर्बा है। उनके पास कुछ जेवर था। एक छोटा-सा मोती था। लेकिन था कीमती। उसे उन्होंने डाकसे भेज दिया। तबसे मै जानता हू कि ऐसा करना नही चाहिए। उसमे कोई चोरी तो नही थी, लेकिन खतरा तो लेना पडता ही है। कोई डाकमें देख ले और खोल ले तो फिर मोती कोई छुपा थोडे ही रह सकता है। और पैसे तो फिर भी देने ही पडे, क्योंकि उसकी पहुचका तार मंगवाया। तो मेरे पिताको इस चीजका दु ख हुआ। लेकिन आज भी मेरे पिताके जैसे भोले आदमी हैं। समझ लेते है कि पैसेको भेजना है, तो कौन बीचमें उसको छुएगा? आजतक तो खैर ऐसे ही पैसे आते रहे। एक भाईने तो एक हजारसे ऊपरके नोट बद करके भेज दिए। उसकी रजिस्टरी भी नही कराई और न बीमा। जो लिफाफेपर मामूली टिकट लगते है वे लगाकर भेज दिया। आजकल तो सब लोग बहुत बिगड़ गए हैं, पैसे खा जाते हैं और रिश्वत भी लेते है। तब यह तो अच्छी बात है और हमारे पोस्ट-आफिसके लिए यह कोई छोटी बात नही है कि इस तरहसे इतने सुरक्षित पैसे भी आ जाते है। उसे वे देखना भी नही चाहते कि उसमें क्या भेजा है। ऐसे जब वे मुझको सब कुछ सुरक्षित भेज देते हैं तो दूसरोंको भी इसी तरहसे भेज देते होगे। लेकिन जो लोग पैसा भेजते हैं वे चाहे इतना पैसा कम करके भेजें, लेकिन तो भी इस तरहसे खतरेमें नहीं पड़ना चाहिए; क्योंकि कोई बदमाश भी तो रहते है। डाकको खोल लें तब मेरे और जिन हरिजनोंके लिए पैसा भेजा है उनके क्या हाल होनेवाले हैं और जो दान देनेवाले हैं उनका क्या हाल होगा? लेकिन डाकखानेमें जो आदमी काम करते हैं उनको तो मै मुबारकबाद देता हूं कि इस

तरहसे काम करते हैं कि कोई घूस नहीं लेते। बाकी जो सब महकमे हैं वे भी सब ऐसा ही करें कि जो लोगोंका पैसा हो उसकी हिफाजत करें, किसीसे रिश्वतका पैसा न ले, तो हम बहुत आगे बढ जाते है। ऐसा लालच किसीको होना ही नही चाहिए। इसलिए मैं इन दानियोंसे कहूंगा कि आप मनिआर्डर भेज दें। उसमे कितना पैसा लगता है? ऐसा भी न करें तो रजिस्टरी करा दे। इसमे कुछ थोड़ा-सा पैसा ज्यादा भी लगता है तो वह खैरियतसे तो पहुंच जाता है। ऐसा आप न करें कि मामूली डाकसे हजारों रुपयेके नोट भेज दिए।

: २२३ :

२६ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पड़ी है, उनमेसे जो आजके लिए चुननी चाहिए, वे चुन ली हैं। छः चीजें हैं। पद्रह मिनटमे जितना कह सकूगा, कहूगा।

एक बात तो देख रहा हू कि थोड़ी देर हो गई है—यह होनी नहीं चाहिए थी। सुशीला बहन बहावलपुर चली गई है। बहावलपुरमें दुःखी आदमी है उनको देखनेके लिए चली गई है—दूसरा अधिकार तो कोई है नही और न हो सकता था। फ्रेंड्स सर्विसके लेसली क्रॉसके साथ चली गई हैं। फ्रेंड्स यूनिटमे से किसीको भेजनेका मैंने इरादा किया था, ताकि वह वहां लोगोंको देखें, मिलें और मुझको वहांके हाल बता दें। उस वक्त सुशीला बहनके जानेकी बात नही थी, लेकिन जब सुशीला बहनने सुन लिया तो उसने मुझसे कहा कि इजाजत दे दो तो मैं क्रास साहबके साथ चली जाऊ। वह जब नोआखालीमे काम करती थी तबसे वह उनको जानती थी। वह आखिर कुशल डाक्टर है और पंजाबके गुजरातकी है, उसने भी काफी गंवाया है; क्योंकि उसकी तो वहां काफी जायदाद है, फिर भी दिलमें कोई जहर पैदा नहीं हुआ है। तो उसने बताया कि मैं वहां

क्यों जाना चाहती हूं; क्योंकि मै पजाबी बोली जानती हूं, हिंदुस्तानी जानती हूं, उर्दू और अग्रेजी भी जानती हू तो वहां मैं क्रास साहबको मदद दे सकूंगी। तो मैं यह सुनकर खुश हो गया। वहा खतरा तो है; लेकिन उसने कहा कि मुझको क्या खतरा है, ऐसा डरती तो नोआखाली क्यों जाती ? पंजाबमें बहुत लोग मर गए हैं, बिल्कुल मटियामेट हो गए है; लेकिन मेरा तो ऐसा नही है, खाना-पीना सब मिल जाता है, ईश्वर सब करता है। अगर आप भेज दे और क्रास साहब मेरेको ले जाय तो मै वहाके लोगोको देख लूंगी। तो मैंने क्रास साहबसे पूछा कि क्या आपके साथ सुशीला बहनको भेजूं ? तो वे खुश हो गए और कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उनके मारफत दूसरोंसे अच्छी तरह बातचीत कर सकूगा। मित्रवर्गमे हिंदुस्तानी जाननेवाला कोई रहे तो वह बड़ी भारी चीज हो जाती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है ? वे रेडक्रासके है। रेड क्रासके माने यह है कि लड़ाईमें जो मरीज हो जाते है उनको दवा देनेका काम करना। अब तो दूसरा तीसरा भी काम करते है। तो डाक्टर सुशीला क्रास साहबके साथ गई है या डाक्टर सुशीलाके साथ क्रास साहब गए है यह पेचीदा प्रश्न हो जाता है। लेकिन कोई पेचीदा है नही, क्योंकि दोनो एक दूसरेके दोस्त है और दोनों एक दूसरेको चाहते है, मोहब्बत करते हैं। वे सेवा-भावसे गए हैं, पैसा कमाना तो है नहीं। वे जो देखेंगे मुझे बताएगे और सुशीला बहन भी बताएगी। मै नही चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाक्टर हैं और क्रास साहब दूसरे हैं। कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई भेदभाव न करे; लेकिन क्रास साहब, उनके साथ औरत हैं तो औरतको आगे कर देते है और अपनेको पीछे रखते है। आखिर वे उनके दोस्त है। मै एक बात और कह देना चाहता हू कि नवाब साहब तो मुझको लिखते रहते हैं। मुझको कई लोग झूठ बात भी लिखते हैं तो उसे माननेका मेरा क्या अधिकार है। मैंने सोचा कि मुझको क्या करना चाहिए। तो बहावलपुरके जो आए हैं उनको बता दूं कि वे वहासे आएंगे तो मुझको सब बात बता देंगे।

अभी बन्नूके भाई लोग मेरे पास आ गए थे—शायद चालीस आदमी थे। वे परेशान तो हैं, लेकिन ऐसे नही हैं कि चल नहीं सकते थे।

झां, किसीकी अंगुलीमे घाव लगे थे, कहीं कुछ था, कही कुछ था, ऐसे थे। मैंने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना है बृजकिशनजीसे कह दे, लेकिन इतना समझ ले कि मै उन्हें भूला नही हूं। वे सब भले आदमी थे। गुस्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी बात मान गए। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मैंने पूछा नही। उसने कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और करते जाओगे? इससे बेहतर है कि जाओ। बड़े हैं, महात्मा हे तो क्या, हमारा काम तेा बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड़ दो, भूल जाओ, भागो। मैंने पूछा, कहा जाऊ? उन्होंने कहा, तुम हिमालय जाओ। तो मैंने डाटा। वे मेरे-जितने बुजुर्ग नही हैं—वैसे बुजुर्ग हैं, तगडे है, मेरे-जैसे पाच-सात आदमीको चट कर सकते हे। मे तो महात्मा रहा, घबराहटमें पड जाऊ तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने हँसकर कहा कि क्या मै आपके कहनेसे जाऊ, किसकी बात सुनू? क्योकि कोई कहता है कि यही रहो, कोई तारीफ करता है, कोई डाटता है, कोई गाली देता है। तो में क्या करू? ईश्वर जो हुक्म करता है वही में करता हूं। आप कह सकते हे कि आप ईश्वरको नही मानते हे तो इतना तो करे कि मुझे अपने दिलके अनुसार करने दे। आप कह सकते हें कि ईश्वर तो हम है। मेने कहा तो परमेश्वर कहां जायगा? ईश्वर तो एक है। हां, यह ठीक है कि पच परमेश्वर है, लेकिन यह पचका सवाल नही है। दुःखीका बेली[1] परमेश्वर है; लेकिन दुःखी खुद परमात्मा नही। जब मे दावा करता हूं कि जो हरएक स्त्री है, मेरी सगी बहन है, लड़की है तो उसका दुःख मेरा दुःख है। आप ऐसा क्यों मानते है कि मै दुखको नही जानता, आपके दुःखोंमे मै हिस्सा नही लेता, मै हिंदुओं और सिखोका दुश्मन हू और मुसलमानोंका दोस्त हूं। उसने साफ-साफ कह दिया। कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे लिखता है कि हमको छोड़ दो, चाहे हम दोजखमें जायं तो क्या? तुमको क्या पड़ी है, तुम भागो? में किसीके कहनेसे कैसे भाग सकता हूं? किसीके कहनेसे मैं खिदमतगार नही बना हू, किसीके कहनेसे मे मिट नहीं सकता हू, ईश्वरके चाहनेसे

[1] (गुज०) मुरब्बी, सहायता करनेवाला।

मैं जो हूं बना हूं। ईश्वरको जो करना है सो करेगा। ईश्वर चाहे तो मुझको मार सकता है। मैं समझता हूं कि मैं ईश्वरकी बात मानता हूं। एक डांटता है, दूसरे लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्या करूं। मै हिमालय क्यों नही जाता? वहां रहना तो मुझको पसंद पडेगा। ऐसा नहीं है कि मुझको वहा खाने-पीने-ओढनेको नही मिलेगा—वहां जाकर शांति मिलेगी, लेकिन मै अशातिमेसे शाति चाहता हूं, नहीं तो उस अशांतिमें मर जाना चाहता हूं। मेरा हिमालय यही है। आप सब हिमालय चलें तो मुझको भी आप लेते चलें।

मेरे पास शिकायतें आती हैं—सही शिकायतें है—कि यहां शरणार्थी पड़े हैं, उनको खाना देते हैं, पीना देते है, पहननेको देते हैं, जो हो सकता है सब करते है; लेकिन वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। जो उनकी खिदमत करते हैं उन लोगोने लंबा-चौडा लिखकर दिया है, उसमेंसे मै इतना ही कह देता हूं। मैंने तो कह दिया है कि अगर दुःख मिटाना चाहते है, दुःखमेसे सुख निकालना चाहते हैं, दुःखमे भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते है, साथमें अपनी भी सेवा हो जाती है, तो दुःखियोंको काम तो करना ही चाहिए। दुःखीको ऐसा हक नही है कि वह काम न करे और मौज-शौक करे। गीतामें तो कहा है, 'यज्ञ करो और खाओ'—यज्ञ करो और शेष रह जाता है उसको खाओ। यह मेरे लिए है और आपके लिए नहीं है ऐसा नहीं है—सबके लिए है। जो दुःखी है उनके लिए भी है। एक आदमी कुछ करे नही, बैठा रहे और खाय तो ऐसा हो नहीं सकता। करोड़पति भी काम न करे और खावे, तो वह निकम्मा है, पृथ्वीपर भार है। जिस आदमीके घर पैसा भी है वह भी मेहनत करके खाए तब बनता है। हां कोई लाचारी है—पैर नहीं चल सकता है या अधा है, या वृद्ध हो गया है तो बात दूसरी है; लेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न काम करे? जो काम कर सकता है वह काम करे। शिविरमे जो तगड़े पड़े हैं वे पाखाना भी उठाएं। चर्खा चलाएं। जो काम बन सकता है करे। जो काम नही जानते है वे काम लड़कोंको सिखाएं, इस तरहसे काम लें। लेकिन कोई कहे कि केम्ब्रिजमें जैसे सिखाते हैं वैसे सिखाएं। मैं, मेरा बाबा तो केम्ब्रिजमे सीखा था तो लड़कोंको भी वहां भेजें, तो यह

कैसे हो सकता है ? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जितने शरणार्थी हैं वे काम करके खाएं। उन्हें काम करना ही चाहिए ।

आज एक सज्जन आए थे। उनका नाम तो मैं भूल गया। उन्होंने किसानोंकी बात की। मैंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किसान होगा, हमारा बड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, क्योंकि यहांका राजा किसान है। मुझे बचपनसे सिखाया था—एक कविता है,"हे किसान, तू बादशाह है।" किसान जमीनसे पैदा न करे तो हम क्या खाएगे ? हिंदुस्तानका सचमुच राजा तो वही है। लेकिन आज हम उसे गुलाम बनाकर बैठे हैं। आज किसान क्या करें ? एम० ए० बने ? बी० ए० बने ?—ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा। पीछे वह कुदाली नहीं चलाएगा। जो आदमी अपनी जमीनमेंसे पैदा करता है और खाता है, सो जनरल बने, प्रधान बने, तो हिंदुस्तानकी शकल बदल जाएगी। आज जो सड़ा पड़ा है, वह नहीं रहेगा।

मद्रासमें खुराककी तगी है। मद्रास सरकारकी तरफसे दूत यह कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास आए थे कि वे उस सूबेके लिए अन्न देनेका बंदोबस्त करें। मुझे मद्रासवालोंके इस रुखसे दुःख होता है। मैं मद्रासके लोगोंको यह समझाना चाहता हूं कि वे अपने ही सूबेमें मूंगफली नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थोंके रूपमें काफी खुराक पा सकते हैं। उनके यहां मछली भी काफी है, जिन्हें उनमेंसे ज्यादातर लोग खाते हैं। तब उन्हें भीख मांगनेके लिए बाहर निकलनेकी क्या जरूरत है ? उनका चावलका आग्रह रखना—वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके सारे पोषक तत्त्व मर जाते हैं—या चावल न मिलनेपर मजबूरीसे गेहूं मंजूर करना ठीक नहीं है। चावलके आटेमें वे मूंगफली या नारियलका आटा मिला सकते हैं और इस तरह अकलके भेड़ियेको आनेसे रोक सकते हैं। उन्हें जरूरत है आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी। मद्रासियोंको मैं अच्छी तरहसे जानता हूं और दक्षिण अफ्रीकामें उस प्रांतके सभी भाषावाले हिस्सोंके लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-कूचके वक्त उन्हें रोजानाके राशनमें सिर्फ डेढ़ पौंड रोटी और एक औंस शक्कर दी जाती थी। मगर जहां कहीं उन्होंने रातको डेरा डाला, वहां जंगलकी घासमेंसे खाने लायक चीजें चुनकर

और मजेसे गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मुझे अचरजमें डाल दिया। ऐसे सूझ-बूझवाले लोग कभी लाचारी कैसे महसूस कर सकते हैं? यह सच है कि हम सब मजदूर थे। और, ईमानदारीसे काम करनेमें ही हमारी मुक्ति और हमारी सभी आवश्यक जरूरतोंकी पूर्ति भरी है।

: २२४ :

पुण्यदिवस, ३० जनवरी १९४८

आज सायकाल ५ बजकर १० मिनटपर प्रार्थनाके लिए आते समय प्रार्थना-स्थलपर एक व्यक्तिने पिस्तौलसे गांधीजीके तीन गोलियां मारीं और वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। गिरनेसे पहले उन्होंने नमस्कार करनेके लिए हाथ उठाये और उनके मुहसे निकला :

"हे राम"

निर्देशिका